राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या : 13

मंगलवार;

9 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

प्रचण्ड तूफान से किसानों को नुकसान

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, कल का जो यह अंधड़ आया है, बरसात आई है, ओले आये हैं, किसान को तबाह कर दिया है बिलकुल ही। हालात खराब हो गये। मेरे क्षेत्र में भी भयंकर मारामारी हुई है। सरसों की फसल जो खलिहान में रखी हुई थी, गेहूं कट रहा था, साहब, सब का सत्यानाश कर दिया किसान का, बिलकुल। इतना भयंकर मतलब नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : यह कृषि मंत्रीजी को बोलो, आपके कृषि मंत्रीजी मुआवजा देने से हट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नहीं तो मैं निवेदन ही कर रहा हूं, आप लोग बीच में रोड़ा अटका रहे हो। मेरा तो निवेदन है, साहब, किसान का बेटा हूं, मेरा फर्ज बनता है, साहब। किसान ने किस तरह पाला था फसल को... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। बैठिये।

श्री रामस्वरूप : विनम्र निवेदन है कि हमारी सरकार उसके लिए सहायता दे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बैठिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आपकी सरकार कितनी गम्भीर है वह पता लग जाएगा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अमीन खान।

"प्रशासन गांवों के संग" कार्यक्रम में विचाराधीन पेंशन प्रकरण

306. श्री अमीन खान (शिव): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में "प्रशासन गांवों के संग" कार्यक्रमों में कितने लोगों के पेंशन आदेश जारी किये गये हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रशासन गांव के

(श्री अमीन खान)

संग कार्यक्रम में तय किए गए पेंशनधारियों को अब पेंशन देने का विचार रखती है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा) : (1) राज्य में प्रशासन गांव के संग कार्यक्रमों में तय किए गए प्रकरणों के संदर्भ में जितने लोगों के पेंशन भुगतान आदेश किये गये हैं उनकी जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट संख्या–1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम में तय किए गए सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यह जिलेवार पढ़ दें न, साहब, हमें ही पता चल जाए।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कोई लम्बा–चौड़ा नहीं है, सीधा–सा ही सवाल है। जहां तक मेरी जानकारी है, मंत्री महोदय, बाड़मेर जिले के 923 व्यक्ति प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम में तय किये गये, उनको पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। इसलिए शायद राजस्थान के 69751 तय किए गए व्यक्तियों को भी पेमेंट नहीं हुआ। आपके उत्तर में भी संदेह प्रतीत होता है। आपने उत्तर में यह नहीं बताया है कि पेंशनधारियों को पेंशन दी जा रही है। आपने उत्तर दिया है, पेंशन दी जाएगी। दी जाएगी तो कब तक भुगतान किया जाएगा? और देरी के क्या कारण हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने तालिका प्रस्तुत की है उसमें पी.पी.ओ. जारी हो चुके हैं और उनका निकट भविष्य में ही भुगतान हो जाना चाहिए।

श्री अमीन खान : पी.पी.ओ., अध्यक्ष महोदय, प्रशासन गांव के संग में विकास अधिकारी अथोराइज्ड है, पी.पी.ओ. तो उसी दिन प्रशासन गांवों के संग के मजमे–आम में विकास अधिकारियों ने जारी कर दिये, कोई बाकी नहीं है। ये सारे पी.पी.ओ. जारी किए हुए 69751 व्यक्ति हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन 69 हजार लोगों को आपने...

श्री अध्यक्ष : अभी उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी उन पेंशनों को स्वीकृत करता है, पी.पी.ओ. कोषाधिकारी जारी करता है। वे पी.पी.ओ. जारी हो गये हैं और पेंशन उनको जारी हो जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। हमारे विभाग से पैसा आलरेडी उनके पास है, हमारी तरफ से कोई उसमें कोताही नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : कि गत वर्षों के कितने पेंशन प्रकरण अब तक लम्बित हैं? दूसरा, इसके लिए विभाग में बजट प्रावधान कितना है? क्या इस अनुपात में यह सारी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी? क्या यह राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आपको पैसा मिला है या राज्य सरकार की तरफ से यह पैसा दिया गया? जब बीकानेर के अन्दर 1100 पेंशन की, आपने इसमें सूची दी है, प्रशासन गांव के संग जो अभियान चला था उसमें बताया कि 1100 को हमने पेंशन के आवेदन स्वीकृत किये हैं...

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : और आपने मात्र 647 को ही अपनी सूची में बताया है। इसके क्या कारण हैं, कृपया आप बताएं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 75 रुपये तो भारत सरकार देती है और शेष सवा सौ रुपये राजस्थान सरकार देती है। जो स्वीकृति हो चुकी है उसका पैसा पेमेंट निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जैसा माननीय विधायकजी ने फर्माया है, 647 तो आपको स्वीकृत हो चुकी हैं, पी.पी.ओ. जारी हो गये हैं और शेष में जांच हो रही होगी। कहीं कोई उसमें फार्म में भी कमी हो सकती है, फोटो में कमी हो सकती है, और क्वैरीज कहीं कोई शेष रह गई होंगी उनको क्वेरी करके जो...

श्री देवीसिंह भाटी : पुराने प्रकरण।

श्री बनवारी लाल बैरवा : पात्र व्यक्ति हैं उनको पेंशन जारी होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : पुराने प्रकरण कितने विचाराधीन हैं? क्या जैसे निर्देश जारी हुए थे कि समस्याओं का हम चिन्हीकरण कर लेंगे...

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं आप। प्लीज, देवी सिंहजी।

श्री देवीसिंह भाटी : शिविर शुरू होने से पहले चिन्हीकरण कर लेंगे, क्या विभाग ने इनका चिन्हीकरण किया था?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, यह 69751 को पेमेंट होना है, यह कब तक होगा, यह बता दें?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, पी.पी.ओ. जारी होने का मतलब ही यह है कि उनको पेमेंट हो रहा है।

श्री अमीन खान : ठीक है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : बिलकुल पेमेंट नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल पेमेंट नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देता हूं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। दिलावरजी, नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर जिले में बिलकुल पेमेंट नहीं हो रहा है, साहब।

श्री मदन दिलावर : पेंशन रोक दी गई, बाद में निरस्त कर दी गई। इसलिए यह कहना माननीय मंत्री महोदय का गलत है कि जिनको पी.पी.ओ.....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आपको मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : दिलावरजी, आप यों खड़े नहीं हो सकते। मिस्टर आहूजा, बैठो।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन गांवों के संग अभियान दस जनवरी को समाप्त हो गया था, उसके बाद करीब तीन माह का समय बीत रहा है, आपने जो सिरोही जिले की 1472 की सूची दी है उसमें से एक भी व्यक्ति को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। आपका टी.ओ. यह कहता है कि वैरीफिकेशन होना है और वह वैरीफिकेशन करता नहीं है, इस कारण भुगतान अभी तक हो नहीं रहा है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भुगतान हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ है तो मैं उसको चैक-अप करवा लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रशासन गांवों के संग...

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट। राजेन्द्र सिंहजी, जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रशासन गांव के संग अभियान में बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं वृद्धावस्था के कितने आवेदन प्राप्त हुए थे और कितने आवेदकों के नाम से पी.पी.ओ. जारी हो गये हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये कम्पाइल्ड फीगर्स हैं, उनके दोनों के अलग-अलग तो नहीं हैं, 8861 बांसवाड़ा के अन्दर पी.पी.ओ. जारी हो चुके हैं। 8861.

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जीतमल खांट : हां, तो वही तो बताओ न। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था के कितने हैं और वृद्धावस्था के कितने हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह अलग से प्रश्न कर लीजिये आप।

श्री जीतमल खांट : यह अलग से नहीं है। जो पेंशन से सम्बन्धित तीन प्रश्न हैं...

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न कर लेना, यह प्रश्न से सम्बन्धित मामला है फिर कह रहे हैं कि अलग से प्रश्न कर लेना। माननीय सदस्य और हम यह जानना चाहते हैं कि इस आठ हजार में कितने राष्ट्रीय वृद्धावस्था के हैं और कितने वृद्धावस्था के हैं?

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। आप बैठिये। दिलावरजी, हर वक्त आप खड़े हो जाते हो। दिलावर महोदय का नहीं अंकित करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से दो स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो, यह प्रशासन गांवों के संग जो आपने अभियान चलाया इससे पहले राजस्थान में कितने लोग पेंशन के पात्र थे जो पेंशनभोगी थे? आपने फिर उसके बाद जांच कराई उसमें कितने लोगों को आपने शिकायतन रोक दिया? और अब उसके बाद, इस अभियान के बाद कितने लोग आपकी पेंशन के पात्र आपने सही पाये हैं? इस ड्यूरिंग जांच जिन लोगों की पेंशन आपने रोक दी थी, पहले तो आप यह बताएं कि आप उस पीरियड की पेंशन का भुगतान भी कर देंगे? यदि कर देंगे तो कब तक कर देंगे? दूसरा, भरतपुर के कितने मामले ऐसे हैं जिनको अब आपने सही पा लिया? पेंशन उनको सितम्बर, 2000 से लेकर अब तक नहीं मिली है उनको पेंशन का, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर दीजिए आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्दर 75 रुपये भारत सरकार देती है, लेकिन देती है वह कुलमिलाकर एक लाख इकतालीस हजार के लिए और हमारी सरकार के इस 2001-2002 में, जो साल गुजर गया, 6 लाख 18 हजार लोगों को हमारे यहां से पेंशन स्वीकृत थी। जो पात्र थे उनकी स्वीकृति हो गई, जो पात्र नहीं थे उनकी कैंसिल हो गई होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : ड्यूरिंग जांच उस पीरियड का देंगे या नहीं देंगे? जितने दिन आपने जांच की है उसका जो बाकी रहा वह कब तक देंगे? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : अगर वे पात्र हैं तो देंगे और पात्र नहीं हैं तो बात खतम हो गई।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाह रहा था कि जो इन्होंने 2000 में जांच की थी और यह कहा था कि गलत लोगों को पेंशन मिल रही है उस जांच के आधार पर कितने लोगों की पेंशन, जो पेंशन पा रहे थे उनकी पेंशन को रद्द करके रोक दिया गया है? फिर उसके बाद कितने लोगों को पेंशन जारी रखी है, यह थोड़ा बताने की कृपा करें? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के संदर्भ में पूछ रहा हूं मैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जब यह नई पेंशन चालू हुई थी उस वक्त में चूंकि पेंशन राशि में इजाफा कर दिया गया था, एक साथ बहुत सारे फार्म हमारे पास आये। चूंकि उसमें एक प्रावधान यह खोल दिया गया था कि ऐसे लोग जो निःसहाय हैं और जिनकी कोई आमदनी का जरिया नहीं है और उनको औलाद भी कुछ नहीं दे रही है, वे अगर एफीडेविट दे दें तो हम उनको पेंशन देंगे, उसके हिसाब से हमारे पास में बहुत सारे केसेज ऐसे निकल कर आये। लेकिन जब वे आये तो उसके साथ ही यह दरखास्तें भी आ गई है कि, साहब इसके बेटे हैं, इसके पास जमीन है, इसके बहुएं हैं, सब लोग इसकी खिदमत कर रहे हैं और ये गलत बयानी कर रहे है। सरकार के सामने जब वह मसला आया तो यह बात की गई उनकी पेंशन को रोक कर दुबारा सर्वे किया जाए कि अपात्र व्यक्तियों को तो नहीं मिल रही है। अगर अपात्र व्यक्तियों को मिलती है तो उसको रोक दिया जाए। लिहाजा वह रोके दिया गया। (व्यवधान) जो पात्र थे उनको दे दिया जाए...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष : नहीं, देवी सिंहजी, बार-बार नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं देता। (व्यवधान) बार-बार यह नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : वह बात स्पष्ट नहीं हो रही है, अध्यक्ष महोदय, कि प्रावधान कितना है इस वर्ष के लिए? (व्यवधान) और कितनों को ये पेंशन देंगे? यह तो स्पष्ट हो जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 196 करोड़ का बजट था, और सेन्टर में तो 13 करोड़ ही दे रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : कहां आ गया? कुल बजटीय प्रावधान कितना है पेंशन के लिए? (व्यवधान) 69 हजार को क्या ये दे पाएंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि जितने पी.पी.ओ. आपने जारी किये उन पी.पी.ओ. के आधार पर जो जिले की ट्रेजरी है उसने डिस्बर्समेंट इसलिए नहीं किया कि उनके पास बजटीय प्रावधान नहीं था, नम्बर एक? क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों के संग के पश्चात् जो प्रगति प्रतिवेदन या प्रगति रिपोर्ट विभाग ने बनाई कि कितने लोगों को पेंशन दी, क्या दी, उसके अन्दर जो संख्या है वह संख्या इससे कहीं बढ़ा चढ़ा कर है? 69 हजार से ज्यादा है? मैं चूरू जिले की कह रहा हूं, आपने बताया 780 और जो रिपोर्ट उन्होंने दी पूरे प्रशासन गांवों के संग अभियान समाप्त होने के पश्चात् उसमें उन्होंने लिखा 1440. ये दोनों अलग-अलग क्यों हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए बजटीय प्रावधान जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे, कोई बजटीय प्रावधान आपके पास है या नहीं? और है तो कितने रुपयों का है?

श्री मदन दिलावर : मेरे प्रश्न का जवाब मिला नहीं था। मेरा आपसे कर बद्ध निवेदन है, मेरा एक बहुत छोटा-सा प्रश्न था उसका जवाब दिलवा दें तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया हमारा बजट प्रोविजन 196 करोड़ का था और 196 करोड़ के तमाम जिलेवार हमने पैसे भेजे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप हाथ जोड़े खड़े हैं आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : लिहाजा पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो पी.पी.ओ. जारी हुए हैं, पेंशन सबको मिलेगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी ट्रैजरी में... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, कितने लोगों की पेंशन बन्द की थी? मेरा जवाब दे नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अभी सदन को आपके माध्यम से बताया, जो बारबार क्वेश्चन आ रहा है, माननीय सदस्य जो कोलायत से आते हैं उन्होंने भी कहा, टोटल जो पेंशन मिल रही है वह राजस्थान सरकार दे रही है। केन्द्र सरकार की जो योजना है उसके अन्तर्गत वे तमाम राज्यों का कोटा फिक्स करते हैं। राजस्थान के लिए 1 लाख 41 हजार लोगों को पेंशन का कोटा फिक्स किया है, 1 लाख 41 हजार 492 और पेंशन मिलती है वह साढ़े छह-सात लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन मिल रही है राजस्थान के अन्दर। इसके माइने यह जो केन्द्र की पेंशन है सिर्फ 75 रुपये है। हम भेदभाव नहीं कर सकते इसलिए हमने उनको भी 125 रुपये देना शुरू किया। कुलमिलाकर राजस्थान में 200 रुपये पेंशन

(श्री अशोक गहलोत)

मिल रही है जो पहले सिर्फ 125 रुपये थी। जब सरकार 1999 में बनी तब हमने 125 के 200 रुपये किये थे। केन्द्र से हम बारबार मांग कर रहे हैं। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला इस बात के लिए ही, मैंने उनको कंविंस करने की कोशिश की। मैं खुद मिस्टर वेंकैया नायडू से मिला उनके आफिस में जा कर और मैंने कहा कि खाली राजस्थान की बात नहीं पूरे देश के अन्दर या तो कोई स्कीम चले नहीं और चले तो जो पात्रता रखते हैं, एलिजिबल हैं उन सबको मिलना चाहिए। अब इसके मायने ये हुए कि 1 लाख 41 हजार 492 का पेंशन का कोटा फिक्स कर दिया। तीन लाख ऐसे लोग हैं पात्रता में, 65 वर्ष की एज की लिमिट है उन लोगों की। हमारे यहां 55 की एज के बाद में पेंशन देते हैं। हमने कहा कि आप सबको दीजिए जो पात्रता रखते हैं पूरे देश के अन्दर। वे अभी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग इसमें मदद करें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, हमने तो इतना पूछा था कि कितने लोगों की पेंशन...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उस समय पेंशन स्वीकृत कर दी गई थी और पेंशन होल्डर्स ने पेंशन उठा भी ली थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री सुरानाजी। श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री सुरेन्द्र गोयल : तीन-तीन, चार-चार बार उनको पेंशन दे दी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्रीजी के जवाब के बाद क्या बच गया अब? अब तो जवाब दे दिया मुख्य मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) क्या रह जाएगा अगर हमें जवाब नहीं मिलेगा तो? हमारे प्रश्न पूछने का अर्थ क्या रह जाएगा यदि हमारा जवाब नहीं मिलेगा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। दिलावरजी, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : सारा जवाब, अध्यक्ष महोदय, आपको मिल गया, मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपको निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुराना, मानिक चन्द जी सुराना।

बीकानेर केन्द्रीय कारागृह का प्रस्तावित नवीन भवन

307. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर केन्द्रीय कारागृह में वर्तमान में कितने बन्दी हैं?

(2) उक्त केन्द्रीय कारागृह में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किस–किस श्रेणी व क्षमता के कितने बैरिक्स बने हुए है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रीय कारागृह में महिला बन्दियों एवं बच्चों के लिए कितने बैरिक्स बने हुए हैं? उक्त में क्या–क्या सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त केन्द्रीय कारागृह के किस–किस श्रेणी के कितने–कितने बैरिक्स क्षतिग्रस्त एवं असुविधायुक्त स्थिति व जर्जर अवस्था में हैं? क्या उक्त प्रकार के बैरिक्स में भी बन्दियों को रखा जा रहा है? उक्त जेल भवन के रख–रखाव के लिए गत तीन वर्षों में किस–किस कार्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा बीकानेर कारागृह का निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो क्या कारागृह के सम्बन्ध में कोई राय या निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या?

(6) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कारागृह को जर्जर व न रहने लायक बताया है? क्या राज्य सरकार उक्त जर्जर अवस्था युक्त बीकानेर केन्द्रीय कारागृह के स्थान पर नया कारागृह भवन बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? और हां, तो कहां व कब तक?

(7) क्या नवीन प्रस्तावित केन्द्रीय कारागृह भवन में मानवाधिकार के द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में महिला बन्दी एवं उनके साथ उनके नाबालिग बच्चों की सुरक्षा हेतु कोई प्रावधान किया हुआ है? नवीन प्रस्तावित कारागृह में किस–किस प्रकार की श्रेणियों के लिए क्या–क्या सुविधाओं का समावेश किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) राज्य सरकार उक्त नवीन प्रस्तावित कारागृह को कितनी अवधि में निर्मित कराने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, कारागार (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में दिनांक 31.3.2002 को कुल 715 बंदी थे।

(2) राज्य की कारागृहों में एक ही श्रेणी के बैरिक्स हैं। केन्द्रीय कारागृह, बीकानरे में 21 बैरिक्स हैं, जिनमें से 5 बैरिक क्षतिग्रस्त होने के कारण काम में नहीं लिये जा रहे हैं। शेष 16 बैरिक्स की क्षमता का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में महिलाओं हेतु एक पृथक ब्लाक में दो बैरिक बने हुए हैं जिनमें 22 महिलाओं को छोटे बच्चों सहित रखे जाने की क्षमता है। महिला बैरिक्स में फ्लश शौचालय बने हुए हैं तथा पंखे लगे हुए हैं।

(4) केन्द्रीय कारागृह में बैरिक संख्या 9 से 12 एवं 16 तथा अस्पताल बार्ड क्षतिग्रस्त, असुविधायुक्त एवं जर्जर अवस्था

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

में है, जिनमें बंदियों को नहीं रखा जा रहा है। कारागृह भवन के रख-रखाव के लिए गत तीन वर्षों में आबंटित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) जी हां, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के सदस्य श्री आर. के. आकोदिया एवं न्यायमूर्ति श्री अमर सिंह गोदारा द्वारा क्रमशः दिनांक 17.6.2001 व 10.2.2002 को बीकानेर कारागृह का निरीक्षण किया गया था। इनमें से न्यायमूर्ति श्री अमर सिंह गोदारा द्वारा कारागृह विजिटर्स बुक में टिप्पणी अंकित की गई कि "कारागृह भवन करीब एक सौ पच्चीस वर्ष पुराना होकर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, किसी भी समय किसी मानवीय त्रासदी का कारण बन सकता है।" उनके द्वारा कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये हैं। विजिटर्स बुक में अंकित की गई टिप्पणी की छाया प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(6) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बैरिक संख्या, 9, 10, 11 एवं 12 को छोड़ कर शेष बैरिक मरम्मत के पश्चात् बंदियों के रहने योग्य बताये गये थे। केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के नवीन भवन निर्माण हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेश क्रमांक एफ. 10(3) राजस्व/90/ 2011-18 दिनांक 29.6.1999 द्वारा ग्राम बीछवाल, तहसील बीकानेर में 160 बीघा भूमि आबंटित की गई थी जिसका कब्जा दिनांक 17.7.1999 को लिया गया। इस भूमि पर पत्थर गढ़ी करवाई गई जिस पर 25000/- रुपए व्यय हो चुके हैं। राज्य सरकार नया जेल भवन बनवाने का विचार रखती है। इस हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

(7) केन्द्रीय कारागृह भवन के निर्माण के समय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य की कारागृहों में बंदियों की एक ही श्रेणी में, कारागृह भवन के निर्माण के समय सभी मूलभूत सुविधाओं का समावेश किया जाएगा।

(8) राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराने का प्रयास करेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, 21 बैरिक्स में से 5 बैरिक्स बिलकुल क्षतिग्रस्त और जर्जर है और पी.डब्ल्यू.डी. ने भी उनकी मरम्मत के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि इनको कंडम कर दीजिये। अब आप 16 बैरिक्स में जिनकी कैपेसिटी आपने 554 बतायी है उसमें 715, 165 कैदियों को ज्यादा रख रहे हैं। कैपेसिटी 550 की, रख रहे हैं 715 को। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कब तक आप नये स्थान पर इस जेल को स्थानान्तरित कर पाएंगे? वित्तीय साधनों की जो बात आपने कही है वो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वित्तीय साधनों की बात तो हर मुद्दे पर कही जा सकती है। 160 बीघा जो आपने बीछवाल में ली है, वर्तमान में जेल कितने वर्गगज में है और उतने वर्गगज से दुगने वर्गगज से भी ज्यादा, बीस गुना ज्यादा आपने जो ये 160 बीघा ले ली है उस 160 बीघा में ही क्या आप जेल भवन बनाना प्रस्तावित करते हैं? जो आपने आकलन किया है नये भवन का, वह कितने करोड़ रुपयों का है, मैं यह जानना चाहता हूं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान की बीकानेर जेल जो केन्द्रीय कारागार है, वह वास्तव में जर्जर अवस्था में है। लेकिन 1990 के बाद बाकी बैरिक्स की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को पैसा देकर उसको ठीक कर दिया गया। लेकिन जो 5 बैरिक्स हैं उनमें न तो मरम्मत की गयी है और न वो मरम्मत के काबिल हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और विभाग द्वारा पिछले बहुत वर्षों के प्रयास के बाद पिछले साल ही 160 बीघा जमीन बीछवाल में आवंटित करा कर कब्जा लिया जा चुका है। कब्जा लेने के बाद विभाग ने यह प्रयास किया कि वित्त विभाग से वित्तीय संसाधन लेकर इस जेल भवन का निर्माण कराया जाए। आप जानते हैं कि तीन साल के अकाल की वजह से वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाये। लेकिन उसके लिए हमने दूसरा विकल्प भी तैयार किया, विकल्प के रूप में विभाग ने जो बीकानेर की यू.आई.टी. है उसके जरिये पिछले एक साल से प्रयास किया कि 43 बीघा जमीन पर वर्तमान में बीकानेर के बीच में जो भवन स्थित है उसके बदले केन्द्रीय कारागार बनाकर। विभाग को सुपुर्द कर दे। मूल्यांकन करने के बाद बीकानेर की यू.आई.टी. ने यह पाया कि इस जमीन के बदले जो हम केन्द्रीय कारागार भवन बनाएंगे उसकी लागत ज्यादा होगी। वो दो फेज में बनने वाला है, एक फेज की लागत है 14 करोड़ रुपये, दूसरे फेज की लागत है 11 करोड़ रुपये। दुबारा हमने जब यू.आई.टी. को पुनः लिखा कि इसकी वैल्युएशन जिला कलक्टर, बीकानेर से कराकर भेजें, तब वैल्युएशन उसकी मात्र सात करोड़ रुपये आयी। जब वैल्युएशन आयी तो यू.आई.टी. बीकानेर ने अभी हाल ही में मना कर दिया कि इस जेल को हम बनाने में सक्षम नहीं हैं।

उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। चूंकि बीकानेर कारागार वास्तव में जर्जर अवस्था में है, पिछले कई वर्षों से कारागार विभाग अपने स्तर पर प्रयास भी निर्माण का कर रहा है। नगर न्यास द्वारा ना करने के बाद कारागार विभाग को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, वह प्रस्ताव यह है कि बीकानेर में स्थित 43 बीघा भूमि पर जो भवन और जमीन है उसके बदले पहला फेज बनाकर देने को वह तैयार है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मैसर्स राजस्थान रियल एस्टेट डवलपमेंट

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

कोआपरेटिव सोसायटी, बीकानेर द्वारा बीकानेर के वर्तमान कारागार एवं उससे जुड़ी हुई समस्त परिसम्पत्तियों को हस्तान्तरण के बदले नवीन कारागार भवन के प्रथम चरण निर्मित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त सोसायटी के प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् मैंने यह देखा कि चूंकि प्रस्ताव तो आ गया लेकिन इसकी एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी बना दी जाए, वो उच्च स्तरीय कमेटी अपना जो भी मंतव्य देगी उसके बाद में हो सकता है उस प्रस्ताव को वो कमेटी सही माने। अगर प्रस्ताव सही नहीं हो और ऐसे प्रस्ताव राजस्थान में या देश में किसी भी जगह से आएं, ओपन टेण्डर करने की आवश्यकता होगी तो ओपन टेण्डर करने का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ताकि इस जेल का भवन जल्दी से जल्दी बन सके।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप 43 बीघा बोल रहे हैं वर्तमान जेल का क्षेत्रफल, या 43 हजार गज बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : 43 बीघा।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह 43 बीघा में जेल है उसके स्थान पर 160 बीघा का इन्होंने परिसर लिया है इसी कारण से इसका मूल्यांकन 14 करोड़ और 15 करोड़ आ रहा है। यदि आप 43 बीघा की जगह 50 बीघा, 60 बीघा, 70 बीघा लेते, 160 से आधी जगह पर ही जेल बनाते तो निश्चित रूप से प्रपोजल इकानामिक हो जाता, फिजिबल भी हो जाता और आर्थिक सीमा के अन्दर वायेबल भी हो जाता। इसलिए आप इस पर विचार करें कि जब आपको सात सौ–आठ सौ कैदी ही रखने हैं तो आप क्यों 160 बीघा में जेल बना रहे हैं? आप 80 बीघा, 75 बीघा में जेल बनाकर उस वायेबल प्रपोजल को क्यों नहीं जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं? चाहे यू.आई.टी. के माध्यम से करें, चाहे किसी अन्य संस्था के माध्यम से करें, इससे मतलब नहीं है। असल तो मतलब यह है कि जेल बने, नयी जेल बने। जब मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सवा सौ वर्ष हो गये, अध्यक्ष महोदय, जेल क्षतिग्रस्त हो चुकी, उन्होंने कह दिया कि मानव त्रासदी हो जाएगी तो सारे लोग उसमें दबकर मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप समय रहते इस नयी जेल के प्रस्ताव को 80 बीघा तक ही सीमित रख कर वायेबल बनाएं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान जेल 43 बीघा परिसर में बनी हुई है लेकिन 160 बीघा में कंस्ट्रक्शन नहीं होना है। बीकानेर जेल क्योंकि केन्द्रीय कारागार है, केन्द्रीय कारागार का एक अलग प्रकार से नये सिरे से हमने

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

राजस्थान में नक्शा बनाया है। उसके मुताबिक उसका पहला चरण जो 160 बीघा में नहीं बनना है, मुश्किल से 30 या 40 बीघा में बनना है। लेकिन जगह भी काम आती है इसलिए वो जमीन तो आबंटन करायी गयी है। इसलिए इसका पहला जो फेज है वो 14 करोड़ का है और दूसरा फेज है 11 करोड़ का। हम 14 करोड़ में पहले फेज को कराने की कार्यवाही चालू कर रहे हैं, यह मैंने आपसे निवेदन किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह कितने वर्षों में उपलब्धि हो जाएगी? यह काम कब शुरू हो जाएगा, यह बताइये?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा है कि प्रस्ताव जगह-जगह से प्राप्त हुए हैं, प्रस्तावों के अवलोकन के लिए एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके बाद में उस प्रस्ताव को अगर सही माना जाएगा तो हो सकता है, वो कमेटी क्या रिपोर्ट दे। उसके बाद में बैठ करके निर्णय लिया जा सकेगा। लेकिन अगर प्रस्ताव को वो एलिजिबल नहीं मानेंगे तो हो सकता उसके लिए ओपन टेण्डर की भी आवश्यकता होगी। तो हम ओपन टेण्डर करेंगे ताकि बीकानेर जेल के लिए वित्तीय संसाधन जुटा कर जल्दी से जल्दी बीकानेर जेल का कंस्ट्रक्शन कराया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा। (हवामहल)

श्री रामस्वरूप : आपके जेल जाने से पहले ही तैयार हो जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, आपके जाने से पहले ही हो जाएगी।

श्री रामस्वरूप : हां, हो जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल में कैदियों को रखने के लिए क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितना भोजन मिलेगा, किस प्रकार के कपड़े दिये जाएंगे, इसके नियम बने हुए हैं।

श्री रामस्वरूप : भोजन भी मिलेगा। ए. सी. भी लगेगा।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): ए. सी. जरूर लगवा देना उसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कितनी खुराक देंगे, ये भी नियम बने हुए हैं। रहने के लिए स्थान देंगे, उसका एरिया भी तय किया हुआ है। तो क्या आप इतने लोगों को इस छोटी जगह पर रख कर उस कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? नियमों को तोड़ नहीं रहे हैं? जो काल-कोठरी होती है उसमें मुल्जिम को रखने के लिए जितनी जगह होती है, उस प्रकार की जगह हो गयी। इनको इतना रखने के बाद तो काल-कोठरी में जो अभियुक्त को रखा जाता है इतनी कम जगह में, उतनी कम जगह पर रख कर क्या मानव के प्रति क्रूरता नहीं कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप : काल-कोठरी की बात क्यों कर रहे हो?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्यान्न का है यह तो अलग प्रश्न है। लेकिन जो आपने...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जगह बताइये आप तो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : आपके अनुभवों का लाभ ले लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने जो यह बात कही है कि कम जगह के अन्दर आपने ज्यादा बन्दी रख रखे हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नियमों के विरुद्ध।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : नियमों के विरुद्ध। ऐसा है कि बीकानेर जेल की जो बैरिक्स बनी हुई हैं, उसकी कैपेसिटी आज की तारीख में इतनी है कि हम वहां कम से कम 800 बंदी रख सकते हैं। ये पुराने नार्म्स हैं। आज भी बहुत जगह ऐसी है वहां पर, जो खाली पड़ी हुई है, उसमें बंदी रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप चाहें तो निरीक्षण भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा है कि हमने एक साल पहले ही जमीन ली है जबकि जमीन का पिछले 10-15 सालों से प्रयत्न हो रहा था। मैं राजस्व मंत्री महोदय को और मुख्य मंत्री महोदय को इस बात के लिये बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बीकानेर जेल के लिये 10-15 सालों से जमीन का आबंटन नहीं हो रहा था, उसका तत्काल आबंटन करा दिया। जमीन आबंटन हो गई तो उसमें कारागार भवन भी बनाने की सरकार मंशा रखती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रस्ताव आया है उसके आधार पर जिस प्रकार की व्यवस्था होगी, हम निश्चित तौर पर करने की चेष्टा करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : कब तक पैसा मिल जाएगा। मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी यहां बैठ हुए हैं, भवन निर्माण के लिये आपको कब तक पैसा मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। डा. किरोड़ी लाल जी, आप नहीं। श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने बताया है कि बीछवाल में जुलाई, 1999 में जेल विभाग ने कब्जा ले लिया भूमि का। क्या यह सही है कि कब्जा लेने के बाद में गृह आयुक्त और आपके द्वारा नियुक्त कमेटी ने दो बार नई भूमि देखने का अवसर निकाला, यह किन परिस्थितियों में हुआ।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बीकानेर के कई माननीय सदस्य जो सदन के माननीय सदस्य हैं, उनकी ओर से लिखित में एक प्रस्ताव आया कि जो वर्तमान जेल भवन के लिए भूमि आबंटन हुई है उस जमीन के नीचे ऐसी खान और बजरी की खानें होने की

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

वजह से यह जमीन अनुपयुक्त है। इसलिए विभाग के पुनः माइन्स विभाग को लिखा और लिख कर यह कहा कि आप इसका सर्वे करके यह बताएं कि जिस जमीन पर हम कारागार बना रहे हैं वह कारागार बनाने के लिये उपयुक्त है या नहीं। खनिज विभाग ने वापस विभाग को लिखकर भेजा है कि यह जमीन उपयुक्त है। पहले इस दौरान जब खनिज विभाग का उत्तर नहीं आया था, उस में विकल्प के रूप में हमने दूसरी जमीन भी देखने की चेष्टा की थी। वह तो अच्छी बात थी कि हमने एडवांस ही तैयारी कर रखी थी कि अगर मान लो जमीन को रिजैक्ट भी कर देते हैं तो हम दूसरी जमीन की तत्काल व्यवस्था कर लें ताकि उस पर कारागार भवन बनाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जेल मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, राजस्थान जेल सुधारों के कार्यक्रमों में डाक्टर सम्पूर्णानन्द, राज्यपाल महोदय के जमाने से ही अग्रणीय है, किन्तु वर्तमान में जेल सुधार कार्यक्रम के तहत जेलियों का जो स्तर है वह ब्रिटिश पीरियड के समय का ही ढर्रा है और आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग के दो माननीय सदस्यों ने जो आब्जर्वेशन किया, मिस्टर आकोदिया ने, उसके कारण हैं। क्या पूरे राजस्थान की सम्पूर्ण जेलों का वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं, जो डाइंग नैसेसिटी है उनके परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण करेंगे? उससे सम्बन्धित भी कोई योजना है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कोलायत के बारे में पूछिए। यह बीकानेर का प्रश्न है, बीकानेर कारावास के सम्बन्ध में आप पूछिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मुझे मालूम है कि कोलायत के बारे में ही है लेकिन जो बीकानेर जेल की स्थिति है लगभग वही स्थिति समूचे राजस्थान की जेलों की है। इसलिए मैं सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं मंत्री महोदय से कि आपने राजस्थान की समस्त जेलों के बारे में, जेल के प्रिमिसेस के सुधार के लिये कोई समयबद्ध योजना बना रखी है? कृपया बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, 13.6.2000 और 10.2.2000 को जो मानवाधिकार आयोग ने निरीक्षण करके टिप्पणी दी, क्या उस टिप्पणी में यह अंकित नहीं किया कि बीकानेर जेल से पैरोज की रिहाई ओर खुली जेल में कैदियों को भेजने के बारे में अनियमितता हुई? अगर यह टिप्पणी उनकी है, जर्जर भवन के साथ, तो उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की, यह बताएं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई टिप्पणी मानवाधिकार आयोग के दोनों ही माननीय सदस्यों ने नहीं की है। उन्होंने केवल इतना ही लिखा है कि यह जेल 125 वर्ष पुरानी है

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

और सुरक्षा की दृष्टि से कभी भी त्रासदी का कारण बन सकती है। इसके अलावा कोई दूसरी टिप्पणी उन्होंने नहीं की है। जैसा कि मैंने कहा, इसीलिए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बीकानेर कारागार को हम बनाएं और इसीलिए वित्तीय संसाधन जुटाने की हम चेष्टा कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं वह टिप्पणी पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खुद कह रहे हैं कि वह त्रासदी का कारण बन सकती है। जब यह खुद मान रहे हैं कि त्रासदी का कारण बन सकती है तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक नई जेल का निर्माण नहीं हो तब तक कैदियों को आप किसी अन्य स्थान पर...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री कय्यूम खान। प्रोफेसर सांवरलाल, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री सांवर लाल : अनुमति की प्रार्थना कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है। आपकी अनुमति हो तो मैं वह टिप्पणी पढ़कर सुना रहा हूं जो मानवाधिकार आयोग ने की है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसे नहीं। आप रूल्स पढ़ लीजिए, आप प्रोफेसर हैं, ऐसे खड़े नहीं हों।

श्री सांवर लाल : आपने अनुमति इधर भी नहीं दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मानवाधिकार आयोग ने जो टिप्पणी की, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुनाता हूं। कारागार प्रशासन के विरुद्ध अलावा पैरोल पर रिहाई, अन्य कारागारों, खुली कारागारों, कृषि फार्म, दण्डावधि से पूर्व रिहाई आदि सामान्य व्यवस्थाओं के अतिरिक्त कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मतलब यह शिकायत तो प्राप्त हुई है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि भोजन इत्यादि की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मंत्री महोदय, यह टिप्पणी आपके पास होगी, इस टिप्पणी में यह स्पष्ट अंकित किया है। तो क्या आप मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी पर कोई कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो मिनिस्टर साहब ने खुद ने ही स्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, यह भवन के बारे में कह रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने उसके अलावा ईर्रेगुलिटी के बारे में टिप्पणी की है।

श्री रतनाराम चौधरी : तीखी टिप्पणी की है, उस पर सैंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ध्यान कहां दिया है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्रीजी यह मान रहे हैं कि कभी भी त्रासदी घट सकती है, कैदी मर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल

(श्री सांवर लाल)

है कि जेल निर्माण में पता नहीं कितना समय लगेगा, तब तक उन कैदियों को आप अन्यत्र वैकल्पिक स्थान पर रखने की व्यवस्था करने का विचार रखते हैं? या उस घटना का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कैदी मरें?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री कय्यूम खान। अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या–308

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसका तो जवाब दिलवाओ, बहुत गम्भीर बात है। खुद मंत्रीजी कह रहे हैं कि त्रासदी घटित हो सकती है, उन कैदियों को वहीं मारेंगे क्या? उनके बारे में क्या व्यवस्था करेंगे? जेल निर्माण में दो साल लगेंगे, पांच साल लगेंगे, तब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखते हैं या नहीं, यह बताएं?

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। कल मांग है, कल मांग पर चर्चा कर लेना। 24 घंटे में तो मरेंगे नहीं।

जिला कोटा/बारां के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति

309. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा व बारां के सरकारी/अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं पर कितनी-कितनी राशि विद्युत की बकाया है?

(2) क्या सरकारी व स्वायत्तशासी संस्थाओं की बकाया राशि जमा कराना भी आम उपभोक्ताओं के जिम्मे है? यदि नहीं, तो इसी आधार पर प्रतिशत निकालकर गांवों का कनेक्शन क्यों काटा जाता है? अब तक इसी आधार पर उक्त जिलों में कितने कनेक्शन काटे गये?

(3) क्या कई गांवों में कुछ व्यक्तियों के बिल जमा नहीं होने के कारण अन्य व्यक्तियों को विद्युत आपूर्ति से वंचित रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या जिन उपभोक्ताओं की राशि जमा है उक्त सभी को विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जिला कोटा व बारां में सरकारी/अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं पर विद्युत बिलों की बकाया राशि का सब डिविजनवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिस उपभोक्ता पर बकाया है, उसको जमा करवाने की जिम्मेदारी भी उसी उपभोक्ता की है। सरकारी/अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं की बकाया राशि के आधार पर प्रतिशत निकाल कर कनेक्शन नहीं काटे गये हैं।

(डा. चन्द्रभान)

(3) जिन उपभोक्ताओं पर बिल की राशि बकाया होती है उनके कनेक्शन काटकर बकाया वसूली की कार्यवाही की जाती है। यदि गांव के अधिकांश उपभोक्ताओं में राशि बकाया होती है तो गांव की विद्युत आपूर्ति बन्द करनी पड़ती है। विद्युत आपूर्ति बन्द वाले ऐसे गांवों में अगर 50 प्रतिशत उपभोक्ता बिल की राशि जमा करा देते हैं तो वहां विद्युत आपूर्ति पुनः चालू करने की व्यवस्था है, अन्यथा नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड 3 में बताया है कि विद्युत आपूर्ति बन्द वाले ऐसे गांवों में अगर 50 प्रतिशत उपभोक्ता बिल की राशि जमा करा देते हैं तो वहां विद्युत आपूर्ति पुनः चालू करने की व्यवस्था है, अन्यथा नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं इस संदर्भ में कि अटरू सब डिवीजन में ऐसे अधिकांश उपभोक्ताओं के राशि नहीं जमा कराने के कारण से कितने गांवों के कनेक्शन विच्छेद किये हुए हैं या उनकी सप्लाई बन्द की हुई है? यदि उनकी सप्लाई इस आधार पर बन्द की है तो ऐसे किन-किन गांवों में कितने-कितने लोगों ने राशि जमा नहीं करवाई है और कितने कितने लोगों ने राशि जमा करवाई हुई है? जिन लोगों ने राशि जमा कराई हुई है उनका क्या दोष है? क्या इसी आधार पर उनके कनेक्शन काटे गये हैं कि उनके पड़ौसियों ने राशि जमा नहीं कराई? क्या यह भी सच है कि कई गांव ऐसे हैं जहां कई लोग पलायन कर गये हैं, कई लोग मर गये हैं, कई लोगों ने कभी कनेक्शन नहीं लेने के लिए तय कर लिया है। यदि उन्होंने ऐसा तय कर लिया है या मर गये हैं या पलायन कर गये हैं तो उनकी राशि जमा नहीं हो पाएगी, और तब तक उन गांवों की सप्लाई स्थाई रूप से बन्द रहेगी। यदि बन्द नहीं रहेगी तो क्या जो मर गये हैं, या पलायन कर गये हैं या जिन लोगों ने कनेक्शन नहीं लेने की ही ठान ली है कि हम बिजली नहीं लेंगे, ऐसे गांवों के उपभोक्ताओं ने, जिन्होंने राशि जमा करा दी, उनके बारे में सरकार क्या विचार रखती है?

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों की विद्युत आपूर्ति बन्द की गई, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा वह कोटा और बारां जिले से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं अभी अटरू सब-डिविजन पूछ रहा हूं...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आपने अटरू का अलग से सवाल नहीं पूछा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बारां में ही आता है (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जी, बारां में ही आता है।

श्री मदन दिलावर : बारां जिले में आता है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जी, बारां में आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत निगमों में और पूर्व के विद्युत मण्डल में वृत्तीय व्यवस्था थी। झालावाड़ और बारां को मिलाकर एक वृत्त है। कोटा और बूंदी को मिलाकर एक वृत्त है। कोटा में कुल 123 में विद्युत आपूर्ति बन्द की गई थी उनमें से चार गांवों में पैसा जमा हो गया, उनकी विद्युत आपूर्ति पुनः चालू कर दी गई और 119 गांवों में विद्युत आपूर्ति बन्द है। झालावाड़ वृत्त में कुल 143 गांवों में विद्युत आपूर्ति बन्द की गई, इनमें से बारां जिले में 83 गांव हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अटरू की अलग से जो संख्या है, वह अभी दे दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बात कह रहे हैं कि इन गांवों में जिन उपभोक्ताओं ने पैसे जमा करा रखे हैं या जो जमा करा देते हैं उनको विद्युत आपूर्ति से वंचित क्यों रखा जाए। यह इनका बुनियादी सवाल है। राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक साढ़े सैंतीस हजार गांवों में विद्युत पहुंची हुई है। गत वर्ष हमने एक रिकवरी का अभियान चलाया, उसमें कुलमिलाकर जयपुर विद्युत निगम में 526 ऐसे गांवों की विद्युत आपूर्ति बन्द की गई, अजमेर में 127 की और जोधपुर डिस्काम में तीन की। जोधपुर और अजमेर डिस्काम में ज्यादातर गांवों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी, वहां के उपभोक्ताओं ने पैसे जमा करा दिये। जयपुर में भी कुछ जगहों पर विद्युत आपूर्ति पुनः शुरू कर दी गई। लेकिन यह बात सही है कि ज्यादातर गांवों में पैसे जमा नहीं हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य की, सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा, उन गांवों में ही विद्युत आपूर्ति बन्द की गयी जिसमें पिछले 5-6 साल से लगातार पैसे जमा नहीं हो रहे थे। इनमें ज्यादातर डोमेस्टिक कनेक्शन हैं। ज्यादातर वे गांव हैं जिनमें 80 से 90 प्रतिशत और कई ऐसे गांव हैं कि शत-प्रतिशत उपभोक्ता विद्युत के पैसे सालों से जमा नहीं करा रहे हैं। 80 प्रतिशत से नीचे वाले जो गांव हैं, उनकी विद्युत आपूर्ति अभी बन्द नहीं की गई लेकिन व्यक्तिगत के कनेक्शन जरूर काटे गये हैं और बकाया की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को और आपके माध्यम से पूरे सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हालात विद्युत निगमों के हैं, हमें भी एन.टी.पी.सी. से और अन्य जगहों से बिजली खरीदकर पैसा जमा कराना पड़ता है। राजस्थान उन सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से है जिसके एन.टी.पी.सी. के और अन्य केन्द्र के विद्युत उपक्रमों के सबसे कम पैसे बकाया हैं। समय पर हम

(डा. चन्द्रभान)

भुगतान करते हैं, इसीलिए हम यहां पर विकास के काम कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे गांवों में मजबूरन बिजली काटनी पड़ती है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वह इसमें सहयोग करें। मैंने कहा कि यदि 50 प्रतिशत उपभोक्ता भी अपने बिलों का पैसा जमा करा देंगे तो वहां पर पुनः विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या विधि में ऐसा है, क्या कहीं नियमानुसार है या कानून बना हुआ है कि जिन उपभोक्तओं ने पैसे जमा करा दिये उनके भी कनेक्शन काटे जा सकते हैं?

दूसरा यह है कि कोटा जिले में इनके 22 करोड़ रुपए बकाया हैं। 22 करोड़ रुपए सरकारी, अर्द्ध सरकारी और केन्द्र सरकार पर बकाया हैं और इसके कारण से इन्होंने लगभग 100 से ऊपर गांवों की बिजली काटी है। इसी प्रकार डेढ़ करोड़ से ऊपर बारां जिले में सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की राशि बकाया है, इस भार को उनसे लेने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार से कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

मैंने एक बात कही थी कि जो उपभोक्ता पलायन कर गये हैं या मर गये हैं या जिनका कनेक्शन आपने काटा वे अब आगे कभी बिजली लेना ही नहीं चाहते, उनका क्या करोगे? यह पाइंटेड प्रश्न है। उनको भी बिजली का बिल निरन्तर दे रहे हैं, उपभोक्ता जमा कराएगा यदि नहीं तो फिर उनकी बिजली क्यों काटी गयी? (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया (बैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं, हमारे भरतपुर जिले में कितनी फाइल 6 साल से लगी पड़ी हैं, आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिला। बहुत ने तो पैसे भी जमा करा रखें हैं। इसके अलावा जब बिजली दे रहे हैं और पैसा जमा हो रहा है तो जो चोरी को रोक रहे हैं, पहले उसको बिजली का कनेक्शन दे दें तो चोरी क्यों हो, मैं यह पूछना चाहती हूं? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल किये हैं। एक तो यह कहा है कि कोटा नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालय हैं इनमें काफी बकाया है और उसकी पूर्ति के लिए गांवों की बिजली काट दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा

(डा. चन्द्रभान)

नहीं है। यह बात तो सही है कि कोटा और बारां में कुलमिलाकर जो केन्द्र सरकार के कार्यालय हैं उन पर 16 लाख 62 हजार रुपये बकाया हैं। राज्य सरकार के कार्यालय हैं उन पर 1 करोड़ 22 लाख 38 हजार रुपए बकाया हैं। कोटा और बारां जिले की, इस सम्भाग की पूरी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उन पर 15 करोड़ 3 लाख 70 हजार रुपए बकाया हैं। इनमें से ज्यादातर धनराशि तो कोटा नगर निगम पर है और वह धनराशि करीब 13 करोड़ के आस-पास है। कोटा के इन गांवों से भी 3 करोड़ 78 लाख रुपए बकाया हैं, बारां में 1 करोड़ 5 लाख रुपए बकाया हैं। जो नगर निगम है उसको भी समय-समय पर नोटिस दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, एक दिक्कत आ रही है। पहले जब विद्युत मण्डल था उसमें 1989-90 में सरकार के स्तर पर एक निर्णय हुआ कि हमारा जो कोटा थर्मल पावर स्टेशन है इसमें विद्युत बनती है, उसका उत्पादन थोड़ा सस्ता हो, इसलिए वहां उसके लिए जो भी सामान उपयोग में लाया जाता था, यहां तक कि कोयला भी, उसके ऊपर कोई चुंगी नहीं लगेगी। राज्य सरकार ने एक निर्णय ले रखा था उसके चलते वहां कोई चुंगी नहीं ली जाती थी। अभी करीब डेढ़-दो साल पहले वह स्टे उठने से, या वह निर्णय, उसमें स्टे था, उसको थोड़ा बदल दिया, उसके चलते नगर निगम के लोग एक मांग रखते हैं कि हमें भी वह चुंगी का पैसा दिया जाए। इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता के स्तर पर आपसी बातचीत के जरिए हम इसका कोई न कोई हल निकालना चाहते हैं। हालांकि वहां, जो कहना चाहिए देनदारी या लेनदारी, वह कोटा थर्मल से है, जयपुर विद्युत वितरण निगम से नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आपसी बातचीत के जरिये जिला कलक्टर महोदय इसके लिये प्रयास कर रहे हैं, कोई फैसला होगा। नहीं होगा तो मजबूर होकर कोटा नगर निगम की भी विद्युत आपूर्ति बन्द करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि मान लीजिए वहां पर कुछ उपभोक्ता बिजली लेना चाहते हैं, आप उनको वंचित रख रहे हैं। मैंने पहले ही, अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि ज्यादातर गांव ऐसे हैं, 50 घर हैं, किसी में सौ घर हैं, किसी में डेढ़ सौ घर हैं, किसी में दो सौ भी हो सकते हैं, उनमें से 10 और 5 उपभोक्ता पैसा जमा करा दें या 15 करा दें और बाकी उपभोक्ता पैसे सालों साल तक नहीं जमा कराएं तो हम कैसे उनके लिये विद्युत आपूर्ति जारी रख सकते हैं, इस पर सदन को भी विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आप इधर हाथ देखते ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, +++ हम लोगों को आप देखते ही नहीं है, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी नजर सामने जाती है, हमारी तरफ आपका देखना ही नहीं है। साहब, कृपा करें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि झालावाड़ वृत्त के 143 गांवों में बिजली बन्द करने का आपने जिक्र किया है जिसमें 83 गांव बारां जिले के हैं, उसमें ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिन्होंने आपके पैसे भर दिये उसके बाद भी आपने उनका कनेक्शन नहीं जोड़ा? हमारे महान नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के अन्दर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण का आन्दोलन चलाया था और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिये पूरे देश भर में एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करने का कार्य किया था, क्या आप यह काम करके, जिस इन्नोसेंट कंजूमर ने आपका पैसा भर दिया है उसके बाद भी आप उसकी बिजली नहीं जोड़कर क्या स्वर्गीय राजीव गांधी की भावनाओं के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनका ही नहीं मान रहे हैं, जिनके नाम से सत्ता में आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम। (व्यवधान) श्री अमराराम।

श्री रतनाराम चौधरी : जवाब तो दिलाओ, जवाब दिलाओ पहले। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले हाथ खड़ा किया, आपने अब तक मौका नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोटा और बारां के 119 गांव कटे हुए बताए हैं वे कितने समय से कटे हुए हैं? ये 119 गांव कितने साल से कटे हुए हैं? इकाई किसी भी उपभोक्ता को मानते हैं, गांव कोई इकाई नहीं है, तो गांव को इकाई मानकर जो कनेक्शन गांव के काटे गये हैं, यह नियम विरुद्ध है। क्या इसको आप वापस लेने का काम करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : वह तो मंत्रीजी ने कहा है कि अजमेर निगम में पैसे देने के बाद जोड़े हैं। पैसे देने से पहले, अजमेर विद्युत निगम ने गांवों को वापस पहले जोड़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, लोग बिना अनुमति बोल देते हैं, हम अनुमति ले रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, मैं पहले पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, आपने अभी बताया कि 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत कंजूमर बिल भर देते हैं, 75-80 प्रतिशत कंजूमर बिल नहीं भरते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि अभी जो आपके नये मीटर आये हैं, चाहे वे कृषि के हों, चाहे आबादी के हों, ये मीटर गलत हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका नियम क्या कहता है? (व्यवधान) नियम क्या कहता है, 10, 20, 30, 40 प्रतिशत, कितने प्रतिशत कंजूमर्स के बिल भरने से... (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : इनसे चौगुना पैसा ये वसूलते हैं। इन मीटरों को चैक कराया जाए, या बदला जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य की बात पहले सुनी जाए। (व्यवधान) उनको पहले सुनो, साहब। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपका नियम क्या है? काइण्डली नियम को स्पेसिफिकली बताइये कि कितने प्रतिशत कंजूमर किसी गांव के, 10,15,20 प्रतिशत जो बिल भर देते हैं और 60, 70 प्रतिशत कितने नहीं भरते हैं, उस पर आप काट देते हैं? और क्या यह न्यायोचित है? मेरे खयाल से किसी भी दृष्टिकोण से यह न्यायोचित नहीं है कि जो कंजूमर्स बिल पे कर रहे हैं उनको भी इसकी समस्या भुगतनी पड़े।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का भी आप उत्तर दे दीजिए और दो इनके प्रश्नों का भी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा कि 119 गांव की विद्युत आपूर्ति कब से बन्द है, यह...

श्री मदन दिलावर : 119 और 143 गांव हैं।

डा. चन्द्रभान : हां, 143 ये पूरे सर्किल के हैं। इनमें गत वर्ष मई, जून के महीने में हमने अभियान चलाया था रिकवरी के लिये। गत वर्ष मई, जून के महीने से ही यहां विद्युत आपूर्ति बन्द है।

श्री अमराराम (धोद) : कुछ गांवों में तो 2 साल से है।

डा. चन्द्रभानः एक साल, नहीं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर के उद्योगों पर 2 अरब रुपये बकाया हैं, वहां रिकवरी का आन्दोलन क्यों नहीं चलता? किसानों के लिये रिकवरी का आन्दोलन क्यों चलता है? उद्योगपतियों के खिलाफ तो आप साजिश रचते हैं, उनसे षड्यंत्र करके उद्योगपतियों से वसूल नहीं करते। 2 अरब रुपये अलवर के उद्योगों पर बिजली के बकाया हैं, उनसे वसूल नहीं करते और जमींदारों और किसानों के कनेक्शन काटे जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : इटावा में 40 गांव, 2 साल से ज्यादा समय से कटे हुए हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं कि एक साल से कटे हुए हैं। (व्यवधान) इटावा के 40 गांव 2 साल से कटे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के कनेक्शन काटे जाते हैं, किसानों के कनेक्शन काटे जाते हैं, जमींदारों के कनेक्शन काटे जाते हैं। अलवर के उद्योगों में तो 2 अरब रुपये बकाया हैं, 2 अरब रुपये, अध्यक्ष महोदय, वे 2 अरब रुपये वसूल करें। (व्यवधान) मोदी फैक्ट्री पर 45 करोड़ रुपये बकाया हैं। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यह कोटा से सम्बन्धित है, अलवर से सम्बन्धित नहीं है। सिर्फ कोटा और बारां से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वहां शक्तावत साहब गये हैं, गृह मंत्रीजी वहां भोजन करके आये हैं। (व्यवधान) मोदी एल्कलीज पर 45 करोड़ रुपये बकाया हैं वहां पर शक्तावत साहब, गृह मंत्री भोजन करके आये हैं। वहां की आप रिकवरी नहीं कराते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) व्यवधान न डालें। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कोटा और बारां से सम्बन्धित है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप रिकवरी करते हैं जो...(व्यवधान) आप मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान डाल रहे हैं बराबर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवधान नहीं है। यह व्यवधान नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : महत्वपूर्ण बात है। किसानों की बिजली काटी जाती है, जमींदारों की बिजली, आप भी किसान हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अरबपतियों से वसूल नहीं किया जा रहा है, वहां बिजली काटी नहीं जा रही है और गरीब... (व्यवधान) वहां बिजली का बिल जमा कराने के बाद भी उनको बिजली से वंचित रखा जा रहा है। यह न्यायसंगत नहीं है। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कोटा और बारां से सम्बन्धित है, इसलिये वही प्रश्न पूछे जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकार के दो चेहरे हैं। किसानों के लिये दूसरा चेहरा और उद्योगों के लिये दूसरा चेहरा। (व्यवधान) 2 अरब रुपये बकाया हैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार उसका कुछ नहीं करे? (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कोटा और बारां से सम्बन्धित है, सप्लीमेंटरी केवल कोटा और बारां से सम्बन्धित ही पूछे जाएं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 45 करोड़ रुपये बकाया हैं मोदी एल्कलीज पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन उपभोक्ताओं के थोड़े–से पैसे बकाया और आप कनेक्शन काट रहे हो। (व्यवधान) क्यों उद्योगपतियों को बचाना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बड़े–बड़े सेठों पर लाखों रुपये बकाया हैं, अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये बकाया हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसा नहीं है कि उद्योगों की बिजली नहीं काटी जाती है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पूरे गांव का ही कनेक्शन काट दें, किसी भी नियम के अन्दर नहीं है। (व्यवधान) एक्ट में। कोई प्रोविजन नहीं है। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कोटा और बारां जिले से सम्बन्धित है, सप्लीमेंटरी कोटा और बारां के ही पूछे जाएं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जमींदारों को बरबाद कर दो, कोटा ओर बारां...(व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : कोटा और बारां की सप्लीमेंटरी पूछिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप उठाते न कोटा, बारां की बात, आपने उठायी नहीं। भाई मदन दिलावर ने उठाया है। यह चोरी और ऊपर से सीना जोरी। (व्यवधान) उद्योगपतियों को तो माफ किया हुआ है, 2 अरब रुपये बकाया हैं, एक जिले से ही 2 अरब रुपये बकाया हैं। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : कोटा और बारां से सम्बन्धित है तो उसी के ही सप्लीमेंटरी पूछिये। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, एक्ट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, गांव के उपभोक्ता का कनेक्शन इसलिये काट दिया जाता है कि गांव के अन्दर गरीब आदमी हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्ट में नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तो एक्ट के बाहर जाकर कैसे काट रहे हैं आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों के दुश्मन हो आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उद्योगों पर 200 करोड़ बाकी हैं, सबके कनेक्शन काट दीजिए, फिर किसानों का कोई एतराज नहीं हैं। उद्योगों पर 200 करोड़ बाकी हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप एक्ट और नियमों से बंधे हुए हैं, एक्ट और नियमों को ताक पर रखकर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उद्योगपतियों को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उद्योगपतियों के करोड़ों रुपये बाकी हैं, आपने मोदी एल्कलीज का कनेक्शन अभी तक नहीं काटा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं की...(व्यवधान) यह सारा घाटा भाजपा का...(व्यवधान) भाजपा ने एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। सारे किसानों को तबाह कर दिया था इन लोगों ने। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा...(व्यवधान) यह कहां तक उचित है, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत उपभोक्ता, यह कहां उचित है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप किसान विरोधी और जमींदार विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भाजपा ने अपने शासनकाल में एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। (व्यवधान) कांग्रेस के शासन में अच्छी बिजली मिली है और बिजली पैदा भी की है, उत्पादन भी किया है। (व्यवधान) भाजपा शासन में ये सारे घोटाले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पूरे गांव की बिजली काटने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है सरकार को। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपभोक्ता पैसे जमा नहीं कराएं, सालों साल पैसे जमा नहीं कराएं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

डा. चन्द्रभान : (व्यवधान) होने वाला है, इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इस सदन को कि यह प्रशासनिक व्यवस्था है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि यह प्रशासनिक व्यवस्था है। डिमाण्ड नोट दिया हुआ है और जहां पर 90 और 100 परसेंट तक...(व्यवधान) सालों साल तक के...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वहां पर बिजली उपलब्ध कराएं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भाजपा के शासन में एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई है। कांग्रेस शासन में बिजली पैदा होती है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया आपके टाइम में।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मुद्दे पर...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : बी.जे.पी. के टाइम में एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। वहां पर कनेक्शन जारी कर दिये, पर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हम पैसे दे सकते हैं पर...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, भाजपा के शासनकाल में एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बिजली के मुद्दे पर...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : सालों–सालों तक पैसा यहां पर नहीं देता, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं क्या?

श्री रामस्वरूप : सारा उत्पादन कांग्रेस ने किया है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपके टाइम में एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई और लाखों कनेक्शन दे दिये। यह कहना... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप दोनों का... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस ने बनाये हैं, कांग्रेस ने विद्युत उत्पादन किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावरजी। आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल ओवर।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

(श्री अमराराम (धोद), माननीय सदस्य, मा.क.पा. द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

(लोकतांत्रिक कांग्रेस विधायक दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामस्वरूप : ×××

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जो लोग सालों-साल से पैसा जमा नहीं करा रहे हैं, हमने काट दिया तो आप उनकी पैरवी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। रामस्वरूपजी, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : केसारामजी, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : ×××

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मसूदा के विद्यालयों में रिक्त पद

308. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू तृतीय भाषा विषय के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में कितने पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है? रिक्त पद भरने का क्या प्रावधान है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कय्यूम खान)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 1.4.1999 से 31.3.2002 तक उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत किये और कितने पदों को भरा गया? क्या कई पद रिक्त हैं यदि हां, तो कब तक रिक्त पद भर दिये जायेंगे? रिक्त पद रहने का क्या कारण है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 1.4.1999 से 31.3.2002 तक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत किये गये और कितने पदों पर विषय अध्यापक लगाये गये? क्या कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब तक रिक्त पद भर दिये जाएंगे? ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद रखने के क्या कारण हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मसुदा के केवल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा में तृतीय भाषा उर्दू हेतु एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में यह पद भरा हुआ है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 1.4.1999 से 31.3.2002 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों एवं रिक्त रहने के कारणों का विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गई है। अध्यापक ग्रेड-II का पद पदोन्नति पर लगे प्रतिबन्ध के हटने पर भरा जा सकेगा। अध्यापक ग्रेड -III के रिक्त पदों को नियुक्ति पर लगी रोक हटने पर ही भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 1.4.1999 से 31.3.2002 के मध्य 02 राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा 03 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। उक्त विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। विद्यालयों में पद सेवानिवृत्ति पदोन्नति नये पदों के सृजन आदि के कारणों से रिक्त होते हैं तथा यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले व्याख्याता के पदों हेतु आयोग को अर्थनाएं प्रेषित की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की नियुक्ति पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा लगी रोक के कारण पद रिक्त है। अन्य रिक्त पदों को भरने के लिये वित्त व कार्मिक विभाग से प्रतिबन्ध में छूट लेकर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद

541. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में समर्थन मूल्य पर कौन-कौनसी फसलें राज्य सरकार के माध्यम से खरीदी गई?

उत्तर

केन्द्रीय एर्जेसी भारतीय खाद्य निगम तथा नाफेड के एजेंट के रूप में राज्य सरकार की एजेंसी राजफैड तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा मुख्यत: सरसों, जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का व मूंगफली जिन्सों की गत रबी एवं खरीफ में समर्थन मूल्य पर खरीद की गई।

जिला पाली के चिकित्सालयों में रिक्त पद

542. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एडपोस्ट चिकित्सा केन्द्र किन-किन स्थानों पर संचालित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों पर सरकार द्वारा सृजित पदों में से किस-किस प्रकार के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एडपोस्ट, उच्चीकृत उप केन्द्रों एवं उप केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रश्न का उत्तर भाग एक के साथ परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त चिकित्सा संस्थानों पर सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को भरने की समुचित स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा, चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक 5(2) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है। इसमें शिथिलता मिलने पर उक्त पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के ग्रामों में चिकित्सा सुविधा

543. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में वर्तमान में पंचायत समितिवार कुल कितने ग्रामों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है तथा कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में उपलब्ध ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

राज्य में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

प्रश्न संख्या-544
(स्थगित)

प्रश्न संख्या-545
(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा के ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

546. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में गत तीन वर्षों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोले गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में लालाप, फिरोजपुरा, गोठड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में गत तीन वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं। किन्तु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम भदोरा एवं एक एडपोस्ट ग्राम खरनाल में दोहरी चिकित्सा संस्थान होने के फलस्वरूप अन्य स्थान से स्थानान्तरित की गई है।

(2) वित्तीय वर्ष में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने के उपरान्त ही ग्राम लालाप, फिरोजपुरा एवं गोठड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेर (जयपुर) में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नियमितीकरण

547. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेर (जयपुर) में

(श्री जीतमल खांट)

कुछ पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आठ-दस वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो इन्हें अब तक नियमित क्यों नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय/केन्द्र में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री भगवान सहाय मीणा वर्ष 1990 से लगातार कार्य कर रहे हैं तथा कई बार विभाग की रिक्तियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देने पर भी उक्त अनुसूचित जनजाति के चयनित परिवार के कर्मचारी को अभी तक भी नियमित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? श्री मीणा को नियुक्ति से अब तक समय-समय पर दिये गये वेतनादि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कर्मचारी को मानवीय आधार पर शीघ्र नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) 10 अगस्त, 1992 से मात्र एक व्यक्ति लगातार अंशकालिन के रूप में कार्य कर रहा है। रैप्सर एक्ट 1999 के प्रावधनों के कारण व नियुक्तियों में रिजर्वेशन के प्रावधानों के कारण नियमन काननून सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। श्री भगवान सहाय मीणा को नियुक्ति पर प्रतिबन्ध एवं रैप्सर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित नहीं किया गया। वर्ष 1993 में ज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन नहीं किया। अंशकाल के रूप में श्री मीणा को किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.6.2001 रेप्सर एक्ट के प्रावधानों के कारण श्री भगवान सहाय मीणा को नियमित किया जाना सम्भव नहीं है। जिसकी प्रतियां परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता के रिक्त पद

548. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता शहर में रोगियों को भर्ती करने के लिए 50 शैय्या (बैड) स्वीकृत हैं?

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता में चिकित्सक, नर्स एवं अन्य कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की वर्ष 1993-94 से फरवरी, 2002 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 1993-94 से 2000-2001 तक प्रतिवर्ष कितने रोगी इलाज के लिए उपस्थित हुए जिसमें से प्रतिवर्ष कितने रोगी इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती किये गये?

(श्री मांगीलाल डागा।)

(4) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उक्त अवधि में किस-किस चिकित्सक द्वारा कितने-कितने रोगियों को भर्ती किया गया?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मेड़तासिटी में स्टाफ के स्वीकृत एवं वर्ष 1993-94 से फरवरी, 2002 तक रिक्त रहे पदों का अवधि सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मेड़तासिटी में वर्ष 1993 से 2001 तक आउटडोर में आए एवं भर्ती किये गये मरीजों का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मेड़तासिटी में वर्ष 1993 से 2001 तक की अवधि में पदस्थापित रहे चिकित्सकों के द्वारा भर्ती किए गए रोगियों का चिकित्सावार संख्या विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

549. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्राम अणेवा, इन्दरवाड़ा, गुडा देवढान में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) खारची विधान सभा क्षेत्र के ग्राम इन्दरवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। ग्राम अणेवा एवं गुढा देवढान में वित्तीय वर्ष में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के उपरान्त ही उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परतापुर (बांसवाड़ा) में चिकित्सकीय उपकरणों का अभाव

550. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

(1) जिला बांसवाड़ा के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परतापुर पर कौन–कौन से चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता है?

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर में मापदण्डानुसार चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य में सड़क मद पर व्यय राशि

551. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में सड़क मद में राज्य में कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(2) उक्त अवधि में उक्त मद में किस–किस जिले में कितनी–कितनी सड़कें कितने किलोमीटर स्वीकृत की गई?

(3) राज्य में किस–किस योजना में सड़क स्वीकृत हुई और केन्द्र सरकार का उक्त मद में कितना योगदान रहा?

(4) उक्त सड़कें किस जिले में किस आधार पर स्वीकृत की गई?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में सड़क मद में राज्य में कुल 1109.52 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

(2) उक्त अवधि में उक्त मद में जिन जिन जिलों में सड़कों की संख्यानुसार जितनी किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में राज्य योजनान्तर्गत अन्य राज्य उच्च मार्गमद, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण व नवीनीकरण मद, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम, नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-4 के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्रीय सड़क निधि, राज्य उन्नयन परियोजना व शहरी सड़क मदों में सड़कें स्वीकृत हुई। इस मद में केन्द्र सरकार का 539.83 करोड़ रुपये का योगदान रहा।

(4) उक्त सड़कें जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा, क्षेत्र विशेष यातायात के घनत्व व राज्य व केन्द्र द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर स्वीकृत की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ की सड़कों का मास्टर प्लान

552. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) प्रतापगढ़ उप खण्ड में वर्ष 2001-2002 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों का डामरीकरण मार्च, 2002 तक कराया जाना निर्धारित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक के लिये जिला चित्तौड़गढ़ का मास्टर प्लान बना कर भारत सरकार को प्रेषित कर दिया है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले के मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ उप खण्ड में वर्ष 2001-2002 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्च, 2002 तक डामरीकरण कराये जाने वाले गांवों की सूची निम्नानुसार है :-

गांव का नाम	जनसंख्या (प्रोजेक्टेड) 2001
मगरोडा	1559
अखेपुरा	1281
जीरावत	1329
डोराना	1614
पंडावा	1281
मोठिया	1492

(2) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्टेड आबादी वर्ष 2001 के अनुसार 1000 एवं उससे अधिक आबादी वाले गांवों जो कि सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं को वर्ष 2003 तक जोड़ने की जिला ग्रामीण सड़क योजना के अनुसार सड़क निर्माण के प्रस्ताव (परिशिष्ट-अ में संलग्न है) को राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक के शेष रहे गांवों को डामर की सड़क से जोड़ने व 500 से 999 की आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 से 2007 तक सड़क से जोड़े जाने के प्रस्ताव बनाना 2001 की जनसंख्या प्रकाशन के बाद ही सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

मैसर्स रूप कंस्ट्रक्शन जोधपुर के साझेदार

553. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुगलाना, मकराना, बोरावड जिला नागौर की सड़क का बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त की लागत क्या है तथा उक्त का कार्य किस फर्म व कम्पनी को दिया गया है? उक्त के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माताओं को ऋण सुविधा भी दिलाई गई है? यदि हां, तो किस संस्थान से कितने ऋण की तथा कब और क्या

(श्री हरजीराम बुरड़क)

ऋण के पेटे अचल सम्पत्ति की गारंटी भी दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि रीको द्वारा उक्त फर्म को ऋण स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना तथा उक्त ऋण के पेटे गारंटी के लिये कौन–कौन सी अचल सम्पत्ति रखी गई जो किस किस के मालिकाना हक की है?

(4) उक्त ऋण दिलवाने व सड़क निर्माण में विभाग की क्या भूमिका है?

(5) मैसर्स रूप कंसट्रक्शन जोधपुर के कौन–कौन पार्टनर हैं तथा उक्त की कितने–कितने प्रतिशत हिस्सा राशि है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कार्य की लागत 654 लाख रुपये है। यह कार्य मै. रूपरजत कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड जोधपुर को दिया गया है। अनुबन्ध की प्रति प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है।

(2) जी हां। रीको द्वारा 250 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है तथा ऋण के पेटे अचल सम्पत्ति की गारंटी भी दी गई है।

(3) जी हां। 250 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण के पेटे बैंक आफ बड़ौदा द्वारा गारंटी दी गई है, का विवरण प्रपत्र ''ब'' में संलग्न है।

(4) उक्त ऋण विभाग ने त्रिपक्षीय अनुबन्ध के तहत दिलवाया है।

(5) पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रपत्र ''स'' में संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

एस. एम. एण्ड आर. योजना के तहत स्वीकृत कार्य

554. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एस. एम. एण्ड आर. योजना के तहत राज्य में कितने कार्य स्वीकृत हुए? उक्त में से कितने–कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने कार्य अपूर्ण रहे? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अपूर्ण कार्यों के पेटे पी.जी. व एस.डी. जमा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को वापस लौटायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) राज्य में स्वीकृत, पूर्ण व अपूर्ण कार्यों की संख्या सूची परिशिष्ट–''अ'' पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार कार्यों के अन्तिम बिलों के निस्तारण पर नियमानुसार लौटा दी जायेगी विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

भिवाड़ी, अलवर, करौली, मण्डरेल सड़क निर्माण के सबलेट ठेकेदार

555. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भिवाड़ी, अलवर, करौली, मण्डरेल सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा करने का कार्य विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो उक्त कार्य का ठेका किस कम्पनी को किस दर पर दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि निरीक्षण में सड़क निर्माण को दोष पूर्ण होने व स्वीकृत ठेके के ठेकेदार को ठेका सबलेट करने का दोषी पाया था? यदि हां, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त राजमार्ग को चौड़ा व सुदृढ़ीकरण में अनियमितता व पद का दुरुपयोग कर सरकार को हानि पहुंचाने व स्वार्थवश किस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने पर दिनांक 16 अप्रैल, 2001 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही किन किन के विरुद्ध हुई?

(4) क्या विभाग ने सबलेट किये ठेकेदारों को कोई राशि का भुगतान किया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त कार्य का आइटम ठेका मैसर्स सिमको इंटरनेशनल, नई दिल्ली को राशि 74.26 करोड़ का दिया गया।

(2) जी नहीं। सबलेट सम्बन्धी मामला फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक भनिब/पाजा/54/2001/590 दिनांक 28.2.2002 द्वारा वाद जांच आरोप सारहीन पाये जाने पर प्रारम्भिक जांच पंजीबद्ध कर दी गई है।

(4) जी नहीं।

तहसील मुख्यालय डूंगला (चित्तौड़गढ़) की सड़क का डामरीकरण

556. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल नागर)

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम के अन्दर डामरीकृत सड़क बनाने हेतु पूर्व में योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब, कितनी राशि की? वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में पंचायत समिति मुख्यालय होते हुए भी अभी तक सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब सरकार कब तक उक्त ग्राम में डामरीकृत सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त ग्राम के विकास हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि तहसील डूंगला के आसपास के सभी बड़े गांवों में डामरीकृत सड़कें हैं? यदि हां, तो ग्राम डूंगला में डामरीकृत सड़क का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम के अन्दर डामरीकृत सड़क बनाने हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई।

(2) जी नहीं। ग्राम के अन्दर की सड़कों के डामरीकरण हेतु इस विभाग की कोई योजना नहीं है।

(3) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(4) उपरोक्तानुसार।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर की मशीनों का आधुनिकीकरण

557. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर में मुद्रण की मशीनें काफी पुरानी हो गई हैं? यदि हां, तो क्या उक्त के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक योजना बना ली जावेगी?

(2) केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर में कितनी आफसेट मशीनें हैं एवं उक्त कब क्रय की गई? क्या उक्त मशीनों पर कार्यरत स्टाफ प्रशिक्षित है? यदि नहीं, तो क्यों व इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या मशीनें पुरानी होने के कारण विभिन्न विभागों द्वारा मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों द्वारा करवाया जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी राशि का कार्य निजी मुद्रणालय से करवाया गया?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में स्थापित मुद्रण यंत्र करीब 10 से 70 वर्ष पुराने हैं। मुद्रणालय के आधुनिकीकरण हेतु विभाग स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा सूचना, प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से तथा अधिकारियों को महाराष्ट्र व गुजरात राज्य की मुद्रणालयों के कार्य की समीक्षा कराई जाकर प्रस्ताव तैयार किए हैं जो विचाराधीन है।

(2) राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में 2 आफसैट मशीनें क्रमशः फरवरी, 1983 व अक्टूबर 1995 में स्थापित की गयी थी। वर्तमान में एक आफसैट मशीन आपरेटर व एक सहायक आपरेटर प्रशिक्षित होकर कार्यरत है। अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए अधिकारी स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त होते ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) यह सही नहीं है कि राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर की पुरानी मशीनें होने के कारण विभिन्न विभागों द्वारा निजी मुद्रणालयों से मुद्रण कराया जाता है। विभाग द्वारा किसी भी विभाग को निजी मुद्रणालयों में कार्य करवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। बहुरंगी मुद्रण की सुविधा राजकीय मुद्रणालयों में नहीं होने के कारण विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विभागों द्वारा मुद्रण कार्य अपने स्तर पर ही सम्पादित कराकर भुगतान किया जाता होगा। इन पर होने वाले व्यय की सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

राज्य में व्याख्याता स्कूल शिक्षा के रिक्त पद

558. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षा सत्र 1992-93 से 2001-2002 तक सत्रवार व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विषयानुसार कुल कितने पद स्वीकृत थे उक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान शिक्षा सेवा की समस्त वेतन श्रृंखलाओं में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कितने पदों पर पदोन्नतियां की गई है? भरे गये पदों की वर्षवार संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के सत्र 1992-93 से 2001-2002 तक स्वीकृत पदों एवं वर्तमान में रिक्त पदों का विषयवार विवरण परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राजस्थान शिक्षा सेवा की निम्नांकित वेतन श्रृंखला की अन्तिम वर्ष की डी.पी.सी. तथा उसमें चयनित आशार्थियों का विवरण इस प्रकार से है :-

पदनाम	अन्तिम डी.पी.सी. वर्ष	चयनित आशार्थी
प्रधानाचार्य	2000-2001	299
उप प्रधानाचार्य	1999-2000	538
प्रधानाध्यापक (मावि)	2000-2001	40
व्याख्याता	1999-2000	2038
वरि. अध्यापक	2001-2002	3430
शा. शिक्षक-II	2000-2001	178

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नागौर को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

559. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक नागौर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नागौर को दिनांक 19.2.2001 को पत्र लिखकर मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रकरण भेजा? यदि हां, तो उक्त क्या प्रकरण था और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त आश्रित को नियुक्ति दे दी गई? यदि हां, तो कब किस पद पर और नहीं, तो क्यों? अब कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) नागौर के द्वारा स्व. श्री रेखाराम, अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. खरेश (डीडवाना) के पुत्र श्री जगदेव सिंह को मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में क.लि. के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकरण भिजवाया गया था।

(2) जी नहीं। मृतक के आश्रित की जन्म दिनांक 17.1.1985 होने के कारण अवयस्क की श्रेणी में आने के परिणामस्वरूप मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित को आवेदन करने हेतु सूचित किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

560. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में कौन-कौन से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में कितने कितने पद अध्यापकों के कब-कब से रिक्त हैं?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या शहरी क्षेत्रों में पद कम रिक्त हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के साथ उक्त प्रकार का भेदभाव है? यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान किस प्रकार से कब तक किया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में संचालित राजकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण अधिक पद रिक्त हैं।

(4) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में विद्यालय अधिक होने के कारण स्वीकृत पदों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, इसी के अनुरूप पद भी अधिक रिक्त है। ऐसी स्थिति को ग्रामीण क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं कहा जा सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला जयपुर में नवगठित जिला प्राथमिक शिक्षा योजना

561. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा नवगठित जिला प्राथमिक शिक्षा योजना जयपुर जिले में लागू की गई है? यदि हां, तो किन-किन ब्लाकों में, कब-कब से?

(2) क्या जयपुर जिले के चाकसू ब्लाक में लिए गए साक्षात्कार में लिए गए प्रत्याशियों को पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सौंपना है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 30.9.2001 से निम्न 13 ब्लाकों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू है।

1. आमेर	2. बस्सी
3. चाकसू	4. फागी
5. जमवारामगढ़	6. सांगानेर
7. कोटपूतली	8. विराटनगर
9. गोविन्दगढ़	10. शाहपुरा
11. सांभरलेक	12. झोटवाड़ा
13. दूदू	

(2) जयपुर जिले में योजनान्तर्गत पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत नहीं है।

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के विद्यालयों में रिक्त पद

562. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कहां-कहां पर कितने-कितने पद रिक्त हैं? अब कब तक रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के राजकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है। डी.पी.सी. पर लगाई हुई रोक हटाये जाने पर ही डी.पी.सी. सम्पादित करवाई जानी सम्भव हो सकेगी। वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती के लिए माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है। माननीय न्यायालय के द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के विद्यालयों के रिक्त पद

563. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में कुल कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कौन-कौन से ऐच्छिक विषय पढ़ाए जाते हैं? उक्त विषयों हेतु कितने-कितने पद सृजित हैं और कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं एवं उक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्यों के पद कहां-कहां, कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को निकट भविष्य में भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में 10 रा.उ.मा.वि. तथा 17 रा.मा.वि. संचालित हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले ऐच्छिक विषयों, स्वीकृत पदों तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं। डी.पी.सी. पर प्रतिबन्ध हटने पर पदोन्नति से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जिला सीकर के माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक

564. **श्री हरीशचन्द कुमावत** (नावां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर शहर एवं जिले में माध्यमिक शिक्षा में कनिष्ठ लिपिक के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने कनिष्ठ लिपिक ऐसे हैं जो एक ही सीट पर 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत उक्त कनिष्ठ लिपिकों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिक के पदों के विरुद्ध सीकर शहर व जिले में शिक्षक या अन्य व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है? यदि हां, तो कहां-कहां और इन्हें कब तक अपने मूल पद पर वापस भेज दिया जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर शहर एवं जिले में वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक का एक भी पद रिक्त नहीं है।

(2) ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं।

(4) जी नहीं।

जिला अलवर के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

565. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के कई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों (ग्रामीण) में कला वर्ग में 100 से अधिक छात्र/छात्राओं ने कम्प्यूटर शिक्षा चतुर्थ विषय/पेपर के रूप में ले रखा है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर के प्रायोगिक शिक्षण हेतु कम्प्यूटर उपकरणों की संख्या किस-किस विद्यालय में कितनी-कितनी है? क्या विभागीय, बोर्ड नियमानुसार उक्त संख्या पर्याप्त है? यदि हां, तो कैसे? कम्प्यूटर नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(3) उक्त किन-किन विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रायोगिक शिक्षण हेतु बैटरी/जनरेटर की सुविधा नहीं है? उक्त बैटरी/जनरेटर के अभाव में किन-किन विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रायोगिक शिक्षण प्राप्त नहीं हो सका? उक्त बिन्दु संख्या 1 से सम्बन्धित विद्यालयों का कम्प्यूटर शिक्षण के टाइम टेबल की प्रति कम्प्यूटर अध्यापक के सत्र भर की उपस्थिति पंजिका की प्रति, सत्र भर की कम्प्यूटर शिक्षण की वार्षिक योजना की प्रति तथा कम्प्यूटर अध्यापक की अध्यापक दैनन्दिनी (डेली शिक्षण डायरी) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ चौहान (अलवर) के कला वर्ग में अध्ययनरत 158 छात्र-छात्राओं ने कम्प्यूटर शिक्षा को चतुर्थ विषय के रूप में ले रखा है।

(2) उक्त विद्यालय में प्रायोगिक शिक्षण हेतु तीन कम्प्यूटर उपलब्ध हैं जो कि नियमानुसार हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा जारी कम्प्यूटर के मापदण्डों/नियमों की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त विद्यालय में यू.पी.एस. की सुविधा उपलब्ध है तथा विद्यालय को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। बिजली के अभाव में प्रायोगिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। कम्प्यूटर शिक्षा के टाइम टेबल की प्रति, कम्प्यूटर अध्यापक के सत्र भर की उपस्थिति पंजिका की प्रति, सत्र भर की कम्प्यूटर शिक्षा की वार्षिक योजना की प्रति तथा कम्प्यूटर अध्यापक की अध्यापक दैनन्दिनी (डेली शिक्षक डायरी) की प्रतियां परिशिष्ट ''ख'' पर सदन की पटल पर रख दी गई हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों की पदोन्नति

566. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अध्यापकों की पदोन्नति की जा रही एवं की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त में पदोन्नतियां पदवार आरक्षण के तहत की गई है?

(2) उक्त में अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षण के तहत कितनी पदोन्नतियां की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.4(2) कार्मिक/क-2/अप्र/91 दिनांक 10.1.2000 के द्वारा सभी प्रकार के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने पर रोक लगाई हुई है। अत: वर्तमान में अध्यापकों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। पूर्व में पदोन्नति रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 16 % तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 12 % आरक्षण के प्रावधानानुसार पदोन्नति दी गई हैं।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रावधानुसार वर्ष 2001-2002 में अध्यापकों के पद पर पदोन्नति में 530 अनुसूचित जाति एवं 301 अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों को पदोन्नति दी गई है।

विधान सभा क्षेत्र मूंडवा के विद्यालयों में डी.पी.ई.पी. के तहत स्वीकृत कार्य

567. श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डी.पी.ई.पी. के तहत विधान सभा क्षेत्र मूंडवा के किन-किन विद्यालयों में कार्य स्वीकृत किये हैं?

(2) उक्त में कहां पर विद्यालय नये खोले हैं?

(3) चालू वर्ष में किन-किन विद्यालयों को कार्य के लिये लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) डी.पी.ई.पी. योजना अन्तर्गत जहां पर भी डी.पी.ई.पी. ने निर्माण कार्य करवाये हैं वहां पर कोई भी नया विद्यालय डी.पी.ई.पी. द्वारा नहीं खोला गया है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूली जा रही राशि

568. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में निजी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों को मान्यता (पंजीयन) प्रदान करने के क्या नियम हैं? उक्त में किस-किस स्थानों की पूर्ति करने के उपरान्त इनका पंजीयन किया जाता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर एवं नगर निगम सीमा में ऐसे कितने विद्यालय कार्यरत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(3) क्या यह सही है कि उक्त निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क, भवन शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं पूरे वर्ष का शुल्क काफी मात्रा में मनमाने तरीके से वसूला जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत तथा क्यों? क्या सरकार ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही कर उनका पंजीयन निरस्त करवाने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि एक विद्यार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण होने पर वह अगली कक्षा में उसी स्कूल में प्रवेश लेता है तो भी उससे पुनः प्रवेश शुल्क वसूला जाता है? यदि हां, तो क्यों, किन नियमों के तहत? क्या सरकार ऐसे स्कूलों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार ऐसी समस्त मान्यता प्राप्त स्कूलों का प्रवेश, मासिक एवं नियमानुसार अन्य जो भी शुल्क है उनकी प्रवेश शुल्क का उल्लेख करते हुए प्रत्येक संस्था की प्रवेश विवरणिका में उल्लेख वर्ष 2002-2003 में करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार जनहित में ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाते हैं? क्या गर्मी के मौसम में पंखे, पीने का पानी, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था भी नहीं है? क्या सरकार उक्त स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थाएं अपनी ही स्कूल से विद्यार्थियों को पुस्तकें/कापी, टाई, पोशाकें, मोजे आदि सामान अपने ही स्तर पर उपलब्ध करवाते हैं जो काफी महंगी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रथा को समाप्त करवाने का विचार रखती है?

(9) क्या सरकार उक्त संस्थानों के प्रवेश से लेकर अन्त तक कोई नियम कायदे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) निजी क्षेत्र में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं संचालित करने की मान्यता हेतु नियम एवं शर्तों का उल्लेख राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं इसके तहत बनाये हुए नियम, 1993 में विस्तार से प्रावधित है, जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। उक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने पर ही संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती हैं।

(शिक्षा मंत्री)

श्रम एवं व्यय साध्य होने की वजह से प्रति सदन की मेज पर रखा जाना उपयुक्त नहीं है।

(2) जयपुर शहर एवं नगर निगम की सीमाओं में संचालित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के विवरण का परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 में यह प्रावधान किया हुआ है कि गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से वसूली योग्य फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने अभी तक उक्त संस्थाओं के लिए फीस का निर्धारण नहीं किया है। अत: शुल्क के आधार पर संस्थाओं के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की जाती है।

(4) राज्य सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क का कोई निर्धारण नहीं किया है।

(5) जी नहीं।

(6) नियमों में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने की शिकायतें प्राप्त होने पर इन संस्थाओं की जांच करवाई जाती है। जांच में दोषी पाये जाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(7) संस्थाओं को मान्यता दिये जाने से पूर्व पैनल निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही इन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा उक्त स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कोई विचार नहीं है।

(8) नियमों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से इनका निर्धारण करना अनिवार्य नहीं माना है।

(9) जी हां। प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है परन्तु समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम हटूण्डी के हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षण विद्यालय को अनुदान

569. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हटूण्डी में हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय वर्ष 1974 से शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता आ रहा है?

(2) क्या उक्त विद्यालय द्वारा राज्य सरकार को बार-बार अनुरोध करने पर भी उक्त महाविद्यालय को अनुदान सूची पर

(श्री रमजान खान)

नहीं लिया गया? क्या राज्य सरकार इसे अनुदान सूची में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ीकरण की भारत सरकार को केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत उक्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को शिक्षा महाविद्यालय में वर्ष 1993-94 से क्रमोन्नत किया गया है। भारत सरकार की उक्त योजना अन्तर्गत इस महाविद्यालय को सिविल कार्यों उपकरणों एवं आवर्तक मदों में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि स्वीकृत की जाती रही है। उक्त महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

570. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (छात्र/छात्रा) विद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में छात्र एवं अध्यापक संख्या कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राजकीय विद्यालयों में पूर्व निर्धारित छात्र-अनुपात में अध्यापकों की तैनाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में छात्र अनुपात में अध्यापक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में 05 राजकीय उच्च माध्यमिक तथा 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विद्यालयवार छात्र संख्या एवं स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) रा.मा.वि. खीण्या के अलावा सभी विद्यालयों में छात्र अनुपात में अध्यापकों की तैनाती है।

(4) जी हां। रा.मा.वि. खीण्या में 02 वरिष्ठ अध्यापकों के पद सृजित करवाये जाने प्रस्तावित हैं, समानीकरण के समय अधिशेष अध्यापकों का आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा (अजमेर) द्वारा अपेक्षित जांच

571. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्तमान में कार्यरत प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा (अजमेर) ने गत वर्षों में हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर को विशेष जांच कराने के लिये लिखा है?

(2) क्या जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर ने जांच दल गठित किया है?

(3) उक्त विशेष जांच के निष्कर्ष क्या रहे? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर को देने के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं को उजागर नहीं करने के दोषी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अपितु प्रधानाचार्य द्वारा विशेष जांच दल गठन हेतु वित्तीय अनियमितताओं बाबत वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं करने के कारण प्रारम्भिक जांच करवाने का निर्णय लिया गया।

(3) प्राथमिक जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अजमेर द्वारा प्रधानाचार्य के पत्र के आधार पर प्राथमिक जांच हेतु, जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम अजमेर द्वारा प्रधानाचार्य के प्राप्त पत्र के अनुसार प्राथमिक जांच प्रारम्भ करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है तथा जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

572. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) वर्ष 1998-1999 से 2001-2002 तक श्रीगंगानगर जिले में कितने विद्यालयों को उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया? विवरण विद्यालयवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में विभागीय मानदण्डानुसार विषय अध्यापकों की पूर्ति कर दी गई है? यदि हां, तो विद्यालयवार स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 2002-2003 में नये विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में 1998-1999 से 2001-2002 के मध्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों का विद्यालयवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 2002-2003 में राज्य में 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों व 200 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। किन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा यह राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में अनियमितता

573. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक की वर्ष 1961-1966 की राज्य स्तर की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने से पहले अस्थायी वरिष्ठता सूची भी जारी की गई थी? यदि हां, तो स्थायी तथा अस्थाई वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची में द्वितीय वेतन श्रृंखला में कुछ व्यक्ति वरिष्ठता में ऊपर थे व स्थाई सूची में वरिष्ठता में नीचे आ गये? यदि हां, तो अर्थशास्त्र विषय में ऐसे कितने व्यक्ति हैं? उक्त के नाम, दोनों वरिष्ठता सूचियों में वरिष्ठता क्रमांक व जन्म तिथि आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संजीव कुमार)

(3) क्या यह सही है कि श्री भागीरथ सिंह स्थाई वरिष्ठता सूची के क्रमांक 754 पर, श्री राम कुमार पूनिया वरिष्ठता क्रमांक 672 पर और श्री बनवारी लाल के वरिष्ठता क्रमांक 977 पर नाम दर्ज हैं? यदि हां, तो तीनों के अस्थाई वरिष्ठता सूची के वरिष्ठता क्रमांक व तीनों के द्वितीय वेतन श्रृंखला से प्रथम वेतन श्रृंखला (अर्थशास्त्र) तदर्थ पदोन्नत आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या तदर्थ पदोन्नति देते समय वरिष्ठता का ध्यान रखा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सत्र 1979-80 में अर्थशास्त्र विषय में वरिष्ठता के आधार पर कुछ व्यक्तियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला से प्रथम वेतन श्रृंखला में तदर्थ पदोन्नति दी गई थी? यदि हां, तो उक्त के पदोन्नति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अर्थशास्त्र विषय में द्वितीय वेतन श्रृंखला से प्रथम वेतन श्रृंखला में सत्र 1978-79 व 1979-80 में तदर्थ पदोन्नति देते समय वास्तव में वरिष्ठ व्यक्ति से पहले कनिष्ठ व्यक्ति को तदर्थ पदोन्नति दे दी गई जिनमें श्री रामकुमार पूनिया भी एक है? क्या सरकार अपनी गलती को सुधारते हुए ऐसे व्यक्तियों को कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति दिनांक से पदोन्नति लाभ देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त गलती विभाग की है जिसका परिणाम कर्मचारी को आर्थिक हानि के रूप में भुगतना पड़ रहा है? उक्त में राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) का अन्तिम निर्णय क्या रहा? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की वर्ष 1961 से 1966 की राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 2.8.1982 को किया गया तथा वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 24.8.1983 को किया गया। यह वरिष्ठता सूचियां एक पुस्तक के रूप में है, अतः श्रम एवं व्यय साध्य होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना उपयुक्त नहीं है।

(2) जी हां। विवरण इस प्रकार से है:-

क्र.सं.	नाम जन्म	शैक्षिक/ प्रशैक्षिक योग्यता	अस्थाई वरिष्ठता सूची क्रमांक मण्डल/राज्य	स्थाई वरिष्ठता सूची क्रमांक मण्डल/राज्य
1.	श्री नारायण	एम.ए.(अर्थशास्त्र) 1969 बी.एड. 1966	645/ 1385 जेए	1044/(ए) जेए/2276 (ए)

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। उक्त तीनों के दिनांक 2.8.1982 को जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक स्थाई वरिष्ठता सूची के अनुसार ही है। तीनों के आवश्यक अस्थाई पदोन्नति आदेश दिनांक 11.10.1979 एवं 24.9.1980 की प्रति परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है। श्री भागीरथ सिंह एवं श्री बनवारी लाल को छात्रों के हितों को मध्य नजर रखते हुए विभाग हित में आवश्यक अस्थाई पदोन्नति निर्माणाधीन अस्थाई वरिष्ठता सूची के आधार पर दी गई तथा निर्माणाधीन वरिष्ठता सूची में श्री रामकुमार पूनिया का नाम दर्ज नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जा सकी।

(4) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय वेतन श्रृंखला से प्रथम वेतन श्रृंखला में आवश्यक अस्थाई पदोन्नति निर्माणाधीन अस्थाई वरिष्ठता सूची के आधार पर दी गई, निर्माणाधीन अस्थाई वरिष्ठता सूची में श्री रामकुमार पूनिया का नाम दर्ज नहीं होने के कारण इससे कनिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति दी गई। अस्थाई वरिष्ठता सूची में श्री पूनिया का नाम श्री भागीरथ सिंह एवं श्री बनवारी लाल से ऊपर होने के परिणामस्वरूप वर्ष 1986-87 की रिक्तियों के विरुद्ध, विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा श्री पूनिया का चयन किया गया एवं श्री भागीरथ सिंह का 1986-87 में, श्री बनवारी लाल का चयन वर्ष 1988-89 की डी.पी.सी. में किया गया है। अत: नियमित चयन वर्ष से वरिष्ठता एवं नियमानुसार देय अन्य परिलाभ श्री पूनिया को दिये जा चुके हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के विद्यालयों में रिक्त पद

574. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों के किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने पद, कितने समय से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों के रिक्त होने से बच्चों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? अब सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है :-

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
प्रधानाध्यापक	02
व्याख्याता	11
व. अध्यापक	22
अध्यापक	05

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयवार रिक्त पदों एवं कब से रिक्त हैं का विवरण परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। प्रधानाध्यापक तथा व्याख्याता के राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है तथा डीपीसी पर लगाई गई रोक हटाये जाने पर डीपीसी करवाई जानी सम्भव होगी। व.अ. के पदों पर नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नागौर को प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं के मान्यता/क्रमोन्नति आवेदन पत्र

575. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नागौर के पास वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता हेतु कितने आवेदन किस-किस संस्थान के द्वारा कब-कब किये गये व कितने संस्थाओं को मान्यता दी गई तथा कितने संस्थाओं को नहीं दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नागौर, डेगाना द्वारा उक्त शिक्षा सत्रों के दौरान प्रदत्त मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नति हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो क्या वे विद्यालय नियमानुसार क्रमोन्नति के पात्र हैं? यदि हां, तो किन-किन नियमों के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो क्या उनका आवेदन निरस्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में निजी विद्यालयों की मान्यता हेतु ब्लाक शिक्षा अधिकारी सक्षम नहीं थे। वर्ष 2001-2002 का विवरण परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। पंचायत समिति नागौर, डेगाना के वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नति हेतु आवेदन किया है जिनका परीक्षण राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त ही उक्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

जिला जालौर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

576. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में विषयवार कितने वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं?

(3) उक्त विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों के पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(4) क्या नये सत्र से पूर्व उक्त पदों को भर दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला जालौर के राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापकों का विवरण इस प्रकार से हैं :-

विषय	स्वीकृत पद (व. अध्यापक)
विज्ञान	118
गणित	117
अंग्रेजी	115
सामान्य	261
योग	611

(2) उक्त विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों के विषयवार रिक्त एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण इस प्रकार से है:-

विषय	रिक्त पद (व. अ.)	कार्यरत अध्यापक
विज्ञान	43	75
गणित	28	89
अंग्रेजी	51	64
सामान्य	14	247
योग	136	475

(3) सीधी भर्ती पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन का निर्णय दिया हुआ है, माननीय न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आगामी निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। डीपीसी पर प्रतिबन्ध हटने पर डीपीसी करवाई जा सकेगी।

(4) प्रश्न के भाग संख्या-3 के अनुसार।

बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय करणसर (जयपुर) में महिला अध्यापिकाओं का बकाया प्रसूति अवकाश का भुगतान

577. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा जिला जयपुर की अधिकांश राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं का महिला प्रसूति अवकाश का भुगतान आज तक बकाया चल रहा है? यदि हां, तो किस-किस का एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(2) क्या यह सही है कि चन्द्रदेवी पाटनी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय करणसर, तहसील सांभर, जयपुर की वर्ष 1998 से अब तक कितनी अध्यापिकाओं का महिला प्रसूति अवकाश का भुगतान (चार माह) का अब तक बकाया है? यदि हां, तो क्यों? इसके क्या कारण रहे? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अध्यापिकाओं को अब कब तक महिला प्रसूति अवकाश का भुगतान करा दिया जावेगा? अब तक का भुगतान रही बकाया अध्यापिकाओं का नाम मय राशि के सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक उक्त भुगतान न किये जाने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिकाओं के बिलों में किसी भी प्रकार की कमियां नहीं होने के उपरान्त भी जानबूझकर उपकोष कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु बिलों को नहीं भिजवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापिकाओं ने उक्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध बिना रिश्वतखोरी किये बिना उनका किसी भी प्रकार का भुगतान न कराने की शिकायत भी विभाग को की है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(4) कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(5) जी नहीं। अध्यापिकाओं के बिलों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने के उपरान्त भी जानबूझकर बिल कोष कार्यालय नहीं भिजवाने जैसी शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाती है।

(6) जी नहीं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर में पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के चयन में अनियमितता

578. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलवर में वर्ष 1998 व 1999 के दौरान व्यवसाय/हैडवाइज पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों/आशार्थियों का चयन

(श्री जीतमल खांट)

नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? उक्त वर्षों के दौरान पिछड़ी जाति के चयनित उम्मीदवारों/आशार्थियों की सूची मय वल्दीयत एवं उनके बोर्ड सर्टिफिकेट, अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रति के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1998 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पिछड़ी जाति वर्ग के छात्रों को प्रवेश में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होने से इस वर्ग के आशार्थियों को आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश नहीं दिया गया।

वर्ष 1999-2000 में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रवेश में 21 प्रतिशत आरक्षण लागू होने पर इस वर्ग के लिए आरक्षित 33 प्रवेश स्थानों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के 33 आशार्थियों को प्रवेश दिया गया। इसके अतिरिक्त पिछड़ी जाति के 17 आशार्थियों को सामान्य वर्ग श्रेणी के विरुद्ध मैरिट आधार पर भी प्रवेश दिया गया।

वर्ष 1999-2000 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर में प्रवेशित अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों/आशार्थियों की सूची मय वल्दीयत एवं उनके अंकतालिकाओं की फोटो प्रति संलग्न है। आशार्थियों के बोर्ड सर्टिफिकेट प्रवेश के समय विभाग में जमा कराना अनिवार्य नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महाकवि बिहारी के जयपुर स्थित आवास पर अतिक्रमण

579. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या आमेर जिला जयपुर में स्थित महाकवि बिहारी के जीर्ण-शीर्ण आवास पर कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जे कर लिये हैं? यदि हां, तो उक्त कब्जों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक स्थल की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हा, तो कब तक और नहीं, तो क्यो?

उत्तर

(1) जी नहीं, महाकवि बिहारी का जीर्ण-शीर्ण आवास, राज्य पुरातत्व विभाग व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वार संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है।

(2) महाकवि बिहारी का आवास संरक्षित नहीं होने के कारण अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंचायत समिति बामनवास (सवाईमाधोपुर) के गांवों का विद्युतीकरण

580. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बामनवास के 15 तथा पंचायत समिति बौंली के 14 गांव में 11 के.वी. लाइन नहीं है और कुछ गांवों की लाइन तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों को शनै-शनैः विद्युतीकृत किया जाना था? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया?

(3) पंचायत समिति बामनवास के ग्राम सराय एवं भौंताई को अभी तक विद्युतीकृत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? उक्त के कार्य आदेश कब जारी हुए?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बामनवास के 13 गांवों तथा पंचायत समिति बौंली के 10 गांवों में 11 के.वी. लाइन नहीं है अथवा क्षतिग्रस्त है। पंचायत समितिवार ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पूर्व में पंचायत समिति बामनवास व बौंली के क्रमशः 16 व 14 गांवों में 11 के.वी. लाइन नहीं थी या क्षतिग्रस्त थी। उक्त में से पंचायत समिति बामनवास के 3 गांव सारंगपुर, रामनगर डोसी व रामसिंहपुरा प्रथम व पंचायत समिति बौंली के 4 ग्राम मांगरोल, समरथपुरा, धौराला व थडी में बजट, सामान की उपलब्धता एवं जनसहयोग से 11 के.वी. लाइन खींच दी गई है। शेष गांवों में भी मांग होने पर वित्तीय संसाधनों व सामान की उपलब्धतानुसार लाइन खींचने का कार्य किया जावेगा।

(3) पंचायत समिति बामनवास के ग्राम सराय में एक औद्योगिक कनेक्शन था परन्तु विद्युत बिल की बकाया राशि होने के कारण ट्रांसफार्मर हटा लिया गया था। अब घरेलू आवेदकों के मांग पत्र जमा होने के बाद ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। ग्राम भौंताई में 11 के.वी. लाइन, एल.टी. लाइन एवं 25 के.वी.ए. का सब स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई थी लेकिन कार्य करते समय 11 के.वी. लाइन की वास्तविक लम्बाई स्वीकृत लम्बाई से ज्यादा पायी गई। अतः संशोधित स्वीकृत जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

विद्युत निगमों में रिक्त पद

581. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के विभिन्न विद्युत निगमों में कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक (हिन्दी व अंग्रेजी के पृथक-पृथक) व कनिष्ठ लेखाकार के कितने पद रिक्त हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त को अब तक नहीं भरे जाने के क्या कारण रहे हैं और अब इन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न विद्युत निगमों में कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक (जिसमें हिन्दी के आशुलिपिक भी सम्मिलित है) व कनिष्ठ लेखाकारों के रिक्त पदों का निगमवार विवरण निम्न प्रकार है :–

विद्युत निगम	रिक्त पदों की संख्या		
	कनिष्ठ लिपिक	आशु लिपिक	कनिष्ठ लेखाकार
राराविप्रनि	160	20	4
रा.रा.वि.उ. निगम	26	37	72
अजमेर डिस्काम	31	33	98
जोधपुर डिस्काम	430	40	79
जयपुर डिस्काम	42	20	32

(2) नई भर्ती पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध होने के कारण पद नहीं भरे गये। सरकार के निर्देश पर ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्राम ढाणी व मजरों का विद्युतीकरण

582. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अब भी अनेक गांव, ढाणी एवं मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन-जिन गांव, ढाणी व मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां पर ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के रहते है? यदि हां, तो ऐसे पिछड़े गांवों का विद्युतीकरण कब कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के जनगणना पुस्तिका 1991 में वर्णित तथा उसके बाद नवसृजित सभी ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण में गांव की इकाई मान कर विद्युतीकरण किया जाता

(ऊर्जा मंत्री)

है। अत: गांवों के विद्युतीकरण के साथ ही ढाणी व मजरें भी विद्युतीकृत घोषित हो जाते हैं विद्युतीकृत गांव में जहां विद्युत तंत्र स्थापित नहीं है, मांग होने पर वहां विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन देने का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सभी ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं। अत: इन गांवों में रहने वाले सभी ग्रामवासी विद्युत सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में प्राप्त विद्युत मीटर बदलने के आवेदन पत्र

583. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ''प्रशासन गावों के संग'' व ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्र भादरा में विद्युत मीटर बदलने हेतु लोगों से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए? यदि हां, तो कितने?

(2) उक्त में कितने लोगों के मीटर बदल दिए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में शेष रहे प्रार्थना पत्रों के आवेदकों के मीटर कब तक बदल दिए जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा में ''प्रशासन गांवों के संग'' व ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान के दौरान मीटर बदलने हेतु कुल 81 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(2) उक्त सभी 81 उपभोक्ताओं के मीटर बदल दिये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त में से मीटर बदलने हेतु कोई आवेदन पत्र शेष नहीं। सभी मीटर बदले जा चुके हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

जिला नागौर की समझौता एवं सतर्कता विद्युत समितियां

584. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला नागौर में विद्युत बिल सहित अन्य गड़बड़ियों एवं उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु समझौता एवं सतर्कता समितियों का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब किया गया? उक्त समितियों में कौन-कौन सदस्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समितियों की नियमित बैठकें होती है? यदि हां, तो बैठक कब कब आयोजित की गई? क्या उक्त समितियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान किया गया है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों की सूची माहवार सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर के अन्तर्गत नागौर वृत में विद्युत बिल सहित अन्य प्रकार के विवादित मामलों के समाधान हेतु आदेश संख्या 11713 दिनांक 13.7.1990 व 146 दिनांक 16.1.1995 द्वारा क्रमश: वृत व खण्ड स्तरीय समझौता समिति का गठन किया गया था। उप खण्ड स्तर पर समझौता समितियों का गठन आदेश संख्या 1343 दिनांक 18.5.1998 के तहत किया गया है। विभिन्न समझौता समितियों के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समिति भी स्थापित है।

(2) वृत स्तरीय समझौता समिति की बैठक सामान्यतया नियमित तौर पर माह में एक बार होती है, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। खण्ड व उप खण्ड स्तरीय समझौता समितियों की बैठक समझौते के लिए मामले इकट्ठे होने पर आयोजित की जाती है। गत तीन वर्षों में वृत, खण्ड व उप खण्ड स्तर पर समझौता समितियों की आयोजित बैठकों व निस्तारण किये गये मामलों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा व हिण्डौली के अविद्युतीकृत ग्राम

585. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री नाथूलाल लाल गुर्जर** (हिण्डौली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र छबड़ा एवं हिण्डौली के शत–प्रतिशत गांव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो किन–किन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है? गांवों में बिजली नहीं पहुंचने के क्या कारण रहे हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने ग्राम विद्युतीकृत होने शेष हैं और शत–प्रतिशत गांवों में बिजली कब तक पहुंचा दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति छीपाबड़ौद के 180 में से 172 व पंचायत समिति छबड़ा के 192 में से 190 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है इस क्षेत्र के गांवों का वित्तीय संसधानों की उपलब्धतानुसार, लक्ष्यानुसार, विद्युतीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में निम्न 10 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना शेष है :-

पंचायत समिति छीपाबड़ौद

1. उम्मेदपुरा 2. मिश्रोली 3. गूजर खेड़ी 4. बासापुरा 5. नयागांव 6. हिन्डौली 7. मशालपुरा 8. मदनपुरा

(ऊर्जा मंत्री)

पंचायत समिति छबड़ा

1. मन्डू खेड़ी 2. पीपलखेड़ी

विधान सभा क्षेत्र हिन्डौली जिला बून्दी के सभी गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में शेष रहे गांवों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में योजनानुसार आबंटित लक्ष्य एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही किया जाना सम्भव होगा।

अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा बकाया ऋण की वसूली

586. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा किस-किस प्रकार के कितनी राशि के ऋण किस-किस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी अवधि के लिए कितनी ब्याज दर पर दिये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक कितने प्रार्थियों को सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की जमानत पर राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 5 वर्षों के दौरान जिला जयपुर में ऐसे कौन-कौन ऋणधारी हैं जिन्होंने ऋण आहरित तो कर लिया लेकिन आज तक वांछित किस्तें चुकाने में असमर्थ रहे हैं या जानबूझकर नहीं चुका रहे हैं? नामजद बकाया ऋण राशि का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त बकाया राशि को वसूलने की कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त ऋणों को माफ किये जाने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों के आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) ऋणधारी द्वारा ऋण नहीं चुकाने की दशा में जमानती सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कितनी अवधि के बाद क्या-क्या कार्यवाही का प्रावधान है? क्या अब तक किसी जमानती सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या-क्या किस-किस के विरुद्ध?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की चैनेलाइजिंग एजेंसी होने के कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सफाई

(समाज कल्याण मंत्री)

कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, फरीदाबाद व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की विभिन्न परियोजनाओं के तहत 5 वर्ष के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। परिशिष्ट–1 पर राष्ट्रीय निगमवार सूचना उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक 2209 प्रार्थियों को सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की जमानत पर राशि दी गयी। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(3) पिछले 5 वर्षों में जयपुर जिले में ऋण चुकाने में असमर्थ रहे लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। ऋण वसूली के लिये निगम निरन्तर प्रयत्नशील है। लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाता है। आवश्यकतानुसार लाभार्थियों एवं गारंटरों को नोटिस दिये जाकर ऋण वसूली का कार्य निरन्तर चलता रहता है।

(5) जी नहीं। बकाया ऋण को माफ किये जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(6) ऋणधारी द्वारा ऋण नहीं चुकाने की दशा में एवं चैक अनादरित होने की स्थिति में नेगोशिएबल एक्ट के तहत 15 दिवस का नोटिस दिया जाकर संसाधन/सम्पत्ति कुर्क किये जाने एवं यथास्थिति अनुसार सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना अभ्यावेदन दर्ज कराई जाती है।

साथ ही लाभार्थी के जमानती को नोटिस देते हुए आहरण वितरण अधिकारी को जमानती के वेतन से किस्त कटौती करने हेतु नोटिस दिया जाता है जिसके पश्चात् भी यदि ऋण नहीं चुकाया जाता तो मुख्यालय द्वारा राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 1965 की धारा 117 व 118 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।

जी हां। जमानती सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला नागौर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति

587. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत श्री पूसाराम पुत्र श्री हीरालाल सोनी एवं श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी श्री पूसाराम सोनी दोनों पति

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

पत्नी की जिला नागौर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति दिनांक 1.11.1999 को 300/- रुपये प्रतिमाह आजीवन स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो इनकी वृद्धावस्था पेंशन का पूर्ण भुगतान करने में सरकार को क्या आपत्ति है?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना के तहत पूसाराम पुत्र श्री हीरालाल सोनी एवं श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी पूसाराम सोनी की दिनांक 25.11.1999 से 300/- रुपये प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हुई थी। स्वीकृति के आधार पर कोषाधिकारी, नागौर द्वारा पेंशन भुगतान आदेश संख्या 31326 रुपये 300/- प्रति माह का जारी हुआ था। उप कोष अधिकारी, नावा के द्वारा दिनांक 25.11.1999 से माह 4/2001 तक प्रार्थी को भुगतान किया गया।

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पेंशनधारियों की पात्रता की पुनः जांच करवाई गई, जांच में पाया गया कि पूसाराम पुत्र श्री हीरालाल सोनी एवं दुर्गादेवी पत्नी पूसाराम के परिवार में पांच वयस्क पुत्र हैं। वयस्क पुत्र होने के कारण पूसाराम पुत्र हीरालाल सोनी व दुर्गादेवी पत्नी पूसाराम सोनी को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान रोक दिया गया।

जिला पाली के अधिशेष चुंगी नाकेदारों का समायोजन

588. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रायपुर में चुंगी समाप्त करने से ग्राम पंचायत रायपुर के चुंगी नाकेदार पिछले कई वर्षों से अधिशेष कर्मचारी के रूप में एक निर्धारित वेतन पंचायत समिति रायपुर से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा है? क्या ऐसे अधिशेष कर्मचारियों को अब तक किसी विभाग में स्थायी नियुक्ति, नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकार राज्य में चुंगी नाके के अधिशेष कुल कितने कर्मचारी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कर्मचारियों की अनिश्चित सेवाओं को सरकार स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायतों के चुंगी अधिशेष कर्मचारी जो न्यूनतम सैकण्डरी उत्तीर्ण है, का समायोजन रुपये 1200/- प्रतिमाह मानदेय पर ग्राम सेवक के पद पर किया जा चुका है। पंचायत समिति, रायपुर के 2 चुंगी कर्मचारी समायोजित

(पंचायती राज मंत्री)

हो चुके हैं। शेष कर्मचारी सैकण्डरी उत्तीर्ण नहीं है इसलिये समायोजन की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) ग्राम पंचायतों के चुंगी समाप्ति के कारण अधिशेष हुए कर्मचारी (नान-मैट्रिक) की जिले वार संख्या सूची परिशिष्ट-1 के अनुसार संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

राज्य के विद्यालयों में नियुक्त पुरुष एवं महिला अध्यापक

589. श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 1991 में पंचायत समितिवार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने पुरुष एवं कितनी महिला अध्यापक थे एवं वर्ष 2001 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन कुल कितने पुरुष व कितनी महिला अध्यापिकाएं हैं?

(2) वर्ष 2001 में कुल प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं उक्त में से कितने विद्यालयों में सहशिक्षा उपलब्ध है तथा कितने विद्यालय केवल बालिका शिक्षा के लिए है? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2001 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहशिक्षा एवं बालिका विद्यालयों में कितने-कितने नामांकन हुए? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के ग्राम बड़ोदिया के भूखण्ड विक्रय पर रोक

590. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि दिनांक 16.3.1990 को गांव बड़ोदिया जिला बांसवाड़ा के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों ने गांव के सर्वे नं. 718 को ग्राम पंचायत द्वारा प्लाट बना कर विक्रय करने पर रोक लगाने का प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गांव बडोदिया, जिला बांसवाड़ा के सर्वे नम्बर 718 की आबादी भूमि अब यथा स्थिति में पड़ी हुई है तथा भविष्य में निर्मित होने वाले सार्वजनिक भवनों के लिए आरक्षित रखी गयी है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालीवाल गली प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) का बकाया भवन किराया

591. श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पालीवाल गली प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) का भवन किराया भुगतान किया जाना बकाया है? क्या वर्ष 2001-2002 में किराये के भुगतान हेतु आबंटित बजट लेप्स हो गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2001-2002 में पुन: बजट आबंटन किया गया किन्तु किराया भुगतान अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) वर्ष 2000-2001 में बजट लेप्स होने तथा पुन: 2001-2002 में राशि आबंटन होने के उपरान्त भी किराया भुगतान नहीं करने में कौन दोषी है? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) अब सरकार भवन मालिक को किराया भुगतान कब तक कर देगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। किराये का भुगतान कर दिया गया है।

(3) वर्ष 2000-2001 में बजट लेप्स होने के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। जांच उपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) भवन मालिक को किराया भुगतान कर दिया गया है।

जिला सीकर की पंचायत समिति धोद का भवन निर्माण

592. श्री अमराराम (धोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति, धोद जिला सीकर के भवन निर्माण हेतु सरकार ने कितनी राशि स्वीकृति की है?

(2) उक्त भवन निर्माण कब शुरू करा दिया जावेगा?

(3) उक्त भवन निर्माण में राशि स्वीकृति में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, धोद जिला सीकर के भवन निर्माण हेतु अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) भवन निर्माण हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन होने तथा वित्तीय व्यवस्था होने पर ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) उक्त भवन निर्माण हेतु राज्य आयोजना मद में वित्तीय प्रावधान नहीं होने से, राशि स्वीकृति में विलम्ब हुआ है।

ग्राम पंचायत कृष्णगंज (सिरोही) के नागरिकों के लम्बित आवेदन-पत्र

593. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत, कृष्णगंज (सिरोही) के समक्ष वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में नागरिकों ने किन-किन कार्यों के लिए आवेदन किया और उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में किन-किन नागरिकों के कौन-कौन से कार्य नहीं हो सके हैं? मय कारण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में वार्ड सभाओं में क्या-क्या प्रस्ताव लिए गए और उक्त पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत कृष्णगंज (सिरोही) के समक्ष वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में नागरिकों द्वारा कार्यों के लिए प्रस्तुत आवेदन एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त में जिन-जिन नागरिकों के जो-जो कार्य नहीं हो सके उनका विवरण सदन के पटल पर मय कारण रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) उक्त में वार्ड सभाओं में लिये गये प्रस्तावों एवं उन पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-3)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने हेतु विचाराधीन योजनाएं

594. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दृष्टि से जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बीच प्रथम कड़ी के रूप में सामंजस्य स्थापित करते हुए निम्न निर्णय लिये गये :-

1. जिला प्रमुख को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया।

(पंचायती राज मंत्री)

2. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को ही जिला परिषद का मुख्य कार्यवाही अधिकारी बनाया गया।

3. ज़िला ग्रमीण विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही 9 योजनाएं जिला परिषद को हस्तान्तरित कर दी गई।

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों पर मंत्रिमण्डल द्वारा विचार कर 16 विषयों संबंधी गतिविधियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में संबधित विभागों द्वारा वांछित आदेश प्रसारित किये गये हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से श्री शिवचरण जी माथुर की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है। इस आयोग द्वारा देश के अन्य राज्यों यथा कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त शक्तियों का अध्ययन कर राज्य में इस संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाही बाबत सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इस रिपोर्ट में सुझाई गई कार्यवाही का परीक्षण कर एक मंत्रिमण्डल ज्ञापन तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रशिक्षण

पंचायती राज संस्थाओं के तहत विभिन्न स्तरों पर चुन कर आये प्रतिनिधियों को पंचायती राज की गतिविधियों, नियमों, अधिनियमों आदि की जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रशिक्षण का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस प्रयोजन हेतु इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विकास संस्थान जयपुर को सशक्त किया गया है। विभाग के अधीन कार्य कर रहे तीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र भी इस संस्थान के अधीन कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्थान को राज्य ग्रामीण संस्थान (एस.आई.आर.डी) का दर्जा भी दे दिया गया है। इन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु यूनीसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण दलों को तैयार किया जा चुका है तथा विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु मॉडयूल्स भी तैयार कर लिये गये हैं तथा विभिन्न स्तरों के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं।

टास्क फोर्स (कार्यबल) का गठन

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से एवं कांग्रेस के चुनाव घोषणा

(पंचायती राज मंत्री)

पत्र में वर्णित घोषणा की पूर्ति हेतु हाल ही में लिए गये मंत्रिमण्डल निर्णय की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 6(24)प्र.सु./ अनु.3/2001 दिनांक 3-7-2001 द्वारा विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है एवं कार्यबल हेतु निम्न कार्य निर्दिष्ट किये गये हैं :-

1. भारतीय संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन की मूल भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों को स्वायत्त शासी एवं सक्षम रूप से अपना दायित्व निर्वहन करने हेतु समुचित अधिकार प्रदान किये जावे।
2. इस दिशा में सामने आने वाली बाधाओं को चिन्हित कर दूर करना।
3. इन संस्थाओं के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नियमित एवं सतत् प्रशिक्षण की प्रगति समीक्षा कर प्रभावी व्यवस्था कराना ताकि वे समाज के समक्ष चुनौतियों को सुचारू रूप से मुकाबला कर सके।

टास्क फोर्स हेतु निर्धारित टास्क की पूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

केन्द्रीय टास्क फोर्स की सिफारिशें

पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से जुड़ी गतिविधयों के साथ-साथ प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार के हस्तान्तरण हेतु अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन 16.7.2001 को किया गया। इस टास्क फोर्स द्वारा अगस्त, 2001 में अपनी रिर्पोट भारत सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें जिला पंचायत, खण्ड पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर 29 विषयों से जुड़ी विभिन्न गतिविधयों के हस्तान्तरण की सिफारिश की है। इसी प्रकार तीनों स्तर पर गतिविधिवार अधिकार, स्टाफ व फण्ड्स के हस्तान्तरण की सिफारिश भी की है। इस रिर्पोट के आधार पर प्राप्त सिफारिशें संबंधित विभागों के सचिवों को परीक्षण कर क्रियान्विति हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन लेते हुए प्रेषित करने का अनुरोध किया है।

इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद के सरपंच का चुनाव

595. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद में सरपंच का पद किस दिनांक से रिक्त है? अब तक सरपंच पद के लिए चुनाव किन कारणों से नहीं करवाए गए हैं?

(2) पंचायती राज के नियमानुसार सरपंच के पद के लिए पद रिक्त होने की कितनी अवधि में चुनाव कराया जाना चाहिये?

(3) अब उक्त ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद में सरपंच पद के लिए चुनाव कब तक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद का पद दिनांक 16.7.2001 से रिक्त है। नियमित चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग को लिख दिया गया है.

(2) सरपंच का पद रिक्त होने पर चुनाव कराये जाने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

(3) सरपंच के रिक्त पद का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर द्वारा कराया जाता है, जिसके लिए लिख दिया गया है।

आमेर रोड कुण्डा जयपुर के ऐतिहासिक धर्मस्थल की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत

596. **श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी):** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ऐतिहासिक धर्म स्थल योगी आश्रम (आसन वाले बाबा के पास) आमेर रोड, कुण्डा (जयपुर) की प्राचीन पूर्वी दीवार का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त ऐतिहासिक प्राचीर की मरम्मत हेतु अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थल के जीर्णोद्वार हेतु स्थानीय नागरिकों के कई प्रार्थना पत्र भी समय-समय पर सरकार को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त योगी आश्रम व उसकी ऐतिहासिक प्राचीर की अब कब तक मरम्मत करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राचीन आमेर की नगर दीवार राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है, जिसका अलग-अलग स्थान पर काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

तथाकथित योगी आश्रम इसी संरक्षित स्मारक, प्राचीन आमेर की नगर दीवार के पास स्थित है।

राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और मरम्मत के कार्य विभागीय बजट में उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर कराये जाते हैं।

उपरोक्त आश्रम व उसकी दीवार संरक्षित घोषित नहीं है।

(2) जी नहीं। इस विभाग के पास कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) राज्य सरकार के संरक्षित स्मारक की मरम्मत बजट की उपलब्धता के अनुसार की जायेगी।

(उपरोक्त योगी आश्रम व उसकी प्राचीर संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है। अत: उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है)

जिला नागौर में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में स्वीकृत राशि

597. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) महिला एवं बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2001 व प्रशासन शहरों के संग अभियान 2002 में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन तथा नगरपालिका क्षेत्र नावां में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उन पर कितनी राशि अनुदान दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में नागौर जिले में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई तथा उपलब्ध राशि से कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में नागौर जिले में उक्त योजना के लिये कितनी राशि उपलब्ध थी तथा उस उपलब्ध राशि से कितनों को कब–कब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2001 में कुल 202 स्वीकृतियां ग्राम पंचायतों द्वारा जारी की गयीं। उनके द्वारा 184 महिलाओं को राशि रु. 92000/– का भुगतान किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति की सूची संलग्न है। प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2002 में नावां नगरपालिका क्षेत्र में 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुये समस्त की स्वीकृतियां जारी कर 7 को राशि 3,500/– का भुगतान किया गया है।

(महिला एवं बाल विकास)

(2) वित्तीय वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में नागौर जिले को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से कोई राशि उपलब्ध नहीं हुई। 2000-2001 में प्रारम्भिक शेष 13.91 लाख था। वर्ष 2000-2001 में 112 लाभान्वितों को 56,000/- रुपये तथा वर्ष 2001-2002 में 1079 लाभान्वितों को 5,35,000/- रुपये की राशि उपलब्ध करवाये गये कुल 1182 आवेदकों को लाभान्वित किया गया।

(3) बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में नागौर जिले में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं करवायी गयी। गत वर्षों का शेष 21.38 लाख थी। वर्ष 2000-2001 में 390 लाभार्थियों को 19,5000/- रुपये की राशि तथा 2001-2002 में 3387 लाभार्थियों को 16,93,500/- की राशि उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार कुल 3777 बालिकाओं को संलग्न सूचियों के अनुसार 18,88,500/- राशि उपलब्ध करवायी गई। वर्ष वार सूचियां संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखाी गयी)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में माडा योजना में स्वीकृत ग्राम

598. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के कौन-कौन से ग्राम माडा योजना में चयनित हैं? उक्त गांवों में माडा के तहत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक उक्त चयनित गांवों के स्वीकृत कार्यों में से अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्रामों में वर्ष 2002-2003 में कौन-कौन से कार्य माडा योजना में कराये जावेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत माडा योजनान्तर्गत चयनित गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। चयनित गांवों में वर्ष 1999-2000 से फरवरी, 2002 तक स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के सम्भावित समय का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) विभाग द्वारा राशि का आबंटन विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किये जाने से यह बता पाना सम्भव नहीं है कि वर्ष 2002-2003 में विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कौन-कौन से कार्य करा: जावेंगे।

(सूची के लिए कृप्या परिशिष्ट-25 देखें)

जिला जालौर में ग्रामीण विकास केन्द्र एवं लघु ग्रामीण विकास केन्द्र योजना में आबंटित राशि

599. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या गत कुछ वर्षों पूर्व ग्रामीण विकास केन्द्र तथा लघु ग्रामीण विकास केन्द्र चिन्हित करवाए गए थे? यदि हां, तो इनको चिन्हित करवाए जाने का क्या उद्देश्य था? जिला जालौर में चिन्हित किए गए ग्रामीण विकास केन्द्र तथा लघु ग्रामीण विकास केन्द्र की सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण विकास केन्द्र तथा लघु ग्रामीण विकास केन्द्र योजनान्तर्गत जिला जालौर हेतु कुल कितनी राशि का आबंटन किया गया था? आबंटित राशि के विरुद्ध किन-किन स्थानों पर क्या-क्या कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995-96 से 1998-99 में ग्रामीण विकास केन्द्र तथा वर्ष 1998-99 में लघु ग्रामीण विकास केन्द्र चिन्हित करवाए गए थे।

मूलभूत आर्थिक संरचना/सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन केन्द्रों का चिन्हीकरण किया गया। जिला जालौर में चिन्हित किये गये ग्रामीण विकास केन्द्र तथा लघु ग्रामीण विकास केन्द्र की सूची पंचायत समितिवार क्रमशः परिशिष्ट "अ" पर अंकितानुसार है।

(2) ग्रामीण विकास केन्द्र तथा लघु ग्रामीण विकास केन्द्र योजनान्तर्गत जिला जालौर हेतु कुल 94.34 लाख रुपये का आबंटन किया गया था। आबंटन राशि के विरुद्ध जिन-जिन स्थानों पर जो-जो कार्य जितनी राशि के स्वीकृत किये गये उनका पंचायत समितिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" एवं परिशिष्ट "स" पर अंकितानुसार है।

उक्त में से सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(3) वर्तमान में कोई अपूर्ण कार्य नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

ग्राम पंचायत कृष्णगंज (सिरोही) में कराये गये विकास कार्य

600. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) ग्राम पंचायत कृष्णगंज, सिरोही ने वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में क्या-क्या विकास कार्य करवाये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में कितनी-कितनी राशि सामग्री व श्रम मद पर व्यय की गई? प्रत्येक कार्य पर नियोजित श्रमिकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत में किस-किस श्रमिक को कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण मय मेजरमेंट बुक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्यों के अंकेक्षण के दौरान कौन-कौन व्यक्ति उपस्थित थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत कृष्णगंज (सिरोही) क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 21 कार्य स्वीकृत कर सम्पादित करवाये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''क'' पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त कार्यों पर सामग्री एवं श्रम मद पर किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है तथा सम्बद्ध कार्य पर नियोजित श्रमिकों की संख्या सूची परिशिष्ट ''क'' एवं श्रमिकों की सूची परिशिष्ट ''ख'' पर अवलोकनीय है।

(3) कार्य हेतु उक्त ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों को किये गये भुगतान का श्रमिकवार विवरण परिशिष्ट ''ख'' में सम्बद्ध कार्य एवं श्रमिक के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है तथा माप पुस्तिका की प्रतियां परिशिष्ट ''ख-2'' पर अवलोकनीय है।

(4) उक्त कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 26.1.2002 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में सम्पन्न हुआ है। ग्राम सभा की बैठक में अंकेक्षण के दौरान उपस्थित व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर अवलोकनीय है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कराये गये कार्यों का मूल्यांकन

601. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद में विगत दो वर्षों में किन-किन योजनओं में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाए गए हैं?

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(2) उक्त कार्यों का मूल्यांकन किन-किन कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा कितनी-कितनी राशि का किया गया?

(3) उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता तथा उच्च अधिकारियों द्वारा किस-किस दिनांक को किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति-छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत एवं सम्पादित करवाए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(2) उक्त कार्यों का कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा किये गये मूल्यांकन का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) उक्त कार्यों का सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित सम्बद्ध कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रावतसर (हनुमानगढ़) में महाविद्यालय की स्थापना

602. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रावतसर (हनुमानगढ़) में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में महाविद्यालय खोलने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इसके लिए वित्तीय प्रावधान नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-27 देखें)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में महाविद्यालय की स्थापना

603. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां और कब तक?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का कोई विचार नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उप पुलिस अधीक्षक, आबू पर्वत व वृत्त निरीक्षक, आबू रोड के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से पंचायत समिति बारां में करवाये गये निर्माण कार्यों में हुई कथित अनियमितता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति का उचित मूल्य दिलवाने हेतु बैंक नीलामी नियम-42 में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से देसूरी के तहसीलदार द्वारा राजस्व अपील प्राधिकरण के निर्णय की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से केशवरायपाटन शुगर मिल को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के साहबी नदी क्षेत्र में गौशाला निर्माण हेतु भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में।

(6) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से गंगापुर सिटी के राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा कथित अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में ढाई इंच पाइप लाइन के हैण्ड पम्प लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री घनश्याम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं के पंचायत हैडक्वार्टर्स को डामर की सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(9) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से जिला चूरू के राजगढ़ शहर में गंदे पानी की निकासी की समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की कतिपय सड़कों को पक्का करने के सम्बन्ध में।

(11) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव, सर्वे तथा राज्य बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु अनुदान देने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत कालेराव में स्वीकृत ट्यूबवैल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनको द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री शंकरलाल अहारी। नहीं हैं।

श्री शंकरलाल अहारी। (अनुपस्थित) श्री हेमन्त कुमार।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति से बैंक ऋण वसूली हेतु धारा 42 में छूट

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को अपनी सम्पत्ति का उचित मूल्य दिलवाने हेतु सैक्शन-42 में छूट दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति रोजगार, व्यवसाय व अन्य कारणों से सहकारी बैंकों व अन्य व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं जो कृषकों द्वारा ट्रैक्टर व डीजल जनरेटिंग पम्प-सैट व अन्य उद्योग शहरी क्षेत्र में लगाने हेतु होते हैं। ऋण प्राप्त करते समय बैंक ट्रैक्टर व अन्य सामान जो ऋणी को बैंक सहायता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसे गिरवी रखती है जिससे यदि ऋणी अपना कर्ज समय पर अदा नहीं कर सके तो दी गई वस्तु को अपने कब्जे में कर बैंक खुली बोली से नीलाम कर प्राप्त राशि को ऋणी से लेती है।

अनुसूचित जाति व जनजाति की वस्तु को बैंक खुली बोली द्वारा नीलाम करती है, उसमें सैक्शन-42 के तहत बोली केवल अनुसूचति जाति/जनजाति का व्यक्ति ही लगा सकता है, अन्य सामान्य व्यक्ति

(श्री हेमन्त कुमार)

नीलामी में भागीदार नहीं हो सकता। इसका परिणाम यह होता है कि वस्तु का उचित मूल्य जो मिलना चाहिए, वह बैंक को प्राप्त नहीं होता। सीमित व्यक्ति ही बोली लगाते हैं। कम राशि प्राप्त होने से व्यक्ति का ऋण बैंक का भी पूरा नहीं होता है, वह ऋणी ही बना रहता है। यदि खुली बोली में सामान्य व्यक्तियों को भी भागीदार रखा जाए तो वस्तु का उचित मूल्य मिलेगा, अधिक राशि बैंक को प्राप्त होगी। ऋणी को बैंक के ऋण से भी मुक्ति मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर निवेदन है कि सैक्शन-42 में छूट दी जाए जिससे सामान्य व्यक्ति बैंक द्वारा नीलामी में भागीदार बन सकें व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी वस्तु का उचित मूल्य प्राप्त हो तथा बैंक को भी अपनी पूरी-पूरी राशि मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

देसूरी के तहसीलदार द्वारा राजस्व अपील अधिकरण के निर्णय की पालना में देरी

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम गुढ़ा ठाकुरजी तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 189 रकबा 1.18 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 190 रकबा 4.04 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम की खातेदारी के सम्बन्ध में राजस्व अपील प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 20.7.2000 की तहसीलदार देसूरी द्वारा पालना नहीं करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण, पाली द्वारा अपील संख्या 22/97, दिनांक 20.7.2000 को भूमि खसरा नम्बर, 189, रकबा 1.18 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 190, रकबा 4.04 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम, मौजा सरहद गुढ़ा ठाकुरजी, तहसील देसूरी, जिला-पाली का खातेदारी हक कृपा पुत्र श्री हंसाजी, नैना पुत्र श्री हंसाजी, वजा पुत्र श्री मेगाजी व ओटा पुत्र श्री मेगाजी जाति सिरवी, निवासी गुढ़ा ठाकुरजी, तहसील देसूरी, जिला-पाली के हक में निर्णीत हुआ था। वाद निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि व डिग्री पर्चा सम्बन्धित तहसीलदार देसूरी को दिया गया, लेकिन आज कल-आज-कल करके निर्णय की पालना हेतु कह रहे हैं।

निवेदन है कि उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार देसूरी की मंशा टालमटोल की व उनकी नीयत से साफ जाहिर है कि निर्णय के बावजूद भी गरीब काश्तकारों को नाहक ही परेशान कर रहे हैं।

(श्री केसाराम चौधरी)

''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान के दौरान भी तहसीलदार देसूरी द्वारा किसानों को परेशान किया गया। जिसने उनकी भेंट-पूजा अभियान के दौरान पहले दिन ही कर दी, उनके कार्य हो जाते थे, जिसके देसूरी में हुए ''प्रशासन गांवों के संग'' शिविरों की जांच के सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। निपल गांव के शिविर की तो जिला कलक्टर तक सांसद के साथ जाकर ग्रामवासियों ने किए गए भ्रष्टाचार का ज्ञापन भी दिया था।

उक्त निर्णय की पालना के लिए तहसीलदार देसूरी ने बहुत बड़ी रकम की मांग की थी जिसे किसानों ने देने से इनकार कर दिया। इसी कारण अब तहसीलदार देसूरी द्वारा ग्राम गुढ़ा ठाकुरजी के काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है। इसके कारण काश्तकारों में भारी असंतोष व्याप्त है।

तहसीलदार देसूरी जिला कलक्टर, पाली से मिले हुए हैं व चाहे नामान्तरकरण हो या रजिस्ट्रीकरण, सबमें तहसीलदार का कमीशन बंधा हुआ है, जिसमें से भेंट-पूजा कलक्टर, पाली को भी पहुंचती है। जिसकी भेंट-पूजा नहीं पहुंचती है उसे तहसीलदार एवं जिला कलक्टर परेशान करते हैं एवं काश्तकारों को परेशान करने के लिए राजस्व मण्डल में जाने की धमकी दे रहे हैं।

मेरा उक्त प्रस्ताव के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार काश्तकारों के कानूनी एवं वाजिब कार्यों में रोड़ा अटकाने वाले तहसीलदार, देसूरी या अन्य किसी अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करें। इस तरह के अधिकारी संवेदनशील एवं पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए कलंक हैं। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं तथा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री नाथूलाल गुर्जर। (व्यवधान) कह दिया ना आपने। श्री नाथूलाल गुर्जर। यह लिख देते न, कौन रोक रहा था आपको? बिराजें प्लीज। श्री नाथूलाल गुर्जर।

केशवरायपाटन शुगर मिल को आर्थिक सहायता

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जिला बूंदी की चार तहसीलों– केशवरायपाटन, बूंदी, नैनवां एवं हिण्डोली के लगभग 200 गावों के 4700 कृषक बन्द पड़ी केशवरायपाटन

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

सहकारी शुगर मिल के हिस्सेदार हैं। इन कृषकों की हिस्सा राशि लगभग 130 लाख रुपया है। वर्ष 1991-92 में राज्य सरकार ने इसके पुनर्वास हेतु 262 लाख रुपये प्रदान किये जिसके कारण यह वर्ष 1997-98 तक लाभ में चली और इसकी संचित हानि 1030.20 लाख रुपये से घटकर मात्र 601.74 लाख रह गयी। मिल द्वारा इस दौरान पूर्व के कर्जे व ब्याज चुकाये गये। हिस्सेदार कृषक हितार्थ, बेरोजगारों को रोजगार देने, ट्रांसपोर्ट बीमा बैंक व्यवसाय को बढ़ाने, गन्ना उत्पादकों का उत्पादन खरीदने, उन्हें उचित गन्ना मूल्य देने, कम लागत पर श्रेष्ठ उत्पादन तैयार कर विपणन करने आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं को देखते हुए वर्ष 1997-98 में गन्ना विकास व प्लांट मशीनरी रिपेयर तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता महसूस कर तत्कालीन सरकार ने उक्त मिल के लिए 352 लाख रुपये का प्रस्ताव कैबिनेट स्तर पर पारित किया, जो आज तक फाइलों में बन्द पड़ा रहने से कृषकों, बेरोजगारों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों के हितों पर सीधा कुठाराघात साबित हो रहा है।

विशेष उल्लेखनीय बिन्दु है कि सरकार ने जहां सहकारी मिल को आर्थिक सहायता से वंचित रखा, वहीं स्थायी एवं कुशल प्रशासन के अभाव में अनुभवहीन प्रबन्ध निदेशकों ने अल्पसेवा काल में चीनी मिल के हित में नीतिगत निर्णय, गन्ना विकास एवं इसकी उपलब्धता बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह पढ़ लिया?

श्री नाथूलाल गुर्जर : लम्बा है। लेकिन ऐसे बोल दूंगा, नहीं तो आप टाइम नहीं दोगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलोगे नहीं, इसको पढ़ोगे।

श्री नाथूलाल गुर्जर : अदूरदर्शितापूर्ण तरीके से वर्ष 1998-99 में तत्कालीन मिल प्रशासक श्री शेखर, सम्भागीय आयुक्त, कोटा ने मिल को गन्ना मण्डी बनाया। दूसरे गन्ना केन्द्र बन्द कर दिये। जैसा भारत की किसी भी शुगर मिल में नहीं होता। ऐसा करने से मिल को 216 लाख की सीधी हानि झेलनी पड़ी। इस प्रकार कुप्रशासन से लगातार हानि बढ़ती रही।

इस मिल द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान मण्डी टैक्स, गन्ना क्रय कर, पानी कर, आबकारी कर, बिजली कर, बिक्री कर आदि के रूप में सरकार को लगभग दस करोड़ रुपये का योगदान किया गया। साथ ही, सहकारी बैंकों का व्यवसाय बढ़ाया गया। मिल प्रति वर्ष उक्त क्षेत्र में गन्ना मूल्य के रूप में 5-6 करोड़ रुपये किसानों को देती रही। इसका टर्न ओवर 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष रहा है।

विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि सरकार उक्त मिल को आर्थिक सहायता देकर जीवन दान देने के बजाय इसे बन्द या बेचान कर इस मिल से जुड़े प्रत्यक्ष

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

अप्रत्यक्ष मजदूरों, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, पुनर्वास को जड़ मूल से नष्ट करने के साथ ही हिस्सेदार कृषकों, बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट, गन्ना उत्पादक कृषकों व जुड़े व्यापारियों, व्यवसायियों पर भी भयानक वज्रपात करने जा रही है।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त सभी वर्गों के व्यापक हितों को देखते हुए श्री केशवरायपाटन शुगर मिल को अविलम्ब आर्थिक सहायता एवं योग्य अनुभवी प्रशासन देकर इस सरकारी मिल को जीवनदान दिया जाए ताकि हिस्सेदार कृषकों, गन्ना उत्पादकों, सप्लायर कृषकों, मिल उत्पाद खरीदने वालों एवं मिल से जुड़े प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कार्मिकों, श्रमिकों, मजदूरों, बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट की आर्थिक, सामाजिक रोजगार की डावांडोल हो चुकी स्थिति को काबू पाया जा सके एवं उक्त क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक औद्योगिक उन्नति के नये आयाम स्थापित किये जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

मण्डावर के साहबी नदी क्षेत्र में गौशाला हेतु भू-आबंटन

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में साहबी नदी है। साहबी नदी में पहले बहुत पानी आता था, लेकिन अब बरसात कम होने और जगह-जगह बांध एवं एनीकट बनने के कारण अब इस नदी में पानी नहीं आता है। लगातार तीन वर्ष अकाल पड़ने के कारण लोग यहां पर अपनी गायें छोड़ गये और जो लोग गायें काटने वास्ते ले जाते हैं, उनको भी ग्राम के लोग पकड़ लेते हैं। वे गायें यहां पर भी घूमती हैं। इन गायों की संख्या एक हजार से ऊपर हो गयी है। इन रानी गायों की वजह से इस नदी क्षेत्र में 70-80 गांवों में ये रानी गायें गरीब किसान की फसल को उजाड़ देती हैं जिससे वहां पर गरीब किसान बरबाद हो रहा है। वहां के किसानों ने मिलकर एक गौशाला बनाने का निर्णय लिया और एक गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाया जिसका नाम "महर्षि दयानन्द गौशाला जाट भगोला" रखा। इसकी जमीन के लिए जिला कलक्टर, अलवर को आबंटन के लिए लिखा क्योंकि जिस जमीन के लिए आवेदन किया, वह जमीन नदी माफी की थी। इसलिए जिला कलक्टर, अलवर ने इस नदी माफी जमीन की भूमि की किस्म परिवर्तन के लिए राजस्व विभाग को भेजा। आज लगभग दो साल हो गये लेकिन राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने इस ओर कोई ध्यान

(श्री धर्मपाल चौधरी)

नहीं दिया। अगर यहां से भूमि की किस्म परिवर्तन हो जाती तो जमीन आबंटन का अधिकार जिला कलक्टर को ही है। यह जमीन गौशाला को आबंटित हो जाती, लेकिन सरकार इसमें राजनीतिक खेल खेल रही है। अगर अब इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वहां के गरीब किसानों में भारी रोष है और उनको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अतः आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय सदस्य, बिराजो। (व्यवधान)

गंगापुर सिटी राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय में की जा रही कथित अनियमितताएं

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत सवाईमाधोपुर जिले में गंगापुर सिटी स्थित राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती विमला मोदी की गम्भीर अनियमितताओं एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सवाईमाधोपुर की संदिग्ध भूमिका के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में विद्यालय की प्रधानाचार्या, श्रीमती विमला मोदी के विरुद्ध एक व्याख्याता श्रीमती कुलज्योति शर्मा ने उनके मौलिक अधिकारों के हनन, पेंशन प्रकरण लम्बित करना, वेतन बैंक से लेने के लिए बाध्य करने की शिकायत मुख्य मंत्री व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा को दिसम्बर माह, 2001 में की थी। इस पर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सवाईमाधोपुर को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच अधिकारी (श्री प्रेम कुमार उपाध्याय, प्रधानाचार्य, रा.सी.मा.वि. गंगापुर सिटी) से इसकी जांच करवाई, जिसमें प्रधानाचार्या, श्रीमती विमला मोदी को सभी अनियमितताओं का दोषी पाया गया।

खेद का विषय यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन भेजने से पूर्व पीड़िता श्रीमती कुलज्योति शर्मा को 13 मार्च, 2002 को स्वयं ने भी एक लिखित पत्र देकर उत्पीड़न किया। इस पत्र में श्रीमती शर्मा से पूछा गया है कि उन्होंने अपनी शिकायत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा को क्यों की? साथ ही जांच प्रतिवेदन में पीड़िता श्रीमती शर्मा के साथ वित्तीय अनियमितता, मौलिक अधिकारों का हनन एवं पेंशन प्रकरण लम्बित होना माना है। साथ ही इसके लिए समय-समय पर स्वयं (जिला शिक्षा अधिकारी) ने उक्त प्रधानाचार्या

(डा. किरोड़ी लाल)

को लिखित व मौखिक आदेश दिए हैं। इसी क्रम में जांच अधिकारी (श्री प्रेम कुमार उपाध्याय, प्रधानाचार्य, रा.सी.मा.वि. गंगापुर सिटी) ने उक्त प्रधानाचार्या को विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय एवं अन्य शिकायतों का दोषी पाया है। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में अंतिम पैरा में उक्त प्रधानाचार्या को वित्तीय अनियमितताओं का दोषी नहीं पाया जाना उनकी संदिग्ध भूमिका प्रदर्शित करता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वेतन प्रकरण के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में केवल 6 कर्मचारियों के विरोध में बताया है, जबकि फरवरी, माह 2005 का वेतन उनतीस कर्मचारियों ने नकद लेने की मांग कर 30 मार्च, 2002 को नकद प्राप्त किया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी भी स्वयं जांच के दायरे में आते हैं।

महोदय, स्थिति यह है कि पीड़िता श्रीमती कुलज्योति शर्मा का पेंशन प्रकरण आज भी उक्त प्रधानाचार्या व जिला शिक्षा अधिकारी की कार्य शैली के कारण बीकानेर में जहां लम्बित पड़ा है, वहीं पीड़िता को अब तक जी.पी.एफ. का भुगतान नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्रीमती शर्मा के साथ प्रधानाचार्या ने ज्यादती की है। साथ ही श्रीमती शर्मा को मार्च, 2001 का वेतन भी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद नहीं दिया था। इसके अलावा बीमा राशि का भुगतान भी एक माह के बाद किया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने श्रीमती शर्मा को वरिष्ठतम होने के बावजूद प्रधानाचार्या की अनुपस्थिति में कार्यभार नहीं सम्भलवाया, जबकि एक प्रतिनियुक्ति पर लगे प्रयोगशाला सहायक श्री हेमन्त शर्मा को इस विद्यालय में लगाने में बार-बार रुचि दिखाई एवं आदेश जारी किये, जो अनुचित हैं।

अत: महोदय से आग्रह है कि सभी प्रकरणों में अब तक अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश एवं उनकी अनुपालना की कार्यवाही से अवगत कराया जाए। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी के इस प्रकरण में जांच अधिकारी की रिपोर्ट से अवगत कराया जाए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट से हटकर अपनी भ्रामक रिपोर्ट क्यों भेजी गयी, यह भी जांच की जाए। (पढ़ा हुआ माना गया)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि और वर्षा हुई है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे क्षेत्र में भी हुआ है। मैंने पहले भी निवेदन कर दिया था। यह गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बहुत गम्भीर है। आप खुद ही बहुत गम्भीर हो।

श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर में हैण्ड पम्पों में प्रयुक्त ढाई इंच पाइप लाइन से उत्पन्न समस्या

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में ढाई इंची पाइप के हैण्ड पम्पों से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में ढाई इंची पाइप के हैण्ड पम्पों से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। क्योंकि पहले ढाई इंची पाइपों के ही हैण्ड पम्प ज्यादा से ज्यादा खोदे गये हैं। पहले तो जल स्तर ऊपर था, लेकिन लगातार चार वर्षों से वर्षा का अभाव रहा है जिससे पानी बहुत गहरा चला गया है। फलस्वरूप ढाई इंच पाइप के हैण्ड पम्पों में पानी नहीं आता है, लोग परेशान हो रहे हैं।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि ढाई इंच पाइप के स्थान पर समस्त हैण्ड पम्पों के पाइप बदल कर सवा इंच पाइप लगाने की कृपा करें। साथ ही जो पुराने हैण्ड पम्प हैं उनके पाइप सड़ गये हैं तथा पुराने जो हैण्ड पम्प खोदे गये हैं वे 100 फीट के करीब हैं, वे तमाम हैण्ड पम्प खतम हो गये हैं। अत: उन हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था कराएं ताकि इस अकाल में हैण्ड पम्पों का सही उपयोग हो और लोगों को पानी मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में सड़क-सुविधा

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं की लम्बाई 200 किलोमीटर है एवं कई बार मध्य प्रदेश की सीमा से गुजर कर जाना होता है। कुल गांवों की संख्या 462 होने से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1000 की आबादी वाले गांवों को ही जोड़ने का प्रावधान है जबकि औसतन 300–400 की आबादी के ही गांव ज्यादातर होने से वे आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। अत: मेरा निवेदन है कि 55 वर्ष की आजादी के बाद भी छोटे–छोटे गांवों को सड़कों से नहीं जोड़े जाने से लोगों में बड़ा आक्रोश है, अत: छोटे–छोटे गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु एक मास्टर प्लान तैयार कर छोटे-छोटे गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का प्रावधान रखा जाए।

ऐसे पंचायत हैडक्वार्टर भी हैं जो आज तक भी डामर की सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। सूची निम्न है :-

(श्री घनश्याम जैन)

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	किलोमीटर
1.	गोपालपुरा	1 किलोमीटर
2.	शादी	2 किलोमीटर
3.	मेघनिवास	3 किलोमीटर
4.	राजपुरा	5 किलोमीटर
5.	लुहारिया	12 किलोमीटर

इसके अलावा निम्न सड़कों की स्थिति ऐसी है जो जिले से जिले को व राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ती है :-

क्र. सं.	नाम सड़क	सड़क की कुल लम्बाई	डामर	बकाया	सीमा
1.	नन्दवाई-परछा	17 कि.मी.	12 कि.मी.	5 कि.मी.	मध्य प्रदेश
2.	श्रीपुरा से नासेरा घाटा	12 कि.मी.	—	12 कि.मी.	बूंदी जिला
3.	जवाहर नगर से गांधी सागर (मध्य प्रदेश)	4 कि.मी.	—	4 कि.मी.	मध्य प्रदेश
4.	जोगणिया माता के घाटे हेतु घाटे के कटाव व सुदृढ़ीकरण हेतु इसका भी प्रावधान रखा जाय।				

इसके अलावा निम्नांकित सड़कें भी महत्वपूर्ण हैं जिन्हें डामर से जोड़ा जाना अत्यावश्यक है :-

क्र.सं.	नाम सड़क	लम्बाई	आबादी
1.	रेनखेड़ा से बड़ोदिया	5 किलोमीटर	माडा
2.	प्रतापपुरा से जोधा पटेल की खेड़ी	5 किलोमीटर	किसानों की आबादी
3.	मंडेसरा से बस्सी	12 किलोमीटर	माडा
4.	चैनपुरा से नली (वाया बहेलिया)	7 किलोमीटर	माडा

(श्री घनश्याम जैन)

अत: मेहरबानी कर पंचायत हैडक्वार्टर्स, जिले व दूसरे प्रांत की सीमा से लगी सड़कों व माडा क्षेत्र के लोगों को सड़क सुविधा तत्काल दिलाने का कष्ट करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

राजगढ़ (चूरू) कस्बे में पानी निकासी की व्यवस्था

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से राजगढ़ (चूरू) शहर के गन्दे पानी एवं वर्षा के पानी की निकासी बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

राजगढ़ (चूरू) शहर की आबादी वर्तमान में करीब 50 हजार से ज्यादा है। राजगढ़ शहर की भौगोलिक स्थिति एवं बसावट को देखते हुए पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्षा के समय पानी शहर के मोहल्लों तथा बाजार में भर जाता है जिसे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। वर्षा का पानी काफी समय तक इकट्ठा होने के कारण वहां पर मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनसे बीमारी फैल जाती है। मोहल्ले के निवासियों की जिन्दगी नरकमय हो जाती है। यदि वर्षा के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो शहरवासियों में भयंकर रोष व्याप्त है, वे एक बड़े आन्दोलन पर उतारू हो सकते हैं।

इसी प्रकार शहर के गन्दे पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। शहर का गन्दा पानी शहर के मोहल्लों के बीच चार-पांच स्थानों पर इकट्ठा हो जाता है जिसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गन्दा पानी इकट्ठा होने के कारण यह बदबू देता है, वातावरण दूषित हो जाता है और मोहल्ले के लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। गन्दगी के कारण बीमारी फैलती है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। नगरपालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर है, सो वह अपने स्तर पर कोई योजना बनाकर उसको कार्यान्वित करने में असमर्थ है। राजस्थान की सरकार संवेदनशील, जवाबदेही एवं पारदर्शी सरकार हैं, सरकार का इस समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व भी है, वह इस भयंकर समस्या से मुक्ति दिलाए।

ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस गन्दे पानी एवं वर्षा के पानी की निकासी की कोई योजना बनाए ताकि राजगढ़ शहर के लोगों को इस समस्या से, नारकीय जीवन जीने से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया। (अनुस्थित) श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

राजस्थान वक्फ बोर्ड को राजकीय अनुदान

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की वक्फ सम्पत्तियों के रखरखाव सर्वे तथा राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ के कर्मचारियों के विगत 6 माह के बकाया वेतन आदि के भुगतान हेतु देश के अन्य राज्यों की भांति वक्फ बोर्ड को अनुदान देने हेतु राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं माननीय वक्फ मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय एवं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य में बड़ी भारी वक्फ जायदाद होने के बावजूद न तो उनका सही तरीके से तहफ्फुज (रखरखाव) हो रहा है और न ही वक्फ जायदादों के रिकार्ड्स में दुरुस्तगी हो रही है और ठीक ढंग से सर्वे भी सम्पादित नहीं किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के भरसक प्रयत्नों के बावजूद वक्फ बोर्ड कर्मचारियों को कभी समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। अभी भी वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का विगत 6 माह का वेतन बकाया है जिससे उनके जीवन-यापन व उनके बच्चों के शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है।

देश के क़रीब-करीब सभी राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब सहित भाजपा शासित राज्यों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखण्ड आदि में भी वक्फ बोर्डों को लाखों-करोड़ों रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को अनुदान नहीं दे रही है।

पिछले दिनों जयपुर में सम्पन्न हुए वक्फ इजलास में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया था। राजस्थान राज्य के दौरे पर आयी संयुक्त संसदीय उप कमेटी के साथ हुई बैठक में भी मुख्य सचिव महोदय ने वक्फ बोर्ड को अनुदान दिये जाने का पूरा भरोसा दिलाया था।

25 फरवरी, 2001 को जयपुर के रामलीला मैदान में सम्पन्न मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट के मांग पत्र पर भी मुख्य मंत्री महोदय ने अनुदान देने का आश्वासन दिया था। अत: आपसे अनुरोध है कि:

1. वक्फ सम्पत्तियों पर नाजायज कब्जे की शिकायत प्राप्त होने पर शीघ्र कब्जा हटाने की कार्यवाही के निर्देश दिये जाएं तथा नाजायज कब्जाधारियों के विरुद्ध सम्पदा अधिकारी, वक्फ द्वारा जारी किये गये बेदखली वारंट्स

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की तामील हेतु उचित पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने के लिए भी जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए जाएं।

2. जिन वक्फ सम्पत्तियों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में होने से रह गया है या गलत इन्द्राज कर दिया गया है, जैसे मामलात में वक्फ गजट अनुसार वक्फ सम्पत्तियों का रेवेन्यू अभिलेखों में इन्द्राज करने के लिए सम्बन्धित विभागों को उचित निर्देश जारी किए जाएं।

3. जो वक्फ सम्पत्तियां राज्य के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के कब्जे में हैं, उन्हें खाली कर वक्फ बोर्ड को सुपुर्द किया जाए या फिर इन विभागों को वर्तमान सरकारी दर से किराया वक्फ बोर्ड को अदा करने के लिए निर्देश दिए जाएं।

4. जिस प्रकार अन्य राज्य सरकारें अपने राज्य वक्फ बोर्डों को ग्रांट-इन-एड दे रही हैं उसी प्रकार से राजस्थान वक्फ बोर्ड को भी उचित ग्रांट-इन-एड प्रदान की जाए ताकि वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान में वक्फ सम्पत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंगलाराम गोदारा।

डूंगरगढ़ की ग्राम पंचायत कालेराव की ढाणी में ट्यूबवैल हेतु विधायक कोष से स्वीकृत राशि का उपयोग

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

निवेदन है कि मैंने मेरे निवार्चन क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालेराव की ढाणी में चार ट्यूबवैल खुदवाये जाने हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अक्टूबर, 2001 में 6 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। ग्राम पंचायत कालेराव की ढाणी में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। इस ग्राम पंचायत में ग्रामीण पेयजल योजना एवं पेयजल के अन्य साधन नहीं होने के कारण ही मैंने विधायक निर्बन्ध राशि से 6 लाख रुपये (1.50 लाख रुपये प्रति ट्यूबवैल खोदे जाने) की अनुशंसा जिला कलक्टर को की थी। अनुशंसा के समय कहा था कि इस ग्राम पंचायत में पेयजल के अन्य कोई साधन नहीं हैं, अत: इन ट्यूबवैलों को शीघ्रातिशीघ्र खुदवा दिया जाए। अक्टूबर, 2001 में विभाग को लिखने के उपरान्त जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो विभाग ने अभी तक केवल अनुमानित व्यय ही तैयार किया है। अनुमानित व्यय के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति तो जारी कर दी लेकिन वित्तीय स्वीकृति इस आधार पर

(श्री मंगलाराम गोदारा)

जारी नहीं की गई कि विधायक कोटे के पैसे से अधिक की स्वीकृति जी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अक्टूबर, 2001 में स्वीकृति देने के उपरान्त विभाग केवल अनुमानित व्यय का आकलन छह माह तक करता रहा और मार्च में यह कहता है कि वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो सकती। तो इन छह माह तक विभाग क्या करता रहा? यह बहुत ही हास्यास्पद है। क्या छह माह तक विभाग अनुमान नहीं लगा पाया कि इन ट्यूबवैल पर कितना खर्चा आएगा? अब जबकि गर्मी का मौसम आ रहा है तो पीने के पानी की गम्भीर समस्या रहेगी। अनुमानित व्यय भी लगभग 12.50 लाख रुपये का तैयार किया। पूर्व में मैंने जो भी ट्यूबवैल खुदवाये थे उनका व्यय 1.50 लाख रुपये के करीब था तथा इन ट्यूबवैल पर बिजली कनेक्शन का व्यय अलग से लगा था। आज विभाग 12.50 लाख रुपये व्यय होना मान रहा है, इसके क्या कारण हैं?

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि विधायक निर्बन्ध राशि का उपयोग विधायक की क्षेत्रीय समस्याओं के मद्देनजर किया जाता है, जिसमें विधायक निर्बन्ध राशि में स्वीकृति देने के उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में छह माह से अधिक का समय लगेगा तो जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है उस योजना का स्वरूप ही बदल जाएगा।

अत: विधायक निर्बन्ध राशि की स्वीकृति एवं प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति में जो देरी हुई है इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए जिससे योजना के क्रियान्वयन में समय नहीं लगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय की स्थापना

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील व पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर कालेज की स्वीकृति चाहने हेतु ध्यानाकर्षण।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि डूंगरपुर जिले की तहसील एवं पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर एक भी कालेज नहीं है, यहां शत प्रतिशत क्षेत्र आदिवासी है। तहसील हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या काफी है। छात्र-छात्राओं की संख्या वर्ष भर अधिकाधिक है।

ग्यारहवीं, बारहवीं पढ़ने के बाद छात्र दूर-दराज होने से कालेजों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। तहसील हैडक्वार्टर पर सभी प्रकार के छोटे-मोटे कार्यालय भी हैं। मैं बराबर सरकार का ध्यान दिलाता आ रहा हूं कि सीमलवाड़ा में कालेज खोला जाए।

(श्री शंकरलाल अहारी)

मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि सीमलवाड़ा पंचायत समिति एवं तहसील हैडक्वार्टर पर एक कालेज खोला जाए जिससे यहां सैकड़ों बालक-बालिका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये तो पहले थे ही नहीं, साहब। अब आ गये क्या वापस?

श्री उपाध्यक्ष : अब आ गये न।

गोगुन्दा की मुख्य सड़कों को पक्का किया जाना

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत निम्न मुख्य सड़कों को पक्का कराये जाने के लिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा कोटड़ा के अन्तर्गत निम्नांकित सड़कों को पक्का कराया जाना नितान्त आवश्यक है। ये सड़कें आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं लोगों के हित में हैं :-

1. पलासमा से जरगाजी तीर्थ स्थान गोगुन्दा।
2. बिसमा से पाबा गोरिया तीर्थ स्थान गोगुन्दा।
3. चित्रावास से सारिया क्यारका खेत कडेच बाव तक गोगुन्दा।
4. गोगुन्दा से शिड़िया।
5. सायरा से गायफल रोयड़ी।
6. रावलिया खुर्द से नान्देशमा।
7. मजावद से अवेश्वर महादेव।
8. राबछ से भुतण्ड मालवा चोरा।
9. डांग से बेरका भीमाणा कोटड़ा।
10. मालविया से कुपड़ा घाटा-मादड़ा।
11. पड़ावली से कुकड़ा घाटा- मादड़ा।
12. सामोली से क्यारी।
13. कोटड़ा मुख्य तिलरवा।

उपर्युक्त सड़क पक्की होने पर लोगों के आने-जाने में सुगमता तो होगी ही, कई लोग बीमार होने पर खाटों पर उठाकर लाने की समस्या का समाधान भी होगा।

कई लोग 180 किलोमीटर लम्बा सफर पार कर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचते हैं, पर ये सड़क बन जाने पर आवागमन में कम दूरी पार कर एवं कहीं-कहीं पर 35 किलोमीटर पक्की होने पर 180 किलोमीटर की दूरी पार नहीं करनी पड़ेगी।

अतः गांवों एवं पंचायत मुख्यालयों को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक रूप से अति महत्वपूर्ण सड़कों को पक्का कराये जाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बेनीवाल।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई): उपाध्यक्ष महोदय, कल जो बरसात हुई... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, हम राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं कि कल जो ओलावृष्टि हुई है, राजस्थान का किसान बरबाद हो गया। हम राजस्थान सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : किसान बरबाद हो गये, हम राजस्थान सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक बोलो तो कोई समझ में आएगी, बाकी समझ में नहीं आएगी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से, बरसात से गेहूं की फसल बिलकुल नष्ट हो चुकी है। खलिहानों में थी, कुछ खेतों में पड़ी हुई थी, सारी नष्ट हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी फसल को जो नुकसान हुआ है सरकार गम्भीरता से इसको ले और किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों के जीने-मरने का प्रश्न है। (व्यवधान) लगातार तीन-चार साल से राजस्थान के किसान की दुर्दशा हो रही है। इधर बिजली महंगी, खाद महंगा, डीजल महंगा और उधर जब उसके खलिहानों में फसल पकी हुई पड़ी है, निकालने की तैयारी है उस समय ओलावृष्टि और राम और राज दोनों के प्रकोप का राजस्थान का किसान शिकार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि उनको मुआवजा दिया जाए। उनकी फसल नष्ट हुई, उसकी भरपाई की जाए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कार्यवाही करे, हमारे को कुछ आश्वासन दिलवाओ। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान वर्ग के व्यक्ति हैं और हमारे यहां उपाध्यक्ष की हैसियत से बिराजमान हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार को आप भी इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देंगे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, कल जो बरसात हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नई बात है क्या?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यही बात है।

श्री नन्दलाल पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस सम्बन्ध में कार्य संचालन नियम, विशेष उल्लेख में क्वेश्चन लगाया था लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उसमें कोई जवाब नहीं आया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार वक्तव्य दे, सरकार मुआवजा की घोषणा करे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी बिराज रहे हैं यहां पर। (व्यवधान) किसान हितैषी हमारी सरकार है, मंत्रीजी बिराजमान हैं, निश्चित रूप से मुआवजे के बारे में बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सरकार गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी बोलने को तैयार बैठे हैं। (व्यवधान) किसान के हितों की बात तो माननीय मंत्रीजी बोलने को तैयार हैं।

श्री कन्हैया लाल : जिन लोगों ने गेहूं निकाल लिया था, वह चारा उड़ गया और गेहूं भी एकदम बरबाद हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या बोल रही हैं, आप बिराजो न। माननीय सुमित्राजी बोल रही हैं, आप बैठो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नेता हैं हमारी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न फिर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह बिलकुल सही है। जब फसल पकी हुई खलिहानों में पड़ी थी उस समय तेज अंधड़, ओले और बारिश ने फसल को बरबाद कर दिया। इसलिए इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री अपना वक्तव्य दें कि क्या उनका इरादा कुछ रिलीफ देने का है किसानों को।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री दें या अकाल सहायता मंत्री दें, किससे चाहते हो आप?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अकाल सहायता, राहत मंत्रीजी। मेरा मतलब सरकार से है। सरकार दे कि उनका क्या इरादा है। वह कुछ मदद करना चाहते हैं या नहीं चाहते? या केवल राम के भरोसे ही किसानों को छोड़ देना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो। (व्यवधान) हो गयी न बात। माननीय पूनियाजी, आप बिराजो। माननीय सदस्या, यह बरसात कल हुई है रात को। सरकार उसका आकलन...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुंझुनूं में उसके पहले हुई है। झुंझुनूं में दो दिन पहले हुई है।

श्री अमराराम (धोद) : जब हम इस हाउस में चर्चा कर रहे थे उसी वक्त अंधड़ आकर कहीं ओलावृष्टि से, अंधड़ से, बरसात से...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुंझुनूं में तो दो दिन पहले ओलावृष्टि हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी व्यवस्था कर रहा हूं, बिराजो आप। यह कल बरसात हुई है, सरकार द्वारा उसका मूल्यांकन करके कल इसका स्टेटमैंट दिलाएंगे कि क्या व्यवस्था हो सकती है।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं तो पीछे वाली शीतलहर की बात कर रहा हूं। पीछे हमारी सरसों की फसल...

श्री रामस्वरूप : धन्यवाद, आपने यह व्यवस्था दी है।

पर्ची के माध्यम से उठाए गए मुद्दे

पर्यटन निगम के एक वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक सम्पत्ति का सृजन

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के तीन साल पहले जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी, उन्होंने सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह शासन और प्रशासन देंगे। तब प्रदेश की जनता को यह आशा जगी थी कि ये सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, संवेदनशील होंगे, जवाबदेह होंगे, पारदर्शी होंगे। पर मुझे बड़ा दुःख है और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तीन वर्ष बीत गये, ये न तो संवेदनशील हुए, न जवाबदेह हैं और न पारदर्शी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आर.टी.डी.सी. के एक सीनियर मैनेजर के मामले में इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार जब सत्ता में आयी तो आते ही सारे विधायकों से सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि जितने भी विधायक चुन कर आये हैं वे अपनी सम्पत्ति ~~का ब्यौरा सें+ वह सम्पत्ति~~ का ब्यौरा तो नहीं आया, आप द्वारा भी सदन में आना चाहिए था...(व्यवधान) +++

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बहुत गम्भीर मामला है, आप सुनो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आप ~~तो अपनी बात~~ कहो। उनकी +++ की चिन्ता मत करो।

श्री मोहन लाल मोदी : आपको तो आ रही है क्या +++ ? आपको तो आ रही है क्या थोड़ी बहुत +++ ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तेजित मत होओ। आप उत्तेजित होओगे तो आप जो कहना चाहते हो वह भूल जाओगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं भूल रहा, मैं सारी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप लोगों ने अपनी आय का ब्यौरा तो दिया नहीं, मगर आपने आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर भी अंकुश नहीं लगाया। उनको यह छूट मिल गयी कि जब सरकार के नुमाइन्दे ही अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं तो हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं। मैं यह बात कर रहा हूं आर.टी.डी.सी. से एक सीनियर मैनेजर के विषय में, उसने इतनी अपूर्व सम्पत्ति अर्जित कर रखी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिसका मैं अगर इस सदन में ब्यौरा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इस शासन के अन्दर किस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है और किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान) इनके संरक्षण में तो हो ही रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जो सीनियर मैनेजर हैं, कोई भी शासन आए, सबमें अपना प्रभाव रखता है। माननीय मंत्री महोदया यहां बिराज रही हैं, उनकी भी उसके ऊपर बहुत विशेष मेहरबानी है, वह जैसा चाहे जहां चाहे पोस्टिंग ले। बढ़िया से बढ़िया वह पोस्टिंग लेकर बैठे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन श्रीमान् जी के पास सिविल लाइन्स जयपुर में चार सौ गज का एक प्लाट है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग सत्तर लाख है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं श्रीमान् जी के पास माउण्ट आबू में एक मकान है जिसकी कीमत लगभग पचास लाख रुपया है। विद्याधर नगर, जयपुर में मकान है जिसकी अनुमानित लागत पन्द्रह से बीस लाख रुपया है। भरतपुर घना बर्ड सैंक्चुरी जो विश्व विख्यात है, उनके सामने बाइस बीघा जमीन है, जिसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है और जिस पर यह अपनी पत्नी के नाम स्वराज रिसोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। इनकी सैलेरी क्या होगी? मैं समझता हूं दस से पन्द्रह हजार रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, जो दस से पन्द्रह हजार रुपये महीने की सैलेरी लेता हो, उस व्यक्ति के पास इतनी सम्पत्ति हो तो यह अपने आप में बहुत ही गम्भीर बात है। हम लोग इसको बिलकुल गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं कि हमारे यहां के जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वे अपनी सैलेरी से ज्यादा आय अर्जित कहां से करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इनका एक पुत्र जिसका नाम जैसल है, स्विट्जरलैण्ड में पिछले साल होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने गया। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो रहा है, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, जब राष्ट्रपति विधान सभा के लोकार्पण के समय आए थे उससे दो दिन पूर्व इसी श्रीमान् जी ने बनीपार्क क्षेत्र के अन्दर गोली चलायी जिसका प्रकरण थाने में दर्ज हुआ और इनके खिलाफ 307 का मुकदमा अभी विचाराधीन चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार कोई राजहंस उपाध्याय,

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

एम.डी.आर. टी.डी.सी. के थे, इनके टाइम पर हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इन श्रीमान् जी के खिलाफ तो कार्यवाही की ही जाए मगर जिन्होंने इसको प्रोत्साहित किया, ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारी जो हैं, जो आज वर्तमान में नहीं हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस प्रकरण को ए.सी.डी. में दिया जाए। माननीय मंत्री महोदया मुझे जवाब दें कि क्या इसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं कि नहीं रखती हैं? अगर नहीं रखती हैं तो क्यों नहीं रखती हैं? और रखती हैं तो कब तक आप इसके खिलाफ कार्यवाही करके इस सदन को सूचित कर देंगी और हमें अवगत करा देंगी?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही मैं सरकार से चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदया यहां विराज रही हैं, इस बात का वह जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्री महोदया को नाम मालूम है।

श्रीमती बीना काक : जवाब दे देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जवाब नहीं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दे रही हैं न जवाब।

श्री जीतमल खांट : जवाब आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, इतना लम्बा चौड़ा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है और माननीय मंत्री महोदया जवाब देना चाह रही हैं...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी सैलेरी पन्द्रह हजार हो और जिसने अरबों रुपये का भ्रष्टाचार किया हो... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया जवाब देना चाह रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशीलता के बारे में जब बात की है तो मैं उत्तर देना चाहूंगी, आपकी अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दो, दो, आप उत्तर दो।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, यह उक्त वरिष्ठ प्रबन्धक के बारे में जो आज बात उठी है...

श्री उपाध्यक्ष : नाम तो लिया ही नहीं उन्होंने किसी का।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नाम है उसका +++

श्री उपाध्यक्ष : नाम नहीं ले सकते आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप बोल रहे हो इसलिए लिया, मैंने तो नाम लिया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो उनको कह रहा हूं आपको नहीं कह रहा। आप बिराजो।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, में सदन को सूचित करना चाहती हूं कि इनके बारे में पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और 25.2.2000 को भी एक जांच करवायी गयी थी। उसमें तो खैर उन्हें दोषी नहीं माना गया था, लेकिन 21.2 को एक बार और जब हमारे पास पुनः शिकायत आयी तो इसे राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक को जांच के लिए भेज दिया गया है। यह जो वरिष्ठ प्रबंधक, आर.टी.डी.सी. जिसका यहां जिक्र कर रहे हैं, वह वर्तमान में निलम्बित हैं।

डिसप्रपोर्शनेट इनकम के बारे में तो जहां तक सवाल है, एंटी करप्शन ब्यूरो इसमें जांच कर ही रहा है। जो इन्होंने एक और हादसे का जिक्र किया है, उसमें सैक्शन 307 आई.पी.सी. के तहत पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक, जयपुर (उत्तर) से जब हमें रिपोर्ट मिली थी इनके दुराचार की, तो डिपार्टमेंट ने चार्ज शीट भी दे दी है। क्या एक्शन लिया जाएगा, यह कोर्ट में जब तय हो जाता है उसके बाद कर लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक बार जांच करवा दी है फिर ए.सी.डी. में भेज दिया है। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

बालोतरा को जिला बनाया जाना

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) **:** सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब 21 सालों से मैं बार-बार इस विधान सभा क्षेत्र में याचिका के माध्यम से, तारांकित प्रश्नों के माध्यम से, नियम 295 के माध्यम से बालोतरा को जिला बनाने के लिए बात कह रहा हूं, 22 साल के बाद में अभी तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया गया। माननीय भैरोंसिंहजी ने अपने समय में छह जिले बनाये जिनका क्षेत्रफल सबसे कम है। बाड़मेर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जैसलमेर और दूसरे नम्बर पर बाड़मेर जिला जिसका क्षेत्रफल 28,372 वर्ग किलोमीटर है और जैसलमेर का 38,000 समथिंग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा जिला, कलक्टर का कार्यालय, सामुदा गांव जो आखेड़ी है, पाली के लगा हुआ, वहां से करीब 250 किलोमीटर दूर। बाड़मेर से यदि सामुदा पहुंचा जाए तो 350-375 किलोमीटर के करीब है। इतने बड़े जिले

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम चौधरी)

के अन्दर प्रशासन किस प्रकार से जनता की आवाज को सुन सकता है, यह एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है। आज बाड़मेर की जनसंख्या 19 लाख से भी अधिक हो गयी है और बालोतरा सब डिवीजन की जनसंख्या छह लाख के करीब है। उपाध्यक्ष महोदय, बायतू, गुढ़ामालानी और सिणधरी के लिए बालोतरा मध्य में है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, बालोतरा में हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में सबसे पहले जिला न्यायालय बना। जालौर का जिला न्यायालय भी यह बालोतरा था। वर्तमान समय में जिला न्यायालय के अलावा सेशन न्यायालय, एडिशनल सैशन न्यायालय, ए.सी.जे.एम. कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, एस.डी.एम. कोर्ट, रीको आफिस, आर.एफ.सी. का जिले का आफिस, बाड़मेर जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक का हैड आफिस, सारे जब कार्यालय आ गये हैं तो फिर ऐसी सूरत के अन्दर बालोतरा का हक बनता है कि उसको जिला बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज छोटे-छोटे जिले जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है, बन गये हैं। बालोतरा इंडस्ट्रियल पाइंट आफ व्यू से भी एक औद्योगिक नगरी है और तीर्थ स्थान के हिसाब से भी भारत का विख्यात नाकोड़ा भैरव मंदिर, पार्श्वनाथजी का मंदिर और खेड़ टैम्पल जहां हमारे मारवाड़ की ओल्ड राजधानी थी। कल पोपा बाई का राज कह रहे थे, यह पोपा बाई का राज खेड़ में था। लेखा राई–राइका न राज पोपा बाई का। यह खेड़ में था।

श्री अमीन खान : तो आपके यहां था पोपा बाई का राज।

श्री अमराराम चौधरी : हां, वह ओल्ड मारवाड़। मतलब मेवाड़ नगरी जिनके बारह फलों के अन्दर यह खुलता था मेवाड़ नगर। बारह फरसे थे उस समय। यह सवाण श्रीमालानी क्षेत्र के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी जनता की यह मांग है। जनता में इस प्रकार से सरकार के प्रति भारी असंतोष हो रहा है कि बालोतरा को जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा है। बाड़मेर से आये हुए हमारे विधायक जैन साहब जब एम.पी. थे...

श्री अमीन खान : हम सब समर्थन करते हैं, बालोतरा जिला बनना चाहिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं...

श्री अमीन खान : पर आप चूक गये। जिस टाइम आप मंत्री बने, शर्त रखी होती तो उस टाइम बन जाता।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बात सही है, वह आपके साथ खा-पी रहा हूं न इसीलिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर के सारे माननीय सदस्य और भाई हेमारामजी, यह तो मेरे गांव के पास के रहने वाले हैं, इनको तो वकालात करनी चाहिए।

श्री अमीन खान : हम तो सब चाहते हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): तीन किलोमीटर जो इनकी ढाणी है, इनको तो करना ही चाहिए। सारे जब कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। आपकी यहां मौजूदगी के अन्दर भी मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं एक विधायक के तौर पर। आप स्वयं जब कृषि मंत्री थे उस समय हमारे यहां पर पधारे थे कृषि मण्डी के अन्दर, आपने बालोतरा को देखा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपको विनम्र शब्दों में निवेदन है, एक ऐतिहासिक स्थान है बालोतरा और मेरा पचभद्रा। पचपदरा को पचपदरा, यह भूगोल को चैंज कर दिया नक्शे के अन्दर अभी सिंचाई विभाग वालों ने। कुछ भी कर दिया गया हो लेकिन यह पचभद्रा था, जहां पर पंच नदियों का संगम था। भद्रा कहते हैं संस्कृत में नदी को, ऐसा स्थान था। यहां से वह कुछ वीरान हुआ, वापस अब यह आबाद हो रहा है। यहां गन्ना होता था। जोधपुर से लगाकर पचपदरा तक तो आज भी किन्नू मौजूद पड़े हैं। हजारों, लाखों मन, हमारे यहां बहुत समतल जमीन है, वहां तक आते हैं।

मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप राज्य सरकार को निर्देश दें। हमारे वन मंत्रीजी बैठे हैं, आप डिनाई करोगे सरकार में हूं, अपने बालोतरा सब डिवीजन में आपका ही काम है, हमारी पैरवी करो कि बालोतरा को जिला बनाया जाए।

बालोतरा में दो महाविद्यालय हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। सेन्सस के अनुसार कल हमारे रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि 46,000 तो 1991 में थी, उसके बाद में दुगनी हो गयी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार को कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा।

हरियाणा के अन्दर जो विकास हुआ है उसका कारण एक ही है कि वहां पर छोटे जिले हैं। चार घंटे के अन्दर चारों तरफ राउण्ड लगा सकते हैं अपने जिले के अन्दर। और यहां पर इतने बड़े बड़े जिले हैं। हमारा तो यही है कि जैसलमेर के भी दो जिले बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, एरिया जब इतना बड़ा है, पापुलेशन की भी ऐसी बात नहीं है कि उसी को आधार माना जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के जो नुमाइंदे यहां बिराजमान हैं, उनसे आश्वासन तो दिलाएं। कई बार इस प्रकार की बात कह चुका हूं। जब सारे हमारा सहयोग कर रहे हैं तो फिर आपसे निवेदन है कि आप आदेश फरमा ही दें। आज निर्देश दे ही दें सरकार को कि बालोतरा को जिला बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री मदन दिलावर : मेरा भी समर्थन है कि बालोतरा को जिला बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बहुत अच्छा। बढ़िया, अटरू को नहीं?

श्री मदन दिलावर : अटरू तो बनेगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : उपाध्यक्षजी, वैसे मैं पहले अपनी पीड़ा जरूर आपको कह दूं। एक और दर्द है मेरे मन में।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची...

(13.00 बजे)

श्री ज्ञानचन्द पारख : यह बात तो मैं कह रहा हूं, उससे पहले सुन तो लें मेरी आप। इलाज करना नहीं, करना आपके हाथ में है। आपकी इच्छा हो वह करना। पहले मैंने 295 में एक प्रकरण उठाया, कई मंत्रियों ने जवाब दिया, मेरे बहुत निवेदन के बाद भी, मंत्री महोदय तैयार थे जवाब देने के लिए, आपने रोक लिया। आप एक ही नियम बना दें कोई भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मन में पीड़ा है, दर्द है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आप इस विषय पर बोलें।

श्री ज्ञानचन्द पारख : अब मैं इसी विषय पर बोलूंगा, भले ही आप जवाब नहीं दिलाएं। मेरी बात कहने का आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इसलिए नहीं टोका, मैं यह कह रहा हूं कि जब डिमाण्ड आएगी उस पर आप खूब बोले आपको जवाब मिलेगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उस समय मंत्रीजी तैयार थे।

श्री उपाध्यक्ष : अगर वह डिमाण्ड नहीं होती तो मैं आपको बोलने देता।

श्री ज्ञानचन्द पारख : हो सकता है आपको पता नहीं हो कि प्रकरण कितना गम्भीर है, मुझे पता था कि प्रकरण बहुत गम्भीर है, पाली के कितने लोग उससे प्रभावित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड पर विस्तार से उत्तर आ जाएगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोहिड़ पंचायत समिति है वहां बाड़ाई गांव है, वहां अभी जो पटवारी महोदय काम कर रहे हैं, उसने गांव में वे हालात पैदा कर दिये कि पूरा गांव आपस में लड़-झगड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके तीन माननीय सदस्य राजस्व मंत्रीजी को सुनने नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं, बोलो।

श्री अमराराम (धोद) : आप ही कहो इनको तो।

श्री उपाध्यक्ष : तीन माननीय सदस्य आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आप ही करेंगे इनकी व्यवस्था, आप ही करेंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : टोको न उनको आप... (व्यवधान) आपके माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आप वहां से उठो तो राजस्व मंत्रीजी का वह ध्यानाकर्षित करें।

पाली जिले की रोहिड़ पंचायत समिति के बाड़ाई गांव के पटवारी के कार्यों से ग्रामवासियों को होने वाली परेशानी

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोहिड़ पंचायत समिति है वहां बाड़ाई गांव में जो पटवारी कार्यरत है, वह जिस दिन से वहां लगा है पूरे गांव में वह माहौल पैदा कर दिया उसने कि सारे गांव वालों को एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया। किसी की जमीन कहीं बता दी, किसी की जमीन कहीं बता दी। पिछले 40-50 सालों से वे लोग वहां बैठे हैं लेकिन इस पटवारी ने आते ही अपनी इच्छा से कह दिया कि तेरी जमीन वह नहीं वह है, दूसरे को कह दिया कि तेरी जमीन यह नहीं वह है और आपस में ऐसा माहौल कर दिया कि जो गांव का गरीब तबका है, अनुसूचित जाति, जनजाति का तबका है उसकी जमीन सुरक्षित रह जाएगी उसका भरोसा उसे नहीं रहा। पटवारी साथ में यह भी कहता है कि तुम जहां कहो तुम्हारी जमीन को, मैं वहां बता दूं, पर उसके लिए तुम्हें कुछ न कुछ देना पड़ेगा, मुझे खुश करना पड़ेगा। मतलब, मंत्री महोदया समझती हैं। जो उसको खुश कर दे, जो उसकी मांग है उसको पूरी कर दे तो जमीन वापस वह सही जगह पर ले आता है। मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। शंकर पुत्र माधव भील जिसकी जमीन पाली-जोधपुर हाइवे पर है, पिछले 30 सालों से वह वहां काश्त कर रहा है, वहां बैठा है। इस पटवारी ने आने के बाद दुर्भावनावश उससे कह दिया कि तुम्हारी जमीन यह नहीं है, तुम्हारी जमीन दूर बहुत अन्दर की ओर एक मोड़ी भांकरी है जहां पत्थर ही पत्थर हैं, वह है। नक्शे में जो नम्बर खातेदारी लगे हुए थे उसकी कापी मेरे पास है, उसको भी उसने चैंज कर दिया। पहले जमीन मुख्य रोड पर थी उसको वह पीछे ले गया और उसने नक्शे में भी हेराफेरी की। उसने अपनी गुहार जिला कलक्टर महोदय से की, मैं साथ गया था। उसके बाद जिला कलक्टर महोदय ने एस.डी.ओ. को जांच भी दी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और व्यक्ति लगातार परेशान हो रहा है। पटवारी अब यह धमकी भी दे रहा है कि यदि तुमने पैसे नहीं दिये तो तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें पुलिस के माध्यम से पीछे भिजवाऊंगा। मुझे तुम पैसे दे दो, तुम्हारी जमीन वापस यहां तरमीम कर दूंगा। जबकि वहां किसी और की खातेदारी भूमि है ही नहीं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

ऐसा ही एक प्रकरण अमिया पुत्र पाबू भील, खसरा नम्बर 133 है। यह इसके बाप-दादा के जमाने से, 200 साल से वहां बैठा है और इसकी जमीन भी मुख्य सड़क पाली-जोधपुर नेशनल हाइवे पर है। अब चूंकि जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई और यह लोग भील जाति के हैं, बहुत गरीब हैं तो इसको भी जमीन कहीं और बता दी कि तुम्हारी जमीन तो वहां है, तुम वहां जाओ। उसके बाजू में किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, उसका भी यह प्रयास है कि यह किसी बहाने यहां से हट जाए। तो उसने पटवारी को मैनेज कर लिया कि तुम यह काम करा दो, तुम्हारे को खुश कर दूंगा। जिस दिन से उसने यह प्रस्ताव रखा है उस दिन से पटवारी पीछे पड़ा हुआ है। पुलिस के माध्यम से धमकी भी इसको भिजवायी। मान्यवर, यह जुल्म कब तक चलेगा? आप तो बात करते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। उनकी जमीनों की रक्षा करेंगे, उनकी सम्पत्ति की रक्षा करेंगे। पर वहां यह सब खुले आम हो रहा है। मेरा यह निवेदन है कि आप इसकी अच्छी तरह से जांच करवा दें। वह कितने सालों से काबिज है, जो धोरा-पारी लगा हुआ है उनका वहां, है कि नहीं। वाकई में आपको यदि लगे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है तो जिस व्यक्ति ने गलत हरकत की उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चिन्ता मत करो, तसल्ली रखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही खासियत है।

श्री उपाध्यक्ष : खासियत है तो खासियत का इस्तेमाल कर रहे हैं।

डा. (श्रीमती) कमला (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिन्दु रखा है मैं एक तो उनसे यह चाहूंगी कि कलक्टर ने एस.डी.ओ. के नाम जो आर्डर किया और उसने कार्यवाही नहीं की, उसकी सूचना वापस कलक्टर को पहुंचानी चाहिए थी कि आपके आदेश का एस.डी.ओ. ने पालन नहीं किया।

दूसरा, आपसे यह निवेदन है कि जो अभी 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान हुआ उसमें वहां कोई शिविर लगा या नहीं लगा?

श्री ज्ञानचन्द पारख : वहां शिविर लगा, सारे गांव वालों ने इस बात की वहां शिकायत की कि यह पटवारी बदमाशी कर रहा है। पूरा गांव इस मामले में एकजुट था।

डा. (श्रीमती) कमला : शिकायत की जरूरत नहीं है। अभियान में शिकायत नहीं होती।

श्री ज्ञानचन्द पारख : एस.डी.ओ. साहब से वहां व्यक्तिशः भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जांच करवा दूंगा, परन्तु जांच नहीं हुई है।

डा. (श्रीमती) कमला : जांच नहीं करवा रही हूं। मैं आपसे कह रही हूं, बैठें आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैडम, एक सबूत तो मेरे पास है।

डा. (श्रीमती) कमला : आप बिराजें तो सहीं। अभियान में सिर्फ जांच का काम नहीं हुआ है। अभियान में उसकी जरूरत भी नहीं है। अभियान में पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, विधायक सब लोग होते हैं। उसमें कार्यवाही यह की जाती है कि रिकार्ड जिन लोगों के पक्ष में बोल रहा है उनके पक्ष में उस रिकार्ड की दुरुस्ती के लिए काम करें। अब यह ज़ो अलाटमेंट आप कह रहे हैं वह होगा जब अलाटमेंट कमेटी की बैठकें होंगी। बहुत-से जिलों में अलाटमेंट कमेटी की बैठकें कलक्टर्स ने कर ली हैं, बहुत से जिलों में कलक्टर्स ने नहीं की हैं। अब हमने एक आदेश जारी किया है कि 30 जून तक जहां-जहां भी अलाटमेंट कमेटी की बैठकें नहीं हुई हैं वहां बैठकें करके जिस व्यक्ति का जहां पर अलाटमेंट हो सकता है, वह करें। ज़ो काफी वर्षों से काबिज हैं उनके नियमन की पात्रता बनती है तो उनका नियमन करें। यह कार्यवाही अभी प्रारम्भ हो रही है। जिला कलक्टर्स अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से पहले यह आइडेंटीफाई कर रहे हैं कि कौन-कौनसी जमीनें अलाटमेंट या नियमन के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा यह करेंगे कि उनके मुताबिक पहले वह उसकी उद्घोषणा करेंगे कि यह-यह जमीनें उपलब्ध हैं। उसके बाद जिस जगह वह जमीन है उस जगह वह अलाटमेंट कमेटी की तारीखें निर्धारित करके विधायकों को भी निश्चित रूप से भेजेंगे। हमने निर्देश दे रखे हैं कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि विधायक महोदय को सूचना प्राप्त हो चुकी है तब तक वह बैठक नहीं करेंगे। वह करने के वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जमीनें उनके नाम नियमित हो जाएं, जिनको आप बता रहे हैं कि दादा-पड़दादा के जमाने से बैठे हैं। तो यह मैं आपसे कार्यवाही के लिए कह रही हूं।

अब जो आपने कहा है कि वह इस तरह से हरकत कर रहा है, आप मुझे यह सारा ब्यौरा दे देंगे तो कलक्टर से इसकी पूरी तरह से जांच कराकर उसको वहां से हटाकर जो नियमित कार्यवाही है उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न, अब क्या है?

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैं कह रहा हूं कि खातेदारी जमीन है। वह कब्जे की जमीन नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह होता है जवाब, इसका आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको शिकायत थी...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : वह खातेदारी जमीन है। माननीय मंत्री महोदया ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, वह मैं इनको लिखकर दे दूंगा।

डा. (श्रीमती) कमला : खातेदारी जमीन से तो कोई उनको हटा ही नहीं सकता।

श्री ज्ञानचन्द पारख : नक्शा ही चैंज कर दिया उसने, नक्शे में हेराफेरी कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न।

डा. (श्रीमती) कमला : इसका मतलब आपका जो वर्चस्व है, आपको जो उनकी मदद करनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। वरना खातेदारी जमीन से कोई किसी को कैसे हटा सकता है? You should be with the people. कि आप नहीं हटाओगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उसने नक्शा ही चैंज कर दिया। मैं नक्शे की कापी लेकर आया हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : आप और बातों के लिए तो घेराव करके बैठ जाते हो, Why should you not sit with them? कि आप खातेदारी से इनको कैसे बेदखल कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवंतसिंहजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : बेदखल तो नहीं होने दिया, वहां बैठे हैं वहां बैठे रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवंतसिंह जी।

डा. (श्रीमती) कमला : (व्यवधान) बेदखल ही हो गये जब दूसरे खसरा में चले गये तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री जसवंतसिंह जी। ठीक है न? आपने शिकायत रखी, हो गया।

बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में शिक्षण सुविधाओं का अभाव

श्री जसवंत सिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर चाहूंगा कि मेरे मन की पीड़ा को शिक्षा मंत्रीजी सुनें। उपाध्यक्ष महोदय, कभी शिक्षा आपके द्वार, कभी शिक्षा दर्पण, कभी शिक्षा का सार्वजनीकरण। शिक्षा जैसे विषय पर राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन्तु मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर पूर्वी राजस्थान के साथ, विशेषकर, धौलपुर जहां

(श्री जसवंत सिंह)

से माननीय वित्त मंत्रीजी प्रद्युम्न सिंहजी, आते हैं, पता नहीं क्यों और क्या उनकी मंशा है इसलिए धौलपुर की तरफ किसी भी प्रकार का, किसी भी योजना के तहत कोई ध्यान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र बाड़ी दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, पथरीला इलाका है, कोई उद्योग नहीं है, पानी की और सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, डांग इलाका है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आयी है तब से डांग विकास की जितनी-भी स्कीमें थीं वे सारी बन्द कर दी गयी हैं। अभी पचपदरा से आने वाले मेरे पूर्व वक्ता अमरारामजी कह रहे थे कि बालोतरा में दो महाविद्यालय हैं, धौलपुर जिले में केवल एक महाविद्यालय है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जो लास्ट बोर्डर पंचायत समिति की है उससे धौलपुर के महाविद्यालय की दूरी 90 किलोमीटर है। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब इलाका है, रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, दसवीं और ग्यारहवीं पास करने के बाद में आखिर गरीब और मजदूर अपने बच्चों को आगरा और भरतपुर कैसे पढ़ाएं और कहां से पैसा लाएं? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूल 11 हैं, जिनमें लगभग 4000 बच्चे अध्ययन करते हैं और 4 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, उनमें लगभग 2500 बच्चे अध्ययन करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दसवीं और ग्यारहवीं के बाद में बच्चे अपने घर बैठ जाते हैं। शिक्षा के बारे में सरकार काफी गम्भीर है, ऐसा अखबारों के माध्यम से देखने को मिलता है लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले में जो क्राइम है वह निश्चित तौर पर शिक्षा के अभाव में है, ऐसा मेरा मानना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी मांग आज की नहीं है कालेज की, मैंने लगातार प्रत्येक सत्र में प्रश्न लगाये हैं और नकारात्मक उत्तर आये हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि अगर आपके मन में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के जिलों के जो भी प्रतिनिधि हैं वे भी बार-बार इस सदन में अवगत कराते रहते हैं कि आप भेदभाव कर रहे हैं, इस तरह की मंशा यदि नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि बाड़ी क्षेत्र में कालेज खोलने के लिए आज आप निश्चित तौर पर आश्वासन दें। इसके साथ निश्चित तौर पर मैं एक लाइन जरूर कहना चाहता हूं–

अतीत के कठोर हृदय पर जो कुटिल रेखाओं के चित्र खिंचे हैं, वे क्या कभी मिटेंगे? अगर भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हो तो कुछ रमणीय चित्र खींचिए और दूसरों को सुख देकर खुद सुखी रहने का अभ्यास कीजिए।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1998-99 व 1999-2000)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सी. पी. जोशी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई, 1998 से जून, 1999 एवं जुलाई, 1999 से जून, 2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहायता मंत्रीजी कल का स्टेटमेंट देना चाहते हैं। जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया वह तो हैं नहीं। (व्यवधान) आपने थोड़े ही उठाया था?

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : सर, हमने उठाया था, 1200 रुपये का और 1500 रुपये का...

श्री उपाध्यक्ष : हम तो दिला रहे हैं, हम थोड़े मना कर रहे हैं।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : यह आ गये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आग लगी जिस गांव में और 39 घर जल गये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : हमने वह सहायता राशि बढ़ाने के लिए मांग की थी।

शासकीय वक्तव्य

बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के ग्राम समेलो का तला में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ितों को सरकारी सहायता

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत 3 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव आपको दिया था, उस सम्बन्ध में कल आपने निर्देश दिये थे तब मैं हाउस में मौजूद नहीं था, कि इसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी कराएं।

महोदय, ग्राम समेलो का तला, तहसील चौहटन में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी सहायता का विवरण निम्नप्रकार है :

49 परिवारों के घरों में आग लगी है और उससे जो नुकसान हुआ है उसका विवरण यह है। केवराराम/बांकाराम मेघवाल, 7000 रुपये, शंकरराम/केवराराम, 7000 रुपये भंवराराम/केवराराम, 11900 रुपये। इसमें सहायता का मापदण्ड यह है कि जिसका कच्चा मकान जल गया और खराब हो गया उसको 6000 रुपये और उसके

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

साथ-साथ यूटेंसिल्स और कपड़ों के लिए भी पांच-पांच सौ रुपये प्रति परिवार है, उनको तो 7000 दिये हैं। लेकिन साथ ही मवेशी भी हैं, एक बकरी जिसकी जल जाती है उसको नार्म्स के हिसाब से 700 रुपये देते हैं, इसलिए उसमें कुछ फर्क आ रहा है। उसके कारण हैं, कि किसी की बकरी उसमें जल गयी तो उसका मुआवजा हमने दिया है। भंवराराम/ केवराराम, 11900 रुपये, चेतनराम/केवराराम, 7000 रुपये, जयमल/ बांका, 7000 रुपये, करीब-करीब सभी परिवारों को सात-सात हजार रुपये दिये हैं। जिनको ज्यादा दिये हैं वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। भोजा/ महेन्द्रा, 9800 रुपये, भरताराम/ बांकाराम, 8400 रुपये, हरलाल/बांकाराम, 8400 रुपये, और बाकी सबको 6000 रुपये मकान के लिए और पांच सौ रुपये यूटेंसिल और कपड़ों के लिए दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा 15 बोरी अनाज, 2 बोरी दाल, 50 किलो तेल, 50 कम्बल, 20 सैट बर्तन। कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर द्वारा 50 बोरी अनाज। श्योर संस्थान, बाड़मेर द्वारा प्रति पीड़ित परिवार को एक-एक टैण्ट। श्री युसुफ दानदाता द्वारा 50 चारपाई। बाड़मेर जिला विकास समिति द्वारा झोंपड़ा बनाने का सामान आदि के लिए 30,000 रुपये देने की भी उन्होंने पेशकश की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सर, अभी एक मिनट।

अभी मैं सदन में आ ही रहा था तो ओलावृष्टि के सम्बन्ध में भी यहां जिक्र किया गया था। मैं माननीय सदस्यों को निवदेन करना चाहता हूं कि मैंने कल ही सभी जिलाधीशों को निर्देश दिये हैं कि विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजें ताकि मुआवजे के बारे में सरकार कार्यवाही कर सके। रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मैंने आज फिर दुबारा आगाह किया है कि वे रिपोर्ट तत्काल भेजें ताकि कार्यवाही की जा सके।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र चौधरी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,02,45,46,000 (दस अरब, दो करोड़, पैंतालीस लाख, छियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री अमीन खान (शिव)

1. जिला बाड़मेर के सीमावर्ती रेगिस्तानी कस्बें गडरा रोड में मातृ शिशु चिकित्सालय में डाक्टर के पद रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

2. सीमावर्ती जिलों में विभाग द्वारा संचालित चिकित्सालयों में डाक्टरों, कम्पाउण्डरों व ए.एन.एम. के पद रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

3. सरकारी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं डाक्टरों के खराब आचरण के कारण रोगियों को मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जाने तथा अस्पतालों की बिगड़ती सफाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

4. जिला नागौर के सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त होने से मरीजों की समुचित देखभाल न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

5. जिला जालौर के सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञ के पांच पद, कनिष्ठ विशेषज्ञ के तीन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के दो व चिकित्सा अधिकारी के सात पद रिक्त होने से मरीजों का उपचार न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

6. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सिवरेज नागदी नदी में गंदा पानी जाने से जन स्वास्थ्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

7. बाड़मेर जिले के राजकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

8. कपिल चिकित्सालय नीमकाथाना में मरीजों की संख्या को देखते हुए डाक्टरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

9. राज्य में चिकित्सा व्यवस्था की माकूल व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

10. डूंगरपुर जिले में चिकित्सकों के पद लम्बे समय से रिक्त होने तथा जिले के गलेन्धर पाल, मेवाड़ा, पुनावाड़ा, खजूरी, महूड़ीपाल, बौड़ामली आदि ग्रामों पर प्राथमिक चिकित्सालय (पी.एच.सी.) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

11. विधान सभा क्षेत्र उनियारा के ग्राम अलीगढ़ में स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसूति गृह की व्यवस्था व महिला चिकित्सक की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. जिला टोंक की पंचायत समिति उनियारा व देवली में ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

13. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में संचालित कपिल चिकित्सालय को 100 बिस्तरों का बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

14. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के सरकारी चिकित्सालय में 100 बैड क्रमोन्नत होने के पश्चात् पैरामेडिकल स्टाफ के पद नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के सरकारी चिकित्सालय में डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ हेतु सरकारी आवासों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. ग्राम रामसर जिला अजमेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के सरकारी चिकित्सालय में "ब्लड बैंक" की सुविधा प्रदान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. नसीराबाद के सरकारी चिकित्सालय में रेडियोलोजिस्ट का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

19. राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाये जाने में राज्य सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

20. जिला अलवर तहसील मण्डावर क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने एवं मण्डावर होस्पिटल में सफाई एवं अन्य कमियां होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी)

21. बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालय बाड़ी सरमथुरा, आंगई में चिकित्सकों के पद रिक्त होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के रैफरल चिकित्सालय में रोगी वाहन, पलंग व गद्दे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

23. जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. जैसलमेर जिले में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. जैसलमेर जिले में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. जैसलमेर जिले में क्षय रोग चिकित्सालय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

28. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बबनगांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के जिला बारां के ग्राम रेलगवन में ड्रग औषधालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

30. जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31. जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर की बिल्डिंग में हो रहे पानी के रिसाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. श्रीगंगानगर के पुराना अस्पताल में शिशु व जनाना अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

34. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी व ग्राम सरवाड़ के चिकित्सालय में रोगी से सम्बन्धित समस्त सुविधा उपलब्ध कराने तथा चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के साथ ही क्षेत्र के चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

35. खारची विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुडा दुर्गा, उपरली निम्बड़ी, जोगडावास ठाकरवास, गुडा मौखम सिंह, राड झालरा, भीमालीया में सब सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. खारची विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुडा जेतावता, नया गांव, माडपुर, अणेवा, रायपुरिया, टोकरला, सेपटावा में सब सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. जिला पाली के मारवाड़ जंक्शन अस्पताल में एस.एम.ओ. के रिक्त पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

38. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के नीमोदा, दरा (मोरूकलां) टाकरवाड़ा, बमोरी गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. कोटा जिले के बड़ौद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. कोटा जिले के सांगोद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन एवं 100 शैय्याओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

41. चिकित्सा विभाग के उप निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक के पद हेतु की गई डी.पी.सी. नियमानुसार नहीं होने एवं डी.पी.सी. में एक विशेष वर्ग को लाभ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

42. विभागीय मंत्री के पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर सभी स्थानान्तरण की शक्तियां केन्द्रित होने के कारण प्रशासन के पूर्णतया निष्प्रभावी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. नर्सिंग प्रशिक्षणालयों द्वारा प्रवेश के नाम पर जनता में लूट मचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

44. जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के शल्य चिकित्सकों द्वारा निजी नर्सिंग होम में अवैधानिक रूप से शल्य चिकित्सा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

45. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा क्रय की गई पट्टियां, गाज बैंडेज, कम्बल एवं बैडशीट में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46. तहसील पीपल्दा के चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त ए.एन.एम., कम्पाउडर, स्टाफ नर्स के पदों से हो रही अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. राजकीय चिकित्सालय भपाना में एक चिकित्सक का पद और स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. राजकीय चिकित्सालय इटावा जिला कोटा में एम्बुलेंस व ई.सी.जी. मशीन खराब होने से मरीजों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

49. राजकीय चिकित्सालय भादरा जिला हनुमानगढ़ में सफाई की माकूल व्यवस्था एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. राजकीय चिकित्सालय भादरा में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), नेत्र चिकित्सक एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों के लिए सरकारी भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छानी बड़ी के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विभिन्न चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों उप केन्द्रों पर चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों, ए.एन.एम. आदि के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

54. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने, लाखेरी में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में चिकित्सक एवं नर्स की व्यवस्था करने एवं झालीजी का बराना, गेण्डोली व लवान में चिकित्सकों के पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

55. विधान सभा क्षेत्र दूदू के उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त ए.एन.एम. के पदों को भरने व डेपूटेशन पर अन्यत्र कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. नेशनल हाइवे पर स्थित दूदू चिकित्सालय में स्टाफ बढ़ाने एवं ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. दूदू विधान सभा क्षेत्र के नरेना चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा एवं क्षेत्र के ग्राम रसीली, सेवा, ठिण्ठा, कारेसीना में चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

58. चयनित परिवार तथा गरीब परिवारों के रोगियों को इलाज हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत कराने के लिए चिकित्सक से बीमारी के खर्चे का एस्टीमेंट बनाने में आ रही बाधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

59. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरथूना को क्रमोन्नत करने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

60. राजकीय सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डेला, गुहाला में महिला चिकित्सक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम निमेड़ा, गुरारा, भगोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

62. ग्रामीण क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित नर्स व दाईयों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों की ओर अधिक नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)

64. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटपूतली में ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा)

65. रैफरल चिकित्सालय निम्बाहेड़ा में सुविधा का विस्तार करने व छोटी सादड़ी में चिकित्सालय एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

66. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में वाहन, एम्बुलेंस व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

67. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ग्राम जावदा में औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने तथा रावत भाटा, लाडपुरा, नन्दलाई एवं बेगूं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु बजट आबंटन करने एवं औषधालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

68. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम जारोड़ा, मोकाला, बड़गांव, बासनी सेजा, लाम्पोलाई, मोररा, धांधलास, रोहिसा, लीलियां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र मेड़ता सिटी में 100 शैय्या की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

71. सीकर जिले के ग्राम मुण्डवाड़ा एवं माण्डोता उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. राज्य में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. राज्य में प्राइवेट नर्सिंग होमों पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं होने से राज्य की जनता से की जा रही मनमानी लूट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74. सीकर जिले के लोसल ग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं करने एवं एक्स-रे मशीन चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. सीकर जिले में नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

76. राज्य के विभिन्न जिलों में प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के पद पर वरिष्ठता के आधार पर न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर)

77. ग्राम गांगवा तहसील परबतसर में भामासा द्वारा निर्मित भवन में चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. ग्राम मोरड़े तहसील मकराना में भामासा द्वारा बनाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ हेतु गांवों में स्वास्थ्य उप केन्द्र (सब सेन्टर) खोलने के लिए बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर)

80. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में राजस्थान भामासा द्वारा निर्मित चिकित्सालय भवन में प्राथमिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. ग्राम बाजवास तहसील परबतसर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

82. बालोतरा शहर, पाटोदी और आराबा चौहान में चिकित्सकों को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. ग्राम पंचायत सराणा व लखड़ी पंचायत मुख्यालयों पर एडपोस्ट सब सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली)

84. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में एम.आर.आई. एवं ट्रांसईसोफिजी-यलईको कार्डियाग्राफी उपकरण लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

85. राज्य में जनसंख्या नीति का सही क्रियान्वयन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

86. सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में हुए गबन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. चूरू के रतननगर रैफरल चिकित्सालय में लम्बे समय से पैरामेडिकल स्टाफ के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88. राज्य के किसी भी मेडिकल कालेज में एम.आर.आई. की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

89. नर्सिंग ग्रेड-II में 568 कर्मचारियों को जनवरी, 2000 से मात्र रुपये 4500/- मासिक पर सेवा में लगाये रखने, नियमित ग्रेड देने एवं स्थाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90. नर्सिंग ट्रेनिंग किये हजारों युवकों को रोजगार से वंछित रहने एवं चिकित्सालयों में नर्सिंग के हजारों पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विभिन्न चिकित्सालयों एडपोस्ट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों से एवं अन्य सुविधा के अभाव से नागरिकों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92. बड़ी सादड़ी मुख्यालय में स्थित चिकित्सालय में डाक्टरों के अभाव से आउटडोर एवं इनडोर मरीजों की संख्या कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

93. बड़ी सादड़ी में चिकित्सकों के रिक्त पदों से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

94. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर (अलवर) के ग्राम अजरका में सब सेन्टर के स्थान पर एडपोस्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के ग्राम नागल बावला में सब सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर (अलवर) के ग्राम राजवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने तथा अस्पतालों की सफाई व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

98. अटरू विधान सभा क्षेत्र में एडपोस्ट औषधालय व उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

99. अटरू (जिला बारां) विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों, एडपोस्ट औषधालयों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में लम्बे समय से पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. अटरू (बारां) के अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों का स्टाफ होने के बावजूद भी अस्पताल में अव्यवस्था होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द)

101. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में सामुदायिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पद भरने, ब्लड बैंक खोलने व 50 शैय्याओं की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

102. कस्बा सीकरी एवं पहाड़ी में रैफरल अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. मलेरिया बचाव के लिए गठित टीमों में कमी करने एवं समय रहते डी.डी.टी. के छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

104. तहसील नगर एवं पहाड़ी सहित सम्पूर्ण भरतपुर जिले में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. सुन्दरावली, मूण्डिया व गोपालगढ़ में निर्मित नये चिकित्सालय भवनों में अस्पताल शिफ्ट नहीं करने से हो रही जन असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र नगर व गोपालगढ़ के चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी नहीं होने से हो रही जन असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

107. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादरू तहसील सिवाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम कूम्पावास, सावरड़ा, सिरियादेव नगर, सामूजो में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

109. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र जिला बारां के ग्राम काकड़दा में ड्रग औषधालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

110. अजमेर शहर में अत्यधिक गंदगी व कचरे के ढेरों से पैदा होने वाले मच्छरों से होने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

111. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में चिकित्सकों की कमी एवं दिनों-दिन बढ़ती रोगियों की संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

112. मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष एवं मुख्य मंत्री सहायता कोष से हृदयरोग

(श्री ललित भाटी)

सम्बन्धी चिकित्सा हेतु दी जाने वाली सहायता राशि के प्राप्तकर्ताओं को सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में उठायी जाने वाली परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

113. अजमेर सम्भाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, में कैथ लेब एवं हृदय रोग सम्बन्धी आपरेशन शुरू करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने एवं धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. सैटेलाइट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करने तथा धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

115. राजगढ़ जिला चूरू में फूलचन्द राजगढ़िया रैफरल चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. फूलचन्द राजगढ़िया रैफरल चिकित्सालय, राजगढ़ (चूरू) के भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. राजगढ़ (चूरू) तहसील के गांव लम्बोर छोटी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. फूलचन्द राजगढ़िया रैफरल चिकित्सालय राजगढ़ (चूरू) में हड्डी रोग, आंख, कान, नाक व गला विशेषज्ञों के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. फूलचन्द राजगढ़िया रैफरल चिकित्सालय, राजगढ़ (चूरू) में एक्स-रे मशीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

120. झुंझुनूं जिले के मुख्यालय पर स्थित बी.डी. के अस्पताल की, की गई दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

121. झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर कस्बे के चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति पर चर्चा के लिए।

122. झुंझुनूं जिले के ग्राम पातूसरी में रिक्त कम्पाउडर के पदों के कारण जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

123. एक बहुत कनिष्ठ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोर्ट से स्टे लेकर पद पर होने से फैले असंतोष पर चर्चा के लिए।

124. झुंझुनूं जिले के कस्बे बगड़ के राजकीय अस्पताल की जर्जर हालात को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी)

125. जिला धौलपुर के बाड़ी अस्पताल में टायलेट (बाथरूम) नहीं होने से मरीजों, आगन्तुओं तथा महिलाओं को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

126. जिला धौलपुर के बाड़ी अस्पताल के परिसर में आगन्तुओं के लिए अलग से बैठने एवं प्रतीक्षालय की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. बाड़ी अस्पताल में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

128. गांवों में चिकित्सा सुविधा के लिए अधिक से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिन ग्रामों की जनसंख्या दो हजार से अधिक हो वहां नीतिगत निर्णय लेकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

129. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में चिकित्सकों को क्रमोन्नत करने एवं नये चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के आदिवासी, ग्रामीण एवं गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के चिकित्सालयों में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र प्रतिनियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

134. सवाई मानसिंह अस्पताल में अनेक उपकरण बिना उपयोग के पड़े रहने एवं खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

135. चिकित्सकों के स्थानान्तरण कर, स्थानान्तरण किये बिना किसी कारण के निरस्त करने एवं ऐसे प्रकरणों में भ्रष्टाचार के आरोप लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

136. डूंगरपुर जिले में ज्यादा से ज्यादा एड पोस्ट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. नगरपालिका डूंगरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)

138. सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के कार्डियोथोरेसिक विभाग में खराब पड़े उपकरणों से रोगियों को होने वाली हानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

139. सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल ओन्कोलोजी, सरजीकल, ओन्कोलोजी, एंडोक्रोनोलोजी व सरजीकल गेस्ट्रो एंट्रोलोजी की नवीन इकाइयां प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. राजस्थान के दूरस्थ ग्रामों में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए पृथक् से "ग्रामीण चिकित्सा सेवा" के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. सारे राजस्थान में एनेसथिसिया विशेषज्ञों की भारी कमी को देखते हुए प्रदेश के मेडिकल कालेजों में एम.डी. (एनेसथिसिया) व डी.ए. (डिप्लोमा एनेसथिसिया) पाठ्यक्रमों में वर्तमान निर्धारित सीटों को दुगुना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. जोधपुर मेडिकल कालेज में कार्डियोलोजी विभाग के उन्नयन एवं कार्डियोथोरेसिक सरजरी विभाग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

143. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पदराड़ा को रैफरल हास्पिटल बनाये जाने एवं दूर-दराज के गांवों में संचालित सब सेन्टर से एडपोस्ट में क्रमोन्नत करने एवं बिखरी आबादी में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूलाल खटीक (गंगरार)

144. बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत होने पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार पद स्वीकृत नहीं होने तथा सुविधाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

145. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राशमी तथा गंगरार विधान सभा क्षेत्र में प्रसवोत्तर सेवा केन्द्र (पी.पी.सी.) की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा)

146. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की उपलब्धता हेतु डाक्टरों एवं उपकरणों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

147. राज्य में चिकित्सा की बदहाल स्थिति एवं शिवगंज अस्पताल की क्षमता तीस से बढ़ाकर पचास शैय्या करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

148. सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में एम.आर.आई. मशीन एवं दूरबीन से शल्य चिकित्सा न करने से मरीजों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

149. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जे.के. लोन एवं जनाना अस्पताल जयपुर में साइकल स्टेण्डों पर निर्धारित किराया राशि से अधिक राशि वसूलने से आगन्तुओं को हो रही असुविधा के बावजूद सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. जे.के. लोन अस्पताल जयपुर में वर्ष 1999-2000 व 2001-2002 में दिये गये सफाई ठेके में भारी अन्तर एवं अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

151. झंवर पीडियाट्रिक गेस्ट्रोएंट्रोलोजी सेन्टर जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर में निर्धारित क्षमता से कम मरीज भर्ती किये जाने से मरीजों को हो रही असुविधा एवं निर्धारित मापदण्डों से अधिक स्टाफ पदस्थापित किये जाने से राज्य सरकार पर पड़ रहे आर्थिक भार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

152. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की हृदय इकाई में मरीजों के साथ एंजयोलास्टी में की गई धोखाधड़ी का मामला उजागर होने के बावजूद चिकित्सकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली)

153. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के ग्राम तालेड़ा, गोठड़ा, हिण्डौली के राजकीय चिकित्सालयों में महिला एवं पुरुष डाक्टर्स लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में राजकीय चिकित्सालय भवन की मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

155. पोलियो उन्मूलन के नाम पर तहसील बस्सी के डाक्टरों द्वारा की गई लापरवाही से गलत आपरेश करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

156. सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र बस्सी जिला जयपुर के प्रस्तुति कक्ष व अन्य अस्पतालों की सफाई के साजोसामान, चिकित्सा का उचित वातावरण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

157. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी में एक्स-रे मशीन एवं लेबोरेटरी में वर्ष 1999 से अब तक के मरीजों को दी गई सेवा पर चर्चा के लिए।

158. राजकीय तूंगा अस्पताल को क्रमोन्नत एवं एक्स-रे मशीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वा में बाउण्डरीवाल के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन। (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मांग संख्या-26 के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सवाल है, मैं बिना किसी भूमिका के निवेदन करूं, राजस्थान में चिकित्सा. सुविधाओं का विस्तार हुआ है, यहां तक कि गांवों में भी डिस्पेंसरी, एड पोस्ट और उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से भी केन्द्र खोले गये हैं। चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के साथ साथ मानदण्ड वृद्धि भी हुई है।

राजस्थान में सबसे बड़ा हास्पिटल सवाई मानसिंह हास्पिटल है और यहां इस प्रदेश के ही नहीं बाहर के दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर चिकित्सा करवाते हैं। इसके संदर्भ में मेरा निवेदन है कि आपमें से किसी भी माननीय सदस्य को

(13.21 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

जाने का मौका मिला हो और वहां देखने का कहीं पर अवसर लिया हो तो मालूम पड़ेगा कि सवाई मानसिक अस्पताल में इतने मरीज भर्ती रहते हैं कि उनके बैठने के लिए, आने-जाने के लिए, डाक्टरों के लिए भी इधर-उधर जाने को जगह नहीं मिलती है। हड्डी वार्ड का तो देखते ही बहुत बुरा हाल है। वहां पर बैड के नीचे भी और गलियारे में भी लोगबाग पड़े रहते हैं। इसके विस्तार के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नारायण सिंह सर्कल के पास जो डी.जी. का रेजिडेंस है वहां तक इस एस.एम.एस.

(श्री रामचन्द्र सराधना)

हास्पिटल को विस्तारित कर दिया जाए, इसकी बिल्डिंग बना दी जाए तो मैं समझता हूं, इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को लाभ भी मिलेगा और यहां पर जिस तरीके से, जिस रूप में रोग के विशेषज्ञ डाक्टर हैं उनका लाभ लिया जा सकेगा।

सरकार ने चिकित्सा के संदर्भ में नयी सोच डवलप की है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कांग्रेस के शासन को, कांग्रेस की सरकार को कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से एक योजना बनाकर राजस्थान की बी.पी.एल. फैमिलीज को लाभ देने की कोशिश की है। यह बात सत्य है कि गरीब का भला करने के लिए हर सरकार ने, केन्द्र से लेकर राज्यों की सरकारों ने, सबने अपने प्रयास किये हैं और उनको किसी न किसी रूप में लाभ देने की कोशिश की है, जीविकोपार्जन करने का साधन भी दिया है। लेकिन पहली बार राजस्थान की सरकार ने यह महसूस किया है कि उस गरीब को जीविकोपार्जन का साधन तो दिया, लेकिन यदि वह बीमार हो गया तो उसकी क्षमता नहीं है कि वह कहीं अपना इलाज करा सके। उस बात को देखकर, उस बारीकी से इस बात को महसूस करके इस राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जीवन रक्षा कोष के माध्यम से बी.पी.एल. फैमिलीज को लाभ देने की कोशिश की है। उसमें लाख, दो लाख, तीन लाख जितना पैसा लगता है वह राजस्थान की सरकार वहन करती है। इसके लिए राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है। बी.पी.एल. फैमिलीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनका बी.पी.एल. की लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है और वे गरीब हैं, वस्तुतः गरीब हैं, कई कारणों से उनका नाम का चयन नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए भी सरकार ने अपनी तरफ से छूट दे रखी है कि 40 परसेंट पैसा उसके खर्चे में से राजस्थान सरकार उसको मुहैय्या कराएगी। मैं इसके लिए भी इनको धन्यवाद देने की कोशिश करता हूं।

दूसरी, एक नयी बात आ रही है, राजस्थान की जनता यह महसूस करती है कि और स्टेट्स में जैसे धूम्रपान पर पाबंदी लगायी गयी है, यहां राजस्थान में गुटका पर भी पाबंदी लगायी जानी चाहिए। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली जो नयी पीढ़ी है वह इसकी बहुत गम्भीरता से शिकार हो रही है। आप देखते हैं, आप भी बाजार से निकलते हैं, हम सब लोग देखते हैं इस बात को कि पान की थड़ी पर, छोटी छोटी दुकानों पर इस कदर लेबल लगे हुए हैं अच्छे-अच्छे गुटके के नाम से, वे लटके रहते हैं, अनायास छोटे बच्चे, नयी पीढ़ी के लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और यह बुरा व्यसन उनको लग जाता है जिसके कारण जीवन संकट

(श्री रामचन्द्र सराधना)

में पड़ जाता है। रोजाना देखते हैं, टी.वी. के माध्यम से भी स्वास्थ्य विभाग इस बात का प्रसारण करता है कि यह बहुत बुरा रोग है, इसको नहीं खाना चाहिए, गुटका नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जिस तरह से केरल में सरकार ने लगा दी उस तरह से राजस्थान में भी गुटके पर पाबंदी लगनी चाहिए।

मान्यवर, सैम्पल की दवाइयों के बारे में मैं निवेदन करूं, बहुत सारी सैम्पल की दवाइयां और गरीबों को दी जाने वाली हास्पिटल में जो दवाइयां भेजी जाती हैं, उन दवाइयों पर रोक होनी चाहिए। वे मैंने कई मेडिकल स्टोर्स पर बिकती हुई देखी हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि जो चींटियों को आटा डालने के लिए दिया जाता है उसको भी लोग चोर लेते हैं। गरीब लोगों के लिए जो दवाइयां अस्पतालों में भेजी जाती हैं वह मेडिकल स्टोर पर बिकती हैं। उसका कोई कारगर उपाय नहीं है, कहीं भी प्रापर इंस्ट्रक्शन उनके नहीं हैं ताकि कहीं पर उनकी रोक हो सके और उनको डर भी हो सके कि कोई हमको पकड़ लेगा तो क्या होगा। इसलिए इस पर भी रोक लगनी चाहिए।

एक बहुत बड़ी बात है। कुछ दिनों पहले राजस्थान की सरकार ने अपना मंतव्य व्यक्त किया था और यह बताया था कि जो आदमी ए बी सी डी नहीं जानता वह एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करके लोगों का इलाज कर रहा है। नीम हकीम इलाज करते हैं। गांव वाला या उसके परिवार वाला आदमी जाकर उस डाक्टर साहब के सामने बैठ जाता है कि आप हमारे इस मरीज का इलाज कीजिए, इसके जीवन की रक्षा कीजिए। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाइयों का नाम नहीं जानते, दवाइयों के बारे में नहीं जानते और यहां तक कि कभी उन्होंने इस चिकित्सा के क्षेत्र में कोई क्लास में जाकर बैठने की कोशिश नहीं की, उनको मौका नहीं मिला और वे उनके प्राणों की रक्षा करने की कामना करते हैं। उन पर पाबंदी लगाने का बहुत बड़ा सोच डवलप हुआ राजस्थान सरकार का और एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। राजस्थान की जनता ने इस बात की तरफ बड़ी आशा जतायी कि इन नीम हकीमों पर पाबंदी लगेगी। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कई डाक्टर्स ऐसे बैठे रहते हैं जिनके पास मरीज नहीं जा पाते हैं और ये अली-गली में रहने वाले नीम हकीम उनको इधर-उधर से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और उनका लाभ भी नहीं मिल पाता है। इन नीम हकीमों पर पाबंदी करने के लिए अपना मंतव्य व्यक्त करते ही दो-तीन दिन में वापस स्थगित करना पड़ा। ऐसी क्या आफत आ गई थी? मान्यवर, यह जनहित का मामला

(श्री रामचन्द्र सराधना)

है। यदि राजस्थान की सरकार इस मामले में पीछे हट जाती है तो मैं समझता हूं यह उनकी कमजोरी है। नीम हकीम जो रोगी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं और यदि ये कोई बात करें, इस बात को यों समझें कि यह तो बेरोजगारी मिटाने का काम था कि ये बेरोजगार हो जाएंगे, तो किसी के जीवन को बरबाद करने के लिए रोजगार ले रहे हैं? यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मसले के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को कि नीम हकीमों पर निश्चित रूप से पाबंदी लगायी जानी चाहिए। रोजाना अखबारों के माध्यम से आ रहा है कि यूनानी चिकित्सक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यूनानी चिकित्सक यूनानी चिकित्सा सीखता है, आयुर्वेदिक चिकित्सक आयुर्वेद की चिकित्सा सीखता है। आयुर्वेद का चिकित्सक यदि एलोपैथिक चिकित्सा करता है या एलोपैथिक वाला आयुर्वेदिक चिकित्सा करता है तो उसको उसका अधिकार नहीं है। जो शिक्षा उसने ली है उस शिक्षा के संदर्भ में जो वह जानता है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने राजस्थान की सरकार में यह विरोध जताया है और उसके विरोध के कारण यदि राजस्थान की सरकार इस मामले में झुकती है तो मैं समझता हूं यह बड़ा दुःखद विषय है, राजस्थान की जनता के साथ में खिलवाड़ है।

मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ। जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं लम्बा न कह कर एक निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में कितना भी विकास हो, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे आप अच्छी चिकित्सा की बात करें, चाहे और कोई सुविधा की बात करें जब तक जनसंख्या का बढ़ना नहीं रोकेगा, परिवार कल्याण के कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं समझता हूं एक गाड़ी बनने में एक मिनट नहीं लगता, लेकिन एक गाड़ी की सवारी एक मिनट में पैदा हो जाती है। यह सोचने का विषय है। कितने ही अस्पताल खोलें, कितने भी स्कूल खोलें, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में मैं पूर्व सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी गम्भीरता से इस विषय को लिया और पंचायती राज के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए योग्यता में रख दिया कि 1995 के बाद में यदि तीसरे बच्चे का किसी मां-बाप के यहां जन्म हो गया है तो वह पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, लोगों को सोचने का मौका मिला है, लोगों ने सोचा है। यह गम्भीर विषय था इसलिए पूर्व सरकार ने भी किया और वर्तमान सरकार ने भी

(श्री रामचन्द्र सराधना)

इस मुद्दे पर अपनी कोशिश की है। बालिका समृद्धि के लिए और प्रसूति लाभ के लिए कई मुद्दे आपने भी लिये हैं, जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पहले भी 1974-75 में जब इंदिराजी देश की प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया पर बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, और उस विरोध का असर यह हुआ कि देश में कांग्रेस की सरकार उस समय चली गयी और दूसरी सरकार आ गयी। लेकिन अच्छे मुद्दे के कारण यदि सरकार को जाना भी पड़े तो भली जाए। यह कांग्रेस की सरकार का बहुत बड़ा वादा रहा जनता के साथ में लम्बा लाभ देने के लिए। उसी स्थिति में आज राजस्थान में यदि कोई कठोर कदम उठाकर जनसंख्या को नियंत्रण करने की कोशिश की गयी और अच्छा कदम उठाया गया तो मैं समझता हूं, जनता के लाभ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसमें दिक्कत यह आती है कि कोई वर्ग तो ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करता है और कई वर्गों के बारे में कहा जाता है कि ये नहीं करते इसलिए ऐसा मौका तलाश करना चाहिए, ऐसी एक विधि निकालनी चाहिए, चाहे आप राज्य सरकार की नौकरी देने में पाबंदी लगाएं, चाहे उसके प्रमोशन में पाबंदी लगाएं, चाहे उसको कृषि, विद्युत कनेक्शन देने में पाबंदी लगाएं कि तीसरे बच्चे वाले को नहीं दिया जाएगा, इन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यहां तक करना पड़े कि यदि मतदान का अधिकार दिया जाएगा तो तीसरे बच्चे वाले को उसके बाद नहीं दिया जाएगा। ऐसा कठोर कदम भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से सबसे बड़ा भार है तो जनसंख्या का है और सबसे बड़ा खतरा है तो हमारी जनसंख्या का है। हम हमारे बोझ से ही टूटेंगे और हमारे बोझ से ही मरेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को कि इस परिवार नियोजन पर, परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर दृढ़ता से अपना रूख अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम जैन।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति जी।

श्री सभापति : हुकुम फरमाइये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : परिवार नियोजन का किसी को विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि नियम में समानता नहीं है। एक वर्ग के लिए कुछ नियम हों और दूसरे वर्ग के लिए कुछ नियम हों, यह विरोधाभास है। इस विरोधाभास को सरकार समाप्त करे तो इसमें सभी की सहमति है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा, अभी जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि कोई कठोर कानून बनाना चाहिए, तो राजस्थान की सरकार ने एक कानून बनाया है कि एक जून, 2002 के बाद जिसके भी तीसरा बच्चा होगा तो राजस्थान सरकार की सेवा में वह नहीं आ सकेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम जैन। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले वाले की बात ज्यादा बात हुई।

श्री सभापति : आप तो बोलोगे। ये बोलेंगे, आप भी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपस्थित नहीं थे तो दूसरे का नाम पुकारो आप।

श्री सभापति : आप भी बोलोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलेंगे तो सही। वह तो आपकी आज्ञा होगी तभी बोलेंगे।

श्री सभापति : माननीय घनश्यामजी।

श्री रतनाराम चौधरी : 2002 की यह बात तो हमारी सरकार ने सोची है, आपने तो पूरा वादा किया था चुनाव के रूप में समान अधिकार का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : वह समान अधिकार आपका कहां गया?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : 370 का कहां गया? आपने जो-जो वादे किये थे वह सैंट्रल सरकार सारी...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब आप सारे ही इंसान हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : वे मुद्दे कहां गये? (व्यवधान) क्योंकि कहना आसान है उसकी पालना करना बड़ा मुश्किल है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको साढ़े तीन साल हो गये, आप क्यों +++?

श्री रतनाराम चौधरी : आप तो दर्पण में मुंह देखो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब तो साढ़े तीन साल हो गये, अब काहे के लिए +++? (व्यवधान) हमारी सरकार ने क्या किया? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रतनाराम चौधरी : और मुद्दे क्या हों? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनकी मूंछें नीची हैं, मेरी मूंछें ऊपर हैं, सुन लो। मेरी बात सुन लो कि साढ़े तीन साल हो गये हैं आप क्यों +++ हमारी सरकार को? अब तो आपकी सरकार को साढ़े तीन साल हो गये।

श्री सभापति : बिराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : xxx

श्री सभापति : आपका कथन अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामस्वरूप : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य। आप बिराजिए, आपको मौका मिलेगा। आपको मौका मिलेगा, बिराजिए आप।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय पर चर्चा हो रही है, मैं भी इस मुतल्लिक कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी का कि उन्होंने इस मद में 1054 करोड़ रुपये का प्रावधान रखकर वास्तव में राजस्थान की चिकित्सा सेवा में प्रगति करने का विचार रखा है। इसके अलावा भी कई विषय हैं जैसे राजमार्गों पर तत्काल सेवा; शाहपुरा, दूदू, रींगस, चाकसू, ऋषभदेव, महुवा में एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था; सभी उप खण्डों पर ब्लड बैंक की स्थापना, 200 सब-सेंटर को क्रमोन्नत करना। यह कम है, स्वास्थ्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके कुछ डिस्पेंसरियों और पी.एच.सी. की घोषणा करने का कष्ट करें। जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना ऐसा कार्यक्रम है जिससे लगता है कि वित्तीय संकट होने के बावजूद भी अनिवार्य सेवाओं पर ध्यान रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र में आता हूं उसमें दो पंचायत समितियां हैं, एक पंचायत समिति बेगूं है, एक पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ है। भैंसरोडगढ़

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री घनश्याम जैन)

पंचायत समिति में 111 गांव माडा के हैं और उस क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि 35 वर्ष पुराना राणा प्रताप सागर बांध बना, उस पठार पर उन लोगों को बसाया गया जिनकी जमीनें डूब में आईं। डूब में आने के बाद लोगों को वहां बसाया गया, पर न सड़क सुविधा है, न यातायात सुविधा है। मैं सोचता हूं, शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसी स्थिति कहीं नहीं होगी जैसी मेरे क्षेत्र की है, स्वास्थ्य की दृष्टि से। रावतभाटा से 90 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र में कम से कम 9 पंचायतें हैं जैसे मंडेसरा, लुहाड़िया, आगरा, राजपुरा, जावदा, टोलो का लुहारिया, देवपुरा, बलकुंडी, जवाहरनगर। इस तरह से 9 पंचायतों के क्षेत्र में 90 किलोमीटर का लम्बा चौड़ा क्षेत्र है जहां न सड़क है न यातायात सुविधाएं हैं किसी तरह की। चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उसकी वजह से आम जनता में जो कि गरीब लोग हैं, भील जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, उनको आवागमन की ज्यादा दिक्कत रहती है। कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। अभी 10 दिन पहले भंडाई गांव में एक ऐसा ही हादसा हुआ। वहां टी.बी. के कई पेशेंट निकले और विगत दो-तीन सालों में कम से कम 20-25 मौतें हुईं। माननीय चौधरी साहब से मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, और मैं फिर उनसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां भीलों की आबादी है और रोजी-रोटी का साधन भी उनके पास नहीं है। मेहरबानी करके या तो डिस्पेंसरी की आज ही घोषणा करें या एक पी.एच.सी. की घोषणा करें। यह वास्तव में बहुत सामयिक और बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके तीनों ओर मध्य प्रदेश की सीमा है। गरीब व्यक्तियों के लिए अगर आप इसको करेंगे तो मैं सोचता हूं बहुत ही उपकार का काम होगा।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में रावतभाटा जैसी जगह है, रावतभाटा की आबादी 60 हजार है और वहां सन् 1985 में डिस्पेंसरी की घोषणा हुई। आज वह अस्पताल एक छोटे-से कमरे में चल रहा है, केवल एक डाक्टर है। रावतभाटा नगरपालिका ने करीब तीन साल पूर्व निःशुल्क भूखण्ड भी दिया है लेकिन वित्तीय संकट बार-बार आने की वजह से वहां भवन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है। 17 साल बाद भी यदि वित्तीय प्रावधान नहीं रख पाये हैं तो मैं सोचता हूं, यह हमारे लिए सोचने की बात है। रावतभाटा जैसी जगह जिसको मिनी इंडिया कहते हैं, जो अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यदि वहां भी हम भवन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारे लिए यह बहुत बड़े शर्म की बात होगी।

लाडपुरा डिस्पेंसरी, इसकी स्वीकृति भी शायद 1980-81 में हुई और आज तक वहां भी भवन नहीं है। मेरा आग्रह है माननीय चौधरी साहब से, चिकित्सा

(श्री घनश्याम जैन)

मंत्रीजी से कि मेहरबानी करके रावतभाटा और लाडपुरा डिस्पेंसरी के लिए आवश्यक भवन निर्माण हेतु बजट प्रावधान इसी वर्ष रखने का कष्ट करें। इसके अलावा वहां रावतभाटा जैसी बड़ी जगह में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद नहीं हैं जो कि बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए मेहरबानी करके यहां स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद सृजन कर पोस्टिंग कराने का कष्ट करें। इसके अलावा बेगूं पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर उप खण्ड कार्यालय पर भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। मेरा जहां तक अंदाज है, यहां स्टेट की टाइम का भवन बना हुआ है, सरकार की तरफ से कोई 5-10 लाख रुपये भले ही उसमें लगे होंगे, बाकी भवन के खाते में एक नया पैसा सरकार की तरफ से नहीं लगा है। न वहां मोर्चरी की व्यवस्था है न डाक्टर्स के क्वार्टर्स की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में जहां 500 के लगभग मरीज हमेशा आउटडोर में होते हैं, कई सुविधाओं का अभाव है। मेरा निवेदन है माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि इस हेतु भी भवन निर्माण के लिए आवश्यक बजट दिलाने का कष्ट करें।

नदबई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उस भवन की स्थिति ऐसी है कि जर्जर होकर इस बरसात के समय में पूरा भवन नीचे गिर चुका है। डाक्टर आज भी बाहर बैठकर इलाज की पर्चियां बनाते हैं। ऐसा नहीं हो कि फिर हादसा हो जाए और वह कब्रगाह का रूप ले ले। इसलिए नदबई के लिए भी आवश्यक बजट दिलाने का कष्ट करें।

जैसा अभी हमारे जमवारामगढ़ से आने वाले महानुभाव ने फरमाया, जनसंख्या नियंत्रण वास्तव में बहुत आवश्यक है। जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं सोचता हूं कि प्रभावशाली नहीं रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके इस ओर आवश्यक ध्यान फरमाकर प्रभावी कदम उठाने का कष्ट करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, आज सदन में ऐसे संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है जिसका सम्बन्ध आम व्यक्ति के जीवन से है। सभापति महोदय, 1952 के पश्चात् किसी भी दल की कोई भी सरकार बनी हो, अरबों रुपये निवेश के पश्चात् आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा राजस्थान आज भी बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा है। देश के पैमाने पर जब स्वास्थ्य मापदण्ड की चर्चा होती है तो जन्म दर हमारी सबसे ज्यादा, मृत्यु दर ज्यादा, मातृ मृत्यु दर ज्यादा, शिशु मृत्यु दर ज्यादा, प्रजनन दर हमारी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रीजी, ये सारे आंकड़े यह बताते हैं कि राजस्थान के अन्दर आम व्यक्ति का स्वास्थ्य, राजस्थान प्रदेश का स्वास्थ्य जो हमारे हैल्थ इंडीकेटर्स हैं उनके अनुसार ठीक नहीं है।

श्री नारायण सिंह : आपका स्वास्थ्य तो ठीक हो गया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, बिलकुल बताऊंगा। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं उस चीज की भी चर्चा करूंगा। जब यह सारा कार्यभार हमारे पास था तब हमने क्या किया और इन साढ़े तीन वर्षों में आपने इस चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर कितना किस तरह का निवेश किया, किस तरह का बजट का प्रावधान किया है, कितने आपने प्राथमिक चिकित्सालय खोल दिये। इन सारी चीजों का भी मैं जिक्र करूंगा।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर जन्म दर 31.1 है और देश में औसत 26.1 है। मृत्यु दर 8.4 है और देश में 8.7 है। शिशु मृत्यु दर 81 प्रति हजार है और भारत में 70 प्रति हजार है। कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट है वह हमारी 3.7 और भारत में 2.8 है। सभापति महोदय, इन सारी चीजों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उस कारण के बारे में मेरे से पूर्व बोलते हुए दो माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया है। चिकित्सा मंत्रीजी, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या नीति, चाहे उसका ढिंढ़ोरा हम कितना भी पीटें, हम उस नीति का क्रियान्वयन जिस प्रकार होना चाहिए उस तरह नहीं कर पाये। हम सीमित परिवार की अवधारणा को राजस्थान के आम-अवाम तक नहीं पहुंचा पाये। हम सामाजिक वातावरण नहीं बना सके, हम राजनीतिक कारण नहीं बना सके। मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कोई राजनीतिक आधार पर नहीं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर पूरे सदन को चाहे कोई माननीय सदस्य किसी भी दल का रहा हो, सब को मिलकर समग्र रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर समग्र चिंतन नहीं होगा तो हम विकास की कितनी ही योजना बनाएं, विकास की सारी योजनाएं बढ़ती हुई जनसंख्या लील कर जाएगी और विनाश को उगलने का काम बढ़ती हुई जनसंख्या करेगी।

हमारी पिछले वर्षों में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि रही है वे भी आंकड़े अगर हम देश के पैमाने पर देखें तो, सभापति महोदय, एक तरह से राजस्थान ने रिकार्ड बनाया है जनसंख्या वृद्धि के अन्दर। 1951 से 1961 प्रति वर्ष राजस्थान की आबादी में 4 लाख नए मेहमान आते थे। 1961 से 1971 तक यह संख्या बढ़कर 5 लाख 60 हजार हो गयी। 1971 से 1981 तक दशकीय वृद्धि बढ़कर 8 लाख 6 हजार हो गयी। 1981 से 1991 तक यह बढ़कर 10 लाख हो गयी और 1991 से 2001 तक राजस्थान की धरती पर प्रति वर्ष, मैं एक वर्ष की बात कर रहा हूं, 14 लाख नये मेहमान आ रहे हैं और इसी कारण से आज हमारी आबादी का आंकड़ा 5 करोड़ 64 लाख से आगे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बढ़ रहा है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इन सारी चीजों पर अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। यहीं नहीं, इस देश के समक्ष अगर सबसे बड़ा कोई संकट है और सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या है। हमारे इस देश के अन्दर डेढ़ सैकण्ड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक मिनट में 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक घंटे में तीन हजार और सुबह से शाम एक पूरा चक्र घूमता है तो 72 हजार बच्चे इस देश की धरती पर आ जाते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों के बाद जो चिंताजनक बात है, पिछले दशक के अन्दर 1991-2001 में जो जिले सबसे पिछड़े हुए हैं, आज पिछड़े जिलों के अन्दर मरूस्थलीय जिले आते हैं। हमारा सीमावर्ती जिला है, जैसलमेर, हमारा सीमावर्ती जिला है बाड़मेर और हमारा सीमावर्ती जिला है, बीकानेर। आज जैसलमेर के अन्दर 47.45 प्रतिशत आबादी बढ़ी है एक दशक के अन्दर। बाड़मेर के अन्दर 36.83 बढ़ी है और बीकानेर के अन्दर 38.18 प्रतिशत आबादी बढ़ी है। यह सारी स्थिति हमें एक विस्फोटक स्थिति की तरफ इंगित करती है कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर जनसंख्या वृद्धि को हम इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। हम पहुंच कहां रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपने जनवरी, 2000 में जनसंख्या नीति बनायी, निश्चित तौर पर जनसंख्या नीति बनाइये, और नीति के अन्दर जो आपने जनसंख्या के स्थायित्व के लिए लक्ष्य निर्धारित किये उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर आप मजबूत कदमों से आगे बढ़ने का प्रयास करते तो हम सब लोग चाहे किसी भी विचारधारा के हों, हम सब लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपका सहयोग देने की कोशिश करते। आपने लम्बी-चौड़ी बात कही है, मैं 2-4 हैल्थ इंडिकेटर हैं उनकी तरफ आपका ध्यानाकर्षित करूंगा। आपने जन्म दर 2001 से 2016 तक का पूरा चार्ट बनाया और जनसंख्या नीति के अन्दर आपने तय किया है कि आप इसको 18.4 तक ले जाएंगे 2016 में। 2004 के अन्दर आप 27.5 पर ले जाएंगे। आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन की दर है यह सबसे बड़ा इंडिकेटर है। एक कपल, एक प्रजनन योग्य दम्पती कितने बच्चे पैदा करता है यह टोटल फर्टिलिटी रेट के अन्दर है। आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2001 में आपने जनसंख्या नीति के अन्दर आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार 3.74 है। 2004 में यानि दो साल बाद में उसको 3.41 पर ले जाने की बात आप कर रहे हैं। आप शिशु मृत्यु दर को कम करने की बात कर रहे हैं। परन्तु इन सारी चीजों को मात्र कागज पर लिखने से मैं, स्वास्थ्य मंत्रीजी, क्षमा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा, काम चलने वाला नहीं है। यह इस तरह का विषय है, इसमें लफ्फाजी करने से भी काम चलने वाला नहीं है। आप चाहे मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जनसंख्या मिशन बनाएं या सोनिया गांधी को खुश करने के लिए आप राजीव गांधीजी के नाम से जनसंख्या मिशन की स्थापना करने की बात करें, उसकी बैठक करें, उस बैठक में जाकर आप अपना फोटो छपाएं, मुख्य मंत्रीजी का फोटो छपाएं, उससे काम चलने वाला नहीं है। सभापति महोदय, राजनीतिक संकल्प था 1992 में, भैरोंसिंहजी शेखावत ने लिया था। देश के अन्दर पहली बार उन्होंने जनसंख्या पर लोगों का ध्यानाकर्षित किया। जनसंख्या के लिए न केवल आम व्यक्ति, उत्तरदायी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि उसके लिए उत्तरदायी बनें इसके लिए 1992 में पंचायत, नगरपालिका और सहकारी संस्थाओं के अन्दर कानून आया था। आप, सभापति महोदय, साक्षी रहे हैं, और उसके वांछित परिणाम भी आये हैं। उस वक्त एन.डी.सी. की मीटिंग हुई थी, उस एन.डी.सी. की मीटिंग में करूणाकरण समिति बनी थी। करूणाकरण समिति की रिपोर्ट को अगर सबसे पहले लागू करने का किसी ने काम किया तो वह राजस्थान की तत्कालीन सरकार थी। अब आपने सदन के अन्दर घोषणा की है और मैं आपकी घोषणा का स्वागत भी करूंगा, आपने कहा कि एक जून, 2002 के पश्चात् जो भी दो बच्चों से अधिक संतान वाला व्यक्ति अगर सरकार की नौकरी में आने के लिए आवेदन करेगा तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन आप दर्ज करेंगे। परन्तु इसके साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सारी योजना, बहुत सारी जनसंख्या नियंत्रण पर है, डब्ल्यू.एच.ओ. ने फोकस किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता की है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ जो विकसित देश हैं उन्होंने भी अलग-अलग योजना बनाकर हमारा सहयोग किया है, भारत सरकार का सहयोग किया है। योजना का क्रियान्वयन का काम, स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको करना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समय में एक राजलक्ष्मी योजना थी, सभापति महोदय, आप जानते हैं, कि गांव में पुत्र और पुत्री में भेद नहीं हो, यू.टी.आई. के सहयोग से और बहुत कम निवेश था, परन्तु उस योजना की चर्चा गांव-गांव तक थी। सभापति महोदय, यह सरकार आई, सरकार ने मात्र यह कहकर कि यू.टी.आई. का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है, योजना को बन्द कर दिया। एक ऐसी योजना जिस योजना के साथ में जनसंख्या के नियंत्रण की अवधारणा, आम अवाम तक पहुंचाने की भावना हो, मैं समझता हूं उसके लिए चाहे यू.टी.आई. ने अपना उसमें सहयोग देना बन्द कर दिया हो, पर सरकार को अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक हमारे समय में योजना थी जनमंगल कार्यक्रम, इसमें गांव के अन्दर एक कपल को तैयार करते हैं। वह कपल गांव के अन्दर जो दूसरे लोग हैं, उनको परिवार नियोजन के साधन के साथ प्रेरित करता है परिवार नियोजन के लिए। मैं क्षमा चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस जनमंगल योजना के पीछे जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को आपने कागज तक ले जाकर समेट दिया, उस आवधारणा के अनुसार काम नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, सभापति महोदय? हमारे समय में, 1995-96 में नसबंदी पर टार्गेट फ्री एप्रोच ली थी। आपको याद होगा, जिस समय यह एप्रोच ली कि नसबन्दी के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाएंगे, बहुत लोगों ने आलोचना की थी, परन्तु उसके बाद पूरे देश ने इस चीज को स्वीकारा। परन्तु आज हो क्या रहा है, सभापति महोदय? परिवार नियोजन का काम भी हम महिलाओं को सौंपते जा रहे हैं। पिछले वर्ष के आंकड़े जो आपने इस प्रगति प्रतिवेदन में दिये हैं, 2000-2001 में कुल नसबंदियां हुई हैं 2,67,390. यह तो महिलाओं की नसबन्दी हुई है, पुरुष की नसबन्दी देखो- 1496, यानी परिवार नियोजन को पूरा करने के लिए भी हम महिलाओं को टार्गेट बना रहे हैं। हम कोशिश क्यों नहीं करते कि पुरुष और महिला इसमें दोनों की भागीदारी हो? हमें वातावरण बनाना पड़ेगा कि नसबन्दी का मतलब महिला नसबन्दी नहीं, नसबंदी का मतलब पुरुष नसबन्दी भी हो सकता है।

अब मैं 2-4 योजनाओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रीजी, राजस्थान सरकार का कई योजनाओं में तो पैसा बिलकुल नहीं आया, 100 प्रतिशत फण्डेड योजना है और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें हमारा शेयर मात्र 10 प्रतिशत है। उन योजनाओं की दुर्गति आपने कितनी की है, स्वास्थ्य मंत्रीजी, मुझे तकलीफ इस बात की है। अगर आप उन योजनाओं का मूल्यांकन साल में एक बार भी कर लेते तो शायद आपके नीचे वाले अधिकारी, चाहे वे मेरे साथ रहे हों, चाहे आपके साथ रहे हैं, इनके मन में अगर कुछ दर्द होता, इनके मन में अगर तड़पन होती तो राजस्थान की यह दुर्गती नहीं होती। परन्तु आपने मूल्यांकन करना छोड़ दिया। अब विश्व बैंक की सहायता से आई.पी.पी. 9 चल रही है 1994-95 से 2001, 108 करोड़ रुपये की टोटल योजना थी, आपने उसमें व्यय किया है 73 करोड़ रुपये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको इस पर मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरी है यू.एन.ओ.पी.ए. के सहयोग से 1998 में चार वर्ष की योजना, एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना, जिसको हम आई.पी.डी.पी. भी कहते हैं। 42 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई, यू.एन.ओ.पी.ए. ने हमें 90 प्रतिशत पैसा दिया, राज्य सरकार का मात्र 10 प्रतिशत पैसा लगा और आज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

योजना के अन्दर जो राशि खर्च हुई है 42.82 करोड़ रुपये में से, वह राशि है केवल 13 करोड़ रुपये। री-प्रोडेक्टिव चाइल्ड हैल्थ हमारा कंसेप्ट है, जब तक हम आम आदमी के पास यह अवधारणा नहीं पहुंचा देंगे कि आपने जिस बच्चे को पैदा किया है, वह बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चे के जन्म के पूर्व से लेकर बच्चा पांच साल का हो जाए, तब तक उसके स्वास्थ्य के लिए सरकार चिंता नहीं करेगी। सभापति महोदय, आप गांव में बिराजते हैं, गांव के लोगों की मंशा क्या रहती है कि एक आंख का क्या, एक आंख को क्या बंद करूं, क्या खोलूं, इसलिए एक नहीं लड़के भी हों तो दो होने चाहिए। यह जो सारी की सारी योजना थी, उसके पीछे यह भावना थी। स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप आर.सी.एच. योजना जानते हैं, आर.सी.एच. योजना में 43 करोड़ 39 लाख रुपये की अपने को स्वीकृति मिली, भारत सरकार से स्वीकृति मिली। हमारा कोई इसमें लम्बा-चौड़ा पैसा भी नहीं लगा और इसके अन्दर आपने मात्र 14 करोड़ रुपये खर्च किये। सोशल सेफ्टी नैट, जिसके चौथे चरण में आप खड़े हैं, आपका प्रगति प्रतिवेदन मैंने देखा है, आपने दोनों वर्षों के प्रगति प्रतिवेदन में एक ही बात लिख दी। आपने यह लिख दिया कि सोशल सेफ्टी नैट के चौथे चरण में आपको 17 करोड़ रुपये मिले हैं और आपने 26.9.2000 को उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। आपने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी, निश्चित रूप से पैसा विश्व बैंक से हमें मिला है, पैसों का उपयोग होना चाहिए परन्तु उसकी उपलब्धि तो बताते कि उन पैसों का क्या हुआ। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब वह समय आ गया है, अब इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमें चिंता करनी पड़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नीति और राजीव गांधी जनसंख्या मिशन, इन सारे मिशनों को लेकर आप चाहे कितना ही प्रसार कर दो, जनसंख्या नियंत्रण के साथ जुड़ी हुई वे योजनाएं जिनसे जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है, उस पर आप जब तक पैनी निगाह नहीं रखेंगे और उसके अन्दर जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति नहीं बताएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं, चिकित्सा मंत्रीजी, निवेदन करना चाहता हूं, आज गांवों में है क्या? गांव के अन्दर लोगों की साक्षरता तो अब बढ़ी है, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ गया परन्तु गांव में अब भी एक संकोच है। सभापति महोदय, मैं अभी एक सर्वे पढ़ रहा था, इस राजस्थान के अन्दर 16 लाख दम्पती ऐसे हैं, वे नहीं चाहते कि दूसरा बच्चा जल्दी पैदा हो। वे अंतराल चाहते हैं, परन्तु अंतराल हो कैसे? वह छिपी हुई उनकी मांग है। उनकी मांग है कि परिवार नियोजन के साधन उनको उपलब्ध कैसे हों। इसके लिए जब तक हमारी एप्रोच नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूं, चाहे कुछ भी आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर लें, इसके कोई वांछित परिणाम निकलने वाले नहीं हैं।

अब, स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं तो समझ रहा हूं, आप मुख्य मंत्रीजी के बहुत नजदीक हैं। मुख्य मंत्रीजी के नजदीक होने का फायदा तब होता, जब आपके विभाग के अन्दर जो बजटीय प्रावधान हैं, उन बजटीय प्रावधान को बढ़ाते। हमने पूरा बजट चिकित्सा को समर्पित किया था। मैं आंकड़ों से सिद्ध कर दूंगा, सभापति महोदय, कि इस सरकार के आने के पश्चात् और माननीय राजेन्द्रजी चौधरी के चिकित्सा मंत्री बनने के पश्चात् प्रति व्यक्ति व्यय को लेकर बजटीय प्रावधान लगातार कम हो रहे हैं। न जाने किस दबाव के अन्दर आप चुपचाप ये सारी चीजें देखते रहे। आपके मन में पीड़ा होनी चाहिए। आप मुखिया हैं, इस चिकित्सा परिवार के मुखिया हैं जिस पर जिम्मेदारी है पूरे राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की। 2001-2002 का आपने जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है, उसके अन्दर जो योजनागत व्यय है, सभापति महोदय, वह है 88 करोड़ रुपये। इसके अन्दर जो मिनिमम नीड का 58.50 और गैर न्यूनतम आवश्यकता का 29.52. इस 88 करोड़ रुपये में से 24 करोड़ रुपये तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत गांव के लोगों को दवाइयां पहुंचे, गांव के लोगों के पास चिकित्सा सुविधा पहुंचे, इस मंशा के साथ भारत सरकार का पैसा है। इसको अगर काट भी दें तो आपका बजट बनता है 64 करोड़ रुपये। इसके अन्दर 10 करोड़ रुपये का, जैसे मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की बात कर रहे हैं, मैं भी उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं परन्तु आप अपनी बात कहें तब यह भी कहा करो कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की व्यवस्था किस वर्ष में किस व्यक्ति ने किस अवधारणा के साथ की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री सहायता कोष के अन्दर निश्चित तौर पर गरीब को फायदा मिलता है, परन्तु उनकी संख्या कितनी है, कितने लोग यहां पर आ सकते हैं? मुख्य मंत्री सहायता कोष का विकेन्द्रीकरण करो, स्वास्थ्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्री सहायता कोष को जिला स्तर पर लेकर जाओ, जिला स्तर पर मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृति हो। वहां जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाकर करें, तब वहां के लोगों को फायदा हो। सभापति महोदय, कितने लोग हैं जो राजस्थान के सचिवालय में आ सकते हैं? यह आंकड़ा जो चंद सैंकड़ों का है, यह चंद हजारों तक पहुंच सकता है अगर आप इसका विकेन्द्रीकरण करें तो। तो मैं निवेदन करना चाहता हू, इसका आप...

श्री जुगल काबरा : आप पुरानी जानकारी बता रहे हैं, डिवीजनल स्तर पर विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है मुख्य मंत्री सहायता कोष का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की बात कह रहा हूं।

श्री जुगल काबरा : आप अभी सहायता कोष फरमा रहे थे, श्रीमान् अपना रिकार्ड उठाकर देख लीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : काबरा साहब, आपको भी पूरी जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2001-2002 का हमारा बजट, अगर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पैसे को काटो तो वह है 64 करोड़ रुपये। अब आप आ जाओ, जो उसमें बजट प्रावधान किये हैं, इसका पैसा दिया है 36 करोड़ रुपये। राजस्थान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर्यावरण की दृष्टि से जिस तरह बीमारियां फैल रही हैं राजस्थान के अन्दर, मैं तो कामना करूंगा कि राजस्थान स्वस्थ रहे, राजस्थान का आम जन स्वस्थ्य रहे। परन्तु बीमारियां फैल रही हैं। और इसका बजट देखिये, किस तरह की पकड़ है इनकी। मतलब 88 करोड़ रुपये में से सीधे 36 करोड़ पर। इसमें भी 10.56 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का है, पांच करोड़ रुपया मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का है और 3.43 करोड़ रुपये आपने इनसिनरेटर लगाने के लिए अलग से दे रखे हैं। मतलब, आपका सारा बजट निकालें तो इस साल का, स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपका बजट 20 करोड़ के आसपास सिमटकर रह जाएगा। आप करना क्या चाहते हो? आजकल हो क्या रहा है? चाहे कोई भी काम हो, जब से ये पधारे हैं, किसी तरह से अखबार में फोटो आ जाए और किसी तरह से कोई योजना बनकर उसकी घोषणा हो जाए। (व्यवधान) दूरदर्शन पर आपकी शक्ल आ जाए। शक्ल तो आपकी भी बहुत अच्छी है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपकी फोटो बहुत कम आती है और राजेन्द्रजी की फोटो बहुत आती है। नहीं, आपकी शक्ल इनसे ज्यादा अच्छी है। खण्डहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी।

(14.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : खण्डहर कौन है? आपका खण्डहर से तात्पर्य किससे है, आप इसको क्लैरीफाई तो करो।

श्री सभापति : आपसे नहीं है। माहिर साहब, आपसे तो नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि....

मोहम्मद माहिर आजाद : खण्डहर क्या है? यह तो सदन को जानना पड़ेगा कि आखिर खण्डहर क्या है। खण्डहर आप हो या खण्डहर कौन हैं, यह तो बताना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब तो यह है कि खण्डहर यह हैं, यह बुलन्द इमारत हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पर्यटन मंत्रीजी बता देंगे। पर्यटन मंत्रीजी, आप बता दो।

श्री मदन दिलावर : वह कौन-सी इमारत थी, खण्डहर कौन हैं?

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्रीमती बीना काक : मैं यह कहना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, कि कद्रे गौहर जानता है कोई शाह या जौहरी, हर बशर ने पाया नहीं मर्तबा पहचान का। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वाह–वाह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब जवाब मिल गया आपको, माहिर साहब? अब जवाब मिल गया न आपको?

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब दूं क्या मैं भी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको देना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनका जवाब इनके पास नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, साहब, जवाब देना पड़ेगा यह तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दीजिए, दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं एक कतरा हूं लेकिन मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे भले समंदर मेरी तलाश में।

श्री सभापति : बहुत बढ़िया। बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या बात करते हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री रामस्वरूप : आज जो चर्चा हो रही है इस सदन में, बड़ी गम्भीरता से इस विषय को लिया जा रहा है चिकित्सा को...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कौए-कोयल प्रतियोगिता नहीं हो रही।

श्री मदन दिलावर : यह कवि सम्मेलन करा लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके लिए बीस तारीख तय कर दी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यों तो जिन्दगी में हर क्षण और हर पल आते रहते हैं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनको सदियां याद करती हैं। वे क्षण हैं आज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बी.पी.एल. कार्ड की लम्बी-चौड़ी घोषणाएं और बी.पी.एल. कार्ड जारी किये गये... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कार्ड जारी करने के साथ यह घोषणा की गई कि 23 लाख परिवारों को आप लाभान्वित करेंगे। आपने कोई अलग से बजट प्रोविजन नहीं किया। पहले एक असेंशियल ड्रग लिस्ट थी, चिकित्सा मंत्रीजी, उस असेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार चिकित्सालयों के अन्दर कुछ दवाइयां कोई भी व्यक्ति जाए, उसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मिला करती थीं। अब नाम दे दिया, क्योंकि यह समझते हैं इस तरह की योजना बना कर लोगों में चर्चा करवा लें। आपने इस बी.पी.एल. कार्ड के बारे में जो प्रगति प्रतिवेदन में आंकड़े दिए हैं, नवम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक लाभान्वित हुए हैं इसमें 1 लाख 28 हजार 186 और व्यय हुआ है 18 लाख 91 हजार 712. अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 में लाभान्वित हुए हैं 3 लाख 69 हजार 480 और जो इसमें व्यय हुआ है वह हुआ है 41 लाख 67 हजार 665 और अप्रैल, 2001 से दिसम्बर, 2001 में 6 लाख 93 हजार 856 लोग लाभान्वित हुए हैं और 1 करोड़ 66 लाख 43 हजार 166 रुपये व्यय हुए हैं। सभापति महोदय, मैं ये सारे आंकड़े इसलिए रख रहा हूं, इन्होंने जिस बी.पी.एल. कार्ड की बात कही उस कार्ड के अन्दर इनका व्यय भी ठीक मान लें, इन्होंने जिनको लाभान्वित किया उस संख्या को भी मान लें, तो यह प्रति व्यक्ति औसत आता है, पहले साल तो 13 रुपये 20 पैसे, फिर आता है 22 रुपये और इस बार आता है 22 रुपये 80 पैसे। मतलब एक साल के अन्दर एक व्यक्ति चिकित्सालय में गया, सभापति महोदय, आप पधारते हैं; भगवान न करे जाना पड़े, 22 रुपये के अन्दर लम्बी-चौड़ी बात कर रहे हैं कि पूरे उसके स्वास्थ्य की चिन्ता कर ली, बी.पी.एल. कार्ड बी.पी.एल. कार्ड लिये हुए। स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस योजना को आपने लागू किया है, इसका क्रियान्वयन कठोरता से करो। बी.पी.एल. कार्ड लिये हुए आज आम गांव का गरीब दर-दर घूमता है, उसको किसी तरह की दवाई उपलब्ध नहीं होती। आप अगर पार्टी लाइन से अलग हटकर पूछेंगे तो आपके माननीय सदस्य बैठे हैं इन्हीं से पूछ लें कि आज बी.पी.एल. कार्ड की स्थिति क्या है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में आपको सोचना चाहिए।

अब, सभापति महोदय, एक कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम है। सभापति महोदय, कैंसर जान लेवा रोग है और राजस्थान के अन्दर, मैं एक लेख पढ़ रहा था, प्रति वर्ष चार लाख से ज्यादा लोग कैंसर से मौत में जाते हैं। इस योजना के अन्दर जहां कैंसर पीड़ित रोगियों की संख्या ज्यादा थी, एक सर्वे हुआ, उसके अन्दर दस जिलों का चयन किया– सीकर, बूंदी, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालौर, गंगानगर, चूरू इत्यादि। इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये भारत सरकार ने हमें दिये और डेढ़ करोड़ में आपने खर्च किये, आपका यह खुद का प्रगति प्रतिवेदन बताता है, चिकित्सा मंत्रीजी, 33 लाख 92 हजार। पैसा आपका नहीं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी और आप खर्च कर रहे हैं डेढ़ करोड़ में से 33 लाख। पहले एक कैंसर अवेयरनैस-डे हुआ करता था।

श्री मदन दिलावर : यहां तो सरकार को कैंसर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैंसर अवेयरनैस-डे हुआ करता था उसको बंद कर दिया आपने। सभापति महोदय, आप गांव से पधारते हैं, गांव में अगर सबसे ज्यादा किसी रोग से आम व्यक्ति ग्रसित है तो वह है कैटरैक्ट रोग से। कैटरैक्ट रोग के कारण से आदमी अपनी आंख से जमाना नहीं देख सकता। हमारा दुर्भाग्य है कि पूरे विश्व में अंधता से ग्रसित सबसे ज्यादा लोग हैं हिन्दुस्तान के अन्दर, जितेन्द्र सिंहजी मुझे करैक्ट करेंगे, और जितेन्द्र सिंहजी, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा अंधता से ग्रसित लोग हैं इस राजस्थान के अन्दर, 2.24 प्रतिशत। आज देश के अन्दर 1.5 प्रतिशत हैं, हम 2.24 प्रतिशत पर खड़े हैं, सभापति महोदय। हमारी जनसंख्या के अनुपात से आप संख्या निकालोगे तो बड़ा भयावह लगता है, सभापति महोदय, दस लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी आंख से इस जमाने को नहीं देख सकते। इनके लिए विश्व बैंक की सहायता से, आपको याद होगा, 1994 में एक अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की स्वीकृति हम लोगों ने कराई थी। 65 करोड़ रुपये की स्वीकृति थी, उसके अन्दर तय किया था कि हम प्रति वर्ष एक टारगेट तय करके आंखों के आपरेशन कराएं। स्वयंसेवी संस्थाओं को इनके साथ जोड़ें और जो गरीब आदमी आ नहीं सकता बड़े शहर में, वहां छोटे शहरों में जाकर इस तरह के आपरेशन कैम्प लगाएं। सभापति महोदय, मुझे तकलीफ है, आपका प्रगति-प्रतिवेदन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, 2001-2002 में आपने लक्ष्य रखा था 2 लाख 10 हजार आपरेशन करने का और, चिकित्सा मंत्रीजी, आपका प्रगति प्रतिवेदन यह कहता है कि आपने किये हैं 1 लाख 16 हजार। मतलब 55 प्रतिशत टारगेट अचीवमैंट है आपका। कम से कम इस तरह के रोगों को तो आप देखो। हमारा दुर्भाग्य है कि पूरे विश्व के अन्दर राजस्थान जिसका शानदार इतिहास है, उस राजस्थान में अंधता से ग्रसित लोगों की संख्या इतनी और उसके अन्दर सरकार इतनी गम्भीर है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्षय रोग, टीबी का रोग, यह रोग गांव के आम व्यक्ति का रोग है। राजस्थान में बीस मिनट में एक व्यक्ति मरता है। इससे, सभापति महोदय, 32 हजार लोग प्रति वर्ष राजस्थान में काल-कवलित होते हैं। जो आंकड़ा है उसके अनुसार आठ लाख व्यक्ति टीबी के रोग से ग्रसित हैं। विश्व बैंक की सहायता से योजना चली। सौ करोड़ की योजना है, हमारा कुछ पैसा नहीं और यह डोट्स जो हैं- डाइरेक्टली आब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स, इसके अन्दर पूरे राजस्थान को ले लिया। पहले कुछ जिले थे। आज हो क्या रहा है, चिकित्सा मंत्रीजी, उत्तर दें तब बताना, आपकी टीबी यूनिट्स खाली पड़ी हैं। नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, जिलों की क्षय रोग नियंत्रण इकाई के अन्दर आपके पास आज विशेषज्ञ नहीं हैं, खाली पड़े हैं। सभापति महोदय, आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

झुंझुनूं से पधारते हैं, आप खुद आत्मा से इस चीज को याद करें कि आज झुंझुनूं के अन्दर भी कितने समय से टीबी क्लिनिक पर एक तरह से ताला लगा हुआ है। आपने लम्बी-चौड़ी इस प्रगति प्रतिवेदन में माइक्रोस्कोपिक यूनिट की बात कर दी, आपकी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जितनी भी हैं, मेरा आरोप है, सारी की सारी कागजों में चल रही हैं। कम से कम इस तरह के रोगों के बारे में आपको गम्भीर रहना चाहिए। अब, चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आपके चुनाव घोषणा पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को इसी की एक लाइन पर, इन्होंने कहा है कि टीबी का जो कार्यक्रम हम राज्य में चला रहे हैं आर.एन.पी.टी., संशोधित क्षय निवारण कार्यक्रम, जो आपके शासन के वक्त में केवल एक जयपुर जिले में चल रहा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रायोगिक रूप से चला था, आप क्यों तथ्य छिपा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने बोल दिया न तो। आपने बोल दिया इसलिए इन्टरवीन कर रहा हूं मैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अब माननीय सदस्य, आपने पूछा नहीं है, पूछा उन्होंने है उनको जवाब दे रहा हूं। हमने डोट्स कार्यक्रम को राजस्थान के सभी जिलों में लागू किया भारत सरकार से बात करके और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है, जो अभी जानकारी दी गई कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, 1 लाख 37 हजार से ज्यादा लोगों का राजस्थान में टीबी के अन्तर्गत इलाज हुआ है। लगभग 28 हजार लोगों की जान बचाई जा चुकी है। भारत सरकार ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा है कि देश में सबसे अच्छा कार्यक्रम कोई टीबी रोकने का चल रहा है तो वह राजस्थान में चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जिस भाव से चिकित्सा मंत्रीजी ने जवाब दिया अगर इस भाव से कार्यक्रम चले तो मैं इनका स्वागत करूंगा। परन्तु, चिकित्सा मंत्रीजी, आपका सर्वे क्या कहता है? आपका सर्वे यह कहता है और आपके विशेषज्ञ आफिसर्स गैलरी में बैठे हैं, कि 8 लाख लोग प्रति वर्ष इस टीबी से ग्रसित होते हैं। आपने इलाज क्या कराया? क्यों अपनी पीठ थपथपा रहे हो? आपने खुद ने अपने उत्तर में कहा है कि आपने 1 लाख 37 हजार का इलाज करा लिया। 32 हजार लोग जहां रोज मरते हों, जहां एक मिनट के अन्दर बीस लोग मृत्यु को प्राप्त करते हों। आप थोड़ा गम्भीर बनो। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, परन्तु जो हमारे इस तरह के कार्यक्रम हैं, सेंट्रल स्पोंसर्ड कार्यक्रम हैं, विश्व बैंक की सहायता से जो कार्यक्रम चल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं उनका मूल्यांकन नहीं करने के कारण आज स्थिति बिगड़ती जा रही है।

चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आपके चुनाव घोषणा पत्र के पेज 24 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा– राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। घोषणाएं कर दीं, इसके आगे भी कई घोषणा हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अब आपने क्या किया? आप जब से पधारे हैं, मुझे तकलीफ है, आपने राजस्थान के गांवों के अन्दर 17 प्राथमिक चिकित्सालय खोले और, चिकित्सा मंत्रीजी, आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने पहला बजट रखते हुए जो 17 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और 75 उप केन्द्र की बात की थी वह आपने कितने समय बाद खोले। सभापति महोदय, दो साल निकल गये और आज भी इनमें से कई चिकित्सालय और उप केन्द्र ऐसे हैं जो कागजों में चल रहे हैं। आपने उसमें किया क्या? आपने 75 उप केन्द्र खोले उसमें 44 अकेले जोधपुर जिले में खोल दिये। आपने 17 प्राथमिक चिकित्सालय खोले, उसमें 8 अपने जिले में खोल दिये। इसमें थोड़ा-सा आपको देखना चाहिए। एक मापदण्ड बना हुआ है, जहां दूरस्थ इलाका है, डैजर्ट इलाका है, सभापति महोदय, मैं इस मिनट लूंगा, और जहां पर्वतीय इलाका है उनमें 20 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलें। इस तरह के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे। 30 हजार सामान्य क्षेत्र में। उन सारे मापदण्डों को ताक में रख कर इन्होंने अपने-अपने ही खोल लिए। आपने एक भी रैफरल चिकित्सालय नहीं खोला। हम एक योजनागत तरीके से राजस्थान को चिकित्सा, स्वास्थ्य संस्थाओं की दृष्टि से विकास की ओर लेकर गये थे। सभापति महोदय, अभी ताम्बीजी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने क्या किया। ताम्बीजी, हमने 1851 उप केन्द्र खोले और 289 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले। हमने रैफरल चिकित्सा केन्द्र खोले। हमने सारे उप खण्डों पर 50 बेडेड चिकित्सालय हों, इसके लिए योजना बनायी और इसके बाद हो क्या रहा है? चलिए यह भी बात मान ली।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : आप यह तो बता दीजिए कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे उनमें से 13 आपकी सरकार ने बन्द किये, पांच साल तक लगातार हम मांग करते रहे। सरकार जाती-आती है, उस जनता के साथ अन्याय नहीं हो। वह आज तक नहीं खुले, आपको ध्यान है कि नहीं? ये आपने ही बंद किये आपके आदेश से। इतना अन्याय तो कभी नहीं होता जैसा आपने किया, कि नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य जिन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का उल्लेख कर रहे हैं, यह उनकी आदत है और मैं आज कह रहा हूं, जिस दिन यह सरकार जाएगी जिस दिन यह सरकार भागने लगेगी उस दिन वे ही काम करेंगे जो उस वक्त किया था।

श्री मोहन लाल मोदी : यह सरकार तो कायम रहेगी, भागने वाली नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चाचा, बैठ जाओ। चाचा, बैठिए।

श्री मोहन लाल मोदी : आप क्यों चिन्ता करते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, जिन 17...

श्री सभापति : बिराजिए। बिराजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : ....(व्यवधान) ...राजस्थान की जनता ने इतना भारी बहुमत दिया है, जाने वाली नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वे अभी पता लगेगा भारी बहुमत, आ जाओ। थोड़े दिन रुक जाओ।

श्री सभापति : बिराजिए। बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिन 17 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का जिक्र कर रहे हैं, 14 की कोई प्रशासनिक...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : राजेन्द्र सिंहजी, संसार परिवर्तनशील है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने सही फरमाया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : और मोदीजी का कहना है कि कोई चीज स्थिर नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वैरी गुड, यही है, सही बात यही होती है। बिलकुल। बिलकुल।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : स्थिर कुछ नहीं है, संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होता रहता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : होगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। जब तक अवसर मिले अच्छे कार्य करो। तीन काम जरूर करो, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ, दान, तपः, कर्मः न त्याज्यम् मितिचापरे। ये तीनों काम करने योग्य हैं, त्यागने के लिए नहीं हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यज्ञ पर तो गोली चला दी इन्होंने। इन्होंने गोली चलवायी है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह दिल्ली के चुनाव ने साबित कर दिया कि बी.जे.पी. की क्या स्थिति है।

श्री रतन लाल ताम्बी : इन तीनों में से एक भी नहीं कर रहे हैं आप तो कहीं।

श्री मोहन लाल मोदी : पण्डितजी, दिल्ली के चुनाव ने साबित कर दिया कि इनका ग्राफ कितना नीचे चला गया। इनके जो हिन्दुस्तान के प्रमुख हैं उन्होंने यह कहा है कि हम बराबर हारते जा रहे हैं, इस पर विश्लेषण कर रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मोदीजी, यह दिल्ली में जो ग्राफ नीचे गया है...

श्री रतनाराम चौधरी : ...(व्यवधान)... देश के लिए शांति यज्ञ वो माना जाता है। यज्ञ है कहीं भी वो माना जाता है, देश को शांति मिले, सुख समृद्धि मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिराजिए आप। ...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : और सुखमय जीवन मिले वो यज्ञ है। यज्ञ करते हुए जो आहुति दिलाते हैं उनको वो मरवा देते हैं, वो यज्ञ नहीं है। वो यज्ञ नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं इस बात को मानता हूं।

श्री रतनाराम चौधरी : वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ वो है जो देश को समृद्धि और सुखमय जीवनदायी हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। व्यवधान नहीं। व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य। बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : और जब लोगों को मरवाने के लिए यज्ञ करते हैं तो काहे का यज्ञ है? वो नहीं है यज्ञ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं इस बात को मानता हूं कि दिल्ली का ग्राफ नीचे चला गया, तो यह परिवर्तन ही तो हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह परिवर्तन ही हुआ है, यही मैं कह रहा हूं। परिवर्तन तो होता रहता है।

श्री सभापति : वो तो हो गयी न बात।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : चाहे दिल्ली हो, चाहे और कोई हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आपके प्रगति प्रतिवेदन के पेज 37 पर दिलाता हूं...

श्री सभापति : आप बोलते हुए थक गये हों तो फिर मैं ही घंटी बजा दूं, वरना इनको क्यों उकसा रहे हो? आप इनको क्यों उकसा रहे हो? बीच-बीच में इनको उकसाओ मत। आप अपनी बात कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, मेरे दल का मैं पहला...

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, ये पुराने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इनके तजुर्बों का कुछ फायदा हमें भी उठाना चाहिए।

श्री सभापति : आप बिराजिए। मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन इनको उकसाओ क्यों, आप अपनी बात कह दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा दिये गये प्रगति प्रतिवेदन के पेज-37 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें आपने एक तालिका बनायी है और तालिका में लिखा है आपने कि प्रति व्यक्ति बजट आबंटन 1999-2000 में था, 242.45 रुपये, 2000-2001 में कम हो कर हो गया 228 रुपये और 2001-2002 में कम हो कर हो गया 181 रुपये। और प्रति शैय्या जनसंख्या, प्रति बैड कितनी जनसंख्या है? 1999-2000 में थी, 2000-2001 में भी इतनी रही और अब यह बढ़ कर 1479 हो गयी। प्रति चिकित्सक जनसंख्या 1999-2000 में 7116 थी, बढ़ कर हो गयी 9033। प्रति संस्थान जनसंख्या 3593 से बढ़कर 4611 ये सारे आंकड़े जो प्रगति प्रतिवेदन में हैं वो आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि प्रति व्यक्ति व्यय हम चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार कम करते जा रहे हैं। नये चिकित्सा संस्थान खोल नहीं रहे हैं इसलिए प्रति चिकित्सा संस्था जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है और जनसंख्या के हिसाब से चिकित्सक कितने लोगों की सेवा करता था उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। चिकित्सा मंत्रीजी, राजस्थान एक तरफ बीमारू प्रदेश और फिर राजस्थान के अन्दर हैल्थ इंड़िकेटर भी यह कहते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और दूसरी तरफ आप लगातार बजट के अन्दर प्रति व्यक्ति व्यय कम करते जा रहे हैं। बजट का आबंटन कम होता जा रहा है। चिकित्सा संस्थान नहीं खुल रहे हैं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में आपने हाल बेहाल कर दिया। आप इस राजस्थान के साथ यह खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं?

मैं, सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा, बड़ी वाहवाही इन्होंने लूटी, लम्बी-चौड़ी बात कही। बजट के अन्दर भी बात कही कि निजी क्षेत्र के अन्दर मेडिकल कालेज हम खोल रहे हैं। हम नर्सिंग कालेज खोल रहे हैं, पैरामेडिकल कालेज खोल रहे हैं। 13 मेडिकल कालेजों की एन.ओ.सी. सरकार ने जारी की। खुले सभापति महोदय दो, और दो के अन्दर मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया है उसने मान्यता दी है एक महात्मा गांधी मेडिकल कालेज को। राजस्थान की राजधारी के नाक के नीचे नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड मेडिकल साइंस बिना मान्यता के चल रही है। एम.सी.आई. ने मान्यता नहीं दी। इसके अन्दर आपको मालूम है कि कोटा के मेडिकल कालेज की मान्यता के लिए हमने प्रयास किया, हमें कई बार इंस्पेक्शन के लिए टीम बुलानी पड़ी। सरकार का मेडिकल कालेज, कितनी मुश्किल से मान्यता मिली। यह जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड मेडिकल साइंस है यह फ्रॉड है। इसके अन्दर जो बेचारे विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं, एक-एक विद्यार्थी से 25-25 लाख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये डोनेशन ले रहे हैं और इनको मान्यता है नहीं। आपको इस पर निश्चित रूप से बात करनी चाहिए। सभापति महोदय, 20 डेंटल कालेज की एन.ओ.सी. इन्होंने जारी की, खुले तीन।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा, आप ये जो निम्स के बारे में बोल रहे हैं मान्यता हमारे पास नहीं है। आप कह रहे हैं। वहां स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है, हमने किसी को एडमिशन नहीं दिया और न कोई रिकोग्निशन है। केवल महात्मा गांधी मेडिकल कालेज को ही मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया ने रिकोग्निशन दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं, स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको निवेदन कर रहा हूं नम्र शब्दों में, आप इसकी जांच कराएं। राजस्थान का कोई आदमी ठगा नहीं जाए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, मैं राजेन्द्र राठौड़ साहब को धन्यवाद देता हूं...

श्री सभापति : माननीय पण्डितजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इसलिए कि आप यदि रतनगढ़ अस्पताल से नर्सिंग सेन्टर चूरू नहीं ले जाते तो मैं यहां नहीं आ सकता था।

श्री सभापति : माननीय पण्डितजी, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, 20 डेंटल कालेज की एन.ओ.सी. सरकार ने जारी करके अपनी पीठ थपथपाई, खुले हैं तीन। दो उदयपुर में और एक जयपुर में। और डेंटल काउंसिल आफ इण्डिया ने एक को मान्यता नहीं दी। इसी तरह 24 नर्सिंग कालेज खोलने की एन.ओ.सी. इन्होंने दी, उसमें से 7 को मान्यता मिली। उसके बाद एक को भी मान्यता नहीं मिली। चिकित्सा मंत्रीजी, आप सब जानते हैं कि सरकार के पास।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं आपको संशोधन कर दूं, आप चूंकि लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, एक भी नर्सिंग कालेज प्राइवेट सैक्टर में राजस्थान में नहीं खोला गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैरामेडिकल कालेज होगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, आपने जो बोला है, मैंने उसका संशोधन किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नर्सिंग स्कूल की बात की है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने कालेज बोला है तब मैंने कहा है वापस कि नहीं खोला....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्कूल कालेज में अन्तर नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार करने के लिए मेल नर्स फर्स्ट, सैकण्ड रेडियोग्राफर्स इनको तैयार करने के लिए जो खोला जाता है, वो मेरी टंग स्लिप हो गयी। परन्तु आज हो क्या रहा है, चिकित्सा मंत्रीजी? ये अखबारों के विज्ञापन हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्लिप मत हो, आप आराम से चलो, मैं आपकी हर बात को सुन रहा हूं। आप स्लिप होंगे, कुछ नुकसान होगा तो चिंता हमें ही करनी पड़ेगी। किसी पैरामेडिकल कोर्स को हमने रिकोग्निशन नहीं दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर किसी को अपने रिकोग्निशन नहीं दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं एक के बाद एक उन विज्ञापनों का जिक्र करना चाहूंगा, अखबारों में साया होकर जिन्होंने यह कहा है कि उन्हें मान्यता प्राप्त है। किसी ने भारत सरकार की बात कही, किसी ने कई संस्थाओं का नाम लिया और लिखा कि पहले आओ-पहले पाओ। इस आधार पर राजस्थान के गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। बिना मान्यता प्राप्त कूकरमुत्ते की तरह ये पैरामेडिकल संस्थाएं खुल रही हैं, इन पर आप क्या कर रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि बीकानेर की एक संस्था ने ए.आई.सी.टी. के नाम से एडवरटाइजमेंट किये थे। हमने ए.आई.सी.टी. से बात करके उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की थी। ए.आई.सी.टी. ने कहा था, हमने कोई रिकोग्निशन नहीं दिया है। जब तक कोई सदस्य हमारे पास शिकायत कर के आवेदन करें कि हमारे को फर्जी एडमिशन दे दिया है, तो निश्चित रूप से आपके पास ऐसा कोई आवेदन आया तो हमारे पास भेजिए, हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य और मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस अन्ताक्षरी का अंत नहीं आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, साहब। सभापति महोदय, हमारा नाम एक है, हमारा विभाग एक है, हमारी उम्र एक है।

श्री सभापति : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप एक-दो मिनट में खतम कीजिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप दोनों का नाम भी एक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, इनका मन एक नहीं है, मन एक कर लो आप।

श्रीमती बीना काक : सभापति महोदय, एक भूत है और एक वर्तमान है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : यह कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे झुंझुनूं में एक आदमी है उसका नाम करोड़पति है और वह भीख मांगता है।

श्री सभापति : माननीय आजाद साहब, बिराजिए।

श्रीमती बीना काक : बस फर्क इतना है कि एक भूत है और एक वर्तमान है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक-दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह जो माननीय मंत्रीजी ने टिप्पणी की है यह मेरे काले रंग को देखकर की है, इस पर मेरे को आब्जेक्शन है।

श्री सभापति : रंग तो दोनों का ही एक जैसा ही है।

श्रीमती बीना काक : काले रंग की तो महिमा है, कृष्ण भी काला था और आप भी काले हैं। क्या बात है, राजेन्द्रजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य मंत्री महोदया ने जो कुछ कहा है भूत, पूर्व की तो बात अलग है लेकिन भूत तो कम से कम हटा दीजिए, अच्छा नहीं लगता। (व्यवधान) एक वर्तमान है और एक भूत है, यह कहा है, इसलिए भूत को हटा दीजिए।

श्री रामस्वरूप : क्यों डरते हो, एक दिन भूत तो सबको बनना ही है।

श्री सभापति : आप बिराजो। माननीय राठौड़ साहब, खतम करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चिकित्सा मंत्रीजी, आपने बीकानेर की जिस संस्था की बात की, निश्चित तौर पर उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिया, आपने जांच की, संस्था के विरुद्ध आपने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई, पर हुआ क्या? उस संस्था ने जिसका पहले नाम था इण्डिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बीकानेर, रजिस्टर्ड आफिस भी वही था, उसने अपना नाम बदल कर लिख दिया महात्मा गांधी पैरामेडिकल, बीकानेर। उन्होंने पहले तो कहा कि हमें ए.आई.सी.टी. से मान्यता प्राप्त है, अब कह दिया, राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। मानव संसाधन, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और इस वर्ष भी उन्होंने 800 बच्चों को प्रवेश दे दिया। आपने धोखाधड़ी के कारण जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, मैं क्षमा चाहूंगा, निदेशालय में बैठे आपके निदेशक स्तर के लोगों ने मिलीभगत करके उसकी कोई पैरवी नहीं की और उसमें एफ.आर. लग गई। सभापति महोदय, 800 बच्चे जो 25-25, 30-30 हजार रुपये डोनेशन देकर भर्ती हुए...

श्री जीतमल खांट : 60 और 65 हजार रुपये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, उन बच्चों का क्या होगा? इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो विषय मैंने उठाया है इस पर आपको निश्चित तौर पर गम्भीरता से बात करनी चाहिए। आपने जिस तरह पहले जांच कराई, आप इसकी भी जांच कराएं कि वही रजिस्टर्ड आफिस, क्या वही बिल्डिंग, क्या वही निदेशक उसने नाम बदल कर उस संस्था में इस साल प्रवेश कैसे कर लिया?

श्री सभापति : बिलकुल कराएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, दो मिनट, बस दो मिनट।

श्री सभापति : आपने 10 मिनट के लिए कहा था, 15 मिनट हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चिकित्सा मंत्रीजी, मेरे पास विज्ञापन हैं, मैं पढूंगा तो मेरे को सभापति महोदय टोकेंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय। मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, आपने अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में जो बात कही है, जिस संस्था का नाम ए.आई.सी.टी. के नाम से था, हमने ए.आई.सी.टी. से बात की। उन्होंने मना किया हमने एफ.आई.आर. दर्ज करा दी। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, आप जानते हैं, कानून में क्या स्थिति है। आप सारे मामले मुझे दे दीजिए, मैं उसकी जांच कराऊंगा। यदि डीम्ड यूनिवर्सिटी से नहीं है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान की दूसरी पैरामेडिकल संस्था "मास", उसमें लिखा है कि हम निश्चित बच्चों को एडमिशन देंगे। नीचे लिखा है- पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। विश्व भारती इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंस, सी-74, बनीपार्क, जयपुर। पहले आओ पहले पाओ पर प्रवेश लो। प्रवेश सूचना लैब एण्ड एक्स-रे टैक्नीशियन, सहारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, डीडवाना।

श्री सभापति : यह आप पहले कह चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लैब टैक्निशियन प्रवेश सूचना एम.जी. मेडिकल इंस्टीट्यूट कोटा, मैं कितने की बात करूं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सब पर आपको अंकुश लगाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक चीज का जिक्र करूंगा, आपने इस सदन में माननीय सदस्यों की राय देखकर...

श्री सभापति : इधर मुंह करके बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नीम-हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही का अभियान चालू किया था। एण्टी क्वेकरी एक्ट, आपको मालूम है, मंत्री महोदय, हमारे टाइम में बना था। यह हमारा दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि हम उसको लागू नहीं कर सके। आपने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा है कि आप उसके लागू करेंगे। सभापति महोदय, आज हालत क्या है? ये नीम-हकीम राजस्थान के गरीब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। बंगाली दवाखाना के नाम से एक पूरा चैनल बना हुआ है जो विशेष तौर पर हाड़ौती क्षेत्र में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में है। जिन लोगों को अपना नाम लिखना भी नहीं आता वे बोर्ड लगाकर बैठे हुए हैं। आपने अभियान चालू किया और अभियान इसलिए चालू किया कि ये जिस तरह का इलाज करते हैं उससे आदमी का इलाज तो कम, आदमी मौत की तरफ ज्यादा जाता है। पहले झटके से ही स्टेराइड दे देते हैं, इस तरह की मेडिसिन देते हैं जिसके साइड इफैक्ट आते हैं। आपके आयुर्वेद मंत्रीजी ने आपको न जाने क्या कहा, क्या नहीं कहा, समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए और आपने इस अभियान को स्थगित कर दिया। मेरा निवेदन है कि एम.सी.आई. एक्ट में प्रावधान है, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट में प्रावधान है, आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत प्रावधान है, आप इस अभियान को भगवान के लिए पूरा का पूरा जारी रखें और इन नीम-हकीमों पर अंकुश लगाएं, वरना इसके नतीजे ठीक नहीं रहेंगे।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य बहुत देर हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने धुम्रपान निषेध कानून बनाया 1999 में। अब तो आपको मालूम है, चिकित्सा मंत्रीजी, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह 2 नवम्बर, 2001 से पूरे हिन्दुस्तान में लागू हो गया। परन्तु आप यह बता दें कि आपने कानून बनाने के बाद वापस कभी उस कानून को झाड़ कर देखा क्या कि इसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके सैक्शन 10 में आपने उल्लिखित कर दिया, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और चिकित्सालय के 100 मीटर की परिधि में बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू का विक्रय नहीं होगा। क्या आप इनको रोक पाये? आपने इसके सैक्शन 7, 8, 9 में प्रावधान कर दिया कि कोई बच्चा बीड़ी-सिगरेट नहीं बेचेगा। आपने एक भी मामले में कोई भी कार्यवाही की हो तो मुझे बता दें। नतीजा क्या निकला? कि आप जिस कानून को लेकर आये थे, पूरे हिन्दुस्तान में चर्चा हुई थी कि राजस्थान पहला प्रदेश है, वह धूम्रपान निषेध कानून धुआं बनकर उड़ गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी तरह प्रीमेडिकल डाइग्नोस्टिक टैक्निकल रैगुलेशन एक्ट, सभापति महोदय, इसका भी वही हाल हुआ।

श्री सभापति : सबका यही हाल होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब मैं चन्द सुझाव आपको देना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट की परमिशन दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पौन घंटा हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बस पांच मिनट। अबके आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभापति महोदय, आपको तो पता है कि मैं आज्ञाकारी आदमी हूं। सभापति महोदय, आपने दो बार घंटी दबाई, मैं वैसे ही ट्रैक से उतर गया।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि मेडिकल कालेज जहां इलाज के साथ टीचिंग भी होती है, वहां नान क्लिनिकल विषय में लगातार आपके पास चिकित्सकों की संख्या कम होती जा रही है। बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। आपको इसके लिए कोई न कोई इंसेंटिव करना पड़ेगा, वरना फिजियोलाजी, एनोटोमी, बायोकेमिस्ट्री इन सब में आपको चिकित्सक नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कुछ न कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सवाई मानसिंह चिकित्सालय, राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में इस चिकित्सालय का नाम है, इस चिकित्सालय के बारे में यदा-कदा इस तरह की बातें समाचार पत्रों में छप जाती हैं। मैं उन घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा परन्तु, सभापति महोदय, या तो उनका खण्डन आए और या उस पर जांच हो। जितेन्द्र सिंहजी, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को जिस भावना के साथ बनाया था उसके पीछे कोई धन कमाने की लालसा नहीं थी। आज उस मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के बारे में आपका ए.जी. पैरा बनाता है और ए.जी. पैरा बनाकर यह कहता है कि इतने रुपये का इसमें गबन हो गया। गबन हो गया तो आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की? इन सारी चीजों के बारे में अगर गम्भीरता से बात नहीं करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

अभी समाचार पत्रों में छपा, विकलांग प्रमाण पत्र की फीस को चिकित्सकों ने आपस में बांट लिया। सभापति महोदय, हो क्या रहा है? मोटर दुर्घटना न्यायालय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में जो विकलांग है उसको प्रमाण पत्र देने के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय के आर.आर.सी. में एक नहीं, 235 रुपये लेते हैं और करीब 30-35 लाख रुपये जो मिलते हैं, सारे चिकित्सक अपने आप बांट लेते हैं, रसीद देकर पैसा लेते हैं। इन सारी चीजों के बारे में निश्चित तौर पर कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस बार जो सेवारत चिकित्सक हैं, आर.पी.एस.सी. के अन्दर बड़ी संख्या में पद खाली हैं। संविदा के स्तर पर आपने चिकित्सकों को रखा है। आज आवश्यकता इस बात की आ पड़ी कि हम अगर ग्रामीण चिकित्सा सेवा के गठन के बारे में नहीं सोचेंगे कि ग्रामीण सेवा के गठन के साथ चिकित्सकों को गांव में स्थापित करेंगे, अगर यह व्यवस्था नहीं करेंगे तो ग्रामीण सेवा से जुड़ा हुआ चिकित्सक शहर में नहीं आएगा तो गांवों में सेवा नहीं मिलेगी। आज गांवों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि इस गठन के साथ हम इस तरह का इंसेंटिव दें ताकि गांव की तरफ चिकित्सक आकर्षित हों। अब, सभापति महोदय, इन्होंने क्या किया? पी.जी. के अन्दर एंट्रेंस टैस्ट के अन्दर पहले संविदा स्तर पर या एडहॉक स्तर पर कोई चिकित्सक अपनी तीन साल की ग्रामीण सेवा पूरी कर लेता था वह एलिजिबिलिटी जोन में आ जाता था। अब इन्होंने एक नई बात कह दी। अब नया प्रवेश दे रहे हैं उसके अन्दर इन्होंने लिख दिया कि आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन होना चाहिए। आप इस तरह की बात करके क्यों इन सारी सेवाओं से चिकित्सकों को दूर करना चाहते हो?

मैं अन्त में एक निवेदन करूंगा कि चिकित्सा विभाग में प्रशासनिक तंत्र पूरा चरमरा गया है। प्रशासनिक तंत्र का मैं निवेदन करूं, निदेशक से लेकर उप निदेशक तक के 70 फीसदी पद खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ इसलिए कि मंत्री महोदय चयन नहीं कर सके कि किस चहेते को किस पद पर लगाएं। इन सारी चीजों पर भी आपको गम्भीरता से बात करनी चाहिए।

अन्त में, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। परन्तु जिस तरह का भट्टा इस सरकार का बैठ रहा है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, निश्चित तौर पर चिन्तनीय है। सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्डियोथिरेपी विभाग में लम्बे समय से मशीन खराब पड़ी हुई है। कार्डियोथिरेपी विभाग के अन्दर मशीन खराब होने के कारण लगातार आपरेशन पोस्टपोन होते जा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल एंथ्रोलोजिकल, सर्जिकल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एंथ्रोलोजिकल और इनमें नए निकायों की स्थापना करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, समय की पुकार है। सुपर स्पेशलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस बारे में मंत्रीजी को विचार करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में...(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में विचारार्थ प्रस्तुत मांग के प्रभारी मंत्री की उपस्थिति आवश्यक

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस मांग संख्या पर आज सदन यहां विचार कर रहा है उसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की चिकित्सा सेवाएं भी आती हैं। आयुर्वेद मंत्रीजी सदन में नहीं हैं। (व्यवधान) अब उससे सम्बन्धित जो भी बात कोई कह रहे हैं तो आप कोई व्यवस्था करो कि... (व्यवधान) हमेशा यह परम्परा रही है कि जिस मंत्री की या जिस विभाग की मांग होती है उसके प्रभारी मंत्री को तो कम से कम सदन में होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जो भी बिन्दु उठाएंगे, उन सबका जवाब दिया जाएगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब कौन देगा? (व्यवधान) आप इस तरीके से मत टालिए। (व्यवधान) यह बहुत जरूरी सवाल है।

श्री सभापति : आपको जवाब मिलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बहुत जरूरी सवाल है। व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) आज हम देख रहे हैं, जब से चर्चा शुरू हुई है, 5-6 माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रख चुके हैं और... (व्यवधान)

श्री सभापति : बहुत-से माननीय मंत्री बिराजमान हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, अगर किसी ने आसन से अनुमति ली हो या... (व्यवधान) आयुर्वेद मंत्रीजी किसी को अधिकृत कर गई हों तो उनकी सदन को सूचना दें...(व्यवधान) इस बात की।

श्री सभापति : आपको जवाब मिलेगा (व्यवधान) आप बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब कौन देगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बताइये तो सही नोट कौन कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए ना। (व्यवधान) जवाब मिल जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान) आज जब सदन किसी महत्वपूर्ण चीज पर विचार कर रहा है, मंत्रीजी हाउस में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर कोई परिस्थिति हो सकती है, जा सकते हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : किसी को अधिकृत करके गई हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी बिराज रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथी की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गम्भीर बात है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेडिकल का और फैमिली वैलफेयर का तो मंत्रीजी दे देंगे, लेकिन...(व्यवधान)

श्री सभापति : दे देंगे, यह सबका दे देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह अलग विभाग है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह उसका जवाब कैसे देंगे? (व्यवधान) आप देखिए, शिक्षा की मांग पर जिस दिन विचार होता है तो शिक्षा मंत्रीजी के अलावा संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी भी जवाब देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। (व्यवधान) आपने ध्यान आकर्षित कर दिया ना। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आपको इसके ऊपर व्यवस्था देनी चाहिए। (व्यवधान) आपसे मेरा यही निवेदन है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : आप उनको उपस्थिति होने का निर्देश भी दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कोई भी नहीं देगा तो कांग्रेस के विधायक इतने मजबूत हैं, हम भी जवाब दे देंगे आपको। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि उन्होंने अध्यक्ष महोदय से आज की छुट्टी मंजूर नहीं कराई है...(व्यवधान) अनुपस्थित रहने की परमिशन नहीं ली है तो उपस्थित क्यों नहीं हैं? (व्यवधान) आखिर में तो यह प्रक्रिया है, यदि कोई सदस्य अनुपस्थित होना चाहता है तो परमिशन लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। आपने ध्यानाकर्षित कर दिया। मुख्य सचेतक महोदय यहां पर बैठे हैं, सब व्यवस्था हो रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनको अधिकार दे रखा है। (व्यवधान) सबसे पुरानी पद्धति है यह। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : व्यवस्था तो दो। (व्यवधान) मुझे यूनानी से सम्बन्धित बात कहनी है, आयुर्वेद से सम्बन्धित अपनी बात कहनी है, तो जवाब कौन देगा? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति जी, विभागों को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : आपके पास तो इस बात की जानकारी नहीं है। (व्यवधान) संस्कृत मंत्री की... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, श्रीमानजी, बिराजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सचेतक महोदय को संस्कृत मंत्री की शपथ दिला दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए, कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मांग संख्या–26 पर सदन में विचार हो रहा है। हमारा जो सिस्टम है, उस मांग संख्या–26 पर विचार हो रहा है। अब सुविधा के लिए एक ही स्वास्थ्य विभाग को अलग–अलग मंत्रियों में विभाजित किया हुआ है। (व्यवधान) नियमों में कहीं यह बाध्यता नहीं है कि इन मंत्रीजी को जवाब देने से रोका जाए। जो मांग संख्या–26 का जवाब देंगे, वह आयुर्वेद और उसका भी जवाब दे सकते हैं। इसमें आपको कहां पर परेशानी है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनसे कहलवा दें कि यह देंगे। (व्यवधान) यह आयुर्वेद और यूनानी का भी...(व्यवधान) यह अधिकृत हैं इस बात के लिए... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको जवाब मिलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बजट पर चर्चा के दौरान हमने आयुर्वेद और यूनानी से सम्बन्धित मुद्दे उठाए थे। (व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दी थी कि जिस रोज इसकी मांग होगी उस दिन डिमांड के रोज इसका जवाब दे देंगे। (व्यवधान) उसका जवाब भी यह दे देंगे, या आप देंगे? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको जवाब मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय आजाद साहब... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार इस पर गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : जवाब मिलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई बात नहीं हुई। मुख्य सचेतक महोदय, यह कोई सरकार को...(व्यवधान) बात नहीं है। यह कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह सरकार की गैर जिम्मेदारी की हद है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन व्यवस्था देगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार इस पर गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एक विभागीय मंत्री...(व्यवधान) आयुर्वेद का विभाग लेने के लिए...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब देने के लिए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय...(व्यवधान) आयुर्वेद की राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में हमारी शान है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य (व्यवधान) इनको अपनी बात कहने दीजिए। आप बिराजिए। (व्यवधान)

(14.36 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप क्या उनको संस्कृत मंत्री की शपथ दिला रहे हैं, आयुर्वेद मंत्री की? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आयुर्वेद मंत्री जी ने आज अध्यक्षजी से अनुपस्थित रहने की कोई इजाजत नहीं ली है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : उत्तरखण्ड गई हुई हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह सरकार की गैर जिम्मेदारी की हद है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इस सारी बहस का एक मंत्री बिना सुने जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको डायरेक्शन दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले बिराजिए। पहले आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मंत्री महोदया उत्तरांचल चली गईं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। (व्यवधान) प्लीज बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए ना। (व्यवधान) इनका जवाब देने को कम नहीं है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप एक बात बता दो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : क्या मंत्री महोदया उत्तरांचल गई? (व्यवधान) सदन में उपस्थित नहीं होकर क्या उत्तरांचल गई हुई हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। आप बिराजिए ना। (व्यवधान) माननीय सदस्य गवर्नमेंट की जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है। (व्यवधान) यह जरूरी नहीं है कि अमुक मंत्री नहीं होंगे तो आपका जवाब नहीं मिलेगा। आप अपनी बात कहिए, जवाब नहीं मिलेगा तब कहना। यह कौनसा पाइंट आफ आर्डर है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नोट कौन कर रहा है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप छूट दे रहे हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन का आदेश शिरोधार्य है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको जवाब नहीं मिलेगा तब बात करना। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब कौन देगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप छूट क्यों दे रहे हैं? मंत्री को चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कौन देगा। (व्यवधान) आपकी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नोट कौन कर रहा है? (व्यवधान) नोट कौन कर रहा है? कोई नोट कर रहा तो कोई जवाब...(व्यवधान) हम तो यह जानना चाहते हैं आज वह हैं कहां? हाउस को यह बताएं तो सही कि आज हैं कहां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह गम्भीर नहीं हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आज आयुर्वेद मंत्रीजी हैं कहां पर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूरामजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे परमिशन लेकर गई हों तो बता दें। (व्यवधान) यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहोगे कि नहीं? (व्यवधान) आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बोलने की बात तो है ही, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर्यटन मंत्रीजी खड़े होकर कह दें, मैं जवाब दे दूंगी, मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बिराजिए। (व्यवधान) आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? एक घंटे तो आपने बोल लिया और टाइम खराब कर रहे हैं, प्लीज आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम टाइम खराब करने नहीं आए हैं, (व्यवधान) हमें जनता ने भेजा है। हमें, उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने भेजा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई इश्यू नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन का सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनता ने समय खराब करने के लिए भेजा है क्या? जनता ने समय...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, मंत्रीजी हैं कहां पर? (व्यवधान) प्रभारी मंत्रीजी, हमेशा सदन की परम्परा रही है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आयुर्वेद मंत्री और यूनानी मंत्री ही उसकी बहस का जवाब देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप हमको इस बात की जानकारी तो दीजिए कि... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह गईं कहां, यह तो बताइये? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उत्तरांचल गई हुई हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप यह तो बताओ कि मंत्रीजी गईं कहां? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रामूजी, वह उत्तरांचल गई हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको खुली छूट क्यों दे रखी है? (व्यवधान) आज सदन में चर्चा हो रही है और मंत्रीजी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपको बता दिया कि उत्तरांचल गई हुई हैं, काहे को हल्ला कर रहे हो? (व्यवधान)

व्यवस्था

विचारार्थ प्रस्तुत मांग पर सरकार का कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है गवर्नमेंट की...(व्यवधान) वह जवाब देगी। आपको क्या तकलीफ है, सरकार जवाब देगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब के लिए तैयार ही नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आयुर्वेद और यूनानी का कौन जवाब देगा? (व्यवधान) हमारा आपसे निवेदन है, जवाब देगा कौन? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डिस्प्यूट नहीं है (व्यवधान) कौन देगा जब बात करेंगे। डिबेट खतम हो गई क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, नोट तो करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य बोल चुके, कोई नोट लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई नोट लेगा तभी तो जवाब देगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलना चाहोगे? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आखिर जानकारी तो हो, आयुर्वेद मंत्रीजी हैं कहां पर? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : छूट दी जा रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हाउस में हैं, जयपुर में हैं, राजस्थान में हैं, हिन्दुस्तान में हैं, कहां पर हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उत्तरांचल गईं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्री महोदया उत्तरांचल निकल गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप कृपा करो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पहले ही सदन के प्रति गम्भीर नहीं है, आपको प्रताड़ित करना चाहिए इनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था को समझते हैं, सरकार बैठी है। (व्यवधान) सरकार जवाब देगी। बात का जवाब, आपका जवाब नहीं आए तब बात करना, फालतू क्यों बहस कर रहे हो? (व्यवधान)

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : आज चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको उसमें शरीक करता हूं। अशोक गहलोत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में इन 3 वर्षों में ही ज्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं और बहुत सुविधा दी है। उसमें

(श्री नाथूराम अहारी)

सबसे पहले मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को असाध्य रोगों के लिये 16.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 857 लोगों को लाभ मिला है। इसी तरह आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्र में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति को यह आदेश दिया है, प्रति माह 8 हजार रुपये में डाक्टर रखने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसी तरह मेडीकेयर रिलीफ कोर्ड, गत 3 वर्षों में कांग्रेस अर्थात अशोक गहलोत की सरकार ने चयनित परिवारों के 23 लाख 10 हजार सदस्यों को मेडीकेयर रिलीफ कार्ड वितरित किये हैं और अब तक 11 लाख 91 हजार व्यक्तियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपये की निःशुल्क दवा दी गयी है।

जनसंख्या नीति के अन्तर्गत हमारे विपक्ष के जितने भी लोग हैं, कांग्रेस की सरकार ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को चलाया था उस समय इन्होंने इसका विरोध किया था। इस तरह से विरोध किया और विरोध करने के बाद लोगों में भ्रम फैलाया कि यह नसबन्दी का जो कार्यक्रम है, गलत है, कांग्रेस यह गलत काम कर रही है। बी.जे.पी. वाले हाबी हुए और आज भी ये देश को भ्रमित कर रहे हैं। अब जब ये केन्द्र में बैठे हुए हैं तो क्या इस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं? इसको छोड़ दिया क्या आपने? तो आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, खुद अपने आप देख लें। राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना जुलाई, 2001 में की गयी है। जनसंख्या के बारे में सरकार द्वारा 1995 से दो से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी और पंचायती राज में अयोग्य घोषित किया गया है। यह भी एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल 200 सब सेंटरों को क्रमोन्नत करने का जो प्रस्ताव है, वह भी बहुत सराहनीय कार्यक्रम है।

महोदय, अब मैं कुछ समस्याओं और सुझावों के बारे में आपसे निवेदन करता हूं। डूंगरपुर जिला हैडक्वार्टर पर कांग्रेस की सरकार ने शहर के एक हास्पिटल को 3-4 किलोमीटर दूर ले जाकर स्थापित किया था, जिससे डूंगरपुर शहर में पी.एच.सी. या कोई भी सी.एच.सी. की स्थापना करना बहुत जरूरी है क्योंकि शहर से 3 या 4 किलोमीटर दूर जाने में शहरवासियों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप वहां एक पी.एच.सी. की स्थापना करें जिससे डूंगरपुर नगरपालिका के लोगों को फायदा मिल सके। डूंगरपुर आदिवासी और पहाड़ी एरिया है, वहां आप जनसंख्या के अगर मापदण्ड देखते हैं तो डूंगरपुर जिले के लिये वह बहुत सुविधाजनक नहीं है क्योंकि बिखरी हुई आबादी वहां है। पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी पर एक गांव, एक गांव दूसरी पहाड़ी पर, इस तरह से बहुत

(श्री नाथूराम अहारी)

लम्बे/लम्बे क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं। इसलिये आप वहां ये मापदण्ड नहीं रखें। जहां भी 10-15 या 20 घरों की आबादी हैं वहां पर सब सेंटर खोलने की जरूरत है। सब सेंटर हैं नहीं, सब सेंटर के भवन तक नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी को यह निवेदन करता हूं कि जहां-जहां भी सब सेंटर नहीं हैं वहां पर सब सेंटर खोलें।

इस वर्ष सब सेंटर क्रमोन्नत करने की बात कही गयी है, वह बहुत कम है। पी.एच.सी. खोलने की भी जरूरत है। हमारे डूंगरपुर एरिये में बहुत दूर-दूर घर बसे हुए हैं, इसलिये पी.एच.सी. की तो बहुत कमी है। एडपोस्टों की भी कमी है, सब सेंटर्स की भी कमी है। तो आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप जहां-जहां भी अनुकूलता है, जहां-जहां भी बिखरी आबादी है वहां पर सब-सेंटर, एडपोस्ट और पी.एच.सी. का प्रस्ताव रखें और इस साल ही इसे खोलने की कृपा करें जिससे लोगों को बहुत परेशानी नहीं उठानी पड़े। दूर-दूर पी.एच.सी. होने के कारण लोगों में काफी परेशानी होती है। कोई प्रसव पीड़ा में हो, कोई रोगी हो उसको खाट पर सुलाकर ले जाना पड़ता है। आवागमन के साधन कम हैं। इसलिये मेरी मांग है कि डूंगरपुर जिले में जहां-जहां दूर-दराज में जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों में सब-सेण्टर, एडपोस्ट और पी.एच.सी. खोलने की कृपा करें। आपने डूंगरपुर का दौरा किया था। डूंगरपुर की स्थिति क्या है, आपसे छिपी हुई नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वहां पर सब-सेंटर, एडपोस्ट और पी.एच.सी. खोलें।

इसके अलावा डूंगरपुर में कई डाक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और हो सकता है कि सरकार को उसमें परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन भले कुछ भी हो, डाक्टरों की जो जगह खाली पड़ी है उनको नहीं भरेंगे तो हमारे लिये खोलना, नहीं खोलने के बराबर है। यह मेरी मांग है कि जहां भी जगह खाली पड़ी है वहां पर आप उसे स्थापित करें और डाक्टरों की जो कमी है उसे पूरा करें। इसके अलावा कई जगह आपस में ट्रांसफर के लिये आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं तो उसमें भी व्यवधान करें और उसमें भी आप नहीं करें, यह अच्छी बात नहीं है। जब आपस में डाक्टरों को स्थानान्तरण नहीं होता है तो उसकी रूचि के खिलाफ है। वह नहीं चाहता है वहां और आप जबरदस्ती उसे थोपना चाहते हैं तो वह दिल से काम नहीं करेगा। इसलिये जहां आपस में डाक्टरों के ट्रांसफर होने के लिये एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें आप कोई कोताही नहीं बरतें तथा उनका स्थानान्तरण करें। इसके अलावा जहां रिक्त जगह पड़ी हैं वहां भी आप उसे भरे। मेरे डूंगरपुर से कई नर्से हनुमानगढ़ और जैसलमेर जैसे स्थान पर बहुत दूर-दूर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको भी डूंगरपुर में लाने की कृपा करें। वे डूंगरपुर में तभी आ

(श्री नाथूराम अहारी)

सकती है जब आप सब सेंटर खोलेंगे। उनके साथ हमको 2 जनों को रखना पड़ता है। बच्ची के साथ में उसका एक सहयोगी साथ में रहता है तब जाकर वह रह पाती है। इसलिये इस समस्या को भी आप ध्यान में रखकर दूर-दूर जिलों में जो नर्सें रहती हैं जो दूर-दराज में हैं, उन्हें आप डूंगरपुर क्षेत्र में, भले डूंगरपुर में न लाएं तो बासंवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर डिविजन में उनको लाने की हम मांग करेंगे तो उसे भी आप करने की कोशिश करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आयुर्वेद का रिप्लाई कौन देगा?

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात शुरू हो गयी। आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन से आपको आश्वासन मिल गया, गवर्नमेंट की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है और उसको उत्तर मिलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : बारूपालजी कह रहे हैं, मुझे दिया है चार्ज। बारूपालजी, अभी इनको दिया है चार्ज।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : दे दिया हो आज।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको जानकारी है मंत्रिमण्डल के सदस्य कौन हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो, बोलो।

श्री नाथूराम अहारी : आयुर्वेद के बारे में भी मैं दो बातें बताऊंगा। आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि बहुत ही अच्छी पद्धति है लेकिन वहां आयुर्वेद के औषधालय बहुत कम हैं और आयुर्वेद में दवाई बिलकुल नहीं आती है, बहुत ही कम आती है। इसलिये मेरी मांग है कि इन औषधालयों में ज्यादा से ज्यादा दवाई भेजी जाए। उसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो तो मैं समझता हूं कि उस पद्धति से ज्यादा मरीज राहत पाएंगे। आपसे मेरी यह विनती है कि आयुर्वेद में जो दवाई कम आती है उसमें ज्यादा से ज्यादा भेजें। इसके अलावा आयुर्वेद में कई जगह भवन नहीं हैं, इस बारे में भी आप कोई बजट रखें और ऐसे भवनहीन आयुर्वेद औषधालय हैं उन्हें भवन दिलवाने की कृपा करें।

आपने टाइम दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-26 पर चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा कि मैं कहूं जब बुलवा देना मुझे। मैं कहूं जब बुलाना मुझे जब तो यह कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने कहा कि पहले बुलवाइयें।

श्री उपाध्यक्ष : अब इनके बाद बुलवा देंगे, बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने यह अर्थ कैसे निकाला?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आप लास्ट हैं, फिर बचेगा कुछ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध सुन लीजिए। मैं अपना...(व्यवधान) पेश कर देता हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सर, वह बोल रहे हैं। सर, मुख्य सचेतक महोदय फरमा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप टाइम खराब करते हो यूं ही।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वह फरमा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। बंशीवालजी, बोलो। बिराजिए, बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका तीन साल पहले वाला ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि जब 1999-2000 में बजट यहां पर पेश किया गया था, तब उसमें हमारे जिला अस्पताल, दौसा के लिए सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई थी, प्रत्येक बजट वर्ष में नवीन जिला अस्पताल भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का उन्होंने प्रावधान रखा और देने की बात उन्होंने कही। आज तीन वर्ष हो चुके हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष में हमारे को तीन करोड़ मिल जाने चाहिए थे, मगर सरकार ने मात्र एक करोड़ 48 लाख रुपया अब तक हमको उपलब्ध कराया है। अगर इनकी वित्तीय स्थिति खराब है तो ऐसी असत्य और थोथी घोषणाएं उनको नहीं करनी चाहिए थीं। हमारा जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है वह नेशनल हाई-वे का अस्पताल है। आये दिन वहां पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और चिकित्सा सुविधा जो वहां पर होनी चाहिए, वह उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको जयपुर रैफर किया जाता है। उसमें से अधिकांश की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। आपने वहां पर डाक्टर भी ऐसे लगा रखे हैं कि वह यह कह देते हैं कि हमारे पास में चिकित्सा सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं हैं इसलिए आप इनको जयपुर ले जाओ। वह गैर-जिम्मेदाराना बात करते हैं। वहां पर चिकित्सा सुविधाएं मौजूद होते हुए भी उनको जयपुर रवाना कर देते हैं, मौत के मुंह में धकेल देते हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारा जिला अस्पताल तो आपने बना दिया, मगर उसके अन्दर आपने ब्लड बैंक की स्थापना नहीं की है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसके अन्दर ब्लड बैंक की व्यवस्था करें, जिससे कि इमर्जेंसी

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

के अन्दर वहां पर खून उपलब्ध रहे और कोई मरीज ऐसा आता है तो उसकी जान बचाई जा सके।

जिला मुख्यालय अस्पताल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मगर बड़ा दु:ख और खेद है, वहां से हमारे दो-दो, एक तो कैबिनेट दर्जे के सचेतक महोदय प्रतिनिधित्व करते हैं और एक राज्य मंत्रीजी करते हैं, उसके बाद भी हमारे जिला अस्पताल का ऐसा बुरा हाल हो रहा है, दुर्गति हो रही है कि उसको जिला अस्पताल कहने में ही शर्म आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस दानदाताओं ने उपलब्ध कराई। इमर्जेंसी के अन्दर किसी महिला को प्रसूति के लिए जयपुर लाना पड़े या किसी इमर्जेंसी के अन्दर ट्रोमा हो जाए, कोई एक्सीडेंट के अन्दर उनको जयपुर लाना पड़े तो एम्बुलेंस तो दानदाताओं द्वारा उपलब्ध है मगर ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। वह यह कह देते हैं कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर होता है, वहां पर है, मगर हमारे यहां के प्रशासन की लापरवाही की वजह से वहां पर यह उपलब्ध नहीं होते। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन है कि हमारे जिला अस्पताल, दौसा के अन्दर ड्राइवर भी उपलब्ध कराएं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में लवाण एक पंचायत पड़ती है, वहां पर एक प्रकरण चल रहा है पी.एच.सी. बिल्डिंग का। पंचायत में पी.एच.सी. बिल्डिंग निर्माण के लिए सरकार ने 18 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर चुकी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : छींक आ गई, दो बार छींक दिया इन्होंने।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : डबल हो गई।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : हो गया काम।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 18 लाख रुपये सरकार ने सैंक्शन भी कर दिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मगर आपकी नीति निर्धारण क्या है, हमारी समझ के बाहर की बातें हैं। कस्बा बहुत पुराना है और सकड़ी गलियां हैं, पी.एच.सी. की बिल्डिंग अन्दर है। पंचायत ने बिल्डिंग निर्माण के लिए जमीन आबंटित कर दी है बाहर, मगर किन्हीं राजनीतिक कारणों से उसको बाहर नहीं ला रहे हैं। वहां पर जो मेडिकल के दुकानदार हैं जो दवाइयां बेचते हैं, वे उस बिल्डिंग का निर्माण बाहर नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं, क्या है कि जो दवाइयां बेचते हैं अगर बाहर पी.एच.सी. बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है तो उनकी बिक्री बन्द हो जाएगी। वे खुद के निजी स्वार्थों के कारण पी.एच.सी. की बिल्डिंग को बनने नहीं देना चाह रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर पी.एच.सी. की बिल्डिंग उस शहर के अन्दर बना दी जाती

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

है, उस कस्बे के अन्दर बना दी जाती है और कोई मरीज इमर्जेंसी के अन्दर उस पी.एच.सी. के अन्दर जाए और आमने-सामने से कोई वाहन आ जाए तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाहन आपस के अन्दर क्रास नहीं कर सकते, एक वाहन को वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने के अन्दर एक-डेढ़ घंटा लग जाएगा और इसमें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि कस्बा बहुत पुराना बसा हुआ है और बहुत ही सकड़ा है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उस पी.एच.सी. बिल्डिंग के लिए बाहर जो पंचायत ने जमीन आबंटित की है, उसके अन्दर बनाने के आदेश पारित करें।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक आग्रह और है कि वहां लवाण कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है, 25 हजार की आबादी है, उसके अन्दर प्रसूति गृह नहीं है। अगर वहां पर प्रसूति गृह आपकी तरफ से हो जाए तो जो महिलाओं को 17-18 किलोमीटर लम्बा सफर तय करके हमारे जिला प्रसूति गृह में आना पड़ता है, उससे उनको जो दिक्कत और पीड़ा होती है उससे उनको निजात मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जब यह गंगापुर काण्ड हुआ था तो सरकार ने अपने सरकारी नुमाइंदे गंगापुर भेजे थे। तब आपके सैक्रेटरी हैल्थ रुके, यह बात है 28 तारीख की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर रुककर उन्होंने जो जिला अस्पताल का निर्माण हो रहा है, उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करके वह यह कहते हैं कि यह अस्पताल गलत जगह पर बन रहा है, इसको नीलाम कर देते हैं, इसके निर्माण कार्य पर रोक लगा देते हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति वहां पर पैदा कर दी, लोगों को भ्रमित कर दिया। यहां अभी निर्माणाधीन है और एक करोड़ 48 लाख रुपया सरकार का लग चुका है, लोगों ने इस आशा से कि यहां पर जिला अस्पताल का निर्माण हो रहा है, आसपास की जमीनों को खरीद लिया। किसी ने प्लाट बनाने के लिए खरीद लिया, किसी ने दवाई की दुकान खोलने के लिए खरीद लिया। अब उनके इस वक्तव्य से वहां पर एक असमंजस की स्थिति हो गई है। लोगबाग जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो मुझ से पूछते हैं कि क्या हास्पिटल की बिल्डिंग शिफ्ट हो रही है, या हास्पिटल का निर्माण कार्य रुक गया क्या। रोका तो इस कारण से है क्योंकि आपने पैसा उपलब्ध नहीं कराया, मगर लोगों के दिमाग में इस तरह से भ्रम पैदा हो गया कि सरकार इस अस्पताल को यहां से शिफ्ट करना चाहती है। उन्होंने इस तरह से कहा कि यह जगह का जो चयन हुआ है जिला अस्पताल का, वह गलत जगह हुआ है। जब चयन हो गया, एक करोड़ 48 लाख रुपये सरकार के लग गये, तब इस तरह से आपके सैक्रेटरी साहब का वक्तव्य देना मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने ऐसा क्यों दिया। या तो वह सैक्रेटरी ही है या गवर्नमैंट है। मुझे तो यह मालूम है कि He is the

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

Secretary to the Government. Government is the Minister and the Cabinet. ऐसे वक्तव्य वे क्यों देते हैं? ऐसे लोगों को क्षेत्र के अन्दर भ्रमित क्यों करते हैं? मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, मंत्रीजी, कि जब आप जवाब दें तो इस बात का आप खुलासा करें कि हमारा जिला अस्पताल जो निर्माणाधीन है, वह बनेगा या नहीं बनेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका आप जरूर खुलासा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं एक-दो निवेदन और करना चाहता हूं। खावारावजी मेरी एक पंचायत है, वहां पर आपका उप स्वास्थ्य केन्द्र भी है। वहां पर एक दानदाता ने 15 लाख की लागत से कोई निर्माण करवाया है जिसमें उसने एक आपरेशन थियेटर बनाया है। एक लेबर रूम बनाया है, एक चिकित्सक का आवास बनाया है और एक नर्सिंग स्टाफ का आवास बनाया है जिसे वह सरकार को दान देना चाहता है। दान के लिए उसने आपसे कई दफा गुहार भी की है। आपके सी.एम.एण्ड एच.ओ. दौसा ने 23.4.1998 को, निदेशक, जयपुर को पत्र लिखकर बोला कि खावारावजी में यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराया गया है जिसके अन्दर सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वह दान देना चाहता है। 10 हजार की आबादी है उस गांव की, उस भवन को निर्माण करके वह देना चाह रहा है। कई दफे पत्र व्यवहार हो गये, आपके पास ठीक है वित्तीय संसाधनों का अभाव है, मगर कोई दानदाता 15 लाख का निर्माण कार्य करके पी.एच.सी. की बिल्डिंग आपको बनाकर दे रहा है और उप स्वास्थ्य केन्द्र वहां पर चल रहा है तो आपको लेने में कहां आपत्ति आ रही है, यह मेरी समझ के बाहर है। मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है, मंत्रीजी कि आप इसको देखें। उसके बिलकुल पास में पांच-पांच डाक्टर पापड़दा के अन्दर नियुक्त हैं, अगर एक डाक्टर की नियुक्ति आप खावारावजी में कर देते हैं तो वहां की जो दस हजार की आबादी गांव की है, उनके लोगों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, राहत मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसके ऊपर भी बड़ी गम्भीरता से विचार करें।

(15.00 बजे)

मैं अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपके इस शासन में क्या हो रहा है, कोई धणी-धोरी नहीं जनता का। 16 फरवरी, 2002 को एक महिला का आपरेशन हुआ, उसका नाम है गुलाब देवी पत्नी कैलाश। वह महिला, महिला चिकित्सालय में गयी, उसका आपरेशन कर दिया। नसबन्दी कर दी। दूरबीन से नसबन्दी कर दी। फालो-अप में उसको 27 फरवरी, 2002 को वापस बुलाया, उसकी जांच की। जांच करने में ढाई महीने का बच्चा उसके पेट में आया। पाया गया। (व्यवधान) पाया गया... वही कह रहा हूं।

श्री मोहन लाल मोदी : कहां से आया?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आया क्या, बता रहा हूं कि कहां से आया। मैं बता रहा हूं कहां से आया। उसके पाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि उस महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा आपरेशन हो गया और मेरे पेट में ढाई महीने का बालक मौजूद है। मैंने किसका आपरेशन कराया इन डाक्टरों से? मैंने डाक्टर से पूछा, मैंने कहा आपने इस महिला का आपरेशन किया है तो क्या आपने इसको चैक नहीं किया था? आपरेशन से पहले डाक्टर पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं होता है और वह इस बात की विशेष रूप से जानकारी करता है, टैस्ट करता है कि यह महिला प्रेगनेंट है कि नहीं। अगर वह प्रेगनेंट होती है तो उसका आपरेशन नहीं करते हैं। पर बिना जांच किये उन्होंने उस महिला का आपरेशन कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने जिला कलक्टर की जानकारी में यह बात दी। मैंने कहा कि इस महिला का आपरेशन हो गया है। मैंने उस डाक्टर से बात की। डाक्टर कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे से पहले दो-दो डाक्टर और चैक करते हैं। उसके बाद मैं चैक करता हूं और उसके बाद फिर आपरेशन करता हूं। यह कोई जवाब नहीं हुआ उसका। वह आपके यहां कार्यरत है, राजकीय महिला चिकित्सालय में कार्यरत है। वह ऐसी किसी सिफारिश से बैठा हुआ डाक्टर है, जो किसी की परवाह नहीं करता। इससे बुरी बात क्या होगी कि वह महिला बी.पी.एल. कार्ड होल्डर है, शिड्यूल्ड कास्ट की महिला है। उस डाक्टर ने यह भी देखने की जरूरत नहीं समझी कि यह गरीब महिला है, बी.पी.एल. कार्ड होल्डर महिला है, शिड्यूल्ड कास्ट की महिला है। उसके साथ ज्यादती की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लापरवाह चिकित्सक हैं, जो ऐसी लापरवाही करते हैं, वह गलतियां करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, समाज के अन्दर इस तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं उनका आप इलाज करें। उसने तो उस महिला का इलाज किया नहीं किया, मैं आपसे आशा करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस दोषी डाक्टर के खिलाफ जांच करके कार्यवाही करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी की कौन सुनता है? शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की कौन सुनता है? मुकदमा कौन दर्ज कराएगा?

श्री उपाध्यक्ष : इधर बोलो आप। इधर बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं, आप हमेशा सुनते हैं। आप बहुत उदारवादी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : करो न, कह रहा हूं। हां, करो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपसे भी करना चाहता हूं, सदन से भी करना चाहता हूं। मंत्री महोदय से करना चाहता हूं कि नदबई में जो आपका अस्पताल है, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि उस अस्पताल का नाम हमारे डिप्टी स्पीकर साहब रहे हैं विधान सभा के, स्व. यदुनाथ सिंहजी, उनके नाम से कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया। इसके लिये आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा मंत्री ने मांग संख्या-26 की 26 अरब 2 करोड़ 45 लाख 46 हजार रुपये की मांग सदन में पेश की जिसे वह हमसे पास करवाना चाह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की क्या गारंटी है कि वह यह सारा पैसा खर्च कर लेंगे। मैं इस आधार पर यह बात कह रही हूं पिछले जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, खास तौर से विश्व बैंक ने जो पैसे दिये हैं, डब्ल्यू.एच.ओ. के जो पैसे आये हैं, भारत सरकार से जो पैसे आये हैं, वे सारे पैसे लैप्स हुए हैं, ये उनका पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर सके हैं। यह मैं उनके स्वयं के ही आंकड़ों से बताना चाहती हूं जो उन्होंने हमें प्रोवाइड कराये हैं, उपलब्ध कराये हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगी कि यह मांग जो हम कर रहे हैं, कम से कम इस वित्तीय वर्ष में जो-जो लक्ष्य दिये हैं, उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से यह प्राप्त करेंगे, यह आश्वासन हमें दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर हमें जो आंकड़े यहां पर उपलब्ध करवाये हैं, उसमें मैं उनको बतलाना चाहूंगी कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द अंधता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 13 करोड़ 80 लाख मोतियाबिन्द आपरेशनों के विरुद्ध केवल 10.58 लाख मोतियाबिन्द आपरेशन सम्पन्न किये। इस प्रकार 73 से 100 प्रतिशत की कमी प्रकट हुई है, क्योंकि नेत्र इकाइयों और डार्क रूमों का निर्माण नहीं किया गया है। वे अधूरे पड़े रहे और ये जो पैसे थे अंधता नियन्त्रण कार्यक्रम के, इनको और कहीं इस्तेमाल कर लिया गया। जो पैसा डार्क रूमों के लिये दिया गया था, 296 डार्क रूमों में से 39 निर्माणाधीन थे, 70 का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया। नमूना जांच किये गये जिलों में से पूर्ण हुए डार्क रूमों को उपकरणों के अभाव में एवं नेत्र विज्ञान सहायकों की नियुक्ति नहीं करने से उपयोग में नहीं लिया गया। इस प्रकार 3.16 करोड़ के जो प्रावधान थे, वे उपयोग में नहीं ले सके।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह तो खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्दर राजस्थान को लिया गया है और इसके लिये इस वर्ष 62.2 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन पिछला जो आपका रिकार्ड है उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब आप पिछला ही उपयोग नहीं कर पाये तो इसे कैसे उपयोग कर लेंगे? मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि केवल अंधता के लिये ही नहीं, क्योंकि जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे राजस्थान की जलवायु ऐसी है, आंधियां चलती हैं। यहां की वायु के अन्दर धूल के कण ज्यादा होने के कारण यहां पर मोतियाबिन्द जल्दी शुरू होता है, उम्र से भी पहले शुरू हो जाता है। मैं निवेदन कर रही थी कि जब वही उपयोग नहीं कर पाये तो आगे भविष्य के लिये तो कम से कम आप ध्यान रखें।

उसी तरीके से क्षय रोग के बारे में भी, जब तक क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था विश्व बैंक की सहायता थी उसमें 10.62 करोड़ रुपये, जो नकद मिला था उसके बजाय केवल 4.58 करोड़ खर्च हुआ। 6.04 करोड़ लैप्स हो गया, खर्च नहीं कर सके। क्षय रोग के अन्दर आप ताज्जुब करेंगे कि रुपया लैप्स हुआ सो हुआ, लेकिन इन्होंने इस बात की कोशिश नहीं की, जो पांच जिले थे, उन पांच जिलों के अन्दर थूक जांच के जो प्रकरण थे, रोगियों की मृत्यु हो गयी। आदमी मर गये और मरने के बाद 15 ऐसे केसेज हैं जिन केसेज के अन्दर उपचार को जारी रहना इन्होंने बताया। इस तरीके से... (व्यवधान) वह मिस-एप्रोप्रिएशन है कि जिसके अन्दर रोगी मर गया और आप लगातार उनका उपचार कर रहे हैं। थूक जांच भी दर्शा रहे हैं और उसका पैसा भी उठा रहे हैं। यह मिस-एप्रोप्रिएशन ही हुआ।

इसके तरीके से राज्य सरकार को जो पैसा दिया गया था उसका राज्य सरकार उपयोग भी नहीं कर पायी। यह सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट आपने हमें दी है, उसके अन्दर पेज नम्बर-24 आप नोट कर लीजिये, इसे देख लीजिए। इसी तरीके से दवाइयों की छोटी-मोटी चोरी हुई है। पेज नम्बर-25, 1.32 लाख रुपये की दवाइयां तीन जिला क्षय रोग अधिकारियों के कार्यालयों में, संयुक्त निदेशक के कार्यालय के स्टाफ रजिस्टर में नामे की गयी मात्रा की तुलना में कम प्राप्त हुई थीं। कहां गया यह पैसा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह पैसा गया कहां, किस लेवल पर गया, ये दवाइयां कहां चली गयीं। बाजार में चली गयीं या यह पैसा का पैसा ही गायब हो गया, क्या हुआ?

इसी तरीके से अस्पतालों में आपने जगह-जगह जो मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटीज बना रखी हैं, उनमें भी मशीनें,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

काटेज वार्ड्स, प्रेक्षागार, साइकल-स्कूटर स्टैण्ड, इस सब के लिए जो पैसा प्राप्त हुआ था उसे पैसे का सोसाइटीज उपयोग नहीं कर पायीं। इतना ही नहीं, आपने जिन को ठेका दे रखा था उस ठेकेदार को सरकार ने पैसा पहले पेमेंट कर दिया। उपयोगिता प्रमाण पत्र लिये बिना उसे पेमेंट कर दिया।

श्री मोहन लाल मोदी : काहे का ठेका?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये जो मेडिकेयर सोसाइटीज होती हैं बड़े-बड़े अस्पतालों के अन्दर, साइकल का ठेका, नीमकाथाना में नहीं है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में है। नीमकाथाना में नहीं है यह।

श्री मोहन लाल मोदी : मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी तो है वहां भी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वहां नहीं है। जहां काटेज वार्ड्स हैं, प्रेक्षागार हैं, साइकल-स्कूटर स्टैण्ड है, इनका जो पैसा था उस पैसे को ठेकेदार को बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र लिये ही इन्होंने पहले पेमेंट कर दिया।

इसी तरीके से आपने कुछ चीजों के आर्डर दिये थे, उस आर्डर को देने में देरी की वजह से 20.59 लाख रुपये का ज्यादा भुगतान करना पड़ा। इसी तरह से जो रोगियों ने पैसा जमा कराया था, चाहे अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी के लिए, चाहे पेसमेकर के लिए करवाया हो, चाहे एंजियोप्लास्टी के लिए करवाया हो, इस तरह का जो पैसा था वह 13.61 करोड़ रुपया है और उसमें से 3.31 करोड़ रुपया तो वापस कर दिया और 1.59 करोड़ बैंक में पड़ा हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि बिना किसी अनुमान के ही कर लिया। आपका जो फूड स्टोर था उसमें 5.76 लाख का ठेकेदारों को पहले ही पेमेंट आपने कर दिया। इन बातों से मेरा कहने का मतलब यह है....

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्या, सुरेन्द्रजी ने यह आपको गलत किताब पकड़ा दी, दूसरी बात कहो। आप दूसरी बात अच्छी कहोगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं कह रही हूं, मैं आगे आ रही हूं। सुनिये, सुनिये, मैं सब कहूंगी, मेरे को गलत किताब नहीं पकड़ायी। मैं इसलिए यह बात कह रही हूं कि जो डिमांड आपने की है, क्या आप मुझे इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि पिछली बार जब आप इतना सब कर चुके हैं तो यह जो आगामी हम से पैसा मांग रहे हैं, उसका तो इस तरह से दुरुपयोग नहीं करेंगे? इसलिए यह नजीर देना मेरे लिए आवश्यक था।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने अपने विभाग की जो अलग अलग सूचनाएं हमें उपलब्ध करवायी हैं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अलग-अलग पुस्तकों के जरिये, उन पुस्तकों में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग संख्या आपने बतायी है। राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम है, आज एड्स देश में एक भयंकर रूप ले रहा है और इसके लिए आप जागरूकता पैदा कर रहे हैं। रोजाना टी.वी. के ऊपर एड्स के बारे में आपकी तस्वीर भी आती है और इसके बारे में आपका बयान भी आता है। करीब करीब रोजाना ही भास्कर टी.वी. पर आपकी तस्वीर एक बार जरूर एड्स के बारे में दिखायी जाती है। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी कि जो आर्थिक समीक्षा आपने दी है उसके पृष्ठ 66 पर आपने बताया है कि 1.45 लाख आदमियों का इसके बारे में चैकअप किया गया, उसमें 429 एड्स के रोगी पाये गये। यह पेज नम्बर-66 है आर्थिक समीक्षा का, जो आपकी दी हुई है। आपने यह जो निष्पादन आय-व्ययक दिया है 2002-2003, इसके पृष्ठ संख्या-19 पर आपने बताया कि दिसम्बर, 2001 तक इस राज्य के अन्दर 357 एड्स रोगी पाये गये हैं। कौनसा आंकड़ा आपका सही है? यह आप बताने का कष्ट करियेगा कि इनमें से कौनसा आपका आंकड़ा सही है?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहता हूं कि आज की तारीख में 394 रिपोर्टेड एच.आई.वी. एड्स पाजिटिव केसेज हैं राजस्थान में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय मेरी बात ही नहीं समझ पाये। मैं कह रही हूं कि आर्थिक समीक्षा का पृष्ठ 66 है, उसमें बताया है कि दिसम्बर, 2001 तक 429 हो गये और यह बता रहे हैं 394 और इनका निष्पादन आय-व्ययक बता रहा है 357. अब आप मुझे यह बता दें कि कौनसा सही है? ये तीन आंकड़े बता दिये, इसलिए कौनसा आंकड़ा सही है, यह मैं इनसे जानना चाहूंगी। यह खुद और बता रहे हैं। दिसम्बर, 2001 तक तो 427 पाये गये और यह बता रहे हैं 394. अब इनकी बात को सही मानूं या इनकी बात को सही मानूं? कौनसी बात को सही मानूं, मेरे को यह बात समझ नहीं आ रही है। कृपया इसके बारे में स्पष्ट करें। (व्यवधान).... नहीं, अब आप देखिए मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, मुझे बोलने दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या को बोलने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह चुके हैं, उन बातों को मैं दोहराना भी नहीं चाहती लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन को कहना मैं आवश्यक

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

समझती हूं। वह इसलिए समझती हूं कि इसके बिना हम अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इन्होंने हम को जो आंकड़े दिये हैं। उनमें बताया है, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था, कि लगातार हमारा, किसी भी कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी जनता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित भी रहे और बीमार होने पर उनकी ठीक तरह से सम्भाल भी करे। हमारा बजट चाहे आंकड़ों के लिहाज से ज्यादा से ज्यादा होता चला जाए लेकिन पर कैपिटा, एक व्यक्ति के पीछे जो है वह धीरे-धीरे तीन साल से, जब से आप मंत्री बने हैं तब से लगातार कम हो रहा है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि 1999-2000 में 242.85 था, घट कर 2000-2001 में हो गया 228.64, 2001-2002 में हो गया है 181.02 और इस बार इससे भी कम हो गया, 2002-2003 में इससे भी कम हो गया। कोई जमाना था, बल्कि आज भी जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल की पूरे नार्दर्न इण्डिया के अन्दर बहुत अच्छी रैपुटेशन है- यहां के डाक्टर्स की, उनकी एफिशिएंसी की, उनकी काम्पिटेंस की। इसीलिए दूर-दूर से भी लोग अपने हार्ट का भी, गुर्दे का भी, यह सब इलाज कराने के लिए यहां पर आते हैं। एक समय तो ऐसा था। आज तो मैं नहीं कह सकती यह बात लेकिन एक समय ऐसा था कि राजस्थान समस्त हिन्दुस्तान के अन्दर मेडिकल सर्विसेज के हिसाब से चीपेस्ट था, सबसे सस्ता था और इसीलिए बाहर से लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमारी हालत यह हो गयी कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ गयी, 1901 के अन्दर राजस्थान की आबादी एक करोड़ थी और आज हो गयी 5 करोड़ 65 लाख. 64 समथिंग आंकड़े आपने दिये हैं लेकिन अब तक वह 5.65 करोड़ हो चुकी है। इसको पार ही कर गयी होगी, इससे कम नहीं होगी। (व्यवधान) 1901, 1901, 1901 में थी एक करोड़। उसके बाद धीरे-धीरे इन दशकों के अन्दर बढ़ी तो है सभी दशकों में, लेकिन सबसे अधिक, चूंकि हमने कुछ बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया है, एपीडेमिक्स को कंट्रोल कर लिया, इसलिए उसके बाद जिस तेजी के साथ बढ़ी है आज भी एवरेज राजस्थान की सबसे ज्यादा है। भारत की औसत एज से आज भी ज्यादा है। यहां पर मैं यह निवेदन कर रही थी कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी 1990 के अन्दर 8439 के ऊपर एक डाक्टर था। इतने व्यक्तियों पर एक डाक्टर हुआ करता था। फिर 1992 से 1997 में 7418 पर एक डाक्टर। यह इन लोगों ने कर दिया, माननीय पूर्व मंत्रीजी ने कर दिया। और उसके बाद आपके आने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के बाद तो धीरे-धीरे 1997-98 में 7206 पर एक डाक्टर हुआ, फिर 1998-99 में 7164 पर हुआ, 1999-2000 के अन्दर 7106 पर हुआ, 2001 के अन्दर 7207 पर हुआ, लेकिन अब देखिए अब 9033 व्यक्तियों के ऊपर एक डाक्टर है। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। साल दर साल हम यह पैसा तो बढ़ाते हैं मेडिकल का, लेकिन दस वर्ष पहले जहां 8439 पर था, अब बढ़कर 9033 व्यक्तियों के ऊपर एक डाक्टर है। ये सब आंकड़े हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि झुंझुनूं के अन्दर "इस्लामपुर" जगह है, वहां एक अस्पताल चलता है। 1974-75 में उसका उद्घाटन माननीय सुखाड़ियाजी ने किया था जो राजस्थान के इस वर्तमान स्वरूप के संस्थापक भी थे और जिनकी कल्पना भी थी, वही फाउण्डर और वही जिसे कहना चाहिए इसके प्रणेता और सब कुछ थे। वह एक प्राइवेट व्यक्ति ने बनाकर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, 1974-75 में तो सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें लिखा था यह मैटरनिटी, मातृ कल्याण, शिशु वर्ड भूल गये, यह मातृ कल्याण केन्द्र होगा। यह एग्रीमेंट में लिखा गया था कि मातृ कल्याण केन्द्र होगा। मुझे आप बताइये कि बिना शिशु के माता बनेगी कैसे? इसलिए यदि वह शिशु वर्ड रह गया तो क्या शिशु वर्ड नहीं होने की वजह से, लगातार तीन साल से याचिका समिति में भी दे दिया, माननीय मंत्री महोदय से वहां के लोग एक डैपुटेशन के रूप में मिल भी लिए, लेकिन शिशु के बिना माता बनेगी कैसे? मुझे यह बताओ कि मातृ कल्याण उसमें लिखा हुआ है तो माता बनेगी कैसे बिना शिशु के? इसलिए शिशु वर्ड रह भी गया तो यह तो कामन सैंस की बात है। जब मातृ कल्याण है वह। उन्होंने एक मैटरनिटी वार्ड बना दिया है, यहां पर प्रसव की सुविधा भी होनी चाहिए इसलिए उन्होंने छह शैय्याओं का वार्ड बना दिया। लेकिन हठधर्मिता माननीय चिकित्सा मंत्रीजी की कि शिशु वार्ड नहीं है, इसलिए माता का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए नहीं होगा माता का कल्याण। (व्यवधान) आप जवाब पर बोलना।

श्री राजेन्द्र चौधरी : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि यह हठधर्मिता मेरी है या व्यवस्था की है? उधर हाथ कर रहे थे अभी, उधर हाथ करो थोड़ा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे मालूम नहीं है कि यह किसकी है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी है कि डिपार्टमेंट की है या किसकी है। मैं नहीं जानती, लेकिन यह बात इसलिए कह रही हूं कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है मातृ कल्याण। उनकी भी हो सकती है। मैं कहूंगी, आगे आऊंगी, उनके बारे में भी कहूंगी। (व्यवधान) तसल्ली रखिए थोड़ी। यही तो मैं कह रही हूं कि उनकी तो समझ में इसलिए नहीं आयी कि उनके पास कोई आया नहीं था क्योंकि हमने आने की सोची ही नहीं कि हम उनके पास आएंगे लेकिन लोगों के दिमाग में यह बात आयी तो मैंने कहा कि माता बिना शिशु के बनेगी कैसे। जब मातृ कल्याण लिखा हुआ है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो उसे इम्पलीमेंट करने की जिम्मेदारी कोई भी सरकार हो, चाहे वह सरकार थी या यह सरकार हो, हमारे लिए तो वे भी ऐसे ही थे और आप भी वैसे हो। उन्होंने भी नये-नये कई कीर्तिमान स्थापित किये थे लेकिन, माननीय मंत्रीजी, उन कीर्तिमानों से आप आगे बढ़ गये, आप भी कम नहीं रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आज झुंझुनूं के अन्दर ही एक सी.एम.एच.ओ. लगे हुए हैं, कोर्ट से अपने ट्रांसफर के लिए स्टे लिया हुआ था उन्होंने। पोस्टिंग थी नवलगढ़ में। झुंझुनूं में पोस्टिंग भी नहीं। झुंझुनूं के सी.एम.एच.ओ. रिटायर हुए और उनको नवलगढ़ बुलाकर जो कोर्ट के स्टे से वहां पर लगे हुए थे, कोर्ट से स्टे ले रखा था उनको बुलाकर चार्ज दे दिया। आज आठ-नौ महीने बीत गये चार्ज लिये हुए। जिले के अन्दर ही दो डिप्टी सी.एम.एच.ओ. उनके सीनियर, छह डाक्टर्स और सीनियर, उसके बाद भी सी.एम.एच.ओ. बने हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हो ही नहीं सकता ऐसा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हो रहा है न। नाम गिना दूं। बता दूं आठ कौन-कौन सीनियर हैं? अभी बताती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक सैकण्ड में बता रही हूं। आप मुझे यह बताइये कि यहां पर दस अरब की डिमाण्ड लेकर आये हैं और हम अपनी बात भी न कहें तो कब, कहां और कैसे कहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : यहीं कहो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन को इन चीजों की जानकारी देना कि इस विभाग में क्या-क्या हो रहा है, मैं आवश्यक समझती हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, उनसे आठ डाक्टर्स सीनियर हैं। नाम लिखिएगा कौन-कौन सीनियर हैं। यदि मैं गलत कहती हूं तो मुझे बताइयेगा और सदन में बताइयेगा कि उसने गलत बयानबाजी की थी। आठ

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के नाम बता रही हूं। दोनों डिप्टी सी.एम.एच.ओ. तो सीनियर हैं ही, क्योंकि वे तो डिप्टी सी.एम.एच.ओ. बने हुए हैं। उनके अलावा डाक्टर भगवान सिंह, डाक्टर रामबिहारी सिंह, गिरधारी लाल मीणा, देवेन्द्र सिंह खिरोड़, नत्थू सिंह बग्गड़, मेघ सिंह दुल्लर, जगदीश बुगालिया और रामेश्वर सिंह, ये आठ व्यक्ति हैं। डिप्टी सी.एम.एच.ओ. के अलावा उनसे सीनियर हैं। मैंने इस बारे में चिट्ठी लिखी कि यह सरकारी नियमों का उल्लंघन कैसे हो रहा है, क्योंकि कोई भी जूनियर व्यक्ति कायदे से सीनियर नहीं बन सकता। क्योंकि जूनियर के नीचे कौन काम करेगा? लेकिन मजबूरी है। यह राजनीति में हो होता है, उपाध्यक्ष महोदय, it is by chance that one becomes very senior and one may become very junior, लेकिन ऐसा सर्विसेज में नहीं हुआ करता है। सर्विसेज में मैंने पहली बार ही देखा है कि आठ आदमियों को बाईपास करके इस तरह सीनियर कैसे बना दिया, क्यों बना दिया, क्या उसके पीछे हुआ, क्या नहीं हुआ लेकिन यह बात तो सही जरूर है। इस बारे में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। मैं यह भी नहीं कहती कि इस बारे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह बात हमारे मन में शंका पैदा करती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कारण हैं, ऐसा किसलिए हुआ। यह शंका पैदा करती है। मेरे नहीं, सबके दिमाग में शंका पैदा करती है। मैं चाहूंगी कि इस शंका का निवारण भी करें।

श्री जीतमल खांट : अब आपने सबके दिमाग में शंका पैदा कर दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाह रही हूं कि आज गांवों के अन्दर कई मेडिकल स्टोर्स चलते हैं और उन मेडिकल स्टोर्स के अन्दर अवधि पर दवाइयां बेची जाती हैं, लेकिन कोई नियंत्रण विभाग का नहीं है। विभाग नियंत्रण करेगा भी क्या? यह तो इनकी जो रिपोर्ट है उसमें ही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स-रे की प्लेट्स जब विभाग अवधि पार की दे सकता है तो फिर गांवों में चलने वाले मेडिकल स्टोर्स में तो अवधि पार की दवाइयां बिकना आम बात है। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह इस रिपोर्ट के अन्दर है कि अवधि पार की दवाइयां अजमेर और एक जगह और है, इन दो जगहों पर दी गयी हैं। मैं आपको बताऊंगी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि कोई नियंत्रण तो होना चाहिए कि इस तरह गांवों में मेडिकल स्टोर्स चलाने वाले लोग अवधि पार की दवाइयां नहीं बेच सकें। इसके साथ ही साथ एक बात के लिए तो मैं तारीफ करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष जो है, यह योजना प्रारम्भ करके तो अच्छा किया है। लेकिन इसके साथ मैं एक सुझाव भी देना चाहती हूं।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

वर्तमान में व्यवस्था यह है कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से पहले स्वीकृति होती है और उसके बाद पैसा मिलता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हार्ट पेशेंट इंतजार नहीं कर सकता। गुर्दा पेशेंट को जब कहा जाए कि आपको गुर्दा लगवाना है, आपका दूसरा गुर्दा खराब न हो जाए, तो वह भी इंतजार नहीं कर सकता। वह पन्द्रह दिन, बीस दिन का इंतजार नहीं कर सकता। इस समय व्यवस्था यह है कि यदि आपको पहले स्वीकृति मिल गयी तब तो पैसा मिल जाता है आपरेशन के पहले, लेकिन यदि आपरेशन आपने करा लिया तो पैसा नहीं मिलता है। मैं समझती हूं इसे भी ठीक किया जाना चाहिए। जरूरतमंद जो है, जो हार्ट पेशेंट है, जिसे कहा गया है कि पन्द्रह दिन तक आप इंतजार नहीं कर सकते हो, आपको वाल्व चेंज कराना है अपना, तो वह पन्द्रह दिन इंतजार नहीं करेगा, आपके पैसों का इंतजार नहीं करेगा। उधार लाकर, अपने गहने बेचकर, अपने मकान को गिरवी रखकर वह पैसा कहीं न कहीं से लाकर अपना इलाज कराएगा। इसलिए मेहरबानी करके इतना आप और करें कि ऐसे केसेज के अन्दर पुनर्भरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही ऐसे लोगों की मदद करने का है। कोई भी आदमी आपरेशन के लिए दे देते हैं, हार्ट के वाल्व के आपरेशन के लिए। मुझे मालूम है एक महिला को दो महीने बाद का समय दिया। घरवालों ने कहा कि यह दो महीने जिन्दा नहीं रह सकती। डाक्टर ने कहा दो महीने जिन्दा नहीं रह सकती। पच्चीस-तीस साल की लड़की थी, उन्होंने कहा, नहीं रह सकती। ख़ैर, उस मामले में तो इन्होंने पांच-सात दिन में पैसे मंजूर कर दिये, लेकिन बहुत से कैसेज ऐसे हैं जिन कैसेज के अन्दर आपरेशन कराने के बाद फिर पैसा नहीं मिलता है। तो यह व्यवस्था भी आप करें। यह पुनर्भरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक्स-रे की अवधिपार फिल्म जोधपुर में 282 दी गयीं और अजमेर में 519 दी गयीं। अवधिपार की फिल्म गवर्नमेंट ने दी है और अब इसी में...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : गवर्नमेंट ने दे दी तो फिर अपन को गम किस चीज का है? मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बात भी ठीक है, लेकिन वह दिए तले अन्धेरा होता है ना कई बार, तो आपने देखा दिए तले अन्धेरा। इनको यही पता नहीं है कि इनके यहां पर 282 अवधिपार एक्स-रे फिल्म दे दी गयी हैं। इनको मालूम नहीं है। अजमेर में भी दी गयीं और जोधपुर में भी दी गयीं। इसी तरीके से अवधिपार की औषधियां भी दी गईं। देने के बाद भी लक्ष्यों की पूर्ति तो फिर भी नहीं हो सकती।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : यह भी जोधपुर को दी गयीं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, जोधपुर और अजमेर दोनों जगह दी गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाइये, खास तौर से जयपुर में, जयपुर के बारे में जानकारी मुझे ज्यादा है क्योंकि यहां रहते हैं। झुंझुनूं का बी.डी. के अस्पताल, भगवान दास खेतान अस्पताल, किसी जमाने में उसकी बहुत अच्छी रैपुटेशन थी और बहुत अच्छे-अच्छे डाक्टर्स भी वहां पर थे, लेकिन आज बी.डी.के. की हालत बहुत खराब है। उस खराब हालत के लिए मैं तो जिम्मेदार सरकार को ही बताऊंगी। इस बात की बिलकुल चिन्ता नहीं है कि कौन डाक्टर कैसा है, डाक्टर का रखने का क्या क्राइटेरिया है। यह बात तो मेरे समझ में नहीं आती। एक झुंझुनूं की बात ही क्यों लें, जयपुर के अन्दर भी कई डाक्टर्स ऐसे हैं, जिसे कहना चाहिए, महीने के जो बीस-पच्चीस लाख रुपया कमाते हैं और वह प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर आपरेशन करते हैं। आपकी सर्विसेज में हैं, सवाई मानसिंह में पोस्टिंग है और जाकर वहां करते हैं। जब उनसे कोई पूछे तो वह कहते हैं कि क्या करें, हम तो अपनी किसी न किसी तरीके से व्यवस्था बैठाते हैं, दे लेकर काम करते हैं। मुझे नहीं मालूम वह किसको देते हैं, देते भी हैं कि नहीं देते हैं और क्या करते हैं, लेकिन यह बात सही है कि माननीय मंत्रीजी यहां नहीं हैं। यह बात सही है कि पांच-पांच, छह-छह महीने तक एक डाक्टर का स्थानान्तरण एक जगह से दूसरी जगह कर दें, डाक्टर वहां जाएं नहीं और पांच-छह महीने बाद क्या होकर, क्या ले-दे कर और क्या करके वह वापस उसी जगह पर आ जाएं, यह तो हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी कि कीर्तिमान तो उन्होंने भी स्थापित किए थे, लेकिन अपने इस कीर्तिमान को तोड़ दिया है। इन मंत्रीजी ने तोड़ दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या कहना चाहती हो आप?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एफीशिएंसी के कीर्तिमान, एफीशिएंसी के कीर्तिमान, और काहे के कीर्तिमान तोड़ दिये हैं? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या से यह सुझाव भी तो मांगो कि इस प्राइवेट प्रैक्टिस के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए सरकार को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह इल्लीगल है प्राइवेट प्रैक्टिस, मंत्रीजी, You are sadly mistaken. Private practice is altogether a different thing. Operating in a private nursing home, it is criminal offence. Hon'ble minister must know it. What the hon'ble member is pointing... इसमें सुझाव की जरूरत नहीं है it is absolutely prohibited by law and it is an offence.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसको समाप्त कर दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह आप इनसे क्या पूछ रहे हो, इनका सुझाव क्या होगा?

डा. चन्द्रभान : इनके विचार आने दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें विचार की जरूरत ही नहीं है, कानून का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, प्लीज समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, अभी कर रही हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चलने दीजिए ना, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बत्तीस मिनट हो गये।

डा. चन्द्रभान : आप प्राइवेट प्रैक्टिस को समाप्त करने के पक्ष में हैं या इसी व्यवस्था को चलने देना चाहिए, इस सम्बन्ध में अपने विचार जरा रखें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्राइवेट प्रैक्टिस अलग चीज है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्राइवेट प्रैक्टिस अलग चीज है...(व्यवधान) प्राइवेट प्रैक्टिस की बात मैंने थोड़े ही कही, मैंने तो कहा कि वह...(व्यवधान) सवाई मानसिंह में पोस्टेड हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर आपरेशन करते हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, वह तो गलत है ही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आपका है क्या इरादा प्राइवेट प्रैक्टिस करने का?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका प्राइवेट प्रैक्टिस करने का इरादा हो तो आप बताओ।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, वह तो गलत है ही। प्राइवेट क्लिनिक में जाकर वह तो निश्चित रूप से अनएथिकल भी है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं प्राइवेट प्रैक्टिस जो अलाउड है वह जारी रखनी चाहिए या इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहिए सरकार को इस पर सुझाव दें।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : महोदय, जहां प्राइवेट प्रैक्टिस की बात है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मंत्री महोदय ने निवेदन किया...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो प्लीज।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : हमको बोलने का...(व्यवधान) नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो प्लीज। (व्यवधान) आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे?

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : अगर आप बुलवाएं तो बहुत बढ़िया।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप बिराजो। बोलो जब बात करना।

डा. चन्द्रभान : माननीय सदस्या, आपने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस के कारण करप्शन बढ़ रहा है इसलिए मैंने...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्राइवेट नहीं, मैंने कहा कि प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर आपरेशन करते हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, यह नहीं है। पहले तो आपने यह बात कही, बाद में आपने कहा कि जिन डाक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी चलती है वे लोग कैसे भी यहां पर रह जाते हैं। इसलिए उसके बारे में राय चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपका इरादा है क्या? आप करना चाहते हैं क्या आने वाले समय में?

डा. चन्द्रभान : आप इनसे पूछ रहे हैं ना तो आप सुझाव दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमें जब मौका मिलेगा तो हम करेंगे, जो कुछ करना होगा हमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बुखार का इलाज आप कर सकते हो क्या? बुखार का इलाज भी डा. चन्द्रभान प्रैस्क्रिप्शन लिख सकता है क्या? जुकाम का इलाज लिख सकते हो क्या?

डा. चन्द्रभान : वह बात तो छोड़ो, उस बात पर कहां जा रहे हो? आप असली मुद्दे पर इनको क्यों नहीं आने दे रहे हो? इन्होंने बार-बार कहा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस जिन डाक्टरों की जम रही है, वे लोग करप्ट प्रैक्टिसेज को अपना रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे आग्रह इतना ही किया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए या नहीं जारी रहनी चाहिए, इसमें कोई नयी व्यवस्था भी हो सकती है क्या इस सम्बन्ध में?

डा. किरोड़ी लाल : तो हम दोनों इलाज कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों, दो, तीन, चार हैं...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है कि मैं इसके बारे में बताऊं ही आपको। मुझे तो आपकी कमियां बतानी हैं, मैं मेरे विचार आपको बताऊं, कोई आवश्यक नहीं है मेरे लिए।

डा. चन्द्रभान : इसके लिए तो मंत्री बनना पड़ेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, वह भी बात सही है। आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने तो सब चीजों को ठेके पर देना शुरू कर दिया। हर चीज को ठेके पर दे रहे हैं, अब आप सरकार को भी ठेके पर दे दो, मैं तैयार हूं लेने के लिए। आपसे बढ़िया चलाउंगी और ईमानदारी से चलाउंगी। इसलिए मैं यही निवेदन करते हुए कि पूर्व में... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो 99 साल की लीज पर लेंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा कि सरकार को ठेके पर लेने के लिए तैयार हूं तो आप निविदा आमंत्रित करके लेंगी, लीज पर लेंगी, कितने वर्ष की लीज होगी? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निविदा तो वह आमंत्रित करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी आफर आता है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप कंपीटीशन में आ जाओ तो खुली बोली लगा लेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निविदा तो वह आमंत्रित करेंगे, मैं किसलिए करूंगी? निविदा तो वह आमंत्रित करेंगे जब बताउंगी ना। निविदा तो वह आमंत्रित करेंगे, मुझे थोड़े ही करनी है निविदा आमंत्रित।

श्री मोहन लाल मोदी : पहले आपस में तो तय कर लो, कौन लेना चाहता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सुमित्राजी को डैप्यूट कर दिया हमने तो।

एक माननीय सदस्य : खुली बोली लगाओ ना आप।

डा. किरोड़ी लाल : ऐसी निकम्मी सरकार की कोई बोली भी नहीं लगाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बोले जाओ फिर आप। बोलेंगे जैसे...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार कैसी भी हो, सरकार को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी अपनी है ना...

श्री देवीलाल : आपके राज में दे दी है। आपके राज में दे दी, वह लगा ली बोली। वह दे रहे हैं और आपने आंखें मींच लीं। वह जनता दे रही है ना...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात यही कहती हूं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में 1998 से चार वर्ष के लिए, हालांकि यह कह चुके हैं लेकिन मैं इसको दोहराना इसलिए आवश्यक समझती हूं कि जिस रेट से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, 2004 तक पूरी छह करोड़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि चार वर्ष के लिए अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को 42.83 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, वह क्या किया? इसमें से कितने खर्च हुए? 18 करोड़ 10 परसेंट इसमें राज्य को देना था और अब तक 18 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन खर्च कर सकी है अब तक सरकार 13.46 । वर्ष 2002 के अन्दर इस परियोजना के लिए 20.29 करोड़ का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि जिस गति से आबादी के नियंत्रण कार्यक्रम में यह हमारा प्रान्त चल रहा है, उसी रेट से आज शिशु दर, इन्फेंटाइल

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मोर्टलिटी, इसमें हम औसत से ज्यादा हैं। महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु, इसमें भी आज हम सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद भी जो औसत लिंग का भेद है महिला और पुरुष का, वह भारत का जो एवरेज है, उससे हम पीछे हैं। यहां 922 ही है जबकि वहां 933 है। तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यदि हमने आबादी नियंत्रण को बहुत अधिक गम्भीरता से नहीं लिया तो, ठीक है मंत्रीजी ने कह दिया कि हम जून के बाद दो से ज्यादा बच्चे वालों को नौकरी में नहीं लेंगे। यह तो उन्होंने कह दिया, लेकिन बारह-बारह की फौज लिये जो खड़े हैं वे तो वह की वह सुविधाएं लेते जाएं और दो वालों को आप कर दो, बैन लगा दो...

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसके बारे में मैं बता दूं कि एक प्रावधान यह भी किया है कि 1 जून, 2002 के बाद में जो सर्विस में हैं उनके यदि तीसरी संतान हो जाएगी तो पांच वर्ष तक पदोन्नतियां नहीं दी जाएगी। यह अब उनको भी रोक लगा दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इससे भी कोई मतलब नहीं निकला। उससे भी क्या मतलब निकला है? सवाल यह है कि आप...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपने कटौती प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करती हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो, बैठो। श्री वृद्धिचन्दजी जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्र और जिले की समस्या के बारे में आना चाहता हूं क्योंकि वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने प्रश्न पूछा था कि कितने पद रिक्त हैं, तो यह बताया गया कि वरिष्ठ चिकित्सक का एक पद रिक्त है। कनिष्ठ विशेषज्ञ के बाड़मेर जिले में सत्रह पद रिक्त हैं। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के सात पद रिक्त हैं और चिकित्साधिकारी के तेरह पद रिक्त हैं। मैंने यह भी जब पूरी जानकारी प्राप्त की तब यह पता पड़ा कि हमारे बाड़मेर जिले के जो सामुदायिक विकास केन्द्र हैं- सिवाना है, सुन्दरी है, सिणधरी है, धोरीमन्ना है, गुढ़ामालानी है, बालोतरा है, सबमें 1993 से लेकर 2.8.2002 तक पद रिक्त हैं। जो पद रिक्त हैं, मैंने जो स्थान बतलाये हैं, ये सभी या तो पंचायत समिति के मुख्यालय हैं, या तहसील के मुख्यालय हैं और बाड़मेर जिले का मुख्यालय है। ये जो रिक्त पद हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया आप जल्दी से जल्दी भर दें, इनकी बहुत ही आवश्यकता है। पद कब तक भर सकेंगे, इसके बारे में मुझे जानकारी प्रदान करें ताकि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मैं बाड़मेर जिले की जनता को संतुष्ट कर सकूं कि हमारे जितने भी रिक्त पद हैं उन सब पदों को भर दिया जाएगा। अब प्रश्न है कि बाड़मेर... (व्यवधान) एक मिनट, अब आप शांत रहिये...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्षजी, अब यह सरकार...(व्यवधान) इतने पद रिक्त हैं, सब जगह रिक्त पड़े हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो आप कह रहे हो वह कहने दो उनको। (व्यवधान) आप बोलने दो ना उनको। क्यों बीच-बीच में बोल रहे हो?

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, क्या करें? करें क्या फिर? सुना ही सुना करें?

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या लोग नहीं बोलेंगे? (व्यवधान) आप बोल रहे हैं...

श्री हीरासिंह चौहान : बोलेंगे, बोलेंगे, लेकिन जो व्यथा और पीड़ा है उसको हम कहते हैं। सभी जगह पद रिक्त हैं, फिर इनकी यूटिलिटी क्या है हास्पिटल्स की? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पद खाली हैं इसलिए लोग मर रहे हैं बीमारियों से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लो। सब एक साथ ही बोल लो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बोलने का नहीं है, वाकई में यह व्यवस्था क्या है? व्यवस्था पर तो बोलने का मौका दोगे ना... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मर रहे हैं लोग बीमारियों से, व्यवस्था चाह रहे हैं। इतने पद खाली हैं कि सत्यानाश हो रहा है राजस्थान का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो बैठ जाएंगे, आपका आदेश मान लेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि...(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह ऐसा है... (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : आप भी सुनिये। उपाध्यक्षजी जो बात कह रहे हैं वह सुनिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय बात कह रहे हैं वह सुनिये...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बोलने में कोई हमें मजा नहीं आ रहा है? कह रहे हैं कि 17 पद रिक्त पड़े हैं उनको भरने की क्या व्यवस्था है? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : तीन साल से खाली पड़े हैं, उपाध्यक्षजी, तीन साल से।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं भी कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हर बात में आप लोग उठ जाते हो। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : ये पद तो पहले से ही रिक्त हैं, यह कोई नयी परम्परा है क्या? यह तो यथावत है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तीन साल से कोई स्पेशलिस्ट नहीं...(व्यवधान) पी.एच.सी. में चार-चार डाक्टर की जगह एक-एक डाक्टर...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, केवल पढ़ा है...(व्यवधान) कोई नयी परम्परा नहीं है, कोई पुरानी परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : ये पद जो रिक्त हैं, ये नाइंटी से...(व्यवधान) ये पद रिक्त हैं। ये पद जो रिक्त हैं...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह आक्रोश पैदा करने वाली बात है इसीलिए कह रहा हूं, बाकी हमें कोई मजा आ रहा था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हो, हम कहते हैं जो तो सुनते नहीं हो। आप बोलते हैं जो वह नहीं सुनते हैं क्या? (व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है... (व्यवधान) कौन शांति से बोलते हैं...(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : शिव के अन्दर जो पद रिक्त हैं...

श्री मदन दिलावर : हम कितने परेशान हैं, जनता कितनी परेशान है, हमारी परेशानी कौन समझेगा? राजस्थान की परेशानी कौन समझेगा? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम राजस्थान की जनता के पक्ष में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : दिखाने भी नहीं जाता पर्ची लेकर भी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिए। बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सब जान की हानि हो रही है, उसको कौन समझेगा? (व्यवधान) आपकी आज्ञा मान करके हम बैठ जाते हैं, लेकिन...(व्यवधान) बहुत भयंकर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। (व्यवधान) अभी आपका नम्बर नहीं आया। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : वह सदस्यों की परेशानी की बात कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? जब आपका नम्बर आए आप बोलना। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह तकलीफ है, हमारी तकलीफ है। क्यों नहीं होगी। हमको तकलीफ? आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : ये पुराने बी.जे.पी. के शासन से रिक्त हैं, आज रिक्त नहीं हुए हैं। बी.जे.पी. के शासन से रिक्त हैं। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : यह अपनी बात कह रहे हैं, आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सब बोल लो। आप बोल लो जो खतम हो जाए। (व्यवधान) हां, तो ठीक है, आप बोले जाओ। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप भी यही तो बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : घंटे-घंटे तक आप लोग बोल लेते हो फिर दूसरे का नम्बर कहां आएगा? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : तीन साल से नहीं भर रहे हैं फिर बोलने से क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका नम्बर आए जब बोल लेना। (व्यवधान) रोकेंगे क्या? (व्यवधान) कौन कह रहा है, नहीं बोलने देंगे? 40-40, 50-50 मिनट तक यह बोले हैं अभी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : बोलने का तो आप नम्बर देते हो ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : महत्त्वपूर्ण बात नहीं है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : महत्त्वपूर्ण है तो आपका नम्बर आए तब बोल लेना ना। आपका समय आये जब बोल लेना।

श्री हीरासिंह चौहान : ये जो पोस्ट खाली पड़ी हैं, is it not a material point? क्या हमको बोलने का अधिकार नहीं है? केवल हम भाषण ही दें क्या? इस पर कमेंट्स नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के काम की आलोचना नहीं कर सकते?

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए। आप बोलो ना आलोचना, आपका नम्बर आए जब बोलो। आप यह थोड़े ही कह सकते हो कि वह बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं?

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : आपका बोलने का नम्बर आएगा, भरने का नम्बर तो नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप तो खाली रखो और ज्यादा खाली रखो। खूब...

श्री उपाध्यक्ष : बस तो ठीक है फिर... (व्यवधान) माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : हैं तो भी हटा दो ना। ठीक कह रहे हैं जो हैं वह भी हटा लो इससे तो। एक रैफरल हास्पिटल का आउटडोर तीस और पैंतीस का होता है तो शर्म आने की बात है। जो डाक्टर लगा है, ऐसा डाक्टर लगा रखा है लूला-लंगड़ा, कोई दिखाने भी नहीं जाना चाहता।

डा. चन्द्रभान : आप उपाध्यक्षजी की इजाजत लेकर बोलिये, कौन मना कर रहा है? आपको भी बुलवाएंगे।

श्री केसाराम चौधरी : बोलें क्या? आप तो कह रहे हैं कि खाली तो रहेंगे ही, फिर बोलने से क्या मतलब है?

डा. चन्द्रभान : मैंने यह कहा है कि आपका बोलने का नम्बर आएगा, आप लोगों को भरने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री केसाराम चौधरी : मत भरना आप...(व्यवधान) हम भरेंगे 19 महीने के बाद में। 19 महीने बाद में हम भर देंगे, आपको कहते हैं, देखना आप। आप जिस घमण्ड में हैं वह घमण्ड खतम हो जाएगा 19 महीने बाद में।

श्री मदन दिलावर : इस खुमारी में मत रहना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : जब मौका मिला जब तो भरे नहीं। संस्थान खाली थे। यह की यह स्थिति बराबर चल रही है, नयी बात क्या है? बराबर खाली रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : मैं किसी घमण्ड में नहीं हूं। किसी घमण्ड में नहीं हूं। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली और पंजाब के परिणाम दिख नहीं रहे हैं आपको?

श्री उपाध्यक्ष : डा. साहब, बिराजो। बिराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपका क्या लेना-देना है इसमें? आप बिजली तो पहुंचाते नहीं हो और यहां बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमारा डिबेट में नम्बर आएगा नहीं और फालतू में इस तरीके से हमारा समय बरबाद कर रहे हैं। हमको कम से कम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो इस तरह उनको समझाओ ना। आप बैठिये। बैठिये प्लीज। (व्यवधान) यह जरूरी नहीं कि आपको पसंद आए वही अगला बोले। उनको बोलने दीजिए। उनको बोलने दीजिए ना। (व्यवधान) आप क्यों रोक रहे हैं उनको?

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो आपकी इजाजत लेकर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मेरी इजाजत ली ही नहीं। (व्यवधान) कब इजाजत ली आपने? इजाजत लेकर बोलोगे तो यह प्रश्न ही नहीं आएगा सामने।

श्री हीरासिंह चौहान : आपका प्रोटेक्शन तो है हमको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कई बार बिना कहे ही आपकी भाव-भंगिमा से हम यह अन्दाजा लगा लेते हैं कि हमें इजाजत मिल गई।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1993 में जो पद रिक्त थे, अभी तक भी पद नहीं भरे गये हैं। (व्यवधान) शल्य की पोस्ट 1993 से लेकर अभी तक भी भरी नहीं गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना ना जब टाइम आएगा जब। आप यह चाहते हो कि...(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह भी बताना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिणधरी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद 30.6.1993 से रिक्त है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : वापस दुबारा बोलो...(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिणधरी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद 30.6.1993 से रिक्त है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मंत्री कौन था उस वक्त?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मंत्री कौन था, वह तो मैं नहीं जानता। (व्यवधान) इस प्रकार मेरा कहना यह है कि जो सरकार है, हमें विश्वास है, मैंने यह प्रश्न रखा है, कि इन पदों को भरेगी। इन पदों को भरने के लिए हम चाहते हैं। हमारे बाड़मेर जिले के मुख्य चिकित्सालय में कुछ पद भरे गये हैं। यह भी एक स्थिति है कि वहां पर आने के लिए डाक्टर्स तैयार ही नहीं होते। उनकी भी व्यवस्था है। ऐसी बात नहीं कि व्यवस्था नहीं है। उनकी सब व्यवस्था होते हुए भी मेरा निवेदन यह है कि इन पदों को भरा जाए। मुझे विश्वास है कि गवर्नमेंट दो महीने के अन्दर-अन्दर इन पदों को भर देगी।

दूसरी बात, मेरा यह भी निवेदन है, निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद, अभी प्रश्न पूछा था...

(15.52 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

प्रश्न के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, उन्होंने बताया था कि ये पद रिक्त हैं। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर का पद रिक्त है, जबकि पद भरा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा सभापति जी, कि हमारे यहां जो सी.एम.एच.ओ. लगा हुआ है वह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नहीं है, बल्कि चिकित्सा अधिकारी है। इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। हमारे यहां पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है उसके उपरान्त भी सिर्फ चिकित्सा अधिकारी को सी.एम.एच.ओ. बनाना कतई उचित नहीं है।

श्री मदन दिलावर : क्या दुर्गति हो रही है। दुर्गति क्या कर रखी है राजस्थान में चिकित्सा विभाग की। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मानवता का सवाल है। मनुष्य के इलाज का सवाल है।

श्री नन्दलाल मीणा : यह टेबल चिकित्सा हो रही है देश की। टेबल चिकित्सा हो रही है।

श्री रामस्वरूप : यह सब आपके टाइम भी हो रहा था।

श्री केसाराम चौधरी : अब आप ही करते रहो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, यदि डिबेट को चलने देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है वैसे चलने दीजिए। डिबेट डिबेट के सहारे चलेगी। नहीं चलने देना चाहते हो तो फिर चलाओ आप। यह बोल रहे हैं, आपको भी समय मिलेगा, आप भी बोल लेना। (व्यवधान) वह सब ठीक है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि डी.पी.सी. बैठा करके जो वास्तव में सी.एम.एच.ओ. पद के उपयुक्त हैं उनको सी.एम.एच.ओ. के पद पर लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि सी.एम.एच.ओ. के पद पर चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से भी अगर लोअर ग्रेड का हो तो उससे अनुशासन बिगड़ता है। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आप डी.पी.सी. बैठा करके इसको तय करें। सी.एम.एच.ओ. वही होना चाहिए जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हो, योग्य हो और जो नियमों के अनुसार हो। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ अभी आपने जोइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के पद के लिए निर्णय लिया है। इस बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निर्णय लिये गये हैं, इसके सम्बन्ध में भी आप एक स्वास्थ्य की पालिसी को ही विशेष तौर से ध्यान में रखते हैं। जनरल सर्विसेज भी हैं, और भी हैं। स्वास्थ्य वालों को ही हमेशा डायरेक्टर के पद पर बनाना जो कि जूनियर हो और जूनियर मोस्ट हो, उसको बनाना उचित नहीं है। इस प्रणाली में भी आपको परिवर्तन करना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के बारे में हमारी जो पालिसी निर्धारण की गई है, जरूर हमने कुछ परिवर्तन किये हैं, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया, कि जून से सर्विस के बारे में तय करेंगे कि जिनके दो से अधिक संतान होंगी उनको सर्विस में मौका नहीं देंगे। और जिनके संतान ज्यादा हैं उनकी पांच सालों तक घटौती कर देंगे। यह कदम उचित है। परन्तु प्रश्न यह है कि जनसंख्या की वृद्धि, हमारे जिले में और जैसलमेर जिले में मैंने फिगर्स देखे, बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले में हमारी जनसंख्या की वृद्धि बहुत अधिक है। उसके लिए सोचने की आवश्यकता है। बाड़मेर जिले में जनसंख्या की 36 परसेंट की वृद्धि है और जैसलमेर में 44 परसेंट की वृद्धि है, यह बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। इसके सम्बन्ध में यह भी देखना है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या आपका विभाग जिम्मेदार है या नहीं है। अगर विभाग जिम्मेदार है तो आप उनको अलर्ट करिये। साथ-साथ मैं इस प्रकार के कुछ

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सैक्शंस हैं, ऐसे वर्ग हैं, मैं मेरे मित्रों से बातचीत कर रहा था, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अभी तक भी परिवार नियोजन को धारण नहीं कर रहे हैं। उसके साथ-साथ में शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। हमारे जिले में भी हैं, डूंगरपुर में भी हैं। बांसवाड़ा में भी हैं, सारे राजस्थान के अन्दर है। शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग इसको अपनाते नहीं है।

श्री जीतमल खांट : हमारे बांसवाड़ा में तो पहले स्थान पर आ रहे हैं हम लोग।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप एक मिनट सुनिये। पहले स्थान पर आइये, कहीं भी आइये, लेकिन में जो महसूस करता हूं, शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। वे इसको नहीं, अपनाते हैं। दूसरे वर्ग अपनाने लगे। शिड्यूल्ड कास्ट के अपनाने लगे। यह अच्छी प्रगति का सूचक है। यह वर्ग... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले के अन्दर काफी परिवार नियोजन...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए। आपका नम्बर आएगा, आप बिराजिए। आपका नम्बर आएगा तब बोल लेना।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसके सम्बन्ध में कुछ सोचना चाहिए, कोई निर्णय करें। आज चीन की जनसंख्या में बहुत कम वृद्धि हो रही है, भारत वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है बहुत ज्यादा। अब एक अरब तीन करोड़ की जनसंख्या पर पहुंच गये हैं। हमें कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो भी कदम अभी तक, उठाये गये हैं, ये भी पर्याप्त नहीं हैं, चीन ने दो के स्थान पर एक का कदम उठाया है। हमारे यहां यह स्थिति है कि जिनके बच्चियां तीन हुईं, चार हुईं, पांच हुईं, अगर एक लड़का नहीं होता है तो तब तक, दूसरे वर्ग ऐसे हैं उनमें तो संतान होती ही रहती है। इसलिए इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है कि हमारी जो प्रवृति है इसमें क्या परिवर्तन करना है। अगर हमें इस प्रकार का कानून बनाना पड़े और उसमें जुर्माना करने की आवश्यकता पड़े, मैं तो कहता हूं कि जेल में भी भेजने की आवश्यकता पड़े, जब तक इस प्रकार का सख्त कानून बनाकर व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक परिवार नियोजन के कार्यक्रम में सफलीभूत नहीं होंगे। परिवार नियोजन के कार्यक्रम में सफलीभूत नहीं होंगे तो कभी भी अपने देश में गरीबी मिटाना चाहते हैं, गरीबी मिट नहीं सकती। उसका बिलकुल सीधा सम्बन्ध है। गरीब आदमी ही ज्यादा बच्चे पैदा करता है, स्थिति यह है। आज पढ़े लिखे जो नहीं हैं वे भी करते हैं। जो अनपढ़ हैं और साथ-साथ में गरीब हैं, वे सन्तान ज्यादा पैदा करते हैं। इसलिए गरीबी ज्यादा बढ़ती है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह जैसा कह रहे हैं, गरीब आदमी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव कौनसा अनपढ़ था? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री जीतमल खांट : नरसिंह राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। आप हमारे गरीबों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह नहीं चलेगा। माननीय सदस्य, यह नहीं चलने वाला है। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री जीतमल खांट : क्यों जोड़ रहे हैं? यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आरोप थोड़े ही लगा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : जब आपका नम्बर आएगा आप बोल लेना।

श्री जीतमल खांट : यह बहुत बच्चे पैदा करते हैं...(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरी गरीबों के प्रति बड़ी हमदर्दी है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति बहुत हमदर्दी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मोहनजी मोदी से पूछिये कि क्यों हो गए। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : राबड़ी देवी के 12 हैं, उनको कांग्रेस ने समर्थन दे रखा है।

श्री सभापति : माननीय दिलावरजी, आप क्या चाहते हैं?

श्री वृद्धिचन्द जैन : आज यह स्थिति हो रही है...

श्री सभापति : आपका नम्बर आ रहा है।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : सभापति महोदय, इसमें कोई गरीबों का दोष नहीं है। यह तो भगवान की देन है। यह रुक नहीं सकती कभी जिंदगी में।

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब आप देखिए, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि भील सबसे ज्यादा गरीब हैं, लेकिन आज अनुसूचित जनजाति का लाभ मीणे उठा रहे हैं और गरीब भील नहीं उठा रहे हैं। यह भी मुझे दुःख है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि यह भी एक स्थिति है। मीणे ज्यादा

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

लाभ उठा रहे हैं, उच्च पदों पर हैं। भील बहुत गरीब हैं। हमारे जिले में भी हैं, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में जहां-जहां भी हैं, भीलों की हालत ज्यादा खराब है इसलिए मुझे उनके प्रति बहुत ही सहानुभूति है। एक स्थिति यह है।

श्री मदन दिलावर : आपरेशन नहीं करा रही सरकार, एक पति-पत्नी के 21 बच्चे हैं जिनका उनको नाम भी पता नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ऐसा है, आज यह स्थिति हो गयी है कि भीलों में दो-दो, तीन-तीन शादियां करते हैं। एम.एल.ए. से मैंने पूछा तो उनके भी दो-दो, तीन-तीन शादियां...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मुझे यह कहना है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय खांट साहब, आप बार-बार बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य, अब बुढ़ापे में आकर ज्ञान हुआ है, पहले ही सोचते इन बातों को।

श्री जीतमल खांट : यह हमारे भीलों की बात कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं कोई एक-आधा हो सकता है... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मेरी बात मानिए, सुनिए आप। माननीय सदस्य, आप आसन को बाध्य मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सम्भव नहीं है और न हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार बार उठना और व्यवधान करना अच्छा नहीं है, आप आसन को विवश मत कीजिए दूसरा हथियार लेने के लिए। आप आसन को विवश मत कीजिए। यह क्या हुआ? बार बार खड़े हो रहे हो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा नहीं कह कर यही कहना चाहूंगा कि नीम-हकीम सारे जिलों में, सारे राजस्थान में और सारे देश में बहुत ज्यादा पैदा हो गये हैं और इनसे बहुत खतरा है। हैल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ केस बनाएं, लिस्ट पूरी बनाई जाए और क्रिमिनल केसेज बनाए जाएं। चालान पेश किये जाएं और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : बन्द करवा दिया। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : उसके बिना ये नीम-हकीम समाप्त नहीं हो सकते हैं। हमारे यहां तो नीम-हकीमों के साथ में ये भोपे और तैयार हो गये हैं।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कि नीम-हकीमों पर रोक लगा दी गयी थी। हमारी माननीय मंत्री महोदया जो आजकल उत्तरांचल गई हुई हैं, उन्होंने उस पर वापस रोक लगवा दी। ये तो जनता को मारने का काम कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार-बार व्यवधान करना उचित नहीं है... (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं यह कह रहा हूं कि नीम-हकीमों के खिलाफ लिस्ट बनाई जाए जिलों में...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय वृद्धिचन्दजी, एक सैकण्ड। माननीय सदस्य, बार-बार व्यवधान पैदा करना मेरे खयाल से अच्छा नहीं है। आसन को मजबूर मत कीजिए कि इस व्यवधान को दूसरे तरीके से मेटा जाए। आप बिराजें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरे कहने का अर्थ यह है कि इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सारी लिस्ट बनाकर क्रिमिनल केसेज बनाएं और उनके चालान करिये। तब जाकर इनके दिमाग ठीक होंगे, नहीं तो ठीक नहीं होंगे।

हमारे यहां स्नेक बाइटिंग के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बरसात जब होती है तो स्नेक बाइटिंग के केसेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद मिलती है वह पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि जो बी.पी.एल. परिवार हैं उनको तो आपने फ्री इंजेक्शन लगाने की तथा दूसरी सारी व्यवस्थाएं की हैं, पर उसके अलावा भी दूसरे जो हैं उनको भी 50 परसेंट, 60 परसेंट जो भी मदद दे सकते हैं, वह दी जाए। इसका इलाज बहुत माकूल हो गया है। स्नेक बाइटिंग के बारे में व्यवस्था हो गई है कि यह इलाज बिलकुल पक्का इलाज है, ठोस इलाज है। इसके सम्बन्ध में आप पूरी तरह से मदद कीजिए, जिससे उन लोगों को बहुत भारी मदद पहुंचेगी।

अब मैं यह कह रहा हूं कि बी.पी.एल. परिवारों के जो कार्ड होल्डर्स हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जब वे पंचायत समिति के मुख्यालयों में जाते हैं तो वहां मेडिसिन प्राप्त नहीं होती है। उनको यह प्राप्त हो उसके लिए पंचायत समिति के मुख्यालय में जो सामुदायिक केन्द्र हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की करनी चाहिए ताकि वे जिला मुख्यालयों पर नहीं आएं बल्कि पंचायत समिति के मुख्यालय पर, तहसील के मुख्यालय पर आकर इलाज करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनके लिए आप प्लानिंग करें।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज स्वास्थ्य विभाग की मांग संख्या-26 पर अपने विचार व्यक्त करूंगा और चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आता हूं, वहां की कुछ समस्याओं के बारे में भी सरकार का और मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करूंगा। जब से सरकार सत्ता में आई है तब से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने और स्वास्थ्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य सेवाओं और राजस्थान की गरीब जनता के कल्याण की तरफ पूरा-पूरा ध्यान रखा और उस गरीब जनता के प्रति पूरी सहानुभूति रखी जिसने सत्ता प्राप्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो गरीब व्यक्ति अपने इलाज से महरूम रहता था, जो निर्धन व्यक्ति कभी यह नहीं सोच सकता था कि मेरे परिवार में अगर कोई हृदय रोगी हुआ, कोई कैंसर की बीमारी से ग्रसित हुआ या किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हुई तो उसकी मदद कौन करेगा, हमारी सरकार ने और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनते ही मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से एक कोष की स्थापना की और इससे राजस्थान के सैकड़ों लोगों का जीवन बच सका।

मेरे अपने चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र में भी करीब 12 व्यक्तियों के हृदय रोग के आपरेशन निःशुल्क हुए और मुख्य मंत्री सहायता कोष से जो लोग बी.पी.एल. चयनित नहीं थे लेकिन बहुत गरीब थे और चयनित नहीं हो पाये उनको भी राशि का आबंटन हुआ और उनकी भी जीवन रक्षा हो सकी। चित्तौड़ के अस्पताल में हमेशा कोई न कोई गरीब व्यक्ति आता जो चयनित हो, लेकिन दवाइयां नहीं खरीद सकता। मेडिकेयर कार्ड बनने से उनको काफी मदद मिली और उनकी जीवन रक्षा हो सकी।

अब मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देते हुए अपने क्षेत्र की ओर आ जाता हूं। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि चित्तौड़ जो कि जिला मुख्यालय है, 1995 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त चित्तौड़ जिला मुख्यालय पर एक नये हास्पिटल की बिल्डिंग के लिए योजना बनाई गयी। वह सहभागिता योजना के तहत बनाई और करीब 4 करोड़ 75 लाख का तखमीना तैयार हुआ हास्पिटल की नई बिल्डिंग के लिए। सभापति महोदय, हमारे यहां सांवरियाजी का बहुत बड़ा मंदिर है जहां पर पूरे देश से धर्मार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसके ट्रस्ट का गठन हुआ और उस ट्रस्ट के हमारे उस वक्त के विधायक नरपत सिंहजी भी एक सदस्य थे। उन्होंने इस सहभागिता योजना को चित्तौड़ में लागू किया, यह तय किया गया कि आधा पैसा सांवरिया मंदिर ट्रस्ट से उपलब्ध कराएं और आधा पैसा सहभागिता योजना के तहत राज्य सरकार उपलब्ध कराए। इस योजना से...

श्री राजेन्द्र चौधरी : चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो आप बात कह रहे हैं उसके अन्तर्गत सरकार ने क्या एक रुपये का भी प्रावधान रखा था?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं आगे वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : आज जो ढांचा खड़ा है उसको उसी स्थिति में रखना चाहते हो क्या?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं, इसलिए आप टोकाटोकी न करें तो मुझे बोलने में थोड़ा ठीक रहेगा।

श्री सांवर लाल : पहली बार ही खड़े हुए हैं आज आपको ही जवाब देने के लिए, अब तक बोले नहीं हैं मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह इसलिए बोले हैं कि जो कमियां आपकी पैदा की हुई हैं, वह मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं। 5.10.1995 को प्रमुख शासन सचिव, हैल्थ ने एक पत्र जारी किया और उसमें यह कहा कि सहभागिता योजना में जो अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसमें 2 लाख 34 हजार रुपये का प्रावधान है और जो सांवलियाजी ट्रस्ट ने रखा है इसकी स्वीकृति बाद में जारी कर दी जाएगी। सभापति महोदय, उसके बाद में 16.1.1996 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में थे, स्वास्थ्य मंत्रीजी अध्यक्षता कर रहे थे और हमारे चित्तौड़ जिले के दो माननीय मंत्री, आदरणीय कटारिया साहब और आदरणीय नन्दलालजी मीणा साहब और वर्तमान केन्द्र सरकार के विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंहजी और नरपत सिंहजी राजवी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे, इन्होंने शिलान्यास किया। यह कार्य चालू हुआ। बड़ौदा की एम.एस.के. प्रोजेक्ट्स को उसका टेण्डर फाइनल हुआ और उनको कार्य आदेश दिया गया। यह कार्य चला, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जो 2 करोड़ 34 लाख रुपये दिये जाने थे, कागजों में उनकी कहीं मंजूरी नहीं है। मैं जब चुनकर आया तो, सभापति महोदय, मैंने आते ही सबसे पहले पता किया कि योजना क्यों अटकी हुई है क्योंकि अस्पताल का निर्माण कार्य दसवां महीना, 1998 में बंद हो चुका था और ग्यारहवां महीना, 1998 में चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके थे। जब यह बंद हुआ, मैंने पता किया तो यह मालूम पड़ा कि ऐसी किसी योजना के लिए राज्य सरकार ने कोई सहमति ही नहीं दी, जिसका उद्घाटन हमारे तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया कि इस योजना के तहत हम यह स्वीकृति जारी कर रहे हैं। दो-ढाई साल तक उसकी स्वीकृति ही जारी नहीं की। किस वजह से शिलान्यास करने गये जबकि योजना का

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

उन्होंने पूरा तखमीना ही तैयार नहीं करवाया? आपने 2 करोड़ 34 लाख रुपये सांवलियाजी ट्रस्ट से ले तो लिये, लेकिन राज्य सरकार की कोई अनुमति नहीं। आपने उसका शिलान्यास कर दिया, कार्य शुरू करवा दिया और तीन साल तक स्वीकृति जारी नहीं हुई और वह अस्पताल बन्द हो गया।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : पत्थर लगा हुआ है या रखा है?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : पत्थर लगा हुआ है, धूल खा रहा है। (व्यवधान) सभापति महोदय, अस्पताल का स्केलेटन खण्डहर खड़ा हुआ है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सदस्य, मैं एक बात बताना चाहता हूं। माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब ने तो डीग में यमुना पानी का भी शिलान्यास किया, धौलपुर में ग्रिड का भी शिलान्यास किया। शिलान्यास करने की उनकी आदत पड़ी हुई है, उन्होंने कहीं कोई योजना पूरी नहीं बनायी।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, हमने शिलान्यास तो किये, यह कुछ करें तो सही, उन योजनाओं को चालू किया? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : उनको तो शिलान्यास करने की आदत है, आज तक कहीं कोई काम नहीं किया। योजना नहीं थी, पैसा नहीं था।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : शिलान्यासों पर मेहरबानी कर रहे हैं हमारे कुत्ते। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भरतपुर जिले में बहज गांव में पानी पहुंचा है, सभापति महोदय, उसके बाद यह सरकार आ गयी। आने के बाद में क्या किया? साढ़े तीन साल में क्या किया, यह तो बताएं?

श्री रतन लाल ताम्बी : हमारे भी तत्कालीन मंत्री सांवर लालजी ने एक शिलान्यास किया, वह शिलान्यास ही पड़ा हुआ है आज तक।

श्री नन्दलाल मीणा : चित्तौड़गढ़ जिले में बनने वाले सांवलियाजी चिकित्सालय के लिए सांवलियाजी ट्रस्ट से 2 करोड़ रुपये निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए दे दिये। राज्य सरकार की मंशा थी, केवल इसी आधार पर आधार शिला रखी थी कि राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा दे। परन्तु शासन में परिवर्तन आने के बाद तीन वर्ष तक राजस्थान की वर्तमान सरकार ने एक भी पैसा उस सांवलियाजी चिकित्सालय के लिए नहीं दिया। कलक्टर को इन्होंने दबाया, सारे जिले के विधायकों को एक परिपत्र जारी करवाया कि वे अपने विधायक मद से 10-10 लाख रुपये सांवलियाजी ट्रस्ट को दें।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। आप कहिये, अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। आपकी मर्जी आए उतना ही कह दो।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : माननीय दिलावरजी, बिराजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री सभापति : बिराजिए, आपका नम्बर आए तब कहना। आपका नम्बर आए तब कहना।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आप बिराजो। फरमाइये, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, आज हमारे मुख्य मंत्रीजी कहीं भी योजना का शिलान्यास करने जाते हैं उससे पहले सारा तखमीना मंगवाकर देखते हैं कि स्वीकृतियां इसकी जारी हुई हैं या नहीं। सांवलियाजी ट्रस्ट का पैसा अगर लगाया गया तो वह राज्य सरकार का पैसा नहीं था, वह पूरे राजस्थान की जनता का और देश की जनता का पैसा था। राज्य सरकार की जो हिस्सा राशि थी वह उन्होंने नहीं दी और शिलान्यास करने राजस्थान सरकार के तीन मंत्री आ गये, मुख्य मंत्री आ गये। शर्मनाक बात यह है, सभापति महोदय, कि तीन वर्ष तक ये क्या करते रहे, तीन वर्ष तक क्यों नहीं इसकी स्वीकृति जारी हुई? आज स्थिति यह आयी है कि उसकी लागत बढ़ गयी है।

सभापति महोदय, जब मैं चुन कर आया तो मैंने विधान सभा के अंदर यह प्रश्न उठाया। हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मैं मिला तब इन्होंने बताया कि, माननीय सदस्य, इस तरह की कोई स्वीकृति जारी ही नहीं हुई है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिख कर निवेदन किया, उन्होंने कहा कि आज अकाल की विभीषिका है, अकाल का जैसे ही थोड़ा-सा असर कम हो जाएगा, अगले वर्ष कोई अच्छा समय आएगा तब इस वाजिब समस्या पर ध्यान देकर आपके इस कार्य को पूरा करवाएंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अकाल चलता रहा। उसके बाद, सभापति महोदय... (व्यवधान)

(माननीय सभापति महोदय द्वारा अंकित न करने का संकेत)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं वही तो कह रहा हूं आपकी नाकामी का। नाकामी यह है कि आपके पास पैसा नहीं था तो क्यों शिलान्यास किया?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : हमारे जिले के दो-दो मंत्री, नन्दलालजी मीणा, शिक्षा मंत्री गुलाब चन्दजी कटारिया और नरपत सिंहजी राजवी थे। (व्यवधान) चीफ सैक्रेटरी, राजस्थान हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के थे। क्या हो गया उस वक्त? क्यों नहीं स्वीकृति जारी हुई? आज इसकी वजह से लागत बढ़ गयी है और तीन वर्ष से अस्पताल इस दशा के अन्दर है।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सभापति : आप तो बिराजो। माननीय सदस्य, कहिये।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, हां, यह बात ठीक बता रहे हैं, बुलडोजर चला दो। सभापति महोदय, उस पर बुलडोजर चला दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जितना भी कहना चाहें, वह एक बार कह दीजिए। जितना भी कहना चाहते हैं, वह एक बार कह दें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सभापतिजी, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने चित्तौड़गढ़ जिले की जनता के लिए चिकित्सा सुविधा आसान रूप से मुहैया हो जाए, सांवलियाजी ट्रस्ट की आमदनी से राज्य सरकार का निर्णय इस भावना से लिया गया था। यह फैसला लिया गया था और इसकी आधार शिला रखते हुए इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था।

श्री सभापति : अब तो संतुष्ट हैं न आप?

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, इसके बाद 1998 में सरकार बदल गयी। सारा ढांचा खड़ा हो गया और अब तीन वर्ष में राज्य की सरकार ने एक कौड़ी भी उस चिकित्सालय के निर्माण के लिए नहीं दी।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : उसके बाद जब इन्होंने विचार-विमर्श किया कि राजस्थान में, सभापति महोदय, एक मिनट, आधा मिनट में निवेदन करना चाहता हूं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : अब बिराजिए, आपको डिबेट में समय मिलेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : उसके बाद जिले के विधायकों से पत्र लिखवाया गया कि वे अपने विधायक मद से 10-10 लाख रुपये सांवलियाजी ट्रस्ट को दें। और तो और, आज एक पत्र भी आया है कि आंगनबाड़ी भवन का निर्माण भी यह कंगाल सरकार नहीं करा सकती, एम.एल.ए. अपने फण्ड से पैसा दें। इससे यह साबित होता है कि इनका दिवालियापन कहां तक पहुंच गया है।

श्री सभापति : आप बिराजिए ना। (व्यवधान) एक सैकण्ड। अब तो आप बीच में नहीं बोलेंगे? अब तो बीच में नहीं बोलेंगे ना आप?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी बैठे हैं उनसे कुछ कहला दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चालू रखिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, उसके बाद में दूसरे वर्ष भी अकाल की विभीषिका रही और माननीय मुख्य मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सांवर लालजी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री सांवर लाल : यह कह रहे हैं सभी वर्ष अकाल पड़ रहे हैं, यह सही बात है क्या? ये कुछ करना नहीं चाहते, सरकार कुछ करना नहीं चाहती।

श्री सभापति : आप बिराजिए, बिराजिए।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य अकाल, अकाल, अकाल की बात कर रहे हैं, इस बहाने से पांच साल निकलते हैं क्या?

श्री सभापति : अब तो बैठ जाओ।

श्री हीरासिंह चौहान : अब, माननीय सभापतिजी, ऐसे ज्वलंत मामले में क्या मंत्रीजी को बोलने से कोई रोक सकता है क्या?

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : क्या वे नहीं बोल सकते? हमारी पीड़ा...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप तो बोलेंगे बाद में। आपके कहने से नहीं बोलेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : अपनी भावना बता सकते हैं....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय मंत्रीजी बोलेंगे, मेरा जवाब देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : यह कोई मतलब नहीं कि वे अपना टाइम आए तब ही बोलें।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जब बहस समाप्त हो जाएगी उसके बाद मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे।

श्री सभापति : माननीय महोदय [illegible]

श्री हीरासिंह चौहान : सभी मंत्री बोलते हैं।

श्री सभापति : इस तरह से डिबेट को चलाना चाहते हैं, माननीय राठौड़ साहब? आप आदेश दीजिए, आसन उसी के अनुरूप चलाएगा। आप आदेश दीजिए क्या चाहते हैं आप, आपकी पार्टी क्या चाहती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हम आसन की आज्ञा को शिरोधार्य करके पूरी डिबेट को बड़ी अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं, परन्तु आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से एक निवेदन करूंगा कि कुछ इस तरह के प्रसंगों को नहीं छेड़ें जिनके पीछे कोई बात हो नहीं। ये बिना मतलब अपनी बात कहें...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैंने, सभापति महोदय, ऐसी क्या चीज छेड़ी है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे किसी तरह की...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना मतलब इस छेड़छाड़ वाले प्रकरण को बंद करवाइये, साहब।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैंने जो हकीकत है वह बयान की है सदन के अन्दर। अगर इसके अन्दर एक भी गलती हो, अगर मैंने एक भी शब्द गलत कहा हो...

श्री हीरासिंह चौहान : आपने आरोप लगाया है पिछली सरकार पर, जबकि तीन साल से आप शासन में बैठे हो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : तो मैं उसकी सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, अगर मैं एक चीज भी गलत बोला हूं... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, यह बार–बार कह रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : क्या इन्होंने समारोह की अध्यक्षता नहीं की? क्या उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे? क्या इन्होंने शिलान्यास के अन्दर भाग नहीं लिया?

श्री सभापति : बिराजिए। आप बिराजिए, राठौड़ साहब।

श्री नन्दलाल मीणा : इससे क्या होता है, भाई?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इससे क्या होता है? (व्यवधान) आप पूरी योजना मंजूर करा देंगे। सांवलिया ट्रस्ट के पैसे को लगा आये आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कह तो चुके दुबारा नहीं बोलूंगा मैं। माननीय सदस्य ने कहा है मैं दुबारा नहीं बोलूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा : ये गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिए, बीच में नहीं चलेगा। आप बिराजिए, बीच में नहीं चलेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : इनको दर्द अब क्यों आ रहा है? चुनाव नजदीक आ गये, जनता कह रही है कि इस बार क्यों नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : आप बिराजिए, आप बिराजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : कांग्रेस की हुकूमत का तीन साल का समय निकल चुका।

श्री सभापति : आप बिराजिए, आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, दूसरे वर्ष भी अकाल की विभीषिका रही और हमारे मुख्य मंत्री महोदय अकाल राहत कार्यों को देखने के लिए चित्तौड़ गये। चित्तौड़ आने के बाद में उनसे मैंने जब निवेदन किया कि उस अस्पताल की बिल्डिंग का आप अवलोकन कर लें कि वह किस हालत में है, मुख्य मंत्रीजी...

श्री सभापति : अब दूसरा बिन्दु ले लीजिए ना आप। अब दूसरा बिन्दु ले लीजिए, यह तो बहुत हो गया।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : नहीं, सभापति महोदय, मेरे लिये बहुत ज़रूरी है, मेरे क्षेत्र की बात है। मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं। मुझे बोलते हुए आपने ज्यादा देखा भी नहीं है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है जिसके बारे में मुझे बोलना है। ये बार-बार टोकाटाकी करते हैं तो मुझे रुक जाना पड़ता है, इसलिए मुझे आप बोलने दीजिए। हो सकता है मैं दो-पांच मिनट आपका ज्यादा ले लूं।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : लेकिन, सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए। सभापति महोदय, उसके एक-दो दिन पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी भी चित्तौड़ पधारे। इन्होंने भी अवलोकन किया और 1 जून, 2000 को मुख्य मंत्रीजी ने भी अवलोकन किया। पूरी बिल्डिंग को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यह अकाल निपट जाता है, मैं आपके इस हास्पिटल को पूरा कराने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। हमारे प्रभारी मंत्री महोदय, सी. पी. जोशी साहब भी पूरे दौरे में साथ थे, उन्होंने भी इस आवश्यकता को प्रतिपादित किया कि वास्तव में यह चित्तौड़ जिले की और चित्तौड़ शहर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद...

श्री नन्दलाल मीणा : चित्तौड़ जिले में एक भी गांव अकालग्रस्त और अभावग्रस्त घोषित नहीं किया है, इसलिए क्या इस वित्तीय वर्ष 2002-2003 में राजस्थान सरकार सांवलियाजी ट्रस्ट से बनने वाले चिकित्सालय में कोई वित्तीय प्रावधान करना चाहती है? या किया है या नहीं किया है?

श्री सभापति : माननीय पूर्व मंत्रीजी, अपनी कही हुई बात पर तो टिको आप। आपने कहा कि मैं दुबारा नहीं बोलूंगा। आप बिराजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं बोलता ही नहीं हूं विधान सभा में, लेकिन असत्य बात मुझे बरदाश्त नहीं है।

श्री सभापति : आप बिराजें। बिराजिए। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सभापति महोदय, ये क्या टिकेंगे, इनके नेता महोदय भी टिकते नहीं है।

श्री सभापति : यह सब मामला आपने छेड़ा है। सब मामला आपने बढ़ाया है। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये कि कुछ अगर जन सहयोग हो सकता है तो उसको कराकर इस कार्य को शुरू कराया जाए। हमने 23 अक्टूबर, 2000 को दीपावली के सिर्फ दो दिन पूर्व धनतेरस के दिन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जिसमें जिले के सांसद, जिले के जिला प्रमुख, जिले के सारे विधायक, प्रधान, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के...

श्री सभापति : थोड़ा सहयोग कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिए।

श्री सभापति : आप बोल तो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मेहरबानी करके आप बोलने दीजिए। इतना टाइम तो इन्होंने जाया कर दिया, अब आप घंटी दबाओगे तो मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं। मुझे आप बोलने दो।

श्री सभापति : 20 मिनट हो गये, श्रीमान्जी, 20 मिनट।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप टाइम निकालें, कितना टाइम इन्होंने लिया। उसके बाद में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लोग आये, नगरपालिका, चित्तौड़ के पार्षदगण, अध्यक्ष महोदया सब वहां पर उपस्थित थे। और वहां पर प्रतापगढ़ से आने वाले विधायक महोदय ने कहा कि हम पर दबाव डाला गया। सभापति महोदय, कोई दबाव नहीं डाला गया। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं श्रीचन्द जी कृपलानी, जब बात शुरू हुई, इसको पूरा करने के लिए सहयोग की बात, तो विधायक मद से 20 लाख से करते-करते जब मैं 50 लाख तक पहुंचा तो उन्होंने 51 लाख की घोषणा, श्रीचन्द जी कृपलानी जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में भी सांसद हैं और उस वक्त भी सांसद थे, उन्होंने यह जिम्मा लिया। कांग्रेस की तरफ से जिले के पांचों विधायकों ने स्वेच्छा से 5-5 लाख रुपये

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

की घोषणा की और श्रीचन्द जी कृपलानी जो सांसद हैं, उन्होंने नन्दलालजी मीणा की जिम्मेदारी लेते हुए, वह प्रोसीडिंग में है, सभापति महोदय...(व्यवधान) सभापति महोदय, प्रोसीडिंग में है। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय है, सी.एम.एच.ओ. प्रतापगढ़ में बैठता है और मैं प्रतापगढ़ से चुना जाता हूं और...(व्यवधान) मुझे कहें कि आप चित्तौड़ में पैसा दो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, यह मेरी घोषणा नहीं है, यह इनकी पार्टी के सांसद की घोषणा है। इन्होंने 5-5 लाख इनकी जिम्मेदारी पर रखे। प्रोसीडिंग में लिखा है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : यह कौनसा न्याय है? नार्म्स निर्धारित हैं राज्य सरकार के, उसके आधार पर विधान सभा क्षेत्र के बाहर कोई भी विधायक पैसा नहीं दे सकता।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : दे सकते हैं पैसे। जिला स्तर पर अगर कोई कार्य हो तो उसके लिए आप पैसा दे सकते हैं। ऐसे राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत निर्देश दिये हुए हैं। (व्यवधान) 20 लाख रुपये नगरपालिका ने दिये। इसी तरह से औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने भी दिये। लेकिन, सभापति महोदय, दुर्भाग्यजनक बात यह हुई कि जब पैसे के लिए जिला कलक्टर ने जो घोषणा की थी उसके लिए सभी को परिपत्र जारी किया, अपना एक रिक्वैस्ट लेटर भेजा, तब जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं श्रीचन्दजी कृपलानी ने कलक्टर को यह कहा कि इसको बनाने के बाद उद्घाटन कौन करेगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बनना शुरू नहीं हुआ, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्यों अपने भाषण को बिगाड़ रहे हो, क्यों व्यवधान करा रहे हो इनसे?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, व्यवधान की बात नहीं है, जो दिक्कतें आ रही हैं वो तो मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : क्यों विवादित बात कर रहे हो?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह मामला फिर खटाई में पड़ गया।

श्री सभापति : क्यों विवादित बात को सामने ला रहे हो आप ?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उसके बाद में, सभापति महोदय, फिर एक पहल हुई और मुख्य मंत्रीजी ने फिर इसके अन्दर एक करोड़ रुपये यहां से स्वीकृति किये। सांवलियाजी ट्रस्ट को राजकीय स्वीकृति जारी की शुरूआत के लिए। लेकिन लोग कोर्ट में चले

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

गये और वह फिर रुक गया। बाद में मैंने पुनः मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया उन्होंने कहा कि सहभागिता योजना है, नगरपालिका से इसकी जो हिस्सा राशि है उसको और बढ़ाओ, 20 लाख से और आगे बढ़ाओ। हमने नगरपालिका से अनुरोध किया और चित्तौड़ नगरपालिका ने एक करोड़ रुपये देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। मैंने मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया और मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के ऊपर पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा वापस सर्वेक्षण कराया गया कि अब इसमें कितनी लागत लगेगी। पांच करोड़ की लागत, सभापति महोदय, अब आयी है। पहले 4 करोड़ 75 लाख में बन रहा था, अब वह अस्पताल इस लागत में नहीं बन सकता, अब उसमें लागत लगेगी पांच करोड़ रुपये। उसके लिए मैंने मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया...

श्री सभापति : अब तो बिराज जाओ, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य मंत्रीजी को अनुरोध किया, मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्रीजी से भी दुबारा व्यक्तिगत रूप से मिला, वित्त मंत्रीजी से भी मिला और उनसे अनुरोध किया कि बजट के अंदर रखा जाए। लेकिन बजट जिस दिन घोषित हुआ, मुझे बड़ी निराशा हुई। उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं रखा गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप विराजिए।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि चित्तौड़ की ओर आपका विशेष लगाव रहा है, वर्षों से आप चित्तौड़ में आये, तत्कालीन विधायक महोदय व स्वास्थ्य मंत्रीजी के तो आपस में मैंने सुना मनमुटाव भी था इसलिए इन्होंने 2 करोड़ 34 लाख स्वीकृत नहीं किये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : लेकिन आपके और मेरे तो बहुत प्रेमपूर्वक संबंध रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये कम से कम आप स्वीकृत कर दें।

श्री सभापति : माननीय श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ताकि यह अस्पताल जो चित्तौड़ की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसको पूरा किया जा सके।

श्री सभापति : आप बिराजिए। माननीय श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से एक अनुरोध करना चाहूंगा। सिर्फ 5 मिनट और बोलूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए आप।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं हैल्थ पर ही बोलूंगा, और किसी सब्जैक्ट पर नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, सिर्फ 5 मिनट। इससे ज्यादा नहीं लूंगा, फिर घंटी नहीं बजानी पड़ेगी आपको। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि आज जब आप इस बहस का जवाब दें तब मेहरबानी करके दो करोड़ रुपये चित्तौड़ के इस अस्पताल के लिए देने की घोषणा करें। ताकि यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी हो सके।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : दूसरा मेरा अनुरोध है कि जो जिला मुख्यालय के ऊपर "बी" श्रेणी के अस्पताल हैं उनको "ए" श्रेणी के अन्दर क्रमोन्नत करने की आप मेहरबानी करें, चाहे वह चित्तौड़ है, चाहे वह अन्य जिला है। मेरे यहां पर दो आपने सब सेंटर खोले, वे सब सेंटर तो चालू हो गए लेकिन उनकी बिल्डिंग अभी तक नहीं है। इस वजह से मेरा अनुरोध है आपसे, बालियों की ढाणी और सादलखेड़ा आपने ये दो सब सेंटर खोले हैं, उनकी अगर बिल्डिंग का आप प्रावधान कर सकें तो यह बहुत बड़ी आपकी कृपा होगी। मुझे आपने समय दिया, सभापति महोदय, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के दो माननीय सदस्य बोल चुके, माननीय बाड़मेर से आने वाले सदस्य बोल चुके और चित्तौड़ से आने वाले सदस्य बोल चुके, अब तो नम्बर हमारा आना चाहिए था।

श्री सभापति : आ रहा है, आ रहा है, आपका भी आ रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो सदन की व्यवस्था है कि दो सदस्य उधर से बोलेंगे और एक सदस्य इधर से बोलेगा, दो सदस्य उधर से बोल चुके हैं, अब तो नम्बर हमारा आना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट सुनिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, सदन की जो परम्परा है उस परम्परा के अनुसार हमको अवसर मिलना चाहिए।

श्री सभापति : परम्परा नहीं तोड़ रहा हूं, माननीय सदस्य, आप सुनों। माननीय सदस्य को एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, इनका कोई आपरेशन हो रहा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठिये।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बासंवाड़ा): मैं दो मिनट में समेट लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर इनके बाद तो मुझे बुलवाएंगे?

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-26 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य की चर्चा में अपने आप को शामिल करते हुए अपनी बात सदन में रखना चाहूंगा। बहुत चर्चाएं स्वास्थ्य को लेकर यहां पर हुई है। कुछ बातें निश्चित रूप से अपनी जगह पर कामन हैं किन्तु क्षेत्र के हिसाब से दोहराना आवश्यक समझता हूं।

स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर चिकित्सकों और उपकरणों के अभाव की जब चर्चा होती है तब निश्चित रूप से हमारे वे उद्देश्य अधूरे रह जाते हैं जब हम लोक स्वास्थ्य की बात करते हैं। ऐसे में जबकि बांसवाड़ा जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र के इस पूरे जिले के अन्दर बांसवाड़ा का महात्मा गांधी चिकित्सालय अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। जिले में एक मात्र बड़ा अस्पताल है, मगर मुझे यही दोहराना पड़ रहा है कि वहां पर भी पद कई रिक्त पड़े हुए हैं। रिक्त पदों के कारण क्या हैं, वे भी हमको समझ में आ रहे हैं। मगर जब तक अंकुश नहीं बनेगा। क्योंकि कई बार आर्डर्स हुए चिकित्सकों के किन्तु उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए निरस्त करवा लिये। जो सरकार ने नई नीति बनायी है कि एक चिकित्सक को तीन साल तक तो रहना ही पड़ेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चयन में हमें चिकित्सक मिलेंगे। महोदय, बांसवाड़ा जैसे बड़े चिकित्सालय में हमारे यहां पर सीनियर स्पेशलिस्ट, रेडियोलोजिस्ट का पद रिक्त पड़ा हुआ है, डिप्टी कंट्रोलर का एक पद रिक्त पड़ा हुआ है और जूनियर स्पेशलिस्ट के चार पद रिक्त पड़े हुए हैं जिसमें लेबोरेटरी, आई स्पेशलिस्ट मेडिसिन, साइकेट्रिस्ट ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिनका निदान अगर जिले के अस्पताल पर नहीं हो सकेगा तो निश्चित रूप से हमारे यहां का गरीब आदमी अहमदाबाद और गुजरात की तरफ पलायन करता है। इसलिए तकलीफ होती है। गरीब क्षेत्र है वहां तो कम से कम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो डाक्टर के पद रिक्त हैं उनको भरा जाए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी हमारे वहां लगभग 12 ऐसे पद रिक्त हैं जिसमें सीनियर स्पेशलिस्ट भी है, चिकित्सा अधिकारी भी है। प्रशासन गांवों के संग अभियान चला, आर्थोपेडिक का व्यक्ति नहीं होने के कारण विकलांगों को समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाये। उसके कारण अवरोध और व्यवधान हुआ, विकलांगों को जो लाभ शिविरों का मिलना चाहिए था वह एक हद तक नहीं मिल पाया। सभापति

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आर्थोपेडिक का जो पद है वह एक ही डाक्टर है वहां पर बांसवाड़ा में। वह अधिकारी भी रिटायरमेंट के करीब हैं और वह पद भी बहुत जल्दी रिक्त हो जाएगा, ऐसी सूरत में उस पद को भरा जाना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 8 पद, चिकित्सा अधिकारी के 8 पद रिक्त हैं, कनिष्ठ विशेषज्ञ के 11 पद रिक्त हैं।

ग्रामीण अंचल के अन्दर जहां हम बार-बार डिबेट करते है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसी सूरत के अन्दर मैं नहीं समझता हूं कि गांव का आदमी हमारी इन सेवाओं से लाभान्वित हो सकेगा। परतापुर एक ऐसा कस्बा है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का, जहां एक बड़ा कस्बा होने के नाते आसपास के सैकड़ों, हजारों मरीज उस अस्पताल के ऊपर निर्भर हैं। वहां पर भी एस.एम.ओ. का पद रिक्त पड़ा हुआ है। लम्बे समय से यह पद रिक्त है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक वक्त था कि परतापुर के अस्पताल के कारण लोग गुजरात को भूल गये थे, मोडासा को भूल गये थे, अहमदाबाद को भूल गये थे। वे लोग आज फिर उस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ऐसे बड़े अस्पताल जो सेंटर में हैं और जिनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, और विशेष कर आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए मैं मंत्री महोदय को आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि इन पदों को भरें।

नये सब सेंटर दो सौ देने की आपने घोषणा की है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे साथ एक हादसा हुआ है। मैंने मंत्री महोदय को लिखित रूप में यह बात प्रस्तुत भी की दी है। अब वह तो हो चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय कि 8 हमारे ऐसे सब सेंटर मिले थे जो आई.सी.डी.एस. के मार्फत संचालित होने वाले थे। वे आई.सी.डी.एस. के मार्फत संचालित हो रहे थे, मगर अचानक आई.सी.डी.एस. ने उस योजना में उन 8 पदों को विथड्रा कर लिया और उन 8 सब सेंटर्स को बन्द कर दिया। हादसा यह हो गया कि वे 8 सब सेंटर जो हमारे गांव के अन्दर चल रहे थे, अचानक बन्द हो जाने से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ रही है। उसका उल्टा हुआ। वे 8 पद निश्चित रूप से हमारे हैल्थ, हमारे डिपार्टमेंट ने स्वीकृत भी कर दिये थे, मगर तत्कालीन सरकार के नुमाइंदों ने और वहां के उस वक्त के शासन, प्रशासन ने यह महसूस किया कि 8 पद अगर हमको मिल गये हैं तो इनको वापस क्यों जाने दें। तो उन्होंने यह किया कि दूसरे गांवों के अन्दर उन

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

8 पदों को शिफ्ट कर दिया, उन 8 सब सेंटर्स को वहां पर खोल दिया। अब हादसा यह है, वह भी मेरे क्षेत्र की बात है कि अगर वे 8 पद भरने की मांग करता हूं तो वे कहते हैं कि 8 पद हम तोड़ देंगे, जो पहले हम दे चुके हैं। अब समस्या यह है कि जो 8 सेंटर हमारे टूटे हैं, न तो उन लोगों को हम लाभ दे पाएंगे। और 8 ये सेंटर जो दे दिये हैं, अगर उनको तोड़ कर वहां भरने की बात करेंगे तो वह तो सब बीमारी वहीं की वहीं रही। मैं निदान चाहता हूं। अब 200 के अन्दर तो शायद मेरी हिस्सेदारी एक के अन्दर ही खड़ी रहेगी, मेरी मांग आज 8 के ऊपर है तो उन सब सेंटर्स के ऊपर कृपया विचार करके जो हमारे टूटे हुए सब सेंटर्स हैं उनको वापस देने का निवेदन करना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री राहत कोष, मुख्य मंत्री सहायता कोष की बहुत तारीफ हुई है, निश्चित रूप से यह एक कल्याणकारी योजना है। मुख्य मंत्री ने यह सहायता कोष चला कर गांव के लोगों का भला किया है। प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान के अन्दर लोगों ने यह महसूस किया। जितने आवेदन आये हैं और जो बीमारियां आइडेंटिफाई हुई और उनके आवेदनों को आगे जो फारवर्ड किया है, मैं समझता हूं कि कई लोग, सैकड़ों लोग इस योजना के मार्फत लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्य मंत्री और हमारी सरकार ने जन कल्याण के इस अहम मुद्दे को अपने हाथ में लेकर एक बहुत बड़ा काम किया है और उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं लोक स्वास्थ्य को लेकर सफाई के ऊपर जोर देता हूं और सफाई एक बिन्दु के रूप में भी हमारे सामने आता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सफाई अभियान में बांसवाड़ा के अन्दर एक अभिनव प्रयोग किया गया। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन और विशेष कर जिला कलक्टर ने एक आह्वान किया था, यह सदन को मैं जानकारी देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यह सफाई अभियान कोई सरकारी मुद्दा नहीं हो सकता है, यह तो जब तक जन सहभागिता अगर हम इन्वाल्व नहीं करेंगे, इसको जनता के साथ अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी हमारे जिला कलक्टर ने सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता का आह्वान किया। अस्पताल के अन्दर लगभग 50 साल पुरानी गन्दगी के ढेर लगे हुए थे, वहां कभी सफाई नहीं हो सकी थी। अस्पताल के परिसर की बात नहीं, अन्दर जो कमरे और कारिडोर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके पूरे-पूरे परिसर के अन्दर जो हालात थे, जिला कलक्टर के एक आह्वान के ऊपर हजारों लोग बांसवाड़ा में इकट्ठा

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

हो गये और उन्होंने 50 साल की पुरानी उस गन्दगी को एक दिन में उठा कर फेंक दिया। यह मैं आंखों देखा नजारा आपके सामने कहना चाहूंगा। वह मैंने देखा कि जन आंदोलन क्या होता है या जनता की सहभागिता क्या होती है। यह केवल हमारे भाषण का विषय नहीं होना चाहिए, डिबेट का नहीं है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी जिला स्तरों के ऊपर इस तरह के अभियान चलाएं। जिला कलक्टर, प्रशासन अगर इनवाइट करेगा तो निश्चित रूप से हर पार्टी का आदमी भी जाकर खड़ा होगा और जनता भी जाकर खड़ी होगी।

यह बांसवाड़ा का जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, अस्पताल के परिसर का, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वहां पर तालाब है राज तालाब, वह गन्दगी से इतना अटा पड़ा था कि अगर कोई उसका पानी भूल से पी ले, तो वह बीमार हो सकता है, मर सकता है। ऐसे तालाब की सफाई की गयी। परतापुर मेरा कस्बा है, यही अभियान हमने परतापुर में चलाया। जन सहभागिता से उसके अन्दर काम किया और अस्पताल का परिसर नीट एण्ड क्लीन हुआ। मैं यह समझता हूं कि सफाई अगर केवल बिन्दु नहीं है और उस पर वाकई काम करने की हमारी मंशा है तो इसके अन्दर जनता की सहभागिता होनी चाहिए।

हम केवल सफाई करके इतिश्री कर लें, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि इसके अन्दर कौन एजेंसी काम कर सकती है वह करे। हमारा बांसवाड़ा बहुत बड़ा शहर है और उसके बीच में एक कागदी नाला निकल रहा है। उस कागदी नाले के अन्दर बांसवाड़ा का पूरा सीवरेज का पानी आकर पड़ता है। मैं, आज सदन के अन्दर उस महामना को याद करना चाहता हूं स्वर्गीय हरिदेव जोशी जो इस सदन के नेता रहे हैं, लम्बे समय तक इस राजस्थान को उन्होंने नेतृत्व दिया। कभी उन्होंने कल्पना की थी कि मैं इस नाले को एक खूबसूरत जगह बनाकर रखूंगा। उन्होंने अपने भाषणों में कई बार कहा था कि मैं इस नाले को वह स्वरूप दूंगा कि लोग केलिफोर्निया को याद करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस महामना के उस सपने को पूरा करने का उत्तरदायित्व मेरे अपने ऊपर है क्योंकि मैं आज उन्हीं के उस क्षेत्र से चुन कर आया हूं और उन्हीं की सीट के ऊपर उत्तराधिकारी के रूप में मुझे बैठने का अवसर मिला है। यह दायित्व मेरा अपना तो बनता है, पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके अन्दर कुछ राशि अतिरिक्त रूप से हमको मिले, लगभग 50 लाख या एक करोड़ की योजना बन रही है। अगर वह नाला साफ नहीं हुआ तो बांसवाड़ा का शहर उस गंदगी से इतना प्रभावित है कि हर व्यक्ति उस नाले के ऊपर से गुजरते हुए अपनी

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

नाक को बंद करके चलता है। दूसरी तरफ उस नाले का पानी बह कर हमारी उन नदियों में जाकर मिलता है जहां पर वाटर वर्क्स के कुएं लगे हुए हैं। वहां से लोगों को पानी सप्लाई हो रहा है और वह पानी पीने के लिए अन्य छोटे-छोटे गांवों के लोग मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सफाई अभियान के इस बिन्दु के अन्दर हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे मंत्री और हमारी सरकार जुड़ कर उस काम को करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा डोनेशन बांसवाड़ा को मिलेगा।

मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त कर दूंगा आपकी घंटी बजने से पहले। मगर एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा, वरना बात अधूरी रह जाएगी। मैं उस बिन्दु पर चर्चा करना चाहता हूं जिसका इलाज नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी, विद्युत मंत्रीजी ने इस बिन्दु को उठाया जब सुमित्राजी ने यह बात कही थी कि इसका इलाज क्या है। यह सदन और ये 200 डाक्टर यहां पर बैठे हुए हैं यही उसका इलाज ढूंढ़ सकते हैं। मैं उस अहम बात को कहना चाहूंगा, वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ी हमारे साथ या कोई सक्षम आदमी के साथ लूट-खसोट हो रही है, पर गरीब आदमी के साथ अस्पताल में जो व्यवहार हो रहा है उसकी मैं बात करना चाहता हूं। न मैं किसी शासन, प्रशासन की बात करना चाहता हूं क्योंकि वह आज भी थी, वह कल भी थी और वह आगे भी रहेगी। अगर हम 200 आदमी मिल कर उसका इलाज नहीं ढूंढ़ सकते तो मैं प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहता, मैं निश्चित रूप से इस सदन से इलाज चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी चिकित्सालय हो या परतापुर का चिकित्सालय हो, वहां पर अगर डिलीवरी हो तो पैसा चाहिए, वहां पर अगर इलाज हो तो डाक्टर को पैसा चाहिए। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पताल का जो चैम्बर है उसे डाक्टर अपनी दुकान की तरह इस्तेमाल करता है। वो यह तय करते हैं कि तू घर पर आ जा, मैं देख लूंगा। तू 8 बजे आ जाना, तू 9 बजे आ जाना, तू 10 बजे आ जाना। हम यह नहीं कहना चाहते, लेकिन जब अपने कार्य समय में हों तब तो आप उसका इलाज करो। प्राइवेट प्रैक्टिस की जहां तक बात है, हम यह नहीं कहते कि प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए। यह डिस्कशन का विषय हो सकता है और वरिष्ठ लोगों का विषय है, वे बोलते रहें इस पर। मगर मैं निवेदन एक जरूर करना चाहता हूं कि अगर हमारे इस विवाद के बीच में वह छोटा आदमी पिसता रहेगा तो निश्चित रूप से हम राहत देने का यहां पर कोई इलाज नहीं ढूंढ़ पाएंगे। मैंने अभी जिला कलक्टर महोदय से हमारे

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

बांसवाड़ा चिकित्सालय को लेकर यह कहा था, हमारी बैठक के अन्दर, कि आप चिकित्सालय के अन्दर एक बोर्ड लटकवा दीजिए और उस पर लिख दीजिए कि यहां पर अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे या इलाज के लिए आपसे कोई पैसा मांगे तो उसकी शिकायत आप मुझे कीजिए। उसके परिणाम आये। उसके परिणाम ये आये कि लोगों ने हिम्मत की और हिम्मत करके जिला कलक्टर को यह शिकायत की कि मेरे से पैसे मांगे इन लोगों ने। उस डाक्टर के ऊपर कार्यवाही भी हुई, जिला कलक्टर महोदय ने मुस्तैदी से कार्यवाही की। मेरा यह कहना है कि हम व्यावहारिक कोई बात कर सकें तब तो जाकर हम कुछ रिजल्ट ले सकेंगे, वरना तो निश्चित रूप से हमारा यहां बोलना भी निरर्थक होगा और हमारा वहां काम करना भी निरर्थक होगा।

मेरा यह निवेदन है कि जो नीम-हकीम की बात कही गयी, बांसवाड़ा जिला भी उससे अछूता नहीं है, बल्कि इतना ग्रसित है कि हर गांव के अन्दर बंगाली आदमी डाक्टर बनकर बैठा है। उसकी शक्ल देखो तो आप कल्पना नहीं कर सकते, वह डाक्टर हो सकता है क्या। इतनी टीन एज...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : स्वास्थ्य मंत्रीजी, ये बंगाली डाक्टर की बात कर रहे हैं इसको तो सुनो आप। सुन रहे हैं, वह तो हमें भी मालूम है। वे तो बातों में मशगूल हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : सुन लेंगे वो। ऐसे मैं 2-3 डाक्टरों के पास गया। मैंने जाकर पूछा कि डाक्टर साहब कौन हैं, तो बोले मैं हूं। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूं। उसकी न तो उम्र में कोई डाक्टर नजर आ रहा है, न उसके अनुभव में कहीं डाक्टर नजर आ रहा है और वह आदमी डाक्टर बनकर बैठा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह व्यक्ति शिकायत करने नहीं आएगा जो मर गया है। लाशों को टेबलों पर छोड़ कर ये बंगाली डाक्टर भाग गये, एफ.आई.आर. दर्ज हुई, ऐसे भी उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मैंने भी सी.एम.एच.ओ. साहब से निवेदन किया कि इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल जवाब दिया, व्यावहारिक जवाब दिया कि, रमेशजी, हम इसको बंद तो कर देंगे, हम इसके ऊपर कानून सारा लाद देंगे, मगर इसके जाने के बाद में इलाज कौन करेगा। बात तो थोड़ी व्यावहारिक है, किन्तु जहां आदमी के ऊपर आ पड़ने वाली बात है, आदमी के जीवन और मृत्यु का जहां सवाल आ जाता है, फिर ऐसे लोगों को बरदाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें हमको जवाब देने की या हमको मुंह छिपाने की या इसके

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

ऊपर कोई वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ज्यादा आवश्यकता यह है कि ऐसे लोगों को चुन-चुन कर उन अस्पतालों को बन्द कर देना चाहिए। यह अधिकार आप सी.एम.एच.ओ. को अगर डेलिगेट करेंगे तो निश्चित रूप से इसके कुछ परिणाम आएंगे।

अन्त में केवल आयुर्वेद मंत्रीजी के लिए दो-तीन निवेदन हैं यूनानी अस्पताल खोलने के लिए। अभी वह जब बांसवाड़ा आयी थी तो वहां पर घोषणा करके गयी हैं कि यूनानी अस्पताल बांसवाड़ा में खोला जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह प्रावधान करें और उसकी क्रियान्विति अगर हो जाए बांसवाड़ा में यूनानी अस्पताल की तो अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ी-सी विसंगति मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे वहां पर 130 आयुर्वेद औषधालयों के अन्दर चिकित्सक हैं, मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें भी 30 खाली पड़े हैं। 30 खाली पड़े हैं वो तो आज नहीं तो कल भर जाएंगे, मगर दूसरी तरफ स्थिति यह है कि उनमें तीन आदमी जो हमारे लोकल थे, उनको भी हटाकर ट्रांसफर कर दिया और बाड़मेर भेज दिया। न तो उन्होंने मांग की। अब बांसवाड़ा के अन्दर पहले ही खाली पड़े हैं, उसमें से भी वहां के लोकल लोगों को निकालकर बाहर भेजा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि ऐसे जो ट्रांसफर किये जाते हैं उन पर तो कम से कम विचार किया जाना चाहिए। वहां के जो हमारे चिकित्सकों के पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने समय दिया उसके लिए, सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा तो नम्बर मर गया।

श्री सभापति : नहीं, नहीं। बिलकुल जिन्दा नम्बर है आपका।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) **:** माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर सदन से समर्थन चाहा है। इस सरकार ने पिछले तीन वर्षों के अपने बजट में चिकित्सा क्षेत्र में जो प्रावधान रखा है यदि उसका आकलन किया जाए, मंत्रीजी खुद आकलन करें तो हम पाएंगे कि हमने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। मंत्रीजी ने यह नहीं सोचा कि राजस्थान में आबादी कितनी बढ़ रही है और मंत्रीजी ने यह भी नहीं सोचा कि इस वर्तमान युग में विशेष चिकित्सा सुविधा की कितनी आवश्यकता बढ़ गई है। माननीय मंत्रीजी को सुनने की फुर्सत भी नहीं है। माननीय मंत्रीजी, तीन साल के आपके कार्यकाल में यदि आप सच्चे मन से खुद आकलन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिस महत्त्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली, जिसमें विकास

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

और सेवा की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आप उसमें कुछ कर नहीं पाये। आप आकलन करें, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, मुझे कतई आपत्ति नहीं होगी इस बात पर। मान्यवर, जैसा माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने बताया अभी कि तीन सालों में 17 प्राथमिक चिकित्सालय खोल दिए, इस वर्ष भी 4-5 जगह आपने शैय्याएं बढ़ा दीं। आबादी कितनी बढ़ रही है, और पूरे राजस्थान में मात्र 4-5 अस्पतालों में आपने शैय्याएं बढ़ाई हैं। जिस अस्पताल में चले जाओ, मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 2-2, 4-4, 6-6 घंटे में मरीज का नम्बर नहीं आता। आपरेशन का नम्बर तो बहुत लेट आता है। यदि आपने मेहनत नहीं की, आपने प्रयास नहीं किये, आपने इसके लिए सोचा नहीं तो यह क्षेत्र पिछड़ता चला जाएगा। देश के जो दूसरे प्रदेश हैं, वे चिकित्सा क्षेत्र में नये-नये आयाम पैदा कर रहे हैं, नई-नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और हमारी हालत यह है कि हम यहां पिछड़ते जा रहे हैं।

अभी बजट में आपने यह भी प्रावधान रखा कि जितने भी उपखण्ड मुख्यालय हैं, वहां रक्त भण्डारण की व्यवस्था करेंगे, ब्लड बैंक की स्थापना आप करेंगे। यह आपने प्रावधान रखा है, बजट भाषण में था माननीय वित्त मंत्रीजी के। मान्यवर, एक बात बता दें मुझे आप, आपने पहले जिला मुख्यालयों पर रक्त भण्डारण की व्यवस्था की, आप मेडिकल कालेज छोड़ दें, कितने जिला मुख्यालयों पर आपने डाक्टर लगा दिये ब्लड बैंक में? कितने जिला मुख्यालयों पर आपने टैक्नीशियन लगा दिये जहां भी आपने नये ब्लड बैंक खोले? वहां एक भी डाक्टर, एक भी टैक्नीशियन आपने अभी भी नहीं लगाया, यह ब्लड बैंक चलेगा कैसे? मात्र एक डीप फ्रीजर वहां रखवा दिया या एक कमरे में ए.सी. लगा दिया जहां ब्लड ले सकते हैं, बाकी एक भी डाक्टर और एक भी नर्सिंग कर्मचारी वहां नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कई जांचें अनिवार्य हो गईं पर टैक्नीशियन वह के वह हैं। बिना एच.आई.वी. जांच किये ब्लड दे नहीं सकते, टैक्नीशियन उतने ही हैं। कितना भार बढ़ गया है उनके ऊपर, उस भार में आप सोचते हैं कि सही जांच होगी? सही जांच नहीं हो सकती, मंत्रीजी। उसके अलावा निजी चिकित्सालय हैं या दूसरे चिकित्सालय हैं जिले में, वहां भी यदि कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो इस जांच के बिना वह हो नहीं सकता। और वह जांच सिर्फ जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में होती है। जिले भर में जितने ब्लड जहां चढ़ने होते हैं, जिला मुख्यालय से जारी होते हैं। निजी चिकित्सालयों के लिए और दूसरे अस्पतालों के लिए एक शर्त और लगा दी आपने, परिपत्र जारी कर दिया कि अस्पताल आवर्स में ही बाहर के जो चिकित्सालय हैं उनको ब्लड मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की इजाजत है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री ज्ञानचन्द पारख : मान्यवर, एक परिपत्र जारी किया कि जो ब्लड जारी होगा बाहर के अस्पतालों में, निजी चिकित्सालयों में, वह अस्पताल के समय में ही जारी होगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपको संशोधित जानकारी दे देता हूं, हमने ये डाइरेक्शंस दे दिये हैं कि 24 आवर्स ब्लड अवेलेबल रहेगा बाहर के नर्सिंग होम्स के लिए भी। यह कर दिया है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : कर दिया आपने? पर उसके लिए आपने कोई व्यवस्था की, कोई डाक्टर लगाया है आपने? 24 घंटे आप चालू तो रखोगे, किसके बूते चालू रखोगे आप? आपने कोई डाक्टर लगाया है वहां पर? आपने कोई टैक्नीशियन लगाया है वहां पर? परिपत्र के साथ-साथ यह भी आप आदेश निकालें कि...(व्यवधान) पाली में एक भी डाक्टर नहीं है, कोई भी टैक्नीशियन नहीं है। मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। पाली में भी आपने नहीं लगाया है, कोई भी टैक्नीशियन नहीं है। मान्यवर, मात्र घोषणा कर देने से कि हम रक्त भण्डारण की व्यवस्था करेंगे, यह रक्त बैंक आपका सही चल नहीं सकता। मैं मरीज के हित की बात कर रहा हूं, और मेरा आग्रह है कि आप बिलकुल ध्यान से सुनें। आप पता लगाएं व्यवस्था का तो आपको महसूस होगा कि वाकई में अन्याय हो रहा है।

मान्यवर, टी.बी. उन्मूलन के बारे में सरकार के अच्छे प्रयास हैं। वैसे उसमें ज्यादा योगदान तो विश्व बैंक का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, भारत सरकार का है। राजस्थान में यह लागू भी हो गया और इससे राजस्थान के मरीजों को फायदा हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। काफी टी.बी. के मरीज इसमें ठीक हुए हैं, मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी मिल रही हैं। मैं, माननीय मंत्रीजी, एक बात कहना चाहूंगा, टी.बी. में एम.डी.आर. के केसेज भी होते हैं, आपकी जानकारी है? मल्टी ड्रग्स रेसेंट के केसेज होते हैं जिनको जो आप दवाइयां उपलब्ध कराते हैं...

श्री राजेन्द्र चौधरी : वह आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको कि यह जो रिवाइज ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है, उसमें डाट्स, अभी आपके चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, वह कार्यक्रम उन्होंने पूरे राज्य में चलाया है। टी.बी. के अन्दर एक प्रमुख बात यह होती है कि दवाई लेने पर जो रुक जाता है पेशेंट, पूरा ठीक होने के पहले तो उसमें ड्रग रेजिस्टेंस डवलप हो जाता है। तीन श्रेणियां हैं उसकी और तीनों में जो पेंशेट होता है, वह दवाई उसको देते हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मान्यवर, मैं आपको फिर संशोधित कर दूं, जो एम.डी.आर. केसेज हैं, वे आपके तीनों कैटेगरी में आते हैं। आपकी जो कैटेगरी दो हैं, डिफाल्टर केस के लिए, एम.डी.आर. केसेज के लिए नहीं है, वह इस मेडिसिन से ठीक नहीं होता। जो आप रीफा देते हैं, इथनमिथोल देते हैं, प्रेजनामिड देते हैं या जो भी आप देते हैं इनसे यह पेशेंट ठीक नहीं होता है। उसमें केनामाइसिन इथोमीडिया प्रोथोमिट की आवश्यकता होती है। आपने किसी भी टी.बी. अस्पताल में व्यवस्था कर ही रखी है और इस एम.डी.आर. के चलते पूरे राजस्थान में हजारों मरीज साल के मरते हैं। आपको पूरे राजस्थान में हजारों केस नजर आ जाएंगे, पाली जिले में सैकड़ों केस हैं। मैं कह रहा हूं शायद एम.डी.आर. की जानकारी आपको पूरी नहीं है, आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लें अपने अधिकारियों से और जानकारी प्राप्त करने के बाद में इसकी पुख्ता व्यवस्था करें। कम से कम उसके बाद तो आप सहमति दे देते अपनी, यदि हो गया कि इस दवाई की आवश्यकता है कि नहीं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि टी.बी. पर बहुत बड़ा कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता और उसमें मरीज को बचाया जा सकता है।

माननीय मंत्रीजी, बी.पी.एल. के बारे में यह बात कही है कि सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, मैं धन्यवाद दूंगा। गरीब मरीज को फायदा मिलता है। सरकार की मानसिकता है कि बी.पी.एल. को हर सुविधा मिले, कहीं व्यवस्था में गड़बड़ न हो। सरकार की इसमें ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन व्यवस्था ठीक करें थोड़ी बहुत तो और ज्यादा फायदा मिल जाए।

एस.एम.एस. में भी जो हार्ट वाल्व के केस हैं या कैंसर के केस हैं, जिसमें बी.पी.एल. को पूरी सहायता मिलती है, मात्र तीन दिन में पैसा स्वीकृत हो जाता है। ऐसा आजकल होने लग गया है। मैं बिलकुल कह रहा हूं, मुझे पता है, मैंने कई केस करवाये हैं। मरीज को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे अधीक्षक महोदय के कमरे में दो जो बाबू बैठा है, तीन दिन में उसका पैसा वहां

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आ जाता है। पैसा आ गया लेकिन उसका उपचार कब हो रहा है, यह आपने कभी देखा? पैसा तीन दिन में आपने पास कर दिया, मैं यह मानता हूं कि आपने पास किया, लेकिन आपका जो यहां सिस्टम है, जो आपने यहां व्यवस्था कर रखी है, वह इतनी कम है कि आपका पैसा 6-6 महीने पड़ा रहता है, 12-12 महीने पड़ा रहता है। इतनी भीड़ यहां लगी रहती है। सबने बात की कि एस.एम.एस. का पूरे हिन्दुस्तान में नाम है और सबसे सस्ती चिकित्सा सुविधा कहीं राजस्थान में और हिन्दुस्तान में है तो वह एस.एम.एस. में है। पर आपने कभी इसकी क्षमता बढ़ाने की सोची नहीं। यहां पूरे हिन्दुस्तान के, उत्तर भारत के मरीज आकर्षित हो रहे हैं, यहां आ रहे हैं तो यहां की व्यवस्था बढ़ाई कैसे जाए, यहां पर कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में आपने कोई कभी चिंतन नहीं किया। यदि आप इसके बारे में चिंतन करेंगे तो बहुत ज्यादा मरीजों को फायदा पहुंचा पाएंगे।

मान्यवर, आप जितना पैसा देते हैं मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से या मुख्य मंत्री सहायता कोष से, वह 80 प्रतिशत से ज्यादा पैसा हृदय रोग में जाता है। अधिकांश जो हृदय रोग है, चाहे हृदय वाल्व हो, चाहे बाई पास हो, चाहे और कोई भी बीमारी हो। लेकिन हृदय रोग की क्षमता देखी आपने? कैंसर में कम जाता है, 80 प्रतिशत पैसा हार्ट वाल्व में जाता है, यह मैं कह रहा हूं। 1993 में आपने कार्डियक सर्जरी यूनिट की स्थापना की, 1998 से आपरेशन यहां चालू हो गये थे लेकिन 1993 में कार्डियक थोरोसिक सर्जरी का कार्य चालू हुआ। 1993 में आपने यह माना था कि एक वर्ष में 250 आपरेशन करने हैं, और 250 के हिसाब से ही आपने वहां पर साधन जुटाये। लेकिन अब, माननीय मंत्रीजी, मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा इसमें... (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, 1993 में एक अभियान आपके विधायक डाक्टर करण सिंहजी यादव ने शुरू किया था और सरकार का उस समय आकलन था कि एक वर्ष में 250 के करीब ओपन हार्ट सर्जरी करनी है और 250 के करीब

(17.00 बजे)

क्लोज हार्ट सर्जरी करनी है। तब तक तो आपका वह सिस्टम ठीक था। पर आपको पता है, पिछले वर्ष में यहां 600 ओपन हार्ट सर्जरी हुई हैं और 600 ही क्लोज हार्ट सर्जरी हुई हैं? व्यवस्था आपने 250 की कर रखी है लेकिन दोगुने से भी ज्यादा आपरेशन यहां हो रहे हैं, और उससे भी कई ज्यादा लोग वेटिंग में यहां पड़े हैं। यदि उनका नम्बर आ जाए तो यह आंकड़ा हजार से ज्यादा पार पहुंच जाए। कोई ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है आपको इसमें कुछ करने की। यदि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आप वार्ड की क्षमता बढ़ा दें, वार्ड की कैपेसिटी बढ़ा दें, आई.सी.यू. की कैपेसिटी बढ़ा दें, बिल्डिंग आपके पास पूरी पर्याप्त मौजूद है एस.एम.एस. में। और बिल्डिंग नहीं भी है तो पैसा जुटाया जा सकता है। थोड़े साधन भी आप जुटा दें, थोड़े उपकरण भी आप लगा दें। मान्यवर, मुख्य मंत्री सहायता कोष का, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का करोड़ों रुपया जाता है इसमें हर वर्ष लेकिन साधनों की कमी से मरीज इलाज के बावजूद भी मर जाते हैं, आपरेशन के बाद मर जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि आपरेशन हो गया उसके बाद मरा क्यों? डाक्टर के ऊपर दोष लगा देंगे अपन। पर डाक्टरों से ज्यादा दोष आपके जो उपकरणों की कमी है उसका है। अच्छे डाक्टर बैठे हैं यहां, बहुत अच्छे-अच्छे सर्जन हैं जिन्होंने नाम कमाया है। यहां जो उपकरणों की कमी है, मान्यवर विश्व हृदय संगठन ने अपने जितने भी केन्द्र पूरे संसार भर में हैं, उनमें एक मशीन उपकरण है ट्रांस ईसो फिजियल ईको कार्डियोग्राफी मशीन विद प्रोबरे जो आती है, यह आप नोट कर लें, मंत्रीजी, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से इसके बारे में तीन बार निवेदन किया है, इसकी आवश्यकता हर सेंटर पर बताई है। यह नहीं होने पर आपरेशन करने का मना किया है उस संगठन ने। यहां वह मशीन उपलब्ध नहीं है। बहुत महंगी भी नहीं है, कोई 60-70 लाख की है। आर.एम.एस. आर.एस.ई. में इतना पैसा पड़ा है कि आप खरीद सकते हो। वह मशीन आ गई तो आपकी जो मृत्यु दर दस प्रतिशत है वह गिरकर दो या तीन प्रतिशत पर आ जाएगी, आप कई लोगों की जान बचा लोगे। आपके एम.सी.एच. किये हुए डाक्टर यहां बेकार बैठे हैं, वहां डाक्टरों की कमी है। ऊपर जो कार्डियक सर्जरी है वहां तो डाक्टरों की कमी है। पर एम.सी.एच. किये हुए डाक्टर यहां बेकार बैठे हैं, उनको एक कोने में पटक दिया। नीचे कोई इमरजेंसी में बैठे हैं, कोई कहां बैठे है, जबकि उसने हृदय शल्य चिकित्सा में विशेष योग्यता हासिल कर ली है। आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो। जिसने अपनी कड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीद से यह कोर्स किया कि मैं भी लोगों की हृदय शल्य चिकित्सा करूंगा, उसको आपने कोने में पटक दिया। वहां डाक्टरों की आवश्यकता है, वहां आपने डाक्टर दिये नहीं। इसमें आपका पैसा भी लगने वाला नहीं है, दो डाक्टर जो नीचे बैठे हैं, उनको ऊपर भेजना है, और कुछ नहीं करना है। ऊपर मतलब ऊपर वार्ड में भेजना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। माननीय मंत्रीजी, कुछ छोटे-छोटे सिस्टम हैं, पर यदि आप चिंता करो तो यह होगा। आप चिंता कुछ करो नहीं, जब तो कुछ होने वाला है नहीं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मान्यवर, एक एम.आर.आई. मशीन होती है जिसकी न्यूरो सर्जरी में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आजकल छोटी से छोटी कोई बीमारी हो, डाक्टर एम.आर.आई. लिख देता है। आवश्यकता भी है, होनी चाहिए बिलकुल। बिलकुल बीमारी की तह तक डाक्टर को जाना चाहिए ताकि इलाज करने में सुविधा हो। लेकिन जिस चिकित्सालय का पूरे देश में नाम है, वहां यह मशीन उपलब्ध नहीं है। जो भी मरीज आते हैं, बाहर प्राइवेट में पांच हजार रुपये देकर यह जांच करानी पड़ती है। सरकार इस बात की व्यवस्था कर दे, इस मशीन की व्यवस्था कर दे तो निश्चित रूप से न्यूरो सर्जरी यूनिट के मरीजों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। माननीय मंत्रीजी, बहुत लम्बी-चौड़ी कीमत उसकी भी नहीं है। आजकल हार्ट में एक फिमेल उपकरण आता है उसकी भी आवश्यकता हो गई, वह भी अपने यहां नहीं है। यदि वाकई में चाहते हैं कि एस.एम.एस. का नाम पहले जिस तरीके से पूरे हिन्दुस्तान में रोशन था, वह कायम रहे तो आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। वरना यह जो आपका तीन-साढ़े तीन साल का कार्यकाल बीत गया और डेढ़ साल का कार्यकाल जो बचा है, वह राजस्थान की जनता को यही संदेश देगा कि यह मंत्रीजी कुछ कर नहीं पाये, उलटा उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को कोलेप्स कर दिया, ठप कर दिया। एम.आर.आई. की भी एक करोड़ से ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा उपकरण नहीं है एम.आर.आई. प्राइवेट में पांच हजार रुपये है।

मान्यवर, एक सी.टी. सर्जरी से ही सम्बन्धित मामला है, जो भी हृदय के रोगी आते हैं उनको टू डी ईको कराना बहुत आवश्यक होता है। यहां पर उपकरण मौजूद है और हृदय रोगी इतने हैं कि यदि कोई व्यक्ति टू डी ईको कराना चाहे तो उसको दो महीने बाद की तारीख मिलती है। बी.पी.एल. का पैसा तो आप तीन दिन में दे रहे हो पर जांच में उसके दो महीने लगते हैं। वह टू डी ईको होने के बाद ही पता लगेगा कि उसको बीमारी क्या है, क्या ठीक करना है उसके शरीर में। यह बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, 25-50 लाख में यह भी आ सकती है। एक मशीन आपके यहां पड़ी है। यदि दो घंटे बढ़ा दें तो जो वेटिंग लिस्ट है वह भी कम हो सकती है। मात्र दो घंटे रोज बढ़ा दें आप। आप सी.टी. स्कैन रात भर करते हैं या एक्स-रे रात भर करते हैं, सारी सुविधाएं आपकी रात भर हैं तो इसको भी यदि आप आठ की बजाय सोलह घंटे कर दें, मशीन वही रखें आप, थोड़ा सिस्टम ठीक करके सोलह घंटे कर दें तो जिन मरीजों को दो महीने या तीन महीने इंतजार करना पड़ता है, जांच के लिए वापस गांव जाकर आना पड़ता है, उनको सुविधा मिल जाएगी। कई तो मर जाएंगे।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मेरा क्षेत्र तो अभी छेड़ा ही नहीं मैंने।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मान्यवर, बहुत गुजाइंश है चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने की, पर इच्छाशक्ति मंत्रीजी की होगी तो काम आएगा। आवश्यकता बहुत है, जरूरत बहुत है। मुख्य मंत्रीजी बहुत दयालु हैं, उन्होंने बहुत पैसा दिया लेकिन मुख्य मंत्रीजी के सपनों को साकार करना है तो मंत्रीजी को खुद को भी थोड़ा दयालु बनना पड़ेगा। वरना मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को बुरा नहीं मानें, आपके समय में चिकित्सा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, उलटे बिगड़ती जा रही है। माननीय मंत्रीजी, यह आपके लिए सोचने का विषय है। यह आरोप नहीं है, हकीकत है क्योंकि मैं इस क्षेत्र से बहुत जुड़ा हुआ हूं और मैंने खुद ने महसूस किया है कि उलटे पहले ज्यादा ठीक थी।

मान्यवर, मैं मेरे पाली की बात कर दूं अब क्योंकि आपने घंटी बजा दी है तो मेरा पाली छूट नहीं जाए। मान्यवर, पाली में बाकी पद रिक्त हैं–स्त्री रोग के वरिष्ठ विशेषज्ञ का पद रिक्त, हृदय चिकित्सा का पद रिक्त, मेडिसिन में पद रिक्त रेडियोग्राफर में पद रिक्त वरिष्ठ चिकित्सकों के। आपको जानकारी दी है मैंने लिखकर दो बार, उसके बिना "अ" श्रेणी का अस्पताल चल जाएगा? जो अच्छे डाक्टर थे वे आपकी व्यवस्था के चलते हुए या आपकी मेहरबानी से सारे अच्छे डाक्टरों ने वालियंटरी रिटायरमेंट ले लिया। एक साल में चार डाक्टर जिनका पाली में नाम था, जिनको पाली में पूजा जाता था, आपकी बदइंतजामी के चलते हुए अपनी नौकरी छोड़ कर चले गये, बीच में नौकरी छोड़ दी उन्होंने। इतने कम पद हैं। मान्यवर, कई बार यह जानकारी होती है कि यह डाक्टर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, इसका आचरण उचित नहीं है, भ्रष्ट है, मरीजों को परेशान करता है। जानकारी मंत्री तक पहुंच जाए, आपका अधिकारी खुद पहुंचा दे, उसके बाद में यदि मंत्रीजी कुछ न सुने तो उससे सिस्टम ठीक हो जाएगा? यह आप मत समझो कि ठीक हो जाएगा। पाली में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उसके बारे में पी.एम.ओ. ने दस-दस पत्र निदेशक को लिखे हैं। दस-दस पत्र, एक पत्र नहीं, कि इसका आचरण ठीक नहीं है, यह काल पर आती नहीं है, इसने नसबंदी का एक भी आपरेशन नहीं किया अभी तक, यह मरीजों को पैसे की वजह से तंग करती है, यह मरीजों को बेवजह बाहर भेजती है, रैफर कर देती है। एक बार नहीं, दस से भी ज्यादा पत्र पाली पी.एम.ओ. ने चिकित्सा विभाग को भिजवाये। वह डरती भी नहीं है, वह साफ कहती है कि पी.एम.ओ. मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे हाथ ऊपर तक हैं। अब इनके हाथ कहां तक हैं, यह मुझे नहीं पता। मंत्रीजी, आप खुद स्पष्ट कर दो, आपसे ऊपर तो वह नहीं हो सकती। उसने स्पष्ट पी.एम.ओ. को कहा है और पी.एम.ओ. ने यह बात सब जगह कही है कि मैं क्या करूं, वह डाक्टर मुझे डांटी मारती है कि मेरे हाथ तो ऊपर तक हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : पी.एम.ओ. हटा दोगे और वह वहीं बैठी रहेगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : तो जिनके काले-कारनामे आपके सामने आ गये, आपके अधिकारी ने बता दिया, हमारी तो नहीं सुनें आप, कोई राजनीतिक कारण से हमारी नहीं सुनें, हम मान लेते हैं, पर जो आपके अधिकारी ने बता दिया, ट्रांसफर करने में आपका पैसा भी नहीं लगता, कोई बजट का प्रावधान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको, ट्रांसफर से बड़ी कार्यवाही भी आप कर सकते हो। कई केसों को जो पाली में ठीक हो सकते थे, बाहर रैफर कर दिया उसने। बिना पैसे एक भी आपरेशन नहीं करना उसने बिलकुल अपना धर्म बना लिया है। आप करें, ना करें, यह तो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन पाली की जनता बहुत जल्दी कुछ कर देगी। आपको खुद को पता है, आप छह महीने पहले पाली पधारे थे। जिस दिन आप पाली पधारे थे उसके एक दिन पहले हास्पिटल में सैकड़ों युवाओं ने, पाली के सैकड़ों नागरिकों ने एक डाक्टर के विरुद्ध आंदोलन किया था। सारे डाक्टर छोड़कर भाग गये थे। आपकी जानकारी में बात है। दूसरे दिन आप भी पाली आये थे, मंत्रीजी, आप इतने सहमे हुए थे कि चारों तरफ पुलिस की व्यवस्था करके आप कलक्ट्रेट में पिछले गेट से आये थे। आपको डर था इस बात का, आपको पता है इस बात का, आपने पूरे कलक्ट्रेट को छावनी बना दिया। इनको पता था कि पाली की जनता आक्रोश में है, गुस्से में है, और मंत्रीजी की खुद की हिम्मत नहीं हुई कि मेन गेट से चले जाएं, पीछे के गेट से आये। जानकारी मिलने के बाद भी, इनके कार्यकत्ताओं ने इनको कहा कि पाली में पद खाली हैं, पाली में डाक्टर भ्रष्ट हैं, फिर भी मंत्रीजी ने कोई कार्यवाही नहीं की।

मान्यवर, मेरा यही निवेदन आपसे है कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है जिसमें आप राजनीति के माध्यम से सेवा भी कर सकते हैं, यह मौका आप गंवाएं नहीं। जितना इस क्षेत्र में कर सके, आपके हित में भी होगा और राजस्थान की जनता को भी उससे राहत मिल जाएगी यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद। जयहिन्द जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद माननीय श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) **:** सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग की मांग पर आज सदन में बहस हो रही है, चिकित्सा मंत्री जी ने इसकी डिमाण्ड पेश की है। बहुत बड़े ज्ञानदाताओं ने स्टेट लेवल पर जो बातें कहनी थीं कही-सुनी। उतना न तो हमारे पास ज्ञान है और न उस ज्ञान में जाने की मैं जरूरत समझता हूं। मुझे इस सदन में सरकार से इतना ही कहना है कि जनतंत्र में सरकार का यह कर्तव्य

(श्री अमीन खान)

है कि मिनिमम प्रोग्राम के तहत कुछ न कुछ हर इंसान को सहूलियत मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। कहीं-कहीं सुविधाएं अपार हैं और कहीं सुविधाएं जीरो हैं। इस बात के फर्क और दूरी को तोड़ना आपका फर्ज है और आपको तोड़ना चाहिए। अगर इसको न तोड़ते हुए जैसे गाड़ी चलती है चलने दो तो फिर अपन-यहां बहस भी बेकार करते हैं और जन कल्याणकारी कार्यक्रम का नाम भी बेकार है। आप हम सब एक टाइम पास करते हैं। गरीब आदमी को न्याय देने को वचनबद्ध नहीं हैं।

मैं, मिसाल के तौर पर कहना चाहूंगा कि सीमावर्ती रेगिस्तानी जिले हैं इनकी समस्याएं राजस्थान के अन्य इलाकों से भिन्न हैं। एक तो रेगिस्तानी इलाका है जहां गांव बहुत दूर-दूर बसे हुए हैं। गांव की आबादी कम है इस कारण से भी मिनिमम नीड प्रोग्राम का प्रोग्राम जो है, उसमें चाहे आप सब सेन्टर खोलते हो, डिस्पेंसरी या पी.एच.सी. खोलते हो, उनके भी नम्बर कम आते हैं। पर खैर, हम उस बात को भी न्याय मान लेंगे जितनी भी इकाई आपने खोली हैं। इकाई सरकार की एक विभाग मानकर चलता है तो कम से कम उस इकाई पर चाहे कोई भी किस्म की औरत ए.एन.एम., कम्पाउडर हो, चाहे ठोंठ से ठोंठ डाक्टर या वैद्य हो, होना चाहिए। नहीं है तो यह उन लोगों के साथ अन्याय है। हम यह बार-बार देखते आये हैं कि दो विभागों की सर्विस में हमारे साथ पूरा राजस्थान ज्यादती करता है। जैसे पूर्वी राजस्थान के कुछ भाई कहते हैं कि हमारे साथ डवलपमेंट वर्क में या रिलीफ वर्क में पश्चिमी राजस्थान अन्याय करता है, तो इस मामले में हमारे साथ अन्याय है। अन्याय यों है कि पूर्वी राजस्थान में चाहे उत्तरी राजस्थान में शुरू से पढ़ाई-लिखाई का सिस्टम और वातावरण अच्छा रहा। यहां के नर-नारी में शिक्षा आ गयी और यहां शिक्षा आने के कारण से अध्यापक यहां के बने, ग्रामसेवक यहां के बने, ए.एन.एम. यहां की बनीं, डाक्टर, कम्पाउण्डर यहां के बने। इनकी पोस्टिंग होती है बाड़मेर, जैसलमेर में और ज्यो-ज्यों इनके अपने इलाकों में खाली जगह होती है, अपने-अपने एम.एल.एज. की सिफारिश कराकर वे नर्सें भी यहां आ जाती हैं, कम्पाउण्डर भी यहां आ जाते हैं, डाक्टर और मास्टर भी यहां आ जाते हैं। उस इलाके के साथ यह ज्यादती है। देश की आजादी के बाद में सरकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं वो आज तक नहीं मिलती हैं। सब सेन्टर जहां हैं वो खाली हैं। एडपोस्ट है तो वो खाली है। अभी मेरे से पूर्व बाड़मेर के विधायक भी यही कह रहे थे। मेरी पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर

(श्री अमीन खान)

शिव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है राज्य की तरफ से, मगर उसमें डाक्टर एक भी नहीं है, कम्पाउण्डर, नर्स एक भी नहीं है, महिला डाक्टर एक भी नहीं है। हमारा ब्लाक पी.एच.सी. गुंगा है, उसमें सिर्फ एक डाक्टर बैठता है। इसी प्रकार हमारे वार्डर एरिया में बीन्डे के पार की एक पी.एच.सी. है, उसमें कोई स्टाफ नहीं है। गडरा रोड में एक मात्र शिशु कल्याण केन्द्र राजेन्द्र राठौड़ ने स्वीकृत किया था, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसमें भी आज तक एक भी कोई इंसान तैनात नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि नौकरी करने वाले आदमी यह जवाब दें कि हम वहां पर जाना ही नहीं चाहते तो वो राज्य का नौकर ही नहीं हुआ। उनको जाने के लिए बाध्य करो। अगर कोई वहां जाना ही नहीं चाहता है तो जैसे आप यहां सड़कों के विकास के नाम से, सुधार के नाम से रोजाना नये-नये कई विधेयक यहां विधान सभा में पास करते हो, इसके लिए भी कोई विधेयक बनाकर लाएं। रेगिस्तान का एक कैडर अलग कायम करें। उस कैडर का डाक्टर अलग हो, उस कैडर की नर्स और कम्पाउण्डर अलग हो। उस कैडर का मास्टर थर्ड ग्रेड हो, चाहे सैकण्ड ग्रेड हो, अलग हो। उस कैडर के माफिक उनको नौकरी दी जाए। ताकि वहीं के आदमी नौकरी करें और वहां के लोगों की सेवा करें। फिलहाल जो मैरिट का आधार बना हुआ है राजस्थान का, इस आधार पर हमने पचास साल भुगत ली। अभी भी हमारा सोच यह है कि जितनी सरकार की इकाइयों की सेवा का एक योगदान है उस लाभ से हम वंचित पूर्व में भी रहे हैं और आगे भी 10-20 साल तक हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम इससे लाभ ले सकेंगे। मंत्री जी, हमारी यह गुजारिश है, आप भी एक गांव के आदमी हैं, एक छोटे परिवार के आदमी हैं, पश्चिमी राजस्थान के हैं, आपको अच्छी तरह से ज्ञान है, आप चाहे विधान सभा का सहयोग लें, चाहे आप अपने मंत्रिमण्डल का सहयोग लें, चाहे आपके कानून-कायदों में तब्दीली करना पड़े तो करें, लेकिन वहां के लोगों को देश की आजादी के 53 साल के बाद में अपन यह कहते रहे कि डाक्टर कोई आता ही नहीं है, नर्स कोई आती नहीं हैं, मास्टर कोई आता नहीं है, अब क्या करें; यह गैर जिम्मेदार अपना जवाब है और इसको लोग अपनी लापरवाही मानते हैं। आइन्दा इसका बंदोबस्त किया जाए, मेरा यह निवेदन है। बात सही अपने घर में भी अपने को दु:खी लगती है, राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने सैकड़ों सब सेन्टर खोले, डिस्पेंसरी भी खोली, अब देश आजाद है चाहे वोट उधर दे सकते हैं यह लोगों का अधिकार है लेकिन एक कहने की जगह तो है। आपने 75 सब सेन्टर खोल दिये पिछले साल और

(श्री अमीन खान)

16-17 डिस्पेंसरी खोल दीं। आज चौथा साल गुजरने जा रहा है, पांचवें साल कल अपने चुनाव होगा और एक भी सब सेन्टर का प्रावधान नहीं, एक भी आयुर्वेद औषधालय का प्रावधान नहीं, एक भी यूनानी औषधालय का प्रावधान नहीं और पुरानी जो हैं वो खाली पड़ी हैं। यह बहुत गलत है। इसके लिए आप यह यूनिवर्सिटी कानून, जोधपुर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में कौन से गरीब आदमियों को लाभ मिलेगा? पैसा नही है, यूनिवर्सिटी के पैसे आयुर्वेद औषधालय और यूनानी हकीमों पर खर्च कर दो ताकि वहां के लोगों को आराम हो जाए, यह हमारी मांग है। बड़ी जगह और बड़ी इकाई का डवलपमेंट आप तब करें जब नीचे के स्थान पर पूरी भरपाई हो गई हो। ऊपर की जरूरत है वह जरूरत बाद में सोची जाए। मेरा यह निवेदन है कि हम लोगों के साथ इस तरह का जो व्यवहार है वह नहीं हो। जहां खाली जगह है वहां कम से कम आप भरिए। आज बाड़मेर जिले में डाक्टरों की जगह खाली, हर डिस्पेंसरी खाली, हर सब-सेंटर खाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाली, यह उचित बात नहीं है। डिस्पेंसरी में सांप के इंजेक्शन गवर्नमेंट के आते हैं, डाक्टर और मेडिकल दुकान वाले आपस में मिल जाते हैं। सरकारी इंजेक्शन मेडिकल की दुकान में रखे जाते हैं और डाक्टर पर्ची लिखकर भेजता है और उसके पैसे लेकर सांप का इलाज होता है, जो सरकारी दवाई है। सांप के एक इंजेक्शन की कीमत 400 रुपये है, रेगिस्तान में इसका ज्यादा प्रचलन है। सांप के काटे हुए एक मरीज को कम से कम 10-15 या 20-20 इंजेक्शन लगाये जाते हैं तब वह बच पाता है। गरीब आदमी को सरकारी इंजेक्शन बेचने की जो सौदेबाजी करते हैं इसकी आपको जांच करनी चाहिये। ऐसे मेडिकल स्टोर वालों का लाइसेंस रद्द करना चाहिये और ऐसे डाक्टरों को रेगिस्तान में है तो बांसवाड़ा लगाओ और बांसवाड़ा वालों को बाड़मेर लगाओ।

श्री जीतमल खांट : इसमें तो कोई सुधार नहीं आता। आपके उधर बांसवाड़ा के आते हैं तो बांसवाड़ा वाले सीधे उधर आ जाते हैं।

श्री अमीन खान : आपके उधर की नर्से हमारे यहां रहती हैं, पता है हमें। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप भी मुख्य मंत्री जी से अर्ज करें कि आप जो क्रमोन्नत कर रहे हो सब-सेंटर को एडपोस्ट में, लोगों को तो छोटी-मोटी इकाई सेवा के लिये चाहिये, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं है। कम से कम 200 सब-सेन्टर का इस साल में प्रावधान कराओ और इस 16 तारीख को वित्त मंत्रीजी से यहां बजट में घोषणा कराओ तो आने वाले साल में अपन कुछ लोगों को लाभ देने की बात कहें।

(श्री अमीन खान)

आयुर्वेद औषधालय पिछली बार खोले गये, उनके आर्डर भी चले गये। आयुर्वेद औषधालय में वहां बताते हैं कि प्रशासनिक स्वीकृति है, वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है। फिर यह प्रशासनिक स्वीकृति देने की क्या जरूरत थी और क्यों ये आर्डर जारी किये? ऐसे आर्डर जारी नहीं करना चाहिये और ये आर्डर गैर जिम्मेदारी के हैं। अगर कर दिये हैं तो कर दिये, आइन्दा मेहरबानी करके ऐसा नहीं करें। इसी बजट में यह प्रावधान करके कम से कम पहले वाले आयुर्वेद औषधालय और यूनानी औषधालयों की वित्तीय स्वीकृति हो।

हमारा यह निवेदन है कि जैसे कई जगह मकानों की शिकायत आती है, भारत सरकार की बी.ए.डी.पी. की स्कीम है। बी.ए.डी.पी. प्रोग्राम बनाने के पीछे भारत सरकार की मंशा यह थी कि बार्डर पर हर तरह के तनाव से लोग घबराते हैं, असुविधाओं से लोग घबराते हैं, वहां अच्छे डाक्टर नहीं जाते, अच्छे मास्टर नहीं जाते, अच्छी नर्सें नहीं जातीं, इसके लिये वहां क्वार्टर अच्छे बने हों, वहां डिस्पेंसरी या सब-सेंटर अच्छा बना हो, सड़क अच्छी बनी हो, बिजली और पानी की सुविधा हो। बाड़मेर, जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों में, मैंने भरतपुर जिला भी घूम कर देखा है, भरतपुर में चाहे सड़क, चाहे डिस्पेंसरी, चाहे सब-सेंटर इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि हमारे रेगिस्तानी सीमावर्ती जिला बाड़मेर में हैं, क्योंकि बी.ए.डी.पी. की जो स्कीम है उसमें करोड़ों रुपये आते हैं। हर गांव में क्वार्टर बने हुए हैं, सब-सेंटर बना हुआ है। औषधालय भी बने हुए हैं, डामर की सड़कें भी बनी हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जो गांव नहीं जुड़ पाये हैं वे बी.ए.डी.पी. की स्कीम से जोड़े गये हैं। बी.ए.डी.पी. की स्कीम से ट्यूबवैल भी लगाये गये हैं। एक पुरानी कहावत सुनी है कि वहां असुविधा है, अब यह असुविधा नहीं है, आज के जमाने में वहां सारी सुविधाओं की उपलब्धता है। डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स की जितनी जगहें खाली हैं, हम इस आशा के साथ आपसे दरखास्त करते हैं कि महीने दो महीने में वे पूरी भर दी जाएं। मैं इतनी ही बात कह कर सभापति महोदय आपको धन्यवाद देता हूं जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद जी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : देर आये दुरुस्त आये। +++ माननीय सभापति महोदय, यह सदन मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा कर रहा है। एक सुख निरोगी काया या यूं कहिए एक तंदुरुस्ती हजार

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नियामत, और दूसरा जो सफाई पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि गुजरात के ईश्वरभाई पटेल ने एक पुस्तक लिखी थी उसमें सफाई की फुल फार्म बताई गयी है, कि ''स'' का मतलब सब चीजों का, ''फ'' का मतलब फायदेशील और ''ई'' का मतलब इलाज, यानि सब चीजों का फायदेशील इलाज ''सफाई''।

(17.26 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मांग पर अपने विचार आपके और इस सदन के सम्मुख रखूं उससे पहले यह कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो बीमार है, वह सरकार को अपना माई–बाप समझता है और उससे यह अपेक्षा रखता है कि इस दुःख की घड़ी में सरकार ही उसके माई–बाप के रूप में उसकी सहायता करेगी। मुझे कहते हुए खुशी है, जैसा अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे सदस्य यहां अपनी बात कह रहे थे, कि राज्य सरकार ने 23 लाख लोग जो बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हैं, उनकी चिकित्सा का जिम्मा खुद ने लिया है। 23 लाख लोग, यानि एक परिवार में अगर हम पांच आदमी भी माने तो यह संख्या एक करोड़ और पांच लाख के करीब हो जाती है। यानि राजस्थान की आबादी का करीब 20 परसेंट, यानि 1/5 वें हिस्से की जिम्मेदारी सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये ली है। इसके लिये मैं सरकार को, मुख्य मंत्री और चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी जीवन रक्षा कोष की सुविधा अभी छोटे पैमाने पर लागू की गई हो, लेकिन यह एक अच्छी योजना है। इससे चाहे हार्ट के वाल्व चेंज कराने का मामला हो, चाहे कैंसर का हो, किडनी का हो, या दूसरी ऐसी बीमारी हो उनके लिए मुख्य मंत्री सहायता कोष से पैसा दिया जा रहा है। खामियां और कमियां हो सकती हैं, हम अपना एक मकान बनाते हैं उसमें भी हम सारे जीवन करते रहते हैं। वह खामी दूर हो सकती है लेकिन यह योजना एक अच्छी योजना है, इस योजना का मैं स्वागत करता हूं।

आपने इस वर्ष के बजट में 200 सब–सेंटर्स को एडपोस्ट डिस्पेंसरी में कनवर्ट करने की बात कही है, यानि सब–सेंटरों पर जहां केवल ए.एन.एम. बैठती थी अब वहां एक मेल नर्स सैकण्ड ग्रेड भी बैठेगा। हालांकि यह स्वागत योग्य है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यह ऊंट के मुंह में जीरा है, बहुत कम है। एक एम.एल.ए. के क्षेत्र में बमुश्किल एक सब–सेंटर को आप एडपोस्ट डिस्पेंसरी में बदलोगे, इससे हम अपने क्षेत्र में लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। आप कल्पना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कीजिए कि पिछले तीन-चार सालों में जब से यह नई सरकार आई है, राज्य की आबादी कितनी बढ़ी है, कितने रोगी बढ़े हैं। उनके अनुपात में हमने चिकित्सा केन्द्रों की कितने प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, यह जरा आप अपनी छाती पर हाथ रख कर देखिए। इतना ही नहीं, फिर इसमें पद रिक्त भी पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, अध्यापक का और चिकित्सा कर्मी का पद, आज मुझे दवा की जरूरत है लेकिन वह पद आज भरा हुआ नहीं है। आप कहो कि 15 दिन बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आना, यह किसी भी तरीके से एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिये शोभा नहीं देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कम से कम जो पद खाली पड़े हैं, चाहे वे चिकित्सकों के हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के हों उन पोस्टों को तुरन्त भरिए। फाइनेंस से इस पर रोक भी लगती है तो यह भी गलत है। यह मानवता के खिलाफ है। आपको इसके लिए अपने पर्सनल एफर्ट्स काम में लेने चाहिए और नियुक्तियों को भरवाना चाहिए।

आज आप दवाई की दुकानों की बात करते हैं कि उन पर सही तरीके से नियंत्रण नहीं हो रहा है या गलत तरीके से दवाइयां बिक रही हैं। औषधि नियंत्रण संगठन, इसी अकेले में आप वेकेंसी देखें। ओ.एस.डी. का पद है, वह वेकेंट। डिप्टी डायरेक्टर की एक पोस्ट है वह वेकेंट, आपके असिस्टेंट ड्रग एनलिसिस्ट की चार पोस्ट है उसमें दो वेकेंट। जूनियर साइंटिफिक आफिसर की दो पोस्ट, दोनों वेकेन्ट। आप अंदाजा लगाए, आखिर किस तरीके से आप इस काम को चलाना चाहते हैं, इतनी बड़ी तादाद के अन्दर जब आपकी पोस्ट वैकेंट होगी। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य यहां बता रहे थे, कोटा मेडिकल कालेज का मैं आपको उदाहरण दूं, देखिए जरा, वहां पर स्थिति क्या है? आपने हमको जो प्रगति रिपोर्ट दी है, जरा इसका पेज नम्बर-35 देखें कि किस कदर वहां पर पोस्ट वेकेंट हैं। महाविद्यालय में स्वीकृत पद 295 और अस्पताल में 28, उसमें रिक्त पद देखिए, महाविद्यालय में 56 और अस्पताल में 9 हैं। इसी तरीके से अराजपत्रित कर्मचारियों के देखिए, महाविद्यालय में 21 पोस्ट और अस्पताल में 68, फिर सभी वर्ग के कर्मचारियों सहित 77 कालेज में और 77 ही अस्पताल में, ये पद रिक्त हैं। मतलब इतनी बड़ी तादाद के अन्दर पद रिक्त हैं, फिर आप राजस्थान के लोगों को किस तरीके से चिकित्सा सेवाएं मुहैय्या करा पाएंगे?

मैंने जयपुर के सी.एम.एण्ड एच.ओ. साहब को भी डायरेक्टर साहब को भी निवेदन किया, सभापति महोदय, छोटी-सी बात है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टी.बी. की बहुलता पाई जाती है। जयपुर में ही तोपखाना हुजूरी जो घाटगेट के आसपास

(मोहम्मद माहिर आजाद)

का इलाका है, करीब 70,000 की आबादी है, वहां टी.बी. के पेशेंटों की तादाद ज्यादा है। वहां से वे एस.एम.एस. या टी.बी. सेनेटोरियम में नहीं आ सकते। हमने कहा कि आप वहां पर एक लैब टैक्नीशियन की पोस्ट कर दें ताकि वह वहां पर टी.बी. की जांच कर लें। गंगापोल में चार दरवाजा एरिया है वहां टी.बी. के पेशेंट्स की तादाद ज्यादा है। हमने कहा कि वहां एक पोस्ट कर दीजिए। इन दो पोस्टों के लिए मैं कई बार लिख चुका, कई बार कह चुका। उसके अलावा क्या हो रहा है कि आपके साम्प्रदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़, रेनवाल में दो लैब टैक्नीशियन की पोस्ट हैं, वहां इतना काम नहीं है। आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी में दो लैब टैक्नीशियन की पोस्ट हैं, वहां पर इतना काम नहीं है। और तो और आपका कुष्ट निवारण केन्द्र आगरा रोड पर है, वहां पर कोई जाता ही नहीं है। कोई काम नहीं है, वहां पर भी आपने दो-दो पोस्ट कर रखी हैं। एक तो सीनियर लैब टैक्नीशियन की कर रखी है। अगर आप नई पोस्ट नहीं दे सकते तो वहां की पोस्ट को यहां ट्रांसफर कर दें ताकि यहां पर उनका काम तो चल जाए।

माननीय सभापति महोदय, आप बीकानेर का देख लें, बीकानेर में भी इसी तरह आपकी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। मतलब कहीं का भी उदाहरण उठाकर देख लें, सारी जगहों की यही स्थिति है। कहीं पोस्ट खाली पड़ी हुईं है, कहीं बजट का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम ये जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, इनको भरवाएं।

कोटा का जो चिकित्सा महाविद्यालय है, पेज 35 पर देखें, आपकी जो पैसे की स्थिति थी और वर्तमान जो काम की स्थिति है, आप इस वर्तमान स्थिति के कालम को देखें। पहला कालम, 1000 बैड का न्यू टीचिंग हास्पिटल, 604.32 करोड़ की लागत थी, सम्भावित व्यय 194.95 लाख होना था। दूसरा आडिटोरियम का है। इसी तरह से नाले के ड्रेनेज कार्य का है, खेल के मैदानों का है। आपके एक से लेकर पन्द्रह आइटम समतलीकरण, पुस्तकालय भवन, पुरुष छात्रावास, महिला छात्रावास, कैंसर वार्ड, चारदीवारी, इन सब में एक ही चीज आपने लिखी है कि कार्य प्रारम्भ होना है, कार्य प्रारम्भ होना है, कार्य प्रारम्भ होना है। 15 के 15 में यह लिख रहे हैं कि कार्य प्रारम्भ होना है। यह कार्य कब प्रारम्भ होगा? आखिर क्या स्थिति है? यह पैसा स्वीकृत हो गया पर इस पैसे का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? इसका काम क्यों नहीं हो रहा है?

मैं आपसे कुलमिलाकर यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज चाहे हम अस्पताल खोल लें, चाहे हम बड़ी-बड़ी बातें कर लें कि हम यह खोल लेंगे,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आज राजस्थान की जो स्थिति है उसमें इन सारी चीजों पर अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

आज राजस्थान की स्थिति देखिए, आज राजस्थान की स्थिति क्या है? विषम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। राज्य के कुल 32 जिलों में से 11 जिले पूर्णतया और 5 जिले आंशिक रूप से मरुस्थलीय हैं। इसकी अगर हम जनसंख्या वृद्धि की दर पिछले दशक की देखें तो केवल 3-4 जिले ऐसे हैं राजसमन्द, झुंझुनूं, चित्तौड़ जिनमें 22 प्रतिशत से कम वृद्धि दर है। उसके बाद 16 जिले-पाली, झालावाड़, सीकर, टोंक, हनुमानगढ़, चूरू, बून्दी, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, जालौर, भरतपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर और गंगानगर हैं, जिनमें 28 प्रतिशत है, इसको हम मध्यम कह सकते हैं। इसके बाद चार जिले कोटा, नागौर, बांसवाड़ा और करौली में 30 प्रतिशत से भी ज्यादा है जिसको हम उच्च कहते हैं। 9 जिले हैं जिसमें बहुत उच्च है सिरोही, अलवर, धौलपुर, दौसा, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर इसके लिए हमने जो टारगेट परिवार कल्याण कार्यक्रम का तैयार किया, सूचक तय किया है कि 2001 में कुल प्रजनन दर 3.74 है इसको हम 2004 में 3.41 लाएंगे, 2007 में 3.09 लाएंगे और 2011 में 2.65 लाएंगे।

इसी तरीके से जन्म दर 29.2 फिर 27.5 और 2007 में 25.6, गर्भ निरोधक प्रचलन दर जो 42.2 अभी है इसको 2004 में 48.2 लाएंगे और 2007 में 52.7 लाएंगे। इसी तरीके से मृत्यु दर और शिशु दर का भी टारगेट इसमें तय है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो हमने नई जनसंख्या नीति बनाई है, मुझे कहते हुए खुशी है कि परिवार कल्याण के विशिष्ट शासन सचिव और चिकित्सा सचिव बने हैं, हालांकि इस क्षेत्र में पिछले दिनों से कुछ प्रयास शुरू हुए हैं और सरकार ने भी राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना की है। उसकी सब कमेटी भी भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री मीठालाल मेहताजी की अध्यक्षता में बनाई है, उसमें माननीय डाक्टर करण सिंह यादव और मुझे भी शामिल रखा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज आपने यह कानून बनाया है कि दो बच्चों से ज्यादा होंगे उनको राज्य सरकार में नौकरी नहीं देंगे। नौकरी में है उसके बाद तीसरा बच्चा हो जाएगा तो उसको पांच साल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। इस चीज को 1990 में इण्डोनेशिया ने अपना लिया था। बांग्लादेश ने इस चीज को अपना लिया था। ईरान-इराक में, मुझे उस वक्त जाने का मौका मिला था, वहां उन्होंने अपना लिया था। हम आज 10-12 साल बाद इस स्थिति पर आ रहे हैं। आज आप यह सोचिए कि हम उनसे कितना पिछड़ रहे हैं। जो टारगेट आन्ध्र प्रदेश 2011 में पूरा करेगा वह हम 2016 में पूरा करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रान्त है। जैसा अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, माननीय सभापति महोदय, निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस जनसंख्या का ताल्लुक किसी जाति, धर्म या महजब से नहीं है, इसका ताल्लुक शिक्षा से है, पढ़े-लिखे लोगों से है। मैंने आपको एनलिसिस करके बताया कि जिन जिलों का साक्षरता प्रतिशत अधिक है वहां की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। जिन जिलों का साक्षरता प्रतिशत कम है वहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। जो शिक्षित जिले हैं वहां कम आएगी, चाहे हम हाउस में उठा कर देख लें। चाहे मैं हूं, चाहे हमारे दूसरे पढ़े-लिखे एम.एल.ए. हैं, उनकी सन्तानों की तादाद कम मिलेगी। इसी तरह से दूसरे समाज के भी हैं। यहां मुझसे पहले अभी जिक्र कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के क्यों 11, नरसिम्हा राव के क्यों 7 हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका ताल्लुक शिक्षा से है। इसलिए हमको भी परिवार कल्याण कार्यक्रम को नियमित रूप से पाठयक्रम के अन्दर... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके कितने हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दो, और 1987 में आपरेशन करवा लिया था। समझ में आयी बात आपको? यह बात इसलिए जोर देकर कह सकता हूं। लेकिन हमारी तो स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, अगर सरपंचों और नगरपालिका के सदस्यों के लिये हम कानून बना सकते हैं कि दो बच्चों से ज्यादा वाला चुनाव नहीं लड़ेगा, क्यों नहीं यह कानून विधान सभा के सदस्यों और लोक सभा के सदस्यों के लिये बनाया जाता है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों के लिये तो हम यह बात कह दें, बड़ी अच्छी लगती है। और खुद पर बात आए तब उसके ऊपर असर नहीं होता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को हमें पाठ्यक्रम के अन्दर लागू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां की तो मुझे जानकारी है कि वहां पर नवीं क्लास से ही वे पाठ्यक्रम के अन्दर बच्चों को इस तरह का पढ़ाते हैं कि एक व्यक्ति राम था उसके सात बच्चे थे। एक हैल्पर बना, एक यह बना, ऐसा रहा। दूसरे व्यक्ति के दो बच्चे थे एक डाक्टर बना, एक इंजीनियर बना। तो बच्चे का माइण्ड शुरू से बनने का काम करता है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दूसरा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको आयु सीमा में नवयुवकों को भी छूट देनी चाहिए। अगर हम ऐसे नवयुवक जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है, उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देंगे, इसका भी फर्क पड़ेगा। दूसरा, जैसे एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिला और विकलांग आदि के लिये हमने कैटेगरी बना रखी है, परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वालों को भी हम हाउसिंग बोर्ड के मकान में, माइनिंग में और दूसरी चीज में अगर प्रायोरिटी देंगे तो इसका असर पड़ेगा। हमको पुरूष नसबंदी का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद आज भी 99 प्रतिशत महिला नसबंदी हुई है, पुरुष नसबंदी का प्रतिशत एक है। क्या केवल महिलाएं नसबंदी के लिये हैं, पुरुष नहीं हैं? इसलिये इसका प्रतिशत भी हमको बढ़ाना चाहिए। इससे भी आपको सुविधा मिलेगी। हमारी जो एक जनमंगल योजना शुरू की थी, उसको बीच में बंद कर दिया गया। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी कुछ कमियां हों तो उसको रिवाइज करके इसको वापस शुरू किया जाना चाहिए और अन्तराल विधियों का भी जो काम है, इसको भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए। हमको एन.जी.ओ. की भागीदारी इसमें लेनी चाहिए। हमको मानिटरिंग को प्रभावी बनाना चाहिए और शारदा एक्ट का पालन भी सख्ती से करना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

कुछ बातें मैं मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि नगर में जो अस्पताल है उस अस्पताल में एम्बुलैंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर तो नदबई में और एम्बुलैंस नगर के अस्पताल में। हमारा वहां आपरेशन थियेटर है। हमारे यहां पर लैब टैक्नीशियन नहीं है, लैब है। लैब टैक्नीशियन की पोस्ट नहीं है और लैब में ताला लगा हुआ है। और स्थिति क्या है, अक्टूबर, 1996 से नगर के सामान्य चिकित्सालय के अन्दर 280 कट्टे बी.एच.सी. के पड़े हुए हैं जो टाइम-वार्ड हो गये, किसी काम के नहीं हैं। 14 हजार किलोग्राम उनका वजन है, दो कमरे रुके पड़े हैं। मैंने सी.एम.एच.ओ. साहब को कह दिया, मैंने कलक्टर साहब को कह दिया। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी कि उनको वहां से हटवा कर डेस्ट्राय करवाओ, ताकि वे 2 कमरे खाली हों और हास्पिटल में मरीजों को जो असुविधा हो रही है, उनको लाभ मिले। आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर मूण्डिया, भोपालगढ़ और सूंदरावली ये तीन ऐसी जगह हैं जहां नये अस्पताल के लाखों रुपये लगाकर भवन बने हुए तैयार हैं, केवल वे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के लोकार्पण का इंतजार

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कर रहे हैं। मैं दो साल से, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, मैं पर्सनली मिलकर भी, इनको चिट्ठी देकर भी निवेदन कर चुका हूं कि आप उनका लोकार्पण करें ताकि अस्पताल शिफ्ट हों और लोगों को उस की सुविधा मिले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप ही कर दो उसका लोकार्पण।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं ही कर दूं? नहीं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी करेंगे। हमारे माननीय कृषि मंत्रीजी जो कामां से यहां आते हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र पहाड़ी जिसमें मेरे क्षेत्र के करीब 50-60 गांव लगते हैं, कुल दो सौ गांवों की करीब 65 हजार की आबादी उससे प्रभावित होती है। वहां के सारे लोग आपसे मांग कर चुके हैं, तब से लेकर आज तक 40 साल से उस अस्पताल की वह की वही स्थिति है। उसको आप रैफरल अस्पताल बना देते हैं तो आसपास के सारे क्षेत्रों का उसको लाभ मिले। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई काम नहीं हुआ, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें।

श्री सभापति : Please complete your speech. You have taken 20 minutes. Please.

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कनक्लूड कर रहा हूं, साहब। मुझे आर.जे.डी. का भी टाइम है और मेरी पार्टी का भी टाइम है। मेरे तो 8 मिनट ही हुए हैं अभी। यहां एक-एक घंटे तक लोग बोले हैं तब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब जाकर 6 बजे तो आप बोलने का टाइम दे रहे हैं और उस पर भी टाइम की सीलिंग लगा रहे हो। माननीय सभापति महोदय, अब तो बहुत...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वक्तओं की संख्या ज्यादा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : वक्ताओं की संख्या ज्यादा है उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री सभापति : टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन तो बराबर ही होगा। Please complete your speech.

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात मैं कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रामसिंहपुर पालकी, खोरी, लाडमका और उड़की दला ये ऐसे गांवों के नाम बता रहा हूं जहां मेल नर्स और ए.एन.एम. के पद स्वीकृत हैं, वहां पर कागजों में किसी को लगा भी रखा है लेकिन दो साल-ढाई साल से इन अस्पतालों में एक भी चिकित्सा कर्मी नहीं आया, यह बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप इसकी जांच करा लें भले ही अगर कोई भी वहां आया हो। आखिर क्या स्थिति है? कहीं पोस्ट खाली पड़ी हैं, आप लगा नहीं रहे हैं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कई जहां लगा रखे हैं वे जा नहीं पाते हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आपको ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सम्बन्ध में कहूंगा, हालांकि वहां सफाई और चिकित्सा क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और उसके डाक्टरों का भोपाल में, बैंगलोर में, नेपाल में, दूसरी जगहों पर भी नाम है, और वहां से भी लोग आते हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आज उसके अन्दर रश इतना है कि वह एस.एम.एस. चिकित्सालय जहां राजस्थान भर से मरीज आते हैं और दूसरी जगह के भी आते हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो जगह मिलनी चाहिए, वे मिल नहीं पाती हैं। इसके दो ही इलाज हैं, कई बार इस सदन में चर्चा हुई कि या तो आप इसका विस्तार करें, जैसा अभी मेरे से पहले सुझाव दिया गया था कि आप डी.जी. और चीफ सैक्रेटरी के बंगलों को इसमें शामिल कर लें। पहले एक बार बात चली थी कि महाराजा कालेज को इसमें करके इसका विस्तार किया जाए। या तो एस.एम.एस. चिकित्सालय का विस्तार हो या जयपुर में एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बने और एस.एम.एस. केवल रैफरल हास्पिटल के रूप में काम आए तो उसका इलाज हो सकता है। यह भी नहीं हो तो तीसरा शार्ट कट तरीका यह है कि जयपुर के अन्दर जो सैटेलाइट आपने बना रखे हैं चाहे सेठी कालोनी में बना रखा है, चाहे कांवटिया है, चाहे जाजू है, चाहे इधर है, इन अस्पतालों को और ज्यादा सुविधाओं से आप सुसज्जित कर दें ताकि वे इस बर्डन को रोकने का काम कर सके।

एक बात मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, उनके लिये भी आपको कोई नियम, कायदे-कानून बनाने चाहिए। एक अस्पताल में ब्लड शुगर की जांच के 50 रुपये ले रहे हैं, दूसरे अस्पताल में सौ रुपये ले रहे हैं, किसी में 120 रुपये ले रहे हैं। कहीं एक्स-रे का पैसा क्या है। उनके लिये भी आपको एक नियमावली, कायदे-कानून बनाने चाहिए ताकि उन पर आपका नियंत्रण रहे और जो लोगों की लूट हो रही है, कम से कम वह इन प्राइवेट हास्पिटल में नहीं हो पाए।

श्री सभापति : अब बिराजिये, माहिर आजादजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक बात नीम-हकीमों के सम्बन्ध में है, नीम-हकीम के सम्बन्ध में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने जो अभियान शुरू किया था वह वाकई में बहुत सही था। लेकिन उस अभियान में यह भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जिसने आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने का तय किया है वह दूसरी पद्धति से करे तो वह नीम-हकीम। जिसने यूनानी पैथी से अपनी चिकित्सा पढ़ाई पूर्ण की हो वह हिकमत से दवाई दे तो ठीक, लेकिन वह एलोपैथी दे तो इल्लीगल। लेकिन साथ में एलोपैथी का डाक्टर जिसने अंग्रेजी मेडिसिन का कोर्स किया है, वह भी सुपराजीन टेबलेट लिख दे, वह भी आयुर्वेद की पचनोल लिख दे और दूसरी दवाइयां लिख दे, खांसी की सुवालीन लिख दे तो वह भी नीम-हकीम में आते हैं, उनको भी आपको इस कैटेगरी में लेना चाहिए और इस अभियान को करना चाहिए। आपके गजट नोटिफिकेशन में जो पहले छूट दे रखी है उसको देखकर रिवाइज करवा कर उस सम्बन्ध में भी आप जो करे, वह करना चाहिए।

एक अन्तिम सुझाव आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वह हमें आ रही है गुटखे से। इन गुटखों में कोई कहता है छिपकली मिला रहे हैं, कोई कह रहा है कौनसी चीज मिला रहे हैं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी आपने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने का अध्यादेश जारी कर दिया। आपने कम उम्र के बच्चे, नाबालिग बच्चे बीड़ी-सिगरेट नहीं पियेंगे, न बेचेंगे इसका कानून बना दिया। केवल कायदे-कानून बना देने से कुछ नहीं होता। एक शायर ने सही कहा था कि-"मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमां की शरारत वालों ने पर मन जो पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सका।"

इसलिये इन कायदे-कानूनों और नियमों का जब तक सख्ताई से, कढ़ाई से आप पालन नहीं करवाएंगे, इन गुटखों पर जो एक जहर है, नौजवानों की जिन्दगी बरबाद कर रहा है, उसका मुंह बंद हो जाता है, कैंसर की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, इस पर भी आपको रोक लगानी चाहिए। यह जो मैंने आपसे कहा, एक निवेदन लास्ट में आयुर्वेद और यूनानी पर...

श्री सभापति : अब आप शेर बोलने के बाद में फिर...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने वह मुद्दा उठाया, एक मिनट में।

श्री सभापति : नहीं, इतना नहीं चलेगा। प्लीज, नहीं, नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आयुर्वेद और यूनानी जो भारत के...

श्री सभापति : यूनानी के बारे में आप ...(व्यवधान) माननीय मोहनलालजी मोदी। Please conclude it.

मोहम्मद माहिर आजाद : एक शेर और सुना दूंगा अगर यही बात करते हैं, आयुर्वेद और यूनानी के सम्बन्ध में। चूंकि मैंने आयुर्वेद मंत्रीजी का सवाल उठाया था। अगर मैं आयुर्वेद और यूनानी पर कुछ नहीं कहूंगा तो बात कम रह जाएगी।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। (व्यवधान) आपको यूनानी से शुरू करना चाहिए था, सबसे पहले, You are master of Unani.

मोहम्मद माहिर आजाद : इतनी देर में तो मेरी बात ही कह देता मैं।

श्री सभापति : एक शेर और सुना दें आप तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, सुना दूंगा।

मैं आयुर्वेद और यूंनानी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आपने आयुर्वेद और यूनानी के उस रोज भी कहा था कि जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको शीघ्र भरा जाएगा। 50 यूनानी चिकित्सालय खोले जाएंगे, 200 आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाएंगे। इनमें जो पोस्टें खाली हैं हकीमों की, वे भरी जाएंगी। इनको आप भरने का काम करें। आयुर्वेद, यूनानी पद्धति जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, 3 यूनानी कालेज राजस्थान में थे, दो जयपुर में थे, राजस्थान तिब्बिया कालेज और राजपूताना तिब्बिया कालेज और एक जोधपुर में था जुबेरिया तिब्बिया कालेज। ये बन्द पड़े हैं, आज इनकी हालत खराब है। अगर आप आयुर्वेद और यूनानी पद्धति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इन कालेजों को भी शुरू करें। इनके चिकित्सकों की जो सेवा शर्तें हैं, चाहे आयु सीमा है या और है, 46 एम.एल.ए. ने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्य मंत्रीजी को, इनकी मिनिमम आफ रिक्रूटमेंट एज एलोपैथी के चिकित्सक की तरह 45 वर्ष कर दी जानी चाहिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहनलाल मोदी। (अनुपस्थित) माननीय श्री रामस्वरूपजी मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मांग संख्या-26 पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामस्वरूपजी इतना पिन ड्राप साइलेंस या तो सदन के नेता बोलते हैं तब ही होता है या प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं या आप बोलते हो तब होता है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने तो व्यवधान डाल दिया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपने तो व्यवधान डाल ही दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आदत से लाचार हैं।

श्री रामस्वरूप : आपने विपक्ष के नेता महोदय के साथ मुझे लगाया इसके लिए धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (महुवा) : विपक्ष के नेता के साथ?

श्री रामस्वरूप : हां, कह रहे हैं कि उनके समय में इतनी शांति रहती, वह शांति रह रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार ने चिकित्सा के बारे में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान की जनता के हृदय सम्राट अशोकजी गहलोत और हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्रीजी ने जो यह जीवन रक्षा कोष चालू किया है, इसके बारे में सारे माननीय सदस्यों ने तारीफ की है। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह तारीफ कोई वैसे ही नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं जब यह अभियान चल रहा था राजस्थान के अन्दर, उस समय गांवों में गया था। उस समय फार्म भरवाने आते थे। तो उस समय एक माता हमारे पास आई थीं जिसका नाम नारायणी था। उसका बेटा हार्ट की तकलीफ से था। वह सारी जगह घूम ली और उसको लाखों रुपये डाक्टरों ने बता दिये कि लाखों रुपये आप खर्च कर सकती हैं तो आपके बेटे की जान बच सकती है। तो उस समय वह अभियान में आई थी। मैंने उस समय उस माता से निवेदन किया कि माता, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक योजना चलाई है, उसके तहत आपके बेटे का इलाज हो सकता है। उसको यह बात बताई, वहां पर सारे चिकित्सा अधिकारी थे, फार्म भरवाया गया। उसको जब यह पता लगा कि जितना भी पैसा खर्च होगा सारा पैसा हमारी सरकार खर्च करेगी, माननीय मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से खर्च होगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी खर्च करेंगे तो उसने इतनी तारीफ की हमारी सरकार की, उसने कहा कि हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री गहलोतजी युग-युग जीओ, हमेशा उन्हीं का राज बना रहे। यह आशीर्वाद दिया उस बुढ़िया ने। तो, माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस जीवन रक्षा कोष की जो सुविधा आपने दी है, उसकी तारीफ करता हूं।

दूसरे नम्बर पर मैं निवेदन करूं कि सारे माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम जो परिवार नियोजन का चलाया है, इसके बारे में चर्चा की है। बात भी बिलकुल सही है। परिवार नियोजन के बारे में अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, माहिर आजादजी ने कहा था कि जहां पर शिक्षा बढ़ी है वहां पर तो परिवार नियोजन ज्यादा हुआ है, जनसंख्या कम हुई है लेकिन जहां पर अशिक्षित लोग हैं वहां पर जनसंख्या बढ़ रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके कितने हैं?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नौ बच्चे हैं, नौ।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनसंख्या कब से बढ़ने लगी है? जब से देश में शिक्षा बढ़ी है। जिस समय देश में शिक्षा नहीं थी, न कोई परिवार नियोजन कार्यक्रम था...(व्यवधान) आपसे निवेदन कर रहा हूं बिलकुल सत्य... (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आप तो अशिक्षित नहीं हो, पढ़े-लिखे हो, आपके कितने बच्चे हैं?

श्री रामस्वरूप : हां, निवेदन कर रहा हूं मैं।

श्री रतनाराम चौधरी : आपके कितने बच्चे हैं? आप तो पढ़े-लिखे हो, एलएल.बी. हो, आपके कितने बच्चे हैं, यह बता दीजिए।

श्री रामस्वरूप : अभी बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : हां, बता दीजिए न।

श्री रामस्वरूप : हां, बता दूंगा।

श्री सभापति : श्री रतनारामजी, बिराजिए। यह कोई विषय नहीं है।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसकी मजाक नहीं बनाएं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, जब इनके बच्चे हुए थे तब यह पढ़े-लिखे नहीं थे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बिराजिए आप। माननीय सभापति महोदय, हमारे बुजुर्ग भी आज बोले हैं, उनके समय की भी आप बात पूछ लीजिए। जिस समय वे जवान थे, जिस समय राम राज था... (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, एक मिनट, टाइम बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मांग पारित होने तक बढ़ाएं।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या एक घंटे में ही मांग पारित हो जाएगी क्या?

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, आज सरकार ने सारा पैसा परिवार नियोजन के ऊपर खर्च कर रखा है। दुनिया भर की व्यवस्थाएं इसके लिए कर रखी हैं। डाक्टरों की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लालच दुनिया भर का दे रखा है। तरह-तरह के कानून आप बना रहे हो इस परिवार नियोजन के लिए, लेकिन यह परिवार नियोजन आज से नहीं है। यही परिवार नियोजन राम राज में भी था, जिस समय भगवान श्रीराम का राज था। ये भगवान के नुमाइन्दे बैठे हैं मेरी दायीं तरफ जो राम राज की बहुत बातें करते हैं, जिस समय राम राज था उस समय भी यह परिवार नियोजन था। उस समय न कोई डिपार्टमेंट था और न कोई बात थी, लोग केवल अपनी आत्मा से शिक्षा लेते थे और एक धर्म मानते थे कि हमको दो ही बच्चे पैदा करने हैं। रामायण के अन्दर साफ आया है कि ''दोई-दोई सुत सब भाइन के रे।'' राम के दो बेटे, लक्ष्मण के दो बेटे, भरत के दो बेटे, शत्रुघ्न के दो बेटे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : दशरथ के चार हो गये थे। दशरथ के चार हुए थे।

श्री रामस्वरूप : मजाक मत बनाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : राम के पिताजी के चार हो गये थे उसका क्या कर रहे हो?

श्री जीतमल खांट : दशरथ के चार हुए थे।

श्री रामस्वरूप : इसीलिए उसको राम राज बोला गया था। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला गया था उनको, उन्होंने मर्यादा रखी थी।

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री रामस्वरूप : इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा था जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया था। उन्होंने सारी दुनिया को यह शिक्षा दी थी कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। यह उस समय की बात है जिस समय पूरे देश में कोई शिक्षा नहीं थी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपने छह क्यों किये?

श्री रामस्वरूप : यह जनसंख्या तब बढ़ने लगी है जब से हमारे देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी है, लोगों में संयम खतम हो गया है। जो बुजुर्ग आज कहते हैं कि...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : संयम तो पीछे बैठे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : संयम तो पीछे बैठे हैं।

श्री सभापति : सुन लीजिए।

श्री रामस्वरूप : आज संयम वास्तव में खतम हुआ है। कैसे हुआ है? हर आदमी इस बात के लिए...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, यह क्या कह रहे हैं, मैं तो मौजूद हूं।

श्री जीतमल खांट : बैठे हुए हैं, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : बैठे हुए हैं।

डा. किरोड़ी लाल : बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, बैठे हुए हैं, उनको सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री सभापति : डाक्टर साहब, इनका स्वयं का अर्थ और होगा, इनको समझाने दो।

श्री रामस्वरूप : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, हर आदमी यह निर्णय ले लें कि मैं दो बच्चे के बाद में कभी भी इस प्रकार का संसर्ग नहीं करूंगा जिससे कोई तीसरा बच्चा पैदा हो, तो क्या जरूरत पड़ी इस कार्यक्रम की, बताओ? क्या जरूरत है? फिर पशु में और आप में क्या फर्क हुआ? जनसंख्या पशु भी बढ़ाता है और जनसंख्या मनुष्य भी बढ़ा रहा है तो फिर तो पशु के समान ही हुआ। अगर आप इंसान बनना चाहते हो तो निर्णय लीजिए, आज इतने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, आप सब लोग श्री राम की तरह निर्णय लो कि हम दो के अलावा तीसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे, लीजिए आज ही निर्णय।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, आप चिकित्सा विभाग को चैलेंज दे रहे हैं क्या? सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं न उन्होंने...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं सुझाव कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने छह पैदा क्यों किये?

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, इन्होंने छह कर दिये होंगे लेकिन यह ''संसर्ग'' असंसदीय शब्द है, सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नहीं, इन्होंने तो कर लिये हैं और दूसरों को नीचा...(व्यवधान) दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे कह सकते हो, छह हैं?

डा. किरोड़ी लाल : यह असंसदीय शब्द है, साहब।

श्री सभापति : नहीं, इसे असंसदीय नहीं कह सकते। प्लीज, डाक्टर साहब, मैं इसे असंसदीय नहीं मानता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : असंसदीय है, सभापति महोदय, जिस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, आप जरा देख लें, यह रिकार्ड पर चला जाएगा, सभापति महोदय।

डा. किरोड़ी लाल : वह जिस परिप्रेक्ष्य में बोला है, यह असंसदीय है, ''संसर्ग''। (व्यवधान) सुमित्राजी परेशान हो रही हैं।

श्री सभापति : इसे असंसदीय तो कैसे कहेंगे आप?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल : यह असंसदीय है पूरी तरह से, ''संसर्ग'' शब्द।

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, शब्दों को बोलते समय थोड़ा कंट्रोल रख कर शब्दों का प्रयोग करिये। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। जनसंख्या की चर्चा चल रही है, माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या की अभी तक जितनी भी चर्चा चली उसके बारे में मेरा निवेदन है, पहली तो यह मान लो कि जितनी भी माता-बोदरी से बच्चा-बच्ची या बोल लें, वह व्यवस्था जो किसी ने कर रखी थी तो इस सरकार ने की। यह मान लीजिए कि एक महीने में एक गांव में सात-सात, बीसियों बच्चे-बच्ची माता बोदरी से मर जाते थे और वह व्यवस्था इस सरकार ने की कि जो माता बोदरी की व्यवस्थाओं को...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री देवीलालजी, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, आप रिकार्ड का मुलाहिजा फरमा लें, रिकार्ड पर ऐसा शब्द नहीं चला जाए।

श्री देवीलाल बैरवा : या जनसंख्या की वृद्धि वहां हुई है जहां शिक्षा है, तो शिक्षा से नहीं हुई है।

श्री सभापति : देवीलालजी, बिराजिए।

श्री देवीलाल बैरवा : यह दवाई की व्यवस्था, माता और बोदरी की व्यवस्था होने से यह बच्चा-बच्ची और जनसंख्या बढ़ी है और कहीं नहीं बढ़ी है।

श्री सभापति : अगर ऐसा असंसदीय शब्द रिकार्ड पर आया है तो इसको देखकर निकाल देंगे।

श्री रामस्वरूप : नहीं आया, साहब यह तो वैसे ही कह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र निवेदन कर रहा था कि परिवार नियोजन का सम्बन्ध मन से भी होता है। हम सब लोग यह जान जाएं कि इससे नुकसान है, जब तक यह ज्ञान सबको नहीं होगा कि जनसंख्या बढ़ने से स्वयं को नुकसान है, देश को नुकसान है, समाज को नुकसान है तब तक इसका नियंत्रण नहीं हो सकता। यह मेरा निवेदन था।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : और आगे बढ़ो।

श्री रामस्वरूप : इसलिए हम सबको यह निर्णय लेना चाहिए, माननीय सदस्यों को भी निर्णय लेना चाहिए। जिस प्रकार से आपने नौकरियों के अन्दर पाबन्दी लगाई है, माननीय मंत्रीजी, बहुत अच्छी बात

(श्री रामस्वरूप)

की है आपने, लेकिन आप इस पाबन्दी को माननीय सदस्यों के ऊपर भी क्यों नहीं लगा देते? आप तय कर दीजिए इस बात को कि हर पार्टी अपना टिकट उसको देगी जो परिवार नियोजन को इसी तारीख से अपनाएगा।

श्री हरिसिंह (महुवा): इसी तारीख से।

श्री रामस्वरूप : जो तारीख आपने निश्चित कर दी उनके कर्मचारी और अधिकारियों के लिए...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो इनका भूतकाल लिये बैठे हो।

श्री जीतमल खांट : आप तो बाउण्डरी से बाहर हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस प्रकार की व्यवस्था आप इसमें क्यों नहीं कर देते हो? इस प्रकार का निर्णय राजनीति में भी लेना चाहिए, हम स्वयं को यह निर्णय हमारे बारे में ले लेना चाहिए, इस प्रकार का एक मेरा सुझाव है आपसे।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां पर पुरुषों की नसबन्दी कम होती है। महिलाओं की नसबन्दी ज्यादा होती है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मजाक वाली बात नहीं है, पुरुषों की नसबंदियां कई बार फेल हो चुकी हैं। यह गांव का निवेदन कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी, गांवों में झगड़े हो रहे हैं इसके ऊपर बड़े भारी। पुरुष ने नसबन्दी करा ली। एक हमारी मां या बहन जो भी हैं, नसबन्दी जब पुरुष ने करा ली, उसके बाद में भी अगर बच्चा उसके रह जाता है उनके आपस में सम्बन्धों में फर्क पड़ गया कई बार।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि आप परिवार नियोजन पर काफी बोल चुके हैं, कृपया आप और आगे बढ़े। (व्यवधान)

(18.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या हो रहा है, सभापति महोदय? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, अगर सत्य को छिपाया जाएगा तो परिवार नियोजन सफल नहीं होगा। मैं सत्य निवेदन कर रहा हूं। प्रैक्टिकल में जो गांवों में देखते हैं, इसलिये महिलाओं की नसबन्दी ज्यादा होने लगी है, पुरुषों की नसबन्दी कम हुई हैं। इससे झगड़े पैदा हुए थे। मैं तो कहता हूं, पुरुषों की भी नसबन्दियां होनी चाहिये; बिलकुल सही है बात। लेकिन इस प्रकार की जो कुछ कमियां रही हैं, माननीय मंत्रीजी, उनको दूर करो आप ताकि पुरुषों की नसबन्दियां फेल नहीं हो, सफल हो और यह मतभेद की जो स्थिति आ जाती है वह पैदा नहीं हो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ऐसा है, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य, आपने बात तो कह दी है पर ऐसे कोई चार-पांच उदाहरण जो नाम से हैं, वह आप बता दें ताकि उसकी जांच करवा लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काहे के उदाहरण हैं इनके पास? ऊट-पटांग बात करनी है, +++

श्री रामस्वरूप : ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को लिखित में दे दूंगा। आपको लिखित में दे दूंगा। ऐसी जहां शिकायतें आयी हैं, हमारे बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, इनको भी पता है ऐसी शिकायतें खूब आयी हैं। यह बात बिलकुल वैसी नहीं है कि मैं बनावटी कह रहा हूं। मेरा तो यह निवेदन है कि हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारा सबका सहयोग होना चाहिये और परिवार नियोजन को स्वैच्छा से सबको अपनाना चाहिये।

तीसरा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर सबसे बड़ी अगर रखी गयी है अब की बार तो वह सब-सेंटरों के बारे में आपने कहा है। लेकिन हमारे यहां जितने भी सेंटर हैं, माननीय मंत्रीजी ने कोई भी घोषणा इस प्रकार की नहीं की। एक के लिये कहा है। मेरा तो विनम्र निवेदन है, हमारे पूर्व माननीय मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, वह इस बात को कह रहे थे कि मैंने तो बहुत ज्यादा सब-सेंटर खोले थे। माननीय पूर्व मंत्रीजी, आपका नाम भी राजेन्द्रजी है और आपका नाम भी राजेन्द्र जी है। आपसे यह भी कम नहीं हमारे मंत्रीजी, यह भी बहुत अच्छे, योग्य मंत्री हैं। यह भी जनहितकारी मंत्री हैं और यह भी आपकी बात को सब समझ रहे हैं। हम वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन करेंगे इस बात के लिये कि माननीय वित्त मंत्रीजी, बजट और बढ़ाएं। प्रत्येक विधायक को कम से कम एक-एक अस्पताल के लिये निश्चित रूप से घोषणा करें। खाली सब-सेंटर के लिये आपने कहा है, एक नर्स बैठेगी या सैकण्ड मेल नर्स उसमें बैठ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? यह कोई अच्छी घोषणा नहीं है। जैसी आपकी शान वैसे आपके काम हैं, उनके अनुसार यह कार्य थोड़ा है। इसलिए मेहरबानी करके हमको अस्पताल दीजिये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दीजिये। दो-दो स्वास्थ्य केन्द्र तो आप कम से कम दो। अगली साल मत देना। इस साल मेहरबानी करके प्रत्येक विधायकों को दो-दो सब-सेंटर देने चाहिये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उसके अन्दर होने चाहिये।

अगला मेरा निवेदन मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में न तो कोई गाड़ी की व्यवस्था है, न

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

एम्बुलैंस है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक-एक नहीं, दो-दो आपने खोल रखे हैं मेरे क्षेत्र के अन्दर, लेकिन कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। न गुढ़ाचन्द्रजी में व्यवस्था है, न हमारे टोडाभीम में एम्बुलैंस की व्यवस्था है। टोडाभीम और नादौती की जनता की हार्दिक इच्छा है। वहां के किसी मरीज को जयपुर रैफर कर दिया जाता है तो वह रास्ते में मर जाता है। किराये की जीप लेकर आते हैं। मेहरबानी करके आज ही आप ड्राइवर सहित एम्बुलैंस की घोषणा करें, ड्राइवर सहित। क्योंकि यहां यह समस्या आयी हुई है कि कई जगह एम्बुलैंस हैं लेकिन ड्राइवर नहीं है वहां पर। (व्यवधान) हां, आपने खोले थे स्वास्थ्य केन्द्र। हां, धन्यवाद है उसके लिये तो। आज ही मंत्रीजी घोषणा करेंगे एम्बुलैंस की, उसके लिये भी धन्यवाद दिया जाएगा इसी सदन में, अभी जवाब देंगे तब।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, हमारे यहां...(व्यवधान) अभी होगा, अभी देखना आप। हमारे मंत्रीजी, ऐसे नहीं है। इनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। झूठे शिलान्यास नहीं करते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है, टोडाभीम के अन्दर एक्स-रे मशीन का अभाव है। एक्स-रे मशीन न होने के कारण करौली जाना पड़ता है। एक्स-रे मशीन न होने के कारण जयपुर आना पड़ता है। एक्स-रे मशीन न होने के कारण दौसा वगैरह जाना पड़ता है। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, आज अभी आप जिस समय मांग पर जवाब दें उस समय टोडाभीम में एक्स-रे मशीन की घोषणा आज ही करें, ताकि इन लोगों को पता लग जाए कि हमारे मंत्रीजी हमारे प्रति कितनी भावना रखते हैं। टोडाभीम, नादौती की जनता के प्रति आपकी कितनी भावना है। आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, कृपया बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : इनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिये।

श्री सभापति : हां, कर दी इन्होंने।

श्री रामस्वरूप : बस पांच मिनट और लूंगा। तीसरा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां 21 जगह भवन नहीं है। 21 जगह ऐसे अस्पताल हैं जहां पर भवन नहीं हैं। उनके लिये मेरा विनम्र निवेदन है कि मेहरबानी करके आप वहां भवन की व्यवस्था कराएं ताकि वहां पर चिकित्सा व्यवस्था हो सके।

(श्री रामस्वरूप)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण मामला जो इस विभाग से सम्बन्धित है, कहना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी से पहले भी निवेदन करना चाहता था। उसके बारे में मेरे तीन क्वेश्चन हैं। अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट बनाने के धंधे के बारे में। माननीय मंत्रीजी, क्या यह सही है कि बिना "डी" फार्मा डिप्लोमा किये ही फार्मासिस्ट बनाने वाले दलाल राज्य में अप्रशिक्षित लोगों को दवाई की दुकान चलाने का लाइसेंस दिला रहे हैं? यदि हां, तो कब से और इनके लाइसेंस किन-किन लोगों ने बनाये हैं? इसके बारे में मेहरबानी करके आप कार्यवाही करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि... (व्यवधान)

श्री सभापति : इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया होगा?

श्री रामस्वरूप : नहीं, साहब। इसका जवाब नहीं आया अभी इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : यह आ जाएगा। स्थगित किया है तो मिल जाएगा न जवाब।

श्री रामस्वरूप : उस दिन आपने ही व्यवस्था दी थी कि मांग के दिन बोल लेना, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। आपने इसमें एक व्यवस्था और दे रखी है। बाहर के जो लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, इसमें लिखा हुआ है-क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में राज्य के लोग जो दलालों के माध्यम से नागालैण्ड जाकर इस प्रकार की ट्रेनिंग करके आते हैं, उनकी आपने व्यवस्था कर रखी है? मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच कराएं, बहुत बड़ा घोटाला है। दो-दो, चार-चार लाख रुपये खर्च करके लोग इस प्रकार से दवाइयों के बेचने के लाइसेंस ले लेते हैं। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रशिक्षित फार्मासिस्ट बनाने का धंधा जोरों से राजस्थान के अन्दर चल रहा है। इसको पूर्व सरकार के सामने भी मैंने निवेदन किया था। पूर्व माननीय मंत्रीजी वहां विराजमान हैं, वे आश्वासन देकर रह गये थे लेकिन उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई थी। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे दलाल जो दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये खाकर इस प्रकार के लाइसेंस दिलाते हैं ऐसी दुकानें खुलवाते हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप निश्चित रूप से उनका पर्दाफाश करोगे और निश्चित रूप से आज इसकी घोषणा करोगे कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डा. किरोड़ी लालजी मीणा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : सभापति महोदय, रामस्वरूपजी का जनसंख्या नियंत्रण पर सारगर्भित भाषण सुना। इससे पहले राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्रीजी जो चूरू से आते हैं, उन्होंने काफी लम्बा प्रकाश डाला। उस समय सदन में यह बात भी उठी कि आयुर्वेद मंत्रीजी यहां पर उपस्थित नहीं है। उनका यहां पर उपस्थित होना इसलिए जरूरी था कि चिकित्सा मंत्रीजी और आयुर्वेद मंत्रीजी में झंझट चल रहा है। आपने अखबार पढ़ा होगा। इसलिए उनका ऐसे मौके पर उपस्थित नहीं होना बड़ी संदेहास्पद बात है। क्यों नहीं आयीं, कहां चली गयी? सभापति महोदय, कुछ ऐसी बात आपके सामने रखना चाहूंगा।

डा. (श्रीमती) कमला (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, कोई संदेहास्पद मामला नहीं है। उनके परिवार में किसी बच्चे को काफी तकलीफ थी, इसलिए दिल्ली उसको दिखाने के लिये उनको जाना पड़ा। इसलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं।

डा. किरोड़ी लाल : कमला जी आ गयीं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : पुराना च्यवनप्राश माननीय सदस्य को खिला दिया उसकी वजह से दौरे में हैं और कोई कारण नहीं है।

श्री सभापति : बिराजिये, पारीक साहब, बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, हमने यह बजट देखा। जो घोषणाएं सरकार ने की हैं, हमारे यहां महुवा और कोटपूतली में गत बार बजट में घोषणा की थी ब्लड बैंक की। मुख्य सचेतक जी यहां पर बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा कि ब्लड बैंक... (व्यवधान) मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मुख्य हैं, आपको सचेत रखते हैं तो इन्होंने सरकार को सचेत क्यों नहीं किया कि ब्लड बैंक जिसकी लास्ट ईयर बजट में घोषणा की, वह आज तक नहीं खुला। इसी प्रकार से कोटपूतली में नहीं खुला। सभापति महोदय, जो एम्बुलैंस की घोषणा की, अभी की है...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य; ब्लड बैंक नहीं खुला, महुवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बिल्डिंग का अभाव है। यह स्वयं आपकी जानकारी में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा क्यों की?

श्री हरिसिंह (महुवा) : बिल्डिंग की बात है। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि 10 लाख रुपये विधायक विकास कोष से मैं दे रहा हूं, आपकी पार्टी का एम.पी. है, आप सांसद कोष से भी 10 लाख रुपये दिलाएं। मैं दस में से सात लाख दे चुका हूं, जो आपसे वायदा किया था। आप सांसद कोटे से दिलाएं तो ब्लड बैंक की तुरन्त व्यवस्था करवाने के लिये मैं अनुरोध करूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : तो बजट में यह भी होगा कि आप बजट में घोषणा कर देते होंगे और उसको एम.एल.ए. से दिलवाओ, एम.पी. से दिलवाओ बजट यह है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह तो पब्लिकली बात हुई थी, मीणा साहब। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, यह कौनसी अवधारणा बजट की है कि बजट में घोषणा कर दें, बजट में पैसे का प्रावधान नहीं रखें और एम.एल.ए. पैसा दे या एम.पी. पैसा दे जब ही ब्लड बैंक चालू होगा। यह बड़ी शर्मनाक घटना है, मुख्य सचेतकजी।

स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन्होंने शायद आपको ध्यान नहीं दिलाया होगा। इनको ज्यादा क्षेत्र की चिंता नहीं है। नहीं, इनको कोई पता नहीं है। उनको ज्यादा क्षेत्र की चिंता नहीं है। मैं भी वहां से एम.एल.ए. रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यह जो ब्लड बैंक की बजट में घोषणा कर दी वह अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ, इसके बारे में आप प्रकाश डालें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक्सीडेंट इमरजेंसी के लिए महुवा में इन्होंने अभी एम्बुलेंस की घोषणा की है। लास्ट ईयर भी की थी। स्वास्थ्य मंत्रीजी, हमारे वहां इमरजेंसी की एम्बुलेंस की आपको पता है लास्ट ईयर भी घोषणा हुई थी?

श्री हरिसिंह (महुवा) : एम्बुलेंस थी।

श्री सभापति : डाक्टर साहब, सारी बातें इन्हीं से पूछोगे क्या?

डा. किरोड़ी लाल : हां। सभापति महोदय, वह एम्बुलेंस चल रही है, उस एम्बुलेंस में एक ड्राइवर, एम्बुलेंस में जो किट होनी चाहिए, मेडिकल का एक्सपर्ट स्टाफ होना चाहिए, टैक्नीशियन होने चाहिए, कोई एक्सीडेंट इमरजेंसी कहीं हो गयी, वहां से पेशेंट को उठाना है, कैजुअल्टी को लाना है, उस प्रकार की वहां कोई किसी प्रकार की स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। आपकी बजट घोषणा का क्या हश्र हुआ है, सभापति महोदय, वह मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधान) खाली खड़ी है, उसमें इलाज आप करोगे?

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो एम्बुलेंस हैं, एक थाने पर, एक हास्पिटल में। महुवा में दो एम्बुलेंस हैं।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं उसमें कोई डाक्टर है। उसमें कोई कम्पाउण्डर है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसमें?

डा. किरोड़ी लाल : उसमें?

श्री हरिसिंह (महुवा) : स्टाफ लगा हुआ है न। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्टाफ है, साथ में चलता है।

डा. किरोड़ी लाल : कोई स्टाफ नहीं है, केवल एम्बुलेंस है। खाली की खाली चल रही है। सभापति महोदय, इन्होंने

(डा. किरोड़ी लाल)

1999-2000 के बजट में 17 पी. एच. सी. की घोषणा की और 75 सब सेंटर्स की घोषणा की। वे खुले कब? वे खुले हैं 2001-2002 में। यह इनके बजट की घोषणाओं का परिणाम है कि कितने साल बाद जाकर, एक बजट और निकल गया तब जाकर अपने सब सेंटर्स खोल रहे हैं। सभापति महोदय, अभी इन्होंने घोषणा की है कि 200 सब सेंटर्स को एडपोस्ट में कंवर्ट करेंगे, उनको अपग्रेड करेंगे। हमने हमारे राज में, वैसे तो यह राजेन्द्रजी बोल गये होंगे, हमने हमारे राज में 289 पी.एच.सी. खोली थीं, सभापति महोदय, कीर्तिमान स्थापित किया था। 1851 सब सेंटर्स खोले और 24 रैफरल हास्पिटल खोले। हरिसिंहजी बारबार खड़े हो रहे हैं और उधर से रामस्वरूपजी भी बोल रहे थे, 50 साल का राज निकल गया, हरिसिंहजी के इलाके में भी हमारे राज में खुला और रामस्वरूपजी के इलाके में भी हमारे टाइम में सी.एच.सी. खुली थीं। यह ऐसी बड़ाई कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : खोले तो आपने, जीते यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह दुर्भाग्य है।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, अभी इन्होंने मेडिकल कालेजेज निजी क्षेत्र में दिये हैं उसमें एम. सी. आई. की गाइड लाइंस का उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन क्या हो रहा है? सभापति महोदय, जो मेडिकल कालेज इन्होंने दिया उसमें 500 बैडेड हास्पिटल होना चाहिए और जो नर्सिंग कालेज दिया उसमें 200 बैड की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी अस्पताल में न 500 बैड की व्यवस्था है और न 200 बैड की व्यवस्था है और उनको सरकारी अस्पतालों से अटैच कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसको आपने मेडिकल कालेज का रूप दिया है वहां तो डाक्टर पढ़ेगा, डाक्टर ट्रेनिंग लेगा और ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मरीज-मरीज को जाकर देखना, मरीज से जाकर सीखना। इस प्रकार आप किस तरह के डाक्टर यहां पर पैदा करने जा रहे हैं? राजस्थान में किस तरह के क्वेक्स को आप जन्म दे रहे हैं? यह सरकार ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि यह क्वेक्स पैदा कर रहे हैं, डाक्टर पैदा नहीं कर रहे हैं। एम.सी.आई. का इन्होंने खुल्लमखुल्ला उल्लघंन किया है।

सभापति महोदय, ऐसे ही पैरामेडिकल स्टाफ को कम से कम 600 की तादाद में कांट्रैक्ट पर लगाया था और इस शर्त के साथ लगाया था कि 6 महीने में हम आपको रैगुलर कर देंगे। 6 महीने में, सभापति महोदय, उनको रैगुलर नहीं किया। डेढ़ साल तक वे इनके चक्कर लगाते रहे, कहते रहे। आपको पता है, सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले यहां विधान सभा पर अपनी मांग लेकर

(डा. किरोड़ी लाल)

आये थे कि हम को रैगुलर करो। रैगुलर करने के बजाय उन पर लाठियां भांजीं और लाठियां मार-मार कर उनको भगा दिया। ऐसे उनको इन्होंने रैगुलर किया है। ऐसा यह राज चल रहा है।

सभापति महोदय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंस गया। भ्रष्टाचार के शिकंजे में कैसे फंसा? पल्स पोलियो में 40 लाख का घोटाला हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रीजी को पता है। घोटाले की एफ.आई.आर. हुई सी.बी.आई. में जांच हुई और भ्रष्टाचारी कोर्ट में चले गये कि यह सी.बी.आई. का दायरा ही नहीं था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सी.बी.आई. का तो दायरा ही नहीं था, आपका तो दायरा था? आपने उस भ्रष्टाचार का ध्यान नहीं रखा और 40 लाख का पल्स पोलियो में घोटाला कर डाला, आपकी नाक के नीचे कर डाला। इससे ज्यादा, सभापति महोदय, कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। दूसरा, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जो नो प्राफिट-नो लास में चलती है, उसमें 5 करोड़ सालाना की आय है, 25 लाख का घोटाला उजागर हुआ है। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इन घोटालों को रोको, ये घोटाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं।

सभापति महोदय, परिवार कल्याण के लिए भारत सरकार ने ढाई करोड़ रुपया, यह पैसा मोपेड खरीदने के लिए दिया सब सेंटर के लिए दिया। उस मोपेड खरीदने में भी घोटाला हो गया। 25 वाहन डीलरों को 1.32 करोड़ रुपये दे डाले और कार्यवाही क्या की है? अयामत में खमानत का क्यों मुकदमा दर्ज होता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अमानत में खयानत।

डा. किरोड़ी लाल : अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया है, बेलेबल आफेंस। क्या इनका पैसा रिकवर हो जाएगा? मैं इस स्वास्थ्य विभाग में मोपेड में घोटाला, दवा में घोटाला, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी में घोटाला और पल्स पोलियो में घोटाला, सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस ढंग के घोटालों का यह अम्बार लगा रखा है, स्वास्थ्य मंत्रीजी, इसे आपको चैक करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, जो ठगी इस विभाग में चल रही है वह तो चरम पर है और किस ढंग से चल रही है? वैसे तो बहुत-से मामले सामने आये, लेकिन एक विद्यावती नाम की महिला और एक शक्ति सिंह नाम का व्यक्ति जो भीलवाड़ा का है, वे यहां पर आये और अस्पताल में उनकी एंजियोग्राफी कर दी गयी। सभापति महोदय, एंजियोग्राफी कर दी और उसको यह बता दिया कि तुम्हारे एंजियोप्लास्टी होगी। एंजियोप्लास्टी भी कर डाली और एंजियोप्लास्टी के नाम पर उनसे पैसे ले लिये। एक से 80 हजार रुपये ले लिये और एक से 1 लाख 10 हजार रुपये ले लिये। उसमें जब शिकायत हुई, सभापति

(डा. किरोड़ी लाल)

महोदय, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट से टीम आयी। उनको जब वहां पर दिखाया तो आपको अफसोस होगा, एंजियोग्राफी में कहीं किसी प्रकार का ब्लाकेड नहीं था, न किसी प्रकार की एंजियोप्लास्टी की थी। इस ढंग की ठगी इलाके के मरीजों के साथ हो रही है। इलाके का मरीज यहां पर आये, उसकी एंजियोग्राफी में किसी प्रकार का ब्लाकेड नहीं मिले, डाक्टर ब्लाकेड बता कर उसको एंजियोप्लास्टी के लिए सजैस्ट कर दे, एंजियोप्लास्टी के नाम पर ठगी वह डाक्टर भी करे और वे कम्पनियां भी करें और कम्पनियों से बिल लेकर वही डाक्टर उसको वैरिफाई करे तो मैं, स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको कहना चाहूंगा कि ऐसी ठगी करने वाली कम्पनियां चाहे कोई भी हों, चाहे डाक्टर कोई भी हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, एक एक्ट बना हुआ है प्री-मैटरनल डाइग्नोसिस रैगुलेशन एण्ड प्रीवेंशन एक्ट, इसका दुरुपयोग हो रहा है। कन्या भ्रूण परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया है। सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी को पता होगा कि बड़ी तादाद में अल्ट्रा साउण्ड क्लीनिक्स हैं। स्वास्थ्य मंत्री को यह भी पता होगा कि कोई 6 बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं जो इन अल्ट्रा साउण्ड को सप्लाई करती हैं। इनमें तोशिबा, लार्सन एण्ड टूब्रो, विप्रो, फिलिप्स, ऐसी कुछ कम्पनियां हैं। सभापति महोदय, सरकार नाकामयाब रही है इनको कंट्रोल करने में और इसका परिणाम यह है कि 2001 की जो जनगणना हुई है उसमें पुरुष और महिला के रेशो में भारी असमानता हुई है। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह जो भ्रूण परीक्षण हो रहा है इसको आप सख्ती से कंट्रोल करें।

सभापति महोदय, दवाओं के मूल्य निर्धारण में सरकार बेअसर रही है। राष्ट्रपति औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा हजारों दवाओं का बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है। सब कुछ करने के बाद भी बहुत तेजी से यह गोरखधंधा चल रहा है और मजबूरी में मरीज महंगी दवाएं खरीद रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपको दो, चार, पांच उदाहरण देना चाहूंगा। स्प्रोफिलोक्सिन 500 एम.एल. दस टेबलेट्स उनका निर्धारित मूल्य है चौंतीस रुपये पांच पैसे जबकि विभिन्न कम्पनियों द्वारा इनको बेचा जा रहा है पैंसठ रुपये से पिच्यासी रुपये तक। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, मेरे इलाके में बिक रही हैं। आई.बी. इन्जेक्शन जो सौ एम.एल. का है, जो 17.51 रुपये का है उसकी कीमत वसूल की जा रही है 45 रुपये। डाक्सीसाइक्लीन के दो कैप्सूल जो तीन रुपये में मिलते हैं उनको छह से आठ रुपये में बेचा जा रहा है। दमे की जो जीवन रक्षक दवा है साल्वीटामोल, दो एम.एल. की जो दस गोलियां हैं वे 1.15 रुपये में मिलती है, उसको 4.45 रुपये में बेचा जा रहा है। सभापति महोदय, जिन दवाओं का

(डा. किरोड़ी लाल)

मूल्य निर्धारित कर रखा है, ऐसी हजारों दवाएं कम्पनियां बेशुमार कीमत बढ़ाकर बेच रही हैं। मूल्य निर्धारित होने के बाद भी यह जो ठगी मरीजों के साथ हो रही है, मरीज मजबूरी में इन दवाओं को खरीद रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें कि इन दवाओं का मूल्य निर्धारण किया हुआ है, उनको उतना ही मूल्य देना पड़े, उनकी फालतू जेबकतरी किसी प्रकार की नहीं हो।

सभापति महोदय, अभी विधान सभा में एक मामला उठा था नीम हकीमों के खिलाफ कार्यवाही का पूरा सदन आक्रोशित था, पूरे सदन ने माननीय मंत्रीजी से मांग की थी कि आप इन नीम-हकीम और फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करो। प्रभावी कार्यवाही करने की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी किया। यह है 96/30.3.2002 और इसमें लिखा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 420 षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी करना और भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 15 (2) बिना पंजीकरण आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा अभ्यास करना, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 सी-बिना लाइसेंस औषधि का विक्रय करना, संग्रहण आदि जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इन्होंने कार्यवाही तो शुरू की। अब मैं इस समय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा, मंत्रीजी, आपको यह डिफाइन करना पड़ेगा कि ये नीम कौन हैं, हकीम कौन हैं, क्वेक कौन हैं, आयुर्वेदाचार्य कौन हैं, होमियोपैथिशियन कौन हैं और एलोपैथिशियन कौन हैं। जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करोगे, झगड़े बढ़ेंगे। अभी तो ये आपस में लड़ रहे हैं, बाद में आयुर्वेद मंत्री और राज्य मंत्री सड़क पर आएंगे और इनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि कंजूमर प्रोटेक्शन का यह जजमेंट हुआ है 1996 में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सभापति महोदय। यह है पूनम वर्मा बनाम यास्मीन पटेल एण्ड अदर्स 10.5.1996 का फैसला है। क्वेक के बारे में इसमें लिखा है कि-"A person who does not have knowledge of a particular system of medicine but practises in that system is a Quack and a more pretender to medical knowledge or skill or to put it different, he is a Quack."

"The impact of the above provisions is that no person can practice medicine in any State unless he possesses the requisite qualification and is enrolled as a Medical Practioner on State Medical Register." जिनका मेडिकल एक्सपीरियेंस नहीं है, ऐसे क्वेक्स बड़ी तादाद में हैं। राजस्थान में प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उद्धृत करना

(डा. किरोड़ी लाल)

चाहूंगा। सभापति महोदय, यह 1998 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मुख्तियार चन्द एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ पंजाब एण्ड अदर्स। इसमें लिखा है कि- "All that the definition of Indian Medicine and the clarifications issued by the Central Council enable such practitioners of Indian medicine is to make use of the modern advances in various sciences such as radiology report, X-ray, complete blood picture report, lipids report, ECG etc. for purposes of practising in their own system. However, if any State Act recognizes the qualification of integrated course as sufficient qualification for registration in the State Medical Register of that State, the prohibition of Section 15 (2) (b) of the Medical Council Act, 1956 will not be attracted." यह भी बता दिया है तो भी ऐसे क्वेक्स और नीम-हकीम हैं जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, दवाएं अपने पास रख रखी हैं। जिनको मेडिकल नालेज नहीं है वे राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन, स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको एक बात का भेद इसमें जरूर करना पड़ेगा, जैसे मेडिकल कालेज में साढ़े चार साल या पांच साल का कोर्स है उसी लाइन पर बी.एम.एस. का कोर्स भी साढ़े चार या पांच साल का होता है। बी.एम.एस. का व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है उसके खिलाफ कार्यवाही करना, मैं उसको माकूल इसलिए नहीं समझता कि he is trained in the Ayurved and he should practise in the Ayurved. ऐसे कुछ केसेज अभी हाल फिलहाल में बना डाले हैं जिसमें उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुछ आयुर्वेदाचार्य जो "ए" श्रेणी के लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हो गये, सभापति महोदय, उनको तो आप देखें। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात क्लीयर करना चाहता हूं, आपने घंटी बजा डाली। घंटी से गड़बड़ हो गया।

श्री सभापति : घंटी से कोई कागज इधर-उधर थोड़े ही हुए हैं, तो वहीं मिसप्लेस हुए हैं।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि डाक्टर शिवकुमार शर्मा, श्यामगंगा हास्पिटल, बिलण्डी, अलवर, एफ.आई.आर. नम्बर 17/2000 दिनांक 4.4.2002 को 411, 420 में दर्ज हुआ। आप देखिए, कहीं कोई रंजिश से तो किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का क्लीयर कट डायरेक्शन है कि वह एक्स-रे करवा सकता है, ब्लड के रुटीन के इंवेस्टीगेशन करवा सकता है, और जांच करवा सकता है, ब्लड के रुटीन के इंवेस्टीगेशन करवा सकता है, और जांच करवा सकता है लेकिन इलाज अपनी पद्धति

(डा. किरोड़ी लाल)

से करेगा। क्वेक्स की डेफीनिशन दे रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह सर्कूलर निकाला और इसके तहत राजस्थान भर में जो कार्यवाही हुई, इस कार्यवाही को किस कारण से आपने विथड्रा किया। आपने क्वेक्स को गिरफ्तार किया, क्वेक्स को उठा लाये। सभापति महोदय, कलक्टर, का एक बयान है, जयपुर जिले के मुहाना गांव में कलक्टर बी. एन. शर्मा ने बताया कि मुहाना गांव में गिरफ्तार किया गया बंगाली चिकित्सक निरीक्षण के दौरान दवाइयों के नाम भी नहीं पढ़ सका। उसके पास न तो किसी प्रकार की कोई डिग्री थी और न ही वह अंग्रेजी पढ़ा लिखा था। नेहटा गांव में एक गिर्राज को भी बिना किसी डिग्री के इलाज करने और अवधि पार की अंग्रेजी दवाइयां रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जो मेडिसिन अवधि पार हो गयी हैं उन मेडिसिन को मरीजों को दे रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्रीजी, कि आपने बहुत अच्छा, अनोखा अभियान चलाया, लेकिन आप इसका जवाब दें कि आपने वापस किस कारण से लिया, किसके दबाव में लिया? क्या आयुर्वेद मंत्री के दबाव में लिया या मुख्य मंत्रीजी के डर के मारे लिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दस जनपथ के डर से।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, यहां तो दस जनपथ नहीं है। यहां तो आठ, सिविल लाइन है। सिविल लाइन, आठ का डायरेक्शन आपको मिला और उसका परिणाम यह है कि क्वेक्स जरिए आप सारी जनता को मरवाना चाहते हैं। राजस्थान के ऐसे लोगों को पकड़ा है जो अवधि पार मेडिसिन दे रहे हैं। जो अंग्रेजी दवाई जानते नहीं, जो पढ़े-लिखे नहीं, उन क्वेक्स को आपने छुट्टी दे दी है। आपने यह अभियान वापस लिया, यह अभियान वापस लेना ठीक नहीं है। किस कारण से लिया, यह आप सदन को बताएं। इस अभियान को दुबारा चलाएं और जनता की जान को बचाएं, इतना ही मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनारामजी चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) **:** सभापति महोदय, आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है उसमें मैं भी मेरी ओर से राय व्यक्त कर रहा हूं। उसमें सर्वप्रथम तो मैं हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि राजस्थान में पहली बार मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष बनाकर गरीबों के लिए जीवनदान दिया है। जो गरीब आदमी कैंसर, गुर्दा, किडनी, वाल्व

(श्री रतनाराम चौधरी)

वगैरह का इलाज करवा नहीं सकता था ऐसे व्यक्ति के लिए मुख्य मंत्रीजी ने अपना कोष कायम करके हजारों की संख्या में गरीबों को जीवनदान दिया है, इसलिए मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सरकार आने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक ड़िस्पेंसरी खोली गयी थी, डिस्पेंसरी खोलने के बाद डाक्टर तो लग गया परन्तु डिस्पेंसरी के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय के लिए भवन का बजट नहीं दिया।

(18.31 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह डिस्पेंसरी एक शहीद महापुरुष के नाम से लोगों की मांग के अनुसार खोली गयी थी। शहीद हेमारामजी के नाम से डिस्पेंसरी तो खोली, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं परन्तु उसमें भवन का अभाव होने के कारण मरीजों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए कृपया मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आप इस बजट में उस भवन के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान करें।

पूर्व वक्ताओं ने सभी ने मांग रखी है नीम-हकीमों के बारे में। वास्तव में हर जिले में हर जगह ये नीम-हकीम लोग आम पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर अविलम्ब कार्यवाही करके उनके कार्यालय को सीज किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे चलाये जाएं।

परिवार नियोजन के बारे में यहां जो चर्चा हो रही है, मेरा ऐसा मानना है कि पढ़े-लिखे लोग, समझदार लोग परिवार नियोजन को अपना रहे हैं और अपने परिवार को सीमित रखते हुए उस काम को अंजाम दे रहे हैं। किसी को आब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। सभी जाति धर्म को यह परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, चाहे मामडन भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, और भी कोई भाई हो। सबसे ज़्यादा जो परिवार नियोजन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं वे गरीब लोग हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं और उनका धंधा मजदूरी पर निर्भर है। मजदूरी करने वाले लोगों के घर में जाकर देखो, छह-छह, सात-सात टिंगर मिल जाएंगे और पढ़े-लिखे के घर में दो से ज्यादा बच्चे शायद ही मिलेंगे। इसको आप सख्ती से लागू करें और सख्ती से सभी जाति धर्म पर यह परिवार नियोजन अपनाने का काम लागू करें। नौकरी देते वक्त जो नौकरी पाने वाले हैं, एक बाण्ड भरवा लीजिए, एक ऐसा लिखित में हलफनामा ले लीजिए कि मेरे नौकरी करते हुए, मेरे परिवार में दो से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। दो से ज्यादा होने पर उसको स्वतः नौकरी से निकालने का प्रावधान होना चाहिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपके कितने हैं?

श्री रतनाराम चौधरी : मेरे? मैं तो 76 साल का हूं। मेरे क्या बच्चों को पूछते हो? (व्यवधान) मैं 76 साल का हूं। मेरे जो बच्चे हैं वह सबसे लास्ट वाला बच्चा आज पच्चीस साल का है। (व्यवधान) बुजुर्ग आदमी पहले से इस काम को समझते हैं। और पहले के बुजुर्ग लोग क्या करते थे, बिना परिवार नियोजन अपनाए ब्रह्मचर्य पालन करते थे। हम उन व्यक्तियों में है, ब्रह्मचारी धर्म का पालन करते हैं। जो वान आश्रम कहते हैं उसमें हम शामिल हैं। (व्यवधान)

देश का विकास करना है, खुद का विकास करना है, प्रदेश का भला करना है तो जनसंख्या पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है।

आज आयुर्वेद मंत्री नहीं हैं, वह आपके जिम्मे सब काम छोड़कर गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आयुर्वेद औषधालय खुला था, आज तीन साल हुए परन्तु अभी तक न तो कोई वैद्य है न कम्पाउण्डर है। कागजों के अन्दर तो खुल गया परन्तु वैद्य, कोई उप वैद्य या कोई कम्पाउण्डर वहां अभी तक नहीं पहुंचा है। वह गांव है बल्लू की ढाणी पंचायत समिति, भीनमाल। मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है। मेहरवानी करके, मंत्री जी, आप थोड़ा नोट तो करें, वहां लोगों की मांग है। हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने औषधालय तो खुलवा दिया परन्तु वैद्य तो पहुंचा ही नहीं है। मुझे जवाब देने में बहुत संकोच होता है। मैं कहता हूं अबकी बार मैं जाउंगा जब वैद्य लगवा दूंगा। यह कहते कहते, दो-तीन बार आश्वासन देते देते थक गये हैं, इसलिए मेहरवानी करके वहां वैद्य की पोस्टिंग दीजिए।

जैसा पूर्व वक्तओं ने भी कहा है, वास्तव में हर गली में, हर दुकान पर बड़ी-बड़ी गुटखों की प्रदर्शनी लगी हुई है। गुटखे का बहुत लम्बा-लम्बा सीसा लगा हुआ है। आज कल तो लड़के खाने लग गये, औरतें खाने लग गयीं, पहले तो पुरुष ही खाते थे। कृपा करके इस पर आप कानून बनाएं, सख्त कानून बनाएं। गुटखा खाते हैं, खाने के बाद गुटखे का जो कागज होता है वह प्लास्टिक का होता है, वह जहां खेत में पड़ जाता है वहां धान भी नहीं होता है, वहां घास भी नहीं उगता है। गुटखे का पीक थूकते हैं वहां गाय खाती है, पशु खाते हैं वह पशु भी बीमार होता है। इसलिए कृपया गुटखों पर आप सख्त कानून बनाकर उस पर पाबन्दी लगाइये।

पहले आपने सार्वजनिक स्थानों पर, बसों में धूम्रपान बन्द करने का एक कानून बनाया, परन्तु उसका अभी तक पालन नहीं हो रहा है, कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। इसलिए उस पर भी कड़ाई से आप अंकुश लगाइये। पहले कांग्रेस के राज में जो बाहरवीं कक्षा पास किया हुआ बच्चा, साइन्स का बच्चा होता था, उसकी सीधी कम्पाउण्डर की भर्ती जिला हैडक्वार्टर पर होती थी, डिप्टी डायरेक्टर उसका चेयरमैन होता था। आजकल एक कम्पाउण्डर की नौकरी करने के लिए प्राइवेट केन्द्र खुले हुए हैं, वहां पचास-पचास हजार रुपया, लाख लाख रुपया गरीबों से लिया

(श्री रतनाराम चौधरी)

जाता है। गरीब का बच्चा कहां से वह ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेगा? गरीब का बच्चा कहीं नौकरी कर सकता है क्या? गरीब का बच्चा नौकरी नहीं कर सकता, अमीर के बच्चे कम्पाउण्डर भी बनेंगे, डाक्टर भी बनेंगे परन्तु गरीब का बच्चा कोई कम्पाउण्डर नहीं बन सकता, न डाक्टर बन सकता है। आप वापस कांग्रेस के राज की परम्परा को कायम कीजिये और एडिशनल डायरेक्टर और मुख्य चिकित्साधिकारी हैडक्वार्टर पर कम्पाउण्डरों का आप चयन करवाइये और चयन के बाद उनको ट्रेनिंग में आप भेजिये। नहीं तो गरीब पढ़ा-लिखा आदमी गरीब का गरीब ही रहेगा। लोग उलाहना देते हैं कि आपका बच्चा पढ़ा-लिखा, किस काम का? अपन सबको साक्षर करना चाहते हैं परन्तु जो पढ़े-लिखे लोग हैं, छोटी-छोटी नौकरी, चपरासी और कम्पाउण्डर जैसी नौकरी, किसान का, गरीब का बेटा प्राप्त नहीं कर सकता। वह डाक्टर बनने से तो रहा, इंजीनियर बनने से तो रहा। इसलिये कृपा कर पुरानी व्यवस्था को कायम कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों में प्रशासन गांवों के संग अभियान में शानदार ऐतिहासिक काम किये। लोगों को कइयों को तो मालूम ही नहीं था कि कोई मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष खुला है। उसमें प्रचार हुआ, सब लोगों को जानकारी मिली इसलिये कई लोग इसमें आगे आये। बीमार लोग आगे आये और उनके फार्म मौके पर भरे गये। मौके पर डाक्टर्स ने उनकी जांच की और वे अपना फार्म भरकर जयपुर तक आये। उसमें हजारों लोगों को फायदा हुआ।

वृद्धावस्था पेंशन एक नहीं लाखों के रूप में गरीबों को मिली। करीब 16-17 विभाग उस शिविर में 8 बजे से लेकर रात को 10.00 बजे तक बैठते थे। पानी, बिजली, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और शिक्षा, सारे विभाग के अधिकारी। जो तार ढीले हो गये थे, ट्रांसफार्मर जो जला हुआ था, वे सारे के सारे काम मौके पर हुए। राजस्थान में कांग्रेस का परसेंटेज बहुत बढ़ा है, वोटों का परसेंटेज बढ़ा और लोगों में वातावरण बना है कि अब की बार वापस यह सरकार, इसी तरह से पौने दो साल में ठीक तरह से काम करती रही, तो सत्ता में आएगी। हमारे किसान थोड़े बहुत एक ही मुद्दे पर नाराज हुए हैं वह बिजली है, क्योंकि बिजली का अभी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेडिकल पर बोल रहे हो, बिजली पर नहीं बोल रहे हो।

श्री रतनाराम चौधरी : मैं थोड़ा ध्यान ही दिलवा रहा हूं। बिजली के प्रति ध्यान मंत्री लोगों का खींच रहा हूं कि बिजली के प्रति किसानों के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाइये और फिर सत्ता में आप आइये। जयहिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2002-2003 की अनुदान की मांग संख्या-26 पर मैं अपने विचार रख रहा हूं।

जब से राजस्थान में कांग्रेस सरकार का पदार्पण हुआ, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी जो जनता के प्रति संवेदनशील हैं, जवाबदेह हैं, पूर्णतया पारदर्शी रूप में सरकार चला रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पूरे राजस्थान के अन्दर राजमार्गों पर सड़कों का जाल फैला हुआ है। जहां कहीं भी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, उनको तत्काल प्रभाव से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उन्होंने राजमार्गों के ऊपर एम्बुलेंस सेवा योजना का प्रावधान किया है। आकस्मिक दुर्घटना वालों को तत्काल प्रभाव से उपचार मिले, यह राज्य सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ में सभी उप खण्डों पर ब्लड बैंक की स्थापना हुई। उप खण्ड स्तर से सम्भाग मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर अस्पताल के अन्दर जाकर लोग रक्त की अपनी व्यवस्था करने में लगते थे उसके अन्दर कई रोगियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। उन रोगियों के प्रति, उस जनता के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, सभी उप खण्डों पर ब्लड बैंक की स्थापना की, यह भी सरकार का एक संवेदनशील कदम है।

साथ ही दो सौ सब सेंटर को अपग्रेड सब सेंटर में क्रमोन्नत करके राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का परिचय दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बहु संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। असाध्य रोग जो किसी जमाने में राजा रजवाड़ों में और बड़े-बड़े लोगों को लगा करता था, वर्तमान समय के अन्दर गरीब तबके अनुसूचित जाति, जनजाति और चयनित परिवार के लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं। ऐसे लोग अपनी अंतिम सांस के समय ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब से गहलोत सरकार बनी है ईश्वर से पहले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी पीले कलर के फार्म के माध्यम से याद करते हैं। राजस्थान की जनता जनार्दन के लिये, गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति और चयनित परिवार के व्यक्तियों के अंतिम समय में प्राण पखेरू बचाने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से चयनित परिवार का कोई भी व्यक्ति चाहे वह टी.बी. रोग से पीड़ित हो, चाहे वह कैंसर रोग से पीड़ित हो, चाहे हृदय

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

का रोग हो, चाहे हृदय का वाल्व बदलना हो, चाहे हृदय की बाईपास सर्जरी करानी हो, गुर्दे का प्रत्यारोपण कराना हो, ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए राजस्थान की लोकप्रिय कांग्रेस सरकार ने मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता और हम लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति चयनित परिवार से वंचित है, गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों से भी गरीब व्यक्ति हैं, जिसकी वार्षिक आय चौबीस हजार सालाना तक हो, ऐसा व्यक्ति भी मुख्य मंत्री सहायता कोष के अन्दर एप्लाई कर सकता है। उसको अपने असाध्य रोग में खर्च होने वाली जो राशि है, उसकी चालीस प्रतिशत राशि मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी उपलब्ध कराते हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार उन गरीब व्यक्तियों के प्रति पूर्णतया संवेदनशील है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीब तबके के लोगों के लिए इस तरह से मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष और मुख्य मंत्री सहायता कोष का गठन करके उन लोगों की जीवन रक्षा की पूर्ण गारंटी दी है। इतना महत्वपूर्ण फैसला पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान राज्य की गहलोत सरकार ने किया है, इसके लिए हम हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, उप खण्ड चिकित्सालय के ऊपर जो बी.पी.एल. कार्ड होल्डर हैं उनको पूरे राजस्थान के अन्दर 23 लाख मेडिकेयर रिलीफ कार्ड बांटे गये हैं। उन मेडिकेयर रिलीफ कार्ड के माध्यम से वे राजकीय चिकित्सालय पर तीन सौ प्रकार की दवाइयां निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की गहलोत सरकार ने उन लोगों के हितों की रक्षा के लिये किया है।

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, विकलांगों के लिये पोलियो के कैम्प लगाये गये। नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से निःशक्तजनों के निःशुल्क आपरेशन करवाये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की रीति-नीति गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को लाभ पहुंचाने की रही है। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस पार्टी के नौजवान संस्थापक स्वर्गीय संजय गांधी ने परिवार नियोजन की स्थापना की। पूरे हिन्दुस्तान में स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में इस योजना को अपनाने की और इस प्रक्रिया को चालू करने की योजना रखी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या-26 पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस चीज को जानती हैं कि बढ़ती हुई आबादी के लावे को रोकने के लिए परिवार नियोजन को उन्होंने चालू किया। उसमें चाहे वे साम्प्रदायिक पार्टियों हों, चाहे वे साम्प्रदायिक ताकतें हो, उन्होंने गलत प्रचार-प्रसार किया। उसका खामियाजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी केन्द्र की सत्ता से विहीन हुई। उसका हमें गम नहीं रहा। लेकिन हमने हमेशा जनता की भलाई के काम किए और उसका असर दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। आज उसका असर यह है कि परिवार नियोजन को हर प्रकार से सभी लोग अपना रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी के दिए हुए परिवार नियोजन का सपना साकार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए पिछली बार पंचायत स्तर तक विचार गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया था। और वैसे भी हम जन-प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि हम इसका प्रचार-प्रसार करके बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकें। भ्रूण हत्या जिस प्रकार से हो रही है, उसमें मेरा निवेदन है कि इसका प्रचार-प्रसार करें क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। हत्या को रोकने के लिए सभी जन-प्रतिनिधि गम्भीरता से इसका प्रचार-प्रसार करके जनता में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं ताकि भ्रूण हत्या पर रोके लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा बहुत पुरानी है, प्राचीनकाल से चली आ रही है। अजमेर में उसका राज्य स्तरीय मुख्यालय है, जगह-जगह कैम्प भी लगते हैं। उनके अन्दर जाकर हमने लोगों को एक प्रकार से संदेश भी दिया है कि इस चिकित्सा पद्धति में कमी आने का एक ही कारण रहा है कि खुद आयुर्वेद वाले एलोपैथी इलाज लेने लग गये। उससे चिकित्सा पद्धति का दिन-प्रतिदिन हनन होता जा रहा है। पिछली बार एक कैम्प में जाने का मौका मिला तो हमने भी चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए जोर दिया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

आदरणीय अशोकजी गहलोत इस प्राचीनतम पद्धति को जारी रखने के लिए जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, यह भी राजस्थान की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा समाज बिलकुल स्वस्थ हो, इसके अन्दर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे लोगों को मिलें। राज्य सरकार अपने राज कोष से रोगों के इलाज पर पैसा खर्च कर रही है। अगर हम रोगों के मूल कारणों पर जाएंगे, उनको हम रोक पाएंगे तो मैं समझता हूं कि राज कोष से जिस प्रकार से रोगों के इलाज पर खर्च कर रहे हैं उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी। उपाध्यक्ष महोदय, पूरा अजमेर जिला ग्रामीण क्षेत्र हैं, फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है। लोगों में फ्लोराइड से कई बीमारियां पैदा हो रही हैं, कुबड़ापन पैदा हो रहा है, दांत पीले पड़ रहे हैं, मृत्युदर बढ़ रही है। ये जो रोग पैदा हो रहे हैं। इनसे समाज को स्वस्थ रखने के लिए और फ्लोराइड के रोगों को खतम करने के लिए वहां बीसलपुर का शुद्ध पेयजल है। हालांकि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन समाज को स्वस्थ रखने के लिए बीसलपुर की पेयजल योजना से अजमेर जिले के समस्त मजरे, गांव, ढाणियों और शहरों तक अगर उसका शुद्ध पेयजल मिले तो मैं समझता हूं कि जो रोग बढ़ते जा रहे हैं उनमें कमी आएगी। मैं चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि वह अपने जिले के ही जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करें। जिले के 644 गांव सत्यापित हैं जिसमें से मात्र 65 गांव ही अभी तक लाभान्वित हो पाये हैं और साढ़े 500 गांव बाकी हैं। उनके अन्दर अभी भी फ्लोराइड से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, तो उनको उसका लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी गुटखे पर रोक की मांग की, यह भी समाज को स्वस्थ रखने की परम्परा की हमने शुरूआत की है। आबकारी से जो हमारी आय है वह केवल 5 प्रतिशत है, वह हमारे बजट के अन्दर दर्शायी गई है। अगर राजस्थान में शराब पर हम रोक लगाएं, क्योंकि इससे अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्ग ही ज्यादा तबाह होता जा रहा है और इस शराब के कारण ही सारे रोग पैदा होते हैं। इस 5 प्रतिशत आय के कारण करोड़ों रुपया एस.सी., एस.टी. और बी.पी.एल. परिवारों के लोगों के लिए, रोग खतम करने के लिए हम खर्च कर रहे हैं। यह तो वही बात हो गई कि राजा ने रात को चोरी की और सुबह आकर साहूकार की तरह बांट दिया। शराब पर भी रोक लगनी चाहिए, गुटखे के सेवन पर भी रोक लगनी चाहिए। समाज को स्वस्थ रखने के लिए सरकार की भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। हमारी सरकार वैसे भी संवेदनशील है, मैं समझता हूं कि इसके भी कुछ उपाय होंगे।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति की कच्ची बस्तियों में गंदगी व कचरे के जो ढेर होते हैं, मैं आदरणीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि मलेरिया व अन्य रोगों को रोकने के लिए सभी जगह इन एस.सी.एस.टी. की बस्तियों में डी.डी.टी. का छिड़काव करवाएं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा रोग अभी बजट पारित होने के बाद में जो लगने वाला है वह लाटरी का रोग है। मैं चाहता हूं कि समाज स्वस्थ्य रहे और स्वस्थ समाज में यह जो लाटरी का मीठा रोग है इस पर भी पाबंदी लगे तो अपना समाज बिलकुल स्वस्थ हो पाएगा। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में सरवाड़ अस्पताल, केकड़ी अस्पताल, सावर अस्पताल और कादेड़ा पी.एच.सी. और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में जो पद रिक्त हैं, मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भरने की कृपा करें। साथ ही, अगर पीपाड़ में 30 शैय्याओं को 50 शैय्याओं में मंत्रीजी क्रमोन्नत करें तो फिर केकड़ी और सरवाड़ के साथ में भेदभाव क्यों? मैं चाहूंगा कि केकड़ी अस्पताल को भी 50 शैय्याओं से 100 में क्रमोन्नत करें और सरवाड़ को 20 शैय्याओं से 50 में क्रमोन्नत करें और मेरूकलां और सांपला के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले, वहां भवन बनकर तैयार हो चुके हैं ताकि वहां पर भी स्वास्थ्य का लाभ लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले। मैं समझता हूं कि पी.एच.सी. खोलने से मेरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

अजमेर जिले के अन्दर जवाहर लाल नेहरू अस्पताल जो अजमेर मुख्यालय पर है, वहां चयनित परिवारों के कार्डधारियों को जो दवाइयां मिलती हैं वह आउटडोर 7 बजे बन्द होता है और मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की शाप भी 7 बजे बन्द हो जाती है। हमारा निवेदन है कि बी.पी.एल. कार्डधारी के लिए अनहोनी का कोई समय तो होता नहीं है, उस शाप को अगर 24 घंटे खुलवाया जाये तो चयनित परिवार के लोगों को उन दवाइयों का लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही आयुर्वेद विभाग की तरफ से च्यवनप्राश के डिब्बे किस खुशी में मिले, वह जानकारी हमें नहीं है। दिये, वह तो अच्छी बात है लेकिन किस खुशी में दिये आयुर्वेद विभाग ने? क्या हमारे मंत्रीजी भी अपने ज्ञानवर्धन के लिए या हैल्थ बनाने के लिए कोई टानिक देने का प्रावधान रखते हैं? यह थोड़ा-सा मंत्री महोदय अवगत कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जरूरत नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : जिस तरह आयुर्वेद मंत्रीजी ने गिफ्ट दिया है, क्या सारे मंत्री मिलकर माननीय सदस्यों को किसी न किसी रूप में कोई गिफ्ट देना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-26 पर मेरा भी मंत्री महोदय से निवेदन है। माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री और पाली से आये हुए माननीय सदस्य और अन्य साथियों ने इस पर विशद विवेचन कर दिया है, किन्तु कुछ जमीन की बातें या आम आदमी की बातें मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा।

मंत्री महोदय, देहली और जयपुर के बीच में नेशनल हाइवे के ऊपर बी.डी.एम. अस्पताल एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, 150 बैडेड और इसमें दूर-दूर से, कम से कम 50-60 वर्ग किलोमीटर से एक्सीडेंट के मरीज आते हैं। आप जब वहां पधारे थे तो हम लोगों ने आपसे निवेदन किया था और आपने ब्लड बैंक खोलने के लिए हमें आश्वासन दिया था। हमें पूरी आशा थी फिर उसके अनुरूप ही आपने अपने बजट भाषण में भी इसका एलोकेशन किया।

(19.00 बजे)

तो हमें पूरा विश्वास था। बी.डी.एम. हास्पिटल में ब्लड बैंक की बहुत आवश्यकता है, पुरानी मांग है रोजाना कई मरीज आते हैं उन्हें हमें या तो जयपुर या दिल्ली भेजना होता है या फिर वहां से ब्लड मंगाना होता है। यह समस्या हमने पहले आपको बतायी थी, उसी के अनुरूप आपने हमें आश्वासन भी दिया था। उसके बाद बजट में यहां आकर हमें पूरा विश्वास हो गया था कि हमारे यहां ब्लड बैंक खुलेगा, लेकिन अफसोस है। उस समय उसके पश्चात् महुवा के लिये भी घोषणा की गयी थी तो मैंने यह सोचा कि चूंकि पूरे राज्य में दो स्थानों पर ब्लड बैंक हो रहे हैं तो निश्चित रूप से यह होगा। लेकिन अफसोस है कि वह कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ।

इसी प्रकार एक ट्रोमा सेंटर खोलने की भी बात थी। दो साल से हालांकि इसका कार्यक्रम चल रहा है, सर्वे भी एक बार हुआ है, लेकिन उसके पश्चात् आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मंत्रीजी, मैं मानता हूं, हो सकता है कि किन्हीं कारणों से बजट में इसका प्रावधान होते हुये भी आप नहीं दे सके हों, लेकिन यह ट्रोमा सेंटर और ब्लड बैंक की व्यवस्था तो आप केन्द्रीय धन से भी कर सकते थे। क्योंकि शायद आपको निर्देशिका मिली होगी केन्द्रीय चिकित्सा विभाग से, हम सभी माननीय विधायकों को भी वह मिली है निर्देशिका, मेरे खयाल से आपके विभाग में भी होगी, उसमें यह निर्देश है कि नेशनल हाईवे पर 40-40 किलोमीटर की दूरी पर ट्रोमा सेंटर खोलने का प्रावधान है जिसका पैसा केन्द्र से दिया जाना है। उसी आधार पर मैंने पुन: निवेदन किया था। इस प्रकार का एक सर्वे भी हुआ था, उसके अनुसार कोटपूतली में या शाहपुरा में या उसके पहले एक स्थान

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

पर ट्रोमा केन्द्र खोला जा सकता था, किन्तु उसकी प्रगति की भी कोई जानकारी नहीं मिली है। कम से कम जो पैसा हमें केन्द्र से मिलता है उसका तो समय पर उपयोग हो जाना चाहिये। अगर आपका विभाग इस बात में चुस्त रहे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य को बहुत सहायता मिल सकती है। न केवल नेशनल हाईवे नम्बर 8, दूसरे नेशनल हाईवेज पर भी इस प्रकार के केन्द्र खोले जा सकते थे। मेरा निवेदन है कि इसके विषय में जानकारी करके अधिक से अधिक ट्रोमा सेंटर आप खुलवाएं। मुझे विश्वास है कि इस बार हमारे कोटपूतली में अवश्य ब्लड बैंक और ट्रोमा सेंटर दोनों ही खोल दिये जाएंगे।

मंत्री महोदय, इसी अस्पताल के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हमारा इतना प्रमुख अस्पताल होते हुए भी, यहां से कई आफिसर्स, राजनीतिज्ञ और सभी गुजरते हैं और इससे काम भी पड़ता रहता है, लेकिन आज हालत यह हो रही है कि वहां पर कोई बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। करीबन 5-7 साल से मेरे खयाल से न तो वहां पर कोई पुताई हुई है और न कोई रिपेयर हुई है, न कोई उसमें सम्भावनाएं पैदा की गयी हैं। फर्नीचर की हालत यह है कि बैड्स वहां पर बीसियों साल से नहीं बदले गये हैं। अन्दर जाने पर माहौल बहुत बुरा लगता है। मैं समझता हूं कि ऐसे स्थान पर जहां कभी-कभी बाहर के लोग भी आते हैं, न भी आए तो भी ऐसे प्रतिष्ठित अस्पताल को बनाये रखने के लिये हमें पूरी सुविधा देनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि उसकी रिपेयर के लिये इस बार आप स्पेशल सैंक्शन दें नहीं तो कई स्थान तो गिरने वाले हो गये हैं। पानी के रिसाव के कारण दीवारों की हालत खराब हो रही है और पुताई भी नहीं हुई है। इसी प्रकार बैड्स और फर्नीचर भी बदले जाने चाहिये जो मेरे खयाल से दसियों सालों से नहीं बदले गये हैं।

न केवल फर्नीचर और बैड्स की बात है, वहां के स्टाफ में भी आपको शायद यह ज्ञात होगा कि एक यंग सीनियर स्पेशलिस्ट डाक्टर साबू के देहांत के बाद अभी तक एम.एस. मेडिसिन की पोस्ट नहीं भरी गयी है जबकि यह पोस्ट बहुत आवश्यक है। न केवल कोटपूतली क्षेत्र के बल्कि बहरोड़, नीमकाथाना और दूसरे बड़े-बड़े स्थानों से भी वहां पर मरीज आते हैं इसलिये सीनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट वहां पर अवश्य जल्दी ही भरी जानी चाहिये।

इसके साथ ही एक और विशेष रूप से निवेदन है कि वहां एक डाक्टर नीता खन्ना का पोस्टिंग किया हुआ है। इस महिला डाक्टर से न केवल वहां का स्टाफ बल्कि वहां की जनता भी परेशान है और कई बार इसके लिये लिख कर भी दे दिया गया है। एक बार तो उन्होंने किसी महिला को स्वयं ही ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि थोड़ी देर बाद उसका गर्भपात हो गया।

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

वास्तव में यह महिला डाक्टर खन्ना कुछ विक्षिप्त भी है, इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां से इनको हटाया जाए। अगर आप उन्हें रखना ही चाहते हैं तो उन्हें मेंटल हास्पिटल में रखें। (व्यवधान) नहीं, इसमें मजाक की बात नहीं है, यह वास्तव में है। हो सकता है कि बाद में उनको कोई विकार आ गया हो। लेकिन उसकी वजह से पूरी जनता परेशान है और इसकी वजह से हमारे विभाग की भी अच्छी छवि नहीं बनती है। वहां पर हर तरह की बातें होती हैं। मेरा निवेदन है कि उनको निकालना तो चाहिये नहीं, लेकिन अगर उनको आप पदस्थापित भी करना चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर किया जाए ताकि उनका भी भला हो और जनता भी उससे राहत पा सके। इसलिये यही मैंने कहा है कि मेंटल हास्पिटल ही उनके लिये उपयुक्त स्थान है। यह मेरा विनम्र निवेदन है। कल मेरे पास बहुत से लोग आये थे और उनके लिये कहा था।

साथ ही साथ चूंकि वहां पर 24 घंटे ड्यूटी रहती है और एम.ओज. की वहां कमी है इसलिये दो और मेडिकल आफिसर वहां पर लगाये जाएं ताकि अनवरत रूप से वहां ड्यूटी बनी रहे। इसके अभाव में रात्रिकाल में दिक्कत आती है।

मंत्री महोदय, इसके साथ ही एक विशेष समस्या आजकल लाइफ लाइन की भी है। लाइफ लाइन अभी तक कांट्रेक्ट पर थी। नया जब से कांट्रेक्ट दिया गया है, इसमें टेण्डर ऐसे व्यक्ति ने भरा है जो डी फार्मा नहीं है। शायद ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि डी फार्मा के बिना वह कांट्रेक्ट नहीं दिया जा सकता। हालांकि डी फार्मा की जगह किसी भी व्यक्ति को ड्रग एक्ट के अन्दर 10 साल के अनुभव के आधार पर हम लोग ड्रग बेचने का तो अधिकार दे देते हैं किन्तु इस कांट्रेक्टर को अधिकार नहीं मिला है और उस क्षेत्र में ऐसा कोई डी फार्मा व्यक्ति भी नहीं है जिसने टेण्डर भरा हो। इसके लिये या तो फार्मेसी काउंसिल से जो रजिस्टर्ड हैं, उनको अधिकृत कर दिया जाए ताकि कम से कम लाइफ लाइन वहां की चालू हो सके और लोगों को सस्ती और सुलभ दवाइयां मिल सकें। इसके बिना वहां की जनता को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बाड़मेर और जैसलमेर से आने वाले माननीय विधायकों ने अपनी समस्या रखी। शायद यह समस्या हर जगह है कि सब सेंटर, एडपोस्ट और पी.एच.सी. खाली हैं। खाली इसलिये हैं कि वहां पर पोस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन मेरे को पीड़ा दूसरी है। हालांकि मेरे यहां भी कई जगह खाली हैं, लेकिन जहां पोस्टें भरी हुई हैं वहां पर भी अगर अधिकारी, ए.एन.एम. या नर्सिंग स्टाफ नहीं रहता है तो यह हमारे लिये बहुत दु:ख की बात है। हमारे विभाग और हम जनता को राहत तभी पहुंचा सकते हैं जब कि हमारे उप केन्द्र, एडपोस्ट,

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

पी.एच.सी. के अस्पतालों में डाक्टर हों, स्टाफ हो। हमारे डाक्टर तो भरे हुए हैं क्योंकि यह जयपुर जिला है, अधिकांश डाक्टर जयपुर से होते हैं तो पोस्टिंग तो उनकी अभी वहां ग्रामीण क्षेत्रों में है लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि 80 प्रतिशत अप-डाउन करते हैं। या तो जयपुर से करते हैं या किसी दूसरे कस्बे से करते हैं। तो उसका लाभ जो मिलना चाहिये जनता को, वह नहीं मिलता है। अगर खाली पोस्ट है, संतोष हो सकता है कि वहां डाक्टर की पोस्टिंग ही नहीं हुई है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि जहां पोस्टिंग हो चुकी है वहां भी अधिकारी नहीं रहते हैं। कम से कम डाक्टर का कार्य तो ऐसा है कि उसे 24 घंटे रहना आवश्यक है। आधे डाक्टर्स ऐसे हैं जो अप-डाउन करते हैं डेली और चौथाई ऐसे हैं जो सप्ताह में एक बार तशरीफ लाते हैं और एकाध और ऐसे हैं। मैं शायद अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, हमारे दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था है। मैंने और भी मेरे बंधुओं से पूछा वे सभी यही कहते हैं कि पी.एच.सी. और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर्स अप-डाउन करेंगे, एक बार आएंगे सप्ताह में, एक बार तनखाह लेने आएंगे। ऐसी स्थिति आप, मंत्री महोदय, जब तक नहीं निपटाएंगे तब तक आपका, हमारा और विभाग का भला नहीं होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जितनी भी नीतियां हैं, आप बजट कुछ भी बना लीजिये आपकी नीतियां तब ही सफल होंगी जब सब सेंटर मुख्य रूप से और एडपोस्ट और पी.एच.सी. पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे। अगर वहां स्टाफ कार्य नहीं कर रहा है तो आपका चाहे डी.ओ.टी. प्रोग्राम हो, चाहे पल्स पोलियो हो, कागजों में तो पूरा दिखायी देगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं तो नये सेंटर की या पी.एच.सी. की मांग नहीं करूंगा, मैं तो केवल यही मांग करूंगा कि हमारे जो भी केन्द्र हैं वह पूरे भरे हुए हों और पूरी क्षमता के साथ 24 घंटे काम करें जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कार्य है। तभी आपकी योजनाएं सफल होंगी, तब ही राहत मिलेगी। आपके जो भी प्रोग्राम हैं, चाहे आपने करोड़ों का बजट बना लिया हो अगर गरीब को वहां राहत नहीं है कि मिल सकेगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा तो विशेष जोर यही है कि सभी सेंटर्स में ए.एन.एम. हो। एक समय था जब ए.एन.एम्स. केरल की हुआ करती थीं, उस समय कहीं किसी को शिकायत नहीं थी। आज भी बाहर की महिलाएं जहां काम कर रही हैं वहां काम सुचारू रूप से चल रहा है, और इसको सभी जानते हैं। वहां के सब कार्य, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वे पूरी आती हैं क्योंकि वे वहां 24 घंटे रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब अधिकांश लोकल राजस्थान की महिलाएं ए.एन.एम्स. हैं। उसमें बहुत कुछ हम लोगों का भी दोष है, निश्चित रूप से राजनीतिज्ञों का प्रभाव है कि उनकी पोस्टिंग उनके घरों के पास होती है। जैसा कि बाड़मेर से आने

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा था कि जो भी नये कर्मचारी, अधिकारी आते हैं उनकी पहली पोस्टिंग जैसलमेर, बाड़मेर में होती है, लेकिन एक समय के पश्चात् अपने घरों में, अपनी तहसीलों में या अपने जिले में उनका स्थानान्तरण हो जाता है। नतीजा यह होता है कि वहां तो सभी खाली हो गये, लेकिन हमारे आने के बाद भी उनका अप-डाउन का कार्यक्रम चलता है। चाहे ए.एन.एम. हो, चाहे डाक्टर हो, हरेक व्यक्ति अप-डाउन करता है, अपने केन्द्र में कभी नहीं पाया जाएगा। मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आजकल इंस्पेक्शन की प्रथा ही खतम हो गई है। मैं सभी अधिकारीगण से और अपने मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि देहली जाते समय कम से कम रोड पर पड़ने वाले इंस्टीट्यूशंस को तो देखें। मेरे क्षेत्र में बिलकुल सड़क पर आने वाले पावटा, रघुनाथपुरा, बी.डी.एम. हास्पिटल और आगे चलकर बहरोड़ सड़क पर ही हैं, अगर आप 15 मिनट भी दें तो निश्चित रूप से वहां का कार्य सुधरेगा। रघुनाथपुरा एक ऐसा हास्पिटल है, एक ऐसा पी.एच.सी. है जो बिलकुल सड़क के ऊपर है, लेकिन उसमें भी डाक्टर साहब अप-डाउन करते हैं। और नैचुरल है कि अप-डाउन करने वाल व्यक्ति डेली कभी नहीं आ सकता। यह हालत मेरे ही नहीं अधिकांश पी.एच.सीज. की है। मेरा तो आज के मौके पर यही कहना है कि अगर आप मशीनरी चुस्त कर देंगे तो निश्चित रूप से इसी बजट में बहुत अच्छा काम हो सकेगा और जब तक मशीनरी चुस्त नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं हो सकेगा।

आपकी सभी योजनाएं, अब डी.ओ.टी. की बात है। आपने तो दवा दे दी, लेकिन ए.एन.एम. या एडपोस्ट का कम्पाउण्डर समय पर जाकर उसको दवाई नहीं देगा तो उसे दवाई कैसे मिलेगी? निश्चित रूप से आप वही पद्धति अपनाते होंगे, उसको 10 दिन की, 15 दिन की दवाई दे देते होंगे, फिर वह लेता है या नहीं लेता है. यह उसकी मर्जी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बजाय संख्या बढ़ाने के, बजाय पैसे बढ़ाने के जो है उसको ही चुस्त-दुरुस्त किया जाए तभी हमारी जनता को लाभ मिल सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी स्थिति आपके डिपार्टमेंट की यह है, मैंने अभी निवेदन किया था कि भैंसलाना नामक स्थान पर उप केन्द्र खोला जाए। उसके बाद मालूम हुआ कि भैंसलाना केन्द्र में 1998 में ही स्वीकृति आ गई थी, लेकिन आज तक वहां पर न तो सेंटर खोला गया है और न हमारे सी.एम.एच.ओ. साहब को ही मालूम है। सी.एम.एच.ओ. साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहां कोई केन्द्र नहीं है। डाइरेक्टरेट में पूछा तो मालूम पड़ा है कि 1998 में सांगटेड़ा और भैंसलाना दोनों स्थान पर एक साथ उप केन्द्र खोले गये थे, लेकिन सांगटेड़ा में तो चल रहा

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

है और भैंसलाना में आज तक नहीं हुआ है। इस प्रकार की अव्यवस्था कैसे हुई, इसका माननीय मंत्री महोदय पता लगाएं, कि इस प्रकार से कागजों पर पी.एच.सी. खोल दें या सब सेंटर खोल दें। भैंसलाना कोई छोटी जगह नहीं है, पंचायत हैडक्वार्टर है और वहां की डिमाण्ड भी है। वहां पर स्वीकृति होते हुए भी केन्द्र नहीं खोला गया इसके क्या कारण हैं? मुझे आशा है कि वो शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। (व्यवधान) बस एक मिनट और।

इस मौके पर मैं अधिक बात न कह कर यह कहना चाहूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के सुधार के लिए पोस्टिंग जरूरी है तो यह भी जरूरी है कि अगर किसी आफिसर की वहां से शिकायत आती है तो समय पर उस पर कार्यवाही कर दी जानी चाहिए। बी. डी. एम. हास्पिटल से रेडियोलोजिस्ट की और ज्यूरिस्ट की शिकायतें आपके यहां काफी आयी हैं, लिखित में भी और कुछ लोग भी मिले हैं, लेकिन आज तक उसका कोई उपचार नहीं किया गया है। इसलिए वहां की जनता में बहुत असंतोष है।

इसी प्रकार यहां के जे.के. लोन में ऐसा पाया गया कि जवाहर पेडिएट्रिक्स गैस्ट्रोलोजी सेंटर है उसमें काफी कम मरीज भर्ती होते हैं। क्या कारण है? नया सेंटर है, बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर क्यों कम हैं? ऐसा मालूम होता है कि वहां के आफिसर्स, वहां के इंचार्ज या जो भी हैं उनका इंट्रेस्ट कहीं बाहर दूसरे अस्पतालों में है। इसके कारण से ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी की जाए। ऐसा भी बताया गया कि पहले 18 हजार में वहां सफाई का कार्यक्रम था, लेकिन अभी वही जगह है, उतनी ही जगह है, इस बार कांट्रेक्ट 60 हजार में दिया गया है। इतना अंतर किस प्रकार हुआ, इसका भी मालूम किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

मैं नीम हकीम के लिए भी कहना चाहूंगा। यह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वास्तव में इंटीरियर में, ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पढ़े-लिखे लोग भी इस कार्य में लगे हुए हैं, उनके साथ तो यह कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बी.आई.एम.एस. से जो ट्रेंड डाक्टर्स हैं जिनको कि एलोपैथिक पद्धति से भी शिक्षा दी गई है, जब हम उनको अधिकार देते हैं, एक्स-रे का फायदा उठा सकते हैं, ब्लड टैस्ट क फायदा उठा सकते हैं तो यदि वे एलोपैथिक दवा लिखते हैं तो मेरे खयाल से उनको कुछ छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि उनको फार्मेसी की भी ट्रेनिंग दी हुई होती है, मेडिसिन और सर्जरी की भी ट्रेनिंग दी हुई होती है। तो बी.आई.एम.एस. जो सरकारी कालेजेज से किये हुए हैं उनको विशेष रूप से इससे मुक्त रखा जाना चाहिए। यह खास तौर पर आर.एम.पीज. के लिए कानून है जो कि किसी भी विषय में नहीं जानते हैं और गांव वालों को ठग रहे हैं। आपने मुझे समय दिया, उपाध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह जी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू)(नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मानव जीवन से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है, इस पर आपने समय दिया उसका मैं आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बड़े जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर परिवार नियोजन की बात चल रही थी। जो इस परिवार नियोजन की बात कर रहे थे, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, किसी के आधा दर्जन और किसी के एक दर्जन से एक-दो बच्चे कम हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर पूरे सदन में यह पाबन्दी लगा दी जाए कि जिसके दो बच्चे हैं वो ही चुनाव लड़ेगा तो 200 में से मात्र 46 सदस्य ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के काबिल हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो एज ही क्रास कर चुके हैं, अब क्या होगा?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं हम एज क्रास कर चुके हैं, हमारा नम्बर आए तो हमारे पाबन्दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनके एक या दो बच्चे हैं उनके नाम पढ़कर बताना चाहूंगा अमराराम जी हैं, अरुण सिंहजी हैं जिनके कोई है ही नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, आर.पी. शर्मा जी हैं, के. सी. चौधरी हैं, के.सी. विश्नोई हैं, खेतसिंहजी हैं, चन्द्रभानजी हैं, जकिया जी हैं, जितेन्द्रजी हैं, जितेन्द्र सिंहजी (अलवर) हैं, देवीसिंह भाटी हैं, नवलकिशोरजी हैं, नानूराम कंकरालिया हैं, पूनम गोयल हैं, प्रताप सिंह सिंघवी हैं, प्रभुलाल करसोल्या हैं, बीना काक हैं, जिनके एक या दो बच्चे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यानापूर्वक सुबह से इनकी बातें सुन रहा हूं, मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है यह, समझ नहीं पाया?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : प्रभुलाल करसोल्या हैं, बीना काकजी हैं, बृजेन्द्र सिंह जी हैं, भैरोंसिंहजी हैं, मधु दाधीच हैं, ममता शर्मा हैं, महादेव सिंहजी हैं, महेश जोशी जी हैं, मीनाक्षीजी जिनकी शादी नहीं हुई, माहिर आजादजी हैं, मैं खुद हूं, यास्मीनजी हैं, राजेन्द्र चौधरीजी हैं, राजेन्द्र पारीकजी हैं, राजेन्द्र राठौड़ साहब हैं, रामकिशन वर्माजी हैं, डा. रामप्रताप हैं, रूपारामजी हैं, विजयलक्ष्मीजी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये कहां से लाये हैं?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : शांति धारीवाल जी हैं, शैलेन्द्र जोशी जी हैं, संजीव बेनीवाल, संयम लोढ़ा, समरजीत सिंहजी, सी.पी. जोशी साहब, सुचित्रा आर्य, सुरेन्द्र व्यास, सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सोहन नायक, हरेन्द्र मिर्धा, हेमन्त कुमार और हेमारामजी, ये 46 आदमी हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : किन-किन कारणों से हैं, यह भी पूछ लो। क्या पता किन-किन कारणों से ये व्यक्ति बचे हैं,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

यह भी तो पूछ लो। (व्यवधान) नहीं, नहीं, सब के परिवार नियोजन तो नहीं है। (व्यवधान) परिवार नियोजन के चक्कर में नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, ऐसा कौन है, भाई?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ही दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि सदन में निहायत ही असत्य बोलने का काम किया जाता है और इतने जोर से असत्य बोला जाता है। रामस्वरूपजी कह रहे थे यह कर दो, विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा कर दो, सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। रतनारामजी सबसे जोर लगा रहे थे, उनके 5 बच्चे हैं। एक जैन साहब कह रहे थे वहां, वृद्धिचन्दजी, जिन्होंने परिवार नियोजन की ज्यादा बात की है, इनके एक के भी आधा दर्जन से कम बच्चे नहीं हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को मजाक बनाया जाता है। हरिसिंह (महुवा) इनके भी आधा दर्जन से एकाध गड़बड़ मामला है। ये सब जायेंगे बाहर अगर इनको निकाला जाए तो। (व्यवधान) आथेंटिक रिपोर्ट है मेरे पास, 46 सदस्य ऐसे हैं जो अगर पाबन्दी लगा दी जाएं तो बाकी बाहर चले जाए। मेरे तो एक ही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक ही है न आफिशियल?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अनआफिशियल आपके होंगे, मेरे नहीं हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, हमारी पीढ़ी में कहीं नहीं है यह काम। मेरी पीढ़ी में आपके पिताजी थे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो गये, आपके भी बहुत हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले नीम–हकीमों के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हुई, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री और युवा मंत्री महोदय को कि जो लोग राजस्थान की जनता को मारने का काम कर रहे हैं, उन नीम–हकीमों पर इन्होंने रोक लगायी। अभी तीन दिन पहले जब यह घटना चल रही थी तो एक हकीम ने मेरे नदबई के खटोटी गांव का गेंदा व्यक्ति है जिसकी आंख में दर्द था, उसकी आंख में सुई लगायी, उसकी आंख बाहर निकल कर आ गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक किस्सा नीमड़ी गांव, नागौर का है, बुद्धाराम नाम के व्यक्ति को भैंस जिससे पावसती है वह इंजेक्शन लगाया। भैंस जिससे दूध देती है वह इंजेक्शन लगाया और 7 दिन हास्पिटल में एडमिट रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इनकी अनदेखी करते रहे और ये दोनों मंत्री आपस में झगड़ते रहे, पता नहीं क्या घपला हुआ, बीच में दो–तीन दिन तो बड़ी अखबारों में न्यूज थी आज वहां 5 पकड़े, आज वहां 7 पकड़े और

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

दूसरे दिन ही खबर आती है कि अभियान बन्द कर दिया गया है। पता नहीं कुछ पैसों का लेनदेन हुआ, पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो।

श्री मदन दिलावर : यह तो सदन को बताना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके क्या कारण रहे जिसके कारण से कार्यवाही रुक गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, आपको बताएंगे।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान की जनता जानना चाहती है। यह कार्यवाही करने की बात पहले से ही रोके लेते। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूध निकालने के ये इंजेक्शन लगाये जाते हैं। (व्यवधान) जब मनुष्यों को भैंस के दूध निकालने वाले इंजेक्शन लगाये जाते हैं, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। मेरे यहां एक एक्स-रे रूम बना हुआ है उसमें बी.जे.पी. गवर्नमेंट में एक्स-रे मशीन गई। लेकिन वह मशीन नदबई न रुक कर सीधी कामां पहुंच गयी। नदबई की जनता की हाय लगी और बाढ़ आयी हुई थी, बाढ़ में वह मशीन खराब हो गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से...

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, यह सन् 1996 की बात है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** 1996 की ही बात कर रहा हूं। साहब, मैं यह नहीं कह रहा। बी.जे.पी. का शासन था, मैंने आपके शासन का नाम नहीं लिया। मैंने, साहब, पहले ही कह दिया, बी.जे.पी. का शासन था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि एक्स-रे मशीन की व्यवस्था करवाएं जिससे कि नदबई की जनता का कुछ भला हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नदबई के हास्पिटल के जो हालात हैं, जो बिल्डिंग है वह इतनी ज़र्जर अवस्था में है कि कभी भी गिर सकती है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा-सा आपको जो मिला है, बजट में पैसा तो कम मिला है, थोड़ा-सा इधर भी खिसका दें। दूसरी, जो मेरे यहां एम्बुलेंस है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस एम्बुलेंस की हालत देखो तो नदबई से अगर भरतपुर ले जाएं तो वह भरतपुर नहीं पहुंच पाए। भरतपुर की छोड़ो, ढहरा मोड़ 10 किलोमीटर है, वहीं नहीं पहुंच पाए, ऐसी जर्जर अवस्था में एम्बुलेंस है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में आते हैं और इस सदन के दोनों

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

तरफ विधायक निवास हैं, जहां कि माननीय सदस्य निवास करते हैं। इस क्षेत्र में दो डिस्पेंसरियां हैं। ऐसे ही डाक्टर लगा रखे हैं जिनको मेटासिन के अलावा कोई दवाई लिखनी नहीं आती। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोई विशेषज्ञ डाक्टर की व्यवस्था करवाएं। जब सदन के सदस्यों को ही ऐसे उपलब्ध करा रखे हैं तो अब बताओ, अपने क्षेत्र की तो आगे मांग भी क्या करें आपसे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अस्पताल में एक शिशु रोग विशषज्ञ की विशेष आवश्यकता है तो कृपा कर एक शिशु रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था कराएं। साथ ही ब्लड बैंक की भी व्यवस्था कराएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे जो अहम बात है, मेरे क्षेत्र में झील का वाड़ा में एक देवी का मन्दिर है जिसमें हजारों लोग मेला जब चलता है तब आते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलें। इसमें बयाना के एम.एल.ए. साहब भी साथ देंगे और शायद आर.पी. शर्माजी भी साथ देंगे।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ है झील के वाड़ा पर अस्पताल खोलने के लिए, बिलकुल साथ दे रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं मांग कर रहा हूं माननीय मंत्रीजी कि झील के वाड़े पर चिकित्सालय जरूर होना चाहिए। क्योंकि वहां इन्होंने हजार कहा है, लाखों का मेला लगता है। भरतपुर जिले में सबसे बड़ा मेला वहीं लगता है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कानून बना रखा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं होगा। लेकिन सच्चे मायने में अगर देखा जाए तो कानून की जो धज्जियां उड़ती हैं उनमें सार्वजनिक स्थानों पर कई स्थानों पर तो माननीय मंत्री महोदय भी थे जब बैठे थे, एक बार बात चल रही थी तो इन्होंने कहा, यहां सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी-सिगरेट पीना मना है। इसके लिए कोई कठोर कानून बनाया जाए जिससे कम से कम जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं उनको दो या तीन महीने की सजा हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : धारीवाल जी तो सदन में ही खाते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आओ, ले जाओ। देख लो आप। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुमित्रा सिंहजी बोल रही थीं, उनकी बात को सुनकर धक्का लगा। माननीय मंत्री महोदय, इस तरफ ध्यान दें। जहां से इस प्रदेश में नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी आते हैं वहां टाइम निकली हुई एक्स-रे प्लेट और टाइम निकली हुई दवाइयां जोधपुर में सप्लाई

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

हो गयीं। तो आप बताओ कि इस राजस्थान के कौनसे जिले में न्याय होने की उम्मीद आपसे रखें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये 2-4 बिन्दु हैं, इन पर ध्यान दिया जाए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री महोदय ने 1054 करोड़ 56 लाख का प्रस्ताव सदन के सामने पास कराने के लिए रखा है। यह चौथा बजट है जब राजस्थान की सरकार ने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं करके उनके सुदृढ़ीकरण का नारा बजट में दिया है। हर बार सुनने को मिलता है, लेकिन आज इस चौथे बजट के प्रस्ताव तक राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में डाक्टर से लेकर ए.एन.एम. तक ऐसा कोई पद नहीं है जो वैकेंट न हो। तीन साल के बाद भी हम जिन स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण का बखान करते आये हैं, उनका सुदृढ़ीकरण कहां किया गया है? न उन सेवाओं की पूर्ति की गयी है, न स्वास्थ्य के लिए पूर्ति की गयी है। अस्पतालों की हालत में भी कोई सुदृढ़ीकरण मैं तो नहीं समझता कि कहीं हुआ हो। जहां तक डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की बात है, ए श्रेणी के अस्पताल की हालत यह है कि आज से 10 साल पहले सीकर के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में हर वार्ड में जितने बैड थे उससे ज्यादा पेशेंट थे और आज इस सुदृढ़ीकरण के बाद उसकी हालत यह हुई है कि वहां जितने बैड हैं उनमें से आधे से ज्यादा खाली रहते हैं। वह सुदृढ़ीकरण किस तरह से होगा? हम जो सेवाएं कर पाये हैं, आज जनता को लूटने की छूट है। पिछले 10 साल में जहां निजीकरण का दौर चला है, बहुत बड़े अस्पताल, नर्सिंग होम हर जिला हैडक्वार्टर, हर सब डिविजनल हैडक्वार्टर और राजस्थान की राजधानी में सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन हम हमारे चिकित्सा विभाग के माध्यम से उन पर कोई रैगुलेशन करने के लिए तैयार नहीं है। जितना अप्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उन नर्सिंग होमों में हैं, शायद और कहीं भी अस्पताल में आपको नहीं मिलेगा।

हम नीम-हकीमों की तो बात करते हैं, लेकिन निजीकरण का तो ध्येय ही राजस्थान की जनता की सेवा और स्वास्थ्य सेवा नहीं करना है। आज जो प्राइवेट नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेन्टर खुलते हैं उनका केवल मात्र एक मकसद रह गया है कि वो किसी तरह से अपने धन को बढ़ाने का काम कर लें। यह लगातार हो रहा है और आज भी सरकार इस बात से वाकिफ है। डाक्टर से लेकर ए.एन.एम. तक, आपने नेत्र चिकित्सा सहायक के रूप में बाण्ड भराया था कि

(श्री अमराराम)

तीन साल तक सरकारी नौकरी उनको करनी पड़ेगी लेकिन दो साल के बाद आज वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने जब ट्रेनिंग करवाई उस समय आपने बाण्ड भरवाया, वे दो साल से लगातार आपके विभाग के चक्कर काट रहे हैं। आपके विभाग के अधिकारियों से मिलते हैं तो वह कभी वित्त विभाग का नाम लेते हैं, कभी आपके विभाग का नाम लेते हैं। बेरोजगारी के इस युग में आपके विभाग ने, मैं समझता हूं अनियमितताएं की हैं। संविदा पर नर्सिंग ग्रेड सैकण्ड की जो भर्ती की गयी है, आपके ही निदेशालय में जो मैरिट लिस्ट से हाई थे उनको रख दिया गया और जो लो ग्रेड थे, जो मैरिट में आने वाले थे उनके डाक्यूमेंट निकाल कर उनके फार्म निरस्त कर दिये गये। इस घालमेल के द्वारा जो मैरिट लिस्ट में नीचे थे उनको आपने संविदा के आधार पर नियुक्तियां दे दीं। तो आज जो 1054 करोड़ 56 लाख रुपये का बजट है, सबसे बड़ा विचारणीय मुद्दा यह है कि हमें मूल्यांकन इस सदन में बैठ कर यह करना चाहिए कि सेवा जांच और औषधि के रूप में जो इतना बजट जा रहा है, सेवाओं को हम कितना दे पा रहे हैं। आज चिकित्सा विज्ञान में जितनी प्रगति हुई है, एक चिकित्सक का जो बहुत बड़ा सम्मान का पद था, इस निजीकरण के युग में उसका मकसद सेवा नहीं होकर पैसा बटोरना हो गया है। उसका नतीजा है कि जितने भी हमारे अस्पताल हैं, 80 से 90 प्रतिशत सरकारी चिकित्सक ऐसे होंगे जो प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट हास्पिटल में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। उसे हम नहीं रोक सकते। उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से हमारा प्रशासन चल रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जितने भी हास्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं उनमें जितने भी नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, आधे से ज्यादा उस हास्पिटल के सामने मेडिकल और डायग्नोस्टिक सेंटर खोल कर किस तहर से वहां के मरीजों को चीट करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल जो ए श्रेणी का हास्पिटल है, तीन कम्पाउण्डरों को वहां के पी.एम.ओ. ने केवल एक वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में ड्यूटी करवा दी। उसका नतीजा यह हुआ कि नर्सिंग कम्पाउण्डर तो उस वार्ड में नहीं गये, बल्कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में नर्सिंग ग्रेड सैकण्ड को बदलने वाले पी.एम.ओ. को सस्पैंड होना पड़ा। आज हालत है उस अस्पताल में कि जो भी नर्सिंग स्टाफ जिस वार्ड में होगा अगर उसकी दुकान से दवाई नहीं लायी गयी, इंजेक्शन नहीं लाया गया तो वह इंजेक्शन उस मरीज के नहीं लगाया जाएगा, वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। जब तक उसके यहां जांच नहीं होगी उस जांच को एकोमोडेट नहीं किया जाएगा। हम सेवा में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, राजस्थान की जनता तक कितनी उसकी सेवा दे पा रहे हैं। बीमारी का कोई समय नहीं होता कि

(श्री अमराराम)

कौन व्यक्ति कब, किस समय बीमार होगा, वह दिन में होगा कि रात में होगा। अगर ड्यूटी के अलावा वह घर पर दिखाने जाए तो तय रूप से प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में जो भी फीस राज्य सरकार तय करे, वह ले और देखे, इसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन उन प्राइवेट नर्सिंग होमों में जहां उनका हित जुड़ा हुआ है, सरकारी अस्पतालों से उन मरीजों को रैफर कर दिया जाता है। मैं एस.एम.एस. और दूसरे मेडिकल कालेज के हास्पिटलों की बात नहीं करता, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हैडक्वार्टर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनके तमाम डाक्टर जहां भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं वहां उनको रैफर करते हैं। वहां पर व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं कि पेशेंट को तो छोड़ दीजिये, पेशेंट का अटेंडेंट भी बीमार हो जाएगा। आप अगर निरीक्षण करें, स्वास्थ्य मंत्रीजी, तो हास्पिटल में आधे बैड तो ऐसे मिलेंगे जिन पर चद्दर नहीं मिलेगी। अगर चद्दर मिल गयी तो स्टाफ टाइम पर नहीं मिलेगा। स्टाफ मिल गया और अगर टायलेट में जाएंगे तो न बीमार होने वाला भी बीमार हो जाएगा। आज जो ग्रामीण सेवाएं हैं, अकाल राहत मंत्रीजी परसादी लालजी जिले की मीटिंग में हों और सीकर का सी.एम.एच.ओ. खड़ा होकर यह कहे कि 80 प्रतिशत ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी हैडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं, यह सच्चाई है, चाहे हम कितना ही दबाएं। उनकी सेवाओं के ऊपर जितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका हम कितना उपयोग कर पाते हैं? बहुत-सी जगह हैं, जहां 1500 से 2000 की आबादी है, केवल एक ए.एन.एम. की पोस्ट है, वेतन वहां से उठाया जा रहा है और वह डाक्टर साहब के घर सेवा दे रही है। सेवा उस गांव के नाम से है और सेवा डाक्टर साहब के यहां कर रही है। वह खाना बना रही है, वह सेवा कर रही है। उसका प्राइवेट नर्सिंग होम है तो उसमें काम कर रही है। तो यह जो सेवा के नाम से राजस्थान की जनता का पैसा जा रहा है, कितनी सेवा हम दे पा रहे हैं? यह तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी। अभी हमारे विद्युत मंत्रीजी कह रहे थे सुमित्रा सिंह जी को, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या को कि सुझाव दीजिये। क्योंकि 54 साल के बाद भी जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो चिकित्सक है, उनकी स्थानान्तरण नीति स्थाई रूप से नहीं है। आज तय रूप से बढ़िया से बढ़िया पोस्टिंग वह पाएगा, जो जितने बढ़िया प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर पैसा कमाता है। क्यों नहीं स्थानान्तरण नीति स्थाई बनाएं, जैसा केन्द्रीय कार्यालयों में है? तीन साल के बाद में अपने आप मेंटली प्रिपेयर होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। उसकी उस तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं होगी। अगर 20 साल के बाद भी किसी डाक्टर को एक जगह से नहीं हटाएंगे तब तक उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जो कुछ राजस्थान की जनता का

(श्री अमराराम)

लाखों रुपया उसको बनाने में लगा है, 20 साल के बाद में उसकी प्रैक्टिस होगी, उसका जब आप स्थानान्तरण करेंगे तो तय रूप से वह स्थानान्तरण के स्थान पर नहीं जाकर वोलेंटियरिली रिटायरमेंट लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम चलाएगा। उस पर हजारों लाखों रुपये, करोड़ों रुपये हमने इंवैस्ट किये हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से हम जो सेवाएं, जो दवाइयां दे रहे हैं, वे कितनी आम जनता की सेवा के लिए पहुंच रही हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम है, टी.बी. 99 प्रतिशत उन लोगों को होती है जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं हैं और उसमें भी 57 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं होता है। जो मृत्यु के ग्रास हो चुके हैं उनको भी रिकार्ड पर दवाइयां देते रहे। अब जिस तरह से आपने प्रोग्राम बनाया है, शायद उनकी पोस्टिंग, उनके बैड आपने कम किये हैं। जिला अस्पताल में जाएंगे, जहां के आप रहने वाले हैं, वहां पर स्वास्थ्य कर्मी आपको जब तक पूरा डोज होगा, रोज आपको जाकर डोज खिलाएगा। जो स्वास्थ्य कर्मी अपनी ड्यूटी पर 30वें दिन जाकर वेतन ला रहा है, उस टी.बी. के मरीज को दवाई खिला देगा क्योंकि पहले तो वह गरीब है, वह समझता नहीं है। हमारे स्वास्थ्य विभाग और मंत्रीजी को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। केवल यही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी संख्या, 20-30 प्रतिशत से ज्यादा राजस्थान की वह जनता है जो आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ती नहीं है, बल्कि आज भी अंधविश्वास के कारण, सामंती सोच के कारण अपनी बीमारी का इलाज जादू टोना से झाड़फूंक से, डोरा से कराते हैं। आप अंदाजा कीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, जो स्नेक बाइटिंग का केस है उसको भी गोगामेड़ी में ले जाकर खड़ा करते हैं कि गोगाजी उसका जहर उतार देगा। टाइफाइड का डोरा होगा। 54-55 साल की आबादी के बाद यह चिकित्सा विज्ञान इतना बढ़ा है, उन लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए हमारा विभाग क्या कर पाया है? टी.बी., टाइफाइड, स्नेक बाइटिंग का हम इलाज नहीं करवाते हमारे रूढ़िवादी सोच के कारण से। उस सोच को वैज्ञानिक सोच में बदलने का हमारा विभाग अगर काम नहीं करेगा तो तय रूप से जो कुछ भी स्वास्थ्य सेवा हम देना चाहते हैं, वह सेवा उन तक नहीं पहुंच पाती है। उसका नतीजा होता है जो नीमहकीम की बात चली है। आयुर्वेद चिकित्सकों के बारे में तो मैं नहीं कहता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जो आठवीं पास नहीं है, वह आदमी स्टेथस्कोप लेकर इंजेक्शन लगाता है। अभी कार्यवाही दो दिन पहले शुरू हुई और मंत्रीजी ने वापस ड्रोप कर दी। राजस्थान की 78 प्रतिशत जनता के साथ में चिकित्सा के नाम पर खिलवाड़ करते हैं और 80 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों के ग्रामीण सेवा में उपस्थित नहीं रहने के कारण से यह होता है। किन्तु इस बात के

(श्री अमराराम)

लिए स्थाई रूप से नियंत्रण हम नहीं करेंगे, उनकी सेवाओं के लिए चैकिंग नहीं करेंगे। राजनैतिक हस्तक्षेप है। जिनकी राजनैतिक पहुंच है उनको ड्यूटी देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उपस्थित होकर लोगों की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, राजनेताओं को खुश करने की आवश्यकता है। इसलिए आज इस स्वास्थ्य के क्षेत्र को हम राजनीति में घसीटेंगे। जिन स्वास्थ्य सेवाओं पर 1054 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं, अगर हमारा दृष्टिकोण जनता की सेवा की भावना का नहीं होगा, आम जनता को हम आगे ले जाने का काम नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ऐसी विडम्बना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र लोसल है, जिसमें सात साल से डार्क रूम बन गया, एक्स-रे की मशीन चली गई लेकिन आज तक रेडियोग्राफर नहीं गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक फतेहपुरा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है, उसके लिए तीन साल से लगातार प्रश्न पूछ रहा हूं कि इसकी बिल्डिंग जो बनी हुई है वह गिर गई, इसको वापस बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर मिलता है कि वह भवन ग्राम पंचायत ने बनाया था। कोई गुनाह कर दिया? अगर उसने बिल्डिंग कमजोर बनाई है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। लेकिन पी.एच.सी. में लाखों रुपये राजस्थान की जनता का जा रहा है। वहां भवन गिर गया और उसको विभाग इसलिए तैयार नहीं करवाता उसे ग्राम पंचायत ने बनाया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है।

जो हमारे यहां पर एक-एक पैसों के लिए इतना काम हो रहा है, आज स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक मुद्दा, उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दा मैं आपके सामने, मंत्री महोदय के सामने और हाउस के सामने लाना चाहता हूं। हम धूम्रपान की बात करें, गुटखे की बात करें लेकिन राजस्थान में पिछले दो साल में आपने देखा होगा कि नकली घी बनाने वाले रोज पकड़े जाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले रोज पकड़े जाते हैं। नकली घी बनाने वाले जयपुर में पकड़े जाते हैं, सरदारशहर में पकड़े जाते हैं और पकड़ करके न्यायालय में नहीं जाता, उससे पहले दूसरे दिन जमानत कराके आ जाता है। जो राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें, नकली घी बनाने वाले, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले सबसे बड़े अपराधी हैं, वे केवल एक दिन में अगर जमानत पर आ जाते हैं तो हमारी सरकार को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिये। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपना धन प्राप्त करने के लिए राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, नकली घी बनाते हैं, मिलावट करते हैं, उनके खिलाफ ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि उनको कई महीनों तक जेल में भी रहना पड़ेगा। तब जाकर इसे उपयोगी बना सकते हैं, हम इस स्वास्थ्य

(श्री अमराराम)

को आगे बढ़ा सकते हैं। नकली घी बनाने वाले कौन हैं? बड़े बड़े लोग हैं। राजस्थान में बहुत बड़े, खाते-पीते लोग हैं, वे कोई भी सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पताल में वह जाएगा जो सबसे गरीब है और उसकी सेवाओं को हम सही रूप से नहीं कर पाएंगे। हमने स्वास्थ्य की सेवाओं का बहुत विस्तार कर दिया लेकिन बड़े बड़े हमारे अधिकारी या हमारे राजनेता अगर बीमार होंगे तो कोई भी एस.एम.एस. में इलाज नहीं करवाएगा। कोई दिल्ली जाकर कराएगा, कोई अमेरिका जाकर कराएगा। हमने स्वास्थ्य सेवाओं का इतना विस्तार कर दिया है, लेकिन हमें खुद का इलाज करना है तो राजस्थान में इलाज कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। राजस्थान में इलाज वह कराता है जिसकी क्षमता नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता का 1054 करोड़ 56 लाख रुपया जो इस मांग के द्वारा आप पारित करेंगे, उस एक-एक पैसे का उपयोग हो, सेवा के माध्यम से जिन लोगों को पैसा मिल रहा है वे लोग सेवा पूरी दें। इसका इंतजाम जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं, केवल हम यहां भाषण दे लें, इससे काम नहीं चलेगा। इस सेवा के कार्य में जितने लोग हैं उनको हम सेवा भाव के लिए किस तरह से आगे ला सकते हैं, इसका हमें लगकर प्रयास करना चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट। श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री देवीसिंह : उपाध्यक्षजी, मेरे को भी समय दो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, देता हूं, बिराजें आप। बुलाता हूं, आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनका जरूरी है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, जरूरी है, सब की जरूरी है।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर एक महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा-कोटड़ा की ज्वलंत समस्याओं की ओर अपने उदगार अभिव्यक्त करना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार ने चिकित्सा और शिक्षा पर ध्यान देते हुए राजस्थान जगत में जो आमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा अपने हाथ में उठाया है उससे जाहिर होता है कि दूर-दराज के क्षेत्र में एक नये परिवर्तन के साथ में और नये आयामों के साथ में विकास की गति को बढ़ावा मिला है। दूर-दराज के क्षेत्र कोटड़ा में विगत वर्ष मेवाड़ों का मठ जैसे एरिये में एक हादसा-सा हुआ और बीमारी का प्रकोप फैला। उस प्रकोप की पत्रिका में न्यूज छपने के साथ

(श्री मांगीलाल गरासिया)

ही, मैं यह कहूंगा कि संवेदनशील होने के नाते माननीय मुख्य मंत्रीजी मौके पर स्वयं पधारे और उस मेवाड़ों के मठ डांग क्षेत्र का व्यक्तिगत जायजा लिया। उससे यह साबित होता है कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, इसीलिए उनके साथ में माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी, समाज कल्याण मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी ने आकर उस एरिये की सुध लेने का काम किया। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के कई सदस्य और प्रतिपक्ष के लोग यह मजाक उड़ाया करते थे कि केवल कुछ मौतें जो हुईं वे भुखमरी के कारण हुईं। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था, यह केवल अफवाहों का बाजार उड़ा रखा था। पर उस पर भी काबू करने का राजस्थान सरकार ने काम किया।

मैं यह भी कहूंगा कि आगामी वर्ष में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाओं पर 1054 करोड़ 56 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है, इससे पूरे राजस्थान में चिकित्सा जगत में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा और उससे कई लोगों को राहत भी मिलेगी। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से बहुत बड़ा फायदा आदिवासी अंचल में रहने वाले उन लोगों को मिलेगा जिनके लिए इस बार दस करोड़ का प्रावधान किया है। असाध्य रोगों का समाधान करने में यह एक बहुत बड़ा पहलू है जिससे कि उनको सहायता मिलेगी और उन लोगों के लिए एक नया जीवन संसार अपने आप में शक्ति द्योतक के रूप में काम करेगा।

जनसंख्या नियंत्रण का सवाल आया, माननीय रामस्वरूपजी मीणा ने अपनी बातों को विस्तृत व्याख्या के रूप में कहा है। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता पर मैं यह जरूर कहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में परिवार कल्याण के अन्तराल साधनों का वितरण, स्थायी साधन अपनाने हेतु विवाहित दम्पतियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जो 20 हजार अतिरिक्त जन मंगल जोड़ों को प्राथमिकता दी है उससे यह साबित होता है कि वास्तव में आपके विचारों और कार्यों के सामंजस्य से जन-जन तक ये भावनाएं पहुंचेगी और परिवार कल्याण को एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। यही नहीं राजीव गांधी जनसंख्या मिशन के आधार पर फिर राजस्थान की सरकार ने एक नयी पहल की है जिससे कि परिवार कल्याण में एक बहुत बड़ा काम इन मिशनों के माध्यम से होगा और गांव और ढाणियां में जन-जन का आधार बनकर राष्ट्रीय कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहूंगा कि गरीबी देखी जा सकती है, परन्तु उसकी पीड़ा उसे महसूस करने से ही जानी जा सकती है।

सभापति महोदय स्वतंत्रता के बाद से देश में इलाज की कीमतें गरीबों की पहुंच के बाहर रही हैं, हालांकि दो महत्वपूर्ण कानूनों से दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली थी। 1970 के पेटेंट कानून तथा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश

(श्री मांगीलाल गरासिया)

1978 ने दवाओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाई, लेकिन 1994 की नई औषधि नीति तथा 1995 के नये औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के नियंत्रित मूल्य वाली दवाओं की संख्या कम कर दी तथा दवा निर्माताओं को मूल्यों में मनमानी वृद्धि करने की छूट दे दी जिससे कि बहुत बड़ा भार उन गरीबों पर हुआ। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, इसके बाद में कई दवाओं के मूल्य 60 प्रतिशत तक बढ़ गये। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस पर ध्यान देकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके जो दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं उसमें कमी करने में पीछे नहीं रहेंगे।

मैं दूसरे और अंचल की बात कहूं उससे पहले कहना चाहूंगा कि जहां तक बी.पी.एल. के भाइयों की बात है, बी.पी.एल. के सर्वे में बहुत बड़ी कमीबेशी हुई है। कई भाई चिन्हित होकर बी.पी.एल. की लिस्ट में जुड़े हैं, परन्तु कई ऐसे भी व्यक्ति हैं कि बी.पी.एल. परिवार के होते हुए भी चयनित लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि ऐसे भाइयों को भी फायदा मिले और अपने जीवन में जो वंचित रहे हैं बी.पी.एल. लिस्ट में नाम जुड़ने से, उनको बढ़ावा मिले। ऐसे ही 23 लाख 10 हजार चयनित परिवार के सदस्यों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड वितरित किये गये हैं और उसके तहत ही अब तक लगभग 11 लाख 91 हजार व्यक्तियों को दो करोड़ 77 लाख रुपये की निःशुल्क दवाइयां

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वितरित की गई हैं। मैं माननीय उपाध्यक्षजी, केवल 295 पर ही बोलने का करता हूं, मैं पहली बार आपके सामने बोल रहा हूं। मैं केवल चन्द मिनट में अपनी बात को कह रहा हूं, केवल चन्द मिनट में।

(20.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : अपने क्षेत्र की बात कह दो, क्षेत्र की है तो। यह तो सब जानते हैं।

श्री मांगीलाल गरासिया : मैं थोड़ी बात अपनी ओर से जोड़ते हुए कहना चाहूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : कभी-कभी बोलते हैं, बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : अपने क्षेत्र की बात कहो न कि शफाखाना खुलाना है, कुछ करना है।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा टाइम इनको दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : आपका टाइम ही नहीं है, क्या देवें?

श्री संयम लोढ़ा : मेरा कटमोशन है, कैसे टाइम नहीं है? साहब, मेरा कटौती प्रस्ताव है उसका टाइम है, कैसे नहीं है? लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपा कर इन्हें बोलने दें।

श्री मांगीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि ऐसे ही बी.पी.एल. के जो लोग वंचित रहे हैं वे जुड़ कर फायदा ले पाएंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात और कहूंगा। यह विधान सभा क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु है और केन्द्र बिन्दु के नाते मैं जरूर कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए आप जयपुर के लिए एम.एल.एज. हैल्थ क्लब स्थापित कराने की कृपा करें और उसमें ऐसी-ऐसी मशीनें लगाने का काम करें जिससे हमारे कई काम करने वाले भाई जिनका मोटापा बढ़ रहा है और जिनका वजन बढ़ रहा है उनके स्वास्थ्य में सुधार आए।

मैं अब थोड़ा निवेदन मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटड़ा गोगुन्दा की ओर करूंगा। कोटड़ा तहसील हैडक्वार्टर पर एक्स-रे मशीन काफी समय से खराब पड़ी है। मैं कहूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस पर ध्यान देकर उसे ठीक कराने का काम और आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों के उद्धार करने का काम करें। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि देश में औसतन प्रति 912 व्यक्तियों पर एक डाक्टर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख की जनसंख्या के लिए केवल 47 डाक्टर तथा 36 नर्सेज हैं। इस अनुपात को देखते हुए ग्रामीण अंचल में बहुत कम डाक्टर लगे हैं और नर्सेज भी कम हैं। कई पोस्टें वेकेंट हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आप बढ़ावा देने का काम करेंगे, रिक्त स्थानों को भरने का काम करेंगे तो उस अंचल में बहुत बढ़ावा मिलेगा।

आपने दो सौ सब सेंटर्स अपग्रेडेड सब सेंटर में कायम करने के लिए प्रोविजन किया है बजट में, मैं कहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इसको बढ़ा करके कम से कम चार सौ सब सेंटर्स अपग्रेडेड सब सेंटर्स में परिवर्तित करें जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, उन्हें फायदा हो सके।

मैं इसी सन्दर्भ में अपने पाइंट को कहते हुए पी.एच.सी. पदराला को रैफरल होस्पिटल का दर्जा देने के लिए भी निवेदन करता हूं। इसके अलावा पंचायत मुख्यालय जसवंतगढ़, छोरबावड़ी और दूरदराज क्षेत्र की पंचायत कडेश, गोगुन्दा, कुर्रा बोखाड़ा का, हायला में भीष्मा पंचायत और उंड़ीथल छाली, वहां पर नये उप स्वास्थ्य केन्द्र अगर खुल जाते हैं तो वहां के लोगों को और उनके साथ ही जो 18-20 किलोमीटर दूरदराज के एरिये में रहते हैं उनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी के साथ पंचायत समिति कोटड़ा में छापाकैनाल, सिवडिया, मालवाचरम का मामला और आमरी, समीजा, जैकुड़ा, पड़ावली खुर्द, तिलोई मेरपुरका जो वास्तव

(श्री मांगीलाल गरासिया)

में दूरदराज अंचल है, इनमें नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलते हैं तो लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

दूसरा, मैं निवेदन करूंगा कि देश में प्रति वर्ष तपेदिक (टी.बी.) से पांच लाख लोग मर जाते हैं और 6 लाख महिलाएं असुरक्षित गर्भपात तथा प्रसव से मर जाती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे दूरदराज के क्षेत्र जहां पर 18 से 20-20 किलोमीटर तक कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं है और न ही कोई पी.एच.सी. है, ऐसी स्थिति में छितरावास पंचायत मुख्यालय पर मातृत्व प्रसव एवं शिशु कल्याण केन्द्र यदि खुल जाता है तो वहां लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

आयुर्वेद औषधालय की बात आयी है तो मैं निवेदन करूंगा कि "ए" श्रेणी का आयुर्वेद औषधालय सायरा में डोनेशन से तैयार होकर अच्छा काम कर रहा है और वह भवन निर्माण करने का काम कर रहा है। उसे मैं परिवर्तित करने का निवेदन करूंगा कि यह काम होवे। इन्हीं शब्दों के साथ दूरदराज के क्षेत्र में रिक्त स्थानों को भरने, गोगुन्दा तहसील हैडक्वार्टर पर कोई डाक्टर एवं नर्सेज नहीं रहने के कारण कई समस्याएं आती हैं, इनके लिए मैं जरूर निवेदन करूंगा कि रिक्त पदों को भरने में आप अहम भूमिका निभाते हुए कामों में सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मांग सख्या 26 पर जो चर्चा हो रही है, यों मान लो कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो मनुष्य जीवन की मूलभूत समस्या है, इस समस्या पर जो चर्चा हो रही है उस पर करीब-करीब सभी जने बोल चुके हैं और अब लास्ट में मेरा मौका है। गरीबों की योजनाओं के बारे में और बीमारी के बारे में स्वास्थ्य मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान देकर जो व्यवस्था की, वह सबके सामने है। माननीय अध्यक्षजी, जो आदमी गरीब से गरीब है और किसी भी प्रकार की बीमारी हो गयी, चाहे फेफड़ों की है, चाहे वाल्व की है, चाहे टी.बी. की है और वो इलाज नहीं करा सके, उनकी शक्ति नहीं है तो मुख्य मंत्री कोष के अन्दर चाहे उसका लाख रुपया, चाहे पचास हजार रुपया...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो शाहपुरा के डाक्टर की कह दो बस, बात खतम हो जाएगी।

श्री देवीलाल बैरवा : नहीं हुकुम, वो भी निवेदन कर रहा हूं, पर दो-तीन शब्द तो यह भी कह दूं। यह जो व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है यह गरीबों की व्यवस्था है इसमें सराहने लायक काम है। दूसरी बात है कि, जो गरीब से गरीब आदमी

(श्री देवीलाल बैरवा)

थे, दवाइयां नहीं खरीद सकते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी और वो कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते थे, उनके बारे में उनको कार्ड बनाकर दिया। आज कार्ड पेश करते ही उनको दवाइयां मिल रही हैं और उनकी दवाइयों की व्यवस्था हो रही है। उनके टी.बी. की बीमारी है या किसी के छोटी-मोटी बीमारी है तो उन लोगों के इलाज हो गया, उनकी व्यवस्था ठीक हो रही है। वो भी एक सराहने लायक काम है। जो भी काम सरकार कर रही है। इस वक्त में गरीबों की अच्छी सेवा के रूप में कर रही है।

मैं एक-दो बात और निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पूर्व में बोलने वाले ने भ्रष्टाचार की बात बहुत की कि नकली दवाइयां हैं, लेन-देन है। डाक्टर की सेवा के वास्ते भी यह बात आयी। यह सेवा तो नहीं है, पर वह भ्रष्टाचार में ही आता है। भ्रष्टाचार मेरी सोच में यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी ये भ्रष्टाचार की योजनाएं हैं वो इस तरफ ऊपर से जाती हैं गांवों में और जितना भी विकास का काम है वह उस तरफ गांवों में आता है। स्कूल खोलनी है तो प्रस्ताव उस तरफ, तालाब बनाना हो तो प्रस्ताव उस तरफ, सड़क बनानी हो तो प्रस्ताव उस तरफ जो भी काम करना हो शफारखाना खुलाना हो, तो प्रस्ताव उस तरफ और भ्रष्टाचार, भूख और महंगाई ये तीनों चीज इस तरफ जाती हैं, ऊपर से जाती हैं। इसको इस तरफ ही रोक दें, उस तरफ न आवें, यह मेरी मान्यता है। अब इसका अलग-अलग तीनों का विवरण करें तो टाइम लगेगा, पर मैंने यह इतनी ही बात निवेदन कर दी।

यों मान लो कि मुझे तीन वर्ष और कुछ दिन हो गये, चार डाक्टर की पोस्टें तो शाहपुरा में खाली पड़ी हैं। फूल्या के अन्दर पहले तीन थे जो एक को तो कम कर दिया और बाद में रहे दो। दो रहे तो शाहपुरा के अन्दर ज्यादा तकलीफ हुई और लोग बार-बार मेरा घेराव करते। मैं मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को बार-बार लिखकर देता कि यहां मेरा घेराव करते हैं। वहां दो-तीन लड़कियों की मौत हो गई, उनका कुछ इलाज नहीं हो सका क्योंकि उस रोग के डाक्टर वहां नहीं थे। भीलवाड़ा जाते हुए रास्ते में मौत हो गई। उन लोगों ने शाहपुरा में मेरा घेराव किया। जनता पार्टी के 10-15 लोगों ने इकट्ठे होकर मेरे आगे आकर मेरा घेराव किया। बाजार में मेरा घेराव किया हास्पिटल में मैं देखने गया तो वहां मेरा घेराव किया डाक बंगला में और पंचायत समिति में भी घेराव किया। मैं बार-बार लिख कर देता लेकिन मंत्रीजी ने मेरी यह व्यवस्था नहीं की।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, कोटिया में तीन पंचायतों में एक डाक्टर काम कर रहा है, उसको भी आपने हटा दिया। उन तीनों पंचायतों के आदमी इकट्ठा

(श्री देवीलाल बैरवा)

होकर मेरे घर आये। मैंने चाय भी नहीं पी थी उससे पहले वे घर आ गये। मैंने कहा कैसे पधारे, उन्होंने कहा कि तीन पंचायतों में एक डाक्टर काम कर रहा था उसको भी हटा दिया। मुझे साथ के साथ लेकर यहां आये और मैंने मंत्रीजी को लिख कर दिया। मंत्रीजी ने मना कर दिया कि नहीं, उसकी तो यहां पोस्ट ही नहीं है। मैंने कहा कि जब पोस्ट नहीं है तो पहले कैसे लगा रखा था? उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी पोस्ट नहीं है और इसका तबादला कैंसिल नहीं हो सकता। मैंने कहा कि यह पोस्ट यहां नहीं है तो हमारे शाहपुरा में चार पोस्टें खाली हैं, आप उसको वहां लगा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पर भी नहीं लगाएंगे। मैं वापस चला गया। लोग वापस आये तो मैं वापस उनके साथ जयपुर आया। जयपुर आकर मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया। भागदौड़ करने पर उसको तो वहां रख दिया। फूल्या में एक ही डाक्टर था उसको शकरगढ़ लगा दिया। वहां तीन डाक्टर थे अब एक भी डाक्टर नहीं है। वहां अभी एक नेत्र चिकित्सा का शिविर था, वहां डेढ़ सौ आदमियों का आपरेशन हुआ। फूल्या पी. एच. सी में 15 गांव आते हैं, वहां उन 15 गांवों के करीब 200 मरीज थे। और कई लोग उनके साथ थे, इस तरह 400 लोग थे। 400 लोगों ने मेरा घेराव किया। उन्होंने कहा कि साहब एक डाक्टर यहां था जिसका भी तबादला शकरगढ़ कर दिया गया। उसके बारे में मैंने लिखा-पढ़ी भी की और आज मंत्रीजी से कह रहा हूं कि हमारी फूल्या की पोस्ट तो वापस भर दीजिए। वहां पर सर्जन और हड्डी के डाक्टर की पोस्टें भी भर दीजिए। कोटड़ी की भी पोस्ट खाली पड़ी हुई है उसको भी भरने की कृपा करें। वहां काम करने वाला डाक्टर कोई नहीं है। हमारे क्षेत्र में और किसी का डर नहीं है, चाहे रात में थैला लेकर घूमो या दिन में घूमो। लोग कुछ नहीं कहते, कोई भी मांग नहीं करते। पर डाक्टरों के बारे में मेरा घेराव करते हैं। डाक्टरों के मामले में मैं दुःखी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 10 साल पहले भी एम.एल.ए. रहा हूं, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अबकी बार मंत्रीजी ने डाक्टरों के मामले में मेरा काम नहीं किया। मंत्रीजी, मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेरा काम नहीं किया तो भगवान आपको सोने नहीं देगा। मैं सीधा-सादा आदमी हूं और बार-बार आता रहा हूं। भ्रष्टाचार के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई भ्रष्टाचार की बात।

श्री देवीलाल बैरवा : आज जो डाक्टर गलत काम कर रहा है और अच्छी सेवा नहीं कर रहा है, अभी यहां सब अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी सही काम कर रहा है, चाहे वह थाने में, चाहे तहसील में, चाहे डाक्टर साहब हो, चाहे पटवारी साहब हो, चाहे

(श्री देवीलाल बैरवा)

सिंचाई विभाग में हो, चाहे बिजली विभाग में हो वह अधिकारी तो दुःख पाता है। तबादला होता है तो अच्छे काम करने वाले का होता है। चार्जशीट भी उसको मिलती है जो सही काम कर रहा है, यह मेरा अनुभव है। और जो भ्रष्टाचार कर रहा है, लूट-खसौट कर रहा है और टाइम पर काम नहीं करता है, टाइम पर ड्यूटी पर नहीं आता है उसका प्रमोशन होता है। सब जगह भ्रष्टाचार है। सही काम करने वाले अधिकारी तो दुःखी हैं। चाहे वह छोटा कर्मचारी हो, अगर सही काम कर रहा है तो वह दुःखी है और जो समय पर काम नहीं कर रहा है और लूट-खसोट कर रहा है और ऊपर के अधिकारियों से मिला हुआ है उसका न तो तबादला होता है और न उसको चार्जशीट मिलती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हो रहा है। मेरी आपसे विनती है कि हमारे यहां जो दो खाली पोस्टें हैं उनको भर दीजिए। वहां एक तो हड्डी और एक सर्जन की जरूरत है। कोटड़ी और फूल्या में एक-एक डाक्टर देने की कृपा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल गुर्जर।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में चिकित्सा मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले मेरे ही सर्कल में जो कमियां हैं उनकी मांग करना चाहता हूं।

आसीन्द में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में वहां पर एक्स-रे मशीन, ई.सी.जी. मशीन सब उपलब्ध थीं और बहुत बढ़िया नई तकनीक का आपरेशन थियेटर भी बना हुआ है। लेकिन वहां पर लम्बे समय से एक सर्जन की पोस्ट वंचित चल रही है जिससे आपरेशन वगैरह के काम नहीं हो पाते हैं। एक गायनिकालोजिस्ट की पोस्ट अभी वर्तमान मंत्री जी ने दी है, उसके लिये मेरी ओर से हार्दिक आभार। लेकिन 8 महीने हो गये, अभी तक वह पोस्ट भरी नहीं गयी है। अतः गायनिकोलोजिस्ट की पोस्ट अविलम्ब भरी जाए, यह वहां की महती आवश्यकता है। वहां एक लैब टैक्नीशियन की भी कमी है, छोटी-मोटी जांचें करने में भी समस्या आती है। अभी गवर्नमेंट ने जो नीति बनाई है कि उप खण्ड कार्यालय पर ब्लड बैंक खोला जाए, मेरे हिसाब से यह नीति गलत है। आसीन्द 60 किलोमीटर दूर है, भीलवाड़ा जाओ चाहे, इधर ब्यावर जाओ, 60 किलोमीटर की दूरी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को छोड़ कर कोई दूसरा आपरेशन सम्बन्धी हास्पिटल नहीं है। आपने अभी ब्लड बैंक उपखण्ड कार्यालय पर किये, उदाहरण के तौर पर गुलाबपुरा को ही ले लीजिए,

(श्री रामलाल गुर्जर)

गुलाबपुरा के बाद 5 किलोमीटर बाद ही विजयनगर आ जाता है। यह उपखण्ड कार्यालय की नीति न जाने आपने कहां से लाकर फिट की है, मेरे हिसाब से यह अनुचित है। दूरी के लिहाज से और जहां पर आवश्यकता हो वहां पर ब्लड बैंक खोला जाए। मेरा निवेदन है कि आसीन्द में ब्लड बैंक की स्थापना की जाए।

दूसरी बात, कई योजनाएं हैं गांवों के लिये, लेकिन जीप नहीं होने की वजह से डाक्टर लोग अमूमन फील्ड में ज्यादा जाते नहीं हैं, जबकि करीब सवा दो सौ गांव हैं। इसलिए एक जीप की व्यवस्था भी कराई जाए। दूसरी बात, कालयास गांव में भारतीय जनता पार्टी के शासन में नई पी.एच.सी. खोली गई जिसकी बाउण्डरी वगैरह तो बन गई लेकिन भवन अभी तक नहीं बना है, करीब तीन साल का टाइम हो गया। इसलिए वहां पर भवन बनाया जाए। जैसा कि मंत्री महोदय को मालूम है वहां पूर्व में जयपुर की कोई लेडी डाक्टर थी वह रहती नहीं थी उसकी वजह से एक-दो बार पहले भी सी.एम.एच.ओ. साहब से कहा, लेकिन उन्होंने समय पर ध्यान नहीं दिया और वहां पर मलेरिया की बीमारी हो गई। मलेरिया से 6 आदमियों की जाने गई हैं। मंत्री महोदय को भी मालूम है, जिला कलक्टर को भी मालूम है। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था। जो 6 व्यक्ति मरे हैं चाहे मुख्य मंत्री सहायता कोष से उनको मुआवजा राशि दी जाए, चाहे चिकित्सा विभाग उनको मुआवजा दे, मुआवजा देना नितान्त आवश्यक है। हमारे सर्कल में एक पाटन ग्राम है जहां पर पी.एच.सी. का होना बहुत ही जरूरी है लेकिन वहां पर ए.एन.एम. सेन्टर ही है। यहां पर पी.एच.सी. खोली जाए। दौलतगढ़ एक बड़ा सेन्टर है जहां पर एक डाक्टर ही है, लेडी डाक्टर नहीं है। तो लेडी डाक्टर की एक नई पोस्ट क्रीएट की जाए। दूसरा, अन्टाली पी.एच.सी. है लेकिन लम्बे समय से वहां पर डाक्टर नहीं है इसलिए डाक्टर की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में लम्बे-चौड़े, सब सेन्टर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हैं। कांग्रेस शासन में जैसा कि पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया था, 17 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और 15 उप केन्द्र खुले हैं। मुख्य मंत्रीजी खुद ही खोलने वाले हैं और चिकित्सा मंत्रीजी खोलने वाले हैं, दोनों मिलकर यह बंटवारा करें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम चाहे एक-एक सेन्टर ही आए, जितना आए सबको देना चाहिए। एक तरफ 44 केन्द्र अकेले जोधपुर की ओर खोल लिए और 17 आपने ले लिए तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बंटवारे में तो न्याय होना

(श्री रामलाल गुर्जर)

चाहिए। यह नहीं हो कि पावर अपने पास है जिसका अपन ही उपयोग कर लें। जनहित में होना चाहिए।

दूसरी मांग है कि आसीन्द में आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है, तहसील, हैडक्वार्टर है। जिले में दूसरी जगह आयुर्वेदिक औषधालय है, जबकि आसीन्द में आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है। इसलिए आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाए। दूसरी बात है कि आयुर्वेदिक औषधालय में जो पद खाली हैं उन्हें भरा जाए। ज्यादातर दवाइयां नहीं आती आयुर्वेद औषधालयों में, दवाइयों की कमी है। दवाइयों की कमी दूर की जाए।

दूसरी बात अभी बता रहे थे कि एलोपैथी वाले आयुर्वेदिक दवाई नहीं लिख सकते और आयुर्वेदिक वाले एलोपैथिक दवाई नहीं लिख सकते। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं जो एलोपैथी वाले भी लिखते हैं और आयुर्वेद वाले भी लेते हैं। जैसे हैनीक्स खांसी की दवाई है, यह एलोपैथी भी लिखते हैं और आयुर्वेदिक भी लिखते हैं। जो फायदे की चीज है वह तो लेंगे ही, इसमें ऐसी कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। आपने 1 जून, 2002 को जनसंख्या सम्बन्धी कानून बनाया, अच्छी बात है, जनसंख्या वृद्धि के लिए कानून तो होना चाहिए। मेरा जनरल आइडिया है और आप सबको भी जनरल आभास है कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाहता लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। जैसे मान लें, किसी के बच्चा नहीं हुआ, एक-दो-तीन रैगुलर वे में बच्चियां होती जाएंगी तो उसके दिमाग में रहेगा कि मेरे बच्चा कब हो। जब बच्चा हो जाएगा तो चाहे उसके बाद नसबन्दी की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन बराबर जिसके बच्चियां होती जाएंगी वह आपरेशन नहीं करवाएगा। यह प्रैक्टिकल है। कथनी और करनी में हमेशा फर्क नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी छूट होनी चाहिए कि एक बच्चा हो, एक बच्ची होने के बाद चाहे आपरेशन करवा लें। लेकिन बच्चा नहीं होगा वहां तक अमूमन लोग आपरेशन नहीं करवाते हैं। जबरदस्ती करवा भी लेते हैं तो यह नाराजगी का सौदा है, यह कोई फायदे का सौदा नहीं है।

दूसरी बात, भ्रूण परीक्षण बन्द होना चाहिए, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में महिलाओं की कमी हो जाएगी और एक नया विवाद नया संकट आएगा। इसलिए भ्रूण परीक्षण बन्द हो सख्ती से इसका कानून बने। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो सवाल ही कह रहा हूं कि दो बच्चियां हैं और लड़का नहीं है, अगर आदमी आपरेशन करवा लेता है तो आदमी और औरत के बीच झगड़ा हो जाता है। अगर औरत आपरेशन करवा

(श्री देवीलाल बैरवा)

ले तो उसका पति लड़ता है। तो दो बच्चियां और एक बच्चा तो होने दीजिए। तीन तो होने दीजिए। (व्यवधान) तीन तो रखिए।

श्री रामलाल गुर्जर : दूसरी बात यह है कि डाक्टर की पोस्ट पर 8000 रुपये पर ठेका पद्धति पर रखने का है, मेरे हिसाब से यह उचित नहीं है। कारण कि लोगों को विश्वास नहीं आएगा कि यह डाक्टर तो ठेके का है। उनको इलाज कराने में भी विश्वास नहीं आएगा कि यह तो ठेके का डाक्टर है। दूसरी ओर डाक्टर भी उतना विश्वासपात्र नहीं मिलेगा, क्योंकि वह देखेगा कि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी अलग से चलती जाए और इधर 800 रुपये का भी काम है। आप जब उनको छोड़ेंगे तो दूसरा डाक्टर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ठेका पद्धति वाला काम उचित नहीं है।

दूसरा, नीम-हंकीमों वाली बात पूर्व में काफी माननीय सदस्यों ने कह दी है। बंगाली डाक्टर हर जगह पर मौजूद मिलेंगे। चाहे इनके पहनने के लिए चड्डी बनियान नहीं हों लेकिन बंगाली डाक्टर जरूर बन जाएंगे। दूसरी बात यह है, लोगों को प्रलोभन कैसे देते है? कि दूसरे डाक्टर साहब को तो टाइम नहीं मिलता है और इनको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है। लोगों को चाय-पानी पिलाना, बैठाना, विश्वास जीतना और अच्छी मीठी-मीठी बातें करना। इलाज तो नहीं हो लेकिन भोली भाली पब्लिक का धन चला जाएगा। इसलिए इस पर सख्त पाबन्दी होनी चाहिए, बंगाली डाक्टर वगैरह पर। आपने मुझे समय दिया इसके लिए हार्दिक आभार, जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : बेनीवालजी, आप एक मिनट बोलना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, मैं भी अपने आपको इनमें शामिल करते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र काफी ऐसे हैं जिनका सरकारी भवन नहीं बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के लिए भवन निर्माण करवाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छानीबड़ी में पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, वह बिल्डिंग काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है, अतः उस बिल्डिंग की मरम्मत कराई जाए।

(श्री संजीव कुमार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय भादरा में एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से मरीजों को दूसरी जगह स्थानान्तरित करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ राजकीय चिकित्सालय भादरा में एक्स-रे की मशीनें काफी पुरानी है, वे भी ज्यादातर खराब रहती है। अतः मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजकीय चिकित्सालय भादरा में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए और नई तकनीक की आधुनिक एक्स-रे मशीन स्थापति की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय चिकित्सालय भादरा में अभी 18-20 लाख का एक नेत्र वार्ड का निर्माण तो कर दिया गया है लेकिन वहां नेत्र चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही साथ दूसरे आपरेशन थियेटर भी विश्व बैंक की सहायता से बना दिए गये हैं लेकिन कोई सर्जन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजकीय चिकित्सालय भादरा में एक सर्जन, एक नेत्र चिकित्सक, आर्थोपेडिक्स यानि हड्डियों के डाक्टर की और गायनिकोलोजिस्ट डाक्टर की व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भादरा विधान सभा क्षेत्र के शहरी और देहात क्षेत्र में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों और ए.एन.एम. आदि के काफी पद रिक्त हैं, कृपा करके लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन विभिन्न रिक्त पदों को भरवाने की व्यवस्था करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय चाहिए। (व्यवधान) दो मिनट का समय चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आयुर्वेद मंत्रीजी का जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : मेरे हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : 3-4 साल से लेडी डाक्टर नहीं है। (व्यवधान) बार-बार मंत्री से निवेदन करने के बाद में अभी तक भी लेडी डाक्टर की वहां पर पोस्ट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : लेडी डाक्टर के लिए मैंने बार-बार निवेदन किया, साहब से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री नाथूलाल गुर्जर : स्वास्थ्य मंत्रीजी से बार-बार निवेदन किया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : वहां पर लेडी डाक्टर नहीं है, साहब। (व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्र में पूरे विधान सभा क्षेत्र में लेडी डाक्टर नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी ने आज सबसे अधिक समय लिया। इन सबको मिलाकर टाइम जोड़ो तो आपकी पार्टी ने...(व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : मुझे तो सिर्फ यह आश्वासन दिलवाएं कि वहां पर लेडी डाक्टर लग जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलने के सिवाए हमारे पास और है क्या? (व्यवधान) नहीं, क्या है हमारे पास? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं बार-बार निवेदन कर चुका हूं, मेरे यहां लेडी डाक्टर लगाई जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : पूरे विधान सभा क्षेत्र में लेडी डाक्टर नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : मुझे तो आश्वासन दे दीजिए कि कितने दिन में लेडी डाक्टर लग जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : आपके माध्यम से मुझे यह आश्वासन दिला दीजिए कि कितने दिन में हिण्डौली में लेडी डाक्टर लग जाएगी। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा...(व्यवधान) आप भी गए थे, धौलपुर होकर आए हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी, धौलपुर में भी आपने...(व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : लेडी डाक्टर नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नाथूलालजी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : आपसे जनता ने मांग की थी तो आपने कहा था कि आपके विधायक जी ने मुझसे नहीं कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम आपको इतना एडजस्ट करते हैं। 50 मिनट तो यह माननीय सदस्य बोले, 40 मिनट एक बोले, 10-10 और सारा समय... (व्यवधान) हम आपको एडजस्ट करते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कृपा करके दो मिनट का समय दीजिए। (व्यवधान) दो मिनट का समय तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हम आपको एडजस्ट करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम भी आपकी व्यवस्था को एडजस्ट करते हैं। आयुर्वेद मंत्रीजी नहीं है, आयुर्वेद की मांग नहीं रखी गई, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : बार-बार मैं लेडी डाक्टर के लिए मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके कोई एक सदस्य को बुला लीजिए। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले से एक भी नहीं बोला, मुझे कम से कम धौलपुर की बात तो कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई एक सदस्य बुला लीजिए। (व्यवधान) इन दोनों में से एक माननीय सदस्य को बुला लीजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : मुझे तो आश्वासन दिला दीजिए। (व्यवधान) हिण्डौली में लेडी डाक्टर की मांग है वह कब तक लग जाएगी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, वहां गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं। हिण्डौली स्वास्थ्य केन्द्र पर लेडी डाक्टर की पोस्ट 3 साल से आज दिन तक खाली है। गोठड़ा में डाक्टर नहीं है। तालेड़ा में लेडी डाक्टर आज 2 साल से नही है। हिण्डौली के स्वास्थ्य केन्द्र पर बिल्डिंग पूरी तरह खराब पड़ी हुई है, अभी जो वहां का कार्य चला था वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। उस बिल्डिंग को पूरा करवाया जाए। देवीजी का थाना में नया स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। ग्राम पंचायत मुख्यालय पेच की बावड़ी में स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। डी.डी.टी. का छिड़काव करवाया जाए, मलेरिया की

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

बीमारी बहुत ज्यादा तादाद में फैल रही है। ग्राम ओलिया, ग्राम पंचायत पगारा में एक ए.एन.एम. की पोस्ट बढ़ाई जाए। मुझे इतना ही निवेदन करना है। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद, जयभारत।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा टाइम नहीं है, हमें तो डिमाण्ड पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री...(व्यवधान) प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिर्फ मांग ही रखनी है। एक-एक सेंटेंस के अलावा... (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : मैं मेरे क्षेत्र के बारे में खाली...(व्यवधान) ज्यादा नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : सिर्फ एक, सिर्फ एक मांग करूंगा, सर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, आप तो हमारा खयाल रखो। इनके बोलने से कोई फायदा नहीं है। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : सिर्फ क्षेत्र के बारे में बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : सिर्फ मेरी एक मांग...(व्यवधान) मेरी एक मांग है, सर...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जब धौलपुर गये थे और सेपऊ का आपने दौरा किया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने दें, सुनिये। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : सेपऊ आपने मीटिंग ली, जब वहां की जनता ने आपसे मांग की थी कि हमारे वहां केन्द्र को क्रमोन्नत किया जाए तो सी.एच.सी. की मांग की थी...(व्यवधान) आपने कहा था...

श्री कन्हैया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : यह गलत बात है, इस तरह बोलेंगे, मानेंगे थोड़े ही। (व्यवधान) इनको पता...(व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : पहले तो बोले नहीं...(व्यवधान) बात क्या है...

एक माननीय सदस्य : बोलने दो, कोई बात नहीं। बोलने दो। कह दो, कह दो। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, सिर्फ एक मांग है कि जब आप धौलपुर पधारे थे तो आप जब सेपऊ तहसील पहुंचे, सेपऊ तहसील

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

धौलपुर से करीबन 24-25 किलोमीटर है और 10-10, 20-20 किलोमीटर चारों तरफ वह तहसील फैली हुई है तो धौलपुर आने में बड़ी परेशानी होती है। आपने तब कहा था कि आपके विधायक ने मुझे कभी नहीं कहा। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि सेपऊ तहसील में सी.एच.सी. शीघ्र खोलने की आप कृपा करें। धन्यवाद।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है खाली, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, हो गया बहुत। हो गया, प्लीज।

श्री कन्हैया लाल : मैं दो मिनट खाली, ज्यादा नहीं लूंगा, दो मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, यह गलत बात है। देखिये, आप सब बोल लिये। आप उनको और कह रहे हैं, आप बोलिये। यह कोई बात थोड़े ही है। ऐसा थोड़े ही होता है। बात हो गयी। बात हो गयी अब। तीन बार तो मैं खड़ा हो गया। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : मंत्री महोदय, क्षेत्र के बारे में पूछ रहा हूं, ज्यादा नहीं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं तो उनके आदेश से उठा हूं।

श्री रामस्वरूप : सदन को उपाध्यक्ष महोदय चला रहे हैं या आप चला रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। (व्यवधान) प्लीज, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण लगभग 25 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और और भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे। जो कटौती मोशंस हमारे पास आये वे काफी ज्यादा आए, लगभग 169 कटौती प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की, अपने सुझाव दिये और अपने अनुभवों को भी यहां पर व्यक्त किया। मैं उन सब के प्रति जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये, जिन्होंने अपने सुझाव दिये उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं।

जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं के सन्दर्भ में बात है, यह एक सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ सीधा विभाग है। हम सब इस बात को पीछे मुड़कर देखते हैं कि आजादी को लगभग 55 वर्ष हुए, उसके पहले भी चिकित्सा सेवाएं थीं और यदि हम औसत आयु की बात करें, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने चर्चा की कि 1900 में औसत व्यक्ति की आयु 20 वर्ष के लगभग थी, आज स्वास्थ्य

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सेवाओं में सुधार के कारण 60 वर्ष से ज्यादा औसत आयु हो गयी। जो मृत्यु दर है, जो हमारा राष्ट्रीय औसत है राजस्थान में भी मृत्यु दर उसके आसपास ही है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण ऐसा हुआ। बहुत-सी बीमारियों पर हमने काबू पाया-चेचक पर, प्लेग पर, नारू रोग पर। और अभी हाल ही में हमने पोलियो उन्मूलन का जो अभियान चलाया सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से, सभी जन प्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों के सहयोग से, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो रिपोर्ट जारी की है राजस्थान के लिये, मैं आप सब लोगों के माध्यम से राजस्थान के अवाम को खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब राजस्थान में एक भी जंगली पोलियो वायरस से बच्चा बीमार नहीं है। यह एक शुभ सूचना है।

हमारे सामने बात आयी रिक्त पदों की। हमारे सामने यह बात भी आयी कि डाक्टर्स वहां पर जाते नहीं है जो लगे हुए हैं। हमारे सामने ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सेवाओं में सुधार के सुझाव भी आये। मैंने सभी माननीय सदस्यों के सुझावों को बहुत गम्भीरता से सुना और एक-एक बात को नोट करने की भी कोशिश की। मैं कोई सत्ता पक्ष में हूं या मंत्री पद की जिम्मेदारी मेरे पास है तो मेरे में कोई अलग से शक्तियां आ गयी हों, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आपके बीच का राजस्थान का एक नागरिक हूं, इस हिन्दुस्तान का नागरिक हूं। मैं भी इन सब बातों को समझता हूं। इस सदन के अन्दर प्रतिपक्ष में भी मुझे रहने का मौका मिला और मैंने स्वास्थ्य मंत्री के हर भाषण को सुना, दूसरे मंत्रियों के भाषण को भी सुना। अपनी बात कहते थे, सारी बात कहते थे। इसके पहले मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी इस सदन के अन्दर मिली, उस नाते भी यहां पर 1988 के अन्दर मैं मिनिस्टर रहा। ये बातें कोई दुर्भावना से नहीं कही जाती हैं। जो भी मेम्बर्स यहां बोलते हैं, कोई दुर्भावना से नहीं बोलते हैं। पर हमें देखने की स्थिति यह है कि आज जो चीजें अच्छी हुई, यदि हम यह बातें कहें पोलियो इरेडिकेशन की बात को मैं नोट कर रहा था। एक भी, जो हमारी कमियां बता रहे थे उन्होंने नहीं कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब काम यह होता जैसे टी.बी. कंट्रोल का प्रोग्राम, मैंने बीच में माफी चाहते हुए इंटरवीन किया क्योंकि यह बताया गया कि यहां पर टी.बी. कंट्रोल ठीक नहीं हो रहा है। हमारे यहां पर जब हमने इसको पूरे राज्य के अन्दर लागू किया संशोधित क्षय निवारण कार्यक्रम को तो उस कार्यक्रम की इतनी सफलता हुई, वैसे 85 प्रतिशत उसका क्योर रेट है, हमारे यहां पर 90 प्रतिशत उसकी क्योर रेट आ रही है। इसलिये भारत सरकार ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी प्रशंसा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

की है और यह कहा है कि हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा टी.बी. रोकने का कार्यक्रम कहीं चल रहा है तो वह राजस्थान में चल रहा है। इसलिये मैंने यह बात कही। कोई दुर्भावना की बात नहीं है, जो बात फैक्ट है वह बात मैंने बोली है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बात उठायी थी टी.बी. के बारे में, वहां पर एक भी केस इस तरह का नहीं है क्योंकि उसकी जो जांच होती है वह केवल एस.एम.एस. में जांच होती है। इस तरह मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो हो जाता है उसके बारे में बताया। उन्होंने अच्छे सुझाव भी कुछ...(व्यवधान) बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य, आप बोले थे, मैं नहीं बोला था। मैंने सबको नोट किया है और उसका जवाब देना एक मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहो तो मैं सबका जवाब दूं। मैं तो जवाब देना चाहता हूं। मैं कोई बात थोड़े छिपाना चाहता हूं।

अब वह जांच यहां पर होती है, किसी की भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य मुझे कोई जानकारी देंगे तो मैं उसको चैक कराऊंगा। उसमें कोई एतराज नहीं है। हमारी रिपोर्ट मैं बोल रहा हूं, इनके बोलने के बाद मैंने जो रिपोर्ट मंगाई उसकी बात मैंने कही है।

इसके अलावा हमारा लैप्रोसी एलिमिनेशन का कार्यक्रम, यहां पर उस बात की किसी ने भी चर्चा नहीं की। राजस्थान लैप्रोसी एलिमिनेशन की श्रेणी में आ गया। भारत सरकार का जो मापदण्ड है उसमें 10 हजार पर एक से कम यदि रोगी पाये जाते हैं तो वह उस श्रेणी में आता है और राजस्थान में 0.78 लैप्रोसी केसेज हैं। इसलिये लैप्रोसी एलिमिनेशन की कैटेगरी में भारत सरकार ने राजस्थान को माना है। किसी ने भी इस बात की चर्चा नहीं की।

ब्लाइंडनैस कंट्रोल के बारे में बहुत-से माननीय सदस्यों ने बात कही है, यह प्रोग्राम अभी समाप्त होने जा रहा है। जो हैल्थ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई थी दिल्ली के अन्दर, मैंने वहां इस बात के लिये अनुरोध किया था कि यह कार्यक्रम बहुत सफलापूर्वक हमारे यहां चल रहा है। 12 लाख आपरेशंस होने हैं, 10 लाख आपरेशंस हमने कर दिये हैं और हम यह चाहते हैं कि ज्यादा सफलतापूर्वक, चूंकि राजस्थान की ऐसी भौगोलिक स्थिति है, यहां पर जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे वही बात मैंने वहां पर सेंट्रल काउंसिल के अन्दर कही थी और यह आग्रह किया था कि इसको आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है, उम्मीद है कि यह प्रोग्राम थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा।

एक यहां पर जो अभी भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और दूसरों की भी स्थिति मुझे पता है। मैं समाज कल्याण मंत्रीजी के साथ में निवाई

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

गया था, कई जगह पर ब्लाइंडनैस कंट्रोल कार्यक्रम के अन्तर्गत थियेटर बन गये हैं, वह बन गये हैं, लेकिन नेत्र चिकित्सक के पद वहां पर नहीं है। हम इस बात को महसूस करते हैं, और मैं इस बारे में वित्त मंत्रीजी से भी बात करूंगा। नेत्र चिकित्सकों के पद जहां पर आई वार्ड और सारे थियेटर बने हैं, इक्विपमैंट आये हैं वहां पर यह होना चाहिए, इसको मैं मानता हूं और हम इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे कि वहां पर नेत्र चिकित्सक लगें। यह बात सही है।

इसके अलावा हमने यहां पर बहुत-सी बातें कही मुख्य रूप से ड्रग कंट्रोल के बारे में, ड्रग आर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी, दवाइयों के नाम भी बताये थे और कहा था। प्राइस कंट्रोल के अन्तर्गत हमारी जो अथोरिटी है वह गवर्नमैंट आफ इण्डिया की है-नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथोरिटी, वह कंट्रोल करती है प्राइसेस को। जिन दवाइयों के बारे में उन्होंने मुझे यहां पर सदन में बताया था-सालबुटामोल, सिप्लाफ्लोक्सीन और डाक्सीसाइक्लीन, इसके बारे में गवर्नमैंट आफ इण्डिया के इस आर्गेनाइजेशन से लैटर यह मिला है कि बाम्बे हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है, इस पर ड्रग कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। ड्रग एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट लागू नहीं होगा और ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन इन दवाओं पर अपना कोई प्रभाव इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस कारण से ये तीन दवाइयां मर्जी आये जैसे कीमत पर बिक रही हैं। कोर्ट के आदेश की वजह से ऐसी स्थिति है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा।

एक बात यहां पर आई, पल्स पोलियो का जो केस हुआ, 40 लाख का जो घोटाला हुआ, यहां पर बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे और यह कहा कि इस पर कोई कार्यवाही नही हो रही है। मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि सी.बी.आई. कीं जांच चल रही है। उस पर कोई तरह की रोक नहीं लगी है, वह जांच जारी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाई कोर्ट की।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अब मैं जब यहां इस जगह पर खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मैं यह कह रहा हूं कि सी.बी.आई. की जांच पर कोई रोक नहीं है, सी.बी.आई. की जांच जारी है।

इसके अलावा यहां पर एक मोपेड के मामले पर बात कही गई। यह बात सही है कि जो पैसा आया था और उस पैसे को जो डीलर्स को दिया गया था ए.एन.एम्स. को मोपेड देने के लिए, जब हमारी नालेज में यह बात आई तब हमने उस केस में पुलिस केस रजिस्टर किया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

की जाए। वह हमने रजिस्टर कर दिया। यह बात सही है कि इस तरह का पैसा दिया गया था, वह हमें मिला नहीं। उसमें जो राशि बताई है वह भी राशि बिलकुल सामने है, उसमें कोई बात नहीं है। पर उसमें हमने कार्यवाही के आदेश दे दिये हैं, एफ.आई.आर. हमने दर्ज करा दी है।

इसके अलावा यहां पर मुख्य बातें उठीं, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किये कि हमारे यहां पर ब्लड बैंक खोलने की बात कही गई थी बजट में, महुवा के लिए खोलने की बात कही गई थी, वह खोला नहीं गया। मैं याद दिलाना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट के अन्दर कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य उस दिन भी बोल रहे थे, उन्होंने इस बहस में भाग लिया था। जब वह बोल कर बैठ गये तो मैंने जब अपना उत्तर देना प्रारम्भ किया तो मैंने कहा था, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, कम से कम आपकी ब्लड बैंक खोलने की घोषणा इस बजट के अन्दर हुई है, आप इतना तो धन्यवाद दे देते। वे भूल गये थे। तब उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं भूल गया। मैंने आपको कहा कि कमियां सब याद आई, इतना बड़ा अनाउंसमैंट हुआ वह आपको याद नहीं आया? डाक्टर साहब, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल मेरी याददाश्त करैक्ट कर रहा हूं। मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, बात इतनी-सी है। यह सदन जानता है, इस वर्ष हमने, अभी चर्चा भी चली काफी और यह कहा गया, जो हमारे चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी बात कही थी। अकाल की स्थिति और सारा हमारे सामने है, पर इस वर्ष बजट के अन्दर हमने 38 लाख रुपये महुवा के लिए और कोटपूतली के लिए ब्लड बैंक के लिए रखे हैं। इसी बजट के अन्दर जो आज हम पारित करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धन्यवाद पिछले बजट में दे दो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : और एक बात यहां पर आई। चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य और महुवा से आने वाले माननीय सदस्य जो हमारे चीफ व्हिप हैं, उनके बीच में वार्तालाप हो रहा था कि अपने कंट्रीब्यूशन की बात है। विधायक कोष का पैसा डवलपमेंट के लिए ही है, कोई किसी के घर ले जाने के लिए नहीं कोई भी विधायक या एम.पी. अपने घर वह पैसा नहीं ले जाता है। उसका डिस्क्रिशन है कि वह उस पैसे को कहीं पर भी खर्च कर सकता है इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। अब मैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने भी कहा था।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वह तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब जैसे मेरे क्षेत्र के अन्दर मैं भी विधायक चुन कर आता हूं, मैंने भी विधायक कोष से एम्बुलेंस दी। मैंने जनरेटर दिया, हास्पिटल की रिपेयर का पैसा विधायक कोष से मैंने खुद ने दिया। मेरे क्षेत्र के अन्दर दिया। इसमें क्या बात हो गई? हमारे शैलेन्द्रजी जोशी आज यहां पर नहीं हैं, उन्होंने शायद 20-25 लाख रुपया...(व्यवधान) नहीं-नहीं, मेरे कहने का मतलब, मुझे तो बाई द वे याद है क्योंकि उन्होंने सोनोग्राफी की मशीन और यह सारी, मैंने भी सोनोग्राफी की मशीन विधायक कोष से दी। इसमें कोई बात नहीं है। अपना जो पैसा है 60 लाख रुपया, यह अपन कहां खर्च करें, यह अपने सोचने की बात है। तो महुवा से आने वाले माननीय सदस्य का यह सुझाव था। अब सी.एच.सी. का पत्थर तो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चतुर्वेदीजी ने लगाया महुवा के अन्दर और भवन वहां पर बना ही नहीं। उसके बाद में हमारे चीफ व्हिप साहब ने दस लाख रुपया विधायक कोष से दिया, पांच लाख कंट्रीब्यूट किया, दस लाख डी.आर.डी.ए. से दिया। अब वह बिल्डिंग वहां पर बन रही है।

यहां पर अभी चर्चा आई थी, चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही। यह बात सही है कि हम यहां पर खड़े होकर सत्यता से अलग नहीं बोल सकते। जो फिगर्स हैं, जो डेटाज हैं हमको वे बोलने पड़ेंगे, उसको हम छुपा नहीं सकते। यह बात सही है कि सांवलियाजी ट्रस्ट के साथ में पिछली सरकार जो भैरोंसिंहजी की गवर्नमैंट थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया। मैं यह समझता हूं कि पचास-पचास परसेंट का एग्रीमेंट किया था कि सांवलियाजी ट्रस्ट से आधा पैसा आएगा और आधा पैसा सरकार देगी। यह बात जैसा आप बोल रहे हैं, उद्घाटन हुआ, उसमें पत्थर भी लगा। पूर्व मुख्य मंत्रीजी वहां थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी भी थे। अभी जनजाति मंत्रीजी चले गये, काफी मुझे चिन्ता हो रही थी कि उनका बी.पी. कहीं बढ़ नहीं जाए। मैं हीरासिंहजी को इशारा भी कर रहा था कि इनको थोड़ा-सा धीमा करो, क्योंकि मैं जैसे धीरे बोल रहा हूं, आवाज तो सबको सुनाई दे रही है। जोर से बोलने से हम कोई बात पर प्रभाव थोड़े ही डाल सकते हैं। बात तो मैं क्या कहना चाहता हूं, सिर्फ समझ में आनी चाहिए भाषा, इतनी-सी है। मैं वह देख रहा था। इसमें नाराज होने की और उत्तेजना

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

की कोई बात ही नहीं है। यह फैक्ट है कि ढाई करोड़ रुपया सांवलियाजी ट्रस्ट का लग गया। जब सुरेन्द्रजी जाड़ावत वहां से जीत कर आये, उन्होंने आते ही सबसे पहले यहां पर प्रश्न रखे, और हमसे मिले। हमने सब चीज को देखा, डाकूमेंट्स को देखा तो उसमें जीरो बजट था। उसके लिए गवर्नमैंट ने जब यह एग्रीमैंट किया था, कोई प्रावधान नहीं रखा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साढ़े तीन साल हो गये, कब तक हमें कोसोगे?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं बता रहा हूं। देखो, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर, माननीय मंत्रीजी, साढ़े तीन वर्ष हो गये आपको मंत्री बने, कब तक हमें कोसेंगे? हमने काम नहीं किया इसलिए इधर बैठे हैं। ठीक बात है, हमने नहीं किये तो इधर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का मैं बहुत आदर करता हूं और उनकी एक-एक बात को मैंने बहुत गम्भीरता से सुना है। मैं इस पर कोई टीका-टिप्पणी की बात नहीं, स्थिति जो है। यह तो सदन है, इसमें सब अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं तो मैं भी कम से कम उस पक्ष को सबके सामने तो लाना चाहूंगा न। वह माननीय सदस्य बोले, पर मैं मंत्री की हैसियत से बोल रहा हूं कि वहां पर एक रुपया बजट में प्रावधान नहीं था। जीरो बजट था तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि वहां पर लोगों को गुमराह किया गया, पत्थर लगा दिया और सरकार ने एक पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं किया। सांवलियाजी ट्रस्ट जो है वह पब्लिक का ट्रस्ट है, जनता वहां पर पैसा देती है, उसको चंदा आता है। लोगों ने देखा कि कोई अस्पताल बनेगा, ठीक है। पर उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी गये, उन्होंने देखा, मैंने देखा और यह बात उनकी बिलकुल वाजिब थी। पब्लिक के अन्दर यह मुद्दा था। चित्तौड़ के अन्दर यह बात सही है, यह मुद्दा था। मैं वहां पर सब लोगों से मिला था और यह भी बात आई कि जिलाधीश ने अपनी तनखाह देने की बात कही, जिले के कर्मचारियों ने भी अपनी तनखाह देने की बात कही कि हम, साहब, एक-एक दिन की तनखाह देंगे और हमारा कंट्रीब्यूशन करेंगे। एम.एल.एज. की भी बात थी। यह जो हास्पिटल बन रहा है, वह सबके लिये बन रहा है, किसी एक के लिये नहीं था। उसमें एम.पी. साहब ने भी कहा, मैं भी दूंगा। मुझे एम.पी. साहब मिले थे कृपलानीजी, उन्होंने कहा था मैं भी उसमें पैसा दूंगा। अब हमने इस बजट के अन्दर जो आज हम पारित करने जा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

रहे हैं, एक करोड़ रुपया रखा है। हम इस चीज को समझ रहे हैं और उसको देख रहे हैं। आज जो स्थिति है, उसको व्यक्त करने में हमें कोई एतराज नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कुछ बीमारियां हमने कंट्रोल कर लीं, पर कुछ नई बीमारियां भी हमारे सामने आ गयी हैं। एच.आई.वी. एड्स जिसके बारे में झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने संख्या को लेकर बात कही थी, मैंने बीच में खड़े होकर कहा कि आज का फिगर 394 है। मैं चूंकि सुन रहा था इसलिए मेरे पास में जो आज फिगर था, मैंने वही बोला। यह बात हमारे सबके लिये समझने की आवश्यकता है कि आज सबसे बड़ा खतरा एच.आई.वी. एड्स का विश्व के सामने है और उसके लिये जो पहला रोगी...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 394 हो गये, बाकी मर गये क्या? 421 लिखा है आपने अपने रिकार्ड में, बाकी मर गये क्या वे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब मैंने आपको करैक्ट कर दिया, जो मैं बोल रहा हूं, वह ठीक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह किताब भी आप ही बोल रही है, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बोली हूं। मैंने आपको पृष्ठ बताया कि उस पृष्ठ पर देख लीजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : प्रिंटिंग की गलती हो सकती है, माननीय सदस्या। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गलती हो जाती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नाराजगी की क्या बात है इसमें? नहीं, नाराज की बात नहीं कह रही हूं। आपकी किताब है, मैंने थोड़े ही पब्लिश की है वह।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं-नहीं, आपको मैं कोई यह थोड़े ही कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी से बोल रही हैं। आपने किताब से बोला और यदि मैं इसको भी सुनता रहता तो मेरी गलती होती। मुझे जानकारी थी इसलिए मैंने खड़े होकर करैक्ट किया तो क्या गलत किया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह किताब गलत है। यह मान लें न कि आपने जो आंकड़े दिये हैं, वे सब गलत हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक शुद्धिकरण जारी करके वापस सब विधायकों को सर्कुलेट कर दें कि 421 गलत है, 394 है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सारे आंकड़े गलत हैं। हमें गलत आंकड़े सर्कुलेट करो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आज की तारीख में 394 रोगी हैं। यह शुद्धिकरण करके हम सबको सर्कुलेट कर देंगे। ठीक बात है। उसमें कहां हिच है? प्रिंटिंग की गलती हो सकती है। मैंने तो सुओ मोटो यह कहा। मैं किसी प्रोग्राम में बोल रहा था चूंकि अभी विश्व स्वास्थ्य दिवस था "मूव फार हैल्थ"। गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव भी दिया था कि हमको हैल्थ क्लब बनाना चाहिये और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिये। बात तो सही है।

यहां पर एड्स के बारे में मैं बात कह रहा था। मुख्य बात यह है कि सबको मिल कर इसके बारे में पब्लिकली, जो हम बात करते हैं, सब जगह हमको बात करनी चाहिये। एजुकेट करना चाहिये लोगों को, क्योंकि बचाव ही इसका उपचार है और यह लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है। आज जो सबसे बड़ा कारण है एड्स होने का, क्योंकि हिन्दुस्तान में करीब 38 लाख लोग हम सस्पैक्ट करते हैं कि एच.आई.वी. एड्स हो सकते हैं और राजस्थान में पचास हजार से ज्यादा एच.आई.वी. पाजिटिव केसेज हो सकते हैं, जो स्टैटिक्स हमारे सामने हैं। हालांकि लो एपिडेमिक है हमारे यहां पर, परन्तु उसके अन्दर भी हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिये हमने "यौन मंगल मेलों" का भी आयोजन किया। हमने स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम भी चलाये और गांवों के अन्दर लोगों को समझाने की कोशिश की कि यौन रोग अलग है और एच.आई.वी. एड्स अलग है। इस भ्रम में आ जाते हैं कि यौन रोग ही एच.आई.वी. एड्स है। इस प्रकार भ्रम की स्थिति है। जिसकी टी.बी. की बीमारी है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है इसलिए टी.बी. के रोगी को एड्स होने की सम्भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है।

अभी हमने यहां से एक ट्रक यात्रा शुरू की थी वर्ल्ड विजन एक एन.जी.ओ. है उसकी लोगों के बीच में समझाने की यह आवश्यकता है कि आज हमारा जो फ्लोटिंग पापुलेशन है, जो माइग्रेट करते हैं, जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो हमारे कामर्शियल सैक्स वर्कर्स हैं, ये सबसे बड़े कैरियर हैं एच.आई.वी. एड्स के। तो लोगों को यह जागरूक करने की जरूरत है कि अपने पार्टनर के अलावा किसी से आपके सैक्सुअल रिलेशन नहीं होने चाहिये और आप कोंट्रासेप्टिव्ज का इस्तेमाल कीजिये। नम्बर दो, जो सुई आप इस्तेमाल करते हैं, वह सुई दूसरे की इस्तेमाल की हुई नहीं होनी चाहिये। अपने सामने उसको तुड़वाइये, उसको कटवाइये। दूसरी बात, जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उसमें पांच टैस्ट अनिवार्य रूप से कर रखे हैं। उसमें एच.आई.वी. एड्स का टैस्ट है, उसमें

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हैपेटाइटिस बी का टैस्ट है, यौन रोग का है, मलेरिया का है। पांचवां टैस्ट अभी हैपेटाइटिस सी का हमने मेंडेटरी किया है। हमारे जो लाइसेंस वाले ब्लड बैंक हैं, लगभग 53 ब्लड बैंक हैं, वहीं से यह ब्लड लिया जाना चाहिये और उसके अलावा उसका ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिये। यह सुरक्षा की एक कड़ी है और बचाव ही इसका उपचार है। बिजली के वायर के हम हाथ लगाएंगे, अनपढ़ आदमी भी जानता है, पढ़ा-लिखा भी जानता है कि इसको हाथ लगाने से हमारी मौत हो सकती है। परन्तु एच.आई.वी. एड्स में रिजल्ट इमिजिएट नहीं है। हमारे सामने नहीं है। कुछ अर्से के बाद, कुछ अन्तराल बाद में उसकी मौत हो सकती है।

मैंने दिल्ली में नाको से इस बात का अनुरोध किया था मीटिंग के अन्दर कि जो प्रेगनेंट मदर है, चाहे फादर एच.आई.वी. है या मदर एच.आई.वी. है, उस बच्चे को हम बचा सकते हैं। यदि कुछ मेडिसिन हम बच्चे को दे दें तो इससे बच्चा एच.आई.वी. पाजिटिव होने से बच सकता है। हमने राजस्थान के अन्दर जो हमारे सामने केसेज आये, निर्देश दिये। सरकारी खर्चे से हमने उन बच्चों को बचाने का प्रयास किया और वह मेडिसिन हमने उनको दी। हमने यह अनुरोध किया कि उनको तो हम बचाने की कोशिश करें, उसके लिये नाको इस तरह का डायरेक्शन दें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं आकड़ों में नहीं जाना चाहता, आंकड़े तो सबके सामने हैं और आंकड़े छिपाने से कोई छिप नहीं सकते। हमारे सामने सारे माननीय सदस्यों ने सबसे बड़ी जो चिन्ता व्यक्त की है वह है जनसंख्या। मैं समझता हूं शायद लगभग सभी सदस्यों ने यह कहने की कोशिश की है कि बढ़ती जनसंख्या अभिशाप है। मैं इस सदन का शुक्रगुजार हूं कि हमने यहां पर संकल्प पारित किया था। संकल्प यह था कि हम छोटे परिवार की अवधारणा को बलवती बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और उसके लिये वातावरण बनाएंगे। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह है, यह एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एन्फोर्स किया है। हमारे यहां पर भ्रूण की जांच का पी.एण्डडी.टी. एक्ट इसको इसलिए करना पड़ा, जैसे अभी आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि लड़का ही सन्तान होता है, लड़की सन्तान की श्रेणी में नहीं आती। ऐसा इनको भ्रम है। हमारे माननीय सदस्य ही यहां पर इस भ्रम की स्थिति में हैं, तो यहां भ्रम दूर हो तभी तो हम बाहर जाकर भ्रम दूर करेंगे।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो मानसिकता है, लड़का, लड़की के भेद की जो पुरानी प्रचलित धारणा है, उसके अनुसार है। यदि लड़की दिन में पैदा होती है तो हम पूछते हैं, भाई आपके सन्तान होने वाली है, क्या सन्तान हुई? यदि लड़की होती है तो वह कहते हैं, साहब बड़ा भारी जुल्म हो गया। हमारे तो कर्म फूट गये, हमारे लड़की हुई है। जब लड़का होता है, रात को दो बजे भी पैदा होता है तो घर वाले छत के ऊपर चढ़कर ढोल, थाली बजाते हैं। लोग कहते हैं, भाई, रात को ढोल, थाली क्यों बजा रहे हो, क्या हो गया? कि साहब हमारे लड़का हुआ है। लड़का आपके हुआ है, हमारी नींद खराब क्यों कर रहे हो। यह मानसिकता है। लड़का पैदा होने की सूचना एक तरह से विजय के रूप में मनाई जाती है। मैं लोगों के बीच कहता हूं और हमें सबको यह कहना चाहिये कि किसी भी धर्म के अन्दर, मैं जसोल गया था, उसमें आचार्य महाप्रज्ञजी थे, मैंने उनसे भी अनुरोध किया वहां पर, आप यह बताइये कि किस धर्म के अन्दर यह लिखा हुआ है कि लड़का नहीं होगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। यह कौनसी धारण है? मैं जसवन्तगढ़ गया था, हरजीरामजी, जो हमारे विधायक हैं, उनके साथ में, एक साधु थे उस फंक्शन में। मैंने उनसे भी सबके सामने पांडाल में पूछा कि आप यह बताओ, आपके धर्म में क्या सन्तान शब्द लिखा हुआ है या पुत्र-पुत्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पुत्र नहीं है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं यह उदाहरण देना चाहता हूं कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू के एक ही लड़की थी इन्दिरा गांधी, इसका मतलब उनको मोक्ष नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं है। हमें तो यह देखना है कि यदि अच्छे काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको माला पहनाएंगे। गलत काम करोगे तो लोग कहेंगे, इसकी शक्ल भी मत देखो, रोटी नहीं मिलेगी। यह गलत आदमी है। आज हमारे मन-मस्तिष्क में यह बात आ गयी लड़का-लड़की के भेद की। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम देवी-देवताओं को मानते हैं तो बुद्धि चाहिये, आप किसकी पूजा करते हो? आप सरस्वती की पूजा करते हो। आपको पैसा चाहिये तो आप किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी की करते हो। हनुमानजी की पूजा कोई करता है क्या पैसा चाहिये तो? हरिसिंहजी, किसकी पूजा करते हो?

एक माननीय सदस्य : लक्ष्मीजी की करते हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : लक्ष्मीजी की करते हैं। और शक्ति चाहिये तो किसकी पूजा करते हो? दुर्गाजी की करते हैं। जब हमारी देवियों में इतनी शक्ति है तो हमारी देवियों को हम कमजोर क्यों मानते हैं? यह मन की जो बात है उसको दूर करने की आवश्यकता है। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है।

(21.00 बजे)

इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, डायग्नोसिस सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट पाबन्दी लागू कर रहा है। हमने यहां पर इसको लागू करने की बात कही है। जो भी हमने उसमें कार्यवाही की है, मेरे पास में इसकी सारी इंफार्मेशंस हैं। पर हम सब को इसमें सहयोग करना पड़ेगा कि कोई भी डायग्नोसिस सेंटर यदि इस तरह की सूचना देता है तो हम उसकी शिकायत करें। जांच होने पर 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना है, पांच वर्ष तक की कैद का उसमें प्रावधान है। पर यदि हम किसी दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे तो यह काम नहीं होगा। हम सब नागरिक हैं, हमारे अधिकार हैं, यदि शिकायत पर कार्यवाही नहीं होती है तब यह आ सकते हैं। जैसे शिकायतों की कुछ बातें चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं, मैंने उसी समय खड़े होकर कहा, बिलकुल, हम जांच कराएंगे। आप हम को डाकुमेंट दीजिये, आप शिकायत कीजिये, बिलकुल जांच कराएंगे। कोई फर्जी मेडिकल कालेज चला रहा है तो आप हम को दीजिये, क्योंकि हमारे पास कोई शिकायत आयी नहीं तो हम जांच किसकी करें? कोई यह कहे कि हमारे को तो एडमिशन दे दिया है और हम यहां पर मेडिकल कालेज में पढ़ रहे हैं तब हम कार्यवाही करेंगे। हमारे पास तो कोई आया नहीं। अब हम चाहते हैं, सदन के माध्यम से हम कहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ है तो आप हमारे पास आकर बताइये, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

इस तरह के माहौल में हमारी यह कोशिश होनी चाहिए। आज पूरे देश में यह वातावरण बना है, अब बना है। आन्ध्र प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जिसने अपनी जनसंख्या नीति घोषित की है। हमने यहां पर राजीव गांधी जनसंख्या मिशन भी बनाया, मुख्य मंत्रीजी उसके चेयरमैन हैं। हमने इसकी कार्यवाही भी प्रारम्भ की है, कार्यवाही क्या की है? पापुलेशन की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई थी, मुख्य मंत्रीजी गये थे, मैं भी गया था। यहां पर जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि एम.एल.ए., एम.पी. के भी दो से ज्यादा सन्तान नहीं होनी चाहिए, वही हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कौंसिल की उस

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मीटिंग में सुझाव दिया। ऐसा नहीं है। वहां सुझाव दिया, मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने सुझाव दिया। हमने यह कहा कि यह कानून हमने बनाया कि एक जून, 2002 के बाद में राजस्थान सरकार ऐसे किसी को सेवा में नहीं लेगी। यह बात हमने कही। मैंने जब दिल्ली में हैल्थ मिनिस्टर की कांफ्रेंस में यह बात कही तो कुछ महिला संगठनों ने इस बात का एतराज किया कि यह तो महिलाओं पर अत्याचार है, आपने यह कानून कैसे लागू किया? महिलाओं पर अत्याचार नहीं है, महिला नहीं चाहती है बच्चा होना, जैसे अभी कुछ आंकड़े यहां पर दिये गये। मेरे पास वे आंकड़े हैं, मैं खुद बोलता भी हूं। अनमैट नीड, मेरे को पता है कि जो बच्चा नहीं चाहते या बच्चा कुछ अन्तराल के बाद में चाहते हैं, 18 प्रतिशत लोग हैं, उन तक हम नहीं पहुंच पाये हैं। लगभग 90 लाख एलिजिबल कपल्स हैं। जन मंगल जोड़ों की जो अवधारणा थी, पहले 13 हजार का आंकड़ा था, अब 10 हजार के करीब रह गये होंगे। इसीलिए बजट के अन्दर अभी प्रावधान हमने किया है कि 30 हजार जन मंगल जोड़े और हम करेंगे। वह इसीलिए करेंगे, उद्देश्य हमारा यह है और इसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। ये सारे कानून और जो ये सारी बातें की जा रही हैं, सुझाव इसमें आने चाहिए। यदि हम इसकी कमियां देखना शुरू कर दें तब तो यह कैसे पूरी हो सकती है, इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि यह हो।

अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, चाहे कोई इसको हंसी-मजाक में भी ले, पर यह बात इन्होंने बहुत ठीक कही कि आज परिवार नियोजन की, परिवार समिति करने की बात जिन माननीय सदस्यों ने कही उसमें शर्मिन्दा होने की बात नहीं है। जो बात है वह इन्होंने कही है, जो फैक्ट है वह कही है। यहां पर लड़का-लड़की के भेद की बात कही जाती है तो मुझे सामान्य तौर पर लोग पूछ लेते हैं कि, चौधरी साहब, आप रै कित्ता टाबर है? तो मैं कहता हूं कि मेरे तो दो बच्चे हैं। तो, बच्चे हैं कि बच्ची हैं? मैंने कहा, दोनों बच्चियां हैं। कि, साहब, आपके लड़के के बिना तो आपका परिवार कैसे चलेगा? मैंने कहा कि, भाई, मेरे को तो पता ही नहीं है परिवार कौन होता है। मैं जिंदा हूं तब मेरे का ध्यान है, बाकी तो मेरे बाद में मुझे क्या ध्यान रहेगा?

आज यदि हम इसको रोक लें, मेरे पहली सन्तान और दूसरी सन्तान के बीच में 6 वर्ष का अन्तर है, मेरे दो बच्चियां हैं और मैं इसकी पूरी ताकत से सब जगह

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

वकालत करता हूं, बोलता हूं। मैं सदन को यह अवगत भी कराना चाहता हूं, यहां पर जैसे अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पोंगा पण्डित और ढोंग और इस तरह की बातें लोग करते हैं, जादू-टोने की बात करते हैं कि जादू से छोरा कर देंगे कि छोरी कर देंगे, ऐसी बात भी करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहूंगा। एक आसारामजी बापू हैं जिनके प्रवचन आप रोज सुनते हैं, बड़े धार्मिक हैं, इस तरह की बात है। मुझे भी वहां पर फंक्शन में बुला लिया। यह मैं बहुत गम्भीर बात कह रहा हूं आपको। (व्यवधान) आप तो कम्युनिस्ट हो। मैं यह बात कह रहा हूं कि कोई चीज मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, मैं क्या खाता हूं, आप क्या खाते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हिन्दू माइथोलोजी के आधार पर वह प्रवचन देते हैं और उनका अपना सारा सिस्टम है। तो मुझे बुला लिया, मैं वहां पर चला गया। मुझे चीफ गैस्ट बुला लिया, मैंने उनको माला पहनायी। मुझे वह पूछते हैं कि, चौधरी साहब, आपको कोई तकलीफ है? मैंने कहा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। फिर वापस पूछा, आपको चिंता है। मैंने कहा, मेरे को कोई चिंता नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि आपकी कोई समस्या है? मैंने कहा, मेरी कोई समस्या नहीं है। तो मुझे कहा कि आपके कितनी सन्तान हैं? मैंने कहा कि दो सन्तान हैं। कि दोनों लड़के हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, दोनों लड़कियां हैं। यह पूछा मेरे को कि दोनों लड़के हैं क्या? मैंने कहा, दोनों लड़कियां हैं। तो कहा कि आप लड़का नहीं चाहते हो? तो मैंने कहा, नहीं चाहता। तो मुझे कहा कि नहीं, आपके लड़का हो सकता है। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता। कि, नहीं मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपके लड़का। और उन्होंने गुजरात के किसी मंत्री का उदाहरण दिया कि वो मंत्रीजी थे, उनके सन्तान नहीं थी, उन्होंने मेरे से बात की, उनके लड़का हो गया। आप उनसे पूछ सकते हो। तो मैं चुप हो गया फिर। उन्होंने अपने दूसरे लोगों को हाथ से रोक दिया था और हमारी वार्तालाप चल रही थी। लोग यह समझ रहे थे कि पता नहीं आसारामजी बापू के साथ मेरी क्या गुफ्तगू हो रही है। फिर मुझे कहा कि आप शाम को पांच बजे आना जहां मैं रहता हूं।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताइये कि इस तरह की बात मेरे जैसे आदमी को, मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, मैं इन सब चीजों को जानता हूं। एण्डो क्राइनोलोजी, ओवम, जाइगोट, स्पर्म, यह सारी थ्योरी को जानता हूं। अब वह इस तरह की बात

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मेरे जैसे आदमी को कंविंस करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार तो आप मान कर चलिये कि लोगों को कितना भ्रम पैदा करते होंगे। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज हमारे मन के अन्दर यह बात जो बढ़ती जा रही है, लड़के और लड़की के भेद की जो बात है यह बहुत खतरनाक है। आज हमारे माननीय सदस्यों ने भी जोश में आकर कह दिया कि तीन लड़कियां, चार लड़कियां। तो आज यह सारी बात क्यों आयी है? सदन के अन्दर सबने चिन्ता व्यक्त की, और वास्तव में वाजिब है। आज हमारे पूरे देश के मुकाबले एक प्रतिशत पानी है, पांच परसेंट जनसंख्या हमारे हिस्से आती है, सात परसेंट पशु हमारे हिस्से आते हैं तो हमको पालिसी बनानी पड़ी वहां पर। हमारी सिंचाई मंत्रीजी यहां बैठी हुई हैं वाटर हार्वेस्टिंग खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव के अन्दर। यू.डी.एच. मिनिस्टर साहब अभी चले गये, गांव में पहले पानी छत से टांकों में इकट्ठा करते थे, अब वापस वही हालात पैदा हो गये। ग्राउंड वाटर नीचे चला गया। तो ये हालात जो पैदा हो गये, ये बढ़ती जनसंख्या के कारण से पैदा हो गये। सारा अभिशाप उस बात का है कितने भी स्कूल खोल लें, कितने भी हास्पिटल खोल लें, सड़कें कितनी भी चौड़ी कर लें, कितनी भी पुलिया बना लें। माहिर साहब उस स्टेट लेवल कमेटी में हैं, यह सदन में भी कहते हैं और वहां पर भी इन्होंने बहुत से अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किये। तो आप हमारे को यह मानसिकता बदलने की आवश्यकता है।

यहां जैसे आप बोल रहे थे तो रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जिज्ञासा जाहिर की थी, तो मैंने कहा था कि मैं सप्लाई तो करीब 5-6 घंटे बाद में दूंगा, लेकिन पण्डितजी की जिज्ञासा मैं तत्काल दूर कर देता हूं, कि राजस्थान सरकार की नजर में जो भी सेवा करने आएगा उसको एक जून, 2002 के बाद में तीसरी सन्तान होगी तो उसको सेवा में नहीं लिया जाएगा। यह तत्काल मैंने खड़े होकर इसलिए कहा ताकि पण्डितजी को यह समझ में आ जाए कि यह कानून राजस्थान में सबके लिए है। और जो सेवा में हैं उनको पांच वर्ष तक पदोन्नति नहीं दी जाएगी। एक और भी हमने डी.ओ.पी. के अन्दर मूव कर रखा है कि यदि तीसरी के बाद चौथी सन्तान हो गयी तो उसको सेवा से ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जैसा कि आपका सुझाव आया, माननीय सदस्यों का सुझाव आया, उसकी लीगल पोजीशन को देखा जा रहा है। हमने उसको मूव कर रखा है। तो यह सबकी भावना है, पूरे सदन की भावना है उसके आधार पर हमने कहा है।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आज यहां पर यह भावना आयी कि यह गुटखा बहुत खराब है। गुटखे के लिए सभी ने कहा। धूम्रपान रोकने के विधेयक को इसी सदन से सर्वसम्मति से पारित किया। जब लोग खड़े होकर कहते हैं कि पालना नहीं होती है तो मैं वापस यह पूछता हूं कि पालना नहीं होने के लिए हमने उस बात के लिए खुद ने प्रयास किया? हमारे सामने किसी ने सिगरेट पी तो हमने उसको रोका क्या? उसके खिलाफ हमने एफ.आई.आर. दर्ज करायी क्या? क्योंकि उसमें डिफाइन किया हुआ है सारा कि बस में कोई पीयेगा तो कंडक्टर और ड्राइवर रेस्पोंसिबल होंगे, रेस्टोरेंट में कोई पीयेगा या कहीं आफिस में कोई पीयेगा तो आफिस का जो इन्चार्ज है, रेस्टोरेंट का मैनेजर है, जो भी है, वह उसके लिए रेस्पोंसिबल होगा। अपन ने उसमें प्रावधान किया है। कितनों ने केसेज किये? नहीं किये। हम यह समझते हैं कि हम झगड़े में क्यों पड़ें। पर यह बात मैं खुद करता रहता हूं। अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं बिलकुल रोकता हूं, मैं खुद रोकता हूं कि आप यह गलत कर रहे हैं और कहते ही लोग उसको गिरा देते हैं। लोगों को पता है कि राजस्थान में एण्टी स्मोकिंग बिल हमने पारित किया है। मुख्य मंत्रीजी का पूरा वरदहस्त रहा। लोगों ने दबाव भी दिया टोबैको कम्पनी ने कि, भाई, इसको लागू मत करो। पर हमने इसको लागू किया। तो एक अच्छी बात की शुरूआत हुई। उसको एन्फोर्म तो हम सभी मिल कर करेंगे, और दूसरा कौन करेगा?

आज हमारे सामने जो स्थितियां हैं, हैल्थ हैजार्ड जो हैं, आप देखेंगे, बजट के अन्दर प्रावधान हमने किया है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की सभी माननीय सदस्यों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बिलकुल ठीक बात है कि कार्डिक है, वाल्व है, बाईपास एंजियोग्राफी, ऐसे केसेज ज्यादा आते हैं। उसके पैसे ज्यादा होते हैं तो करने वाले हमारे कम हैं, प्रैशर ज्यादा है। उन्होंने फिगर बताया 250 का है, 600 आपरेशंस हो रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। उसके लिए उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं वे हमने नोट कर लिए हैं। उसमें कोई बात नहीं है। मशीनों को लाना-करना...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : आप घोषणा कर दें यहां पर मेहरबानी करके।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अन्दाजा लगा लीजिए कि मैंने एक-एक मैम्बर की बात को गौर से सुना है, तो बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई बात गलत

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

थोड़े ही कह रहे हैं। यह कोई गलत बात कही नहीं है, बात कहने की कोशिश की है। इसमें जो मशीनें इन्होंने बतायी हैं, मेरे अधिकारी सारे यहां बैठे हैं उन्होंने सब ने नोट की हैं और हम उसको सब देख लेंगे। जो एम.आर.एस. से खरीदनी हैं बिलकुल उनको खरीदेंगे। सुविधाएं और ज्यादा मिलें उसमें कोई कमी नहीं है, हमारे पास एम.आर.एस. में पैसा है। आपको फिगर पता है तो हमारे को भी पता है। हमें उसको रखना नहीं है, हमको ब्याज नहीं लेना है। एम.आर.एस. आपने बहुत अच्छी शुरू की थी, राठौड़ साहब आपके समय में। हमने उनको तीस बैड तक आगे बढ़ाया क्योंकि यह बहुत अच्छी योजना है। हमने जो बी.पी.एल. की योजना लागू की है, आज पूरी कन्ट्री के अन्दर इस योजना को एप्रिशिएट किया जा रहा है। उसका क्या कारण है? कोई विश्वास नहीं करता जब हम दिल्ली में यह बात करते हैं कि हमने तेईस लाख बी.पी.एल. फैमिलीज को फ्री मेडिकल एड देने की कोशिश की है। हमें बहुत प्राब्लम आयीं इसमें। हमारे प्रिंसिपल थे, चाहे सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने कहा क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमने समझाने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब पचपन साल से वाटर लिस्ट के आधार पर हमारी डेमोक्रेसी चल रही है तो इसमें यदि चार आदमी कोई गलत कार्ड लेकर भी आ गये, यदि उन्होंने इलाज ले भी लिया तो बीमार का ही तो इलाज हुआ है न। इसमें लैप्स कहां हुआ, इसको आप लैप्सेस क्यों मान रहे हैं? इसको इतना कड़ाई से मत करो। गरीब आदमी की सेवा करनी है। अब इसमें फर्क इतना ही पड़ा है कि जो साधन सम्पन्न लोग थे, हास्पिटल से दवाइयां ले लेते थे। क्योंकि उसमें बजट, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार बजट की बात करते हैं, उनकी बिलकुल वाजिब बात है पर पहले हम दवाइयां ले जाते थे वहां से। अब उस गरीब को दवाइयां पहले मिलती हैं, प्रायोरिटी के साथ में। एम.आर.एस. का जो पैसा है उसमें से 25 प्रतिशत हमने इसके लिए रिजर्व रखा है। उससे पूरे राजस्थान में जो फिगर्स बताये हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिगर्स तो आन पेपर हैं, हमारे पास हैं, आप सबके पास हैं, परन्तु हम यह चाहते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कहीं पर भी बी.पी.एल. परिवार के साथ यदि कोई गड़बड़ करे, उसको दवा नहीं दे, उसके साथ बदतमीजी करे तो आप सीधी शिकायत कर सकते हैं, सीधा कह सकते हैं। उस हास्पिटल के सुपरिंटेंडेंट से बात कीजिए। अब फर्क इतना आता है, इसमें थोड़ी-सी भ्रांतियां यह हो जाती हैं कि दवाइयां तो हास्पिटल

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

से मिलेंगी, लोग क्या करते हैं कि बाहर से दवाई खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं बी.पी.एल. हूं। (व्यवधान) यह गलत बात है, उपाध्यक्ष महोदय। यह कोई बात हुई क्या?

श्री ज्ञानचन्द पारख : एक मिनट सुन लें। बी.पी.एल. कार्ड बने चार साल पहले और उसके बाद कोई बच्चा हो गया...

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार यह क्या कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात का जवाब ही नहीं आएगा ऐसे तो।

श्री ज्ञानचन्द पारख : ये बी.पी.एल. कार्ड बने चार साल पहले, उसके बाद में कोई बच्चा पैदा हो गया उसको यह सुविधा नहीं मिलती। उसको जोड़ दें मेहरबानी करके।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां तो सभी माननीय सदस्यों के ये सुझाव आये कि दो से तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए, उसको जोड़ना नहीं चाहिए। सभी ने सुझाव तो यह दिया है, कि बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, वह नहीं मिलना चाहिए। माननीय सदस्यों की यह राय आयी है। अब इसमें जो गलत आदमी जुड़ा हुआ है, बी.पी.एल. सर्वे 1994 में हुआ और हमने उसी को आधार बनाकर किया। अब तो भारत सरकार वापस सर्वे करेगी तब उसमें होगा। यदि किसी का गलत बी.पी.एल. आ गया तो उसकी जांच करके उसको हटाने का प्रावधान राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने दिया है। उसमें कोई बात नहीं है। पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ हमारे सामने समस्याएं आयीं उनको कैसे ठीक किया जाए, तो उसमें हमने एक निर्णय और लिया। जैसे जयपुर शहर का व्यक्ति है या किसी शहर के हास्पिटल के अन्दर है, वह व्यक्ति हास्पिटल में जा सकता है। परन्तु जो गांव से आता है, वह यदि तीन दिन की दवा लेकर जाएगा तो वापस उसको तीन दिन बाद आना पड़ेगा, तो हमने यह आदेश दे दिये कि पन्द्रह दिन की दवा उसको एक साथ दे दी जाए ताकि उसको आने जाने की तकलीफ नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक निर्णय और लिया, मैं बताना चाहूंगा कि अनाथ जो बच्चे हैं, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित या सरकार द्वारा रिकोग्नाइज्ड हास्टल्स हैं, उनमें जो अनाथ बच्चे हैं, उनको भी यह बी.पी.एल. की सुविधा दी जाएगी। राजस्थान के हास्टल में जैसे बी.पी.एल. की सुविधा अभी दी जा रही

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

है, वह उनको दी जाएगी, यह निर्णय हमने लिया है।

इसके अलावा हमने एक निर्णय और लिया कि जो मन्द बुद्धि बच्चे हैं और नेत्रहीन बच्चे हैं, इस श्रेणी के जो बच्चे हैं उनका हमने यह तय किया है कि जो नान इनकम टैक्स पेई परिवार हैं, जिनके माता पिता आयकर नहीं देते हैं उनको भी फैसेलिटी के अन्तर्गत यह सुविधा दी जाएगी। इस सुझाव को भी हमने देखा है कि अगली बार जो सर्वे होगा और जो कार्ड बनेंगे तो ग्रामीण विकास विभाग यू.डी.एच. को हम यह अनुरोध करेंगे कि माता और पिता का फोटो भी उस कार्ड के साथ लग जाए और वह लेकर आ जाए। यह सुझाव भी हमने दिया है। इस तरह का प्रयास करने की कोशिश है कि डाउन ट्रोडन और पुअरर की जो बात हम कर रहे हैं, उनको हम कैसे मदद कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक निर्णय और लिया है। पोलियो से फ्री स्टेट तो हमारा हो गया, पर जिनको पोलियो हो गया उनके लिए भी सरकार ने एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दी। बहुत बड़ा प्रावधान बजट में सात करोड़ रुपये रखा और पच्चीस हजार आपरेशंस का लक्ष्य रखा। सामान्य तौर पर हमारे आपरेशन थियेटर के अन्दर, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे क्योंकि वहां इमरजेंसी आपरेशंस और दूसरे नार्मल आपरेशंस का प्रैशर इतना रहता है कि सर्जन्स वे आपरेशंस करते रहते हैं। परन्तु हमने इसके लिए हमारे डिसएबल कमिश्नर को बुलाया और प्रिंसिपल्स को और डायरेक्टर्स को सैक्रेटरी के साथ बैठकर मीटिंग ली और ये डायरेक्शन दिए कि आप ये सारे पोलियो करैक्शन आपरेशंस करेंगे। आज बहुत तेजी के साथ हमारे जिला अस्पतालों में आपरेशंस हो रहे हैं, सभी जगह पोलियो करैक्शन के आपरेशन हो रहे हैं। महावीर स्वामी के 26वें जन्म अवसर पर मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी उसके आधार पर, मैं भी कई जगह गया और माननीय सदस्य भी गये होंगे, जहां पर पोलियो करैक्शन आपरेशन हो रहे हैं एन.जी.ओज. के सहयोग से, हमारे समाज सेवी संस्थान हैं उनका भी सहयोग है। चाहे महावीर इंटरनेशनल हो, चाहे नारायण सेवा संस्थान हो, चाहे और भी संस्थाएं हों, उसमें वे काम कर रही हैं। उसमें सब लोगों का सहयोग है। यह एक बहुत बड़ा काम हो रहा है इसलिए यह उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि सबके मिलकर करने से ही, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर है, इस फिगर को हम कैसे ठीक कर पाए, यह हमारा प्रयास है।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ बातें कहीं गयीं कि पहले खोले गये थे। यह बात सही है, बिलकुल खोले गये थे, हम भी इस सदन में थे। जैसी कि सरकार की मंशा होती है और वित्तीय साधनों की स्थिति होती है, एक साल उन्होंने बजट को स्वास्थ्य को समर्पित भी किया। यह बात भी सही है। पर मैं समझता हूं कि हमारी जो सीमित क्षमताएं थीं, पहले बजट के अन्दर बारह पी.एच.सी. खोले गये और पांच डिस्पेंसरी शहरी क्षेत्रों की थीं और 75 सब सेन्टर थे। अब यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कही गयी कि 75 में से 40 सब सेंटर जोधपुर में खोल दिये गये। यह आर्डर्स की कापी है, मैं सदन के पटल पर रखता हूं। सबकी जानकारी में है। ऐसी बात नहीं है। अभी रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य धन्यवाद दे रहे थे सबके सामने। यहां पर बैठे हुए थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य, गंगरार (चित्तौड़) से आने वाले माननीय सदस्य, सब जगह हमने दिए। ऐसी बात नहीं है। अभी जो अपग्रेड सब सेंटर हैं, सब सेंटर हैं, कुछ लोगों का सुझाव था कि लम्बे अर्से से नर्स है, अगर एक कम्पाउण्डर और हो जाता है तो मेल मैम्बर हो जाएगा तो कुछ अप्रोच कर सकेगा। लोगों के पास में यह सुझाव था इसलिए यह बजट में घोषणा की गयी। यहां पर एम्बुलेंस की बात आयी तो हमने बजट में बाईस एम्बुलेंस के लिए 88 लाख रुपये का प्रावधान किया। तीस एक्स-रे मशीनें लेने के लिए करीब एक करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। हमने यह कोशिश की है कि यह कैसे किया जाए।

टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने एम्बुलेंस की बात कही। इनका प्रश्न भी था विधान सभा में, जिसका मैंने उत्तर दिया है इनको। हम आपको एम्बुलेंस दे देंगे, गुढ़ाचन्द्रजी के लिए। टोडाभीम के अन्दर आपने बताया कि एक्स-रे की मशीन नहीं है, एक्स-रे की मशीन भी हम वहां पर दे देंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामस्वरूप जी खुश, पूरा सदन खुश।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यहां पर चिन्ता व्यक्त की थी कि हमारे एम्बुलेंस नहीं है और एक एक्स-रे मशीन की बात भी कही कि वह हमारे नदबई आयी थी, कामां चली गयी। तो हमारे कृषि मंत्री जी ने खड़े होकर कहा, वह 1996 में गयी थी।

श्री तैय्यब हुसैन : 1992 में गयी थी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मतलब अपन सरकार में नहीं थे। हां, बात वही है, अपने शासन में...

मोहम्मद माहिर आजाद : मदन मोहन सिंघल ले गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, देवी भाई का क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मुझे देवी भाई का ध्यान है। आपने बात कही तो हम यहां पर एम्बुलेंस नदबई के लिए देंगे और एक्स-रे मशीन भी देंगे। उसमें कोई बात नहीं है।

नगर का आपने उद्घाटन की बात कही है तो उद्घाटन के लिए अपन कार्यक्रम तय कर लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक्स-रे मशीन का क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : एक्स-रे मशीन आपको दे देंगे नगर में। उसमें क्या बात है। देवी भाई ने जो बात कही है, देवी भाई की बात और इनका दु:ख कोई गलत नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया, पदों की कमी है। तीसरा नेत्र मत खोलना शंकर भगवान। उसमें यह बात इसलिए है कि पदों की कमी है। कोई भी माननीय सदस्य जो बोलते हैं, अभी हमारे यू.डी.एच. मिनिस्टर साहब मुझे कहकर गये थे, मेरे कोटा शहर की डिस्पेंसरी सूरजपोल की, उसमें डाक्टर नहीं है। बात वाजिब है क्योंकि डाक्टर्स की बहुत कमी है। वेकेंसीज, हमने बहुत सारे रिक्रूटमेंट भी किये हैं...

श्री देवीलाल चौधरी : म्हारे एकला के ही...

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप, देवी भाई, बात सुन लें, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय भी आपके लिए कह रहे हैं। अभी आर.पीं.एस.सी. से रिक्रूटमेंट किये हमने। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पीड़ा व्यक्त की है वह दूसरे माननीय सदस्यों की पीड़ा है। इसलिए हमने एक कानून बनाया और पूरा सदन इस कानून से सहमत है कि पहली नियुक्ति के साथ तीन वर्ष तक ग्रामीण सेवा देनी पड़ेगी। मेरा भाई भी आर.पी.एस.सी. से पास होकर आएगा तो उसको भी तीन साल गांव में रहना पड़ेगा। यह कानून हमने इसी सदन के अन्दर बनाया।

श्री राजेन्द राठौड़ : यह पहले का था, आपने क्या बनाया?

श्री राजेन्द्र चौधरी : जो कागज के ऊपर बात है मैं वही बात कह रहा हूं। यह रूल अभी बना है, पहले रूल नहीं बना। पहले लगाते होंगे परन्तु कानून का स्वरूप हमने दे दिया कि अब वह लग ही नहीं सकता। हमने अभी कांट्रैक्ट के

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

अन्तर्गत पांच सौ डाक्टर्स लगाये। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की, हमारे डाक्टर्स की कमी है। कांट्रैक्ट के डाक्टर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमें आर्डर दिया था कि जो डैजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अन्दर इसकी नियुक्ति की जाए। हमने दो-तीन बार वहां पर इंटरव्यू भी रखे, पर उतने डाक्टर वहां पर आये नहीं। बाड़मेर में यह बात सही है, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं कि आप हमारे को अनुमति दे दीजिए। ये कांट्रैक्ट के डाक्टर, दूसरी जगह कमी जहां है वहां के लिए भी हमें अनुमति दे दें तो हम उनसे बात करेंगे। कोई भी माननीय सदस्य जो कमी की बात कह रहा है, उसमें कोई बात नहीं है और देवी भाई ने जो बात कही है चिकित्सक की, वह अपनी मर्जी से नहीं कह रहे थे। मेरे से यह बीसों दफा मिले हैं और इन्होंने कहा कि मेरे डाक्टर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह शिक्षा है। शिक्षा तो मेल-फीमेल कोई भी ले सकता है। नेत्र विशेषज्ञ मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सर्जन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फिजिशियन जो है एम.डी. मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह से गायनोकोलोजिस्ट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। वह तो पी.जी. के अन्दर एडमिशन होता है। उपाध्यक्ष महोदय, अब समस्या यह आती है कि हमारे तो मेल स्त्री रोग विशेषज्ञ क्यों है। डाक्टर तो भगवान होता है, उसका रूप है। अब मेल-फीमेल का तो, उसकी पढ़ाई है, उस गायनोकोलोजिस्ट को हम कहां भेजें जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है? स्त्री रोग विशेषज्ञ नाम है, उसकी पढ़ाई की हुई है। तो आज जो है... (व्यवधान) वह आपका प्रभाव है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बच्चा हो तो लड़का हो और डाक्टर आए स्त्री रोग विशेषज्ञ तो महिला हो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उलटा मामला है। तो यह जो स्थिति है उसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, देवी भाई का यह कहना सही है और हम देवी भाई जिसको पसंद करते हैं, उस चिकित्सक को जो जाना चाहता है वहां, खाली पद है तो हम उसको वहां लगा देंगे। उसको लगा देंगे, इसमें कोई बात नहीं है।

श्री संजीव कुमार : माननीय मंत्री जी, भादरा को क्यों भूल रहे हो? आप भादरा को तो याद रखो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं भादरा को नहीं भूल रहा हूं, पर आप सबसे बाद में बोले थे तो मैं उसी हिसाब से बोलते बोलते आ रहा था। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी व्यथा को दोहराया है।

श्री रतन लाल ताम्बी : मंत्रीजी जो नहीं बोल पाये उनके इलाकों का क्या होगा? एम्बुलेंस नहीं है, व्हीकल नहीं है कई वर्षों से, उनका भी आप ध्यान रखिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य के वहां पर मैं गया था, उस हास्पिटल को भी देखा था। इन्होंने कुछ सुझाव भी दिया था कि उस बिल्डिंग को हम कामर्शियल करके, हास्पिटल की एम.आर.एस. रेवेन्यू के लिए कुछ करेंगे। वह भी इनका प्रस्ताव था, आप वह प्रस्ताव दीजिए, उस प्रस्ताव को हम दिखवाएंगे। एम्बुलेंस जो है, भादरा बहुत बड़ा...

श्री आदराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां...

श्री राजेन्द्र चौधरी : एक एक बात कहो तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो प्रिंसिपली बात करो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : भादरा के लिए भी एम्बुलेंस हम दे देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसको दे दूंगा, उसको रख लूंगा, क्या है? (व्यवधान) कोई सैद्धान्तिक बात हो, नीतिगत बात करो।

श्री हीरासिंह चौहान : आप तो एक बात कहो, अपग्रेडेड दो सौ सब सेंटर्स किये हैं ना, सब एम.एल.एज. को एक एक बांट देंगे। उसमें पक्षपात मत करना आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने जो बात कही है उसका कोई जवाब नहीं है, क्या बात हुई ये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई नीतिगत फैसला आपने लिया हो उसको आप बता दो, बाकी एक-एक को कहां...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : खाली नीम-हकीम वाली बात बता दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे उठाये हुए प्रश्नों का तो जवाब ही नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नीम-हकीम की बात में झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट बतायी है, उसमें तो प्रिंटेड है और वह तो सामने है, उसमें मुझे क्या कहना है? उसमें तो कार्यवाही विभाग करेगा। जो आडिट पैराज हैं उसमें कोई एतराज की बात है नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सी.एम.एच.ओ. के बारे में और मातृ कल्याण के बारे में बताइये जरा। यह मातृ कल्याण बिना शिशु के कैसे हो गया?

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, आपकी बात को सुन लिया है। मैं विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर बात करूंगा कि इसमें कितना बजट प्रोविजन करना पड़ेगा क्योंकि यह हैपहैजर्ड वे में तो...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एम्बुलेंस के लिए और डाक्टरों के लिए तो प्रोविजन करना नहीं पड़ेगा। आपको एम्बुलेंस के लिए नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए आपको करना पड़ेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : बाईस एम्बुलेंस खरीद रहे हैं और तीस एक्स-रे मशीनें खरीद रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सी.एम.एच.ओ. का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आयुर्वेद मंत्री जी, खड़े होओ अब आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने अपनी बात कह दी, चूंकि डी.पी.सी. के ऊपर अभी डी.ओ.पी. की रोक है, डी.पी.सी. होते ही हम सभी अधिकारियों को जो उसमें जिस योग्यता के हैं, उनको सभी को उसी जगह लगाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण मांग, इसमें सबके बहुत-से सुझाव आये हैं, उन सुझावों पर विभाग बहुत गम्भीरता से विचार करेगा और मैं अनुरोध करता हूं कि इस मांग को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्री जी।

डा. (श्रीमती) कमला (आयुर्वेद राज्य मंत्री के स्थान पर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल की तरह ही कहो साफ।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय राज्य मंत्री, आयुर्वेद के दायित्व को निभाने की आज्ञा चाहती हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डीग्रेड तो मत होओ। राज्य मंत्री का काम तो मत करो आप।

डा. (श्रीमती) कमला : हमारा सामूहिक दायित्व है। वह किन्हीं परिस्थितिवश आज नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे बहुत छोटा-सा महकमा, छोटा-सा बजट और बहुत कम ध्यान दिये जाने वाला एक विषय आज के दिन यह बना हुआ है, लेकिन संसार की श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धति, स्वास्थ्य पद्धति आयुर्वेद ही है। यह मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, बल्कि यह अपने आप में स्वयं सिद्ध है कि अधिकतर चिकित्सा पद्धतियां उपचार से ही शुरू होती हैं जबकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपने आप में किस प्रकार से मनुष्य अधिकतर अपने जीवन काल में पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है, 'इस विषय से

(डा. (श्रीमती) कमला)

शुरू होती है। न सिर्फ दवा से, न सिर्फ खान-पान से और न सब इस तरह की औपचारिक व्यवस्थाओं से, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु आयुर्वेद का है वह यह है कि वह शुरू होती है विचार से। मनुष्य स्वस्थ्य रहे उसका सबसे बड़ा मंत्र है कि मनुष्य का विचार शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिये। जिस व्यक्ति के विचार में कोई विकृति नहीं, जिस व्यक्ति के विचारों में कोई ऊहोपोह नहीं, जिस व्यक्ति के विचारों में द्वंद नहीं है, जिस व्यक्ति को किन्हीं चीजों के संग्रहण का भयंकर लालच नहीं है, जिस व्यक्ति को असत्य बोलने का, बेईमानी करने का, अपराध करने का, विसंगतियां जो जीवन की, चरित्र की हैं उनको अपने साथ जोड़े रहने का यह कोई अवगुण नहीं है, वहां से हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति शुरू होती है। यानि जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध होंगे, सही होंगे, सहज होंगे, निष्कपट होंगे और जो किसी भी इस तरह के द्वंद में निरन्तर उलझा नहीं रहेगा, यह व्यक्ति आम तौर पर आप देखेंगे कि आपको वह सहज स्वभाव में एक स्वच्छ अपनी निरोगी काया के साथ में रहता हुआ मिलेगा। क्योंकि जो कपट करता है, असत्य बोलता है, बेईमानी करता है और निरन्तर इस तरह की हरकतें करता है उसको छिपाने के लिये, उसको और पुष्ट करने के लिये जिस तरह के सोच-विचार में, उधेड़-बुन में लगा रहता है उससे उस आदमी का स्नायु तंत्र सदैव तनाव में बना रहता है। यह कोई हंसने की, मजाक की बात नहीं है। आप अपने आपसे देख लीजिए। आज के आपके डाक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि शरीर में अधिकतर व्याधियां आपके तनाव, आपके मानसिक क्लेश और आपकी परिस्थितियों में संकटग्रस्त होने के कारण से पैदा होती हैं। इसलिये चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है...

श्री राजेन्द्र पारीक : एम.एल.एज. को तो जितनी भी लालसाएं हैं, यह मंत्री पद की लालसा से ही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके तनाव का कारण यही है।

डा. (श्रीमती) कमला : मनुष्य को यह कहा है कि आचार-विचार, रहन-सहन, यह सबसे पहला गुरु मंत्र है जो कि इंसान को स्वस्थ रखता है। इसके लिये हम अपनी इस व्यवस्था को अगर नहीं मानते हैं तो आप न मानें जहां से कि यह जन्मी है। लेकिन जहां यह जन्मी नहीं है परन्तु जहां इसकी सुगन्ध फैली है, दुनिया में, वे आज इस चिकित्सा पद्धति की तरफ आ रहे हैं। इसलिये आयुर्वेद की जो प्रथम और सर्वश्रेष्ठ अपने आप में विशेषता है वह यह है कि हम इंसान की सोच से शुरू करते हैं और सोच स्वस्थ रखने के लिये सबसे पहले हम उसे उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं।

(डा. (श्रीमती) कमला)

दूसरा यह है कि हम जिस तरह के वायुमण्डल में रहते हैं, जिस तरह के क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं, जिस तरह के देश के वातावरण में रहते हैं उस तरह का पहनना-ओढ़ना, खाना-पीना हमारा होना चाहिये। जो इतना डैलीकेट तंत्र भगवान ने मनुष्य का बनाया है कि चाहे वह उसका स्नायु तंत्र हो, चाहे वह उसका एब्डोमन है, चाहे उसकी और ग्रथियां हैं इन सबको इतना डैलीकेट बनाया है कि युगों-युगों तक, वर्षों तक हम इसको इतनी तड़पन देते रहते हैं कोई शराब पीकर, कोई तम्बाकू पीकर, कोई और किसी तरह की चीजें खा-पीकर और इस तरह से करके। उसके बावजूद भी यह शरीर कितने लम्बे वर्षों तक आपका साथ देता है। उसी को अगर आप सम्भालकर रखें, उसी को अगर हम सम्भालकर रखें...

मोहम्मद माहिर आजाद : शराबबन्दी कराओ फिर।

डा. (श्रीमती) कमला : और उसको इस प्रकार से चलाएं जो कि प्रकृति आपसे चाहती है, जो कि स्वास्थ्य की मूल भावनाएं आपसे चाहती हैं, तो वे अपने आप में बहुत लम्बे समय तक साथ दे सकते हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी...

डा. (श्रीमती) कमला : सवाल बीच में नहीं, बाद में विधायक महोदय। बाद में।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मंत्रीजी भी भूल गये। आप आयुर्वेद मंत्री के हिसाब से बोल रही हैं, इसलिये मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो नीम-हकीमों की बात थी, यह आयुर्वेद मंत्री के हिसाब से बोल रही हैं, इन्होंने ही रोक लगायी थी, क्या आप इन पर कार्यवाही करेंगी?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री महोदया, हम कंविंस्ड है, हम बिलकुल कंविंस्ड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, सुनिये प्लीज।

डा. (श्रीमती) कमला : क्या बात है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नीम-हकीमों पर जो रोक लगायी है उन पर कार्यवाही करेंगी क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नीम-हकीमों पर तो रोक ही इन्होंने लगायी थी।

डा. (श्रीमती) कमला : काहे की? बोलने तो दीजिये मुझे पूरा। मुझे आने तो दीजिये पूरे कनक्लूजन पर।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप में और इनमें दोनों में लड़ाई चल रही है...

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, नहीं, कोई मतभेद नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप नहीं, उनमें, जिनकी हैसियत से आप बोल रही हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : वह है ना, आप और वो, या वो और यह अपनी जगह पर हैं, मैं मेरी जगह हूं और आयुर्वेद मंत्री के नाते मैंने बहुत लम्बे समय काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमें अपनी चिकित्सा सम्बन्धी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें प्राथमिकता के तौर पर अपनी पहले की जो व्यवस्थाएं हैं सोच-विचार की, आहार-विहार की, इन सबको भी उतनी ही तबज्जह देनी चाहिये जितनी कि बीमारी होने के बाद दवा देकर इलाज करने का काम करते हैं। तो यह आयुर्वेद का अपने आप में एक पहला पहलू है।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं हालांकि आज का हमारा आयुर्वेद का चिकित्सक इस बात से भी अनभिज्ञ है कि आयुर्वेद की दवाएं कितनी चमत्कारिक हैं, कितनी सस्ती हैं और कितनी प्रभावी हैं क्योंकि उस तरफ जाने के लिये उसके पास में समय नहीं है। न उनके ऊपर वे पूरा ध्यान देते हैं। वे भाग करके कोई भी एलोपैथिक दवा का चूर्ण बना करके उसका पैकेट बनाकर दे देते हैं और कुछ उनको जो जानकारी है आयुर्वेद की, उसका भी करते हैं। यह अपने आप में जो गुण है उसको खतम करने वाली बात है। आज अगर सही क्लाइमेटिक जोन में हम वनस्पतियों का उत्पादन करें, सही समय पर उनको काटें, सही तरह से उनको सुखाएं और सही तरह से उनको तैयार करें-चाहे उबालने का काम है, चाहे उनको घिसने का काम है, चाहे उनको उस तरह से करने का काम है, अगर पूरी विधिवत पद्धति से हम आयुर्वेद की दवाइयों को तैयार करें...(व्यवधान) यह हंसते रहिये आप। क्योंकि हम उस देश के लोग हैं जिनको अगर योग की बात कही जाती है तो उनके मन में, उनके दिमाग में नहीं उतरती। पर वही लोग अगर विदेश में जाकर योगा बनकर आ जाते हैं तो हम उसके पीछे पागलों की तरह फिरने लग जाते हैं। इसलिये हम हंसते हैं अपने आप पर, अपने आपकी उपलब्धियों पर, अपने आपकी बहुत बहुमूल्य सौगात पर। हंसने की बात है क्योंकि हम नादान हैं। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिये आयुर्वेद की इन औषधियों के मार्फत या जो मिनरल्स से दवाइयां बनती हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, ये इतनी अच्छी बातें आप कह रही हो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहूंगा कि अगर कल सुबह हो जाएं ये प्रवचन तो बाकी बहुत से सदस्य नहीं हैं वे भी लाभान्वित हो जाएंगे। नहीं, मैं गम्भीरता से कह रहा हूं। मैं बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, नहीं, मैं आयुर्वेद की बात पर आ रही हूं। आपकी जो शुद्ध आयुर्वेद, आपको थोड़ी–सी समझ आती है उस पर अभी आ रही हूं। लेकिन मुख्य आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धतियां आप समझने में बहुत कष्ट महसूस कर रहे हो क्योंकि वह आपकी मानसिकता में नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्रीजी को एक घंटे तक सुना, एक किलो आप लोगों को च्यवनप्राश दिया और उसके बावजूद भी आप लोग सुनना नहीं चाहते हो। आपसे बड़ा नुगरा और कौन होगा, भाई!

डा. (श्रीमती) कमला : सुनना नहीं चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, न सिर्फ हम एक नागरिक के तौर पर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : च्यवनप्राश है ही नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमने नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, आर्डर प्लीज।

डा. (श्रीमती) कमला : राज्य सरकार में भी इसके प्रावधान इसीलिये कम हैं कि हमारे जो चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं वे आज...

श्री राजेन्द्र पारीक : साथ ही लेकर जाएंगे ये लोग तो सारे के सारे।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है, सब सुनो ध्यान से। इसको इसको क्यों मजाक बना रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय रामस्वरूप जी।

श्री हीरासिंह चौहान : इनको होश ही नहीं है, अब आप कवर करो ना इसको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप सौ एम्बुलेंस यहां बांट दोगे तो पीछे क्या रहेगा? तो इनको मना करो पीछे से। पीछे देखो। पीछे देखो ना आप।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं जब आयुर्वेद की मंत्री थी उस समय मैंने पूरे प्रदेश भर में हमारे जो पुराने घरेलू नुस्खे थे उनका एक पूरा का पूरा विवरण हमारे वैद्यों से पूरे क्षेत्र से तैयार कराया और उन नुस्खों को तैयार कराने के बाद मैंने उन विभिन्न बीमारियों के बाबत में गोष्ठियां आरम्भ की थीं। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि सबसे पहले आयुर्वेद की चिकित्सा के मोती झरे की हमने एक संगोष्ठी की और उसमें वैद्यों ने अपने आप में जो खोज की और ये सारे नुस्खे तैयार किये, उनसे जब चर्चा आयी तो इतनी आश्चर्यजनक उसमें इलाज की पद्धतियां

(डा. (श्रीमती) कमला)

निकलीं। वह अपने आप में एक बात बनी, लेकिन उसको आगे नहीं चला सके क्योंकि वह बदल गया उसी समय।

मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजस्थान को इस बात का गर्व होना चाहिये कि आज देश भर की राष्ट्रीय स्तर की एक मात्र संस्था जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, जिसको मैं यहां पर लायी थी बहुत मेहनत करने के बाद, वह अपने आप में इस देश के लिये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अफसोस है, बहुत वर्षों तक वह संस्थान एक कालेज के लेवल से भी नीचे पड़ा था। उसका जो स्थान है, वह दिल्ली में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके लेवल का है। यहां पर बड़े से बड़े अध्ययन होने चाहिए, बड़े से बड़े अनुसंधान होने चाहिए। राष्ट्र भर से लोगों का, विदेशों से लोगों का अनुसंधान का एक केन्द्र होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत सरकार ने राजस्थान में यह कायम किया। लेकिन अभी वह अपने स्तर तक नहीं आया है। उसकी हम कामना करते हैं कि जल्दी से उस स्तर पर आए। अभी जोधपुर में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय कायम हो रहा है। मुझे खुशी है कि हम राजस्थान के तमाम अंचलों में जिस प्रकार की आयुर्वेद की वनस्पतियां हो रही हैं, जिस तरह का भारत से बाहर हर्बल मेडिसिन के लिए, हर्बल इलाज के लिए, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र के लोग हों सब उस पर काफी तवज्जह दे रहे हैं। लाखों टन हर्बल मेडिसिन आज कई देशों से बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं और उससे हर्बल दवाइयां इकट्ठी हो रही हैं। हम भी यह चाहते हैं कि राजस्थान में इस प्रकार की एक व्यवस्था कायम हो कि जिन जिलों में जिस तरह का क्लाइमेटिक जोन है, उनमें जो वनस्पतियां उगाई जा सकती हैं उनके लिए हर जिले में हर्बल मेडिसिन फार्म्स का हम प्रयोग करें। मैंने राजस्व मंत्री के नाते उन्हें न्यौता दिया है कि आप राजस्थान के पूरे जिलों का एक विवरण मुझे दें कि किस जिले में क्लाइमेटिक जोन में कौनसी मेडिसिन हम उगा सकते हैं, ताकि उसके तहत यह व्यवस्था की जाए। (व्यवधान) आपको तकलीफ क्या हो रही है?

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो यह जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद और यूनानी के जो खाली पद हैं वे कब तक भर दिये जाएंगे? उनकी समानताएं क्या होंगी? जो मुद्दे हमने उठाये हैं...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : वह भी बता रही हूं। इसका जो बेसिक आधार है वह तो पहले बनाऊं। अगर वनस्पतियों का बेसिक आधार ही नहीं बन रहा है और पुरानी सड़ी-गली वनस्पति से जो दवाइयां बन रही हैं और जो दवाइयां आपको चाहिए वे दवाइयां ही उपलब्ध नहीं हैं-तो जब

(डा. (श्रीमती) कमला)

तक मेडिसिन ही उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसलिए बेसिक चीज यह है।

दूसरा, आपने कहा कि हमें आयुर्वेदिक औषधालय खोलने चाहिए। उसमें उनकी पूरी नियुक्ति होनी चाहिए। इसके बाबत में जो बजट में प्रावधान है, वह अभी मैं आपसे बता दूंगी। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूं वह यह है कि हम आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनको इस बात के लिए पाबन्द करें, इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे थोड़ा समय अध्ययन में और परीक्षण में लगाएं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति का, आयुर्वेद की दवाइयों का ही वे अपने चिकित्सा कक्षों में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, न कि उसको एलोपैथी से मिलाने की कोशिश करें। साथ में जो आगामी समय में इसके सन्दर्भ में बहुत काम किये जाने हैं, वे मैं आपकी खुशी के लिए सुनाना चाहती हूं। वह यह है कि जिला मुख्यालय करौली पर जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय की स्थापना की जाएगी। आपरेशन थियेटर, पंचकर्म केन्द्र, एक्स-रे, स्क्रीनिंग मशीनों की सुविधा सहित जिला मुख्यालयों पर जिला रैफरल चिकित्सालयों की स्थापना की जाएगी। 35 नवीन आयुर्वेद औषधालय स्थापित किये जाएंगे, 10 यूनानी और 10 यूनानी चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे।

श्री रामस्वरूप : उसमें हमारा है कि नहीं है? हमारा जो पहले स्वीकृत हो रहा है, वह है कि नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : ग्रामीण क्षेत्र के औषधालय भवनों की मरम्मत व जीर्णोद्धार कराए जाएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है। वर्तमान में संचालित विभागीय चिकित्सालयों में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और पंचकर्म केन्द्र, अंश-भगन्दर चिकित्सा केन्द्र, प्राकृतिक व योग चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। विभागीय चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मचारियों को नवीन अनुसंधान व विधाओं की जानकारी देने हेतु री-ओरिएंटेशन कैम्पस लगाये जाएंगे। अनुसंधान व शोध कार्य करने वालों को सहायता दी जाएगी। विभागीय अधीनस्थ कार्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की जाएगी जिससे वे भी आधुनिक टैक्नोलोजी से अपना कार्य तत्परता से कर सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो खाली पद पड़े हैं वे कब भर दोगे, वह बता दो?

डा. (श्रीमती) कमला : विभागीय अधीनस्थ औषधालयों/चिकित्सालयों एवं कार्यालयों के लिए नवीन भवनों का निर्माण किया जाएगा। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 व नियम 1945 के अन्तर्गत अच्छी विनिर्माण प्रणाली को विकसित करने के लिए राज्य के आयुर्वेदिक व यूनानी औषधि निर्माताओं को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यशालाएं लगायी जाएंगी। उपभोक्ता को उत्तम एवं वास्तविक औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र

(डा. (श्रीमती) कमला)

में संचालित साधन सम्पन्न परीक्षण प्रयोगशाला विभाग द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उन्हें भी सहायता दी जाएगी। साथ में यह भी एक सोच चल रहा है और व्यवस्था करने की चेष्टा है कि हम औषधि निगम की स्थापना करें जिससे कि हम औषधियों के निर्माण के लिए किसी प्रकार से वित्तीय संकट में न आएं और औषधियां जैन्यून मिल सकें, समय पर मिल सकें। आज जो सबसे बड़ी स्थिति है वह यह है कि औषधालयों में दवाइयां पूरी नहीं पहुंच रही हैं। औषधालयों में वैद्य बैठते नहीं हैं, कम्पाउण्डर नहीं बैठते हैं। जो हैं वे भी समय पर वहां आते जाते या बैठते नहीं हैं। इनको पाबंद करने के लिए सख्ती से इतंजाम किये जाएंगे और जो नया बजट आया है उसके अन्तर्गत जितने भी खाली पद हैं उनको भरने की भरपूर चेष्टा की जाएगी। धन्यवाद।

मांग संख्या-26 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,02,45,46,000/- (दस अरब, दो करोड़, पैंतालीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2002 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.46 बजे; 10 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-306 की सूची)

राज्य में ''प्रशासन गांव के संग'' कार्यक्रम में तय किये गये प्रकरणों के संदर्भ में जारी पेंशन भुगतान आदेश की जिलेवार संख्या सूची

क्र.सं.	जिला	पेंशन भुगतान आदेश की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	3367
2.	अलवर	1001
3.	बांसवाड़ा	8861
4.	बारां	802
5.	बाड़मेर	923
6.	भरतपुर	749
7.	भीलवाड़ा	3892
8.	बीकानेर	647
9.	बून्दी	530
10.	चित्तौड़गढ़	2290
11.	चूरू	780
12.	दौसा	532
13.	धौलपुर	552
14.	डूंगरपुर	3175
15.	हनुमानगढ़	2432

1	2	3
16.	जयपुर	4138
17.	जैसलमेर	276
18.	जालौर	13728
19.	झालावाड़	1023
20.	झुंझुनूं	138
21.	जोधपुर	3015
22.	करौली	651
23.	कोटा	1604
24.	नागौर	2551
25.	पाली	1125
26.	राजसमन्द	1277
27.	सवाईमाधोपुर	975
28.	सीकर	1209
29.	सिरोही	1495
30.	श्रीगंगानगर	1600
31.	टोंक	2895
32.	उदयपुर	1518
	योग	69751

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-307 का विवरण)

केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में वर्तमान में उपयोग में ली जा रही बैरिकों की क्षमता का विवरण

क्र.सं.	बैरिक नम्बर	क्षमता
1.	3	23
2.	4	21
3.	5	23
4.	7	23
5.	8	23
6.	15	30
7.	21	52
8.	22	52
9.	23	52
10.	24	52
11.	25	52
12.	26	52
13.	टी.बी. वार्ड बैरिक नं. 13	47
14.	अस्पताल वार्ड	15
15.	महिला वार्ड	15
16.	सुरक्षा वार्ड	22
	योग	554

परिशिष्ट "ब"

केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के भवन के रखरखाव एवं मरम्मत कार्यों के लिए गत 3 वर्षों में दी गई राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष		कार्य का नाम	आबंटित राशि
1.	1999-2000	1.	वार्षिक अनुरक्षण एवं रखाव हेतु	82,000/-
		2.	मेनवाल में आई दरारों की मरम्मत	1,01,190/-
		3.	बंदी वार्ड्स की मरम्मत कराये जाने हेतु	2,25,677/-
		4.	जेल फैक्ट्री की मरम्मत कराये जाने हेतु	1,00,000/-
			योग	**5,08,867/-**
2.	2000-2001	1.	वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव/मरम्मत हेतु	1,00,000/-
		2.	सिविर लाइन की मरम्मत कराने हेतु	85,000/-
		3.	रसोई घर की मरम्मत कराये जाने बाबत	1,60,000/-
		4.	जेल भवन में गन्दे पानी की निकासी की नालियों की मरम्मत कराने हेतु	95,000/-
			योग	**4,40,000/-**
3.	2001-2002	1.	वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव/मरम्मत हेतु	86,000/-
		2.	सीवरेज लाइन की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु-सुधार कार्य हेतु	4,10,000/-
		3.	मेन वाल के अन्दर व बाहर आई दरारों की मरम्मत कराये जाने बाबत	1,00,000/-
			योग	**5,96,000/-**

कुल 3 वर्षों में खर्च की गई राशि

5,08,867/- + 4,40,000/- + 5,96,000/- = 15,44,867/- मात्र

परिशिष्ट "स"

10 फरवरी, 2002 द्वारा

न्यायमूर्ति अमरसिंह गोदारा, सदस्य, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

बीकानेर दौरे की अवधि में आज रविवार को स्वयं कारागार अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर की उपस्थिति में सम्भाग के केन्द्रीय कारागार परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसी अवसर पर पूर्व में सम्पन्न बन्दियों की खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत कर उन्हें 'खेल खिलाड़ी की भावना से खेलने' एवं शेष, बन्दियों को भी खेलकूद, मनोरंजक सांस्कृतिक एवं साहित्यक गतिविधियों में भाग लेकर रचनात्मक भावना से सदाचारी बनकर अपने समाज में आदर्श नागरिक बन्दियो के रूप लौटने का संकल्प लेने की सामहिक सम्बोधन किया।

कारागार प्रशासन के विरुद्ध अलावा पैरोल पर रिहाई अन्य कारागारों/खुली कारागारों (कृषि फार्म, दण्डावधि से पूर्व रिहाई) आदि सामान्य व्यथाओं के अतिरिक्त आवास, भोजन, उपचार, आदि बाबत शिकायत नहीं आई।

अधीक्षक सजग सतर्क, उत्साही एवं कर्तव्यपरायण होने की अधिकांश बन्दियों से पुष्टि की।

नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना प्रशंसनीय है।

कारागार भवन करीब 125 वर्ष पुराना होकर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में किसी समय किसी बड़ी मानवीय त्रासदी का कारण बन सकता है।

ह०/–

10.2.2002

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-309 का विवरण)

जिला कोटा व बारां में सरकारी/अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में विद्युत बिलों की बकाया राशि का सब डिविजनवार विवरण

(बकाया राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	सब डिविजन का नाम	केन्द्र सरकार पर बकाया	राज्य सरकार पर बकाया	अर्द्ध सरकारी पर बकाया	स्वायत्तशासी संस्थाओं में बकाया
1	2	3	4	5	6
	कोटा जिला				
1.	अ-प्रथम	0.54	1.90	–	96.32
2.	अ-द्वितीय	0.45	0.03	–	147.68
3.	अ-तृतीय	–	–	–	229.46
4.	अ-चतुर्थ	–	1.02	–	205.80
5.	ब-प्रथम	–	–	–	89.54
6.	ब-द्वितीय	–	–	–	183.08
7.	ब-तृतीय	15.63	–	–	418.08
8.	ब-चतुर्थ	–	92.42	–	124.86
9.	एचटीएम-द्वितीय	–	18.96	–	–
10.	इटावा	–	2.71	–	–
11.	(ग्रामीण) कोटा	–	0.80	–	8.47
12.	सांगोद	–	0.85	–	–
13.	सुल्तानपुर	–	0.94	–	–
14.	कनवास	–	1.88	–	–
15.	चेचट	–	–	–	–
16.	रामगंजमण्डी	–	1.67	–	0.41
	योग	16.62	122.38	–	1503.70

1	2	3	4	5	6
बारां जिला					
1.	बारां (शहर)	–	7.83	50.29	–
2.	बारां (ग्रामीण)	–	47.80	–	–
3.	अन्ता	–	10.74	3.51	–
4.	मांगरोल	–	5.58	–	0.20
5.	किशनगंज	–	0.15	–	0.10
6.	शाहबाद	–	1.43	–	0.50
7.	अटरू	–	2.45	0.50	–
8.	छबड़ा	–	–	–	–
	योग	–	**75.99**	**54.30**	**0.80**

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला नागौर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

310. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कौन-कौन से सरकारी अस्पतालों में आपरेशन थियेटर हैं जिसमें कौन-कौन से चालू हैं?

(2) उक्त जिले के कौन से अस्पतालों में आपरेशन के समय मरीज को बेहोश करने वाला डाक्टर कार्यरत है?

(3) उक्त जिले के जिन अस्पतालों में बेहोश करने वाले डाक्टर नहीं है उनमें आपरेशन के समय इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है?

(4) क्या लाडनूं के सरकारी अस्पताल में बेहोश करने वाला डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो क्या उक्त डाक्टर को पदस्थापित किया जायेगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी? उक्त कार्य कब तक किया जा सकेगा?

(5) क्या राज्य में कार्यरत बेहोश करने वाले डाक्टरों की कमी है? यदि हां, तो उक्त कमी को किस प्रकार से कब तक पूरा किया जा सकेगा? क्या मौजूदा डाक्टरों को कोई अल्प समय का प्रशिक्षण देकर उक्त कमी को पूरा किया जा सकता है?

उत्तर

(1) जिला नागौर में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में निर्मित आपरेशन थियेटरों एवं चालू आपरेशन थियेटरों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय चिकित्सालय, नागौर में कनिष्ठ विशेष (निश्चेतन) का एक पद स्वीकृत है जिस पर चिकित्सक कार्यरत है इसके अलावा एक चिकित्सा अधिकारी निश्चेतन में डिप्लोमा कार्यरत है उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा में एक विशिष्ठ चिकित्सा अधिकारी निश्चेतन डिप्लोमा पदस्थापित है।

(3) जिले के जिन अस्पतालों में बेहोश करने वाले चिकित्सक (एनेस्थेटिकस्ट) पद सृजित नहीं है उन स्थानों पर सर्जन स्वयं लोकल एनेस्थेशिया के तहत आपरेशन का कार्य करते हैं।

(4) जी हां। राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं में बेहोश (निश्चेतन) करने वाले चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसूति सम्बन्धी आपात आपरेशन हेतु प्राइवेट निश्चेतन की सेवाएं 500/-रु. प्रति केस दिये जाने का प्रावधान है।

(5) जी हां। जिन चिकित्सालयों में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर निश्चेतन विशेषज्ञ का पद सृजित नहीं है उनमें चरणबद्ध रूप से निश्चेतक चिकित्सक के पद को सृजित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

जिला नागौर में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में निर्मित आपरेशन थियेटरों एवं चालू आपरेशन थियेटरों का विवरण

चिकित्सा संस्थान का नाम जिनमें आपरेशन थियेटर निर्मित है	चिकित्सा संस्थानों का नाम जिनमें आपरेशन थियेटर चालू है
1	2
1. राजकीय चिकित्सालय, नागौर	1. राजकीय चिकित्सालय, नागौर
2. राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना	2. राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना
3. राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं	3. राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं
4. राजकीय चिकित्सालय, परबतसर	4. राजकीय चिकित्सालय, परबतसर
5. सामुदायिक स्वा. केन्द्र, कुचामनसिटी	5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचामन सिटी
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकराना	6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकराना
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़तासिटी	7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़तासिटी
8. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, मोलासर	8. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोलासर
9. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, छोटीखाटू	9. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रियाबड़ी
10. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, निम्बीजोधा	10. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना
11. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, जायल	11. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा
12. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, कुचेरा	12. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, जायल
13. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, रियाबड़ी	13. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, छोटीखाटू
14. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, डेगाना	14. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, निम्बीजोधा
15. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोतवास	
16. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चावण्डिया	
17. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुडभगवानदास	
18. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी	

1	2
19. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोदीवासी	
20. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देह	
21. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोल	
22. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरनाऊ	
23. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खींवसर	
24. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखवास	
25. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पांचोड़ी	
26. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजवाना	
27. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़ता रोड	
28. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोटन	
29. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोखाचण्डावतां	
30. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेण	
31. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूण्डलोता	
32. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पितलसर	
33. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसोर	
34. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटवा	
35. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पादूखुर्द	
36. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पादूकलां	
37. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसनगर	
38. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थांवला	

1	2
39. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बग्गड़	
40. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागौर	
41. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीह	
42. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडू	
43. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुकनवाली	
44. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिण्डा	
45. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मारौठ	
46. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवलीकलां	
47. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोरावड़	
48. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वूडसू	
49. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनकोली	
50. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोषीना	
51. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलिया	
52. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लादड़िया	
53. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तगढ़	
54. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिठड़ी (लाडनूं)	
55. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालसमन्द	
56. राजकीय डिस्पेंसरी, नावां	

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में सड़क निर्माण हेतु निविदाएं

311. श्री मोहन लाल मोदी (नीमका थाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में नीमकाथाना से चीपलाटा, रायपुर जागीर, जीर की चौकी से टोडा, डाबला स्टेशन से पाटन, नीमकाथाना से गणेश्वर वाया भूदोली मावण्डा खुर्द से जीलो वाया, मावण्डा कलां, नीमकाथाना पाटन रोड पर रायपुर मोड़ से रायपुर, नीमकाथाना से नया वास की सड़कों की मरम्मत और पेवर करने के लिए निविदा स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां की निविदा स्वीकृत हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों के ठेकेदारों ने सस्ती दर से निविदा देकर ठेके प्राप्त कर लिये लेकिन अभी भी वो कार्य करने में असमर्थ हैं? क्या उन्होंने विभाग को लिख कर भी दे दिया कि उनसे पैनल्टी चार्ज कर ली जावे? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त ठेके को निरस्त कर दुबारा निविदा आमंत्रित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सड़कों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। उपरोक्त में से नीमकाथाना गणेश्वर वाया भूदौली सड़क एवं रायपुर मोड़ से रायपुर सड़क की स्वीकृति आर.यू.पी. प्रथम चरण में नहीं हुई थी, दोनों सड़क आर.यू.पी. द्वितीय चरण में प्रस्तावित है।

(2) संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3) चूंकि कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं, पुन: निविदा का फिलहाल प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

परिशिष्ट ''क''

(अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	किमी.	लम्बाई (कि.मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	निविदा आमंत्रित करने का क्र.सं. एवं दिनांक	कार्यादेश जारी करने का का क्र.सं. एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	सम्पर्क सड़क नयाबास	0/0 से 1/0	1.00	4.00	निविदा सं. 6–2001–2002 क्र.सं. 513 दिनांक 19.11.2001	6627 से 6661 दिनांक 13.12.2001
2.	सम्पर्क सड़क नयाबास	1/0 से 2/0	1.00	2.00	''	''
3.	सम्पर्क सड़क टोडा	0/0 से 9/0	9.00	18.00	''	''
4.	सम्पर्क सड़क टोडा	9/0 से 15/0	6.00	24.00	''	''
5.	सम्पर्क सड़क डाबला पाटन	0/0 से 11/0	11.00	27.50	''	''
6.	सम्पर्क सड़क महावा	0/0 से 3/0	3.00	6.00	''	''
7.	सम्पर्क सड़क माउण्डा खुर्द से माउण्डाकलां	0/0 से 7/0	7.00	14.00	''	''
8.	शाहपुरा चिड़ावा रोड	62/500 से 64/800	2.30	18.00	''	''

(ब) कृषि उपज मण्डी द्वारा स्वीकृत सड़कों की सूची

1	2	3	4	5	6	7
1.	नीमकाथाना से चिपलाटा रोड	3/0 से 12/0	9.00	16.00	निविदा सं. 2/2001–2002 क्र.सं. 1745–47 दि. 25.9.2001	5272 से 5282 दिनांक 31.12.2001
2.	नीमकाथाना से चिपलाटा रोड	12/0 से 18/0	6.00	12.00	"	"
3.	नीमकाथाना से चिपलाटा रोड	23/0 से 25/0	2.00	4.00	"	"

जिला श्रीगंगानगर में विश्राम भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

312. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001-2002 में कितने नये पर्यटन केन्द्रों को चयनित किया गया है व उक्त के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया?

(2) जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

(3) क्या श्रीगंगानगर शहर में पर्यटन विश्राम गृह हेतु 45 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो अब तक उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में पर्यटन विभाग द्वारा चयनित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि इस सूची में से भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या 14 पर अंकित योजना को ही वर्षान्त स्वीकृत किया गया है।

(2) श्रीगंगानगर शहर में पर्यटक विश्राम गृह एवं राजियासर (सूरतगढ़) में मार्गस्थ सुविधा स्थापित करने के लिए चयन किया गया है।

(3) जी नहीं। यद्यपि पर्यटन विभाग द्वारा राशि स्वीकृत करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव पूर्व वित्तीय वर्ष (2001-2002) में ही प्रेषित कर दिये गये थे, लेकिन राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

पर्यटन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में (2002-2003) पुनः राशि स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

परिशिष्ट "अ"

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिए चयनित की गई योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी	प्रस्ताव की कुल लागत	वित्तीय प्रावधान (फण्डिंग)	केन्द्रीय हिस्सा (लाखों में)	राज्य हिस्सा (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	रणथम्भौर दुर्ग के दिल्ली गेट तक पगडण्डी का विकास एवं संरक्षण कार्य, सवाईमाधोपुर।	वन विभाग/ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	30.00	67.33	20.00	10.00
2.	कायलाना लेक, जोधपुर के लिये पैडल बोट और मोटर वोट्स की खरीद।	रा.प.वि.नि.	30.00	100.00	30.00	–
3.	मार्गस्थ सुविधा, साण्डेराव (पाली-जोधपुर-माउंट आबू) का निर्माण।	रा.प.वि.नि.	25.00	80.20	20.00	5.00
4.	अर्थूना मन्दिर, बांसवाड़ा का संरक्षण का कार्य	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	20.00	67.33	13.40	6.60
5.	सोनाना खेतलाजी, पाली में जन सुविधाओं का निर्माण।	रा.प.वि.नि.	20.00	80.20	16.00	4.00
6.	इंटप्रिटेशन सेन्टर, प.स्वा. केन्द्र, आमेर (जयपुर) का निर्माण।	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	40.00	80.20	32.00	8.00
7.	मार्गस्थ सुविधा, राजियासर (सूरतगढ़) का निर्माण	रा.प.वि.नि.	25.00	80.20	20.00	5.00
8.	कुम्भलगढ़ फोर्ट में जन सुविधाओं का निर्माण एवं संरक्षण कार्य।	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	40.00	80.20	32.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7
9.	मार्गस्थ सुविधा, तिजारा (दिल्ली–सरिस्का रोड) का निर्माण	रा.प.वि.नि.	25.00	80.20	20.00	5.00
10.	श्रीगंगानगर में पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण	रा.प.वि.नि.	45.00	80.20	36.00	9.00
11.	जवाई बांध पाली के लिए पैडल वोट और मोटर वोट्स की खरीद	रा.प.वि.नि.	25.00	100.00	25.00	–
12.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, अजमेर का निर्माण	रा.प.वि.नि.	40.00	80.20	32.00	8.00
13.	माण्डलगढ़ दुर्ग, भीलवाड़ा का संरक्षण एवं विकास	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	30.00	80.20	24.00	6.00
14.	मेले–त्यौहार के आयोजन के लिये वित्तीय सहायता	पर्यटन विभाग	20.00	60.50	10.00	10.00
	(अ) राजस्थान कल्चर एण्ड फूड फेस्टिवल, मुम्बई (10.00 लाख)					
	(ब) राजस्थान कल्चर एण्ड फूड फेस्टिवल, बड़ौदा (10.00 लाख)					
15.	आई.टी. प्रोजेक्ट के लिये प्रस्ताव	पर्यटन विभाग	50.00	60.50	25.00	25.00
	(अ) टच स्क्रीन कियोस्क की स्थापना निम्न स्थानों पर :-					

1	2	3	4	5	6	7
	(1) जयपुर हवाई अड्डा					
	(2) जोधपुर हवाई अड्डा					
	(3) उदयपुर हवाई अड्डा					
	(4) 7 पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर–बीकानेर–जैसलमेर–जोधपुर–उदयपुर–माउंटआबू–अजमेर					
	ब. डेजर्ट सर्कट और शेखावाटी सर्कट के लिये विडियो सी.डी. रोम का निर्माण					
	स. राजस्थान में अपरिचित पर्यटक स्थलों पर विडियो सी.डी.					
	द. साइबर पत्रिका "अतिथि" (मासिक)					
	य. पर्यटन विभाग में आन लाइन सूचना एवं आरक्षण व्यवस्था					
	कुल योग		465.00		355.40	109.60

जिला हनुमानगढ़ में वितरित घटिया कीटनाशक दवा की जांच

313. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2001 की खरीफ की फसल के समय नकली व घटिया कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से किसानों की फसल खराब होने के मामले प्रकाश में आये थे? यदि हां, तो कौन-कौन से काश्तकारों की कितनी-कितनी फसल खराब हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नकली व घटिया कीटनाशक दवा विक्रेताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मामलों में नष्ट हुई फसल का मुआवजा किसानों को दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2001 की खरीफ की नरमा/कपास की फसलों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के कारण फसल खराब होने बाबत 8 किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दो प्रकरणों में सम्बन्धित डीलर एवं निर्माता के विरुद्ध केस दायर कर दिया है। शेष के सम्बन्ध में पुनः जांच कराई जा रही है एवं तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) इस प्रकार के प्रकरणों में सरकार की ओर से मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-1

खरीफ 2001 में कपास/नरमा फसल खराब होने की शिकायत करने वाले कृषकों की सूची

क्रमांक	नाम कृषक एवं पता	प्रभावित क्षेत्र	अनुमानित नुकसान
1.	रणवीर सिंह/बद्रीराम भाखरा वाली	04 हैक्टेयर	10%
2.	हरमेन्द्र सिंह/बलदेव सिंह सिंहपुरा	2.5 हैक्टेयर	5%
3.	लालचन्द/शेराराम कुलचन्द्र	07 हैक्टेयर	शून्य
4.	महेन्द्र सिंह/बलवीर सिंह चक 6 एम.जे.डी.	04 हैक्टेयर	50-60%
5.	बूटा सिंह/हरबक्श सिंह 22 पी.टी.पी.बी.	04 हैक्टेयर	80-90%
6.	चन्द्र सिंह/भूरा सिंह भाखरा वाली	05 हैक्टेयर	40-50%
7.	प्रगट सिंह/हरचन्द सिंह 4 डी.पी.एम.	08 हैक्टेयर	50-60%
8.	कासम खां/गनी खां चक 16 एन.टी.आर.	03 हैक्टेयर (कपास) 0.75 हैक्टेयर (नरमा)	100% 70%

पंचायत समिति कोटड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

314. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति कोटड़ा में आदिवासी बेरोजगार युवकों को विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से लाखों रुपयों की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की और कुछ समय पश्चात् ही संस्थान को बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बन्द करने पर औद्योगिक निदेशालय जोधपुर के माध्यम से राज्य योजना के तहत इसे संचालित किया जा रहा है? क्या वर्ष 2001-2002 में उक्त संस्थान में किसी भी प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश नहीं दिया गया और न ही इस वर्ष में बजट का आबंटन किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अनुरोध पर जनजाति युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार/स्वरोजगार के योग्य बनाने हेतु नवम्बर, 1988 में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटड़ा विशेष केन्द्रीय सहायता से प्रारम्भ किया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1995-96 में राज्य आयोजना मद में 57.31 लाख रुपये भवन निर्माण हेतु प्रावधित किये गये तथा 20.00 लाख रुपये की राशि उपकरण क्रय हेतु प्रावधित की गई।

जनजाति युवकों की प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि नहीं होने से एवं विशेष केन्द्रीय सहायता मद में सहायता प्राप्त नहीं होने के कारण जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उक्त संस्थान को सितम्बर, 2001 से बन्द करने का निणर्य लिया। फलत: तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2001-2002 में प्रवेश स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में द्वितीय वर्ष में "फिटर" व्यवसाय में छात्र अध्ययनरत हैं।

(2) जी नहीं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संस्थान हेतु आवर्तक व्यय उपलब्ध न कराये जाने के कारण वर्ष 2001-2002 में प्रथम वर्ष में प्रवेश स्थगित रखे गये।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर ही संस्थान में प्रथम वर्ष में पुन: प्रवेश किया जाना सम्भव हो सकेगा।

महाविद्यालय बयाना में रिक्त पद

315. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महाविद्यालय बयाना में कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त में से किस-किस विषय के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, बयाना में संचालित विषय में 16 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं जिसमें से 3 पद रिक्त हैं। विवरण सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर राजकीय महाविद्यालय, बयाना में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय महाविद्यालय, बयाना में स्वीकृत व रिक्त पदों की स्थिति निम्न है

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	कब से रिक्त है
1.	अर्थशास्त्र	1	1	–	
2.	अंग्रेजी	2	2	–	
3.	हिन्दी	3	2	1	2/2001
4.	इतिहास	1	0	1	1/2001
5.	राज. शास्त्र	3	2	1	2/2001
6.	संस्कृत	2	2	–	
7.	समाज शास्त्र	1	1	–	
8.	ए.बी.एस.टी.	1	1	–	
9.	व्या. प्रशासन	1	1	–	
10.	ई.ए.एफ.एम.	1	1	–	
	योग	16	13	3	

किसानों से मिनिमम चार्जेज वसूली में छूट

316. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में किसानों को पूर्ण बिजली नहीं देने पर भी कुएं की मोटरों का मिनिमम चार्जेज लेने का नियमानुसार प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों को पूर्ण विद्युत आपूर्ति नहीं देने पर उनसे वसूले जा रहे मिनिमम चार्जेज में छूट देने का नियमों में प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) अब उक्त प्रावधान कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) मीटर प्रणाली के किसानों से टैरिफ प्रावधानों के अनुसार मिनिमम बिलिंग चार्जेज लेने का प्रावधान परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

किसानों को फसल के समय बिजली का वितरण 6-7 घंटे प्रतिदिन किया जाता है जबकि किसानों की मोटर के लगभग तीन घंटे प्रतिदिन उपयोग लेने पर मिनिमम बिलिंग चार्जेज के बराबर बिजली की खपत हो जाती है। अत:एव मिनिमम बिलिंग न लेने की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती है।

(2) जी नहीं। आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को प्रतिदिन 6 से 7 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जबकि मिनिमम चार्जेज लगभग तीन घंटे तक विद्युत आपूर्ति में ही पूरे हो जाते हैं। जो उपभोक्ता किसी कारणवश विद्युत उपभोग नहीं करते हैं, उनके लिये भी विद्युत तंत्र व विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिये मिनिमम चार्जेज राशि लिया जाना न्याय संगत है। अत: मिनिमम चार्जेज में छूट देने के लिये नियमों में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	विवरण	दर
1.	सामान्य श्रेणी कनेक्शन	3 हार्सपावर तक 200 रु. एवं तत्पश्चात् 50 रु./एच.पी./माह
2.	फार्म हाउस	3 हार्सपावर तक 700 रु. एवं तत्पश्चात् 220 रु./एच.पी./माह
3.	उपरोक्त मद (1) एवं (2) नहीं समाहित भी मय नर्सरी (सामान्य श्रेणी में बदलने तक) कनेक्शन जिन्हें निरन्तर सप्लाई/ 24 घंटे सप्लाई मिल रही है तथा पोलट्री फार्म	3 हार्सपावर तक 450 रु. एवं तत्पश्चात् 130 रु./एच.पी./माह

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का नर्स यौन शोषण प्रकरण

317. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में बहुचर्चित नर्स यौन शोषण प्रकरण सर्वप्रथम कब उजागर हुआ? उक्त की जांच कब-कब, किस-किस के द्वारा की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण की जांच मुख्य मंत्री के निर्देशानुसार महिला आयोग से कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या और भी किसी स्तर पर किन्हीं अधिकारियों से उक्त की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारीयों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में बहुचर्चित नर्स यौन प्रकरण में सर्वप्रथम पीड़िता द्वारा दिनांक 5.12.2001 को शिकायत की जिस पर सवाई मानसिंह चिकित्सा प्रशासन द्वारा दिनांक 6.12.2001 को कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 23.1.2002 को अपनी रिपोर्ट दी जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

इसी प्रकार महिला आयोग द्वारा जांच पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.1.2002 को प्रस्तुत की तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों पर प्रशासनिक जांच श्रीमती अलका काला, आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच द्वारा की गई जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.2.2002 को प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट्स क्रमशः परिशिष्ट "ब" व परिशिष्ट "स" पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। महिला आयोग से कराई गई जांच की रिपोर्ट परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरण की जांच राज्य सरकार के स्तर से आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच राजस्थान, जयपुर द्वारा भी कराई गई जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का तुरन्त प्रभाव से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है तथा सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की सड़कों का पुनर्निर्माण

318. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सी.आर.एफ. योजना के तहत सरकार राज्य स्तरीय सड़कों का पुनः निर्माण का कार्य करा रही है? यदि हां, तो धौलपुर जिले में कितनी सड़कों का पुनः निर्माण किया जा रहा है? स्थान व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि धौलपुर से राजाखेड़ा व धौलपुर से बाड़ी सड़कें राज्य स्तरीय सड़कें हैं एवं पुनः निर्माण योग्य हैं? यदि हां, तो उक्त पुनः निर्माण का कार्य कहां से कहां तक किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों सड़कें धौलपुर से राजाखेड़ा और धौलपुर से बाड़ी को जोड़ती है? यदि हां, तो उक्त सड़कों में जितना हिस्सा धौलपुर विधान सभा क्षेत्र का आता है उतने हिस्से को पुनः निर्माण से क्यों छोड़ा जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के हिस्से का भी पुनः निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर जिले में सी.आर.एफ. योजना के तहत चार सड़कों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का पुन: निर्माण (मरम्मत) कार्य कराया जा रहा है। स्थान व नामवार विवरण प्रपत्र "अ" संलग्न है।

(2) जी हां।

1. धौलपुर से राजाखेड़ा सड़क पर किमी. 18 से किमी. 35 तक (18 किमी.) एवं राजाखेड़ा से अन्तरराज्यीय सीमा तक किमी. 40 से 43 तक 4 किमी.

2. धौलपुर से बाड़ी सरमथुरा सड़क पर किमी. 56/0 से किमी. 66/0 तक (10 किमी.) पर उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जा रहा है।

(3) जी हां।

1. धौलपुर से राजाखेड़ा सड़क जिसकी कुल लम्बाई 44/200 किमी. है। धौलपुर विधान सभा के अन्तर्गत 14 किमी. है।

2. धौलपुर से बाड़ी सड़क जिसकी कुल लम्बाई 35 किमी. है। धौलपुर विधान सभा के अन्तर्गत 13 किमी. है। सड़क की स्थिति के आधार पर इन किमी. को द्वितीय चरण में शामिल करने हेतु छोड़ा गया है। इसे द्वितीय फेज में सम्मिलित कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं।

(4) जी हां। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कार्य वर्ष 2002-2003 में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र "अ"

सी.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत जिला धौलपुर में कार्यों का स्थान व नामवार विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	विशेष विवरण
1.	धौलपुर सैपऊ सड़क जिला सीमा तक जंक्शन स्टेट हाइवे 2 पर राज्य मार्ग 23 किमी. 2/350 से 23/350 कुल लम्बाई (21 किमी.)	105.00 लाख	कार्य प्रगति पर है।
2.	सड़क चौड़ाई व डामरीकरण कार्य राजाखेड़ा धौलपुर व धौलपुर बाड़ी सरमथुरा सड़क राजमार्ग 2 किमी. 0/0 धौलपुर (अ) दिहोली से राजाखेड़ा किमी. 18 से 35 कुल लम्बाई (18 किमी.) (ब) अन्तरराज्यीय सीमा तक किमी. 40 से 43 कुल लम्बाई (4 किमी.) (स) बरौली से सरमथुरा किमी. 56/0 से 66/0 कुल लम्बाई (10 किमी.)	284.00 लाख	कार्य प्रगति पर है।
3.	बाड़ी सैपऊ बसई नबाव सड़क (मुख्य जिला सड़क 48) 0/0 से 12/0 अन्तरराज्यीय सीमा तक कुल लम्बाई 12 किमी. धौलपुर विधान सभा 6 राजाखेड़ा विधान सभा 6	120.00 लाख	निविदा प्राप्त नहीं होने से पुन: निविदा 27.3.2002 को आमंत्रित की गई है।
4.	बाड़ी बसेड़ी बयाना रोड किमी. 14 कुल 1 किमी. सी.सी. पेवमेंट	30.00 लाख	कार्य प्रगति पर है।
		योग	539.00 लाख

जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों/ बावड़ी/हवेलियों की मरम्मत

319. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी):** क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हैरिटेज सिटी जयपुर में अधिकांश ऐतिहासिक स्मारक/किले/बावड़ी/मन्दिर/हवेलियां/परकोटे आदि जर्जर अवस्था, टूटे-फूटे व अतिक्रमण के शिकार हैं? यदि हां, तो किस-किस स्मारक का कौन-कौनसा भाग कितना-कितना क्षतिग्रस्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विश्व प्रसिद्ध हवामहल, जलमहल, नाहरगढ़ किला, आमेर महल, शिरोमणि मन्दिर, सूर्य मन्दिर, अकबरी मस्जिद, आमेर का पन्ना मीणा कुण्ड, हाडीरानी महल, चरण मन्दिर, जनानी ड्योडी, आमेर और जयपुर की सीमा दर्शाने वाला परकोटा आदि के बहुत से हिस्से एवं कुछेक पूर्णत: जर्जरावस्था में आ चुके हैं? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त स्मारकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्मारकों को पुन: उनके मूल स्वरूप में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला जयपुर के कौन-कौनसे ऐतिहासिक स्मारकों/मन्दिरों/हवेलियों का स्वरूप बिगाड़कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं? उक्त के लिये कौन-कौन पक्षकार दोषी पाये गये हैं और उक्त के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हैरिटेज सिटी जयपुर में राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 की धारा 3 (4) के अन्तर्गत ऐतिहासिक स्मारक, किले, बावड़ी, मन्दिर, हवेलियां, परकोटे आदि राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हैरिटेज सिटी जयपुर के संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

जर्जर अवस्था में टूटे-फूटे स्मारकों का कौन-कौन सा भाग कितना-कितना क्षतिग्रस्त है, की सूची परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है। अतिक्रमण के शिकार स्मारकों की सूची परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित जर्जर अवस्था में आ चुके क्षतिग्रस्त स्मारकों की सूची परिशिष्ट ''ङ'' पर संलग्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत संरक्षित घोषित जयपुर का कोई स्मारक जर्जर अथवा क्षतिग्रस्त नहीं है।

(राज्य मंत्री, पुरातत्व)

(3) जी हां, विभाग के सीमित संसाधनों एवं स्वीकृत अल्प बजट से स्मारकों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण/रखरखाव के कार्य उनके मूल स्वरूप के अनुसार करवाये जाते हैं। राजस्थान के स्मारकों के लिये ग्यारहवें वित्त आयोग में विभाग को 10.00 करोड़ रुपये का बजट स्मारकों के संरक्षण के लिये प्राप्त हुआ है, जिसमें से जयपुर के 3 (तीन) संरक्षित स्मारकों पर 152.29 लाख रुपये की राशि के संरक्षण कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं (परिशिष्ट "च")। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 7 (सात) स्मारकों की संरचनात्मक एवं रसायनिक संरक्षण कार्यों की संरचनात्मक एवं रसायनिक संरक्षण कार्यों की परियोजनाएं तैयार की जाकर शासन को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गई हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट "छ" पर संलग्न है।

(4) जयपुर जिले में जिन संरक्षित स्मारकों का स्वरूप बिगाड़ कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनके दोषी पक्षकार तथा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ज" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में नकली खाद, बीज के नमूनों की जांच

320. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में प्रदेश में नकली, खाद बीज, दोयम दर्जे की कीटनाशक दवाओं को पकड़ा गया? यदि हां, तो पकड़े गये दुकानदार/लाइसेंसधारी के विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में रबी व खरीफ की फसलों के लिये बिकने वाले बीजों, खाद कीटनाशक दवाइयों के कितने नमूनें जांच हेतु लिये गये? जांच के दौरान लिये गये नमूनों में कितने नमूने अमानक व नकली पाये गये? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) खाद बीज कीटनाशक दवाओं को जांच करने के लिये विभाग ने कितने निरीक्षकों/अधिकारियों को अधिकृत किया है तथा उनकी जांच किन-किन प्रयोगशालाओं में की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करने का लक्ष्य निरीक्षक/अधिकारियों को निर्धारित कर रखा है? यदि हां, तो गत वर्ष कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(5) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में किसानों को कितने प्रमाणिक बीज उपलब्ध करवाये गये? उपलब्ध करवाये गये बीज फसलों की हुई बुवाई अनुसार कितने प्रतिशत थे?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय निरीक्षण दौरान वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 (फरवरी, 2002 तक) में प्रदेश में विभिन्न कृषि आदान उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों के लिये गये कुल नमूनों में से वर्ष 2000-2001 में क्रमशः 40, 31 एवं 104 नमूने तथा वर्ष 2001-2002 (फरवरी, 2002 तक) में क्रमशः 63, 64, एवं 100 नमूने नकली/दोयम दर्जे (अमानक) के पाये गये। वर्षवार नकली/दोयम दर्जे (अमानक) के खाद, बीज एवं कीटनाशी नमूनों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत दो वर्षों में खरीफ व रबी की फसलों के लिये बिकने वाले बीजों, खाद एवं कीटनाशक दवाइयों के विश्लेषण हेतु लिये गये एवं विश्लेषण उपरान्त अमानक पाये गये नमूनों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 से 4 पर संलग्न है।

(3) राज्य में कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारियों में से उर्वरकों के 353, बीजों के 352 तथा कीटनाशी के 374, निरीक्षकों को उनके अधिकारिता क्षेत्र में कार्य करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया हुआ है। उक्त निरीक्षकों द्वारा लिये जा रहे विभिन्न कृषि आदान नमूनों के विश्लेषण हेतु राज्य में बीज हेतु एक, उर्वरक हेतु तीन एवं कीटनाशी दवाइयों के विश्लेषण हेतु दो प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। राज्य में स्थापित प्रयोगशालाओं तथा इन प्रयोगशालाओं में जांच हेतु अधिकृत अधिकारी का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) खाद, बीज एवं कीटनाशी दवाओं के विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण करने के विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निरीक्षकों/अधिकारियों को निर्धारित नहीं किये जाते हैं लेकिन विभाग द्वारा निरीक्षकों की संख्या के आधार पर विभिन्न कृषि आदानों के जिलेवार नमूने लेने के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। निरीक्षकों द्वारा नमूना लेते समय कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाता है। वर्षवार विभिन्न कृषि आदानों के निर्धारित किये गये नमूनों के लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति एवं उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट-''6'' पर संलग्न है।

(5) विगत तीन वर्षों में किसानों को सार्वजनिक एवं निजी बीज उत्पादकों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रमाणित/उच्च्य गुणवत्ता के बीज का विवरण परिशिष्ट-''7'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

नकली/दोयम दर्जे (अमानक) के खाद, बीज, कीटनाशी नमूनों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	नाम कृषि आदान	अमानक नमूनों की संख्या	अमानक नमूनों पर कार्यवाही			
				कारण बताओ नोटिस	चेतावनी	एफ.आई. आर./ कोर्ट केस	कार्यवाही प्रक्रिया में
1.	2000–2001	उर्वरक	40	40	12	22	6
		बीज	31	31	13	9	9
		कीटनाशी	104	104		63	15
2.	2001–2002 (फरवरी, 2002 तक)	उर्वरक	63	50	17	6	40
		बीज	64	51	26	9	29
		कीटनाशी	100	100		48	41

नोट : वर्ष 2000–2001, 2001–2002 में उपरोक्तानुसार अमानक प्राप्त हुए कीटनाशी नमूनों के केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, फरीदाबाद में पुनः परीक्षण कराने के उपरान्त क्रमशः 26 नमूने एवं 11 कीटनाशी नमूने मानक घोषित किये गये।

परिशिष्ट-2

बीज के जिलेवार लिये गये नमूने एवं पाये गये अमानक नमूनों का विवरण
वर्ष 2000-2001 से 2001-2002 (माह फरवरी, 2002) तक

क्र. सं.	नाम जिला	लक्ष्य		लिये गये नमूनों की संख्या		अमानक पाये नमूनों की संख्या	
		2000-2001	2001-2002	2000-2001	2000-2002	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	245	200	204	191	0	4
2.	भरतपुर	205	200	114	168	1	0
3.	करौली	60	90	81	86	1	3
4.	सवाईमाधोपुर	150	160	158	151	0	4
5.	धौलपुर	105	110	91	102	0	4
6.	स.नि. (पौ.सं.), भरतपुर	40	40	0	38	0	0
7.	भीलवाड़ा	170	200	90	147	0	7
8.	चित्तौड़गढ़	210	200	128	147	1	2
9.	राजसमन्द	175	150	59	120	0	4
10.	स.नि.(पौ.सं.), भीलवाड़ा	40	40	20	45	0	0
11.	चूरू	30	30	38	36	0	0
12.	श्रीगंगानगर	200	220	179	220	0	2
13.	हनुमानगढ़	200	220	215	227	2	4
14.	बीकानेर	10	10	11	17	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	स.नि.(पौ.सं.), श्रीगंगानगर	40	40	0	0	0	0
16.	जोधपुर	65	70	58	62	0	0
17.	पाली	175	170	117	178	0	1
18.	बाड़मेर	20	20	29	20	0	1
19.	जालौर	175	170	113	93	1	0
20.	जैसलमेर	10	10	2	8	0	0
21.	नागौर	175	170	170	131	2	2
22.	सिरोही	140	140	86	113	6	3
23.	स.नि. (पौ.सं.) जोधपुर	40	40	16	37	0	0
24.	कोटा	85	100	7	26	0	1
25.	बारां	130	120	32	67	2	0
26.	झालावाड़	175	160	107	91	4	2
27.	बून्दी	35	35	31	49	0	0
28.	टोंक	140	140	142	105	0	2
29.	स.नि. (पौ.सं.), कोटा	40	40	5	5	0	0
30.	अजमेर	175	170	147	150	1	2

1 2	3	4	5	6	7	8
31. दौसा	140	140	103	103	0	1
32. जयपुर	140	150	136	138	4	6
33. सीकर	175	150	153	165	0	0
34. झुंझुनूं	175	150	217	146	0	1
35. स.नि. (पौ.सं.) जयपुर	40	40	19	21	0	0
36. बांसवाड़ा	140	140	76	73	1	2
37. डूंगरपुर	140	140	17	36	0	0
38. उदयपुर	170	165	51	48	1	2
39. स.नि. (पौ.सं.), उदयपुर	40	40	20	42	0	2
40. इंगानप, बीकानेर	240	280	178	88	2	1
41. सीएडी, कोटा	140	140	78	54	2	1
42. सहा.नि. (गु.नि.), मु.	0	0	17	43	0	0
योग	5000	5000	3515	3777	31	64

परिशिष्ट-3

उर्वरक के जिलेवार लिये गये नमूने एवं पाये गये अमानक नमूनों का विवरण
वर्ष 2000-2001 से 2001-2002 (माह फरवरी, 2002) तक

क्र. सं.	नाम जिला	लक्ष्य		लिये गये नमूनों की संख्या		अमानक पाये नमूनों की संख्या	
		2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	220	220	176	222	0	1
2.	भरतपुर	215	215	54	184	0	0
3.	करौली	170	170	132	147	3	8
4.	स.माधोपुर	180	180	163	149	2	4
5.	धौलपुर	110	110	85	85	1	1
6.	स.नि. (पौ.सं.), भरतपुर	30	30	0	30	0	0
7.	भीलवाड़ा	200	200	176	242	0	4
8.	चित्तौड़गढ़	240	240	226	243	7	3
9.	राजसमन्द	200	200	101	160	0	3
10.	स.नि.(पौ.सं.), भीलवाड़ा	40	40	17	62	0	0
11.	चूरू	30	30	33	24	0	0
12.	श्रीगंगानगर	295	295	203	257	0	2
13.	हनुमानगढ़	260	260	249	161	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	बीकानेर	20	20	13	18	0	0
15.	स.नि.(पौ.सं.), श्रीगंगानगर	50	50	0	0	0	0
16.	जोधपुर	80	80	53	65	6	3
17.	पाली	200	200	202	166	0	1
18.	बाड़मेर	30	30	31	35	0	1
19.	जालौर	200	200	121	109	0	1
20.	जैसलमेर	10	10	5	10	0	0
21.	नागौर	200	200	198	157	0	1
22.	सिरोही	160	160	104	145	0	0
23.	स.नि. (पौ.सं.) जोधपुर	40	40	24	28	0	0
24.	कोटा	140	140	36	91	0	0
25.	बारां	160	160	82	102	6	4
26.	झालावाड़	200	200	194	130	2	1
27.	बून्दी	40	40	42	40	1	0
28.	टोंक	160	160	132	84	3	2
29.	स.नि. (पौ.सं.), कोटा	30	30	32	17	0	0

1 2	3	4	5	6	7	8
30. अजमेर	200	200	144	162	1	3
31. दौसा	120	120	52	71	0	0
32. जयपुर	200	200	207	175	0	0
33. सीकर	200	200	153	149	2	2
34. झुंझुनूं	200	200	157	136	0	0
35. स.नि. (पौ.सं.) जयपुर	30	30	13	25	2	0
36. बांसवाड़ा	160	160	109	108	1	4
37. डूंगरपुर	160	160	83	96	0	0
38. उदयपुर	240	240	195	136	0	1
39. स.नि. (पौ.सं.), उदयपुर	45	45	59	107	0	0
40. इंगानप, बीकानेर	360	360	261	96	0	0
41. सीएडी, कोटा	175	175	91	46	1	2
42. सहा.नि. (गु.नि.), मु.	0	0	90	93	1	3
योग	6000	6000	4498	4563	40	63

परिशिष्ट-4

कीटनाशी दवाइयों के जिलेवार लिये गये नमूने एवं पाये गये अमानक नमूनों का विवरण वर्ष 2000-2001 से 2001-2002 (माह फरवरी, 2002) तक

क्र. सं.	नाम जिला	लक्ष्य		लिये गये नमूनों की संख्या		अमानक पाये नमूनों की संख्या	
		2000-2001	2001-2002	2000-2001	2000-2002	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	45	45	65	56	2	1
2.	भरतपुर	35	35	28	32	0	1
3.	करौली	30	30	31	27	1	2
4.	स.माधोपुर	35	35	28	32	3	0
5.	धौलपुर	30	30	19	25	0	0
6.	स.नि. (पौ.सं.), भरतपुर	7	7	0	5	0	0
7.	भीलवाड़ा	35	35	34	40	3	0
8.	चित्तौड़गढ़	30	30	26	27	0	0
9.	राजसमन्द	30	30	22	31	0	0
10.	स.नि.(पौ.सं.), भीलवाड़ा	7	7	4	4	0	0
11.	चूरू	15	15	37	10	3	0
12.	श्रीगंगानगर	100	100	119	144	6	6
13.	हनुमानगढ़	90	90	130	147	9	15

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	बीकानेर	15	15	12	13	1	1
15.	स.नि.(पौ.सं.), श्रीगंगानगर	7	7	0	2	0	0
16.	जोधपुर	25	25	28	13	3	1
17.	पाली	26	26	26	24	1	2
18.	बाड़मेर	13	13	17	20	1	2
19.	जालौर	13	13	8	31	1	6
20.	जैसलमेर	12	12	3	5	1	0
21.	नागौर	25	25	26	32	2	0
22.	सिरोही	15	15	12	16	0	0
23.	स.नि. (पौ.सं.) जोधपुर	7	7	6	7	1	0
24.	कोटा	35	35	36	42	1	0
25.	बारां	30	30	51	45	3	4
26.	झालावाड़	30	30	52	51	0	6
27.	बून्दी	13	13	15	13	1	0
28.	टोंक	30	30	54	86	12	24
29.	स.नि. (पौ.सं.), कोटा	7	7	10	9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	अजमेर	35	35	56	58	0	4
31.	दौसा	35	35	35	39	5	1
32.	जयपुर	50	50	95	138	4	10
33.	सीकर	30	30	39	32	3	1
34.	झुंझुनूं	20	20	22	13	0	0
35.	स.नि. (पौ.सं.) जयपुर	10	10	15	17	0	4
36.	बांसवाड़ा	15	15	14	9	0	0
37.	डूंगरपुर	15	15	11	15	0	0
38.	उदयपुर	25	25	27	20	0	0
39.	स.नि. (पौ.सं.), उदयपुर	7	7	5	25	0	0
40.	इंगानप, बीकानेर	106	106	113	42	12	2
41.	सीएडी, कोटा	60	60	77	31	11	0
42.	संयु. नि. (पौ.सं.), मु.	0	0	68	43	1	2
42.	सहा.नि. (गु.नि.), मु.	0	0	149	83	13	5
	योग	1200	1200	1625	1554	104	100

परिशिष्ट–5

कृषि आदानों की जांच हेतु राज्य में स्थापित प्रयोगशालाओं एवं जांच अधिकारी का विवरण

क्र. सं.	नाम कृषि आदान	प्रयोगशाला का नाम	जांच हेतु अधिकृत अधिकारी
1.	बीज	राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर	संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति)
2.	उर्वरक	राजकीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर/ जोधपुर/उदयपुर	उप निदेशक कृषि गुण नियंत्रण (उर्वरक)
3.	कीटनाशी	राजकीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर/ बीकानेर	उप निदेशक कृषि गुण नियंत्रण (कीटनाशक)

परिशिष्ट–6

वर्षवार विभिन्न कृषि आदानों के निर्धारित किये गये नमूनों के लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति एवं प्रतिशत उपलब्धता

क्र. सं.	वर्ष	नाम कृषि आदान	नमूनों के निर्धारित लक्ष्य	लिये गये नमूनों की संख्या	प्रतिशत
1.	2000–2001	उर्वरक	6000	4498	74.96
		बीज	5000	3515	70.30
		कीटनाशक	1200	1625	135.41
2.	2001–2002	उर्वरक	6000	4563	76.05
	(फरवरी, 2002 तक)	बीज	5000	3777	75.54
		कीटनाशक	1200	1554	129.50

परिशिष्ट-7

बीज वितरण का वर्ष तथा प्रतिशत

क्र. सं.	नाम फसल	वर्ष 1998-1999		वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-2001	
		बीज की मात्रा क्विंटल में	प्रमाणित बीज के अन्तर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत*	बीज की मात्रा क्विंटल में	प्रमाणित बीज के अन्तर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत*	बीज की मात्रा क्विंटल में	प्रमाणित बीज के अन्तर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत*
1.	**खरीफ**						
	बाजरा	56110	33.63	50301	31.99	61047	44.04
	ज्वार	825	1.54	970	1.74	1385	2.05
	मक्का	9121	4.82	14011	7.53	20758	10.71
	धान	1396	1.94	945	1.57	2200	4.41
	मूंग	8852	7.77	7601	9.15	7983	8.67
	उड़द	801	2.33	1265	5.27	698	3.08
	चौला	858	17.16	854	17.08	715	14.30
	अरहर	653	3.11	728	3.43	558	2.70
	मोठ	874	0.78	370	0.47	1284	1.33
	तिल	1013	13.76	858	13.48	1104	15.86
	मूंगफली	3276	0.65	2050	0.49	3309	1.09
	सोयाबीन	22242	5.00	12557	3.89	18457	4.28
	अरण्डी	1357	22.59	2193	18.48	2598	13.91
	कपास	41918	40.06	44388	47.58	50278	61.61
	ग्वार	2504	0.92	5455	2.11	9578	1.95
	योग	**151800**		**144546**		**181874**	
2.	**रबी**						
	गेहूं	219210	9.60	308108	11.62	242712	10.50
	जौ	5827	2.12	16880	9.32	17877	7.91
	चना	9781	0.49	11547	1.68	15391	3.10
	मसूर	115	0.98	–	–	34	0.66
	सरसों	45220	64.96	51226	68.43	32112	76.28
	योग	**280153**		**387761**		**308126**	
	महायोग	**431953**		**532307**		**490000**	

* बुवाई के आधार पर

ग्राम चाटवाड़ा एवं बोडामली (डूंगरपुर) का प्रस्तावित जनजाति बालक/बालिका छात्रावास

321. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ग्राम चाटवाड़ा एवं बोडामली जिला डूंगरपुर में जनजाति बालक/बालिका छात्रावास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम चाटवाड़ा एवं बोडामली में फिलहाल आश्रम छात्रावास खोले जाने का राज्य सरकार का विचार नहीं है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों में अधिशेष अध्यापकों का स्थानान्तरण

322. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद शिक्षकों के सृजित हैं? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं पीपलखूंट के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बांसवाड़ा (तलवाड़ा) घाटोल, गढ़ी, बागीदौरा व आनन्दपुरी में सृजित शिक्षकों के पद के अनुपात से अधिक अध्यापकों का पदस्थापन है?

(4) क्या सरकार जिला बांसवाड़ा की जिस पंचायत समिति में अधिक अध्यापक लगे हुए हैं, उनको वहां से हटाकर पंचायत समिति कुशलगढ़ व पीपलखूंट के रिक्त पदों पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नई नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बासंवाड़ा की पंचायत समितिवार शिक्षकों के सृजित पदों की संख्या सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। रिक्त पदों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "ख-I व ख-II" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी नहीं, क्योंकि किसी भी पंचायत समिति में स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापक कार्यरत नहीं हैं।

(5) नई नियुक्तियों पर वर्तमान में प्रतिबन्ध है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम देवली मांजी (कोटा) का प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

323. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु कोटा जिले में देवली मांजी ग्राम पंचायत द्वारा 20 बीघा भूमि दी गई है? क्या उक्त भूमि पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक शुरू करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। 16 बीघा जमीन जिला कलक्टर कोटा ने आबंटित की है। उक्त भूमि पर 132 के.वी. ज़ी.एस.एस. का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्ताव अभी किसी भी योजना में विचाराधीन नहीं है।

ब्यावर (अजमेर) सिटी अस्पताल में प्रसूति सुविधाएं

324. श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ब्यावर शहर में करीबन डेढ़ लाख की आबादी पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की प्रसूति व परिवार कल्याण सुविधा कितनी उपलब्ध है?

(2) क्या शहर की जनसंख्या अनुसार उपलब्ध प्रसूति सुविधा स्थापित मानदण्डों के अनुसार उपयुक्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रसूति व परिवार कल्याण सुविधा शहर में बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) ब्यावर शहर में स्थित सीटी डिस्पेंसरी पर क्या सरकार प्रसूति सुविधाएं चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय एवं प्रसवोत्तर केन्द्र, ब्यावर के माध्यम से ब्यावर शहर की महिलाओं को प्रसूति एवं परिवार कल्याण की पूर्ण सुविधाएं निरन्तर 24 घंटे उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) जनसंख्या के आधार पर प्रसूति सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय एवं प्रसवोत्तर केन्द्र ब्यावर में प्रसूति व परिवार कल्याण की पूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के एक पद पर एवं चिकित्सा अधिकारी के दो पदों पर महिला चिकित्सक कार्यरत हैं, तथा चिकित्सा अधिकारी के एक पद पर स्नातकोत्तर (स्त्री रोग) चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं।

(3) ब्यावर शहर में स्थित सिटी डिस्पेंसरी पर प्रसूति सुविधाएं चालू करने का सरकार का विचार नहीं है, क्योंकि शहरी डिस्पेंसरी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का कोई प्रावधान नहीं है व जिला चिकित्सालय में सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग

325. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्ष 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सरकार द्वारा अकाल राहत योजना में ग्रेवल सड़कों का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का?

(2) क्या अकाल राहत सड़कों में सामग्री मद पर विधायक विकास कोष से भी राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो किन-किन सड़कों पर कितनी-कितनी?

(3) क्या स्वीकृत ग्रेवल सड़कों पर विधायक विकास कोष से सामग्री मद की राशि से सामग्री डाल दी गई है? यदि नहीं, तो किस-किस अकाल राहत कार्य पर सामग्री नहीं डाली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) जी नहीं। जिन सड़क कार्यों पर सामग्री नहीं डाली गई है, उनका विवरण परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला पाली के ग्राम आउवा के विकास हेतु स्वीकृत राशि

326. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1857 की क्रान्ति के समय जिला पाली के आउवा ठिकाणे द्वारा अंग्रेज सेना के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी थी तथा उक्त ठिकाणों से ले जाई गई काली मां की मूर्ति व अन्य अस्त्र–शस्त्र आज भी पाली जिले के म्यूजियम में रखी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मूर्ति व अन्य सामान पुनः आउवा ग्राम में स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त स्वतंत्रता सैनानियों के ग्राम के विकास हेतु विशेष राशि स्वीकृत कर उक्त का सर्वांगीण विकास पर्यटन स्थल के रूप में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1857 की क्रान्ति के समय जिला पाली के आउवा ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंहजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उक्त ठिकाने से ले जाई गई काली मां की मूर्ति 17–18वीं शताब्दी की है एवं आंशिक रूप से खण्डित है, जो वर्तमान में श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय, पाली में प्रमुख रूप से प्रदर्शित है। यह प्रतिमा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से तथा जनता और पर्यटकों को सुलभ दर्शन की उपलब्धता हेतु श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय, पाली में ही सुरक्षित रूप से प्रदर्शित है।

(2) नए पर्यटन स्थलों का विकास पर्यटन की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। फिलहाल आउवा ग्राम, जिला पाली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसका विश्लेषण किया जाकर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार की योजना

327. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामलानी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने गायों की थारपारकर नस्ल के संरक्षण व सम्वर्द्धन से सम्बन्धित पंचवर्षीय योजना बनाई है? यदि हां, तो उक्त योजना की अब तक क्या प्रगति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को थारपारकर ब्रीड, कांकरेज ब्रीड एवं राठी ब्रीड को सुधारने के लिये योजना भेजी है? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) उक्त योजना की अब तक की प्रगति क्या है?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना की जर्मप्लाजम इकाई की स्थापना पशु अनुसंधान केन्द्र बीछवाल पर स्थापित कर दी गई है, जिसकी प्रगति विवरण इस प्रकार हैं।

1. एक सहायक आचार्य एवं अधीनस्थ स्टाफ की नियुक्ति की गई।
2. जर्मप्लाजम इकाई में थारपारकर गो वंश के आठ सांड बछड़ों का चयन किया जाकर उनको वीर्य संकलन के लिये प्रशिक्षत किया जा रहा है।
3. सहायक आचार्य को इस कार्य हेतु राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा प्रशिक्षित करवाया गया है।
4. वीर्य अवशीतन डीप फ्रीजिंग (Deep Freezing) प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गाय एवं भैंस विकास परियोजना के अन्तर्गत 51.76 करोड़ रुपये के प्रस्ताव 5 वर्ष के लिए प्रेषित किये गये हैं। इसमें मूलतः स्थानीय नस्लों (थारपारकर, कांकरेज, राठी, नागौरी, गीर आदि) के सम्वर्द्धन/संरक्षण हेतु पशु पालन विभाग एवं डेयरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं एवं पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, उच्च श्रेणी के सांड उपलब्ध करवाने, पंजीकरण कर प्रोजनी टेस्टिंग कार्यक्रम संचालित करने, पशुपालन विभाग एवं डेयरी के राजकीय फार्मों को सुदृढ़ करने आदि के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं। योजना का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) राष्ट्रीय गाय एवं भैंस विकास परियोजना अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक हिमीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला बस्सी का सुदृढ़ीकरण, तरल नत्रजन क्रायोकेन जार का क्रय, तरल नत्रजन टेंकर की मरम्मत, 12 केन्द्रों के माध्यम से 294 पशुओं के दुग्ध अभिलेखन का कार्य, 557 बछड़ों का संधारण कर 317 बछड़ों का वितरण, 90 प्रत्यास्मरण शिविर आयोजित कर 1138 प्रशिक्षणार्थियों तथा 8 मूलभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर 110 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यक उपकरणों का क्रय तथा मरम्मत का कार्य भी सम्पादित किया गया है। वर्ष 2001-2002 में भारत सरकार से 559.30 लाख रुपये उक्त परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए हैं जो कि इस परियोजना की स्टेट इम्पलीमेंटिग एजेंसी राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड को दिनांक 27 फरवरी, 2002 को प्राप्त हुआ है।

परिशिष्ट "क"

Statement for fund requirement for release under NPCBB (RAJASTHAN)

(Rs. In Lakhs)

S. NO.	ACTIVITY COMPONENT	Total for five years				Total for first year (2001-2002)			
		As requested by State		As assessed in LP unit		As requested by State		As assessed in LP unit	
		Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**INSTITUTIONAL RESTRUCTURING**								
A	Managerial grant		90.00		90.00		30.00		30.00
B	Computerisation/MIS		165.04		70.00		50.50		50.50
C	Studies/Survey		12.00		5.00		5.00		5.00
	SUB TOTAL		267.04		165.00		85.50		85.50
II.	**MANPOWER DEVELOPMENT**								
A	Strengthening of Training Infrastructure for sexual health control				26.00		20.00		20.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Stengthening of Training Infrastructure at the AI Training Centre		34.00		34.00		24.00		20.00
C	Trg. Cost of professionals & A.I. Workers.	4000/1241	229.00	4000/800	100.00		11.45		11.45
D	Trg. out of state/country		40.00		40.00		15.00		15.00
E	Farmers orientation Camp	160	93.50	160	50.00		37.40		18.70
F	Educational & Study tours of farmers	20	10.00	20	10.00		4.00		3.00
G	Distant Trg. Programme		5.00		10.00		2.00		5.25
H	Strengthening of state Extension cell of AH deptt.		11.00			11.00		6.00	10.00
I	Exhibitions/Calf rallies and milk competitions	2/district	32.00	1/District	16.00		12.80		9.60
G	Seminar/Workshop	40	50.00	16	20.00		20.00		10.00
H	Tapering grant to private AI workers	1241	832.24	800	24.00		207.60		11.00
	SUB TOTAL		**1881.02**		**355.00**		**461.20**		**134.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	**STRENGTHENING OF FORZEN SEMEN NETWORK**								
A	Strengthening of Sperm Station	1	36.75	1	20.00		15.00		10.00
B	Strengthening of FS bank		95.00		70.00		80.00		70.00
C	Strengthening of FS Depots	1	33.50		33.50		4.50		0.00
D	Liquid Nitrogen Bulk Storage and supply								
(i)	3000 ltr. Tanker with vehicle	6	90.00	3	45.00		45.00		22.00
(ii)	1000 ltr. Tanker with vehicle	14	154.00	5	55.00		55.00		0.00
(iii)	Repair & AMC of tanker & tanker vehicles		38.00		20.00		14.50		0.00
(iv)	Trollies for transportation of cryocans at each district	32	1.60	32	1.60		0.00		1.60
(v)	Propulsion cost		250.00		0.00		100.00		0.00
E	Strengthening/expansion of field AI net work								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i)	Equipments for new centres @ Rs. 32,500/- each	1241	402.68	800	260.00		204.75		70.00
(ii)	Strengthening of existing centres of AH Dept.in terms of cryocans/AI kits								
(a)	BA3-@ Rs. 6000/-	1509	90.54	600 @ 4500/- per container	27.00		72.54		0.00
(b)	TA55	303	50.00	100	16.50		17.00		0.00
(c)	TA26-	200	26.00	0	0.00		13.00		
(d)	CASTRATORS	200	10.00	200	10.00		32.00		
(e)	Procurement of other equipments/ stationary related to AI activities and AI-kits @ Rs. 2000/- (For repla-cement of 200 kits in alternate years from 2nd year onwards)		53.00	1600	32.00		19.00		
	Sub Total		**1331.07**		**590.60**		**672.29**		**173.60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	**BREED IMPRO-VEMENT/ BULL PRODUCTION**								
A	Strengthening of Farms		45.00		30.00		26.00		20.00
B	Strengthening of ET Centre		410.50		0.00		52.50		0.00
C	Maintenance & establishment of ONBS Farm		153.50		0.00		45.50		0.00
D	Assistance to other participating agencies		30.00		30.00		60.00		15.00
E	Field Recording/Progeny Testing	200	148.00		50.00		52.00		32.00
F	Procurement & distribution of bulls	2500	455.00	500	100.00		155.00		45.00
G	Rearing of male calves at Farmers door step	2000	62.00	2000 @ Rs. 1000 per calf/calf	15.00		8.00		8.00
	Sub Total		**1304.00**		**225.00**		**399.00**		**120.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	**MISCELLANEOUS**								
A	Strengthening of Diagnostic Labs		39.00		20.00		15.00		12.00
B	Infertility camps (One day camp @ Rs. 10,000/- for medicine/ vaccines, POL, Extension and Printing material etc. at each AI centre every year		242.57	1145	114.50		90.22		40.80
C	Strengthening of Animal Nutrition Laboratories		12.00		0.00		3.00		0.00
D	Seed money (for purchase of LN2 & FS in emergencies & exegencies		100.00		0.00		100.00		0.00
	Sub Total		**393.57**		**134.50**		**208.22**		**52.80**
	GRAND TOTAL		**5176.70**		**1470.10**		**1826.21**		**565.90**

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रदत्त आरक्षण की पालना

328. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार की घोषणानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को किस-किस प्रकार की किन-किन शिक्षण संस्थाओं में डिप्लोमा कोर्स, मेडिकल अध्ययन तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों के तहत वर्ष 2001-2002 में किस-किस महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाएं, डिप्लोमा कोर्स, मेडिकल कालेज तथा इंजीनियरिंग कालेज में कितने-कितने आशार्थियों को प्रवेश दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद भी निर्धारित प्रतिशत आरक्षण देने की पालना संस्था प्रधानों द्वारा नहीं की गई?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की घोषणानुसार एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 21 प्रतिशत आरक्षण वर्ष 1999 से दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश 272 की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के अभियांत्रिकी प्रबन्ध, फार्मेसी तथा आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम सहित समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार के आदेशानुसार कालेज शिक्षा विभाग में संचालित डिप्लोमा एवं अन्य विषयों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश के लिये 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। उक्त प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से प्रभावी होगा। आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2001-2002 में मेडिकल कालेज, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालयों, निजी पालीटेक्निक महाविद्यालयों एवं महिला पालीटेक्निक महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया, महाविद्यालयवार

(समाज कल्याण मंत्री)

सूचना परिशिष्ट क्रमशः द एवं य पर उपलब्ध है। कालेज शिक्षा विभाग में संचालित डिप्लोमा एवं अन्य विषयों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2001-2002 में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश में कोई प्रावधान ही नहीं था।

(3) जी नहीं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सामुदायिक भवन ग्राम बाम्बोलाव (अजमेर) का बकाया भुगतान

329. **श्री नाथूराम** (किशनगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की ग्राम पंचायत बाम्बोलाव के ग्राम भाउसा में सामुदायिक भवन बनाने की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सामुदायिक भवन बनकर तैयार भी हो गया है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त भवन के निर्माण कार्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) अब कब तक उक्त भुगतान कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर की ग्राम पंचायत भामलोव के ग्राम भावसा में सामुदायिक भवन बनाने की स्वीकृति दिनांक 20.12.1997 को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर द्वारा जारी की गई थी।

(2) जी हां। उक्त सामुदायिक भवन दिनांक 15.4.1999 को बनकर तैयार हो गया था। उक्त भवन निर्माण कार्य का भुगतान दिनांक 27.3.2002 को किया जा चुका है।

(3) अब कोई भुगतान बकाया नहीं है।

पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हेतु चयनित ग्राम

330. **श्री रमेश चन्द पण्ड्या** (बांसवाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर चयनित गांवों/कस्बों में जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी के कौन से गांव चयनित हुए हैं?

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

(2) उक्त गांवों/कस्बों को चयनित करने का आधार क्या था?

(3) क्या परतापुर कस्बा उक्त मानदण्ड पर खरा उतरता है? यदि हां, तो परतापुर को उक्त सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की क्या मंशा है?

(4) उक्त चयनित गांवों/कस्बों में विद्युत लाइन खींचने व अलग फीडर का कार्य कब से शुरू होगा?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी के चार ग्राम क्रमशः गढ़ी, बोरी, आंजना व परतापुर गांवों का निरन्तर विद्युत आपूर्ति हेतु चयन किया गया है।

(2) जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार जिन गांवों की आबादी 5000 से अधिक हो व उन में कम से कम 300 घरेलू कनेक्शन चालू स्थिति में हों, उन गांवों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। इसी आधार पर उक्त गांवों का चयन किया गया है।

(3) जी हां। परतापुर कस्बा भी चयनित गांवों की सूची में शामिल है।

(4) चयनित गांवों की आबादी क्षेत्र को निरन्तर विद्युत आपूर्ति हेतु अलग लाइनें खींचने हेतु तखमीना बनाना, आवश्यक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने हेतु प्रक्रिया जारी है। स्वीकृतियां प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि व लक्ष्यानुसार लाइनें खींचने का कार्य शुरू किया जावेगा।

चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर) का प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

331. **श्री अशोक (खण्डार)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल कितने सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एडपोस्ट और उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय चौथ का बरवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्रवार चिकित्सा संस्थानों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) वित्तीय वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चौथ का बरवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	एडपोस्ट	उपकेन्द्र	शहर
सवाईमाधोपुर	–	6	3	47	3
खण्डार	1	6	6	47	–
गंगापुर	1	4	4	53	–
बामनवास	2	6	5	50	–
योग	**4**	**22**	**18**	**197**	**3**

बांदीकुई से बड़ियाल (दौसा) सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

332. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बांदीकुई से बड़ियाल सड़क का निर्माण 20 वर्ष पूर्व अवाप्त की गई पुराने खसरा नं. 775, 777, 780, 808, 809 की भूमि में हुआ है? यदि हां, तो उक्त भूमि का मुआवजा क्या किसानों को सरकार दे चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार किसानों को मुआवजे का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बांदीकुई से बड़ियाल सड़क का निर्माण 20 वर्ष पूर्व अवाप्त की गई पुराने खसरा नं. 775, 777, 780, 808, 809 की भूमि में से नहीं हुआ है, जबकि सड़क का निर्माण आम रास्ते में से बना हुआ है। अतः भूमि का मुआवजा भी किसानों को सरकार ने नहीं दिया। जब चूंकि सड़क निर्माण उक्त खसरा नम्बरों में से नहीं हुआ तो मुआवजा भी नहीं दिया गया।

(2) जी नहीं।

कृषि क्षेत्र में विकास हेतु आबंटित राशि का उपयोग

333. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गत तीन वर्षों से कृषि क्षेत्र में सरकार का बजट आबंटन लगातार कम होता जा रहा है जिसकी वजह से कृषि उत्पादन में भी गिरावट आ रही है?

(2) क्या यह सही है कि आबंटित राशि का भी सम्पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और सरकार दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों से कृषि क्षेत्र को बजट आबंटन आंशिक रूप से कम हुआ है। कृषि उत्पादन में गिरावट बजट की कमी के कारण नहीं अपितु लगातार तीन वर्षों से अकाल व सूखे की स्थिति एवं भू-जल स्तर में गिरावट के कारण आई है।

(2) कृषि क्षेत्र को विगत तीन वर्षों में कुल आबंटित राशि रुपये 756.34 करोड़ में से रुपये 679.19 करोड़ का उपयोग हुआ है जो कि 90 प्रतिशत है। इसके लिए किसी एक को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

जिला डूंगरपुर के आश्रम छात्रावास का रखरखाव

334. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला डूंगरपुर में कितने आश्रम छात्रावास हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आश्रम छात्रावासों में कितने-कितने छात्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।.

(3) उक्त आश्रम छात्रावासों में बच्चों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आश्रम छात्रावासों के भवनों का रखरखाव समय पर नहीं होता है और उन्हें सुविधाएं समय पर नहीं दी जाती हैं?

(5) उक्त छात्रावासों के रखरखाव के लिये सरकार ने कब-कब, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि आश्रम छात्रावासों में जो सामान खरीदा जाता है वह प्रमाणित नहीं होता है? उक्त सामान कहां से दिया जाता है? क्या उक्त सामान को खरीदने के लिये कोई समिति गठित है? क्या उक्त सामान जिले से ही खरीदा जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 35 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, सूची परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) जिले में संचालित छात्रावासों की कुल क्षमता 2175 छात्र है। जिसके विरुद्ध वर्ष 2001-2002 में 2109 छात्रों ने छात्रावास में प्रवेश लिया है। छात्रावासवार क्षमता एवं प्रवेश की स्थिति परिशिष्ट-1 पर अंकित है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) आश्रम छात्रावासों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं, आश्रम छात्रावासों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष राशि व्यय की जा रही है तथा अन्य सुविधाएं भी समय पर दी जा रही हैं।

(5) डूंगरपुर जिले के आश्रम छात्रावासों के रखरखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में रुपये 2.59 लाख एवं वर्ष 2001-2002 में रुपये 51.43 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

(6) आश्रम छात्रावासों में खाद्यान्न सामग्री सप्लाई हेतु राजससंघ को अधिकृत किया हुआ है। राजससंघ द्वारा खाद्यान्न सामग्री क्रय हेतु कमेटी गठित हैं। जिसमें क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजससंघ, सम्बन्धित जिले का जिला रसद अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि तथा परियोजना अधिकारी जनजाति सदस्य होते हैं।

परिशिष्ट-1

विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	आश्रम छात्रावास का नाम	छात्र क्षमता/स्तर	चालू वर्ष	2001-2002 में प्रवेशितों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	डूंगरपुर	1. आसपुर	1. रीछा	100 मा.	अगस्त, 98	100
			2. पंचलासा छोटा	50 मा.	जुलाई, 89	50
			3. निठाउना	25 सीमा.	1997	25
			4. आसपुर	25 सीमा.	1997	25
			5. पूंजपुर	50 सीमा.	26.8.97	49
			6. रामगढ़	50 सीमा.	26.8.97	48
		2. सागवाड़ा	7. ढाकरडा	50 सीमा.	16.9.97	48
			8. ओबरी	100 सीमा.	जनवरी, 91	99
			9. नोकना	50 उप्रा.	जुलाई, 89	48
			10. चित्रकूट	50 मा.	अगस्त, 89	50

1	2	3	4	5	6	7
			11. भीलूंडा	50 सीमा.	20.11.97	32
			12. ओबरी (छात्रा)	100 सीमा.	1.8.91	95
			13. पाडना	50 मा.	26.8.97	41
		3. डूंगरपुर	14. फलोज	50 सीमा.	26.8.97	50
			15. कहारी	50 उप्रा.	जनवरी, 91	42
			16. रघुनाथपुरा	100 सीमा.	नवम्बर, 81	100
			17. मालचौकी	50 उप्रा.	नवम्बर, 89	50
			18. सुराता	100 मा.	जनवरी, 87	92
			19. प्रतिभावान डूंगरपुर	50 सीमा.	जुलाई, 91	50
			20. डूंगरपुर (छात्रा)	100 सीमा.	22.8.95	100
		4. बिच्छीवाड़ा	21. देवलपाल	25 मा.	1997	25
			22. बिच्छीवाड़ा	50 सीमा.	दिसम्बर, 90	50
			23. तलैया	100 मा.	दिसम्बर, 85	100
			24. माडा	100 सीमा.	दिसम्बर, 85	100
			25. बिच्छीवाड़ा (छात्रा)	100 सीमा.	30.9.97	97
			26. रांधवापाल	25 मा.	1997	25
			27. गामड़ी अहाड़ा	25 सीमा.	1997	24
			28. चुण्डावाड़ा	25 मा.	1997	25
		5. सीमलवाड़ा	29. डूंका	100 मा.	जुलाई, 85	94
			30. इड़गामा	50 उप्रा.	जनवरी, 91	50
			31. झलाप	25 मा.	1997	25
			32. पीठ	50 सीमा.	26.8.97	50
			33. सीमलवाड़ा (छात्रा)	100 सीमा.	22.8.95	100
			34. सीमलवाड़ा	100 सीमा.	24.9.98	100
			35. रास्तापाल	50 सीमा.	26.8.97	50
				2175 सीमा.		2109

परिशिष्ट-2

आवासीय छात्र-छात्राओं को देय सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	सामान का नाम	राशि प्रति माह प्रति छात्र	प्रति सत्र
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन व ईंधन आदि	525/-	5250/-
2.	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मौजे, तोलिया व गर्म जर्सी आदि	80/-	800/-
3.	बालों में लगाने का तेल, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग आदि	24/-	240/-
4.	चद्दर, तकिया खोली, खेस धुलाई आदि	12/-	120/-
5.	बिजली पानी हेतु	28/-	280/-
6.	समाचार पत्र पत्रिकाएं	6/-	60/-
	योग	675/-	6750/-

जिला सीकर के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

335. श्री अमराराम(धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर के उच्च माध्यमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कुल कितने पद कब से रिक्त हैं? विषयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) गैस फैकल्टी में कितने अध्यापक लगाये गये हैं?

उत्तर

(1) जिला सीकर के राजकीय उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विषयवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। डीपीसी पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटाये जाने पर ही आगामी कार्यवाही की जावेगी। वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) सीकर जिले में गैस्ट फैकल्टी योजना के तहत 165 अध्यापक लगाये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी (धौलपुर) का प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

336. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी (धौलपुर) के कितने गांवों को वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में विद्युतीकृत किया गया? उक्त क्षेत्र में कितने गांवों का विद्युतीकरण होना बकाया है?

(2) क्या यह सही है कि तलाब शाही बाड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक बना दिया जावेगा? क्या उक्त हेतु भूमि का आबंटन भी हो चुका है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी, जिला धौलपुर में वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में क्रमशः 7 व 10 गांव विद्युतीकृत किये गये तथा तीन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(2) जी नहीं। बाड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित नहीं था एवं वर्ष 2002-2003 की योजनाओं में भी प्रस्तावित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चावण्ड में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

337. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र चावण्ड में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? उक्त मातृ शिशु कल्याण केन्द्र पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चावण्ड के साथ ही मातृ शिशु कल्याण सेवाएं भी कार्य कर रही हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों के द्वारा प्राथमिक स्तर की आवश्यक सुविधाएं जैसे आउटडोर, इंडोर, माइनर आपरेशन, मातृ एवं शिशु सेवाएं, प्रसूति, एम.टी.पी. एवं साधारण प्रयोगशाला जांच आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

शहरों में रोड कटिंग हेतु जारी स्वीकृति

338. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वर्ष 2001-2002 में सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों सहित शहरों में रोड कटिंग की स्वीकृति दी गई? यदि हां, तो कब किस-किस विभाग/निजी कम्पनी को कितनी लम्बाई की रोड कटिंग की अनुमति दी गई? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के शहरों में बिना आकलन के सार्वजनिक निर्माण मुख्यालय जयपुर से ही रोड कटिंग की स्वीकृति दे दी गई? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी को किस-किस कीमत पर स्वीकृति दी गई? करार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निजी कम्पनी द्वारा स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुल काटी गई सड़क का न तो प्रमाण पत्र पेश किया और ना ही राशि जमा कराई गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा जिला मुख्यालय सहित शहरों में रोड कटिंग की स्वीकृति जिन कम्पनियों को दी गई उनका विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है, व कितनी लम्बाई में अनुमति दी गई है उनके आदेश की प्रति प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृति आकलन कराने के बाद ही जारी की गई है। विभिन्न

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कम्पनियों द्वारा जमा कराई गई राशि व अनुबन्ध की प्रति प्रपत्र "स" में संलग्न है।

(3) जी नहीं। सरकार के निर्णय के अनुसार जिन सड़कों की मरम्मत कम्पनियों द्वारा की जानी थी उनसे कोई राशि जमा नहीं करवाई गई परन्तु उनसे रुपये 25,000/- प्रति किलोमीटर की रेट से बैंक गारंटी जमा करा ली गई थी एवं जिन कम्पनियों को जिन्हें सड़क मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवानी चाही उनसे सड़क मरम्मत की राशि जमा करा ली गई एवं उनसे भी रुपये 25,000/- प्रति किलोमीटर की दर से बैंक गारंटी जमा करा ली गई थी। दोनों ही स्थितियों में उनकी बैंक गारंटी क्षेत्रीय अधिकारियों से सड़क मरम्मत प्रमाण पत्र होने पर ही वापस लौटाई जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सांचौर (जालौर) में घटिया खाद, बीज, दवाइयों के विक्रय पर रोक

339. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचौर (जालौर) क्षेत्र में अन्य राज्यों से घटिया किस्म के खाद-बीज-दवाइयां इत्यादि बिक्री हेतु आये हैं?

(2) क्या सरकार उक्त की जांच की व्यवस्था कर रोकथाम हेतु कोई प्रयास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) घटिया किस्म के खाद, बीज, दवाइयों की जांच एवं गुणवत्ता के लिए सरकार ने निरीक्षक नियुक्त कर रखे हैं। जिला जालौर में कृषि आदानों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जिले में कुल सात निरीक्षक नियुक्त हैं, जो क्षेत्र में विक्रय किये जा रहे कृषि आदानों (खाद, बीज, दवाइयों) पर निगरानी रखते हैं।

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या–308 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 1.4.1999 से 31.3.2002 तक क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत शाला का नाम	स्वीकृत पद (ग्रेड)		कार्यरत पद (ग्रेड)		रिक्त पद (ग्रेड)		रिक्त रहने का कारण
		II	III	II	III	II	III	
1.	पाखरियावास	01	07	01	07	–	–	
2.	लसाड़िया	01	06	01	06	–	–	
3.	भरकलां	01	06	01	06	–	–	
4.	लूलवा	01	07	01	07	–	–	
5.	रावलाबाडिया	01	07	01	07	–	–	
6.	चौसला, विजयनगर	01	07	–	07	01	–	सेवानिवृत्ति से
7.	मसूदा (बालिका)	01	06	01	05	–	01	सेवानिवृत्ति से

उपरोक्त सातों विद्यालय 1999-2000 में क्रमोन्नत किये गये हैं।

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम	क्रमोन्नति दिनांक	विषय	स्वीकृत पदों की संख्या					रिक्त पदों की संख्या				
				प्राचार्य	प्रधाना-अध्यापक	I	II	III	प्राचार्य	प्रधाना-अध्यापक	I	II	III
1.	रा.उ.मा.वि., झाक	1.7.1999		01			06	01				01 (गणित)	
			हिन्दी	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–
			अंग्रेजी	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–
			इतिहास	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–
			राजनीति विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–
2.	रा.उ.मा.वि., खीमपुरा	13.7.2000		01	–	–	06	02	–	–	–	–	–
			हिन्दी	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–
			अंग्रेजी	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–
			राजनीति विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–
			भूगोल	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–
3.	रा.मा.वि., रूपनगर	1.7.1999	–	–	01	–	04	03	–	–	–	01 (अंग्रेजी)	01
4.	रा.मा.वि., कानिया	1.7.1999	–	–	01	–	04	03	–	–	–	02 (अंग्रेजी एवं सामान्य)	–
5.	रा.मा.वि., जालिया-1	13.7.2000	–	–	01	–	03	–	–	–	–	–	–
	योग			02	03	08	23	09	–	–	04	04	01

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-543 का विवरण)

राज्य में उपलब्ध ग्रामीण चिकित्सा सुविधा का पंचायत समितिवार विवरण

जिला	पंचायत समिति का का नाम	कुल ग्रामों की संख्या जिनमें ग्रामीण चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं
1	2	3
अजमेर	1. मसूदा	37
	2. पिसांगन	55
	3. श्रीनगर	41
	4. अराई	39
	5. किशनगढ़	38
	6. भिनाय	36
	7. केकड़ी	41
	8. जवाजा	44
अलवर	9. किशनगढ़बास	33
	10. बहरोड़	38
	11. लक्ष्मणगढ़	49
	12. कोटकासिम	25
	13. कठूमर	49
	14. थानागाजी	39
	15. बानसूर	47
	16. राजगढ़	38
	17. उमरेण	42
	18. नीमराना	36
	19. तिजारा	36
	20. रैणी	35

1		2	3
अलवर	21.	रामगढ़	39
	22.	मुण्डावर	40
बांसवाड़ा	23.	घाटोल	58
	24.	गढ़ी	81
	25.	पीपलखूंट	43
	26.	तलवाड़ा	63
	27.	बागीदौरा	45
	28.	(भूखिया) आनन्दपुरी	36
	29.	कुशलगढ़	35
	30.	सज्जनगढ़	38
बारां	31.	अटरू	40
	32.	बारां	27
	33.	छबड़ा	28
	34.	शाहबाद	30
	35.	अन्ता	48
	36.	छीपाबड़ौद	36
	37.	किशनगंज	33
बाड़मेर	38.	सिवाना	53
	39.	बालोतरा	67
	40.	सिंधरी	63
	41.	धोरीमन्ना	63
	42.	बायतू	58
	43.	शिव	52
	44.	चौहटन	59
	45.	बाड़मेर	72

1	2	3
भरतपुर	46. रूपवास	50
	47. सेवर	40
	48. नगर	55
	49. कामां	47
	50. नदबई	41
	51. डीग	41
	52. वैर	51
	53. कुम्हेर	40
	54. बयाना	50
भीलवाड़ा	55. आसीन्द	47
	56. माण्डल	48
	57. हुरड़ा	32
	58. सुवाणा	38
	59. कोटड़ी	43
	60. माण्डलगढ़	66
	61. सहाड़ा	34
	62. जहाजपुर	49
	63. बनेड़ा	37
	64. शाहपुरा	43
	65. रायपुर	28
ब्रीकानेर	66. नौखा	64
	67. बीकानेर	79
	68. कोलायत	66
	69. लूणकरणसर	52
	70. श्रीडूंगरगढ़	50

1	2	3
बून्दी	71. तालेड़ा	69
	72. हिण्डौली	44
	73. केशोरायपाटन	52
	74. नैनवां	39
चित्तौड़गढ़	75. प्रतापगढ़	59
	76. भैंसरोडगढ़	31
	77. भोपालसागर	23
	78. छोटी सादड़ी	22
	79. अरनोद	36
	80. डूंगला	24
	81. गंगरार	25
	82. राश्मी	25
	83. निम्बाहेड़ा	38
	84. कपासन	25
	85. मदेसर	32
	86. बेगूं	41
	87. चित्तौड़गढ़	43
	88. बड़ी सादड़ी	25
चूरू	89. चूरू	71
	90. रतनगढ़	62
	91. सरदारशहर	55
	92. सुजानगढ़	68
	93. राजगढ़	69
	94. तारानगर	46

1	2		3
धौलपुर	95.	धौलपुर	59
	96.	बाड़ी	39
	97.	बसेड़ी	40
	98.	राजाखेड़ा	46
डूंगरपुर	99.	सागवांड़ा	74
	100.	सिमलवाड़ा	69
	101.	डूंगरपुर	58
	102.	बिच्छीवाड़ा	69
	103.	आसपुर	65
दौसा	104.	बांदीकुई	56
	105.	दौसा	58
	106.	सिकराय	49
	107.	लालसोट	57
	108.	महुआ	47
गंगानगर	109.	पदमपुर	47
	110.	सादुलशहर	48
	111.	सूरतगढ़	43
	112.	करनपुर	47
	113.	रायसिंहनगर	56
	114.	गंगानगर	57
	115.	अनूपगढ़	97
हनुमानगढ़	116.	हनुमानगढ़	130
	117.	भादरा	64
	118.	नोहर	89

1		2	3
जयपुर	119.	सांगानेर	45
	120.	झोटवाड़ा	26
	121.	फागी	38
	122.	विराटनगर	47
	123.	चाकसू	45
	124.	शाहपुरा	39
	125.	आमेर	58
	126.	कोटपूतली	50
	127.	बस्सी	46
	128.	सांभर	48
	129.	गोविन्दगढ़	43
	130.	दूदू	64
	131.	जमवारामगढ़	56
जैसलमेर	132.	सांकड़ा	45
	133.	सम	52
	134.	जैसलमेर	43
जालौर	135.	आहोर	51
	136.	सायला	48
	137.	जसवंतपुर	37
	138.	जालौर	40
	139.	भीनमाल	47
	140.	रानीवाड़ा	42
	141.	सांचौर	89

1		2	3
झालावाड़	142.	झालरापाटन	52
	143.	मनोहरथाना	40
	144.	पिड़ावा	48
	145.	डग	45
	146.	बकानी	43
	147.	खानपुर	38
झुंझुनूं	148.	खेतड़ी	48
	149.	उदयपुरवाटी	53
	150.	सूरजगढ़	51
	151.	चिड़ावा	45
	152.	नवलगढ़	46
	153.	झुंझुनूं	63
	154.	बुहाना	60
	155.	अलसीसर	52
जोधपुर	156.	बालेसर	47
	157.	लूणी	69
	158.	मण्डोर	46
	159.	बिलाड़ा	75
	160.	फलौदी	56
	161.	शेरगढ़	46
	162.	भोपालगढ़	60
	163.	बाप	43
	164.	ओसियां	101

1	2		3
कोटा	165.	सांगोद	42
	166.	लाडपुरा	37
	167.	सुल्तानपुर	37
	168.	चेचट	40
	169.	ईटावा	37
नागौर	170.	लाडनूं	44
	171.	नागौर	67
	172.	डेगाना	64
	173.	मेड़ता	46
	174.	डीडवाना	84
	175.	रीयाबड़ी	56
	176.	जायल	58
	177.	परबतसर	49
	178.	कुचामन सिटी	69
	179.	मूण्डवा	52
	180.	मकराना	53
पाली	181.	पाली	36
	182.	मारवाड़ जंक्शन (खारची)	54
	183.	रानी	43
	184.	सोजत	60
	185.	देसूरी	36
	186.	जैतारण	59
	187.	रायपुर	50
	188.	रोहट	31
	189.	सुमेरपुर	43
	190.	बाली	62

1		2	3
राजसमन्द	191.	आमेर	27
	192.	भीम	35
	193.	देवगढ़	24
	194.	खमनौर	49
	195.	कुम्भलगढ़	44
	196.	राजसमन्द	37
	197.	रेलमगरा	32
सवाईमाधोपुर	198.	गंगापुर सिटी	51
	199.	सवाईमाधोपुर	56
	200.	खण्डार	38
	201.	बौलीं	47
	202.	बामनवास	37
करौली	203.	हिण्डौन	56
	204.	नादौती	32
	205.	टोडाभीम	49
	206.	करौली	55
	207.	सपोटरा	61
सीकर	208.	फतेहपुर	65
	209.	लक्ष्मणगढ़	56
	210.	धोद	70
	211.	पीपराली	48
	212.	खण्डेला	66
	213.	श्रीमाधोपुर	42
	214.	दांतारामगढ़	73
	215.	नीमकाथाना	71

1		2	3
सिरोही	216.	सिरोही	49
	217.	आबूरोड	34
	218.	शिवगंज	38
	219.	रेवदर	48
	220.	पीण्डवाड़ा	47
टोंक	221.	निवाई	46
	222.	देवली	45
	223.	उनियारा	41
	224.	टोंक	89
	225.	मालपुरा	43
	226.	टोडारायसिंह	34
उदयपुर	227.	धरियावद	59
	228.	झाड़ोल (फ.)	60
	229.	सराड़ा	61
	230.	कोटड़ा	49
	231.	भीण्डर	63
	232.	गीर्वा	66
	233.	खैरवाड़ा	79
	234.	मावली	53
	235.	सलूम्बर	65
	236.	गोगुन्दा	43
	237.	बड़गांव	26.

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-547 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

श्री भगवान सहाय मीणा पार्ट टाइम को दिये गये भुगतान का माहवार विवरण

अवधि	भुगतान (रुपये)
10.3.1990 से 31.3.1990 तक	142/-
4.1990 से 8.1990 तक	1000/-
9.1990 से 31.12.1990 तक	कार्य नहीं किया
1.1.1991 से 31.1.1991 तक	कार्य नहीं किया
2.1991 से 4.1991 तक	600/-
1.5.1991 से 19.5.1991 तक	123/-
20.5.1991 से 30.6.1991 तक	कार्य नहीं किया
7.1991 से 31.7.1992 तक	2600/-
1.8.1992 से 9.8.1992 तक	कार्य नहीं किया
10.8.1992 से 31.8.1992 तक	168/-
9.1992 से 12.1992 तक	800/-
1.1. 1993 से 12.1993 तक	2400/-
1.1.1994 से 10.1994 तक	2000/-
1.11.1994 से 26.11.1994 तक	173/-
27.11. 1994 से 30.11.1994 तक	कार्य नहीं किया
12.1994	200/-
1.1.1995 से 12.1995 तक	2400/-
1.1. 1996 से 12.1996 तक	2400/-
1.1. 1997 से 12.1997 तक	2400/-
1.1. 1998 से 12.1998 तक	2400/-
1.1. 1999 से 12.1999 तक	2400/-
1.1.2000 से 12.2000 तक	2400/-
1.1.2001 से 12.2001 तक	2400/-
1.1.2002 से 3.2002 तक	600/-

टिप्पणी : श्री भगवान सहाय मीणा ने दिनांक 10.3.1990 से 31.8.1990 तक कार्य किया इसके पश्चात् पुन: दिनांक 1.2.1991 से 19.5.1991 तक कार्य किया। फिर दिनांक 1.7.1991 से 31.7.1992 तक कार्य किया। श्री भगवान सहाय मीणा को दिनांक 10.8.1992 से पुन: कार्य पर लिया और अंशकाल के रूप में दिनांक 26.11.1994 तक कार्य किया इसके पश्चात् दिनांक 1.12.1994 से लगातार कार्य कर रहा है। श्री मीणा को अंशकाल के रूप में 200/- की प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है तथा श्री मीणा से दो घंटे कार्य लिया जाता है अंशकाल को कार्य दिवस का भुगतान दिया जा चुका है।

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(व्यय-3 अनुभाग)

क्रमांक : प.1(3)वित्त/व्यय/3/99　　　　जयपुर, दिनांक : 13 जून, 2001

परिपत्र

विषय : दैनिक वेतन भोगी व अस्थाई कर्मचारियों के नियमन के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 6/1999) पारित कर दिनांक 7 मई, 1999 से प्रभावी करते हुए किसी भी रूप में दैनिक वेतन अथवा अनुबन्ध पर कर्मचारी रखने को प्रतिबन्धित कर दिया है। इसी अधिनियम की धारा 9 व 11-ग में यह प्रावधान भी किया गया है कि ऐसे कर्मचारी जो दैनिक वेतना अथवा अनुबन्ध पर कार्यरत हैं; उन्हें नियमितीकरण हेतु अदालत में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा और यदि किसी न्यायालय में दावा चल रहा है तो वह दावा स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

कानून की उपरोक्त स्थिति को हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही मान कर निर्णय किया है। यह निर्णय दिनांक 21.2.2001 को सिविल अपील संख्या 5057/98 मालूराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (पंचायत समिति भादरा) में हुआ है जिसमें कि कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे को निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय की प्रति संलग्न है।

यदि पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत कोई निर्णय कर दिया हो और जिसकी पालना अभी तक नहीं हुई हो, ऐसे निर्णयों में इसी अधिनियम की धारा 9, 11 एवं 19 के प्रावधानों के मद्देनजर नियुक्ति का नियमितीकरण नहीं किया जावे एवं कर्मचारी को दैनिक वेतन पर ही बहाल करने के विषय पर विवेकानुसार निर्णय दिया जाये।

अतः सभी विभागाध्यक्षों एवं अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे न्यायालयों में इससे सम्बन्धित लम्बित मुकदमे अथवा आगे दायर होने वाले मुकदमे में कानून की इस स्थिति को न्यायालय के सामने रखे और साथ ही विभाग के सभी प्रभारी अधिकारियों व अधिवक्ताओं को भी इस बारे में अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ह०/-
(एम. डी. कौरानी)
प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट "ब"

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPEALATE JURISDICTION
CIVIL APPEAL NO. 5087 OF 1998

Malu Ram ....Appellant (s)

Versus

State of Rajasthan & Anr. ....Respondent (s)

ORDER

The appellant as a Daily-wage Junior Engineer appointed in the State of Rajasthan by a Panchayat Samiti may back in January, 1986 at a stipulated rate of Rs. 25/- per day, has been continuing till today, and being unsuccessful in getting a direction from the Court to the Government for regularisation of his services is before us. It transpires that he was appointed for a period of 30 days on 27.01.1986 and without any break such appointment continued till 25th of July, 1987 when the Panchayat Samiti passed a Resolution recommending his regularisation. On 02.08.1988, the Vikas Adhikari of Panchayat Samiti forwarded the recommendation pursuant to the resolution of the Panchayat Samiti, but as no order from the State Government emanated the appellant himself filled a representation to the State Government on 07.09.1988. Before the disposal of that representation the services of the appellant stood dispensed with by an order dated 26th of April, 1989 passed by the Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Bhadra. Having dispensed with the services of the appellant by the aforesaid order a good conduct certificate was issued to the appellant on the self-same date indicating that his work was good and satisfactory and he is experienced in construction work.

Assailing the aforesaid order of termination, the appellant approached the High Court on 02.05.1989. On 03.05.1989 an interim order was passed by the High Court directing that if there exist any vacancy

then the appellant should be reinstated and be allowed to continue until disposal of the writ petition and it is because of this interim order the appellant stood reinstated on 03.05.1989 itself. The writ petition remained pending in the High Court for 9 years and was ultimately dismissed by order dated 10.04.1998 on a finding that the terms of appointment itself do not confer any right to the appointee and the so-called continuance of the appellant was because of the order of the Court and such continuance also would not confer a right of regularisation. The appellant assailed the said order by filing an appeal to the Division Bench on 15.04.1998 and that appeal was dismissed in limine on 22.04.1998, on the ground that the appellant had never been selected in accordance with the prescribed procedure for there exist any cadre of Junior Engineer and, therefore the claim of regularisation is misconceived, the appellant then approached this Court by filing a Special Leave Application and on 14.05.1998 this Court directed issuance of notice and further directed that the status quo as existing on that date shall be maintained. In view of the aforesaid status quo order, the appellant was allowed to continue as Junior Engineer under Bhadra Panchayat Samiti, Nohar Samiti passed a resolution on 06.03.1998 indicating the circumstances which would tantamount to a decision that the appellant without a formal order of regularisation by the appropriate Government has been treated to be a regular employee in as much as he has been engaged as a Junior Engineer against a Cadre post and that he has been given regular scale of pay approved by parmanent post approved by the State Government against a Government for the category of posts. That apart, he has been transferred from one Panchayat Samiti to the other on 7 different occasions, and even there has been deduction of Provident Fund and EST contribution, as is made in respect on the permanent employees. The unanimous proposal of the Panchayat

Samiti as aforesaid however has not been given concurrence or approved by the appropriate Authority of the Government and the fact remains that the appellant has now been continuing as a Junior Engineer, which is a cadre post under the Government and is getting regular scale of pay, the same having been fixed with effect from 01.09.1996 under the orders of the Competent Authority who happen to be the Head of the Department. A copy of the aforesaid fixation in the revised scale of pay was placed before us by Mr. Lekhi, the learned senior counsel appearing for the appellant in course of hearing.

Mr. Jain, appearing for the State of Rajasthan however placed before us an Act enacted by Rajasthan Legislature which received the assent of the Governor on 5th day of May, 1999 called "The Rajasthan (Regulations of Employment to Public Services and Rationalisation of Staff) Act, 1999" (for short "the Act"). The Act is undoubtedly prospective in nature but under Section 9 there of, there is a bar to regularisation of services and Section 11(c) of the Act provides that all pending proceedings shall abate. It is because of this embargo, it would not be appropriate for this Court to issue any direction to the State Government to pass the formal order of regularisation notwithstanding the fact that the appellant has been drawing the privileges of a regular Government servant by acts of the Competent Authority and has been drawing the regular scale of pay even, as stated earlier. Under the Act itself a provision has been made for constituting a Review Committee under Section 12 and that Review Committee has been conferred wide powers, even the powers of a civil court in certain matters. The very idea behind the aforesaid Act is that instead of large scale induction of the employees as daily-wage or work-charged and continuing them for a long period and then claiming regularisation, it would be for the Government to

decide the matter in accordance with the criteria fixed under the Act itself. Undoubtedly, the Act is a latidable piece of legislation and having regard to the provisions of Section 11(c) as well as Section 9 of the Act, we do not think it appropriate to issue any direction to the State Government to pass the formal order of regularisation in favour of the appellant. But we do commend to the State Government to consider the matter in the light of the aforesaid legislation bearing in mind the entire past records of the appellant, as we have already stated. The appropriate Authority of the Government may pass appropriate orders within a period of three months from today. The appeal is disposed of with the aforesaid observations.

Needless to mention that the appellant will be continuing in the same status and position till the formal order is passed by the State Government.

Sd/-

(G.B. Pattanaik)

New Delhi,
February, 21, 2001.

Sd/-

(B.N. Agrawal)

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-548 का विवरण)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मेड़तासिटी में स्टाफ के स्वीकृत एवं वर्ष 1993-94 से फरवरी, 2002 में रिक्त रहे पदों का अवधि सहित विवरण निम्नप्रकार से है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्ष 1993-94 से फरवरी, 2002 में रिक्त रहे पदों की अवधि
1	2	3
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	9.1996 से 2.1997 तक
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	12.1994 से 7.1995, 4.1996 से 7.1996 तक
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	–
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	7.1996 से 7.1997, 11.1999 से 10.2.2001 तक
कनिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग)	1	4.1994 से 7.1994, 8.1995 से 10.1995 तक
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	7.1999 से 7.2000
चिकित्सा अधिकारी	2	4.1993 से 7.1993 (एक पद) 5.1998 से 6.1998 (एक पद)
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	4.1993 से 26.3.1995 तक
नर्स प्रथम श्रेणी	3	–
नर्स श्रेणी द्वितीय	11	4.1993 से 8.1993 (एक पद) 4.1994 से 8.1994 (एक पद) 8.2000 से 12.2000 (तीन पद) 1.2000 से लगातार (एक पद)
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2	4.1993 से 6.1993 (एक पद) 3.1996 से 31.3.1996 तक (एक पद)

1	2	3
वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन	1	6.1993 से लगातार रिक्त
दन्त तकनीशियन	1	4.1993 से लगातार रिक्त
सहायक रेडियोग्राफर	1	–
वरिष्ठ लिपिक	2	4.1999 से 6.1999 तक (एक पद)
वरिष्ठ लिपिक	1	–
लैब टेक्नीशियन	1	4.1993 से 6.1993 तक
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3	9.2.2000 से 3.2.2001 तक (एक पद)
वाहन चालक	2	4.1993 से 9.1993 (एक पद) 11.1997 से 3.1998 तक (एक पद) 9.1999 से 7.2000 (एक पद)
परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	4.1993 से लगातार रिक्त
वार्ड बॉय/स्वीपर	10	4.1993 से 1.1994 (एक पद) 10.1996 से 2.1997 (एक पद) 11.2000 से 3.2.2001 (एक पद)

परिशिष्ट "ब"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मेड़तासिटी में वर्ष 1993 से 2001 में तक आउटडोर में आए एवं भर्ती किये गये रोगियों का वर्षवार विवरण

वर्ष	आउटडोर मरीजों की संख्या	इंडोर मरीजों की संख्या
1993	56556	1419
1994	60026	2669
1995	56309	2224
1996	65057	3721
1997	66768	3972
1998	66245	4486
1999	66901	2952
2000	68205	2228
2001	59308	1914

परिशिष्ट "स"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मेड़तासिटी में वर्ष 1993 से 2001 में तक की अवधि में पदस्थापित रहे चिकित्सकों के द्वारा भर्ती किए गए रोगियों का चिकित्सावार संख्या विवरण

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्ष 1993 से वर्ष 2001 तक की अवधि में पदस्थापित रहे चिकित्सकों के द्वारा भर्ती किए गए रोगियों की संख्या
1.	डा. महेश व्यास, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	2932
2.	डा. अशोक मेघवाल, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	20
3.	डा. वी.एस. शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	941
4.	डा. अशोक नारायण, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	3871
5.	डा. अशोक गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1454
6.	डा. एस. एन. शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	2025
7.	डा. बी. एल. वर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्र)	2437
8.	डा. एम. आर. जाखड़, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	3114
9.	डा. सविता टांक, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	915
10.	डा. टी. आर. चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3586
11.	डा. एन. के. मोहनपुरिया, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	133
12.	डा. एच.सी. लामोरिया, चिकित्सा अधिकारी	2907
13.	डा. महेश माथुर, चिकित्सा अधिकारी	102
14.	डा. यू. आर. वेडा, चिकित्सा अधिकारी	590
15.	डा. अल्पना गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी	249
16.	डा. एस. के. अत्रेय, चिकित्सा अधिकारी	363

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-549 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र खारची में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची

1.	सिरीचारी	28.	खारचीगांव
2.	खारड़ी	29.	गोदावास
3.	चौकड़िया	30.	हिन्गोला
4.	फुलाद	31.	मारवाड़ जंक्शन
5.	बिठुडाकलां	32.	निप्पल
6.	रडावास	33.	जीवन्दकलां
7.	सिनला	34.	सिवास
8.	राजकियावास	35.	पिलोवनी
9.	जाडन	36.	रामाजी का गुडा
10.	भगोडा	37.	घेनडी
11.	गुडा केसरसिंह	38.	वणदार
12.	चैलावास	39.	बोरडी
13.	बौगला	40.	गुडाजैतसिंह
14.	ईसाली	41.	गंवाड़ा
15.	जाणुन्दा	42.	इन्दरवाड़ा
16.	निम्बली	43.	केरली
17.	पांचेटिया	44.	डायलाना
18.	गादाणा	45.	मगरतालाब
19.	गुडारामसिंह	46.	पानोता
20.	बासनी जोजावर	47.	कोट सोलकियान
21.	मिगालिया	48.	कोलर
22.	मलसाबावडी	49.	गांथी
23.	चवाडिया	50.	मेवीकलां
24.	सिचाडा	51.	सांसरी
25.	बारसा	52.	सुमेर
26.	बोरी मादा	53.	केसूली
27.	कराड़ी	54.	लापी

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-551 की सूची)

गत तीन वर्षों में जिन-जिन जिलों में सड़कों की संख्यानुसार जितनी किलोमीटर स्वीकृत हुई वे निम्नप्रकार है

क्र.सं.	जिला	सड़कों की संख्या	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)
1	2	3	4
1.	जयपुर	84	274
2.	झुंझुनूं	40	244
3.	सीकर	53	30
4.	जोधपुर	346	608
5.	बाड़मेर	32	272
6.	जैसलमेर	13	96
7.	पाली	65	194
8.	जालौर	63	275
9.	सिरोही	102	294
10.	चूरू	193	690
11.	श्रीगंगानगर	13	53
12.	हनुमानगढ़	9	53
13.	बीकानेर	71	539
14.	अजमेर	56	147
15.	भीलवाड़ा	35	274
16.	नागौर	97	434

1	2	3	4
17.	टोंक	41	96
18.	कोटा	105	469.06
19.	बून्दी	34	93.30
20.	बारां	55	352.60
21.	झालावाड़	427	1652.98
22.	सवाईमाधोपुर	35	84.43
23.	करौली	65	303.92
24.	उदयपुर	277	826.98
25.	चित्तौड़गढ़	120	597.70
26.	राजसमन्द	60	391.50
27.	बांसवाड़ा	84	572.25
28.	डूंगरपुर	60	420.41
29.	अलवर	46	147.00
30.	धौलपुर	26	98.400
31.	भरतपुर	45	128.750
32.	दौसा	35	102.000

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-552 की सूची)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चित्तौड़गढ़ जिले में प्रस्तावित गांवों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	प्रस्तावित गांव		लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित राशि	
		नाम	जनसंख्या			
1	2	3	4	5	6	
1.	प्रतापगढ़	मागरी	1711	3.00	43.25	
2.	प्रतापगढ़	मगरोड	1559	0.73	17.00	Only one missing minor Bridge Work with Approach)
3.	प्रतापगढ़	खेरा	1391	4.00	50.60	
4.	छोटी सादड़ी	पीलीखेरा	1385	12.00	151.35	
5.	भदेसर	रेवालिया खुर्द	1310	0.75	8.20	
6.	अरनोद	हिंगलेट	1185	2.00	22.85	
7.	छोटी सादड़ी	(कालाकोट) मानपुरा	1218 759	–	15.00	Only one missing CD Work)
8.	प्रतापगढ़	कानोरा	1276	4.00	51.52	
9.	प्रतापगढ़	धालमू	1258	2.00	23.90	
10.	प्रतापगढ़	राजोरा	1228	2.60	33.00	
11.	प्रतापगढ़	खेरानरसिंहमाता	1189	1.30	16.50	
12.	प्रतापगढ़	पाल	1204	17.00	218.45	
13.	प्रतापगढ़	कोतवाल	1180	8.50	213.93	
14.	अरनोद	खूंटवास	1173	4.70	64.98	
15.	"	चकडोंडा/ मीरावता	1163 667	5.30	65.65	
16.	छोटी सादड़ी	भैरवी	1124	2.00	26.01	

1	2	3	4	5	6
17.	अरनोद	मंडावरा	1155	6.00	77.60
		चक्खाखेरी	585		
		बानरिया कलां	564		
18.	छोटी सादड़ी	जमलोदा	1122	1.20	17.23
19.	प्रतापगढ़	पटेलिया	1157	3.00	42.75
20.	भदेसर	तरजेला	1113	0.75	9.20
21.	भदेसर	लोजाना	1106	3.50	29.70
22.	भुपाल सागर	रामाखेड़ा	1127	4.50	35.00
23.	चित्तौड़गढ़	बीलिया	1164	1.25	13.90
24.	गंगरार	कसेड़ी	1115	5.00	42.80
25.	अरनोद	रायपुर जंगल	1076	5.00	62.60
26.	प्रतापगढ़	सकरिया	1128	3.00	36.95
27.	प्रतापगढ़	बरोधा	1094	3.50	50.42
28.	बड़ी सादड़ी	अंथेल	1052	3.00	38.34
29.	भुपाल सागर	सावंटा	1028	2.50	20.20
30.	छोटी सादड़ी	हमतिया जागीर	1074	1.60	19.96
31.	छोटी सादड़ी	महुरिया	1069	1.70	22.36
32.	चित्तौड़गढ़	बराड़ा	1071	3.50	36.80
33.	कपासन	देवरिया	1006	1.35	13.75
34.	डूंगिया	घोराखेरा	1010	6.00	66.90
35.	प्रतापगढ़	पारलिया	1051	2.50	41.43
36.	प्रतापगढ़	देवाद	1045	3.00	43.55
		योग		131.73	1743.68

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-554 की सूची)

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	स्वीकृत कार्य	पूर्ण किये गये कार्य	अपूर्ण रहे कार्य	कार्य शुरू नहीं हुए
1.	प्रथम, जयपुर	142	56	63	23
2.	द्वितीय, जयपुर	115	47	40	28
3.	अजमेर	134	47	87	–
4.	जोधपुर	234	79	155	–
5.	बीकानेर	82	48	29	5
6.	उदयपुर	85	69	16	–
7.	कोटा	96	17	79	–

परिशिष्ट ''क''

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या–558 का विवरण)

क्र. सं.	विषय	स्वीकृत 1992–1993	पदो. 1992–1993	स्वीकृत 1993–1994	पदो. 1993–1994	स्वीकृत 1994–1995	पदो. 1994–1995	स्वीकृत 1995–1996	पदो. 1995–1996	स्वीकृत 1996–1997	पदो. 1996–1997	स्वीकृत 1997–1998	पदो. 1997–1998
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंग्रेजी	1567	027	1589	038	1698	101	1770	085	1802	108	1846	230
2.	हिन्दी	1615	143	1657	163	1710	297	1969	307	2017	375	2081	462
3.	रा.विज्ञान	0737	054	0751	056	0773	202	0886	332	0889	244	0934	276
4.	इतिहास	0575	037	0587	033	0602	149	0679	260	0692	200	0702	200
5.	अर्थशास्त्र	0395	022	0397	029	0399	050	0421	137	0427	133	0436	146
6:	भूगोल	0346	011	0350	013	0351	045	0382	070	0389	063	0399	081
7.	संस्कृत	0282	012	0290	016	0298	038	0325	083	0338	068	0347	125
8.	उर्दू	0047	003	0047	002	0048	004	0048	010	0051	012	0053	021

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	राजस्थानी	0017	001	0018	—	0018	002	0021	005	0021	006	0021	010
10.	समाज शास्त्र	—	—	—	—	0004	—	0004	—	0004	—	0004	002
11.	गृह विज्ञान	0099	010	0104	011	0112	020	0130	043	0134	024	0138	020
12.	सिन्धी	0012	003	0012	003	0013	002	0013	001	0013	—	0013	—
13.	पंजाबी	0001	001	0001	—	0001	—	0001	—	0001	—	0001	—
14.	चित्रकला	0172	—	0172	—	0172	—	0166	—	0166	—	0159	—
15.	वाणिज्य	1720	015	1726	005	1630	—	1630	—	1630	—	1630	—
16.	रसायन विज्ञान	0600	003	0605	006	0619	019	0623	047	0630	011	0637	—
17.	भौतिक विज्ञान	0602	022	0607	006	0623	001	0623	019	0625	—	0635	—
18.	जीव विज्ञान	0470	004	0477	004	0492	011	0099	072	0499	—	0506	—
19.	गणित	0512	001	0512	007	0513	007	0505	088	0501	—	0487	—

क्र. सं.	विषय	स्वीकृत 1998–1999	पदो.	स्वीकृत 1999–2000	पदो.	स्वीकृत 2000–2001	पदो.	स्वीकृत 2001–2002	पदो.	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंग्रेजी	1960	158	2066	374	2456	—	2651	—	720
2.	हिन्दी	2137	313	2537	597	3208	—	3347	—	1262
3.	रा.विज्ञान	0959	187	1142	321	1404	—	1687	—	706
4:	इतिहास	0715	128	0842	224	1038	—	1214	—	492
5.	अर्थशास्त्र	0443	075	0481	132	0533	—	0594	—	195
6.	भूगोल	0410	076	0477	062	0615	—	0684	—	253
7.	संस्कृत	0361	050	0429	126	0527	—	0619	—	302
8.	उर्दू	0053	009	0056	015	0056	—	0059	—	021
9.	राजस्थानी	0022	006	0023	004	0025	—	0025	—	009
10.	समाज शास्त्र	0004	002	0004	—	0004	—	0006	—	004

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. गृह विज्ञान	0138	024	0163	008	0183	—	0228	—	069
12. सिन्धी	0011	—	0011	—	0011	—	0011	—	004
13. पंजाबी	0004	—	0004	—	004	—	0004	—	004
14. चित्रकला	0159	—	0159	—	0159	—	159	—	060
15. वाणिज्य	1454	—	1454	—	1454	—	1454	—	197
16. रसायन विज्ञान	0658	—	0672	—	0689	—	0689	—	031
17. भौतिक विज्ञान	0653	—	0661	—	0658	—	0673	—	047
18. जीव विज्ञान	0509	—	0512	—	0515	—	0520	—	053
19. गणित	0487	—	0456	—	0426	—	0426	—	055

परिशिष्ट–14

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-560 का विवरण)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	रिक्त पदों की स्थिति (28.2.2002 के अनुसार) प्राचार्य	प्र.अ.	व्याख्याता	व. अ.	शा. शि. II	शा. शि. III		अध्यापक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शहरी क्षेत्र									
रा.उ.मा.वि.									
1.	लाडनूं	–	–	05	–	–	–	–	11/2 के
					–	–	–	–	12/2001
					–	–	–	–	10/2 के
					–	–	–	–	03/2 के
					–	–	–	–	07/2001
					01	–	–	–	07/2001
2.	बालिका लाडनूं	–	–	01	–	–	–	–	06/2 के
		–	–	–	–	–	–	02	04/2 K
		–	–	–	–	–	–	–	04/2 K
ग्रामीण क्षेत्र									
3.	जसवंतगढ़	–	–	02					09/2001
									1997/98
					01				01/2001
4.	मिठड़ी (लाडनूं)	–	–	03					7/1997
									4/1999
									2/1998
					01				1/2 के
5.	निम्बीजोधा	–	–	03					7/2001
									1/2001
									2/2001
					01				8/2 के

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	रताऊ	01	–						03/2001
									03/2001
									03/2001
									03/2001
									03/2001
					01				07/2001
						01			03/2001
									08/2 के
									07/2001
									05/2 के
7.	बालिका	01							07/2001
	जसवंतगढ़			05					03/2001
									03/2001
									03/2001
									03/2001
									03/2001
					01				07/2001
शहरी क्षेत्र									
रा.मा.वि.									
8.	बालिका लाडनूं				01				07/2 के
							01		08/2001
ग्रामीण क्षेत्र									
रा.मा.वि.									
9.	बेमोठ				01				04/1999
10.	दयालपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	ललासरी				01				07/2001
12.	सिंघाना							01	11/2001
13.	बल्दू				02				10/2001
									02/2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	धोलिया	–	01	–	–	–	–	–	07/2001
15.	घिरड़ोदामीठ				04				07/2001
									07/2001
									07/1999
									07/1999
16.	हुड़ास	–	0+		02				07/2001,03/2001
									03/2001
								02	07/2 के
									07/2 के
17.	कसुम्बी	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	लेडी				01				07/2001
19.	रोडू	–	01		01				07/2001,08/2001
20.	सिलनवाद	–	01		02				12/2001,04/2001
									04/2001
								01	04/2 के
21.	सुनारी				02				04/2001
									04/2001
22.	ध्यावा	–	01						09/2 के
23.	बालिका मा.वि. निम्बीजोधा				02				07/2 के
									07/2 के
								01	08/2 के
	शहरी क्षेत्र	–	–	06	02	–	01	02	
	ग्रामीण क्षेत्र	02	06	17	21	03	–	08	

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-562 का विवरण)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या								
		प्राचार्य	प्र.अ.	व्याख्याता	व.	अध्यापक	शा. शिक्षक II	शा. शिक्षक III	व.लि.	च.श्रे.क.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रा.उ.मा.वि., आसिंद	01	–	03	01	–	–	–	–	–
2.	रा.उ.मा.वि., अंटाली	–	–	01	–	–	01	–	–	01
3.	रा.उ.मा.वि., दौलतगढ़	–	–	02	01	–	–	–	01	–
4.	रा.उ.मा.वि., बदनौर	–	–	02	–	–	–	–	–	02
5.	रा.उ.मा.वि., बरसनी	–	–	–	03	–	–	–	–	–
6.	रा.उ.मा.वि., ब्रा की सरेरी	–	–	–	01	–	–	–	–	–
7.	रा.उ.मा.वि., पाटन	–	–	–	03	–	–	–	–	–
8.	रा.उ.मा.वि., शम्भूगढ़	–	–	–	01	–	–	–	–	–
9.	रा.बा.उ.मा.वि., आसीन्द	–	–	02	03	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	रा.मा.वि., रघुनाथपुरा	–	01	–	02	–	–	–	–	–
11.	रा.मा.वि., संग्रामगढ़	–	01	–	01	–	–	–	01	–
12.	रा.मा.वि., भादसी	–	01	–	03	01	–	–	–	–
13.	रा.मा.वि., पड़ासोली	–	01	–	01	–	–	–	–	–
14.	रा.मा.वि., मोड़ का निम्बाहेड़ा	–	01	–	01	–	–	–	–	–
15.	रा.मा.वि., कलांसिया	–	–	–	01	–	–	–	–	–
16.	रा.मा.वि., लाछूड़ा	–	–	–	01	–	–	–	–	–
17.	रा.मा.वि., तितोली	–	–	–	01	–	–	–	–	–
18.	रा.मा.वि., चैनपुरा	–	–	–	01	–	–	–	–	–
19.	रा.बा.मा.वि., ब्रा. की सरेरी	–	–	–	01	–	01	–	–	–
20.	रा.बा.मा.वि., बदनौर	–	–	–	01	01	–	–	–	–
21.	रा.बा.मा.वि., जगपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	01
	योग	01	05	10	27	02	01	01	02	04

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-563 का विवरण)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	ऐच्छिक विषय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या					रिक्त पदों की संख्या					कब से रिक्त है
			प्राचार्य	प्र.अ.	व्या.	व.अ.	अध्यापक	प्राचार्य	प्र.अ.	व्या.	व.अ.	अध्यापक	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	रा.उ.मा.वि., किशनपुरा, दिखनाद	हिन्दी	01	–	01	06	04	–	–	–	–	–	
		राजनीति विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		अर्थशास्त्र	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
2.	रा.उ.मा.वि., फतेहगढ़		–	–	–	06	03	–	–	–	01	01	8/2001, 8/2001
		हिन्दी	01	–	01	–	–	–	–	01	–	–	8/2000
		राजनीति विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–	8/2001
		इतिहास	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
3.	रा.उ.मा.वि., हनुमानगढ़ टाउन		01	–	–	06	–	01	–	–	03	–	1/2002, 8/2001, 8/2001, 9/2001
		हिन्दी	–	–	02	–	–	–	–	01	–	–	
		इतिहास	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		अर्थशास्त्र	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–	
		चित्रकला	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		संस्कृत	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		गणित	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		भौतिक शास्त्र	–	–	02	–	–	–	–	01	–	–	1/2001
		रसायन शास्त्र	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	
		जीव विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		वाणिज्य	–	–	02	–	–	–	–	01	–	–	8/2001
4.	रा.उ.मा.वि., पक्कासंहारण		01	–	–	06	01	01	–	–	–	–	2/2002
		हिन्दी	–	–	02	–	–	–	–	01	–	–	1/2002
		इतिहास	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–	12/2001
		अर्थशास्त्र	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	रा.उ.मा.वि., डबली राठान		01	–	–	06	–	–	–	–	–	–	–
		हिन्दी	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–
		इतिहास	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–	11/2001
		राजनीति विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	रा.उ.मा.वि., रोड़ावाली		01	–	–	06	03	–	–	–	–	–	–
		हिन्दी	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–
		इतिहास	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–
		राजनीति विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	रा.उ.मा.वि., धौलीपाल		01	–	–	06	06	–	–	–	–	01	1/2001
		हिन्दी	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–
		राजनीति विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–
		अर्थशास्त्र	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	रा.उ.मा.वि., हनुमानगढ़		01	–	–	15	04	–	–	–	01	01	4/2001, 10/2001
	जंक्शन	हिन्दी	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	
		इतिहास	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	
		राजनीति विज्ञान	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	
		गणित	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		रसायन	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		जीव विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		भौतिक	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		अर्थशास्त्र	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	रा.बा.उ.मा.वि., हनुमानगढ़ जंक्शन		01	–	–	06	05	–	–	–	–	–	
		गृह विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		इतिहास	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		राजनीति विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
10.	रा.बा.उ.मा.वि., हनुमानगढ़ टाउन		01	–	–	10	–	–	–	–	01	–	8/2001
		हिन्दी	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	
		राजनीति विज्ञान	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	
		गृह विज्ञान	–	–	02	–	–	–	–	–	01	–	7/2001
		गणित	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		भौतिक शास्त्र	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		रसायन	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
		जीव विज्ञान	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	
11.	रा.मा.वि., कोहला		–	01	–	06	01	–	–	–	–	–	
12.	रा.मा.वि., करणीसरसहजीपुरा		–	01	–	06	04	–	01	–	–	–	9/2001
13.	रा.मा.वि., बहलोलनगर		–	01	–	06	03	–	–	–	01	–	7/1999

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	रा.मा.वि., झाम्बर	–	01	–	06	02	–	–	–	–	–	
15.	रा.मा.वि., चोटिलावाली	–	01	–	04	03	–	–	–	01	03	7/2001,7/2000से3 पद
16.	रा.मा.वि., बावरियों वाली ढाणी	–	01	–	06	02	–	01	–	01	–	8/2000 – 2 पद
17.	रा.मा.वि., डबलीवापेमा	–	01	–	06	01	–	–	–	–	–	
18.	रा.मा.वि., मक्कासर	–	01	–	06	04	–	–	–	–	01	12/2001
19.	रा.मा.वि. कुम्हारों वाली ढाणी	–	01	–	06	03	–	01	–	01	–	9/1999, 8/2000
20.	रा.मा.वि., पक्का भादवा	–	01	–	06	03	–	–	–	–	–	–
21.	रा.मा.वि., जण्डावाली	–	01	–	06	03	–	01	–	01	–	9/2001, 10/2001
22.	रा.मा.वि., मानुका	–	01	–	06	02	–	–	–	–	–	
23.	रा.मा.वि., हिरनावाली	–	01	–	06	02	–	–	–	–	–	
24.	रा.मा.वि., जोडकिया	–	01	–	06	02	–	–	–	–	–	
25.	रा.बा.मा.वि., पक्कासारण	–	01	–	06	01	–	–	–	–	–	
26.	रा.बा.मा.वि., मक्कासर	–	01	–	06	03	–	–	–	–	–	
27.	रा.बा.मा.वि., डबलीराठान	–	01	–	06	02	–	01	–	01	–	8/2001 2 पद

परिशिष्ट-17

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-570 का विवरण)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	अध्यापकों के स्वीकृत पद		
			I	II	III
1.	रा.उ.मा.वि. हिण्डौली	343	9	6	–
2.	रा.उ.मा.वि. पेच की बावड़ी	500	5	7	4
3.	रा.उ.मा.वि. अलोद	497	5	8	5
4.	रा.उ.मा.वि. दबलाना	376	4	6	6
5.	रा.उ.मा.वि. गोठड़ा	524	5	7	4
6.	रा.मा.वि. गुढानाथावतान	340	–	6	8
7.	रा.मा.वि. धोबड़ा	358	–	6	5
8.	रा.मा.वि. थाना	191	–	6	2
9.	रा.मा.वि. सेथूर	366	–	5	5
10.	रा.मा.वि. बसोली	152	–	6	3
11.	रा.मा.वि. बड़ानयागांव	293	–	6	4
12.	रा.मा.वि. रानीपुरा	194	–	6	2
13.	रा.मा.वि. बड़ोदिया	238	–	5	3
14.	रा.मा.वि. ठीकरदा	179	–	5	4
15.	रा.मा.वि. धाबाईयों का नया गांव	161	–	5	2
16.	रा.मा.वि. खेरखटा	125	–	4	4
17.	रा.मा.वि. पगारा	116	–	4	4
18.	रा.मा.वि. खणिया	104	–	3	1
19.	रा.बा.मा.वि. हिण्डौली	200	–	6	3

परिशिष्ट–18

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–572 का विवरण)

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम	क्रमोन्नति वर्ष
1	2	3	4
		माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत	
1.	सूरतगढ़	रामसिंहपुर	1998–99
		उ.प्रा.वि. से माध्यमिक में क्रमोन्नत	
1.	करनपुर	लोहारा	1998–99
2.	करनपुर	सरदारसिंपुर नग्गी	"
3.	करनपुर	गुलाबेवाला	"
4.	सूरतगढ़	सिमयासजसखडान	"
5.	संगरिया	खाटसजवार	"
		माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत	
1.	केसरीसिंहपुर	हिन्दुमलकोट	1999–2000
2.	करणपुर	बीझबायाला	"
3.	करणपुर	अरायण	"
4.	सूरतगढ़	राजियासर	"
5.	संगरिया	हाकमाबाद	"
6.	गंगानगर	नं. 2 बालिका गंगानगर	"
		उ.प्रा.वि. से माध्यमिक में क्रमोन्नत	
1.	गंगानगर	अकावाली	1999–2000
2.	केसरीसिंहपुर	रोडियावाली	"
3.	करणपुर	खरला	"
4.	करनपुर	मोटासरखनी	"
5.	रायसिंहनगर	एक एफ डी	"

1	2	3	4
6.	सूरतगढ़	भातीवाला	1999-2000
7.	सूरतगढ़	रोजड़ी	,,
8.	संगरिया	खेरूवाला	,,
9.	संगरिया	अलीपुरा	,,
10.	रायसिंहनगर	करड़वाली	,,
11.	सूरतगढ़	मोनेवाला	,,
12.	केसरीसिंहपुर	बालिका फतही	,,
13.	गंगानगर	बालिका नेतेवाला	,,
14.	करणपुर	बालिका सांवतसर	,,
		माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत	
1.	केसरीसिंहपुर	महियांवाली	2000-2001
2.	करणपुर	रतेवाला	,,
3.	रायसिंहनगर	समेजा	,,
4.	सूरतगढ़	बीरमाना	,,
		उ.प्रा.वि. से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत	
1.	श्रीगंगानगर	15 जेड	2000-2001
2.	श्रीगंगानगर	स्यागवाली	,,
3.	करनपुर	2 एफ सी मुकन	,,
4.	करनपुर	70 एल. एन.पी.	,,
5.	सूरतगढ़	कमरानिया	,,
6.	सूरतगढ़	भोचालपुरा	,,
7.	संगरिया	बनवाली	,,
8.	संगरिया	हिरनावाली	,,

परिशिष्ट ''ख''

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याता		वरिष्ठ अध्यापक	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
1	2	3	4	5	6
		1998-1999			
1.	रा.उ.मा.वि. रामसिंहपुर	04	01	(06) 06	05
2.	रा.मा.वि., लोहारा	–	–	05	04
3.	सरदारसिंहपुर, नग्गी	–	–	05	05
4.	रा.मा.वि., गुलाबेवाला	–	–	05	05
5.	रा.मा.वि., खाटसजवार	–	–	05	05
6.	रा.मा.वि., रामसराजाखडान	–	–	05	05
		1999-2000			
1.	रा.उ.मा.वि., हिन्दुमलकोट	04	04	06	06
2.	रा.बा.उ.मा.वि., नं. 2 गंगानगर	04	01	06	05
3.	रा.उ.मा.वि., बीझबायला	04	03	08	08
4.	रा.उ.मा.वि., अरायण	04	04	06	06
5.	रा.उ.मा.वि., राजियासर	04	02	06	05
6.	रा.उ.मा.वि., हाकमाबाद	04	04	06	06
7.	रा.मा.वि., अकावाली	–	–	04	03
8.	रा.मा.वि., राहिड़ावाली	–	–	04	04
9.	रा.मा.वि., खेरला	–	–	04	03
10.	रा.मा.वि., मोटासरखनी	–	–	04	02
11.	रा.बा.मा.वि., सांवतसर	–	–	04	04
12.	रा.मा.वि., 1 एफडी	–	–	04	02

1	2	3	4	5	6
13.	रा.मा.वि., भातीवाला	–	–	04	03
14.	रा.मा.वि., करडवाली	–	–	04	02
15.	रा.मा.वि., रोजड़ी	–	–	04	02
16.	रा.मा.वि., खेरूवाला	–	–	04	04
17.	रा.मा.वि., अलीपुरा	–	–	05	03
18.	रा.बा.मा.वि., फतूही	–	–	04	04
19.	रा.बा.मा.वि., नेतवाला	–	–	04	04
20.	रा.मा.वि., मानेवाला	–	–	04	04
		2000-2001			
1.	रा.उ.मा.वि., महियावाली	05	05	05	05
2.	रा.उ.मा.वि., रतेवाला	05	04	06	06
3.	रा.उ.मा.वि., समेजा	05	03	06	06
4.	रा.उ.मा.वि., बीरमाना	05	–	06	05
5.	रा.मा.वि., 15 जेड	–	–	03	02
6.	रा.मा.वि., सिंहागावाली	–	–	03	03
7.	रा.मा.वि., 2 एफ सी मकन	–	–	03	02
8.	रा.मा.वि., 70 एलएनवी	–	–	03	02
9.	रा.मा.वि., कमरानिया	–	–	03	02
10.	रा.मा.वि., भोपालपुरा	–	–	03	02
11.	रा.मा.वि., बनवाली	–	–	03	03
12.	रा.मा.वि., हिरनावाली	–	–	03	03

परिशिष्ट-19

प्रपत्र "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-574 का विवरण)

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	विषय	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5	6
1.	रामावि. पीलादर	प्र.अ.	01	–	12/2001
2.	रामावि. रठौड़ा	प्र.अ.	01	–	7/2001
3.	उमावि. सराड़ा	व्याख्याता	02	भूगोल	9/2000
				उर्दू	7/1998
4.	उमावि. चावण्ड	व्याख्याता	02	अंग्रेजी	7/2001
				भूगोल	3/2001
		व.अ.	02	अंग्रेजी	6/2001
				गणित	7/2001
5.	उमावि. केजड़	व्याख्याता	01	संस्कृत	4/2001
6.	उमावि. सेमारी	व्याख्याता	01	हिन्दी	3/2000
		अध्यापक	01	–	1/2001
7.	उमावि. झाड़ोल (स.)	व्याख्याता	01	भूगोल	5/1999
		व.अ.	01	गणित	7/2001
8.	उमावि. अदवास	व्याख्याता	01	इतिहास	7/1998
		व.अ.	01	अंग्रेजी	2/2000
9.	उमावि. देवपुरा	व्याख्याता	03	हिन्दी	7/1999
				भूगोल	7/1999
				अर्थशास्त्र	7/1999
10.	रामावि. भोराईपाल	व.अ.	02	विज्ञान	1/2001
				गणित	2/2000
11.	रामावि. रठोड़ा	व.अ.	02	विज्ञान	2/2001
				गणित	7/2001

1	2	3	4	5	6
12.	रामावि. सल्लाड़ा	व.अ.	03	अंग्रेजी	7/2001
				विज्ञान	7/2001
				गणित	8/2001
13.	रा.मा.वि. थाणा (स.)	व.अ.	01	गणित	7/2001
14.	रा.मा.वि.				
	सुरखड़काखोड़ा	अध्यापक	01	–	7/2001
15.	रामावि. जावद	व.अ.	01	अंग्रेजी	9/2001
16.	रामावि. बड़गांव (स.)	व.अ.	01	विज्ञान	7/2001
		अध्यापक	01	–	7/2001
17.	रामावि बड़ावली	व.अ.	02	विज्ञान	7/2001
				गणित	7/2001
		अध्यापक	01	–	9/2000
18.	रामावि. सेमाल	व.अ.	02	विज्ञान	7/1999
		अध्यापक	01	गणित	7/1999
				–	7/2001
19.	रामावि बलुआ	व.अ.	03	अंग्रेजी	7/2000
				विज्ञान	7/2000
				गणित	7/2000
20.	राबामावि. सराड़ा	व.अ.	01	गणित	12/2001

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न संख्या–575 का विवरण)

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नागौर द्वारा वर्ष 2001–2002 में निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदन पत्र व जारी मान्यता का विवरण

		विद्यालय का वर्ष नाम 1	संस्था का नाम 2	आवेदन पत्र प्राप्ति 3	की गई कार्यवाही 4			
सत्र 2001–2002 बीईईओ, नागौर	1.	श्री हनुमन्त विद्या मन्दिर, उ.प्रा.वि. अलाय	हनुमन्त विद्या मन्दिर शि.सं. अलाय	3.2.2001	जारी की गई	–	–	–
	2.	सेन्टर पाल पब्लिक संस्थान उ.प्रा.वि. गोवासु	सेन्ट जान पब्लिक शि.सं. गोवाखुर्द	28.2.2001	जारी की गई	–	–	–
	3.	श्री जम्भेश्वर पब्लिक उ.प्रा.वि. बावण्डिया	श्री जम्भेश्वर पब्लिक शि.सं. चावण्डिया	6.02.2001	जारी की गई	–	–	–
	4.	बाबा रामदेव शि.सं. प्रावि. ताऊसर	बाबारामदेव शि.सं. ताउसर	27.2.2001	जारी की गई	–	–	–
	5.	सरस्वती बाल विद्या मन्दिर प्रा.वि. भदाणा	सरस्वती बाल विद्या मं. शि.स. भदाणा	13.2.2001	जारी की गई	–	–	–

1	2	3	4			
6. वीणा आदर्श विद्या मन्दिर शि.सं. प्रावि. साडोकन	वीणा आदर्श विद्या मन्दिर शि.सं. साडाकोन	26.2.2001	जारी की गई	–	–	–
7. आदित्य विद्या मन्दिर शि.सं. श्रीबालाजी	आदित्य विद्या मन्दिर शि.सं. श्रीबालाजी	26.2.2001	जारी की गई	–	–	–
8. रानाबाल प्रा. वि. चैनार	राना मल्टी प्रपज एज्यूकेशन संस्थान, चैनार	28.2.2001	जारी की गई	–	–	–
9. सरस्वती बाल निकेतन शि.सं. भदवासी	सरस्वती बाल निकेतन शि.सं. भदवासी	28.2.2001	जारी की गई	–	–	–
10. करणी विद्या मन्दिर प्रा. शि.सं. करनु	श्री करणी विद्या मन्दिर शि.सं. करनु	28.2.2001	जारी की गई	–	–	–

परिशिष्ट-21

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-580 की सूची)

जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बामनवास व बौंली में उन ग्रामों की सूची
जिनमें 11 के.वी. लाइन नहीं है अथवा क्षतिग्रस्त हो गई है

क्र.सं.	गांव का नाम	पंचायत समिति का नाम	विद्युत प्रवाह की वर्तमान में
1	2	3	4
1.	मांगरोल	बौंली	लाइन चालू कर दी गई हैं
2.	समरपुरा	"	उपरोक्त
3.	धोराला	"	उपरोक्त
4.	थड़ी	"	उपरोक्त
5.	बाढ़ बिलोली	"	लाइन नहीं है
6.	बिलोती नदी	"	"
7.	चक सोमवास	"	"
8.	मोहम्मदपुरा	"	"
9.	मधुसुदन पुरा	"	"
10.	पीलूखेड़ाखुर्द	"	"
11.	रघुबंटी	"	"
12.	सहरातता	"	"
13.	गोठड़ा	"	"
14.	सामोली	"	"

1	2	3	4
1.	सांरगपुर	बामनवास	लाइन चालू कर दी गई है
2.	रामनगर ढोली	,,	उपरोक्त
3.	रामसिंह पुरा प्रथम	,,	उपरोक्त
4.	राधेकी	,,	लाइन नहीं है
5.	गोठ	,,	,,
6.	बाढ सोहन	,,	,,
7.	गुजर कालेता	,,	,,
8.	नाग तलाई	,,	,,
9.	रामपुरा	,,	,,
10.	बानोर	,,	,,
11.	जोखोलाल खुर्द	,,	,,
12.	बाढ़ पलासोद	,,	,,
13.	रामसिंहपुरा द्वितीय	,,	,,
14.	माधोपुरा	,,	,,
15.	आशपुरा	,,	,,
16.	महरावड	,,	,,

ह०/–
अधिशाषी अभियंता (स.मा.मु.)
जयपुर डिस्काम, सवाईमाधोपुर

परिशिष्ट–22

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–583 की सूची)

प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग वर्ष 2001-2002 के विद्युत मीटर बदलने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	गांव का नाम	विद्युत मीटर बदलने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री रमीराजा/नजरूद्दीन	छानीबड़ी	9/10/2001
2.	श्री नरेन्द्र कुमार/नत्थुराम	छानीबड़ी	9/10/2001
3.	श्री देवतराम/मदन राम	छानीबड़ी	9/10/2001
4.	श्री सहीराम/मनी राम	छानीबड़ी	9/10/2001
5.	श्री हरीसिंह/मालूराम	मिनाज	15/10/2001
6.	श्री पूर्ण/हेमराज	मिनाज	16/10/2001
7.	श्री रणवीर/नाथूराम	उदारान	16/10/2001
8.	श्री मांगीराम/शिवकरण	गडी धानी	18/10/2001
9.	श्री मनीराम/मामराज	गडी धानी	18/10/2001
10.	श्री प्रहलाद/चूनीराम	गडडा	21/10/2001
11.	श्री दीलिप सिंह/बीरबल राम	गडडा	21/10/2001
12.	श्री विजय सिंह/नानक राम	गडडा	21/10/2001
13.	श्री फुल सिंह/मगाराम	मेहराना	21/10/2001
14.	श्री रामजी लाल/औसुखराम	गडी धानी	18/10/2001
15.	श्री बनवारी लाल/श्योचन्द	गडी धानी	18/10/2001
16.	श्री मंगलसिंह/मनफूल	5 जे एण्ड एन	18/10/2001
17.	श्री दरीयासिंह/मोमन राम	गडी धानी	18/10/2001

1	2	3	4
18.	श्री मोमनराम/खेमा राम	भिरानी	18/10/2001
19.	श्री फूसाराम/माना राम	भिरानी	4/12/2001
20.	श्रीमती मेहतरी/मुंशी राम	भिरानी	4/12/2001
21.	श्री हरदेवा/लक्ष्मीनारायण	भिरानी	4/12/2001
22.	श्री इन्द्र सिंह/बद्रीप्रसाद	भिरानी	4/12/2001
23.	श्री राजेन्द्र/रामस्वरूप	भिरानी	4/12/2001
24.	श्री जसरूप/जसूराम	भिरानी	4/12/2001
25.	श्री सुरेश कुमार/रामूराम	भिरानी	4/12/2001
26.	श्री मदनलाल/गंगाराम	भानगढ़	4/12/2001
27.	श्री मनीराम/शिम्भुराम	भानगढ़	4/12/2001
28.	श्री देवीसिंह/ अमराराम	भानगढ़	4/12/2001
29.	श्री भवानी सिंह/श्याम लाल	भानगढ़	4/12/2001
30.	श्री रिड़मल/श्योमल	भानगढ़	4/12/2001
31.	श्री सतवीर/मामूराम	भानगढ़	4/12/2001
32.	श्री मोहम्मद/मेहबूब खां	ढाबली	4/12/2001
33.	श्री राम कुमार/लक्ष्मी नारायण	ढाबली	4/12/2001
34.	श्री शीशराम/ताराचन्द	शेरडा	26/12/2001
35.	श्री मांगीलाल/चन्दूराम	बीबीपुर	26/12/2001
36.	श्री ईशर राम/जयमीराम	बीबीपुर	26/12/2001
37.	श्री राम कुमार/चंदुराम	बीबीपुर	26/12/2001
38.	श्री मान्डूराम/पतराम	उन्नण	31/12/2001
39.	श्री राम लाल/पूर्ण राम	नेढराना	3/10/2001

1	2	3	4
40.	श्री काना राम/उदराम	नेढराना	3/10/2001
41.	श्री सुखाराम/श्रीचन्द	नेढराना	3/10/2001
42.	श्री चिकित्सा अधिकारी	नेढराना	3/10/2001
43.	श्री मोमन राम/खडगाराम	6 एस.डी.एम.	10/10/2001
44.	श्री केसुराम/जोगूराम	6 एस.डी.एम.	10/10/2001
45.	श्री रामकिशन/शिवनाथ	6 एस.डी. एम.	10/10/2001
46.	श्री राज कुमार/काशीराम	मकरोदा	19/10/2001
47.	श्री नानक राम/जयन्ती लाल	मकरोड़ा	19/10/2001
48.	श्री राम कुमार पार्थ शर्मा	कोलान	23/10/2001
49.	श्री भगवाना राम/राम लता राम	पुन्जली	23/10/2001
50.	श्री राज कुमार/नन्द राम	पुन्जली	23/10/2001
51.	श्री हरिसिंह/जय श्री राम	पुन्जली	23/10/2001
52.	श्री लीलाधर/कुभाराम	पुन्जली	23/10/2001
53.	श्री अमीर लाल/हेतराम	पुन्जली	23/10/2001
54.	श्री हुसानाराम/पेमाराम	रसलाना	1/11/2001
55.	श्री बलवीर सिंह	भोजासर	10/12/2001
56.	श्री लीलाधर/सुरजाराम	भोजासर	10/12/2001
57.	श्री महेन्द्र सिंह/नाथुराम	गांधीबड़ी	10/12/2001
58.	श्री पूर्णराम/श्योजीराम	मालास	19/12/2001
59.	श्री राम प्रताप/चेतराम	भाडी	19/12/2001
60.	श्री फूसाराम/कृष्णराम	भाडी	21/12/2001

1	2	3	4
61.	श्री फूसाराम/मोमन राम	देउ	21/12/2001
62.	श्री मांगीलाल/ताराचन्द	देउ	21/12/2001
63.	श्री गोपीराम/हीरासिंह	देउ	21/12/2001
64.	श्री महेन्द्र सिंह/धनराज	देउ	21/12/2001
65.	श्री अनुराग/गुलाबराम	जाराय	24/12/2001
66.	श्री हरिसिंह/मनफूल	जाराय	24/12/2001
67.	श्री लीलूराम/मानाराम	सुरजपुरा	27/12/2001
68.	श्री रामस्वरूप/सुरजाराम	सुरजपुरा	27/12/2001
69.	श्री ओमप्रकाश/अमीलाल	भोगवा	28/12/2001
70.	श्री रामसिंह/मनीराम	भोगवा	28/12/2001
71.	श्री राममूर्ति/मनीराम	भोगवा	28/12/2001
72.	श्री कसीराम/ बस्तीराम	भोगवा	28/12/2001
73.	श्री गोरीशंकर/सीताराम	भोगवा	28/12/2001
74.	श्री रामकिशन/हरीराम	भोगवा	28/12/2001
75.	श्री शेरसिंह/कांसीराम	भोगवा	28/12/2001
76.	श्री पेमाराम/लालराम	मालसा	2/1/2002
77.	श्री कांसीराम/पेमाराम	कुण्डी	7/1/2002
78.	श्री गंगाराम/लालचन्द	मांगल	10/1/2002
79.	श्री हरीराम/हनुमान प्रसाद	भादरा	8/2/2002
80.	श्री सुरजाराम/यादव	भादरा	8/2/2002

परिशिष्ट–23

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–584 का विवरण)

वृत्त स्तरीय समझौता समिति के सदस्य

1.	अधीक्षण अभियन्ता (पवस)	अध्यक्ष
2.	अधिशासी अभियन्ता (पवस)	सदस्य
3.	लेखाधिकारी	"
4.	अधिशासी अभियन्ता वाणिज्यि वरि. लेखाधिकारी निदेशक वाणिज्यिक द्वारा मनोनित यदि आवश्यक	" "
5.	अधीक्षण अभियन्ता (एम. एण्ड पी.)सम्बन्धित अथवा प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता से कम दर्जे से कम नहीं (एम. एण्ड पी.) शाखा द्वारा	"

अथवा

अन्य अधिकारी (एम. एण्ड पी.) शाखा सहायक
अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी से कम नहीं
निदेशक (एस. एण्ड वी.) द्वारा मनोनीत
(एस. एण्ड वी.) के वेश में।

खण्ड स्तरीय समझौता समिति

1.	अधिशासी अभियन्ता (पवस/ग्रामीण) सम्बन्धित खण्ड	अध्यक्ष
2.	सहायक अभियन्ता (पवस/ग्रामीण) सम्बन्धित उप खण्ड	सदस्य सचिव
3.	सहायक राजस्व अधिकारी (पवस) ग्रामीण सम्बन्धित उप खण्ड	सदस्य
4.	निदेशक आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिनिधि मुख्यालय पर सहायक लेखाधिकारी से कम नहीं अथवा उसकी अनुपस्थिति में सहायक लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण विवाद में)	

अथवा

अधिशासी अभियन्ता (एम.एण्ड पी.) सम्बन्धित क्षेत्र अथवा प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता से कम नहीं (एम एण्ड पी.) के केस में।	सदस्य

अथवा

सहायक अभियन्ता (सतर्कता) अथवा सहायक लेखाधिकारी निदेशक (एस. एण्ड पी.) द्वारा मनोनीत (सतर्कता शाखा के केस में)	सदस्य

उप खण्डीय स्तरीय समझौता समिति

1.	सहायक अभियन्ता (पवस/ग्रामीण)	अध्यक्ष
2.	कनिष्ठ अभियन्ता सम्बन्धित	सदस्य
3.	सहायक राजस्व अधिकारी	सदस्य

परिशिष्ट "ब"

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (अजमेर)

नागौर वृत में वर्षवार समझौता समिति में निपटाये गये मामलों की सूची

समझौता समिति वर्षवार	मीटिंग सम्पन्न	मामले प्राप्त हुए	निपटाये गये मामलों की संख्या
उपखण्ड स्तरीय			
1999–2000	24	63	53
2000–2001	15	87	72
2001–2002	15	76	62
खण्ड स्तरीय			
1999–2000	36	46	20
2000–2001	37	104	63
2001–2002	38	96	62
वृत्त स्तरीय			
1999–2000	12	110	33
2000–2001	13	129	73
2001–2002	14	177	97

परिशिष्ट-24

परिशिष्ट '1'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-588 की सूची)

चुंगी नाके के अधिशेष हुए कर्मचारियों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	03
2.	अलवर	13
3.	बांसवाड़ा	03
4.	बाड़मेर	30
5.	बारां	58
6.	भरतपुर	00
7.	भीलवाड़ा	23
8.	बीकानेर	14
9.	बून्दी	47
10.	चित्तौड़गढ़	64
11.	चूरू	12
12.	दौसा	00
13.	धौलपुर	17
14.	डूंगरपुर	03
15.	गंगानगर	10
16.	हनुमानगढ़	00

1	2	3
17.	जयपुर	34
18.	जालौर	00
19.	झुंझुनूं	08
20.	जोधपुर	09
21.	जैसलमेर	00
22.	झालावाड़	68
23.	कोटा	66
24.	नागौर	00
25.	पाली	36
26.	राजसमन्द	00
27.	सवाईमाधोपुर	66
28.	सीकर	08
29.	सिरोही	00
30.	टोंक	10
31.	उदयपुर	00
32.	करौली	00
	योग	**602**

परिशिष्ट-25

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-598 की सूची)

माडा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के चयनित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्रांव का नाम	क्र.सं.	ग्रांव का नाम
1.	देवा का खेड़ा	21.	कालैण्डा
2.	पपराला	22.	रलायता
3.	बोम का खेड़ा	23.	विजयगढ़
4.	पैंच की बावड़ी	24.	काबरी
5.	कालामाल	25.	मुण्डगसा
6.	बटवाड़ी	26.	बोरखेड़ा
7.	उमर	27.	रामचन्द्रजी का खेड़ा
8.	किशनगंज	28.	बडौदिया
9.	रोशन्दा	29.	जयनिवास
10.	स्वरूपगढ़	30.	रामपुरिया
11.	ओकरण	31.	गढ़ा
12.	मोतीपुरा	32.	खड़का नया गांव
13.	भीमगंज	33.	डाटुन्दा
14.	टोकड़ा	34.	सथुर
15.	ब्राह्मणों की झोपड़ियां	35.	नठावा
16.	रघुनाथपुरा	36.	शाहपुरा
17.	गुढा गोकुलपुरा	37.	उमरथूना
18.	गोरधनपुरा	38.	अस्तोली
19.	बिशनपुरा	39.	काजरी सिलोर
20.	फतेहगढ़		

परिशिष्ट ''ब''

माडा ग्रामों में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक स्वीकृत कार्य की सूची

	कार्य/स्थान का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य की स्थिति
	1	2	3	4
1.	**हैण्ड पम्प स्थापना**			
1.	भीलो का झौपड़ा	झड़ का नया गांव	1999-2000	पूर्ण
2.	मीणा बस्ती	गोरधनपुरा	''	''
3.	मीणा का झौपड़ा	विजयगढ़	''	''
4.	मीणा बस्ती	भील मीणा की झौपड़ियां	''	''
5.	भील बस्ती	जय निवास	''	''
6.	मीणा बस्ती	गुढ़ा गोकुलपुरा	''	''
7.	मीणों का मोहल्ला	सोरण	2000-2001	''
8.	मीणा बस्ती, बरदा का झौपड़ा	रघुनाथपुरा	''	''
9.	मीणा बस्ती काबरी	काबरी	''	''
10.	मीणा बस्ती नन्दगांव	नन्दगांव	''	''
11.	मीणा बस्ती उमर	उमर	''	''
12.	मीणा बस्ती विजयगढ़	विजयगढ़	''	''
13.	मीणा बस्ती विकरण	विकरण	''	''
14.	मीणा बस्ती सथुर	सथुर	''	''
15.	मीणा बस्ती पैंच की बावड़ी	पैंच की बावड़ी	''	''
16.	मीणा बस्ती फतेहगढ़	फतेहगढ़	2001-2002	प्रगति पर
17.	मीणा बस्ती बिशनपुरा	बिशनपुरा	''	''
18.	मीणा बस्ती फालेण्डा	फालेण्डा	''	''

1	2	3	4
(2) अतिरिक्त कमरा निर्माण			
1. रा.प्रा.वि. रघुनाथपुरा	रघुनाथपुरा	2000-2001	पूर्ण
2. रा.प्रा.वि. डाटुण्डा	डाटुण्डा	"	"
3. रा.प्रा. वि. बोरखेड़ा	बोरखेड़ा	2001-2002	प्रगति पर
(3) जल प्रदाय योजना			
1. जल प्रदाय योजना स्वरूपगढ़	काछौला	2001-2002	"
2. जल प्रदाय योजना देवाखेड़ा	पैंच की बावड़ी	2001-2002	"
3. जल प्रदाय योजना बटवाड़ी	बटवाड़ी	2001-2002	"
(4) एनीकट निर्माण			
1. एनीकट निर्माण करगजपुरा खाल पर	बोरखेड़ा	2001-2002	कार्य प्रगति पर
2. एनीकट निर्माण गुआभाता के खाल पर ग्राम	जयनिवास	2001-2002	"

परिशिष्ट "स"

वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक अपूर्ण कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1.	अतिरिक्त कमरा निर्माण रा.प्रा.वि. बोरखेड़ा	जून, 2002 तक
2.	एनीकट निर्माण गुआ माता खाल पर	सितम्बर, 2002 तक
3.	एनीकट निर्माण करगजपुरा का खाल पर	"
4.	हैण्ड पम्प निर्माण फतेहगढ़	जून, 2002 तक
5.	हैण्ड पम्प निर्माण बिशनपुरा	"
6.	हैण्ड पम्प निर्माण फालैण्डा	"
7.	जल प्रदाय योजना स्वरूपगढ़	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है आगामी 6 माह में कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा।
8.	जल प्रदाय योजना देवाखेड़ा	"
9.	जल प्रदाय योजना बटवाड़ी	"

परिशिष्ट-26

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-599 की सूची)

जिला जलौर में चिन्हित किए गए ग्रामीण विकास केन्द्र तथा लघु ग्रामीण विकास केन्द्र की पंचायत समितिवार सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्रामीण विकास केन्द्र	लघु ग्रामीण विकास केन्द्र
1	2	3	4
1.	जालौर	साथू	बाकरारोड,
		बागरा	मेड़ा उपरला
		सियाना	नारायणवास
		देवावास	दीगांव
		सांकरना	बिबलसर
			सिवण
			ओडवाड़ा
			सामूजा
2.	आहोर	आहोर	बोरड़ा
		भाद्राजून	बाला
		भवरानी	नौसरा
		चांदराई	शंखवाली
		हरजी	रोडला
			कवला
			गुडाबालोतान
			सेदरिया बालोतान
3.	भीनमाल	बागोड़ा	नया मोरसीम
		सेवड़ी	भालनी
		जूजाणी	घुम्बडिया
		दातीवास	डूंगरवा
		दासपा	जैरण
			बोरटा
			नरता
			निम्बावास

1	2	3	4
4.	रानीवाड़ा	करड़ा	रोपसी
		मालवाड़ा	चितरोड़ी
		रानीवाड़ाकला	कोटड़ा
		जाखड़ी	सिलासन
		बढगांव	सूरजवाड़ा
			जालोरा खुर्द सेवाड़ा
			गांग
5.	सांचौर	चितलवाना	सिवाड़ा
		झाब	हाडेचा
		अरणाय	बिछावाड़ी
		सांकड़	धमाना
		डूंगरी	डाबल
			भडवल
			गोलासन
			हाडेतर
6.	सायला	माण्डवला	जीवाना
		बाकरा	बावतरा
		सुराना	मेंगलवा
		सायला	आसाना
		उम्मेदाबाद	बालवाड़ा
			साफाड़ा
			आलासन
			कलापुरा
7.	जसवन्तपुरा	धानसा	खाण्डादेवल
		मोदरा	पावली
		रामसीन	बासडाधनजी
		जसवन्तपुरा	ततोल
		तवाब	भूर
			चान्दूर
			डोरडा
			साविधर

परिशिष्ट "ब"

जालौर जिले में विकास केन्द्रों (आर.जी.सी.) में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	आरजीसी केन्द्र का नाम	पंचायत समिति
1	2	3	4	5	6
1.	उचित मूल्य की दुकान, साथू	1995-96	1.26	साथू	जालौर
2.	उचित मूल्य की दुकान, बागरा	"	1.26	बागरा	"
3.	उचित मूल्य की दुकान, सियाणा	"	1.26	सियाणा	"
4.	उचित मूल्य की दुकान, देबावास	"	1.26	देबावास	"
5.	उचित मूल्य की दुकान, साकरणा	"	1.26	साकरणा	"
6.	प्रावि. भाद्राजून दो कमरा मय बरामदा	"	2.36	भाद्राजून	आहोर
7.	प्रावि. (कन्या) हरजी "	"	2.36	हरजी	"
8.	प्रावि. हनुमानशाल, आहोर	"	2.36	आहोर	"
9.	बैंक भवन, सायला	"	2.36	सायला	सायला
10.	बैंक भवन, उम्मेदाबाद	"	1.23	उम्मेदाबाद	"
11.	प्रावि., माण्डवला दो कमरे मय बरामदा	"	2.378	माण्डवला	"
12.	प्रावि., बाकरा एक कमरा मय बरामदा	"	1.18	बाकरा	"
13.	प्रावि., सैवड़ी एक कमरा मय बरामदा	"	1.21	भीनमाल	भीनमाल
14.	प्रावि., (कन्या) बागोड़ा एक कमरा	"	1.21	बागोड़ा	"
15.	प्रावि., (कन्या) जूंजाणी एक कमरा	"	1.21	जूंजाणी	"
16.	प्रावि., दातीवास, दो कमरे मय बरानि.	"	2.36	दातीवास	"

1	2	3	4	5	6
17.	बैंक भवन, तवाब	1995–96	1.26	तवाब	जसवन्तपुरा
18.	बैंक भवन, धानसा	”	1.26	धानसा	”
19.	उचित मूल्य की दुकान मोदरा	”	1.26	मोदरा	”
20.	पशु चिकित्सालय, रामसीन	”	1.26	रामसीन	”
21.	रामावि. बड़गांव एक कमरा मय बरा.नि.	”	1.16	बडगांव	रानीवाड़ा
22.	राउप्रावि. बड़गांव एक कमरा मय बरा.नि.	”	1.16	”	”
23.	राप्रावि. रानी कल्ला दो कमरा बरा.नि.	”	2.36	रानी, कल्ला	”
24.	बैंक भवन, करड़ा	”	1.41	करडा	”
25.	प्रावि. गडरियो धोरा, साकड़ चार कमरा मय बरामदा निर्माण	”	4.884	सांकड	सांचोर
26.	प्रावि. मालियों की ढाणी, चितलवाना तीन कमरा मय बरामदा निर्माण	”	3.38	चितलवाना	”
27.	पशु चिकित्सालय, सेवड़ी	1996–97	2.77	सेवड़ी	भीनमाल
28.	बैंक भवन, दासपा	”	1.42	दासपा	”
29.	बैंक भवन, जसवन्तपुरा	”	1.41	जसवन्तपुरा	जसवन्तपुरा
30.	पशु चिकित्सालय, तवाब	”	3.10	तवाब	”
31.	बीएलडब्लयू, क्वाटर तवाब	”	1.62	”	”
32.	बैंक भवन, एमजीबी, झाब	”	1.50	झाब	सांचोर
33.	बैंक भवन, एमजीबी, चितलवाना	”	1.50	चितलवाना	”

1	2	3	4	5	6
34.	पशु चिकित्सालय, डूंगरी	''	2.765	डूंगरी	''
35.	बस स्टैण्ड चांदराई	1997-98	1.05	चांदराई	आहोर
36.	उप स्वा. केन्द्र दांतीवास	1998-99	3.00	दांतीवास	भीनमाल
37.	सड़क निर्माण वाडा-मालवाड़ा	''	3.07	मालवाड़ा	रानीवाड़ा
38.	राउप्रावि. संस्कृत स्कूल, अरणाय दो कमरा मय बरामदा निर्माण	''	2.80	अरणाय	सांचौर

नोट : उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

ह०/–
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
जालौर

परिशिष्ट ''स''

जालौर जिले में लघु विकास केन्द्रों (एम.आर.जी.सी.) में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	एमआरजीसी केन्द्र का नाम	पंचायत समिति
1.	पोस्ट आफिस भवन, बिबलसर	1998-99	1.634	बिबलसर	जालौर
2.	पोस्ट आफिस भवन, नारणावास	''	1.63	नारणावास	''
3.	बैंक भवन, शखवाली	''	1.68	शंखवाली	आहोर
4.	पंचायत भवन निर्माण, गुडाबालोतान	''	1.80	गुडा बालोतान	''
5.	बस स्टैण्ड सैदरिया बालोतान	''	1.40	सैद.बालोतान	''
6.	बस स्टैण्ड, आलासन	''	1.453	आलासन	सायला
7.	बैंक भवन, जीवाणा	''	2.71	जीवाणा	''
8.	बस स्टैण्ड, सफाड़ा	''	1.71	सफाड़ा	''
9.	पोस्ट आफिस भवन, बावतरा	''	1.68	बावतरा	''
10.	बैंक भवन, मैगलवा	''	1.80	मैगलवा	''
11.	बैंक भवन, घुम्बड़िया	''	2.04	घुम्बड़िया	भीनमाल
12.	पशु हैल्थ सेन्टर घुम्बड़िया	''	3.80	''	''
13.	बस स्टैण्ड, सैवाड़ा	''	1.58	सैवाड़ा	''
14.	टेलीफोन एक्सचेंज सिवाड़ा	''	2.04	सिवाड़ा	सांचोर
15.	बैंक भवन, हाडेचा	''	1.80	हाडेचा	''

उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

ह०/–
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
जालौर

परिशिष्ट–27

परिशिष्ट–1

(अतारांकित प्रश्न संख्या–602 की प्रति)

महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान मानदण्ड

प्रदेश में नये महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किये जा रहे हैं :

1. महाविद्यालय के लिये आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।
2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डी स्कूल हों।
3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय कार्यरत नहीं हो।
4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिये उपयुक्त हो।

निजी महाविद्यालयों के प्रारम्भ करने हेतु उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सहशिक्षा के महाविद्यालय द्वारा 25.00 लाख रुपये एवं महिला शिक्षा के महाविद्यालय द्वारा 10.00 लाख रुपये संस्था के 5 वर्षीय सावधि खाते में जमा करवाना आवश्यक है।